स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त - व्यवस्था

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय के शिक्षा-संकाय में
पी-एच. डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

निर्देशक :
डा० रामशकल पाण्डेय
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,
शिक्षा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

शोधकर्ता :
डी० एस० श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष,
शिक्षा विभाग
अतर्रा कालेज, अतर्रा (बांदा).

1989

Dr. R. S. Pandey
Professor & Head
Department of Education
University of Allahabad
Allahabad-211 002 (U. P.)
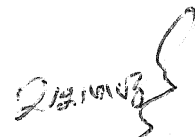
Residence :
172, Kidwai Nagar, Allapur
Allahabad 211006 (U. P.)

Dated 1.11.69

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी0एस0 श्रीवास्तव, अध्यक्ष - शिक्षा विभाग, अतर्रा कालेज, अतर्रा(बाँदा) ने "स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था" विषय पर मेरे निर्देशन में बड़े परिश्रम और अध्यवसाय से शोध-प्रबन्ध पूर्ण किया है। इसकी विषय-सामग्री मौलिक है और यह सम्पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य परीक्षा के लिये प्रयोग नहीं की गयी है।

मैं संस्तुति करता हूँ कि यह इस योग्य है कि मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जाय।

(डा0 रामशकल पान्डेय)
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष,
शिक्षा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

::=:: आभारिका ::=::

शैक्षिक सुविधाओं एवं सेवाओं का विस्तार वित्तीय व्यवस्था की सुलभता पर निर्भर करता है। वास्तव में प्रत्येक शैक्षिक क्रिया-कलाप शैक्षिक वित्त एवं शैक्षिक सम्पोषण से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। शैक्षिक वित्त ही सम्पूर्ण राष्ट्र के सुव्यवस्थित ढाँचे को निर्धारित करता है। शैक्षिक वित्त को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के लिये वित्त का प्रबन्धन राष्ट्र के भाग्य के निर्माण करने के समान है। किसी भी शैक्षिक क्रिया की कल्पना बिना पर्याप्त कोष के नहीं की जा सकती है। वित्तीय व्यवस्था शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता के लिये महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक शिक्षा क्षेत्र दस्तावेज ने जब से इस पर बल दिया है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक साधन के रूप में वित्त-प्रबन्ध के पक्ष में एक बदलाव सा है तथा विकसित एवं विकासशील दोनों देशों में शिक्षा की वित्तीय नीतियों के विषय में रूचि दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

यद्यपि शिक्षा के विकास के क्षेत्र में दुनिया के सभी देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि वित्त-व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक परिलब्धि है तथा इसकी वास्तविक एवं काल्पनिक अपर्याप्तता विश्व के विभिन्न मंचों पर चर्चा का विषय बनी रही है, तथापि इसकी बहुरंगी समस्याओं के अध्ययन एवं शोध के क्षेत्र में इतना कम कार्य हुआ है कि शैक्षिक वित्त से सम्बन्धित समस्याओं का तात्कालिक समाधान एवं निराकरण अपने परिपक्व रूप में निष्कर्षतः आज भी नहीं आ सका। अतएव शैक्षिक वित्त की समस्याओं के विनियोजन एवं विश्लेषण का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के कारण शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत समस्या का चयन किया गया। शिक्षा एक विशाल उपक्रम है तथा शैक्षिक व्यवस्था स्वाभाविक ही बड़ी व्यय-साध्य है। वित्तीय व्यवस्था का गहनतम अध्ययन किसी प्रदेश तथा शिक्षा के किसी विशेष स्तर को लेकर ही किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश भारत भूखंड का विशालतम राज्य है। जैसे-जैसे प्राथमिक शिक्षा का

विस्तार बढ़ता जायेगा, माध्यमिक शिक्षा की अनिवार्यता का आधार भी दृढ़ होता जायेगा। संयोगवश शोधकर्ता माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित है, अतएव माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था में रुचि होना स्वाभाविक है।

इस शोध का पंजीयन शिक्षा-वित्त के प्रवर्तक स्व0 §डॉ0§ आत्मानन्द मिश्र के निर्देशन में हुआ था, परन्तु कार्य पूरा नहीं हो सका और दैवयोग से वह ब्रह्मलीन हो गये। उनके आशीर्वाद और प्रेरणा के प्रति मैं अनुगृहीत हूँ। तत्पश्चात् मेरी प्रार्थना पर अपनी महती कृपा रखते हुए देश के जाने-माने शिक्षाविद् डॉ0 रामशकल पान्डेय ने निर्देशन के दायित्व को स्वीकार कर लिया, मेरे लिये यह अत्यन्त हर्ष तथा गौरव का दिन था। उनके प्रकाण्ड पांडित्य से मुझे पग-पग पर यथेष्ट मार्ग-दर्शन प्राप्त हुआ है। शोध-प्रबन्ध को प्रस्तुत करते हुए मैं अपने शब्दों की परिधि में ऐसे उपयुक्त सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पा रहा, जिसके द्वारा परम श्रद्धेय डॉ0 पान्डेय जी के प्रति आभार व्यक्त कर सकूँ, क्योंकि उनका आत्मीयता तथा सहृदयता-पूर्ण कुशल पथ-प्रदर्शन ही इस शोध-कार्य की निष्पत्ति का मूल आधार रहा है। मैं डा0 पान्डेय जी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

इस शोध-कार्य की पूर्णता पर सर्वाधिक प्रसन्नता का अनुभव करने वाले शिक्षा के उन्नायक तथा बाँदा जनपद के मालवीय श्रद्धेय श्री जगपत सिंह जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिनकी सतत् प्रेरणा, प्रोत्साहन, सक्रिय सहयोग तथा सहानुभूति के बल पर ही मैं यह शोध-कार्य पूरा कर सका।

मैं चिरऋणी हूँ शिक्षा-विभाग के डॉ0 श्रीमती उर्मिला किशोर, श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कृष्ण मोहन त्रिपाठी तथा श्री उदय नारायण मिश्र आदि मूर्धन्य अधिकारियों का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों द्वारा इस शोध-प्रबन्ध की उत्कृष्टता को बढ़ाया है।

इस शोध से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करने के लिये मुझे केन्द्रीय

सचिवालय, नयी दिल्ली; नेशनल इंस्टीट्यूट आफ प्लानिंग एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन तथा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, नयी दिल्ली; इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विधान सभा तथा सचिवालय एवं राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ के पुस्तकालयों में जाना पड़ा, अतएव मैं इन पुस्तकालयों के अध्यक्षों तथा सम्बन्धित सहायकों और कार्मिकों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ, जिन्होंने पुस्तकालयों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान किया।

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद के सांख्यिकी सहायक, श्री मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने प्रदत्तों के संकलन में मेरी यथाशक्ति सहायता की।

मैं चिरकृतज्ञ हूँ ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा﴾बाँदा﴿ के प्रधानाचार्य श्री अविनाशीनन्दन द्विवेदी तथा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा﴾बाँदा﴿ की प्रधानाचार्या, श्रीमती गीता अग्निहोत्री का, जिन्होंने संस्थाओं के वृत्त-इतिहास के अध्ययन-हेतु सामग्री उपलब्ध करायी।

मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 बी0एन0 द्विवेदी का भी अत्यन्त आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे समय-समय पर अवकाश प्रदान कर इस कार्य को पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया।

मैं अपने मित्र श्री कमलेश शर्मा का आभारी हूँ, जिन्होंने आपत्तियों एवं निराशा के क्षणों में इस शोधकार्य को पूरा करने हेतु ढाढ़स बँधाया है।

मैं अपने सहयोगी श्री राजबहादुर भदौरिया, श्री शिवराज सिंह सेंगर, श्री ज्ञान सिंह एवं डॉ0 अवधेश द्विवेदी द्वारा की गयी सहायता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने विभाग के सभी सहयोगियों का तथा शिष्य श्री ओमकार चौरसिया का भी आभारी हूँ।
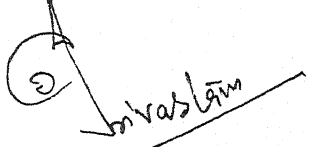
शिक्षा-संकाय के अधिष्ठाता श्री श्रीश कुमार, विभागाध्यक्ष (बी0एड0), श्री डी0 आर0 सिंह पाल तथा श्री पीतम सिंह जी का हृदय से आभारी हूँ, जिनकी शुभकामनाओं ने मेरे मनोबल को बढ़ाया है।

अन्ततः मैं हार्दिक रूप से कृतज्ञ हूँ अपने प्रातः स्मरणीय अग्रज श्री रमाशंकर विद्यार्थी तथा श्री उमाशंकर श्रीवास्तव का, जिनके असीमित स्नेह एवं आशीर्वाद से इस शोध-कार्य को मूर्त रूप दे सका। मेजर श्री विनोद मिश्र द्वारा की गयी सहायता का भी मैं सदैव चिर ऋणी रहूँगा। प्रिय श्रवण तथा अम्बरीष धन्यवाद के पात्र हैं।

इस शोध-प्रबन्ध को टंकित करने वाले श्री रवि प्रकाश मिश्र एवं "नवीन अरोड़ा", नवाबगंज, कानपुर के प्रोप्राइटर का सक्रिय सहायोग सराहनीय रहा, अतएव वे साधुवाद के पात्र हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

शिक्षा-नीति-निर्धारकों, योजना-निर्माताओं, शिक्षा-प्रशासकों तथा उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के वित्त-प्रबन्धन में यह लघु प्रयास किंचित् मात्र भी उपयोगी सिद्ध हो सका तो शोधकर्ता अपना प्रयास सार्थक समझेगा।

विजयादशमी

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)

::=:: अनुक्रमणिका ::=::

पृष्ठ-संख्या

:: प्रथम अध्याय ::

समस्या और शोध-विधि (1-36)

:: द्वितीय अध्याय ::

समस्या से सम्बद्ध साहित्य (37-68)

पृष्ठ-संख्या

:: तृतीय अध्याय ::

:: चतुर्थ अध्याय ::

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ संख्या

:: पंचम अध्याय ::

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय तथा उसके स्रोत (204-272)

पृष्ठ-संख्या

:: षष्ठ अध्याय ::

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यय तथा उसके मद §273-349§

पृष्ठ-संख्या

:: सप्तम अध्याय ::

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा एवं उसका वित्त-प्रबन्धन (350-433)

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

पृष्ठ-संख्या

:: अष्टम अध्याय ::

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सहायक अनुदान-प्रणाली §434-79§

पृष्ठ-संख्या

:: नवम अध्याय ::

पृष्ठ-संख्या

:: दशम अध्याय :: ::पृष्ठ-संख्या::

निष्कर्ष एवं सुझाव §518-561§

-x-x-x-x-

सारिणी - सूची

-x-x-x-x-

::=:: ग्राफ-सूची ::=::

-x-x-x-x-

प्रथम अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

समस्या और शोध-विधि

सृष्टि की समग्र संरचना में मानव प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ देन है। फलतः सृष्टि के विविध रचनात्मक, सृजनात्मक क्रिया-कलापों में भी मानव और मानवीय भूमिका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृति-प्रदत्त इस मानव-शरीर अथवा मानव-जीवन को समुचित रूप से परिष्कृत करके सार्थक बनाने का सशक्त माध्यम शिक्षा है। शिक्षा ही मनुष्य को समस्त मानवीय गुणों से सुसम्पन्न करके अखिल विश्व के प्राणि मात्र में उसे गौरव-पूर्ण उच्चतम शिखर-श्रेणी पर आसीन कराती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति[1] 1986 के अनुसार "शिक्षा राष्ट्र के वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता पनपती है, वैज्ञानिक तरीकों के अमल की संभावना बढ़ती है और समझ तथा चिन्तन में स्वतंत्रता आती है, साथ ही हमारे संविधान में प्रतिष्ठित धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा ही आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए जरूरत के अनुसार जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को सम्बल मिलता है, जो राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता की आधार-शिला है।"[1]

उक्त तथ्यों के आधार पर हम दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय जीवन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाये जा सकते हैं। यही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा कोई भी देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है।

इस शताब्दी के अन्त तक भारत की जनसंख्या शायद एक अरब हो जाय। सूची-स्तम्भ की इस विशाल आधार-शिला को मजबूत बनाना हमारा पहला कर्तव्य है।

1- "नेशनल पालिसी आन इजूकेशन 1986" नयी दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेन्ट गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, 1986, पृष्ठ-3

साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस सूची-स्तम्भ के शीर्ष पर विश्व के प्रबुद्ध व्यक्ति विराजमान हों। अतीत में हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं ने शीर्ष एवं आधार दोनों का ही बराबर ख्याल रक्खा है, लेकिन विदेशी साम्राज्य एवं प्रभाव से इस सूची-स्तम्भ में तिरछापन आ गया है। अब मानवीय संसाधन के विकास के रूप में हमें अपने राष्ट्रीय प्रयास को और तेज करना है, जिससे शिक्षा बहुउद्देश्यीय भूमिका निभा सके। भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं एक बेशकीमत सम्पदा है, अमूल्य संसाधन है। जरूरत इस बात की है कि उसकी परिवरिश गतिशील तथा संवेदनशील हो।

शिक्षा उद्योग है[2] तथा उत्तरजीविता एवं प्रगति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा पर आधारित समाज का मूल लक्षण है। शिक्षा और उत्पादकता का सम्बन्ध अथवा उसका संयोग निश्चित ही इस तथ्य को प्रगट करता है कि आधुनिक विश्व में सर्वाधिक उत्पादन के कार्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। यह भविष्य में और भी बढ़ता जायेगा। कोई भी देश शिक्षा और राष्ट्रीय उत्पादकता को जोड़े बिना इतना साधन-सम्पन्न नहीं हो सकता है कि वह सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक साक्षरता प्रदान कर सके। यदि शिक्षा का उत्पादकता में §प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से§ योगदान नहीं है तो वह अत्यन्त थोड़े लोगों-सम्पूर्ण जनसंख्या के सुविधाभोगी वर्ग तक सीमित रहेगी। प्राचीन और मध्य काल में यही स्थिति थी। राष्ट्रीय विकास और शैक्षिक विकास में परस्पर सम्बन्ध है । आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण योग देती है। उसके द्वारा राष्ट्र को आवश्यक संख्या में तथा निश्चित समयोपरान्त योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्ति-शिक्षक, इंजीनियर, डाक्टर, तकनीशियन, वैज्ञानिक आदि प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के आर्थिक स्वालम्बन के साथ-साथ उसकी उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन एवं समृद्धि का विकास होता है। यदि शैक्षिक विकास

2- एआईआर0, 1978 एस0सी0, नागपुर, आल इण्डिया रिपोर्टर लिमिटेड, 1978, पृष्ठ-543

देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, तो आर्थिक विकास के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। शैक्षिक वित्त राष्ट्रीय लाभांश से निकट रूप से सम्बद्ध है।

शिक्षा- संरचना में सामान्य रूप से शिक्षा-क्रम को तीन प्रमुख स्तरों में विभक्त किया जा सकता है -

§1§ प्राथमिक

§2§ माध्यमिक

§3§ उच्च

शिक्षा के तीनों स्तर परस्पर आबद्ध हैं तथा एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। प्राथमिक शिक्षा जीवन का मूल है, माध्यमिक शिक्षा तना है और उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है। ब्रिटिश शासन काल में सार्वभौमिक शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।[3] सुयोग्य नागरिक बनाने हेतु प्राथमिक शिक्षा की उपादेयता, आवश्यकता तथा महत्ता को समझते हुए संविधान की 45वीं धारा में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान रक्खा गया है, परन्तु आज तक हम इस अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाये हैं। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए 1995 को लक्ष्य-वर्ष घोषित किया है। प्राथमिक शिक्षा द्वारा बालक के जीवन के सर्वांगीण विकास का कार्य प्रारम्भ किया जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा द्वारा इसकी गति में और अधिक तीव्रता लायी जाती है।

माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय जीवन का आधार है। प्राथमिक शिक्षा ज्ञान के द्वार की कुंजी प्रदान करती है, विश्वविद्यालय शिक्षा ज्ञान का भंडार प्रदान करती है और ज्ञान की परिधि का विस्तार करती है, इन दोनों स्तरों के मध्य माध्यमिक शिक्षा जीवन-यापन तथा नेतृत्व के लिये व्यक्ति को तैयार करती है।

3- रामशकल पन्डेय, "राष्ट्रीय शिक्षा," आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 1987

यह मध्यवर्ती शिक्षा-इकाई, जो प्रार्थामक तथा उच्च शिक्षा के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी है, एक ओर निम्न वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, प्राथमिक तथा वयस्क शिक्षा-हेतु अध्यापक, समाज के उन्नयन-हेतु सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करती है, दूसरी ओर यह प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के बीच सम्पर्क-सूत्र का कार्य सम्पन्न करती है। यह मानव-जीवन के उन वर्षो में सम्पन्न होने वाली शिक्षा है, जिन्हें सामूहिक रुप से किशोरावस्था कहते हैं। यह वह अवस्था है, जब बालक भावुकता के वश में वशीभूत होकर कार्य करते हैं। इस अवस्था में उनकी भावना अस्थिर तथा चंचल होती है। अतः उनकी रुचि को इच्छानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। यदि इस शिक्षा का प्रबन्ध ठीक प्रकार से हुआ तथा किशोरों की शक्ति को ठीक प्रकार से प्रयोग किया गया, तो वे राष्ट्र के लिए आदर्श नागरिक तैयार हो सकते हैं। इस आयु में बालकों के मस्तिष्क पर जो संस्कार पड़ जाते हैं, वे जीवन भर के लिए स्थायी होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था के संस्कारों का पोषण और परिपक्वीकरण इसी स्तर की शिक्षा में होता है। यही शिक्षा पूर्ण संतुलित व्यक्तित्व का विकास करती है।

माध्यमिक शिक्षा ही बालक को एक ओर जीवन के निकट लाती है, दूसरी ओर उसे जीविकोपार्जन के योग्य और उच्च शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं। प्रार्थामक तथा उच्च शिक्षा दोनों का स्तर तथा गुणात्मकता इसी शिक्षा पर निर्भर करती है। यह शिक्षा वह बिन्दु है, जहाँ पर आकर छात्र किसी भी दिशा, व्यवसाय अथवा उच्च शिक्षा की ओर मुड़ सकता है तथा जीवन के किसी भी आर्थिक क्षेत्र में प्रविष्ट हो सकता है। यह वही शिक्षा है, जो सामान्य व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक दशाओं को प्रभावित करती है। आत्मानन्द मिश्र[4] के शब्दों में "देश के भावी कर्णधार माध्यमिक शिक्षा के ही ढाँचे में बनते और बिगड़ते हैं।"

4- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा की समस्यायें" भोपाल, मध्य प्रदेश, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1978, पृष्ठ - 236

किसी भी राष्ट्र के माध्यमिक विद्यालय उसकी जनशक्ति के स्रोत होते हैं। हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा के महत्व को अंगीकार किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रसार और सामुदायिक क्षेत्रों के कार्यकर्ता, उद्योग-क्षेत्र के अधीक्षक, तकनीशियन, कृषि तथा अन्य विकास क्षेत्रों के कर्मचारी मुख्यतः औवरसियर, कम्पाउन्डर, लिपिक, निरीक्षक और प्राथमिक शिक्षक आदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा द्वारा ही तैयार किये जाते हैं, जिनका व्यापार और प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

प्रोफेसर विद्यासागर मिश्र[5] माध्यमिक शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि "देश में छुआछूत एवं बाल-विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं। माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से इन्हें दूर कर लोगों में स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण किया जा सकता है।" माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण शिक्षा है। यह अवस्था की तैयारी मात्र नहीं है। इस शिक्षा को प्राप्त कर छात्र जीवन के उत्तरदायित्व को वहन करने योग्य आत्मनिर्भर हो जाते हैं। देश के नेतृत्व का निर्माण बहुमत पर ही आधारित होता है। उचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा उत्तरदायी है। राष्ट्रीय नीति का निर्धारण बहुत सीमा तक राष्ट्रीय नेताओं के निश्चयों पर निर्भर करता है। यह राष्ट्रीय नेता मुख्यतः उस वर्ग में से होते हैं, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, परन्तु उच्च शिक्षा में प्राप्त होने वाले अवसरों का सम्पूर्ण लाभ तब-तक नहीं मिल पाता है, जब-तक माध्यमिक शिक्षा की स्वस्थ प्रणाली द्वारा उसका आधार न मजबूत कर दिया गया हो। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र की शक्तियों को वाँछित दिशा प्रदान करती है, यह सम्पूर्ण कार्यक्रम की रीढ़ है। आज प्रारम्भिक शिक्षा आधार-भूत मानी गयी है, किन्तु भविष्य में माध्यमिक शिक्षा को भी अनिवार्य करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एक सेतु का काम करती है। दोनों स्तरों पर शिक्षा की

5- विद्यासागर मिश्र, "भारतीय शिक्षा का विकास तथा वर्तमान समस्यायें" इलाहाबाद, आलोक प्रकाशन 1976-77, पृष्ठ- 3।

कोटि निर्धारित करती है। इसका कमजोर आधार होने पर उच्च शिक्षा की ठोस संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

देश को आजाद हुए चार दशक समाप्त हो चुके हैं, परन्तु माध्यमिक शिक्षा जीवन से सम्बन्धित होते हुए भी निर्बल तथा उपेक्षित है। जब-तक उसकी उपेक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, तब-तक उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है और न ही सम्पूर्ण शिक्षा-संरचना में कोई उपयोगी क्रमबद्धता आ सकती है।

आज देश और समाज 21वीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी में जुटा हुआ है। एक नये युग के स्वागत के लिए, उसकी सम्बर्द्धना के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक सभी क्षेत्रों में एक परिवर्तन की हलचल है।

राष्ट्रीय शिक्षानीति का मूल आग्रह है कि इक्कीसवीं शताब्दी के लिए उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक तैयार हों। वे मानवीय मूल्यों तथा टेक्नालॉजी के गुणग्राही हों, प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के प्रबल पक्षधर हों, व्यक्ति की गरिमा व उसके व्यक्तित्व में विश्वास करते हों, परिवर्तन के समर्थक हों, शारीरिक बल से नहीं वरन् तर्क के आधार पर सोंच-विचार करने वाले, बड़े स्वार्थ के लिए छोटे स्वार्थ का त्याग करने वाले तथा सद्गुणी हों। यदि इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो हमें माध्यमिक शिक्षा की दशा सुधारने, उसके स्तर को ऊँचा उठाने तथा उसके उन्नयन-हेतु मन और बुद्धि से, संकल्प और विचार से, नियोजन और क्रिया से अपनी समस्त जनशक्ति के साथ विशेष प्रयास करना होगा। माध्यमिक शिक्षा मानव-संसाधनों के विकास का घोषणा-पत्र है, इसलिए उसे राष्ट्र के विकास और भविष्य के लिए उत्पादक पूंजी-निवेश के रूप में समझना होगा। माध्यमिक शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था तथा समुचित विकास के लिए उसका आर्थिक ढाँचा मजबूत करना होगा। उसके उचित विस्तार और प्रसार के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होगी।

शिक्षा में वित्तीय व्यवस्था का महत्व -

वित्त सम्पूर्ण क्रिया-कलापों का जीवन-रक्त है। जिस प्रकार शरीर के सभी

अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुद्ध रक्त की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य की समस्त कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त वित्त आवश्यक है। बिना पर्याप्त वित्त के कोई भी इकाई सुचारू रूप से नहीं चलायी जा सकती है, इसलिए एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था अपने आप में एक आवश्यकता है। कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वित्त का महत्वपूर्ण स्थान है। वित्तीय व्यवस्था धन का विवेकपूर्ण प्रयोग है, जिससे न्यूनतम वित्तीय साधनों द्वारा वाँछित उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार वित्तीय व्यवस्था न केवल वित्त की प्राप्ति से सम्बन्धित है, अपितु वित्त के कुशलतम प्रयोग से भी सम्बन्धित है। वास्तव में वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय आयोजन, वित्तीय पूर्वानुमान, सम्पत्ति-प्रशासन, वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय विश्लेषण तथा मूल्यांकन आदि कार्य सम्मिलित हैं।

लार्ड बटलर[6] का कथन है कि "मेरा विश्वास है कि कोई भी आधुनिक देश भोजन, प्रतिरक्षा अथवा बड़े उद्योगों पर पूँजी विनियोग करके दुनिया की प्रगतिधारा से नहीं जुड़ सकता है। इसके लिए शिक्षा विनियोग ही एक मात्र साधन है। गरीब देश शिक्षा के निमित्त प्रायः बहुत कम धनराशि व्यय कर पाते हैं। शिक्षा के निमित्त व्यय किये गये धन को मानव-पूँजी तथा अन्य मदों पर किये गये व्यय को मानवेतर पूँजी कहा जाना चाहिए। गरीब देश केवल नये प्रकार के उपकरणों तथा नये प्रकार के उत्पादन-साधनों पर व्यय करते तो हैं, परन्तु इसके बदले में आर्थिक विकास-हेतु लाभदायी ज्ञान एवं दक्षता की उपेक्षा भी कर डालते हैं। आर्थिक प्रगति के लिए हमें नवीनतम यांत्रिकी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि मानव के विषय में भी सोचना होगा। हमें जन-समुदाय को भी देखना होगा।"

राष्ट्र की समृद्धि- हेतु शिक्षा पर किये जाने वाले निवेश का विचार कोई

6- लार्ड बटलर, "सरवाइवल डिपेन्ड्स आन हायर इजूकेशन" देहली, विकास पब्लिकेशन, 197।

नया नहीं है। सन् 1919 में रूस के महान् अर्थशास्त्री स्ट्रुमिलिन ने लेनिन को आगाह किया था कि उसके विशाल जल-विद्युत-प्रतिष्ठान, औद्योगिक केन्द्र, इस्पात कारखाने, संयन्त्र निर्माणशालाएँ तथा मशीनीकृत कृषि आदि दस वर्ष के अन्दर ही घोर ठहराव का शिकार बन जायेंगी, यदि उसने शिक्षा के स्वरूप को भी समान महत्व देते हुए कदम न उठाया।

शिक्षा एक प्रकार का मानव-गुणवत्ता एवं मानव-संसाधन में पूँजी विनियोग जैसी भूमिका वाला तत्व है। इसे सर्वोच्च वरीयता प्रदान की जानी चाहिए, परन्तु बजट निर्धारण करते समय यह बिन्दु सर्वाधिक उपेक्षित जैसा रह जाता है, जबकि केन्द्र व राज्य सरकारों के लिए यह विशेष रूप से मानक के रूप में स्वीकार्य होना चाहिए। प्रतिरक्षा के बाद शिक्षा ही वह विषय है, जिसके लिए कोई भी कल्याणकारी राज्य कृतबद्ध होता है। यद्यपि शिक्षा के परिणाम तत्काल नहीं मिलते हैं, परन्तु शिक्षा के दूरगामी परिणाम सर्वाधिक सुखद एवं लाभदायी होते हैं। अच्छा चरित्र, उत्तरदायित्व की भावना, राष्ट्र-बोध और सामाजिक जागरूकता जैसे सद्भाव शिक्षा से ही मिलते हैं और इनका आर्थिक मूल्य भी होता है। उद्यम, उद्योग, प्रशासन यह सब उस समय क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाते हैं, जब चरित्र का अवमूल्यन होने लगता है। शिक्षा ही ऐसा तत्व है, जो चरित्र के अवमूल्यन को रोककर आत्मबोध का भाव जगाता है। सतही प्रकार की शिक्षा व्यक्ति विशेष के लिए घातक होती है, समाज और राष्ट्र के लिए भी विकराल समस्या बनती है। अतः यह आवश्यक है कि शैक्षिक स्तर के उन्नयन-हेतु पर्याप्त वित्त का प्राविधान किया जाना चाहिए।

आत्मानन्द मिश्र[7] ने आगाह किया था कि "विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में यदि भारत को अपना अपेक्षित स्थान पाना है तो शिक्षा के निमित्त वित्त-राशि के आबंटन को महत्व देना होगा। अतः जो प्रक्रिया शिक्षा में वित्त-आबंटन हेतु अब तक प्रयोग में लायी जा रही थी, यथा-संसाधनों की खोज, निधि-आबंटन, प्राथमिकताओं

7- आत्मानन्द मिश्र, "इजूकेशनल फाइनेन्स इन इण्डिया" बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1962, पृष्ठ-6

का निर्धारण तथा प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर वित्तीय दायित्व का अंशदान आदि, इन सबको तथा पुराने अनुभवों को नये आयामों के साथ जोड़कर विश्लेषण करना होगा। इस विश्लेषण के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भारतीय शिक्षा को समुचित वित्तीय सम्पोषण के माध्यम से एक स्वयं का मार्ग निर्धारण करना होगा।"

इस प्रकार शिक्षा की सुविधाओं एवं शिक्षा-सेवाओं में विस्तार किये जाने की संभावनाएँ वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। वास्तव में प्रत्येक शैक्षिक क्रिया-कलाप शैक्षिक वित्त एवं शैक्षिक सम्पोषण से सीधे जुड़ा हुआ है। शैक्षिक वित्त ही सम्पूर्ण राष्ट्र के सुव्यवस्थित गठन को निर्धारित करता है। शैक्षिक वित्त को शिक्षा से अलग नहीं किया जा सकता। पर्याप्त निधि के अभाव में किसी भी प्रकार के शैक्षिक क्रिया-कलाप का सुनिश्चिती-करण संभव नहीं है। शैक्षिक कार्यक्रमों एवं शैक्षिक नीतियों में वित्त की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है।

सीधे शब्दों में शिक्षा में निम्न उद्देश्यों-हेतु शैक्षिक वित्त की प्रत्यक्ष आवश्यकता है -

§1§ सामान्य शैक्षणिक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु।

§2§ शैक्षिक सुविधाओं के विस्तारण हेतु।

§3§ शैक्षिक सेवाओं के विस्तारण हेतु।

§4§ शैक्षिक उपलब्धताओं में व्याप्त असमानताओं को दूर करने हेतु।

शैक्षिक विकास और आर्थिक विकास की सम्बद्धता और महत्ता ने यह आवश्यक कर दिया है कि दोनों के विकास की व्यवस्था समन्वित और क्रमबद्ध ढंग से की जाय। इसने शिक्षा के समवेत आयोजन की कल्पना को जन्म दिया है। इससे शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की कल्पना को समेकित एवं समायोजित बनाने पर बल मिला है, अतएव शैक्षिक व्यय नितांत अनन्य एवं निरपेक्ष नहीं रह गया है, परन्तु उसका घनिष्ठ सम्बन्ध राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से स्थापित कर दिया गया है। शिक्षा देश की वित्त-व्यवस्था

पर निर्भर करती है, वित्त-व्यवस्था आर्थिक विकास पर निर्भर करती है, आर्थिक विकास मानवीय साधनों की निपुणता पर निर्भर करता है, मानवीय साधनों की निपुणता शिक्षा पर निर्भर करती है। यह एक ऐसा अकाट्य वृत्त बन गया है, जो शिक्षा और वित्त के पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करता है। शिक्षा के लिए भारतीय शैक्षिक वित्तीय नीति मौन नहीं रही है, परन्तु यह स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता के पश्चात् कुछ सुस्पष्ट नीति निर्देश उभरने शुरू हुए हैं, विशेषकर जब से "विश्व बैंक शिक्षा क्षेत्र दस्तावेज" ने इस पर बल दिया है, तब से शैक्षिक वित्त-व्यवस्था के पक्ष में एक बदलाव सा है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक होने के कारण माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर प्रवेश में काफी वृद्धि हो गयी है, नामांकन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों के न्याय-पूर्ण वितरण, शिक्षा की मांग तथा नामांकन के मध्य सार्थक सहभागिता एवं विनियोजन आवश्यक है।

अन्य देशों की तुलना में भारत सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अनुपात के रूप में शिक्षा पर बहुत कम खर्च करता है। आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि बहुत से देशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का शिक्षा पर होने वाला आनुपातिक व्यय 6 से 8 प्रतिशत के बीच है। भारत में यह खर्च 3 प्रतिशत से कुछ ही ज्यादा है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) ने शिक्षा-व्यय को 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, परन्तु लगभग एक चतुर्थांश शताब्दी व्यतीत हो जाने के बाद भी हम इन संस्तुतियों को पूरा नहीं कर सके हैं।

कोठारी कमीशन[8] ने शैक्षिक व्यय की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए

8- रिपोर्ट आन दि इजूकेशन कमीशन 1964-66, इजूकेशन एन्ड नेशनल डेवलपमेन्ट, नयी दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ इजूकेशन, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया, 1966, पृष्ठ- 447

लिखा था कि -

"यहाँ पर हम शैक्षिक आर्थिकी (शिक्षा के अर्थशास्त्र) एवं शैक्षिक वित्त से सम्बन्धित समस्याओं के क्षेत्र में शोध-कार्य संचालित करने की आवश्यकता पर बल देंगे, क्योंकि इस समय तक हमारे देश में इस बिन्दु पर केवल कुछ अर्थशास्त्री तथा शिक्षाशास्त्री ही सोंच रहे हैं, जबकि आवश्यकता है कि पूरे देश के सामने राष्ट्रीय चिन्तन के रूप में शैक्षिक वित्त एवं शिक्षा के अर्थशास्त्र जैसे- सामयिक एवं भविष्य-परक मुद्दे को महत्ता मिले।"

शिक्षा के वित्तीय प्रबन्धन की बात सामान्य रूप से कुछ ऐसे बिन्दुओं के बीच उठती है जैसे- संसाधनों के विनियोजन की रूप-रेखा और प्रक्रिया, शिक्षा के विभिन्न संसाधनों का आबंटन, संसाधनों का विकासोन्मुख स्वभाव आदि और यह निर्भर करता है पूरे देश की आर्थिक स्थिति तथा अन्तःशैक्षिक क्षेत्र की सामान्य वृत्ति के समन्वित परिवेश पर।

समस्या कथन -

माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता, उपयोगिता तथा विशालता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि उसकी वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाय, जिससे माध्यमिक शिक्षा को अधिक सार्थक बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिये जा सकें। भारत की माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन वह शायद इतना विस्तृत और गहन न हो सके, जितना कि उसके किसी भी प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने से हो सकता है। डॉ0 अदावल[9] ने भी प्रदेशों की शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर अध्ययन हेतु बल दिया है, जिससे प्रदेशों की भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलेगी।

9- एस0बी0अदावल, दि थर्ड इण्डियन ईयर बुक आफ इजूकेशन (इजूकेशन रिसर्च) नयी दिल्ली, एन0सी0ई0आर0टी0, 1968, पृ0-213

1981 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, जहाँ का प्रतिशत 70·4 था तथा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य राजस्थान था, जहाँ का प्रतिशत 24·38 था।

1982-83 में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर योजना बजट-व्यय कुछ राज्यों में अग्रांकित था -

केरल	-	119·5 रूपये
पंजाब	-	100·00 रूपये
बिहार	-	51·2 रूपये
मध्य प्रदेश	-	49·4 रूपये
उत्तर प्रदेश	-	40·5 रूपये

अखिल भारतीय औसत 68·2 रूपये।[10]

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति शिक्षा पर योजना-व्यय सबसे अधिक केरल राज्य में तथा सबसे कम उत्तर प्रदेश में था। देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्य अग्रांकित हैं -[11]

§1§ आन्ध्र प्रदेश §2§ असम §3§ बिहार §4§ जम्मू और कश्मीर §5§ मध्य प्रदेश §6§ उड़ीसा §7§ राजस्थान §8§ उत्तर प्रदेश §9§ पश्चिम बंगाल।

इस देश का आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इस प्रदेश में शैक्षिक व्यवस्था स्वाभाविक ही बड़ी व्यय-साध्य है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार-हेतु नये आयाम तथा तथ्य हमारे सामने हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमारा प्रत्येक प्रयास सुविचारित, सुनियोजित और उत्पादक हो तथा सीमित साधनों से न्यूनतम

10- "भारतीय अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी आधारभूत आंकड़े," भारत सरकार, योजना मंत्रालय

11- के0के0 खुल्लर, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति," नयी दिल्ली, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पृष्ठ-24

व्यय में अधिक उपलब्धि सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात् अग्रांकित सारिणी के अनुसार कुल राजस्व के व्यय का प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया है -

सारिणी - 1.1

"उत्तर प्रदेश में शिक्षा में कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत"

क्रमांक	वर्ष	शिक्षा में कुल राजस्व व्यय का प्रतिशत
1-	1946-47	11.00 %
2-	1960-61	12.9 %
3-	1971-72	13.9 %
4-	1981-82	16.4 %
5-	1986-87	18.8 %

स्रोत - शिक्षा-मंत्री जी के बजट-भाषण की सामग्री 1986-87, पृष्ठ-2

सारिणी क्रमांक 1.1 से स्पष्ट हो रहा है कि 1946-47 में राजस्व-व्यय का शिक्षा में प्रतिशत 11.00 था, जो 1986-87 में बढ़कर 18.8 हो गया। इस प्रकार प्रदेश की शिक्षा में राजस्व-व्यय का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। 1986-87 में प्रदेश की कुल आय का 3.8 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया गया।

सारिणी 1.1 को देखकर अनेक प्रश्न मानस पटल पर उभरते हैं जैसे-

(1) उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर आय के क्या-क्या साधन हैं तथा उनके स्रोत कौन-कौन से हैं और सुलभ वित्तीय संसाधनों का आनुपातिक आबंटन क्या है?

(2) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है? क्या हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर पर्याप्त धनराशि व्यय कर रहे हैं ?

§3§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की इकाई लागत क्या है?

§4§ व्यय को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए क्या हम कोई उपाय कर सकते हैं?

§5§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा धीरे-धीरे शासकीय दायित्व बनती जा रही है, जिसके कारण समाज की सहभागिता कम होती जा रही है। क्या हम ऐसे कोई उपाय प्रस्तावित कर सकते हैं, जिनसे इस शिक्षा को समाज का सहयोग और अधिक प्राप्त हो सके ?

शोधकर्ता द्वारा प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर उपर्युक्त तथा अन्य प्रश्नों के समाधान ढूँढ़ने तथा वित्तीय व्यवस्था. की वर्तमान पद्वति का विश्लेषण एवं वर्तमान वित्त-नीति में नयी दिशाएँ उजागर करने के प्रयास-हेतु अग्रांकित समस्या का चयन किया गया है -

"स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था"

§क§ समस्या का परिभाषीकरण -

स्वातंत्र्योत्तर -

हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। अतएव स्वातंत्र्योत्तर से तात्पर्य 15 अगस्त 1947 के बाद की अवधि से है। प्रस्तुत शोध 1947-48 के बाद की अवधि से सम्बन्धित है।

उत्तर प्रदेश -

उत्तर प्रदेश से तात्पर्य उस प्रदेश से है, जो भारत के उत्तरी अक्षांशों 30° 50′ §मिर्जापुर§ व 23° 52′ §टेहरी गढ़वाल§ अक्षांश रेखाओं व पूर्व में 70° 04′ §मुजफ्फर नगर§ व 84° 38′ §बलिया§ देशान्तर रेखाओं के बीच अवस्थित है तथा 12 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश कहलाया। इसका

क्षेत्रफल 2,94,413 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 11,08,62,013 है, जिसमें 5,88,19,276 पुरुष तथा 5,20,42,737 महिलाएँ हैं। जनसंख्या का घनत्व 377 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा साक्षरता का प्रतिशत 21·6 था।

पंचम अखिल भारतीय सर्वेक्षण[12] के अनुसार राज्य में कुल 57 जनपद तथा 895 विकास-खण्ड हैं। 30 सितम्बर 1986 तक बढ़कर इसकी जनसंख्या अनुमानतः 12,49,33,717 हो गयी है तथा साक्षरता का प्रतिशत 27·2 हो गया है।[13]

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा -

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से तात्पर्य नवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा से है, जिसमें उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाएँ सम्मिलित हैं, परन्तु जिन हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएँ चल रही हैं, वे भी इस अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, क्योंकि इनका व्यय पृथक् से कहीं दर्शाया नहीं जाता है।

वित्त-व्यवस्था -

धन या आर्थिक साधन वित्त कहलाता है। इसके दो प्रमुख तत्व होते हैं-
§1§ आय §2§ व्यय

माध्यमिक शिक्षा की आय के स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों और उनके आनुपातिक योगदान का अध्ययन किया गया है तथा व्यय का विभिन्न मदों पर विश्लेषण किया गया है और

12- पंचम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश 1987-88, उ0प्र0 शिक्षा विभाग, पृष्ठ - 14

13- उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1986-87 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, अक्टूबर 1988, पृष्ठ-10

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर इस व्यय के प्रभाव का विवेचन किया गया है।

इस प्रकार वित्तीय व्यवस्था से तात्पर्य आय और व्यय की रीतियों और सिद्धान्तों के विश्लेषण एवं विवेचन से है।

§ख§ समस्या का परिसीमन -

अवधि -

प्रस्तुत शोध 1947-48 तक की अवधि अर्थात् लगभग चार दशक की वित्तीय व्यवस्था से सम्बन्धित है।

उत्तर प्रदेश -

यह अध्ययन भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश तक सीमित है, जिसके पूर्व में बिहार, पश्चिम में पंजाब, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मध्य प्रदेश है। हिमालय की तलहटी से सटा होने के कारण यह एक सीमावर्ती प्रदेश है। इसकी सीमाएँ चीन और नैपाल के साथ मिली हैं।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा -

ब्रिटिश काल में मिडिल स्कूल की गणना माध्यमिक शिक्षा में की जाती थी, जिसके उच्च वर्ग में 9 और 10 कक्षाएँ होती थीं, परन्तु आचार्य नरेन्द्रदेव समिति §1939§ की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1948 में शिक्षा की पुनर्गठन -योजना प्रदेश में लागू की गयी। तत्कालीन शिक्षा निदेशक ने आर्डर नं0 सेकन्डरी/48 डेटेड 11-5-1948 यू0पी0 गजट के भाग-4 दिनांक 15-5-1948 में प्रकाशित द्वारा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा सभी सम्बन्धित को पुनर्संगठन योजना की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालते हुए यह लिखा कि "कक्षा 9 से 10 तक की कक्षाओं को एक इकाई माना जाय। इसका दो भागों में विभाजन §अ§ कक्षा 9 तथा 10

§हाई स्कूल§ और §ब§ कक्षा ।। तथा ।2 §इन्टरमीडिएट§ स्वीकार नहीं किया जायेगा।"[14] तब इसे कक्षा 9 से कक्षा ।2 तक की कक्षाओं को मिलाकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का नाम दिया गया। यद्यपि यदा-कदा रिपोर्टों में इन्हें पृथक् कर इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल कक्षाओं का उल्लेख कर दिया जाता है, किन्तु समवेत रूप से यह दोनों उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में सम्मिलित मानी जाती हैं। अतएव उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध कक्षा 9 से कक्षा ।2 की कक्षाओं की संस्थाओं से है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से कक्षा ।2 तक पढ़ने वाले ।4 से ।8 वय-वर्ग के विद्यार्थी आते हैं।

इस शोध में केवल सामान्य उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। माध्यमिक स्तर की व्यावसायिक, तकनीकी, विशिष्ट तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं का इस अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस स्तर के सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्पोर्ट कालेजेज, सेन्ट्रल स्कूल्स §53§, रेलवे स्कूल्स §2§ तथा नवोदय विद्यालय §29§ आदि को इस परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया है।

वित्त -व्यवस्था -

वित्त-व्यवस्था के अन्तर्गत केवल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्रोतवार आय तथा मदवार व्यय के विवेचन तथा विश्लेषण को सम्मिलित किया गया है।

शोध-उद्देश्य -

प्रस्तुत शोध के निम्नांकित उद्देश्य हैं-

§1§ स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था

14- बी0एस0 स्याल, "इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" लखनऊ, माया प्रकाशन, 1981, पृष्ठ - 47

का अध्ययन करना।

§2§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना तथा उनके आनुपातिक योगदान का विश्लेषण करना।

§3§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यय का विवेचन करते हुए उसके मदवार व्यय का विश्लेषण करना।

§4§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की इकाई लागत ज्ञात करना।

§5§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था की प्रवृत्तियों का विवेचन करना।

§6§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था को अधिक सार्थक और प्रभावकारी बनाने के लिए सुझाव देना।

"उत्तर प्रदेश की शैक्षिक विशेषताएँ"

विन्ध्य एवं हिमाचल के अंचल में स्थित उत्तर प्रदेश प्रचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विकास-स्थल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगिराज कृष्ण की अलौकिक लीलाओं की पुण्य-भूमि भी यही प्रदेश रहा है। स्वामी महावीर का "अहिंसा परमोधर्मः" का सिद्धान्त यहीं पुष्पित और पल्लवित हुआ है। कवि-शिरोमणि वाल्मीकि व गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि होने का श्रेय भी इसे प्राप्त है। यह भारत भू-खण्ड का विशालतम राज्य है।

उत्तर प्रदेश में आबादी प्राचीन काल से ही जन-संकुल रही है। प्रत्येक साम्राज्य का, जिसने भारत-भूमि पर शासन किया है, उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान रहा है। प्रायः सभी विदेशी आक्रमणकारी इसी की ओर उन्मुख रहे हैं। मुस्लिम आक्रमकों ने दिल्ली या आगरा को ही अपने मध्य युग में राजधानी बनाया था, क्योंकि यहीं से दक्षिण और पूर्व के मार्ग पर नियंत्रण रक्खा जा सकता था।

इस प्रदेश का योगदान राष्ट्रीय आन्दोलनों में अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा

है। सी0 वाई0 चिन्तामणि, तेजबहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, गोविन्द बल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहर लाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, आचार्य नरेन्द्रदेव, सम्पूर्णानन्द तथा पुरूषोत्तमदास टंडन आदि इस राज्य की महानतम विभूतियाँ हैं। इस राज्य को स्वतंत्रता के बाद पाँच प्रधानमंत्री देने का गौरव प्राप्त है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में 1897 में, जब पूरे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य छा गया था, बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अंग्रेज प्रशासक श्री कुर्क ने उस समय के उत्तर पूर्वी प्रदेश (1902 से पहले उत्तर प्रदेश का नाम) के बारे में इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा था -[15]

"ब्रिटिश साम्राज्य के किसी प्रान्त का इतना अधिक महत्व नहीं है, जितना कि इसका। यह भारत का अत्यन्त उपजाऊ व विविधता-युक्त उद्यान है, जिसका अधिकांश भाग उत्कृष्ट सिंचाई के साधनों के कारण अकाल के खतरों से सुरक्षित है। यहाँ के निवासियों के कुछ प्रमुख व उत्कृष्ट उद्योग-धंधे भी प्रचलित हैं। सड़कों, रेलों आदि यातायात के साधनों के कारण यह आन्तरिक संचार-साधनों से युक्त है। अपनी सीमाओं के अन्तर्गत इसका पश्चिमी सीमांत प्रदेश हिन्दू प्रजाति की निवास स्थली रहा है और यहीं इसकी धार्मिक, कानूनी व सामाजिक व्यवस्था का संगठन हुआ है। यहाँ पर ही बौद्ध धर्म ने हिन्दू धर्म को अपदस्थ किया और फिर स्वयं पुराने धर्म के सामने दब भी गया।"

आज जो उत्तर प्रदेश है, उसका भारत में अपनी स्थिति, जनसंख्या तथा इतिहास सभी के कारण एक विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश आज जो कुछ है, उसकी जो उपलब्धियाँ या समस्याएँ हैं, वह इसके भूगोल तथा इतिहास का परिणाम है।

15- विलियम कुर्क, "द नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इन्डिया दियर हिस्ट्री एथोलाजी एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन", लन्दन, 1897, पृ02-3

उत्तर प्रदेश की विद्यार्जन तथा पठन-पाठन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन एवं क्रमबद्ध है। वाराणसी, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा शताब्दियों से संस्कृत ज्ञान के प्रख्यात केन्द्र रहे हैं। मध्य युग में देवबन्द और जौनपुर फारसी तथा अरबी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि अभी तक बनी हुई है। शासन ने 1988 में जौनपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इस प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा कभी उपेक्षित नहीं रही है। पाठशाला और मकतब जनसाधारण की शिक्षा में लगे रहे हैं। इन शिक्षा-संस्थाओं का विकास स्थानीय समुदायों के संरक्षण में उन्नीसवीं शताब्दी तक होता रहा। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश के अन्य भागों की भाँति उत्तर प्रदेश में भी अंग्रेजी-पद्धति पर वर्तमान शिक्षा-प्रणाली का समावेश हुआ।

वस्तुतः उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1818 ईस्वी से माना जाना चाहिए, जब राजा जयनारायण घोषाल की उदारता से वाराणसी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल की स्थापना हुई। इसके पश्चात् अन्य वर्तमान शिक्षा-संस्थाएँ खुलीं।

उत्तर प्रदेश पहला राज्य था, जिसने सर्वप्रथम प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में कर लगाना आरम्भ किया और हल्काबंदी स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों के खुलने से स्वदेशी स्कूल बिल्कुल लुप्त हो गये। इसी बीच हंटर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार प्राइमरी शिक्षा का कार्य स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित कर दिया गया। इससे प्राइमरी शिक्षा पहले की अपेक्षा तीव्रगति से फैली। ब्रिटिश सरकार के 1904 के संकल्प ने इस गति को और अधिक तीव्रता प्रदान की।

सन् 1921 में दैध शासन की स्थापना से शिक्षा एक हस्तान्तरित विषय बन गयी। सन् 1926 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी एजूकेशन एक्ट पारित किया गया और 25 ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का शुभारम्भ किया गया। सैडलर कमीशन की एक महत्वपूर्ण संस्तुति के अनुसार 1921 के अधिनियम द्वारा हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की शिक्षा के लिए एक परिषद् की स्थापना की गयी और इसे डिग्री

स्तर के नीचे की लोक परीक्षाओं के संचालन का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार इन्टरमीडिएट शिक्षा को विश्वविद्यालय-शिक्षा से पृथक् स्कूली शिक्षा का एक अंग बना दिया गया।

सन् 1937 में प्रान्तीय स्वायत्तता के साथ प्रदेश की शिक्षा-व्यवस्था ने एक नये-जीवन का अनुभव किया। यह शिक्षा के विविध क्षेत्रों में नयी योजनाओं के समावेश का विशिष्ट वर्ष था, किन्तु जिन योजनाओं का सूत्रपात किया, वे 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग-पत्र दे देने के कारण आगे न बढ़ सकीं। यह स्थिति 1947 तक बनी रही और स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद ही इस ओर पुनः आवश्यक कदम उठाये गये।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद प्रजातांत्रिक शासन-पद्धति में जनता के शिक्षित होने से जहाँ एक ओर प्रजातंत्र को दृढ़ आधार मिला, वहीं दूसरी ओर लोगों को शिक्षित होने से अपने दायित्व को निर्वाह करने का सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। इस दृष्टिकोण से शिक्षा को प्रदेश के नियोजित विकास में प्रमुख स्थान दिया गया है। भारत के संविधान के निदेशक तत्वों में 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं को सार्वभौम, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना लक्ष्य रक्खा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति-हेतु शिक्षा-सुविधाओं का द्रुत-गति से विस्तार एवं प्रसार किया गया। प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षण-विधियों तथा शिक्षकों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उनके उन्नयन-हेतु वेतन-वृद्धि आदि सभी पक्षों पर व्यापक सुधार किये गये। प्रदेश में बेसिक शिक्षा-परिषद् की स्थापना की गयी। विभिन्न समितियाँ नियुक्त की गयीं, जिनकी अनुशंसाओं पर समय-समय पर व्यापक सुधार किए गये।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार-हेतु समय-समय पर विभिन्न समितियों यथा-आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (1953), माध्यमिक शिक्षा समिति (1958), सहायता अनुदान समिति (1961), कोठारी कमीशन (1964-66) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986, की संस्तुतियों को लागू करते हुए व्यापक सुधार हुए।

उत्तर प्रदेश में जिलेवार उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या
पैमाना 2 से.मी. = 93 स्कूल [तुलनात्मकरूप प्रगति दर्शक]
INDEX
1954-55
1984-85
उत्तरकाशी
टिहरी गढ़वाल
चमोली
पौढ़ी गढ़वाल
अल्मोड़ा
पिथौरागढ़
नैनीताल
बिजनौर
सहारनपुर
मेरठ
गाजियाबाद
बुलन्दशहर
मुरादाबाद
रामपुर
बरेली
पीलीभीत
खीरी
लखीमपुर
शाहजहाँपुर
बदायूँ
अलीगढ़
एटा
मथुरा
आगरा
मैनपुरी
हरदोई
सीतापुर
बहराइच
गोंडा
बस्ती
गोरखपुर
देवरिया
फर्रुखाबाद
इटावा
कानपुर
उन्नाव
लखनऊ
बाराबंकी
फैजाबाद
सुल्तानपुर
रायबरेली
प्रतापगढ़
जौनपुर
आजमगढ़
गाजीपुर
वाराणसी
इलाहाबाद
मिर्जापुर
फतेहपुर
बाँदा
हमीरपुर
जालौन
झाँसी
ललितपुर

चित्र-1.1

उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और हिन्दी साहित्य के भंडार को भरने में यहाँ के अनेक विद्वानों और प्रतिभाओं का योगदान रहा है। यहाँ अनेक ऐतिहासिक इमारतें तथा स्थान हैं। आगरा का ताजमहल विश्वविख्यात हो चुका है और राष्ट्रीय कार्बेट पार्क जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। खनिज पदार्थों, वस्त्र, चमड़ा तथा अन्य उद्योगों के लिए प्रदेश में कई स्थान प्रसिद्ध हैं।

खनिज - सम्पदा, व्यापार, उद्योग आदि में प्रगति करने पर भी यहाँ की जनता अधिकांश गरीब है। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास के कारण वह शिक्षा में प्रगति नहीं कर पायी है।

शिक्षा-जगत् की व्यवस्था के अनुरूप एवं कार्य-सम्पादन की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रदेश को 12 मंडलों में विभाजित कर दिया गया है। शासन ने जुलाई 1989 से एक नया मंडल कानपुर स्थापित किया है, परन्तु अभी उसमें कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। हर मंडल में शिक्षा निदेशक का कार्यालय है। बालिकाओं की शिक्षा -व्यवस्था के लिए प्रत्येक मंडल में एक मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका का कार्यालय स्थापित है। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में एक सहायक शिक्षा निदेशक का कार्यालय 1984 से स्थापित किया जा चुका है। उच्च शिक्षा के लिए भी कुछ मंडलों में मंडलीय कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जनपदीय स्तर पर शैक्षिक नियंत्रण के लिये प्रत्येक जिले में एक-एक जिला विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा-हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों की व्यवस्था है।

प्रदेशीय स्तर पर शिक्षा-व्यवस्था के संचालन-हेतु बेसिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रौढ़-शिक्षा निदेशालय स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान, पत्राचार-शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञान- शाला तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् कार्यरत हैं।

प्रदेश की जनसंख्या वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 11·09

करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या 68·52 करोड़ का 16·2 प्रतिशत है। जनसंख्या का घनत्व 377 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की जनसंख्या का घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1971-81 के दशक में अखिल भारतीय स्तर पर इसमें 25·5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका तुलनात्मक विवरण निम्न सारणियों से स्पष्ट है।

सारिणी - 1·2

जनसंख्या की दसवर्षीय वृद्धि (1901-1981)

मिलियन में (दस लाख में)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारतवर्ष	
	जनसंख्या	जनसंख्या की प्रतिशत-वृद्धि	जनसंख्या	जनसंख्या की प्रतिशत-वृद्धि
1901	48·63	---	238·40	---
1911	48·15	-0·97	252·09	+5·75
1921	46·67	-3·08	251·32	-0·31
1931	49·78	+6·66	278·98	+11·00
1941	56·54	13·57	318·66	+14·22
1951	63·22	11·82	361·09	+13·31
1961	73·75	16·66	439·23	+21·51
1971	88·34	19·78	548·16	+24·80
1981	110·89	25·52	668·14	+25·5

स्रोत- (1) उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान

(2) "उत्तर प्रदेश" 1986-87, लखनऊ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 1988-89

सारिणी - 1·3

घनत्व प्रति-वर्ग किलोमीटर

वर्ष	उत्तर प्रदेश (घनत्व)	भारत (घनत्व)
1921	159	82
1931	169	90
1941	192	103
1951	215	117
1961	251	134
1971	300	178
1981	377	216

स्रोत - "उत्तर प्रदेश" 1985-86 लखनऊ, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 1987-88

सारिणी - 1·4

उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत

वर्ष	प्रतिशत
1951	10·8
1961	17·5
1971	21·7
1981	21·6
1986	27·2

स्रोत- पंचम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण 1987-88 (संक्षिप्त आख्या) उ0प्र0, शिक्षा-विभाग

विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है और भारत में हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व अपनी विशेषता रखता है। जनसंख्या के बाहुल्य एवं साधनों के बीच सतत् सामंजस्य की आवश्यकता परिलक्षित होती है। 1981 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72·62 भाग अशिक्षित था। महिला साक्षरता में प्रदेश 26वें नम्बर पर है। यहाँ सिर्फ 14·2 प्रतिशत महिलाएँ ही शिक्षित हैं। शिक्षा एक विशाल उपक्रम है। यह प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से साहित्य एवं संस्कृति का प्रेरणा-स्रोत रहते हुए तथा अपने आर्थिक संकट का बोझ ढोते हुए भारत की सभ्यता का विकास करता आ रहा है।

उत्तर प्रदेश में 1946-47 में शिक्षा का बजट 3,18,49,800 रू0 था, जो 1985-86 में बढ़कर 6,32,64,85,000 रू0 हो गया। इस प्रकार शिक्षा के बजट में 198·63 गुना वृद्धि हुई।

प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में व्यय की वृद्धि का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है -

सारिणी - 1·5

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बजट/व्यय (व्यय-रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	कुल बजट	प्राथमिक शिक्षा	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	विश्वविद्यालय शिक्षा
1-	1946-47	3,18,49,800 (100)	1,21,72,100 (38·22)	99,16,800 (31·14)	26,91,900 (8·45)
2-	1950-51	7,37,44,200 (100)	3,32,18,000 (45·05)	1,65,95,000 (22·50)	29,52,100 (4·00)
3-	1960-61	13,35,56,200 (100)	5,69,27,000 (42·63)	3,36,10,200 (25·16)	1,13,62,000 (8·50)

सारिणी - 1·5 क्रमशः -----

4- 1970-71	67,88,61,000 §100§	31,67,13,700 §46·65§	18,24,37,500 §26·88§	4,66,36,300 × §6·87§
5- 1980-81	3,21,30,05,000 §100§	1,64,65,06,000 §53·34§	94,44,30,000 §29·39§	32,03,86,000 × §9·98§
6- 1985-86	6,32,64,85,000 §100§	3,20,24,69,000 §50·62§	237,10,14,000 §37·47§	59,78,22,000 × §9·45§
गुणावृद्धि	198·63	263·10	239·09	222·08

संकेत - × - इसमें डिग्री कालेजों को दी जाने वाली सहायता शामिल है।

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल बजट से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- 'शिक्षा की प्रगति' §सम्बन्धित वर्षों की§ इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

प्रदेश में साधनों की कमी के कारण शिक्षा की स्थिति दयनीय होती जा रही है। यद्यपि स्कूलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन जिस गति के साथ स्कूलों की संख्या बढ़ायी गयी है, उस गति से सरकार स्कूलों को सुविधाएँ नहीं उपलब्ध करा पा रही है।

अनुसंधान-विधि -

ज्ञान के किसी क्षेत्र में किये गये शोधात्मक अनुसंधानों में अनुसंधान के विविध सुव्यवस्थित सोपानों का अनुसरण किया जाता है, किन्तु प्रयोजनों व उपागमनों के आधार पर अनुसंधानात्मक अध्ययनों में स्पष्ट व विस्तृत विभेद किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया जायेगा। इतिहास के किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में अतीत की घटनाओं का एकीकृत वर्णन होता है, जो सम्पूर्ण सत्य के लिए विषय के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागमन उस विषय के अतीत का वर्णन करने के प्रयास की ओर संकेत करता है, जिसके प्रकाश में वर्तमान

समस्याओं के निराकरण के लिए समाधान प्रस्तुत किये जाते हैं। कौल[15] ने इसे शोध की वह विधि बतलाया है, जिसमें भूतकालीन तथ्यों का अन्वेषण एवं वर्णन किया जाता है।

यह शोध की वह विधि है जिसमें ऐतिहासिक महत्व के तथ्यों तथा प्रदत्तों को ढूँढ़-कर एकत्र किया जाता है और वर्गीकरण करके उनकी व्याख्या तथा आलोचना की जाती है। अन्ततः उसके आधार पर कुछ मान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार इसमें अतीत की घटनाओं का किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है और संगृहीत सामग्री की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है।

शिक्षा-परिभाषा- कोश[16] में ऐतिहासिक अनुसंधान की अग्रांकित परिभाषा प्रस्तुत की गयी है -

"ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का अन्वेषण करने, उनका अभिलेख रखने तथा उनकी व्याख्या करने की वह प्रक्रिया, जिसमें सम्बन्धित आधार सामग्री को एकत्रित करने, उसे समग्र रूप में रखने और आलोचनात्मक विन्यास करने के उपरान्त उसकी व्याख्या की जाती है,ऐतिहासिक शोध-विधि कहलाती है।"

करलिंगर[17] के अनुसार -

"ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकासक्रमों तथा अनुभवों

15- लोकेश कौल, "मेथडोलाजी आफ इजूकेशनल रिसर्च" नयी दिल्ली, वानी इजूकेशनल बुक्स 1987, पृष्ठ - 178

16- "शिक्षा परिभाषा कोश" नयी दिल्ली, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, 1977 पृष्ठ - 59

17- एफ0एन0 करलिंगर, "फाउन्डेशन्स आफ विहेविरियल रिसर्च" न्यूयार्क, हाल्ट, रिनेहार्ट एन्ड विन्स्टन§1964§, पृष्ठ-698

का वह सूक्ष्मात्मक अन्वेषण होता है, जिसमें अतीत से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्धों तथा प्राप्त संतुलित विवेचना की वैधता का सावधानी-पूर्ण परीक्षण सम्मिलित रहता है।"

ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य -

ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उन विचारधाराओं के क्रमिक विकास का विश्लेषण करना है, जो इतिहास के विभिन्न कालों में उदित तथा विकसित हुए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता अतीत की पृष्ठभूमि में विचारधाराओं की व्याख्या करता है तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में उनका मूल्यांकन करता है। इस प्रकार सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में नीति-निर्धारण के मार्ग-दर्शन में वह ऐतिहासिक अनुसंधान के तथ्यों से विशेष सहायता व सुविधा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्य नीति-निर्धारकों को अतीत की त्रुटियों के प्रति सतर्क रखते हैं तथा भविष्य के लिए भी कुशल प्रशासक सदैव अतीत के अभिलेखों व पूर्व अनुभवों के आधार पर ही नीति-निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन व शैक्षिक नियोजन के कार्यक्रमों को सम्पन्न करने की सोचता है तथा उसमें वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूँढ़ता है।

ऐतिहासिक विधि के सोपान -

ऐतिहासिक विधि के प्रमुख पाँच सोपान होते हैं -

§1§ प्रदत्तों का प्राथमिक और गौण स्रोतों से संकलन।

§2§ संकलित प्रदत्तों की बाह्य एवं आन्तरिक आलोचना।

§3§ प्रदत्तों का विश्लेषण, वर्गीकरण तथा सारणीयन।

§4§ प्रदत्तों की व्याख्या एवं विवेचन।

§5§ समस्याओं तथा निष्कर्षों का पठनीय रूप से प्रस्तुतीकरण।

प्रदत्त-संग्रह -

ऐतिहासिक तथ्यों तथा प्रदत्तों का संकलन प्रायः दो स्रोतों से किया जाता है-

§1§ प्राथमिक स्रोत

§2§ गौण स्रोत

<u>प्राथमिक स्रोत</u> -

प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं, जो हमें सीधी और स्पष्ट जानकारी देते हैं। इनका सम्बन्ध मूल व मौलिक साधनों से होता है, जिनके अन्तर्गत किसी एक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना से सम्बन्धित ठोस प्रमाण प्रारम्भिक तथा प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में सम्मिलित रहते हैं। इस तथ्य का स्पष्ट विवेचन करते हुए करलिंगर[18] ने लिखा है कि "प्राथमिक स्रोत एक ऐतिहासिक प्रदत्त का मूल भण्डार होता है। यह किसी एक महत्वपूर्ण अवसर का मौलिक अभिलेख होता है या एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा एक घटना का विवरण होता है या फिर एक छाया-चित्र अथवा किसी संगठन की बैठक का विस्तृत विवरण आदि होता है।"

गेल्फो[19] ने भी उपर्युक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि "प्राथमिक स्रोत किसी घटना से सम्बन्धित प्रथम साक्षी व सामग्री होते हैं।"

यह दो प्रकार के होते हैं -

§1§ ज्ञात रूप से संचारित सूचनाएँ।

§2§ अवशेषों के रूप में अज्ञात प्रमाण।

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्रोत के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, शिक्षा विभाग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अग्रांकित साहित्य का प्रयोग किया गया है -

---

18- एफ0एन0 करलिंगर, पूर्वोक्त, पृष्ठ-699

19- अरमण्ड जे0 गेल्फो, "इण्टरप्रेटिंग इजूकेशनल रिसर्च" डुबुक्यू, लोवा कम्पनी पब्लिशर्स, 1978, थर्ड एडीसन, पृष्ठ- 14

§अ§ **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा -**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित निम्न सामग्री प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त की गयी है -

जनरल रिपोर्ट आन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एनुअल रिपोर्ट आन दि प्राग्रेस आफ इजूकेशन, रिपोर्ट आन दि प्राइमरी एन्ड सेकन्डरी इजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी§1939§, रिआर्गनाइजेशन आफ इजूकेशन इन दि यूनाइटेड प्राविन्स प्राइमरी एन्ड सेकन्डरी §1947§, रिपोर्ट आफ दि इन्टरमीडिएट इजूकेशन कमेटी §1927§, दि रिपोर्ट आफ दि सेकन्डरी इजूकेशन कमेटी§1961§, दि रिपोर्ट आफ दि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इजूकेशन फाइनेन्स कमेटी §1936§, ए प्लान आफ पोस्टवार इजूकेशनल डेवलपमेन्ट इन इजूकेशन डिपार्टमेन्ट यूनाइटेड प्राविन्स §1944§, रिपोर्ट आफ दि सेकन्डरी इजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी §1953§, शिक्षा की प्रगति, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक §परफारमेन्स§ आय-व्ययक, उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूप-रेखा, उत्तर प्रदेश राज्य-आय-अनुमान, उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण, उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश का आय-व्ययक, पंचवर्षीय योजनाएँ §उत्तर प्रदेश शासन§, जिला योजनाएँ, एनुअल प्लान §शिक्षा विभाग§, बेसिक स्टेटिस्टिक्स रिलेटिंग टु उत्तर प्रदेश इकोनामी तथा राज्यों में शैक्षिक आँकड़े आदि।

§ब§ **भारत सरकार द्वारा -**

भारत सरकार द्वारा प्रकाशित निम्न सामग्री प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त की गयी है -

इन्डियन ईयर बुक आफ इजूकेशन, §सेकन्डरी इजूकेशन§ इजूकेशन इन इन्डिया, इजूकेशन स्टेटिस्टिक्स, इजूकेशन इन स्टेट्स, इकोनामिक सर्वे, इजूकेशन

कमीशन §1964-66§, राष्ट्रीय शिक्षा नीति §1968§, शिक्षा की चुनौती §1985§, राष्ट्रीय शिक्षा नीति §1986§, भारतीय संविधान तथा पंचवर्षीय योजनाएँ आदि।

गौण स्रोत -

यदि किसी ऐतिहासिक घटना के प्रत्यक्ष प्रमाण के स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा उस घटना का किया गया वर्णन हमें प्राप्त होता है तो वह गौण स्रोत कहलायेगा। ये किसी ऐतिहासिक घटना अथवा स्थिति से अपने मूल स्रोतों से एक या अधिक चरण हटे हुए होते हैं। इनमें मौलिक प्रमाण का वस्तुतः अभाव रहता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति द्वारा लिखित सूचनाएँ होती हैं और यह स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष घटना और हमारे बीच जितनी अधिक दूरी होगी वास्तविक तथ्यों के परिवर्तन में उतनी ही अधिक संभावना होगी।

करलिंगर[20] के शब्दों में "एक गौण स्रोत एक वास्तविक इतिहास से एक या अधिक पद दूर ले जाने वाला एक ऐतिहासिक घटना या परिस्थिति का एक लेखा-जोखा या अभिलेख है।"

विश्वकोश, ऐतिहासिक पुस्तकें तथा अन्य ग्रन्थ गौण स्रोत के उदाहरण हैं।

प्रस्तुत शोध में गौण स्रोत के रूप में भार्गव, मिश्रा, चौबे, प्रकाश, सिंह, गीता देवी, आदि के शोध-ग्रन्थों और स्याल, एस0एन0 मुखर्जी, यू0सी0 दत्त, नूरउल्ला एन्ड नायक, एफ0ई0 के, आर0 के0 मुकर्जी, वकील, डा0 आत्मानन्द मिश्र, डा0 रामशकल पान्डेय, डा0 पाल, पी0एल0 मल्होत्रा, जे0सी0 अग्रवाल, पी0डी0 शुक्ला, श्री प्रकाश, आजाद, रिजवी, अंसारी, पंडित, वाल्टर जे ग्राम्स, रो0 एल0 जोहन्स, जोहन वैजे§रिसोर्स फार इजूकेशन§ तथा वैक्सटर आदि विद्वानों तथा शिक्षा विदों द्वारा

20- एफ0एन0 करलिंगर, पूर्वोक्त, पृष्ठ-70।

लिखित पुस्तकों का उपयोग किया गया है।

बाह्य तथा आंतरिक आलोचना -

ऐतिहासिक अनुसंधान की प्रकृति के कारण ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन-हेतु प्रदत्तों के संकलन करने हेतु दूसरों के ज्ञात और अज्ञात प्रमाणों पर निर्भर रहना पड़ता है, अतएव इसके लिए आवश्यक होता है कि वह सावधानी पूर्वक उनका विश्लेषण करके उनकी वैधता व विश्वसनीयता ज्ञात कर ले और निरर्थक अथवा भ्रान्तिपूर्ण तथ्यों का सार्थक तत्वों से विभेद कर ले। इस प्रकार ऐतिहासिक प्रमाणों को प्राप्त करने के लिए जो मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनायी जाती है, उसे ऐतिहासिक आलोचना कहते हैं।

इस प्रकार ऐतिहासिक आलोचना को पारिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि "मूल्यांकन की वहप्रक्रिया जिसका उपयोग काम में आने वाले तथा विश्वसनीय प्रदत्तों को प्राप्त करने हेतु किया जाता है जिन्हें ऐतिहासिक प्रमाण कहते हैं, ऐतिहासिक आलोचना के नाम से जानी जाती है।"

यह दो प्रकार की होती है -

§1§ बाह्य आलोचना §2§ आंतरिक आलोचना

बाह्य आलोचना -

इसमें स्रोत के ग्रन्थ या आलेख के असली, वास्तविक और मौलिक होने की जाँच इस रूप में की जाती है कि वह कहीं कूट-रचना, जाली दस्तावेज, कृत्रिम या नकली ग्रन्थ तो नहीं है। इसमें प्रलेखों के लेखक और काल की सत्यता स्थापित करने हेतु भाषा, हस्त-लेखन, अक्षर-विन्यास आदि का गहन परीक्षण तथा प्रकाशक की विश्वसनीयता आदि प्रमाणित की जाती है।

प्रस्तुत शोध में मुख्यतः प्रयुक्त "शिक्षा की प्रगति" शिक्षा विभाग

द्वारा राज्य सरकार के प्रेस से मुद्रित करवाकर सम्बन्धित वर्ष के एक-दो साल बाद प्रकाशित होती है। यह समय प्रदत्तों के एकत्र करने, लिखने तथा मुद्रण करने में लगता है। राज्य सरकार द्वारा आय-व्ययक प्रतिवर्ष सदन के पटल पर रक्खा जाता है, जिसमें पिछले दो वर्षो तक की वास्तविक आय और वास्तविक व्यय दर्शाया जाता है। आय-व्ययक हेतु वास्तविक आय और व्यय ज्ञात करने में उसे लिखने और छपने में प्रायः दो वर्ष का समय लग जाता है। भारत सरकार के प्रतिवेदनों में "इजूकेशन इन इण्डिया" आजकल प्रबन्धक, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित करायी जाती है, जिसमें प्रायः 4 या 5 वर्ष की समय पश्चता §टाइम-लैग§ अवश्य लग जाती है, जो प्रायः उनके समायोजन, समेकन और मुद्रण में लगती होगी। प्रदेशों में शिक्षा के आँकड़े सन्दर्भित वर्ष के दो वर्ष पश्चात् ही उपलब्ध हो पाते हैं। अतएव इन सरकारी प्रतिवेदनों की वैधता एवं विश्वसनीयता स्वयं सिद्ध है।

आन्तरिक आलोचना -

स्रोत की वास्तविकता निश्चित कर लेने के पश्चात् हम उसके विषय-सामग्री की समालोचना कर यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि वह कितनी सही है? कभी-कभी स्रोत वास्तविक होते हुए भी उसकी लिखित सामग्री में कई अशुद्धियाँ हो सकती हैं। स्रोत की विषय-वस्तु के विश्लेषण द्वारा हम उसकी यथार्थता के ज्ञात करने के प्रक्रम को आन्तरिक आलोचना कहते हैं।

एक लेखक पर्याप्त सक्षम, ईमानदार व पक्षपात-हीन हो सकता है, किन्तु सम्भव है उसके लेखन का उद्देश्य किसी तथ्य को खंडित या मंडित करना रहा हो। यह भी हो सकता है कि घटना के काफी समय बाद उसने उसका वर्णन किया हो, जिससे उसमें बहुत से तथ्यों का समावेश न हो सका हो। आलेख में विरोधी या असंगत कथन हो, शाब्दिक अर्थ वही न हो, जो इसका वास्तविक अर्थ हो। इन

सब प्रकार की त्रुटियों पर विचार कर पुष्ट सामग्री को ग्रहण करना होता है।

जिन सरकारी रिपोर्टों का इस शोध में प्रयोग किया गया है, उनमें ऐसी असंगतियाँ बहुत कम हैं। यदि कहीं आंकड़ों का योग गलत है या कुछ अंक ठीक से मुद्रित नहीं हुए हैं तो उनका समाधान दूसरे भाग के अंकों या दूसरे वर्ष की रिपोर्टों से हो जाता है, क्योंकि उसमें पिछले वर्ष के आंकड़े भी तुलना के लिये दिये रहते हैं। इस शोध में शोधकर्ता ने शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद से आंकड़ों को प्राप्त किया है तथा उसका मिलान भी इन ग्रन्थों और प्रतिवेदनों से कर लिया है। इस प्रकार जिन ग्रन्थों, प्रतिवेदनों तथा रिपोर्टों से इस शोध में सामग्री ली गयी है, वह प्रामाणिक तथा मौलिक है। गौण स्रोतों का प्रयोग करते समय यह देख लिया गया है कि उसमें वर्णित तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों आदि में विरोधाभास नहीं है।

शोध-प्रबन्ध की योजना -

इस शोध प्रबन्ध को दस अध्यायों में विभक्त किया गया है -

प्रथम अध्याय में शोध-समस्या का महत्व स्पष्ट करते हुए समस्या का पारिभाषीकरण, परिसीमन तथा शोध के उद्देश्यों का निरूपण एवं शोध-विधि का वर्णन किया गया है।

द्वितीय अध्याय में समस्या से सम्बन्धित साहित्य का विधिवत् विवेचन तथा भारत एवं उत्तर प्रदेश में की गयी शोधों की समीक्षा करते हुए प्रस्तुत शोध से उनकी तुलना की गयी है।

तृतीय अध्याय में स्वतंत्रता के पूर्व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा-वित्त की विवेचना करते हुए ब्रिटिशकाल में शिक्षा-वित्त के केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण का उल्लेख करते हुए उसके विभिन्न स्रोतों के विकास तथा व्यय के विभिन्न मदों का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में स्वतंत्रता के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की नीति तथा वित्तीय नीति का विवेचन किया गया है। नीति की इस विवेचना में विभिन्न समितियों और आयोगों के प्रतिवेदनों, पंचवर्षीय योजनाओं, जिला योजनाओं, सरकारी प्रस्तावों तथा आदेशों को आधार मान कर स्वतंत्रता के पश्चात् प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास की विवेचना भी की गयी है।

पंचम अध्याय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय तथा उसके विभिन्न स्रोतों का विवेचन किया गया है और 1947-48 से प्रत्येक पाँच वर्ष में 1985-86 तक वित्तीय आय का विश्लेषण करते हुए विभिन्न स्रोतों की कुल आय में आनुपातिक योगदान दर्शाया गया है तथा विभिन्न स्रोतों से आय बढ़ाने के सुझाव बताये गये हैं।

षष्ठ अध्याय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय का 1947-48 से 1985-86 तक मदवार विश्लेषण करते हुए व्यय की प्रवृत्तियों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है एवं माध्यमिक शिक्षा बजट का मदवार विश्लेषण, योजनागत तथा आयोजनेतर व्यय की विवेचना और इकाई लागत ज्ञात करते हुए उसकी भारत वर्ष में माध्यमिक शिक्षा के मानक व्यय से तुलना की गयी है।

सप्तम अध्याय में पंचवर्षीय योजनाओं तथा जिला योजनाओं में आबंटन, लक्ष्य, प्राथमिकता तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को दी गयी प्राथमिकता निरूपित करते हुए जिला योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यय पर प्रकाश डाला गया है।

अष्टम अध्याय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सहायक अनुदान प्रणालियों का विवेचन करते हुए उनमें सुधार के उपाय सुझाये गये हैं।

नवम अध्याय में माध्यमिक शिक्षा की तीन संस्थाओं का चयन कर उनके वृत्त इतिहास का अध्ययन किया गया है। प्रथम संस्था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, दूसरी राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा)

तथा तीसरी ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा़(बाँदा) है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का विवरण देते हुए उसकी वित्त व्यवस्था का विवेचन एवं विश्लेषण किया गया है। राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा, तथा ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने के साथ ही साथ दोनों विद्यालयों के प्रति-शिक्षक, तथा प्रति-छात्र औसत व्यय का आकलन भी प्रस्तुत किया गया है तथा उत्तर प्रदेश शासन के वित्तीय सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों का सार भी इन संस्थाओं के सम्बन्ध में दिया गया है।

दशम अध्याय में निष्कर्ष और सुझाव दिए गये हैं। सम्पूर्ण अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन्हें अध्यायों के क्रमानुसार संकलित किया गया है और उनके आधार पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था को अधिक सक्षम, युक्तिपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक बनाने हेतु सुझाव दिये गये हैं। अन्त में शोध की उपयोगिता तथा भावी शोधकार्य हेतु सुझावों पर भी प्रकाश डाला गया है।

परिशिष्ट के अन्तर्गत सन्दर्भ ग्रन्थ सूची तथा वित्तीय आंकड़े काल-क्रमानुसार सारिणी बनाकर संलग्न किये गये हैं।

-x-x-x-x-

द्वितीय अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

समस्या से सम्बद्ध साहित्य

शोध-विषय से सम्बन्धित ऐसा साहित्य जिसमें विषय के किसी पक्ष अथवा सम्पूर्ण विषय पर विचार व्यक्त किए गये हों, सम्बद्ध साहित्य कहलाता है।

समस्या से सम्बन्धित सम्पूर्ण साहित्य का पुनरावलोकन अनुसंधान का प्राथमिक आधार है तथा अनुसंधान के गुणात्मक स्तर के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक है। सम्बन्धित साहित्य के सर्वेक्षण के बिना अनुसंधान-कार्य करना श्रम और समय को नष्ट करना है।

सम्बन्धित साहित्य द्वारा अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या से सम्बन्धित किए गये पूर्व कार्यों पर विस्तृत सर्वेक्षण करने का अवसर मिलता है, जिससे उसे सम्बन्धित क्षेत्र में नयी विज्ञप्ति उत्पन्न करने, निष्कर्षों को वैधता प्रदान करने, अनावश्यक पुनरावृत्ति का परिहार करने तथा तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। समस्या को परिभाषित तथा परिसीमन करने में मदद मिलती है। प्रदत्तों का विश्लेषण तथा व्याख्या करके निष्कर्षों तक पहुँचा जा सकता है। इन निष्कर्षों से सम्बन्धित अनुसंधानों के निष्कर्षों से तुलना की जा सकती है, जिससे उनकी प्रामाणिकता में वृद्धि हो जाती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सम्बन्धित साहित्य के आधार पर ही उस क्षेत्र में भविष्य में किए जाने वाले कार्य की नींव डाली जा सकती है।

ब्रूस0 डब्ल्यू0 टकमैन[1] ने पुनर्निरीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य बतलाये हैं -

(1) महत्वपूर्ण चरों को खोजना ।

(2) जो हो चुका है, उससे जो करने की आवश्यकता है, उसे पृथक् करना।

(3) शोध-कार्य का स्वरूप बनाने के लिए प्राप्त अध्ययनों का संकलन करना।

(4) समस्या का अर्थ, इसकी उपयुक्तता, समस्या से इसका सम्बन्ध और प्राप्त अध्ययनों में इसके अन्तर निर्धारित करना।

1- ब्रूस0 डब्ल्यू0 टकमैन, "कन्डक्टिंग इजूकेशनल रिसर्च", न्यूयार्क, हरकोर्ट ब्रेस जोनेवोविच, 1972

सम्बन्धित साहित्य की उपादेयता -

अरी डोनेल्ड तथा अन्य[2] ने सम्बन्धित साहित्य की निम्न उपादेयता बतलायी है -

(1) सम्बन्धित शोध-कार्य का ज्ञान अन्वेषकों को अपने क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करने में समर्थ बनाता है।

(2) सम्बन्धित क्षेत्र में सिद्धान्त का ज्ञान शोधकर्ता को अपने प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में समर्थ बनाता है।

(3) सम्बन्धित शोध के अध्ययन द्वारा शोधकर्ता को यह सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि कौन सा उपकरण तथा कार्य-विधि लाभ-दायक सिद्ध हुये हैं और कम से कम आशाजनक।

(4) सम्बन्धित शोध द्वारा पूर्ण खोज विगत अध्ययनों के अजान पुनरावृत्ति से वंचित रखता है।

(5) सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को एक अच्छी स्थिति में रख देता है, जिससे वह स्वयं के परिणामों के महत्व को समझ सके।

सम्बद्ध साहित्य के अध्ययन के उद्देश्यों तथा उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में प्रस्तुत समस्या से सम्बन्धित ऐसे साहित्य का विशद विवेचन किया है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, व्यक्तियों तथा शिक्षाविदों द्वारा अनुसंधान करके प्राप्त किया गया है।

"यद्यपि शिक्षा के विकास के क्षेत्र में दुनियाँ के सभी देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि वित्त-व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक परिलब्धि है तथा इसकी वास्तविक एवं काल्पनिक अनिश्चिततापूर्ण स्थिति विश्व के विभिन्न मंचों पर चर्चा का विषय वनी है, तथापि अब तक इसके अध्ययन एवं शोध के क्षेत्र में इतना कम कार्य हुआ है

2- डोनेल्ड अरी तथा अन्य, "इन्ट्रोडक्शन टु रिसर्च इन इजूकेशन", न्यूयार्क होल्ड रिनेहार्ट एन्ड संस किन्सटन 1978, पृ0 57 - 58

कि शैक्षिक वित्त से सम्बन्धित समस्याओं का तात्कालिक समाधान एवं निराकरण अपने परिपक्व रूप में निष्कर्षतः नहीं आ सका। 1956 से लेकर 1974 तक की अवधि में इस क्षेत्र में जो भी शोध के प्रयास किये गये, उनकी अपर्याप्तता इस बात से स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा के अर्थशास्त्र पर ब्लाग (1978) द्वारा संकलित लगभग 2000 शोध-अध्ययनों एवं शोध-पत्रों में से 200 से भी कम ऐसे शोध-पत्र थे, जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक वित्त एवं लागत से सम्बन्धित समस्या के सन्दर्भ में था। इन कुल के 10 प्रतिशत शोध-पत्रों में से केवल 35 शोध-पत्र एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों से सम्बन्धित थे। इस अत्यन्त अल्प-कार्य को किसी भी स्थिति में उत्कृष्ट उपलब्धि नहीं कहा जा सकता"।[3]

जे0एल0 आजाद का उपर्युक्त कथन यह सिद्ध कर रहा है कि अध्ययन एवं शोध की दृष्टि से देश तथा विदेश में शैक्षिक वित्त विषय बहुत कुछ नया है तथा पिछले केवल तीन दशक से ही चर्चा के क्षेत्र में स्वीकार किया गया है। भारतीय शिक्षा में शैक्षिक वित्त-व्यवस्था अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही अधिक तिरष्कृत तथा यदा-कदा अध्ययन करने वाला विषय रहा है, वित्तीय आंकड़ों के समाकलन की कठिनाइयों के कारण शिक्षा-अनुसंधानकर्ताओं का यह सर्वमान क्षेत्र नहीं बनपाया। इस क्षेत्र में शोध का सूत्रपात मिश्रा (1959) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना शोध-प्रबन्ध डी0लिट्0 डिग्री हेतु प्रस्तुत किया, जो 1962 में एशिया पब्लिसिंग हाऊस, बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया।

विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय शिक्षा पर किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के शोध-कार्यों की संख्या आशा से अधिक विकसित हुई है। यद्यपि भारतीय शिक्षा पर शोध-कार्य करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों के अधिकांश अध्येता भारतीय मूल के ही हैं, तथापि कुछ विदेशी राष्ट्रीयता वाले भी हैं। जो शोध-कार्य अब तक भारतीय शिक्षा को विषय मानकर किये गये हैं, वह अधिकांशतः डाक्ट्रेट की उपाधि के लिए किये गये हैं।

3- एस0के0 पाल एन्ड पी0सी0 सक्सेना, "क्वालिटी कन्ट्रोल इन इजूकेशनल रिसर्च", नयी दिल्ली, मेट्रोपोलिटन 1985, पृष्ठ-299

यह शोध-कार्य प्रायः अमेरिकी और ब्रिटानी विश्वविद्यालयों में पिछले दो दशकों की अवधि में किये गये हैं।

अब तक किये गये 192 शोध-कार्यों[4] में 169 अमेरिकी विश्वविद्यालयों में तथा 23 ब्रिटानी विश्वविद्यालयों में हुए हैं।

विदेशों में शोध-कार्यो के अन्तर्गत लिए गये विषयों का क्षेत्र यद्यपि बहुत व्यापक है, परन्तु भारतीय शिक्षा की वित्त-व्यवस्था तथा भारत के किसी प्रदेश की वित्त-व्यवस्था अथवा देश एवं प्रदेश की शिक्षा के किसी स्तर की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन अथवा उस पर शोध-कार्य सम्पन्न नहीं किया गया।

शोधकर्ता को बुच के "थर्ड सर्वे आफ रिसर्च इन इजूकेशन" के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि देसाई ﴾1977﴿ ने गुजरात राज्य तथा एन0 करोलिना ﴾यू0के0﴿ स्टेट के पब्लिक विद्यालयों की वित्तीय व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है, परन्तु पुनर्निरीक्षण हेतु साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाया है।

अतएव प्रस्तुत शोध-समस्या पर विदेशों में कोई कार्य नहीं हुआ है।

देश में सम्पन्न हुए शैक्षिक वित्त-व्यवस्था के शोध-प्रबन्धों को निम्न चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में उन शोध-प्रबन्धों को रखा गया है, जिन्होंने भारतीय शिक्षा को इकाई मानकर अखिल भारतीय स्तर पर शोधकार्य सम्पन्न किया है। उनमें मिश्रा ﴾1959﴿, पंचमुखी ﴾1967﴿, माथुर ﴾1968﴿, शाह ﴾1969﴿, पंचमुखी ﴾1970﴿, पंडित ﴾1973﴿, कोठारी तथा पंचमुखी ﴾1975﴿ मुख्य हैं।

अध्ययन की इस कोटि में कुछ उत्कृष्ट बिन्दु विशेष रूप से ज्ञेय हैं, जिनमें

4- ओ0 प्रकाश देसाई, "दि कम्परेटिव स्टडी आफ दि पब्लिक स्कूल्स फाइनेन्स सिस्टम आफ स्टेट आफ एन0 करोलिना ﴾यू0के0﴿ इन दि स्टेट आफ गुजरात ﴾इन्डिया﴿"
इजूकेशन एड0 डी0 ड्यूके यूनिवर्सिटी, 1977

सर्व-प्रथम भारतीय शिक्षा को एक इकाई मानकर वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया है। इस बिन्दु पर सर्वाधिक विचार-विमर्श एवं परामर्श देने वाली वे समितियाँ और आयोग हैं, जो शिक्षा के लिए गठित किये गये हैं। यदि हम सन् 1813 से अधिगृहीत सरकारी नीतियों एवं वित्तीय प्रक्रियाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत भी न करें, तो भी 1944 में प्रस्तुत सार्जेन्ट की रिपोर्ट और 1950 में देश की स्वतंत्रता के पश्चात् प्रस्तुत खेर समिति की रिपोर्ट में उद्धृत दस्तावेजों को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता के उपरान्त दो महत्वपूर्ण आयोगों का गठन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)- होने के बावजूद भी इस विषय विशेष पर चर्चा नहीं की गयी।[5] केवल कुछ अत्यन्त सामान्य मुद्दे ही उठाये जा सके हैं। शिक्षा आयोग (1964-66) का इस विषय को विशिष्ट अध्ययन करने हेतु योगदान उल्लेखनीय है। इस आयोग ने इस विषय को एक पृथक् अध्ययन-बिन्दु के रूप में लिया है, आयोग ने अनेकों अध्ययन संकलित करके वित्तीय आकलन का मुद्दा अपनी आख्या में संस्तुत किया है। इस प्रकार शिक्षा आयोग ने शैक्षिक वित्त की समस्या पर बहुत गहन अध्ययन करके शैक्षिक वित्त की विभिन्न पहलुओं पर विश्लेषण करते हुए दो दशक आगे 1985-86 के विकास के साथ ही शिक्षा के मद पर संभावित व्यय-राशि निर्धारित की थी।।

द्वितीय श्रेणी में वे शोध प्रबन्ध आते हैं, जिन पर अध्ययनकर्ताओं ने प्रदेश स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन पूर्ण किया है, उनमें प्रमुख हैं -

शुक्ला (1960), नायर एन्ड पिल्लई (1962), कार्निक (1967), सिन्हा (1967), मलैया (1967), पाठक (1967), प्रकाश (1975), थाटे (1977), इकबोटे 1952 (एम0एड्0 डिजरटेशन) तथा मिश्रा 1957 (एम0एड्0 डिजरटेशन)।

तृतीय श्रेणी में उन अध्ययनों को रखा गया है, जो शिक्षा के किसी विशेष स्तर पर सम्पादित किये गये हैं जैसे -

---

5- "क्वेस्ट इन इजूकेशन," वाल्यूम-18, नं0 4, अक्टूबर1981, पृ0-328

रिजवी §1960§, पंचमुखी §1965§, कामत §1968§, आजाद §1972§, पंचमुखी §1978§, मिश्रा §1981§, रामचन्द्रन §1981§।

चतुर्थ श्रेणी में उन अध्ययनों को वर्गीकृत श्रेणी में रक्खा गया है, जो विभिन्न प्रशासनिक स्तर पर सम्पन्न किए गये हैं। जैसे-

व्यास §1963§, अदालती §1965§, रूईकर 1957 §एम0एड0 डिजरटेशन§।

प्रस्तुत समस्या से सम्बन्धित सीधा प्रयोजन रखने वाली कोई भी शोध सम्पन्न नहीं हुई है। व्यय का स्थूल परिणाम शिक्षा के प्रसार और विकास पर होता है, अतः माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित जिन शोधों में एक अध्याय में वित्त-व्यवस्था पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है, उन कुछ शोधों का उल्लेख भी किया गया है। इनके उल्लेख करने में शोध का उद्देश्य, उसमें अपनायी गयी शोध-विधि तथा उपकरण या स्रोत तथा उनके निष्कर्षों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। ऐसी प्रमुख आठ शोधों तथा 3 लघु प्रबन्धों के संक्षिप्त सारांश नीचे दिए जा रहे हैं उनके अन्त में उन पर समग्र विवेचन किया जायेगा और अपनी समस्या से उनकी तुलना करके भिन्नता बतायी जायेगी।

इन शोधों का विवरण काल-कमानुसार व्यवस्थित करके नीचे दिया जा रहा है -

डॉ0 मिश्र §1959§[6] द्वारा प्रथम व्यापक शोधकार्य 1952 में किया गया, जो सागर विश्वविद्यालय द्वारा 1959 में डी0लिट्0 की उपाधि के लिए स्वीकृत किया गया तथा 1962 में एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया। ब्रिटिश काल से लेकर स्वतन्त्र भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना तक शिक्षा के वित्त का वह विस्तृत अध्ययन है।

6- आत्मानन्द मिश्र, "इजूकेशनल फाइनेन्स इन इन्डिया, ए क्रिटिकल सर्वे आफ इजूकेशनल फाइनेन्स फ्राम 1698 टु 1956 डीलिंग विद दि फाइनेन्सिंग आफ आल ब्रान्चेज आफ इजूकेशन एट आल लेविल आफ एडमिनिस्ट्रेशन, डी0लिट्0 थिसिस, सागर विश्वविद्यालय, सागर, 1959

डॉ0 मिश्र ने अपने शोध में 1698 से 1956 तक के शैक्षिक वित्त का एक गहन अध्ययन किया है एवं राजकीय तथा व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा इनके कार्यान्वियन में निहित नीतियों, उद्देश्यों, कमियों तथा दोषों की समीक्षा की है। उन्होंने यह पाया कि राष्ट्र द्वारा बजट निर्धारण में शिक्षा को सदैव अमहत्वपूर्ण विषय समझा गया है तथा शासकीय आवश्यकताओं के बाद उसे द्वितीय स्थान दिया जाता रहा है।

इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे -

§1§ आधुनिक काल की अवधि तक भारत में शैक्षिक वित्त के विकास का सर्वेक्षण करना।

§2§ शैक्षिक वित्त व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों तथा प्रशासकीय पद्धतियों का मूल्यांकन करना।

§3§ शिक्षा को तीव्रगति से विकसित करने हेतु शैक्षिक वित्त को एक पर्याप्त तथा सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु सुझाव देना।

इस अध्ययन में ऐतिहासिक शोध-विधि अपनायी गयी है। भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाले दस्तावेजों, प्रतिवेदनों, विवरणिकाओं, समीक्षाओं तथा शिक्षा की विवेचना करने वाले प्राथमिक तथा गौण स्रोतों से प्रदत्तों का संकलन किया गया है। देश में शैक्षिक वित्त के ऐतिहासिक सर्वेक्षण को 6 ऐसे भागों में बाँटा गया है, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी §1698-1833§, केन्द्रीयकृत सरकार §1833-1870§, विकेन्द्रीकृत प्रशासन §1871-1921§, द्वैध शासन §1921-36§, प्रान्तीय स्वायत्तता §1937-47§ तथा स्वतन्त्र भारत §1947-56§ के अन्तर्गत वित्त का विवेचन करते हैं। शिक्षा की वित्तीय नीति परीक्षित की गयी तथा शिक्षा हेतु राजकीय योगदान की सीमा §मात्रा§, कुल व्यय से इसका सम्बन्ध, देश का आय-व्ययक तथा जनसंख्या- व्यय की अनेक मदों पर इसके आबंटन का आकलन एवं मूल्यांकन किया गया। भिन्न-भिन्न राज्यों तथा प्रान्तों के प्रयासों की तुलना करने हेतु शैक्षिक चिट्ठा रोचक मानक प्रदान कर रहा है। इस दीर्घ अवधि के मध्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा व्यक्तिगत

अभिकरणों द्वारा शिक्षा को वित्तीय सहायता प्रदान करने की वर्तमान प्रवृत्तियों तथा प्रथाओं के विकास को पुनरीक्षित किया गया है। परिणामों ने जनसंख्या-वृद्धि, कृषक समाज, बिखरी हुई आबादी, जनजाति क्षेत्र, देश की आवश्यकताएं, जन-शिक्षा, विकलांग तथा तकनीकी कर्मियों की माँगों के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न कर दी। परिणामों के आधार पर यह विदित हुआ है कि राज्यों में शिक्षा को पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो तथा शिक्षा के प्रयासों का समन्वयन किया जा सके। प्रत्येक राज्य को अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं का सर्वेक्षण कराना चाहिए तथा अपने कोष का 20 प्रतिशत या इससे अधिक शिक्षा को आबंटित करना चाहिए। स्थानीय निकायों को पुनर्संगठित किया जाना चाहिए तथा उन्हें अधिक अधिकार एवं संसाधन शैक्षिक कर लगाकर दिया जाना चाहिए। उन्हें अपने कोष का कम से कम 40 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। सहायता अनुदान के नियमों में समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए, जो परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप हों। स्थानीय समुदाय की सहायता से भवन तथा काष्ठोपकरण प्रदान किये जाने चाहिए। विश्वविद्यालयों को मुख्यतः अपना-अपना व्यय शुल्क-प्राप्ति तथा धर्मस्व से पूर्ण करना चाहिए। व्यक्तिगत अभिकरणों को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाना चाहिए तथा उन्हें माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व का अधिकतर भार वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक निर्देश को प्राप्त करने हेतु विद्यालयी घण्टों को कम करने, देशी प्रथा को पुनर्जीवित करने, बेसिक शिक्षा पर कम प्रभाव देना, सामुदायिक सहायोग को बढ़ावा, प्राथमिक शिक्षा हेतु वित्त का अधिकतम आबंटन करना आदि अपनाया जाना चाहिए। अमहत्वपूर्ण मदों को समाप्त कर प्रकीर्ण व्यय पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए। शैक्षिक व्यय में भारी वरबादी को निष्प्रभावी कर दिया जाना चाहिए। प्राथमिकताओं का निर्धारण बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए तथा परिमाण के लिए गुण का त्याग नहीं होना चाहिए।

मिश्र (1981)[7] ने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था

7- टी0पी0 मिश्र - 'दि फाइनेन्सिंग आफ हायर इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश आफ्टर इनडिपेन्डेन्स' पी-एच0डी0 थीसिस, 1981 कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर।

पर अध्ययन किया है। उनका यह अध्ययन-कार्य स्वतन्त्रता के पश्चात् 1950 से 1975 तक की अवधि पर सम्पन्न हुआ है इस अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे -

§1§ सामान्य उच्च शिक्षा के विभिन्न स्रोतों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करना तथा उनके सापेक्षिक योगदान का मूल्यांकन करना।

§2§ उच्च शिक्षा की भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाओं तथा विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का विश्लेषण करना।

§3§ ढाई शतक में उच्च शिक्षा में होने वाली व्यय-वृद्धि, प्रत्येक छात्र की शिक्षा में इकाई लागत तथा शिक्षकों के वेतन का अध्ययन करना।

§4§ उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा-व्यय की तुलना अखिल भारतीय मानकों से करना।

§5§ स्वातन्त्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा-व्यय की प्रवृत्तियों की खोज करना।

प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक शोध-विधि का अनुसरण किया गया है।

प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्रोत के रूप में भारत सरकार के प्रकाशन, इजूकेशन इन इण्डिया, राज्यों में शिक्षा, विश्वविद्यालयों में शिक्षा, राजकीय प्रकाशन, शिक्षा की प्रगति, पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न आयोगों तथा समितियों की आख्या से किया गया है। द्वितीय स्रोत के रूप में भारत अथवा उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा पर शिक्षाविदों द्वारा लिखी गयी पुस्तकों और सन्दर्भ-ग्रन्थों का उपयोग किया गया है।

इस अध्ययन में केवल सामान्य उच्च शिक्षा के व्यय का अध्ययन किया गया है, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, अनुसंधान-संस्थान, कला तथा विज्ञान महाविद्यालयों की वित्त व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है।

इस शोध के निष्कर्ष निम्न थे -

आधुनिक उच्च शिक्षा का प्रारम्भ भारत में प्रेसीडेन्सीज द्वारा तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रारम्भ होता है, जिसकी वित्तीय व्यवस्था इम्पीरियल शासन द्वारा की जाती थी।

स्वातन्त्र्योत्तर उत्तर प्रदेश के चतुर्थांश शताब्दी में उच्च शिक्षा की आय में 1950-75 के मध्य 12 गुना वृद्धि हुई।

(1) यह 1950-51 में 2·57 करोड़ थी, जो 1975-76 में बढ़कर 31·57 करोड़ हो गयी। कुल शैक्षिक व्यय में 15·6 गुना वृद्धि हुई। कुल शैक्षिक व्यय की तुलना में उच्च शिक्षा में यह वृद्धि कम थी। उच्च शिक्षा की आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर कुल शिक्षा की औसत वार्षिक वृद्धि दर (11·6 प्रतिशत) से कम थी।

(2) उच्च शिक्षा की आय 1950-51 में 15·8 प्रतिशत थी, जो 1975-76 में घटकर 12·4 प्रतिशत रह गयी।

(3) उच्च शिक्षा की इकाई लागत 1950-51 में 0·41 रूपये थी, जो 1975-76 में बढ़कर 3·33 रूपये हो गयी। इस प्रकार 25 वर्षों में इसमें 8 गुना वृद्धि हो गयी।

(4) राज्य के आय-व्ययक में उच्च शिक्षा के बजट के आबंटन का अनुपात प्रायः 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष रहा है, परन्तु 1960-61 में यह बढ़कर 7 प्रतिशत हो गया तथा 1975-76 में पुनः घटकर यह 3 प्रतिशत हो गया।

(5) उच्च शिक्षा की आय के मुख्य स्रोत राजकीय फण्ड, शुल्क, विश्वविद्यालय फण्ड, स्थानीय निकाय फण्ड, धर्मस्व तथा अन्य स्रोत थे।

(6) कुल आय का 56·5 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में, 40·7 प्रतिशत महाविद्यालयों में, 2 प्रतिशत अनुसंधान संस्थानों में तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों में लगभग 4 प्रतिशत व्यय किया जाता रहा।

(7) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पोषण तथा विकासात्मक अनुदान पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केवल पोषण अनुदान प्राप्त करते हैं। यह विश्वविद्यालय 5 प्रतिशत से भी कम अनुदान पाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती और वे प्रायः घाटे में रहते हैं।

§8§ भारत के मानक पर उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा व्यय में सभी राज्यों में तीसरा स्थान था तथा यह व्यय भारत के औसत व्यय से बहुत अधिक था।

§9§ उच्च शिक्षा के शैक्षिक प्रयासों में 1960-61 में उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान पर था।

§10§ पंचवर्षीय योजनाओं में परिव्यय के आवंटन में उच्च शिक्षा ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के वाद सदैव तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

§11§ 1950-51 में राज्य में कुल शिक्षा में प्रत्यक्ष व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 11·6 प्रतिशत थी, जब कि उच्च शिक्षा में यह दर कम अर्थात् 10·6 प्रतिशत थी।

§12§ आगरा विश्वविद्यालय, तत्पश्चात् बनारस विश्वविद्यालय तथा इन विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष व्यय सर्वाधिक रहा है। सबसे कम वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का था।

§13§ 1970-71 में उच्च शिक्षा के मदवार व्यय में सबसे अधिक 41·8 प्रतिशत शिक्षकों के वेतन, उसके बाद 32·4 प्रतिशत अन्य मदों में तथा सबसे कम 6·8 प्रतिशत उपकरण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन में व्यय हुआ।

§14§ आवासीय विश्वविद्यालयों की तुलना में सम्बद्ध विश्वविद्यालयों का समानुपातिक व्यय, वहुत से मदों जैसे-पुस्तकालय, खेल-कूद तथा परीक्षा आदि में अधिक था।

§15§ उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय मानक में अपने विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक व्यय 56·47 प्रतिशत करता रहा है, जब कि अखिल भारतीय मानक 34·3 प्रतिशत है।

§16§ अनुसंधान संस्थानों में प्रतिवर्ष छात्र-व्यय सर्वाधिक रहा, तत्पश्चात् विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और सबसे कम डीम्ड विश्वविद्यालयों में था।

§17§ वार्षिक ब्लाक ग्राण्ट विश्वविद्यालयों में जारी है, परन्तु महाविद्यालयों हेतु वन्द कर दी गयी है।

सुझाव -

(1) उच्च शिक्षा की अधिक माँग होने के कारण उच्च शिक्षा में व्यय की वृद्धि भी अवश्य होगी अतः अधिक संख्या में प्रवेश वर्जित होने चाहिए।

(2) राजकीय फण्ड के अलावा आय के अन्य साधन बढ़ाये जाने चाहिए।

(3) उच्च शिक्षा की रुग्ण संस्थाओं को या तो बन्द कर दिया जाय अथवा किसी अच्छी संस्था में सम्मिलित कर दिया जाय।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अतिथि-गृह, जलपान-गृह तथा प्रिन्टिंग प्रेस आदि मदों को अनुदान देने के बजाय उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु अनुदान देना चाहिए।

(5) राज्यों में अपनी विश्वविद्यालय अनुदान समिति होनी चाहिए।

(6) प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक ब्रांच आफिस खोलना चाहिए, जो प्रत्येक संस्था का पूर्ण विवरण तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित करे।

(7) "ग्राण्ट इन एड" नियमों में सुधार होना चाहिए।

(8) सहायक अनुदान पद्धति में "प्रोत्साहन अनुदान" का प्राविधान होना चाहिए।

(9) योग्य छात्रों हेतु और अधिक छात्र-वृत्तियों का प्राविधान होना चाहिए।

(10) उपकरण तथा काष्ठोपकरण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिए।

मिश्र (1984)[8] ने भारत की प्राथमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर अपना शोध-प्रबन्ध 1984 में प्रस्तुत किया है। इस अध्ययन में उन्होंने एक चतुर्थांश शताब्दी की वित्तीय व्यवस्था पर प्रकाश डाला है।

इस अध्ययन के अग्रांकित उद्देश्य थे -

(1) प्राथमिक शिक्षा वित्त के विभिन्न स्रोतों तथा उनके आनुपातिक योगदान का अध्ययन करना।

8- गोविन्दानन्द मिश्र, 'स्वांतंत्र्योतर भारत में प्राथमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था' 1950-1975, पी-एच0डी0 थीसिस, कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर, 1984

§2§ प्राथमिक शिक्षा के व्यय का विश्लेषण करके उसके विभिन्न मदों पर वितरण का अध्ययन करना।

§3§ प्राथमिक शिक्षा की इकाई लागत निकालना और उसके विभिन्न प्रकार के विद्यालयों पर उनका तुलनात्मक विवेचन करना।

§4§ इस अवधि में प्राथमिक शिक्षा के व्यय की वृद्वि का अध्ययन करना और उनकी प्रवृत्तियों को निरूपित करना।

§5§ प्राथमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित एवं युक्तिपूर्ण करने के सुझाव देना।

§6§ वय- वर्ग की उस जनसंख्या पर जिसे अभी विद्यालयीय सुविधा प्राप्त नहीं है, होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन करना।

§7§ राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के व्यय की तुलना करना और उनकी विषमता का कारण जानना।

इस अध्ययन में ऐतिहासिक शोध-विधि का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त राजकीय प्रकाशन, शैक्षिक रिपोर्ट, प्रतिवेदन, संविधान और प्रस्ताव हैं। सरकारी शैक्षिक रिपोर्ट में "इजूकेशन इन इण्डिया", "इजूकेशन इन दि स्टेट्स" तथा "शिक्षा की प्रगति" का उपयोग किया गया है। द्वितीय स्रोत के रूप में श्री जे0पी0 नायक की "एलीमेन्टरी इजूकेशन इन इण्डिया", यूनेस्को की "कम्पलसरी इजूकेशन इन इण्डिया", डॉ0 आत्मानन्द मिश्र की "इजूकेशनल फाइनेन्स इन इण्डिया" तथा "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन" आदि पुस्तकों की सहायता ली गई है।

इस शोध के निम्न निष्कर्ष रहे हैं -

ब्रिटिश काल में इस शिक्षा की उपेक्षा की गयी तथा बाद में इसे अनिवार्य बनाने के प्रयास भी किये गये। यद्यपि भारत में शिक्षा- व्यय की बहुस्रोत प्रणाली थी, किन्तु उस काल के अन्त तक विभिन्न स्रोतों का आनुपातिक योगदान बहुत कम हो गया था।

प्राथमिक शिक्षा की आय के प्रमुख स्रोत चार हैं, यथा- राज्य-निधि, स्थानीय निधि, शुल्क और अन्य स्रोत। इन सब स्रोतों से प्राथमिक शिक्षा की आय 25 वर्षों में 36·43 करोड़ रुपये से बढ़कर 446·32 करोड़ रुपये हो गयी। प्राथमिक शिक्षा की आय की औसत वार्षिक दर 9·6 गुना थी, जब कि शैक्षिक व्यय की 11·2 थी। प्राथमिक शिक्षा की आय का कुल शैक्षिक आय में अनुपात बराबर घटता-बढ़ता रहा है और 1975-76 में 21·2 प्रतिशत रह गया। प्राथमिक शिक्षा की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती रही है और अन्तिम वर्ष में 7·46 रुपये थी। इसका राष्ट्रीय आय में प्रति-शत भी बढ़ता रहा है और आखिरी वर्ष में 0·73 था।

राज्य में कुल शैक्षिक आय का 15·13 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त होता रहा है। यह अनुपात सबसे अधिक मध्य प्रदेश में था और सबसे कम गुजरात में। राज्य बजट का सबसे कम ·4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में और सबसे अधिक 1·2 प्रतिशत केरल में प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता रहा था।।

प्राथमिक शिक्षा की आय प्रमुखतः राज्यनिधि और स्थानीय निकाय-निधि से होती थी। राज्य स्तर की शिक्षा में निःशुल्कता होने पर और जनता में दानशीलता घटने के कारण शुल्क और अन्य स्रोतों से योगदान 2 से 5 प्रतिशत ही रहा, जो बराबर घटता रहा। वह 25 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत हो गया। स्थानीय निकायों की आमदनी सीमित थी, अतएव वे इसे बढ़ाने में असमर्थ थे। प्राथमिक शिक्षा का अधिकाधिक भार राज्य पर सौंपने की प्रवृत्ति जान पड़ती है। प्रथम दशक में प्राथमिक शिक्षा की आय का कुल शैक्षिक आय में अनुपात अन्य स्तरों की शिक्षा के आय के मुकाबले में सर्वाधिक रहा, किन्तु अन्तिम दशक में हायर सेकेण्डरी शिक्षा का अनुपात उससे अधिक हो गया। अन्तिम दशक में प्राथमिक शिक्षा का वरीयता क्रम दूसरा हो गया। प्राथमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय का कुल शैक्षिक प्रत्यक्ष व्यय से अनुपात बराबर घटता-बढ़ता रहा है। यह 1950 में 40 प्रतिशत था जो 1975 में घटकर 25 प्रतिशत हो गया, किन्तु प्राथमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 9·6 प्रतिशत रही है, जब

कि कुल शैक्षिक प्रत्यक्ष व्यय की 12·2 प्रतिशत रही है। प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि-दर कुल व्यय की वृद्धि-दर की तीन चौथाई रही है।

प्राथमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय का 93·97 प्रतिशत वेतन और भत्ते पर व्यय होता है। इसमें शिक्षकों पर 90·40 प्रतिशत व्यय होता है और शेष अन्य कर्मचारियों के वेतन पर। जिससे उपकरण तथा अन्य शिक्षण सामग्री के आवर्ती व्यय का अनुपात 2·1 प्रतिशत से बराबर घटता-बढ़ता रहा है। इस आवर्ती व्यय से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है।।

प्राथमिक शिक्षा की अप्रत्यक्ष व्यय की तीन मदों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस पर जो कुल अप्रत्यक्ष व्यय हुआ है, उसका 70·3, 2·3 और 27·4 प्रतिशत क्रमशः भवनों, छात्रावासों और छात्रवृत्तियों एवं वित्तीय रियायतों पर 1965-66 में किया गया है। पाँच वर्ष बाद प्रतिशत क्रमशः 79·2, 4·0 और 16·8 हो गये थे। भवनों और छात्रावास के व्यय का अनुपात बढ़ गया।

सन् 1965-66 में प्रति विद्यालय औसत व्यय 3292 रुपये, प्रति शिक्षक औसत वेतन 1237 रुपये और प्रति छात्र औसत लागत 47 रुपये थी, एक दशक बाद यह राशियाँ बढ़कर क्रमशः 9831 रुपये, 3370 रुपये तथा 95 रुपये हो गयीं।

सभी पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता दी गयी, केवल वार्षिक योजनाओं में नहीं दी जा सकी। पहली योजना में कुल शिक्षा परिव्यय का 55 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा को आबंटित किया गया, दूसरी योजना में बढ़कर यह 33·6 प्रतिशत हो गया, तीसरी में 30 प्रतिशत, यहाँ तक कि वार्षिक योजना में 20 प्रतिशत ही रह गया।

मिश्र ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं -

§1§ केन्द्र केवल विकासात्मक व्यय के लिए अनुदान देता है, उसे प्रतिबद्ध व्यय के लिए भी अनुदान देना चाहिए।

(2) स्थानीय निकायों को शैक्षिक कर लगाने के लिए सक्षम किया जाय।

(3) समुदाय से धर्मार्थ दान तथा सहायता प्राप्त कर अन्य स्रोतों की आय बढ़ाई जाय।

(4) इकाई लागत निकालने से पता चला है कि स्थानीय निकाय के स्कूलों में प्रति विद्यालय और प्रति छात्र वार्षिक लागत कम है, अतएव सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन न दिया जाय।

(5) भवनों, उपकरणों वाला व्यय घटा दिया जाय, इसके लिए समुदाय से सहायता ली जाय।

मलैया (1977)[9] ने मध्य प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की वित्त व्यवस्था का अध्ययन किया है।

इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे -

(1) मध्य प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की वित्त-व्यवस्था तथा उनके संगठन का अध्ययन करना।

(2) मध्य प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की वित्त-व्यवस्था के प्रशासन तथा नियंत्रण का अध्ययन करना।

(3) मध्य प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों के व्यय के स्रोतों तथा मदों की जाँच करना।

(4) माध्यमिक विद्यालयों की वित्त-व्यवस्था की प्रवृत्तियों तथा समस्याओं को पहचानना।

(5) माध्यमिक विद्यालयों की वित्त-व्यवस्था के ठोस आधार हेतु सुझाव देना।

इस अध्ययन को निम्न पहलुओं तक सीमित रक्खा गया है -

(1) उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं के कुल व्यय का अध्ययन।

9- के0सी0 मलैया, "फाइनेन्सिंग आफ सेकन्डरी स्कूल्स इन मध्य प्रदेश", पी-एच0डी0-इजूकेशन, जबलपुर विश्वविद्यालय, 1977

§2§ आय के विभिन्न स्रोतों जैसे - अनुदान, शुल्क, दान, सदस्यता एवं अन्य का तुलनात्मक अध्ययन करना।

§3§ विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के परिप्रेक्ष्य में व्यय के विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन।

§4§ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रबन्ध-समितियों तथा अन्य वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारियों को प्राप्त वित्तीय अधिकार।

यह समस्त अध्ययन 1960 को केन्द्र मानकर मध्य प्रदेश के 348 बालकों तथा 72 बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की आधारभूमि पर किया गया है।इसमें यादृच्छिक प्रतिचयन के तौर पर 176 बालकों के तथा 37 बालिकाओं के विद्यालय पहली किश्त में अध्ययन हेतु अधिगृहीत किये गये हैं। जिनमें से केवल 57 बालकों तथा 13 बालिकाओं के विद्यालयों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। परिणाम यह हुआ कि 348 और 72 की तुलना में केवल 57 और 13 बालकों और बालिकाओं के विद्यालयों पर किए गये अध्ययन को ही पर्याप्त मान लिया गया। प्रदत्तों का संकलन मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित प्रकाशन, विद्यालय-अभिलेखों, प्रधानाध्यापकों से सम्पर्क और प्रधानाध्यापकों को एक प्रश्नावली भेजकर आंकड़े संकलित किये गये हैं। प्रश्नावली में जिन छः पहलुओं पर 65 प्रश्न किये गये हैं, वे हैं - §1§ विद्यालय के प्रकृति की तथ्यात्मक सूचनाएं। §2§ 1957 से लेकर 1961 के बीच सम्पूर्ण व्यय। §3§ आय के स्रोत। §4§ अध्ययनगत वर्षों में व्यय का मदवार विवरण। §5§ छात्रावासों, क्रीड़ांगनों एवं शिशुसदनों पर वास्तविक आय एवं व्यय। §6§ विद्यालय के प्रधानाचार्यों तथा अन्य अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए विवरणात्मक सांख्यिकी तकनीक जैसे - मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, प्रतिशत, काई-स्क्वायर आदि का प्रयोग किया गया है।

इस अध्ययन में प्रमुख रूप से निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं -

§1§ माध्यमिकशिक्षा हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से अधिक वित्त-निवेश की आवश्यकता है।

§2§ राज्य सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक व्ययभार वहन करना चाहिए। इस हेतु अधिक शुल्क मुक्तियाँ, अधिक छात्र-वृत्तियाँ प्रस्तावित थीं तथा यह भी संस्तुति की गयी है कि गैर सरकारी संस्थाओं को और अधिक अधिग्रहण किया जाय तथा अनुदान-राशि में वृद्धि की जाय।

§3§ प्रधानाचार्य बजट का निर्माण तो करते हैं, परन्तु अपने विवेकाधीन व्यय हेतु राशि नहीं प्रस्तावित करते हैं।

§4§ शासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा व्यक्तिगत प्रबन्धकों द्वारा संचालित प्रधानाचार्यों द्वारा अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग स्तर पर वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है।

§5§ शासकीय विद्यालयों की तुलना में व्यक्तिगत प्रबन्धों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति छात्र इकाई लागत व्यय बहुत ही कम आता है।

§6§ बढ़ी हुई सम्पूर्ण व्यय की राशि 49·8 प्रतिशत थी, परन्तु जब इस अध्ययन में बालिकाओं को शामिल कर लिया गया तो इन पाँच आख्यागत वर्षों में यह राशि और अधिक बढ़ गयी।

§7§ वित्त के केन्द्रीकरण तथा केन्द्रीय सहायता में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होने की प्रवृत्ति थी।

§8§ शासकीय विद्यालयों की तुलना में गैर शासकीय विद्यालयों द्वारा किराया, कर तथा बीमा आदि पर अधिक धन व्यय किया गया।

§9§ यह स्पष्ट रूप से पाया गया है कि मध्य प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकों, मानचित्रों, खेल-सामग्री, चिकित्सा-सुविधा, मध्याह्न-स्वल्पाहार, यातायात तथा अवकाश कालीन शिविरों के मद में व्यय की जाने वाली राशि नहीं के बराबर थी।

§10§ आय का प्रमुख साधन शुल्क है तथा आय के अन्य स्रोतों जैसे - धर्मस्व, प्रबन्ध समितियों से अंशदान, दान आदि का विधिवत् दोहन नहीं किया जाता।

"प्रकाश" (1975)[10] ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन किया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था -

शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के विकास का परीक्षण करना।

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में सर्वेक्षण-विधि से सम्पादित किया गया है । जिन पहलुओं पर अध्ययन किया गया है । उनकी कालावधि आधुनिक काल से 1972 तक थी। आंकड़ों के संकलन हेतु मुख्य उपकरण के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। इस अध्ययन में सम्मिलित प्रमुख क्षेत्र अग्रांकित हैं -

(1) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक शिक्षा का प्रतिस्थापन, प्रसार एवं विकास।

(2) शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था की प्रवृत्तियाँ तथा विशेषतायें।

(3) वित्तीय व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता एवं परिमाणात्मक समस्याएं।

(4) वर्ष 1989 तक शिक्षा के विकास हेतु अतिरिक्त राशि का अनुमानित आकलन।

(5) संसाधन में वृद्धि तथा शिक्षा के वित्तीय प्रशासन में सुधार।

(6) बालिकाओं की शिक्षा का पिछड़ापन, व्यावसायिक शिक्षा, सहायक अनुदान।

अध्ययन के परिणाम स्वरूप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुए, जो इस प्रकार थे-

(1) 1966 तथा 1974 के मध्य माध्यमिक शिक्षा की अपेक्षित उपादेयता में पर्याप्त गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण बालिकाओं की शिक्षा में पिछड़ापन है। अन्य

10- गुरमौज प्रकाश - "सेकेन्डरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश विद स्पेशल रेफेरेन्स टू इजूकेशनल फाइनेन्स," पी-एच0डी0-इजूकेशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1975

राज्यों में बालकों और बालिकाओं की शिक्षा का अनुपात 8 और 1 है, तो उत्तर प्रदेश में 1966-67 में लड़के और लड़कियों की शिक्षा का अनुपात 56:1 है।

§2§ अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर प्रति छात्र जो व्यय किया जाता है, केवल तीन राज्यों को छोड़कर न्यूनतम है, यही स्थिति राजकीय व्यय की भी है।

§3§ प्रत्येक आगत पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा पर किया गया व्यय निरन्तर घटता गया है। जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की तुलना में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ योजनाओं में पाया गया। व्यक्तिगत प्रयास भी कम होता जा रहा है। माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय-शुल्क द्वारा सम्पूर्ण व्ययभार का आधा पूरा किया जाता है।

§4§ वर्ष 1971 से उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं पर व्यय की गयी अनुदान-राशि में पर्याप्त ह्रास हुआ है। राज्य में कुल छः माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार की अनुदान राशि लेने से इन्कार कर दिया था।

§5§ वर्तमान में छात्रों के प्रवेश के अनुपात को देखते हुए सन् 1989 में पूर्व तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु 284 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि अनुमानित आय 200 करोड़ रुपये तक ही सीमित है।

भार्गव §1955§[11] ने 1904 से 1947 तक उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के इतिहास पर पर्याप्त तथ्यों और आंकड़ों की सहायता से प्रकाश डाला है।

इस अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे -

§1§ उत्तर प्रदेश की शिक्षा के इतिहास के विविध तथा दिलचस्प, अज्ञात तथा इधर-

---

11- एम0एल0 भार्गव, "हिस्ट्री आफ सेकेन्डरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" §विद स्पेशल रिफ्रेन्स टु इजूकेशनल पालिसी एन्ड फाइनेन्स, 1947§ पी-एच0डी0-हिस्ट्री, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1955

उधर फैले पृष्ठों को प्रस्तुत करना।

§2§ समीक्षात्मक अवधि में उत्तर प्रदेश की शिक्षा की तुलना शेष भारत से करना तथा प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक की शिक्षा का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

शोध की ऐतिहासिक विधि का अनुसरण करते हुए उन्होंने कलकत्ता और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों के मिनिट्स, माध्यमिक शिक्षा परिषद् §1922-55§ तथा उत्तर प्रदेश की विधान सभा की कार्यवाही का विवरण और शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के अभिलेखागार से अधिकांश सामग्री प्राप्त की है।

प्रारम्भ में उन्होंने पश्चिमोत्तर प्रान्त के क्षेत्र में सन् 1600 से शैक्षिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सन् 1902 तक माध्यमिक शिक्षा के विकास का वर्णन किया है। तदनन्तर 1902 से 1947 तक की अवधि को तीन दशकों में और एक पन्द्रह वर्ष §1922-37§ के कालखंड में विभाजित कर प्रत्येक में माध्यमिक शिक्षा के विकास का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। प्रत्येक कालखंड में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम परीक्षा, संरचना, संख्यात्मक वृद्वि, तकनीकी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, जिसमें स्त्री-शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा आती है तथा सामान्य निष्कर्ष और विशेषताएं, दी गई हैं। तत्पश्चात् माध्यमिक स्तर पर शिक्षा-नीति, परीक्षा, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक वित्त पर एक-एक अध्याय दिया गया है। अन्त में उपसंहार दिया गया है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न थे -

§1§ भारत सरकार ने, गृह विभाग के एक प्रस्ताव द्वारा एक आयोग की नियुक्ति की, जो ब्रिटिश भारत में स्थापित विद्यालयों की दशा तथा भविष्य की संभावनाओं की जाँच करेगा; विश्वविद्यालयों की कार्य-पद्धति तथा उनके संविधान के सुधार हेतु यदि कोई प्रस्ताव है, तो उन पर विचार करेगा अथवा प्रस्तावित करेगा; गवर्नर जनरल इन कौन्सिल को ऐसे उपायों की संस्तुति करेगा, जिससे विश्वविद्यालय

में शिक्षण का स्तर तथा सीखने में उन्नति हो।

§2§ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा तथा विद्यालयों की अन्तिम परीक्षा यथावत् सम्पन्न कराना चाहिए। 1902 में अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने के लिए 33 प्रतिशत, अन्य विषयों में 25 प्रतिशत तथा कुल योग में 33 प्रतिशत होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रान्तों की तरह यह आम शिकायत थी कि शिक्षा में नैतिक शिक्षा-पक्ष को छोड़ दिया गया है।

§3§ अधिकांश अध्यापक स्नातक नहीं थे। वेतन की अपर्याप्तता उचित शैक्षिक योग्यता रखने वालों को आकर्षित नहीं कर पा रही है।

§4§ बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में माध्यमिक शिक्षा ने अपना अलग से अस्तित्व प्राप्त कर लिया।

§5§ हाई स्कूल के स्वरूप में किंचित् परिवर्तन हो गया।

§6§ उच्च शिक्षा अंग्रेजी में प्रदान की जाती थी।

§7§ माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उपयुक्त शिक्षकों की कमी थी तथा निम्न कक्षाओं हेतु प्रशिक्षित अध्यापक मुश्किल से मिलते थे।

§8§ 1973 में उत्तर प्रदेश में कुल 40 इन्टरमीडिएट कालेज थे, जो अगले दशक में बढ़कर 74 हो गये।

§9§ सभी साधनों से माध्यमिक शिक्षा में व्यय-वृद्धि हो रही थी।

§10§ सहायक अनुदान प्रणाली शिक्षा-संहिता के अनुसार थी, जिसका संशोधन 1936 में कर दिया गया।

§11§ उद्योग विभाग के अन्तर्गत व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा संचालित थी।

§12§ पाठ्यक्रम को साहित्यिक, वैज्ञानिक, कला, वाणिज्य, गृहोपयोगी विज्ञान तथा तकनीकी वर्गों में विभाजित करने की संस्तुति की गयी थी।

बाजपेयी §1981§[12] ने स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास का 1950-75 तक अध्ययन किया है।

इस अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् थे -

§1§ उत्तर प्रदेश में स्वातंत्र्योपरान्त लगभग चतुर्थांश शताब्दी में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रगति एवं प्रवृत्तियों को रेखांकित करना।

§2§ इस अवधि में इस शिक्षा के विद्यालयों, छात्रों, शिक्षकों एवं व्यय आदि में हुई वृद्धि को आंकना।

§3§ इस स्तर की शिक्षा के विभिन्न पार्श्वों जैसे - पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रशासन और वित्तीय साधनों में हुए परिवर्तन का समीक्षात्मक अध्ययन करना।

§4§ स्वातंत्र्योत्तर काल में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना।

प्रस्तुत शोध में अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि को आधार मानकर प्राथमिक स्रोत के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित निम्नलिखित साहित्य का उपयोग किया गया है -

रिपोर्ट आफ दि नार्थ वेस्टर्न प्राक्सिजेज आन इजूकेशन, एनुअल रिपोर्ट आन पब्लिक इन्स्ट्रक्शन नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मिनिट, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आन इजूकेशन, आचार्य नरेन्द्र देव समिति रिपोर्ट 1939 एवं 1953, माध्यमिक शिक्षापुनर्संगठन 1948, शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की वार्षिक आख्या, आचार्य जुगुल किशोर कमेटी रिपोर्ट 1961, शिक्षा की प्रगति, शिक्षा संहिता, माध्यमिक शिक्षा परिषद् नियम संग्रह, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश व अधिनियम, स्वायत्त शासन विभाग का कार्य-विवरण, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, उ0प्र0

12- ललित बिहारी बाजपेयी, "स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास" पी-एच0डी0 थीसिस, इजूकेशन, कानपुर विश्वविद्यालय §1981§

सचिवालय कार्य §बंटवारा§ नियमावली, प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार का वार्षिक बजट और जनगणना रिपोर्ट आदि।

भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित विभिन्न प्रतिवेदन तथा अभिलेख आदि सामग्री का उपयोग किया गया है। गौण स्रोत के रूप में कुछ शोध-प्रबन्ध, सर्वे, सर्वे-रिपोर्ट तथा कुछ विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध के प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत् हैं -

§1§ उत्तर प्रदेश में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रबन्ध सरकार §केन्द्र तथा राज्य§, स्थानीय निकाय तथा निजी अभिकरण करते हैं। सन् 1973-74 में 7·5 प्रतिशत सरकारी संस्थायें थीं, 2·7 प्रतिशत स्थानीय निकायों की तथा 89·8 प्रतिशत निजी संस्थायें थीं। जिसमें 19·7 प्रतिशत को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं थी।

§2§ सन् 1947-48 में उत्तर प्रदेश में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 499 थी, जिसमें 237028 छात्र पढ़ते थे और 12210 अध्यापक पढ़ाते थे। सन् 1975-76 में संस्थाएं 796 प्रतिशत बढ़ गयीं, छात्र-संख्या 657 प्रतिशत बढ़ गयी तथा शिक्षकों में 733 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस अवधि में बालिकाओं की संस्थाएं 694 प्रतिशत बढ़ गयीं और नामांकन साढ़े अठारह गुना बढ़ गया।

सन् 1975-76 में उत्तर प्रदेश के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन कुल वय-वर्ग की जनसंख्या में 15·3 प्रतिशत था, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह प्रतिशत 18·3 प्रतिशत था।

1950-51 में उच्च एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों पर 5·34 करोड़ रूपये व्यय था, जो 1975-76 में 63·1 करोड़ रूपये हो गया। इस अवधि में व्यय बढ़कर बारह गुना हो गया। राज्य के कुल बजट का 8·7 प्रतिशत सन् 1950-51

में इस शिक्षा पर व्यय होता था, जो 1975-76 में घटकर 6·7 प्रतिशत हो गया।

सन् 1975-76 में प्रति विद्यालय औसत व्यय 1·41 लाख रुपया था और प्रति छात्र औसत व्यय 225·82 रुपये था।

सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बदलने पर शासन ने 1968 में सहायक अनुदान नियमों में सुविधाजनक संशोधन कर दिया था, किन्तु उससे भी जब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का आर्थिक संकट दूर न हुआ तो सन् 1971 में नये नियम घोषित किए गये।

पाठ्यक्रम के विषय में शिकायत है कि वह बोझिल है और जीवन की यथार्थ परिस्थितियों से असम्बद्ध है। पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विकास के लिए जो धन व्यय किया जाता है वह चालू संस्थाओं के व्यय के अतिरिक्त होता है। पाँचवीं योजना के अन्त में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थायें बढ़कर पहली योजना की तिगुनी हो गयीं और नामांकन बढ़कर पहली योजना का साढ़े चार गुना हो गया।

प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता ने निम्न सुझाव दिये हैं –

(1) संख्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक उन्नयन का समवेत प्रयास करना चाहिए तथा गुणवत्ता का मूल्यांकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) प्रदेश के तीन चौथाई से अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निजी अभिकरणों द्वारा संचालित होते हैं। संसाधनों के अभाव में इनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव इनके शैक्षिक स्तर पर पड़ता है। अतएव इन विद्यालयों को और अधिक सहायता देकर सुसम्पन्न बनाने की आवश्यकता है, जिससे इनके शैक्षिक स्तर का उन्नयन संभव हो सके।

(3) माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षा निदेशालय कार्यालय, इलाहाबाद तथा लखनऊ दो जगहों में स्थित होने के बजाय एक ही स्थान पर होना चाहिए।

§4§ असहायता प्राप्त उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अधिकाधिक उत्तर-दायित्व सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिए।

§5§ माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यय में जो वृद्धि हुई है, वह अधिकांशतः अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के कारण है तथा प्रयोज्य सामग्री एवं उपकरण आदि खरीदने में तुलनात्मक कम वृद्धि हुई है। इस मद में कटौती करना उचित नहीं लगता।

§6§ शिक्षा की दरें वही हैं, जो सन् 1947 में थीं। अतएव शिक्षा शुल्क बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए।

§7§ पंचवर्षीय योजनाओं में शैक्षिक लक्ष्यों का निर्धारण सावधानी पूर्वक किया जाय।

नैयर एवं पिल्लई §1962§[13] ने "केरल राज्य के शैक्षिक वित्त का इतिहास तथा समस्याओं का एक अध्ययन" पर शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य निम्न समस्याओं पर प्रकाश डालता है -

§1§ ऐसे मदों पर व्यय में वृद्धि जिन्हें कम किया जा सकता था तथा ऐसे मद जिन पर व्यय में वृद्धि की जा सकती है।

§2§ शैक्षिक वित्त की कार्य प्रणाली।

§3§ शैक्षिक वित्त में राज्य की भूमिका।

§4§ स्रोत, जिनसे वित्त प्राप्त किया जा सकता है।

§5§ केन्द्र, राज्य, स्थानीय तथा व्यक्तिगत अभिकरणों के विभिन्न प्रशासनों के उत्तरदायित्व। राज्य सरकार के मैनुअल, प्रशासकीय पत्रजातों, शिक्षा संहिता तथा बजट पर यह अध्ययन आधारित है। शैक्षिक वित्त के भिन्न-भिन्न अभिकरणों द्वारा उत्तरदायित्व वहन करने के सम्बन्ध में अनेक राष्ट्रों तथा कुछ भारतीय राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

13- पी0आर0 नैयर तथा एन0पी0 पिल्लई, "ए स्टडी आफ दि हिस्ट्री एन्ड प्राबलेम्स आफ इजूकेशनल फाइनेन्स इन केरल"
डिपार्टमेन्ट आफ इजूकेशन, केरल विश्वविद्यालय, 1962

राज्य से सहायता जैसे प्रश्नों पर राय एकत्रित करने हेतु एक प्रश्नावली वितरित की गयी है, यह प्रश्नावली 400 लोगों में वितरित की गयी, जिनमें विधायक, स्थानीय निकायों के सदस्यगण, महानगरों के नगर प्रमुख, अधिवक्ता, राजनैतिक नेतागण, पत्रकार, राजकीय अधिकारी, प्रधानाध्यापक, विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रबन्धक प्रमुख हैं।।

अध्ययन-द्वारा यह प्रगट हो रहा है कि -

(1) अभी हाल के वर्षो में केरल की शिक्षा में व्यय अति शीघ्रता से बढ़ रहा है, उसका एक मात्र कारण शिक्षकों के वेतन में वृद्धि होना है। यह वृद्धि भी जीविका लागत बढ़ने, जनसंख्या-वृद्धि तथा विद्यालयी सामग्री की कीमत बढ़ने के कारण है।

(2) विद्यालयी शिक्षा के अन्त में छात्रों द्वारा प्राप्त निम्न स्तर विशाल बरबादी की ओर इंगित करता है जिसका कारण है, शैक्षिक सेवा का निम्न स्तर, कक्षाओं में आवश्यकता से अधिक भीड़, कार्य दशाओं का संतोषप्रद न होना, सद्भावना की कमी, निरीक्षण तथा निर्देशन की कमी।

(3) विद्यालय-भवनों, उपकरणों, अध्यापकों का वेतन, अध्यापक-प्रशिक्षण, पुनश्चर्या, स्वास्थ्य-परीक्षा एवं प्रसार पर तीव्र गति से बढ़ते हुए व्यय को आवश्यक समझा गया। व्यय पर अधिभार को कम करने के लिए यह प्रस्तावित किया गया है -

(अ) सहायता-प्राप्त तथा शुल्क वसूल करने वाले विद्यालयों को इस शर्त के साथ मान्यता देना चाहिए कि वह स्तर को स्थापित रक्खेगें तथा नियमों का पाललन करेंगे।

(ब) पाली-प्रथा चलाई जानी चाहिए।

(स) सस्ते भवनों तथा न्यूनतम आवश्यक उपकरणों के साथ अधिक विद्यालय खोले जाने चाहिए।

(द) केन्द्र तथा राज्यों को अधिक योगदान प्रदान करना चाहिए।

(य) राज्यों को शिक्षा के लिए जन-कर्ज देना चाहिए।

इकबोटे §1952§[14] ने 1941 से 1949 तक मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा की और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यह सन्तोषजनक नहीं थी तथा उन्होंने बताया कि एक ही उम्र के सभी बच्चों को शिक्षा देने एवं अध्यापकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अधिक कोष की आवश्यकता होगी। उन्होंने राजकीय अनुदान तथा शुल्क दर ऊँचा करने तथा छात्रों के उत्पादक-क्रम द्वारा माध्यमिक शिक्षा को एक सीमा तक आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की।

रूइकर §1957§[15] ने "जबलपुर की शिक्षा में निजी उद्यमों का योगदान-एक सर्वेक्षण" पर 1957 में सागर विश्वविद्यालय में एक लघु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने यह पाया कि विद्यालय का आय-व्यय प्रायः घाटे में रहता था जिसकी पूर्ति विद्यालय ऋण, अनुदानों तथा धर्मार्थ निष्पादनों द्वारा चन्दा प्राप्त करके पूरा करता था। उन्होंने सलाह दी कि प्रत्येक विद्यालय के पास एक सुरक्षित कोष होना चाहिए तथा समारम्भ पर सरकार को चौथाई अनुदान की अग्रिम किश्तें देना चाहिए।

मिश्रा §1957§[16] ने "मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में सहायक अनुदान प्रणाली" पर 1957 में लघु शोध-प्रबन्ध सागर विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने संस्तुति की है कि भारत सरकार को एक आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा को वित्त प्रदान करने के लिए एक अपरिवर्ती पद्धति की संस्तुति करे तथा साथ ही एक राज्य सहायता अनुदान समिति का सृजन होना चाहिए जो अनुदान के लिए प्राप्त

14- टी0बी0 इकबोटे - "फाइनेन्सिंग आफ सेकन्डरी इजूकेशन इन मध्य प्रदेश," एम0एड्0 डिजरटेशन, नागपुर विश्वविद्यालय, 1952

15- बी0डी0 रूइकर, "सर्वे आफ प्राइवेट इन्टरप्राइज इन इजूकेशन इन जबलपुर," एम0एड्0 डिजर्टेशन, सागर विश्वविद्यालय, 1957

16- बी0एस0 मिश्रा, सिस्टम्स आफ ग्राण्ट इन एड टु सेकन्डरी स्कूल्स विद स्पेशल रिफेरेन्स टु मध्य प्रदेश 1957 एम0एड्0 डिजरटेशन, सागर विश्वविद्यालय, सागर

आवेदन-पत्रों पर शीघ्र निर्णय ले। उन्होंने संस्तुति की है कि विद्यालयों को अधिक ऊँची दर से शुल्क वसूल करने की अनुमति होनी चाहिए। आकस्मिक अनुदानों के आधारों में सुधार होना चाहिए। गृह-निर्माण अनुदान के अनुपात में 50 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए तथा बहुत ही आवश्यक मामलों में यह वृद्धि 80 प्रतिशत तक हो सकती है। विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुँचने हेतु निर्देशन सेवाओं, शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षकों की लाभमयी योजना हेतु विशिष्ट अनुदान दिये जायँ।

विवेचन एवं तुलना -

शिक्षा की वित्त व्यवस्था में अखिल भारतीय स्तर पर सम्पन्न हुई शोधों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकार की शिक्षा पर विचार करते समय उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर प्रसंगवश ही प्रकाश डाला गया है। मिश्रा §1959§ ने अपने अध्ययन में ब्रिटिश काल के साथ ही साथ इस अध्ययन हेतु प्रासंगिक तथा पुनर्निरीक्षण शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था को 1947 से 1956 तक सम्मिलित किया है। इसी प्रकार शाह §1969§ तथा पंडित §1972§ ने स्वतन्त्रता के पश्चात् अर्थात् मिश्र के पंचवार्षिकी के पश्चात् तक की सम्पूर्ण शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का विश्लेषण करते समय यदा-कदा माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का भी उल्लेख किया है।

नैय्यर तथा पिल्लई §1962§ ने केरल राज्य की शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था, मिश्र §1984§ ने भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था तथा आजाद §1972§ ने अखिल भारतीय स्तर पर उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर अध्ययन किया है।

मिश्र §1981§ ने उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर अध्ययन किया है तथा इनकी कालावधि 1950 से 1975 रही है।

थाटे ﴾1977﴿[17] ने महाराष्ट्र की माध्यमिक शिक्षा की इकाई लागत ज्ञात की है। मलैया ﴾1977﴿ ने माध्यमिक विद्यालयों की वित्त व्यवस्था का अध्ययन किया है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के इतिहास पर भार्गव ﴾1955﴿ ने सर्वेक्षण किया है तथा इनका कार्यकाल स्वतन्त्रता के पूर्व का रहा है। प्रकाश ﴾1975﴿ ने माध्यमिक शिक्षा के विकास पर 1950-1970 तक अध्ययन किया है, साथ ही वित्तीय व्यवस्था का भी उल्लेख एक अध्याय में किया है। बाजपेयी ﴾1981﴿ ने उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन 1950 से 1975 तक किया है तथा एक अध्याय में इस शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है।

इकबोटे ﴾1952﴿ ने 1941 से 1949 तक मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर लघु शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया है।

रूईकर ﴾1957﴿ ने "जबलपुर की शिक्षा में निजी उद्यमों का योगदान" पर अध्ययन कर लघु शोध- प्रबन्ध प्रस्तुत किया है। मिश्रा ﴾1957﴿ ने "मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में सहायक अनुदान प्रणाली" पर लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है।

वित्तीय व्यवस्था के अखिल भारतीय स्तर पर सम्पन्न हुई शोधों में मिश्रा ﴾1957﴿ ने ऐतिहासिक विधि, पण्डित ﴾1973﴿ ने ऐतिहासिक विधि, शाह ﴾1969﴿ ने ऐतिहासिक विधि तथा आजाद ﴾1972﴿ ने सर्वेक्षण- विधि का प्रयोग किया है।

सभी अध्ययनों में प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्रोत के रूप में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रकाशन, बजट, दस्तावेज तथा अभिलेखों द्वारा किया गया है।

मलैया ﴾1977﴿ ने सर्वेक्षण-विधि का प्रयोग किया है तथा प्रदत्तों का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से किया है।

17- वाई0वी0 थाटे, "कास्ट आफ सेकन्डरी इजूकेशन इन महाराष्ट्र" ﴾एन एनालिसिस आफ रीजनल डिफरेन्सेस﴿ पी-एच0डी0-इकोनामिक्स, पूना यूनीवर्सिटी, 1977

नैय्यर तथा पिल्लई §1962§ ने प्रदत्तों का संकलन शिक्षा-संहिता, मैनुअल, पत्रजातों तथा बजट आदि से किया है।

धाटे §1977§, मिश्रा §1981§ तथा मिश्रा §1984§ ने अपने शोध-अध्ययनों में ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया है तथा प्रदत्तों का संकलनप्राथमिक स्रोत के रूप में केन्द्रीय सरकार के प्रकाशन, राज्य सरकार के प्रतिवेदन, बजट तथा पंचवर्षीय योजनाओं को प्रयुक्त किया है एवं द्वितीयक स्रोत के रूप में विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पुस्तकों का उपयोग किया है।

उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा के विकास पर जो शोधें सम्पन्न हुई हैं, उनमें भार्गव §1955§ तथा बाजपेयी §1981§ दोनों ने ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है, लेकिन प्रकाश §1975§ ने सर्वेक्षण-विधि का प्रयोग किया है। प्रदत्तों के संकलन में तीनों ने सरकारी प्रकाशन, दस्तावेजों तथा राजकीय अभिलेखागार से प्राप्त अभिलेखों, पंचवर्षीय योजनाओं आदि का उपयोग किया है। लघु शोध- प्रबन्धों में भी ऐतिहासिक विधि का उपयोग किया गया है तथा प्रदत्तों के संकलन भी लगभग एक ही तरह से किये गये हैं।

उपर्युक्त सभी शोधों के उद्देश्य तथा काल में भिन्नता है। इन शोधों से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वह प्रायः शिक्षा की प्रगति, उसकी इकाई लागत, अनुदान प्रणाली तथा पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बन्धित हैं। उनमें से कुछ में शिक्षा के किसी एक विशिष्ट पार्श्व को लेकर या सम्पूर्ण शिक्षा की प्रगति के वित्तीय अवरोधक पक्ष को लेकर सीमित अध्ययन किया गया है।

अनेक शोधों में अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है और प्राथमिक तथा गौण स्रोतों यथा–प्रतिवेदनों, रिपोर्टों तथा दस्तावेजों से सामग्री संकलित की गयी है। प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है तथा प्राथमिक और

गौण स्रोतों से प्रदत्तों का संकलन किया गयाहै,यह इस शोध तथा अन्य शोधों में समता है।

प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विशेषकर उसके प्रमुख पक्ष आय, व्यय, सहायक अनुदान प्रणाली तथा पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर विस्तृत व्याख्या की जायेगी। अखिल भारतीय मानकों से तुलना की जायेगी और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जायेंगे, जो केवल वित्तीय व्यवस्था से ही सम्बन्धित होंगे। इस प्रकार प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों तथा निष्कर्षों में अन्य शोधों की तुलना में सर्वथा भिन्नता होगी।

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर के वित्तीय पक्ष पर अखिल भारतीय, प्रादेशिक तथा संस्थागत स्तर पर किसी भी प्रकार का अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ है। बुच[18] का "शैक्षिक अनुसंधानों पर द्वितीय सर्वेक्षण" अग्रांकित शब्दों में इस तथ्य की पुष्टि करता है -

"1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1966 में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा पर डाक्ट्रेट की उपाधि हेतु अथवा अलग से संस्थागत स्तर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।"

अतएव यह प्रामाणिक है कि प्रस्तुत शोध-समस्या सर्वथा नवीन है तथा स्वतन्त्रता के पश्चात् चार दशक की उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का विशद विवेचन करती है। अतः शोधकर्ता द्वारा प्रथम बार इस स्तर की शिक्षा पर कार्य किया जा रहा है।

18- एम0बी0 बुच, "सेकण्ड सर्वे आफ रिसर्च इन इजूकेशन सोसाइटी फार इजूकेशनल रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट"बड़ौदा, 1979, पृष्ठ-146

x-x-x-x-

तृतीय अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

स्वतंत्रता के पूर्व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था

वर्तमान की जड़ अतीत में होती हैं। किसी भी देश का अतीत उसकी वर्तमान एवं भावी प्रेरणा का मूल स्रोत होता है। प्राचीन भारत का निर्माण एक मात्र राजनीतिक , आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में न होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में हुआ।

प्राचीन काल में शिक्षा वैयक्तिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का साधन समझी जाती थी। व्यापक, उदार ज्ञान देकर व्यक्ति को समाजोपयोगी सदस्य बनाना और उच्च ज्ञान के अनुभवों द्वारा अन्तिम वास्तविकता के साथ तादात्म्य स्थापित करना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता था। समस्त शिक्षा धर्म से अनुप्राणित थी। अध्ययन-अध्यापन धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म के एक अंग के रूप में होता था।

भारतवर्ष के विस्तृत इतिहास में वैदिक काल से स्वातंत्र्योत्तर युग तक अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तन हुए, जिनके अनुसार भारतीय शिक्षा की संकल्पना, उद्देश्य और मांग बदलती रही। उसी के अनुरूप शिक्षा की वित्त-व्यवस्था में भी परिवर्तन होते रहे हैं।

सभी प्रकार की संगठित शैक्षिक प्रगति के लिये वित्त एक आवश्यक शर्त है, अतः यह कहना अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा के लिए वित्त महत्व नहीं रखता था। वास्तव में वित्त सम्बन्धी विचार ज्ञान के पवित्र ध्येय से परे एवं प्रतिबन्धित रक्खे गये। एन0एन0 मजुमदार[1], एस0के0 दास[2], ए0एस0 अल्तेकर ,

---

1- एन0एन0 मजुमदार, "ए हिस्ट्री आफ इजूकेशन इन एन्शियंट इण्डिया," लन्दन, मैकमिलन एन्ड कम्पनी 1916

2- एस0के0 दास, "दि इजूकेशनल सिस्टम आफ एन्शियन हिन्दूज", कलकत्ता मित्रा प्रेस, 1931

3- ए0एस0 अल्तेकर ,"प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति," वाराणसी, नन्दकिशोर एन्ड ब्रदर्स, 1979

एफ0ई0के[4], आर0के0 मुकर्जी[5] तथा अन्य शिक्षा-शास्त्री जैसे-एस0सी0 सरकार[6], के0एस0 वकील एन्ड एस0 नटराजन[7], पी0एल0 रावत[8] तथा श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय[9], जिन्होंने प्राचीन भारत की शिक्षा पर पुस्तकें लिखी हैं अथवा शिक्षा के इतिहास की पुस्तकों पर प्राचीन भारतीय शिक्षा पर प्रकाश डाला है, किसी ने भी शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था पर अलग से कुछ भी नहीं लिखा। डा0 आत्मानन्द मिश्र[10] ने अपनी पुस्तक में प्राचीन काल की शिक्षा का वर्णन करते हुए उसके वित्तीय पक्ष की विशद विवेचना की है।

प्राचीन काल में शिक्षा की मांग बहुत कम थी। पुरोहित या ब्राह्मण ही उसे पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त करता था। आगे चलकर द्विजवर्ग-ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। हस्त तथा ललित कलाओं का ज्ञान, शिक्षुता द्वारा वयस्कों के कार्यो का अवलोकन और अनुकरण करके सीख लिया जाता था। इन थोड़े लोगों को शिक्षा देने के लिए किसी विशेष संगठन की आवश्यकता न थी। व्यक्तिगत शिक्षक स्वयं में एक मात्र संस्था होता था, जो अपने त्याग, निःस्वार्थ-सेवा, साधारण जीवन व उच्च विचारों द्वारा इसकी प्रगति में लगा रहता था। धनवान, धनहीन, राजा और रंक की शिक्षा में कोई भेद-भाव नहीं था। शिक्षा का क्षेत्र केवल धर्म-निरपेक्ष ऋषियों के हाथ में था।

4- एफ0ई0के, "इन्डियन इजूकेशन इन एन्शियन्ट एन्ड लेटर टाइम्स," न्यू देहली, कास्मो पब्लिकेशन, 1980

5- आर0के0 मुकर्जी, "एन्शियन्ट इन्डियन इजूकेशन," वाराणसी नन्दकिशोर एन्ड संस, 1979-80

6- एस0सी0 सरकार, "इजूकेशन आइडिएज एन्ड इंस्टीट्यूशन्स इन एन्शियन्ट इन्डिया," पटना, जानकी प्रकाशन, 1979

7- के0एस0 वकील एन्ड एस0 नटराजन, "इजूकेशन इन इण्डिया," बाम्बे, इलाइड पब्लिशर्स

8- पी0एल0 रावत, "भारतीय शिक्षा का इतिहास," आगरा यूनिवर्सल पब्लिशर्स

9- श्रीधर नाथ मुखोपाध्याय, "भारतीय शिक्षा का इतिहास," बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो

10- आत्मानन्द मिश्र, "दि फाइनेन्सिंग आफ इन्डियन इजूकेशन," बाम्बे एलाइड पब्लिशर्स, 1967

वैदिक कालीन शिक्षण-पद्धति में तीन क्रियाओं का समावेश था-श्रवण, मनन तथा चिन्तन। गुरुकुलों में आजकल के समान परीक्षा-प्रणाली नहीं थी। शिक्षक शिष्यों को अपने घर में रखकर पढ़ाता था या फिर जंगल में अपना आश्रम बनाकर उनके साथ रहता और अध्यापन करता था।

ऐसे छोटे शिक्षा-संगठन के लिए किसी बड़े वित्त-प्रबन्धन की आवश्यकता नहीं थी। शिक्षा में वित्तीय विचार वर्जित था और धन-लोलुपता निषिद्ध थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के अन्तर्गत राज्य और शिक्षा का क्या सम्बन्ध था, इस विषय पर हमें कोई विस्तृत सैद्धान्तिक विवेचन नहीं मिलता।[11] जन-शिक्षण के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध करना राज्य का कर्तव्य है, यह नवीन सिद्धान्त है।[12] जो प्राचीन काल में नहीं था, परन्तु राज्य और समाज का अभिन्न सम्बन्ध था। सामाजिक कर्तव्यों के अन्तर्गत ही शिक्षा के विकास, प्रोत्साहन और विद्वानों को प्रश्रय देने का गुरुतर-भार भी आता था। प्राचीन भारत में जीवन का एक उद्देश्य था, एक आदर्श था और इस आदर्श की प्राप्ति संसार की सभी विभूतियों से उच्चतर समझी जाती थी। गुरुकुल अपनी नीति-निर्धारण में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र थे। राज्य के ऊपर से उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। राज्य गुरुकुल की किसी नीति में हस्तक्षेप नहीं करता था।

आय के स्रोत -

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति में आय के निम्न स्रोत माने जा सकते हैं -

(1) शिक्षक का निजी उपर्जित धन

(2) गुरुदक्षिणा

11- ए०एस० अल्तेकर, "पूर्वोक्त" पृष्ठ-12

12- गीता देवी, "उत्तर भारत में शिक्षा-व्यवस्था", इलाहाबाद, इन्डियन प्रेस (पब्लिकेशन) प्रा० लि०, 1980

(3) शिष्यों के द्वारा भिक्षा

(4) पशुओं से आमदनी

(5) उपहार

(6) राजकीय सहायता

[13]प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क थी। शिक्षा-दान धार्मिक कर्तव्य था, जिसके द्वारा गुरु ऋषि-ऋण से मुक्ति पाता था। गुरु से शिक्षा तथा आवासादि प्राप्त होने के उपलक्ष्य में शिष्य-मंडली उसे अपनी सेवाएं अर्पित करती थी। शिक्षा के लिए शुल्क लेना व देना दोनों पाप समझे जाते थे। शिक्षा से जीविकोपार्जन करने वाले को ज्ञान के व्यापारी की संज्ञा दी जाती थी और उसे ब्रह्म-हत्या के बराबर पाप लगता था। यदि कोई सम्पन्न व्यक्ति उसे देना भी चाहे तो शिक्षक यह कहकर अस्वीकार कर देता था कि "नाहं शासनशतेनापि विद्या-विक्रयं करिष्यामि" अर्थात् सैकड़ों राजकीय दबाव पड़ने पर भी मैं धन लेकर शिक्षा का विक्रय नहीं करूंगा।

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय यद्यपि विकीर्ण और यत्रतत्रिक थी, फिर भी यह इतने अबाध रूप से प्राप्त हुआ करती थी कि शिक्षा को कभी भी किसी अभाव का अनुभव नहीं हो पाता था।

<u>व्यय के मद</u> -

शिक्षा के इस सरल संगठन के लिए व्यय की मदें बहुत नहीं थी। न शिक्षकों को वेतन मिलता था, न छात्रों को छात्रवृत्तियाँ; न खरीदने के लिए पुस्तकें

13- आत्मानन्द मिश्र, "फाइनेन्सिंग इजूकेशन इन इण्डिया", इलाहाबाद, गर्ग ब्रदर्स, 1959

(क) एकमप्यक्षरं यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत्।
पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यं यद्दत्वा सोऽनृणी भवेत्।
-लघुहारीत -पृ0-53

(ख) यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति।
-मालविकाग्निमित्रम् - 1-17 (कालिदास)

थीं और न बनाने के लिए भव्य भवन। जो ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और आत्म-संयम का व्रत लिए हो, उसकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होतीं। अतएव व्यय की निम्नलिखित मुख्य मदें थीं, जो प्रायः छात्रों की आवश्यकताओं से सम्बन्धित थीं-

(1) भोजन का प्रबन्ध

(2) परिधान

(3) मकान, फर्नीचर व अन्य सामग्री (आवास तथा उपस्कर)

(4) शिक्षकों का वेतन

शिक्षक-शिष्य परिवार के लिए भोजन-व्यवस्था प्रमुख खर्च का विषय था। उत्तम शिक्षा के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक था। भोजन का प्रबन्ध भिक्षा, खेती तथा पशुओं से हो जाता था। छात्रों की दूसरी आवश्यकता परिधान की थी, जो संख्या में सीमित थी। एक उत्तरीय और दूसरा अन्तरवासक-वस्त्र तथा मूंज की करधनी, काठ की पादुका, कमंडल और दंड। इन वस्तुओं को छात्र प्रवेश के समय लाता था।[14]

आवास के लिए शिक्षक की पर्णकुटी पर्याप्त थी। पयाल के बने गद्दे, चटाइयाँ और पुस्तक रखने की रहल, यही आवश्यक उपस्कर थे। प्राप्त अभिलेखों से पता चलता है कि अधिकतर शिक्षकों के पास यथेष्ट धन था। उद्दालक आरुणि के पास स्वर्ण, पशु, सेविकाएं, नौकर-चाकर व वस्त्र थे। रैक्व के पास रैक्वपर्ण नामक क्षेत्र में भू-सम्पत्ति थी, जिसमें बहुत से गाँव सम्मिलित थे। रथ, स्वर्णहार और एक हजार गायें भी थीं। याज्ञवल्क्य के पास पशुधन, पशु-सम्पत्ति थी, जिसे वह बाँट देना चाहते थे। शिक्षक कभी भी वेतन के लिए इच्छुक नहीं था। उसका कार्य ही उसका पारितोषिक था। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी थी। शिक्षक अर्थ-व्यवस्था की चिन्ता से मुक्त रहते थे।

14- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त-प्रबन्धन", कानपुर ग्रन्थम्-1976

उत्तर प्रदेश में भी इस काल में शिक्षा एवं अनुशासन के केन्द्र आश्रम थे। इन आश्रमों में विद्यार्थी वेद, राशि (गणित), ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण, युद्ध-विद्या आदि का अध्ययन करते थे। राज-पुत्र एवं साधारण गृहस्थों के बालक इन आश्रमों में साथ ही साथ रहते थे। वर्ग, श्रेणी, अथवा जाति का कोई भेद-भाव नहीं था। सुप्रसिद्ध आश्रमों में एक नैमिष में स्थित था, जिसमें 10,000 विद्यार्थी आश्रम के कुलपति-मानुक के निर्देशन में ज्ञानोपार्जन करते थे। "रामायण" में अयोध्या एक विशिष्ट ज्ञानार्जन-केन्द्र के रूप में निहित था। वाराणसी, मथुरा आदि संस्कृत-शिक्षा के अन्य विशिष्ट केन्द्र थे।[15] ब्राह्मणों की सभाएं अथवा परिषदें भी शिक्षार्जन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करती थीं।[16]

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन काल की शिक्षा में धन का कोई महत्व नहीं था, धन को स्वीकारना निन्दनीय तथा निषिद्ध था। शिक्षा एक पुनीत कार्य के समान थी और उसकी सहायतार्थ सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का स्वेच्छापूर्वक सहयोग प्राप्त होता था। उस समय शिक्षा एक प्रतीति (विश्वास) थी और इस प्रतीति ने धन के विना आश्चर्यजनक कार्य किये। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार और सम्पूर्ण समाज कर्तव्यानुसार इसकी प्रगति के लिए सहयोग देता था। भारतीय शिक्षा की यह पद्धति वैदिक युग से उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक रही।[17] इस प्रकार देश में शिक्षा सर्वत्र व्यापक व स्वतंत्र थी और समाज को शिक्षित बनाने व ज्ञान के भंडार को समृद्ध करने के लिए एक सुन्दर व्यावहारिक कार्य-प्रणाली थी।

15- माधवी मिश्र, "उत्तर प्रदेश में शिक्षा", लखनऊ, मनोहर प्रकाशन, 1972, पृष्ठ-3

16- रिपोर्ट आफ दि यूनिवर्सिटी इजुकेशन. कमीशन 1948, नयी दिल्ली, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया, मिनिस्ट्री आफ इजूकेशन, पृष्ठ-7

17- गीता देवी, "उत्तर भारत में शिक्षा-व्यवस्था", इलाहाबाद, इन्डियन प्रेस (पब्लिकेशन) प्रा0 लि0, 1980

मध्यकालीन शिक्षा में वित्त की अवहेलना -

ईसा की आठवीं शताब्दी में भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने लगे थे। प्रारम्भ में इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत की धन-दौलत लूटना था। लगभग चार सौ वर्षो तक लूट के लिए आक्रमण होते रहे। इस अवधि में इन आक्रमणकारियों ने देखा कि भारत के लोग मूर्ति-पूजक हैं, अन्ध-विश्वासी हैं, इनका समाज विघटित है, राजाओं में आपसी खींचतान है, अतः इन पर सरलता से कब्जा किया जा सकता है और शासन किया जा सकता है। बारहवीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद गौरी ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया और वह भारत में पहला मुस्लिम शासक बना। मुहम्मद गौरी से लेकर मुगल साम्राज्य के अन्तिम शासक बहादुरशाह जफर तक, जिससे अंग्रेजों ने सत्ता छीनी, अर्थात् लगभग 550 वर्षो तक भारत के विभिन्न भागों पर प्रायः मुसलमानों का शासन रहा।

मुसलमान आक्रमणकारियों ने तत्कालीन शिक्षा-केन्द्रों को नष्ट किया, क्योंकि इनके स्वाभाव में धार्मिक कट्टरता थी, उग्रता थी और था वहशीपन। उन्होंने अपने हम्माम {स्नानघर} में पानी गरम करने के लिए भारत के विशाल पुस्तकालयों की तमाम दुर्लभ पुस्तकें जला दीं, खुलकर हिन्दू-शिक्षा-केन्द्रों को लूटा और विद्वानों को मार डाला। फलस्वरूप मध्यकालीन भारत में संस्कृत-शिक्षा एक प्रकार से समाप्त हो गयी और जो थोड़ी-बहुत शेष रही, वह अत्यन्त निष्फल थी। हिन्दू व मुस्लिम दोनों प्रकार की शिक्षा को समान संरक्षण देने वाले मुसलमान शासक बहुत बाद में सिंहासनारूढ़ हुए, लेकिन वह अनेक नहीं थे। इस प्रकार हिन्दू-शिक्षा का वर्चस्व जाता रहा, परन्तु मुस्लिम-शिक्षा उसका स्थान न ले सकी।

मध्यकालीन भारत में शिक्षा एक सामाजिक व राजकीय कर्तव्य नहीं मानी जाती थी, बल्कि धर्म की दासी व व्यक्तिगत और पारिवारिक विषय समझी जाती थी। मोरलैन्ड[18] के अनुसार "मैं भारत में लोक-सम्मत शिक्षा-पद्वति का कोई चिहून

18- डब्ल्यू0एच0 मोरलैन्ड, "इन्डिया एट दि डेथ आफ अकबर", लन्दन, मैकमिलन एन्ड कम्पनी, 1920, पृष्ठ-263

नहीं पा सका तथा इस काल में संस्थापित उपयोगी आधारों व धर्मस्वों की सूची के रूप में कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ रहा।"

शिक्षा के लोक सम्मत माध्यम के अभाव में सार्वजनिक शिक्षा कठिन हो गयी। शिक्षा देना व शिक्षा पाना धार्मिक कृत्य समझा जाता था। इनकी धर्म-पुस्तक "अलकुरान" का नामकरण ही अरबी भाषा के एक शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ है "पढ़ना" अर्थात् जो इस्लाम के अनुयायियों को पढ़ना सीखने का अर्थतः आदेश देती है। एन0एन0 ला[19], एस0एम0 जफर[20], एफ0 ई0 के[21], तथा ए0 वहीद[22] आदि विद्वानों, जिन्होंने मुस्लिम भारत तथा उसकी शिक्षा पर पुस्तकें लिखी हैं, के विचार हैं कि प्रायः धार्मिक स्थल ही शिक्षा के केन्द्र थे।

मुस्लिम शिक्षा की मांग मुख्य रूप से उस छोटे जन-समूह तक सीमित थी, जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। प्राचीन हिन्दू-शिक्षा की भाँति मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा भी दो स्तरों में दी जाती थी- प्राथमिक (मकतब) और उच्च शिक्षा (मदरसा)। उत्तर प्रदेश में अवध प्रान्त में गोपामऊ एवं खैराबाद, जौनपुर, आगरा, लखनऊ, फिरोजाबाद आदि प्रमुख शिक्षा-केन्द्र थे, जहाँ भारत के प्रत्येक भाग से ही नहीं अपितु अफगानिस्तान तथा बुखारा से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे।

19- एन0एन0 ला, "प्रमोशन आफ लर्निंग इन इन्डिया ड्यूरिंग मोहम्मडन रूल", लन्दन, लांगमैन ग्रीन एन्ड कम्पनी, 1916

20- एस0एम0 जफर, "इजूकेशन इन मुस्लिम इन्डिया" (1000-1800ए0डी0) पेशावर सिटी, मोहम्मद शदीक्यू खान, क्स्सिा खानी, 1936

21- एफ0ई0 के, "एन्शियन्ट इन्डियन एजूकेशन, ओरीजिन, डेवलपमेन्ट एन्ड आइडियल्स", दिल्ली, कारमो पब्लिकेशन, 1980

22- ए0 वहीद, "दि इवालूशन आफ मुस्लिम इजूकेशन," पेशावर, इस्लामिया कालेज

वित्तीय-व्यवस्था -

मध्यकालीन भारत में शिक्षा के लिए आय के स्रोत निम्नांकित थे-

§1§ राज्य

§2§ व्यक्तिगत दानशीलता

§3§ धर्मस्व

§4§ उपहार और दान

§5§ शिक्षा-शुल्क

राज्य का शिक्षा को सहायता देना राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। इस काल में शिक्षा को कभी सहायता मिली, कभी बाधा पड़ी। "ला"[23] ने लिखा है कि "बादशाह की रुचि तत्कालीन साहित्यिक वातावरण का स्थित-मान थी।"

राजकीय सहायता के अलावा अमीर व कुलीन वर्ग भी यथाशक्ति शिक्षा के प्रोत्साहन देते थे। जनसाधारण धार्मिक भावना से प्रेरित होकर थोड़ा-बहुत मसजिदों और मकतबों को दान देते थे। मदरसों और मकतबों के रक्षण व प्रसिद्ध विद्वानों के जीवन-यापन हेतु मुस्लिम सम्राटों और अमीरों ने धर्मस्व लगाये और जागीरें प्रदान की। शिक्षा के लिए जनसाधारण का सहयोग उपहारों और दानों के रूप में प्राप्त होता था। इस्लाम धर्म में "जकात" और "उश्र" जैसे धार्मिक करों की व्यवस्था थी। जकात कुल सम्पत्ति का चालीसवाँ भाग और उश्र दसवाँ भाग होता था, जो खैरात में बाँट दिया जाता था। कुरान के अनुसार शिक्षक, शिक्षण के लिए शुल्क मांग व ले सकता था। इस शुल्क को लेने की नैतिकता मुस्लिम धर्म-शास्त्रियों में विवाद का विषय थी, धार्मिक लोग ईश्वर के नाम पर मुफ्त शिक्षण के पक्ष में थे, पर व्यावहारिक जीवन में यह आदर्श त्याग दिया गया था। ए० मिश्र[24] का कथन है कि "मध्यकालीन भारत में शिक्षा-वित्त का मुख्य स्रोत धर्मस्व तथा संलग्न जागीरें थीं। अभिभावक अपने पुत्रों की सफलतापूर्वक शिक्षा की समाप्ति पर "हैदया-ई, उस्ताद" भेंट करते थे।

23- एन०एन०ला, "प्रमोशन आफ लर्निंग इन इन्डिया ड्यूरिंग मुहम्मडन रूल", लन्दन, लागमैन्स ग्रीन एन्ड कम्पनी, 1916, पृष्ठ-54

24- आत्मानन्द मिश्र, "इजूकेशन एण्ड फाइनेन्स" ग्वालियर, कैलाश पुस्तक सदन, 1967

व्यय की मदें -

(1) शिक्षकों का वेतन

(2) छात्रों का सम्भरण

(3) छात्रवृत्तियाँ

(4) लेखन-कार्य

(5) पाण्डुलिपि -क्रय

(6) भवन

शिक्षकों को उनके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन दिया जाता था। शिक्षक मस्जिद में इमाम का भी काम करता था, जिसके लिए उसे मस्जिद से वेतन मिलता था। आवासिक मदरसों में छात्रों के भोजन-निवास के लिए मुफ्त इन्तजाम होता था। इसका खर्च दान, कोष और जागीरों से प्राप्त होता था। गरीब किन्तु योग्य छात्रों को राज्य या अमीरों से छात्र-वृत्तियाँ मिलतीं थीं। मध्यकालीन भारत में पाण्डुलिपियों की प्रतियाँ तैयार करने का बड़ा रिवाज था। इन कार्यो के लिए सुलेखक और चित्रकार नियुक्त होते थे, जिन्हें अच्छा-खासा वेतन दिया जाता था। अरबी, फारसी की पाण्डुलिपियाँ पशिचम-मुस्लिम देशों में प्राप्त थीं, अतएव वहाँ से मंगायी जाती थीं और बहुत अधिक धन व्यय किया जाता था। मखतबों, मदरसों और मसजिदों की इमारतें बादशाह, अमीरों, या जनता द्वारा बनवा दी जाती थीं।

इस प्रकार उपरोक्त प्रथम चार मद आवर्ती व्यय के थे और अन्तिम दो अनावर्ती व्यय के। राज्य तथा धनाढ्यों की उदारता तथा जन-साधारण की धार्मिक भावना से शिक्षा का व्यय पूरा हो जाता था, किन्तु यह सब आय के स्रोत यत्रतत्रिक और अस्थायी थे। केवल विद्यार्थियों से शुल्क, जिसकी मात्रा अनिश्चित थी और धर्मस्व ही इस युग के अपेक्षाकृत स्थायी स्रोत कहे जा सकते हैं ।

मध्यकालीन शिक्षा के वित्त-प्रबन्धन ने अपने पूर्ववर्ती युग की तुलना में शिक्षा के निमित्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने या उपलब्ध साधनों के प्रबन्धन

के तरीकों में किसी प्रकार का विकास प्रदर्शित नहीं किया। इस काल में कोई नया साधन उपलब्ध नहीं है। हिन्दू शैक्षणिक संस्थाओं की वित्तीय पद्धति अस्त-व्यस्त हो गयी थी। मध्य युग में पुरानी स्थापित शैक्षिक पद्धति राजकीय सहायता के अभाव में क्षीण होती रही।

इस प्रकार मध्य युग में भी वित्त का कोई विशेष महत्व नहीं रहा।

ब्रिटिश काल में माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था -

यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना केवल व्यापार के लिए हुई थी, तथापि भारत की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था तथा अन्य प्रतिद्वन्दी यूरोपीय कम्पनियों के कारण विशेषतया पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करने के लिए उसे अपनी प्रारम्भिक नीति कुछ सीमा तक धार्मिक भी रखनी पड़ी। सन् 1698 ई0 के आज्ञा-पत्र का पालन करने के लिये कम्पनी ने सन् 1715 में मद्रास में, सन् 1718 ई0 में बम्बई में तथा सन् 1731 में कलकत्ता में स्कूल खोले। इनका उद्देश्य अंग्रेज सिपाहियों, एंग्लोइन्डियन बच्चों तथा अन्य निर्धन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा ईसाई धर्म की शिक्षा देना था। उन स्कूलों का व्यय चन्दे, दान तथा कम्पनी के अनुदान से चलता था, इसके वावजूद भी कम्पनी ने कोई शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लिया था। 18वीं सदी के अन्त तक कम्पनी ने अपनी धार्मिक नीतियों में परिवर्तन करके मिशनरियों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये। अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कम्पनी ने सन् 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज तथा मद्रास में सन् 1818 में फोर्ट जार्ज कालेज भी खोले।

सन् 1780 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय न्यायालयों में अंग्रेजी कानून के स्थान पर भारतीय कानून लागू कर दिया, जिसकी व्याख्या करने के लिए मुसलमान मौलवियों तथा हिन्दू पंडितों की आवश्यकता थी। अतः वारेन हेस्टिंग्ज ने व्यक्तिगत प्रयत्नों

द्वारा सन् 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुसलमानों की संतानों को राज्य में उत्तरदायी तथा लाभदायक पदों के लिए योग्य बनाना था, जो उस समय अधिकांशतः एकमात्र हिन्दुओं के अधिकार में था। जोनाथन डंकन ने 1791 में हिन्दुओं के लिए बनारस में संस्कृत कालेज की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की भाँति ही इसका उद्देश्य हिन्दुओं को कानून की शिक्षा देकर उन्हें जजों के लिए सलाहकार या सहायक जज के रूप में तैयार करना था। साथ ही साथ संस्कृत साहित्य का संरक्षण, हिन्दू-धर्म एवं धर्म-शास्त्रों तथा सिद्धान्तों की रक्षा एवं विकास करना भी था।[25] प्रारम्भ में इस कालेज को 14,000 रू0 का वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया गया। 1792 में इस अनुदान-राशि को बढ़ाकर 20,000 रू0 वार्षिक कर दिया गया।

1813 में एक अत्यन्त अर्थपूर्ण परिवर्तन हुआ, जब भारत के लिए एक केन्द्रीय सरकार बनी और कम्पनी देश में प्रशासिका शक्ति बन गयी। फलस्वरूप 1813 के आज्ञापत्र में 43वीं अग्रांकित धारा को जोड़कर भारत में शिक्षा-प्रसार का उत्तर-दायित्व कम्पनी के ऊपर रक्खा गया -

"साहित्य के पुनरूद्धार और समुन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन एवं ब्रिटिश भारत के निवासियों में विज्ञान की शिक्षा तथा उन्नति के लिए, एक निश्चित धन, जो एक लाख रूपये से कभी भी कम न होगा, प्रति वर्ष व्यय किया जायेगा।[26]

इस आदेश के अनुसार, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने कम्पनी को यह मानने के लिए वाध्य किया कि शिक्षा का सरकारी राजस्व पर अधिकार है। शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था के लिये वैधानिक उपायों से राजकीय राजस्व का विनियो-जन अंग्रेजी शासन - काल की महान् उपलब्धि थी। पहले समय

25- निकोलस, स्केच आफ दि राइज एन्ड प्रोग्रेस आफ दि बनारस संस्कृत पाठशाला, 1848, इलाहाबाद 1907, पृ0-1

26- ईस्ट इन्डिया कम्पनी चार्टर एक्ट आफ 1813, सेक्सन 43, पृष्ठ-22 हेनरी शार्प

में शिक्षा के प्रति राज्य की ओर से वित्तीय सहायता उसके शासक पर निर्भर करती थी, लेकिन अब चाहे कोई भी शासक हो, सरकार की ओर से शिक्षा के लिए निधि का आबंटन अनिवार्य हो गया। किन्तु अगले दो दशकों में कम्पनी ने शिक्षा-विस्तार की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और ब्रिटिश राज्य स्थापित करने के लिए देशी राजाओं से युद्ध और संधि करती रही। अतएव 1813 से 1830 तक शिक्षा पर कुल 36·35 लाख रूपये ही खर्च हो पाया।

सारिणी - 3·1

1813 से 1830 के मध्य कम्पनी का विभिन्न प्रान्तों में शिक्षा-योजना पर खर्च

§रूपयों में§

क्रमांक	वर्ष	बंगाल प्रान्त	मद्रास प्रान्त	बम्बई प्रान्त	कुल खर्च
1-	1813	42070	4800	4420	51290
2-	1814	116060	4803	4990	125850
3-	1815	44050	4800	5370	54120
4-	1816	51460	4800	5780	62040
5-	1817	51770	4800	7950	64520
6-	1818	52110	4800	6300	63210
7-	1819	71910	4800	12700	89410
8-	1820	58070	4800	14010	76880
9-	1821	68820	4800	5940	79560
10-	1822	90810	4800	5940	101550
11-	1823	61340	4800	5940	72080
12-	1824	199700	4800	14340	218840
13-	1825	571220	4800	89610	665630
14-	1826	216230	4800	53090	274120
15-	1827	300770	21400	130960	453130

सारिणी - 3.1 क्रमशः -------

16-	1828	227970	29800	100640	358410
17-	1829	246630	36140	97990	380760
18-	1830	287480	29460	126360	443300

स्रोत- सूर एन्ड दुबे, "भारतीय शिक्षा का इतिहास", इलाहाबाद, किताब महल, पृ0-76

उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 3.1 से स्पष्ट है कि इन अठारह वर्षों के अन्दर नौ वर्ष तक तो एक लाख रुपया प्रतिवर्ष भी शिक्षा योजनाओं पर खर्च न किया जा सका,किन्तु1824 के उदार अधिनियम के फलस्वरूप इस वर्ष से व्यय बढ़ गया। यह सारिणी यह भी स्पष्ट कर रही है कि बंगाल प्रान्त ने शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया, तत्पश्चात् बम्बई प्रान्त ने। मद्रास प्रान्त शैक्षिक विकास में सबसे पिछड़ा रहा।

प्रारम्भ में मिशनरियों और कम्पनी ने अंग्रेजी के माध्यमिक विद्यालय खोले। सन् 1854 के वुड के घोषणा-पत्र ने इन्हें सुसंगठित कर के शिक्षा-विभाग के नियंत्रण में कर दिया। इस घोषणा-पत्र के बाद ही श्रेणीबद्ध विद्यालयों की प्रणाली का विकास हुआ। यह उच्चतर माध्यमिक तथा निम्न वर्ग के विद्यालय थे। पहले दो प्रकार के विद्यालय माध्यमिक विद्यालय कहलाते थे। यह मध्यमिक विद्यालय या तो सरकार द्वारा संचालित किये जाते थे, जो पूरा व्यय देती थी अथवा निजी निकायों द्वारा संचालित होते थे, जिन्हें सरकार से सहायक अनुदान मिलता था। निजी विद्यालयों का शुल्क पड़ोस के सरकारी विद्यालय से अधिक नहीं हो सकता था।

सन् 1882 में हंटर आयोग (भारतीय शिक्षा आयोग) ने अभिशंसा की कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्ध से सरकार को धीरे-धीरे हट जाना चाहिए, लेकिन बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में लार्ड कर्जन ने माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल दिया और प्रत्येक जिले में एक मानक राजकीय विद्यालय खुलवाया। प्रान्तों में द्वैधशासन के हो जाने पर माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हुआ और सह-शिक्षा की समस्या प्रकट हुई, क्योंकि

इन विद्यालयों में छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी। हर्टींग-समिति ने स्नातकों के लाभदायक कार्यो के लिए शिक्षा के विभाजन की अभिशंसा की और एबाट वुड-समिति की अभिशंसा ने व्यावसायिक, तकनीकी, व्यापारिक और कृषि हाई स्कूल खोलने की आवश्यकता बतलायी, जिनकी संख्या में विश्वयुद्ध की आवश्यकताओं के कारण कुछ वृद्धि हुई। माध्यमिक विद्यालयों के तीन प्रकार के प्रबन्ध थे-

§1§ शासकीय

§2§ स्थानीय निकाय

§3§ निजी

अग्रांकित सारिणी में भारत में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय दर्शाया गया है-

सारिणी - 3·2

भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय 1870-71 से 1946-47 तक

§लाख रूपयों में§

क्रमांक	वर्ष	माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1870-71	43·85	1	--	100
2-	1880-81	48·06	1·1	0·96	110
3-	1886-87	80·95	1·8	11·41	185
4-	1896-97	114·52	2·6	4·15	261
5-	1906-07	150·88	3·4	3·17	344
6-	1916-17	319·29	7·3	11·16	730
7-	1926-27	661·94	15·1	10·73	1510

सारिणी - 3·2 क्रमशः ------

8-	1936-37	881·47	20·1	3·32	2010
9-	1946-47	1192·62	27·2	3·53	2720

स्रोत- आत्मानन्द मिश्र, "इजूकेशनल फाइनेन्स इन इन्डिया", बाम्बे, ऐशिया पब्लिशिंग हाउस, 1962, पृष्ठ-460

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट हो रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व 1870-71 से लेकर 1946-47 तक भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय में लगातार वृद्धि होती रही। सन् 1870-71 में यह व्यय 43 लाख 85 हजार था, जो 1946-47 में 76 वर्षों के पश्चात् बढ़कर 1192 लाख 62 हजार हो गया। व्यय में यह वृद्धि27·2 गुना रही। इस समयान्तराल में व्यय में सबसे अधिक वृद्धि 1906-07 से 1916-17 के बीच तथा 1916-17 से 1926-27 के बीच रही। इन दोनों दशकों के अन्तराल में व्यय दो गुना से भी अधिक था। सबसे कम व्यय में वृद्धि 1870-71 से 1880-81 के मध्य थी।

सारिणी 3·2 यह भी प्रकट करती है कि औसत वार्षिक वृद्धि-दर सवसे अधिक 1906-07 से 1916-17 के दशक में रही। इन दस वर्षों में औसत वार्षिक वृदि-दर 11·16 प्रतिशत थी। 1880-81 से 1886-87 के इन6वर्षों के अन्तराल में यह दर 11·41 थी। सबसे कम व्यय की वार्षिक वृद्धिदर मात्र 0·96 प्रतिशत सन् 1870-71 से 1880-81 के दशक में थी। 1936वीं दशक में भी व्यय में अधिक वृदि नहीं हो पायी।

सारिणी - 3.3

भारत में माध्यमिक शिक्षा पर स्रोतवार प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत

1901-02 से 1946-47

(लाख रूपयों में)

क्रमांक वर्ष	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत				
		राजकीय निधि	जिला बोर्डनिधि	स्थानीय निकायनिधि	शुल्क	अन्य स्रोत
1- 1901-02	79·73	15·0	2·4	2·9	55·3	24·4
2- 1906-07	94·01	20·2	2·8	2·3	55·7	19·0
3- 1911-12	132·89	22·5	0·3	1·9	57·4	17·9
4- 1916-17	211·31	23·9	0·5	1·7	59·8	14·1
5- 1921-22	320·95	34·2	1·1	1·2	47·1	16·4
6- 1926-27	438·03	33·3	1·4	1·5	47·9	15·9
7- 1931-32	523·10	32·4	2·3	1·6	49·2	14·5
8- 1936-37	594·24	30·4	2·9	2·0	51·5	13·2
9- 1941-42	650·09	27·7	1·8	1·6	57·6	11·3
10-1946-47	891·96	25·5	→ 4·0 ←		56·0	14·5

स्रोत- "दि फोर्थ इन्डियन ईयर बुक आफ इजूकेशन सेकन्डरी इजूकेशन", नयी दिल्ली, एन0सी0ई0आर0टी0, 1973, पृष्ठ-49।

सारिणी क्रमांक 3·3 द्वारा स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के पूर्व भारत में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का सबसे अधिक भाग शुल्क से प्राप्त होता था तथा दूसरा स्थान राजकीय सहायता से प्राप्त होने वाली धनराशि का रहा है, इसके बाद अन्य स्रोतों से प्रप्त होने वाली आय का है। 1901-02 से 1916-17 तक शुल्क से प्राप्त होने वाला प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा है। 1901-02 में शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि

का प्रतिशत 55·3 था, जो 1916-17 में बढ़कर 59·8 हो गया। तत्पश्चात् 1921-22 में एकायक घटकर 47·1 प्रतिशत रह गया। इसके बाद यह लगातार बढ़ता रहा और 1941-42 में 57·6 प्रतिशत हो गया, तत्पश्चात् पुनः 1946-47 में 56·0 प्रतिशत तक रह गया। शुल्क से अतिरिक्त व्यय का अन्य भाग राजकीय निधि द्वारा पूरा होता था, जिसमें 1901-02 से 1921-22 तक वृद्वि हुई है, यह 1901-02 में 15·0 प्रतिशत था, जो 1921-22 में बढ़कर 34·2 प्रतिशत हो गया। लेकिन इसके बाद लगातार इस व्यय में कमी होती गयी तथा 1946-47 में यह 25·5 प्रतिशत ही रह गया। राजकीय निधि में सबसे अधिक व्यय 1916-17 से 1921-22 में बढ़ा है। इन पाँच वर्षों में यह 23·9 प्रतिशत से 34·2 प्रतिशत हो गया। अन्य स्रोतों द्वारा किए जाने वाले व्यय में 1901-02 से 1946-47 के 45 वर्षो में काफी कमी आयी है। 1901-02 में 24·4 प्रतिशत था, जो 1946-47 में 14·5 प्रतिशत ही रह गया। इसी प्रकार जिला बोर्ड तथा स्थानीय निकायों से 1901-02 में कुल व्यय का 5·1 प्रतिशत वहन किया जाता था, जो 1921-22 में 2·3 प्रतिशत ही रह गया। लेकिन इसके वाद इसका अच्छा योगदान रहा तथा 1946-47 में कुल व्यय का 4·0 प्रतिशत इन निकायों द्वारा वहन किया गया।

देश की आर्थिक दशा और शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ब्रिटिश शासन ने भारत के खनिज और औद्योगिक संस्थानों का दोहन करने का प्रयास किया। कृषि-उत्पादन के उन्नत करने के तरीकों को प्रोत्साहित नहीं किया और घरेलू लघु उद्योगों को बढ़ाने में रुचि नहीं दिखलायी, इसके फलस्वरुप लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठ पाया। बढ़ती हुई जनसंख्या खेती पर ही निर्भर रही, जिससे लोगों में गरीबी बढ़ गयी और जन-साधारण की शिक्षा के विस्तार में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गयीं। शासन की वित्तीय नीति भी इसके लिये सहायक न हो सकी। वित्तीय व्यवस्था केन्द्रीभूत थी तथा अपव्ययी थी। उसके कर लगाने की रीतियाँ रुढ़िवादी और कल्पनातीत थीं, जिससे उसके वित्तीय साधन बहुत कम हो गये। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं जैसे - अकाल तथा महामारी ने भी आर्थिक स्थिति जर्जर कर दी थी, अतएव कम्पनी के पास शिक्षा

के लिए आवंटित करने को धनाभाव ही रहा। इन परिस्थितियों के बाद भी कम्पनी द्वारा शिक्षा में 1813 में 51,290 रु0 खर्च किए गये। 1823 में यही धनराशि बढ़कर 4,43,300 रु0 हो गयी, 1833 में 10 लाख तथा 1857 में बढ़कर 21 लाख रुपये हो गयी। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-हेतु 1887 में प्रथम बार प्रशिक्षण-विद्यालय खोले गये। इन प्रशिक्षणों का 1901-02 में व्यय 87,000 रु0, 1921-22 में 9,80,000 रु0 तथा 1946-47 में 22,00,000 रु0 था। माध्यमिक शिक्षा-हेतु शिक्षा की धनराशि से जो आवंटन किया गया, वह संतोष-प्रद था।

प्रथम विश्व-युद्ध के वाद देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत सरकार के सन् 1919 के एक्ट से प्रान्तों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। इससे प्रान्तीय विधान सभाएँ बनीं, जिनमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत था। शिक्षा-विभाग का नियंत्रण भारतीय मंत्रियों को हस्तान्तरित कर दिया गया, किन्तु वित्त गवर्नर के पास संरक्षित विषय बना रहा, जिससे शिक्षा-प्रसार पर व्यय करने में रोक लगी रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात शैक्षिक सेवाओं का भारतीयकरण था। अभी तक इस सेवा में अंग्रेजों का अधिकार था, किन्तु 1919 से आधे पद भारतीयों को देने की व्यवस्था की गयी और धीरे-धीरे उस सेवा में सभी अंग्रेजों को निकाल देने का प्राविधान किया गया, जो सन् 1937 में पूरा हुआ। सन् 1935 के भारत सरकार के एक्ट ने वित्त- विभाग भी भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया, जिससे वे इच्छानुसार शिक्षा पर व्यय करने में समर्थ हुए। सन् 1938 में आठ प्रान्तों में राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिपद ग्रहण किये और शिक्षा प्रचार-प्रसार में बहुत उत्साह आया, किन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हो जाने से कांग्रेस-मंत्रियों ने पद त्याग दिया और शिक्षा-प्रयासों की गति मंद हो गयी।

इस प्रकार ब्रिटिश-काल में माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था में आय के निम्न साधन थे-

(1) राज्य के राजस्व

(2) शुल्क

§3§ कर

§4§ स्थानीय निकाय

§5§ अन्य

व्यय की मुख्य मदें निम्न थीं -

समाज की अर्थ-व्यवस्था और शिक्षा की संकल्पना में परिवर्तन होने के कारण व्यय की मदों में भी परिवर्तन हो गया और शिक्षा-संस्थाओं को तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया -

§1§ प्राथमिक

§2§ माध्यमिक

§3§ उच्च

ब्रिटिश काल की शिक्षा-व्यवस्था पर हावेल ने लिखा है कि[27] -

"ब्रिटिश शासन-काल में भारतीय शिक्षा पहले उपेक्षित रही, फिर उसका उग्र तथा सफल विरोध किया गया, बाद में उसका संचालन उस प्रणाली पर किया गया, जिसकी भ्रामकता अव निर्विवाद रूप से स्वीकृत है और अन्त में उसे उसके वर्तमान आस्पद पर स्थापित किया गया।"

शिक्षा-वित्त के विभिन्न स्रोतों का विकास -

आधुनिक काल में सभी संगठनों को चलाने के लिए धन अपरिहार्य है। शैक्षिक गतिविधयों के संचालन के लिए भी वह आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है, अतएव शिक्षा के लिए धन एकत्र किया जाता है। इसके लिए जो आर्थिक प्राप्तियाँ होती हैं, वह आय कहलाती हैं। स्रोत का तात्पर्य उस आधार या साधन से है, जिससे धन वरावर मिलता रहता है। अतएव आय के स्रोत वे साधन या अभिकरण हैं, जिनसे

27- ए0पी0 हावेल, "भारत में शिक्षा", कलकत्ता गवर्नमेन्ट प्रेस, 1860

शिक्षा को बराबर आर्थिक प्राप्तियाँ होती रहती हैं।

भारतीय शिक्षा के वित्त-प्रबन्धन में आय की प्राप्ति अनेक स्रोतों से होती है। यह स्रोत स्थूल रूप से दो शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जा सकते हैं -

§1§ सार्वजनिक स्रोत

§2§ निजी या व्यक्तिगत स्रोत

§1§ **सार्वजनिक स्रोत** -

इस स्रोत के अन्तर्गत शासन के विविध स्तर आते हैं, जिनका वर्गीकरण अग्रांकित रूपों में किया जा सकता है -

§क§ **शासकीय** -

§1§ केन्द्रीय निधि

§2§ राज्य-निधि

केन्द्र और राज्य सरकारों से जो अनुदान मिलती है, उसे शासकीय निधि कहते हैं। केन्द्र प्रायः राज्यों को धन देता है और राज्य इसे अपनी निधि में मिलाकर खर्च करते हैं, अतएव यह कभी-कभी राज्य-निधि के रूप में ही दर्शाया जाता है।

§ख§ **स्थानीय निकाय** -

§1§ म्यूनिसिपल निधि

§2§ जिला बोर्ड निधि या जिला परिषद् या ग्राम-सभा-निधि

यह स्वायत्तशासी संस्थाएँ होती हैं और जिस स्थान पर स्थापित होती हैं, उसी क्षेत्र की शिक्षा के लिए धन देती हैं। म्यूनिसिपैलिटी शहरी क्षेत्रों के लिए और जिला बोर्ड, जिला परिषद् या ग्राम पंचायत ग्रामीण शिक्षा-व्यवस्था में योगदान करती हैं।

§ग§ **शैक्षिक कर** -

यह जनता पर शिक्षा के लिए लगाया गया कर होता है, जिसका पूरा या आंशिक भाग शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इसे कोई भी सरकारी अभिकरण लगा सकता है, किन्तु प्रायः यह स्थानीय संस्थाओं द्वारा ही लगाया जाता है। इसका विवरण अलग से नहीं दिया जाता, वरन् म्यूनिसिपल निधि या जिला बोर्ड निधि में ही सम्मिलित रहता है।

§घ§ **विदेशी सहायता** -

यह सहायता सभ्य देशों या राष्ट्र संघ के अभिकरणों जैसे- यूनेस्को, कोलम्बो प्लान आदि से सामग्री और विशेषज्ञों के रूप में प्राप्त होती है। इसे राज्य सीधे नहीं ले सकते। यह केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्राप्त होती है और प्रायः धन के रूप में नहीं होती है। अन्तिम दो स्रोत शैक्षिक कर और विदेशी सहायता की आय अलग से नहीं दर्शायी जाती, वरन् ये स्थानीय निकायों और केन्द्रीय सहायता के रूप में रहती हैं, अतएव सार्वजनिक स्रोत में केवल दो ही स्रोतों, शासकीय तथा स्थानीय निकायों की आय सम्मिलित रहती है।

§2§ **निजी स्रोत** -

इसके अन्तर्गत समुदाय तथा छात्रों से होने वाली आय ही आती है। इसका वर्गीकरण अग्रांकित है -

§क§ **शुल्क** -

विद्यालय से प्राप्त होने वाले शिक्षण तथा अन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में छात्र उसे कुछ धन प्रतिमाह देते हैं, जो शुल्क या फीस कहलाता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-शुल्क माफ है। उत्तर प्रदेश शासन ने मार्च 1989 में कक्षा 8 तक का शिक्षण-शुल्क माफ कर दिया है। शुल्क-मुक्ति की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा विद्यालय को दी जाती

है, वह भी शुल्क-आय में ही आती है, परन्तु दूसरों को एकत्र किये जाने वाले शुल्क, जैसे-शिक्षा-मंडल या विश्वविद्यालय की परीक्षा के शुल्क, पंजीयन या नामांकन-शुल्क आदि, जो उन्हें हस्तान्तरित कर दिए जाते हैं, इस स्रोत के अन्तर्गत नहीं आते।

§ख§ **धर्मादा** -

यह उस धनराशि का निर्देश करता है, जिसका मूल धन अक्षुण्ण रखना होता है और केवल उसकी आमदनी या ब्याज को ही प्रयोग में लाया जा सकता है। बहुत से धनाढ्य लोग ट्रस्ट स्थापित कर देते हैं, जिसकी आय शिक्षा में लगा दी जाती है। कुछ विद्यालयों में एक अक्षय निधि जमा करायी जाती है, जिसके ब्याज को शिक्षा पर खर्च किया जाता है। इसके मूल धन को निकालने के लिए शिक्षाधिकारियों की अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है।

§ग§ **अन्य स्रोत** -

उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त शिक्षा की जो आय होती है, वह अन्य स्रोतों के अन्तर्गत आती है। दान, उपहार, पुरष्कार, चन्दा, जुर्माना, विक्रय, आमदनी, किराया, ब्याज, ऋण तथा अन्य मदों की प्राप्तियों को "अन्य स्रोत" की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व धर्मादा की आमदनी की भी इसी स्रोत के अन्तर्गत गणना की जाती थी, किन्तु स्वातंत्र्योत्तर काल में धर्मादा का स्रोत अलग कर दिया गया और शेष अन्य स्रोतों को इसमें सम्मिलित रहने दिया गया। इस प्रकार दो प्रमुख सार्वजनिक स्रोत, राज्य तथा स्थानीय निकाय हैं और दो प्रमुख निजी स्रोत, शुल्क और अन्य स्रोत हैं।

§घ§ **बहुस्रोत-प्रणाली** - §मल्टीपिल सिस्टम§

भारतीय शिक्षा के वित्त प्रबन्धन में आय की प्राप्ति अनेक स्रोतों से होती है, अतएव इसे बहुस्रोत-प्रणाली कहते हैं। इसमें सात प्रमुख स्रोत हैं- चार सार्वजनिक और तीन व्यक्तिगत। इन स्रोतों से थोड़ा-थोड़ा करके बहुत धन इकट्ठा हो जाता है

और एक स्रोत की कमी को अन्य स्रोत प्रायः पूरा कर देते हैं। इसमें शिक्षा-वित्त बढ़ाने में प्रयास अनेक स्तरों और क्षेत्रों में करना संभव होता है। संकटकाल में यदि राज्य शासन अपना अनुपात पूरा करने में असमर्थ होता है तो केन्द्र, स्थानीय निकाय या समुदाय अधिक सहायता करके उसकी पूर्ति कर देते हैं। जनता की मुट्ठी बंद होने पर शासकीय निधि से अधिक धन प्राप्त हो जाता है। आय के अनेक स्रोत होने के कारण उनके बीच की इस आपसी व्यवस्था से शिक्षा-प्रगति में वाधा नहीं पड़ती और शिक्षा का कार्य अबाध रूप से चलता रहता है। बहु-स्रोत-प्रणाली होने का यह लाभ भारतीय शिक्षा-वित्त की विशेषता है।

व्यय के विभिन्न मद -

व्यय से अभिप्राय विद्यालयों द्वारा या उनके लिए वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले वित्तीय प्रभारों या भुगतानों से है। साधारणतः इसका अभिप्राय चालू वर्ष के प्रभारों से होता है तथा उसमें गतवर्ष की सेवाओं हेतु किये गये भुगतान तथा भविष्य में की जाने वाली सेवाओं के लिए अग्रिम अदायगी सम्मिलित नहीं होती है। व्यय की पूर्ण धनराशि, प्राप्तियों की पूर्ण धनराशि के बराबर हो सकती है और नहीं भी। यदि प्राप्तियाँ व्यय से अधिक हैं तो अन्तर-बचत कहलाता है, परन्तु यदि प्राप्तियाँ व्यय से कम हैं तो अन्तर-घाटा कहलाता है।[28]

भारत में शिक्षा की आय और व्यय का जो विवरण सरकारी रिपोर्ट्स में दिया जाता है, उसमें बचत या घाटा नहीं दर्शाया जाता, वरन् बजट संतुलित होता है, जिसमें शेष या बैलेन्स नहीं रहता है। इसी कारण शिक्षा-आय के आँकड़े वही होते हैं, जो व्यय के होते हैं, अतएव आय और व्यय के पदों को अदल-बदल कर प्रयोग किया जा सकता है, उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता जैसे- शिक्षा-आय के स्रोत अथवा

28- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन", कानपुर ग्रन्थम्, 1976 पृष्ठ-32-33

शिक्षा-व्यय के स्रोत से एक ही तात्पर्य है। भारतीय शिक्षा-वित्त-सांख्यिकी की यह एक विशेषता है।

शिक्षा-व्यय के प्रकार -

शिक्षा-व्यय निम्नांकित दो प्रकार से माना गया है[29]-

(1) प्रत्यक्ष व्यय (डाइरेक्ट इक्सपेन्डीचर)

(2) अप्रत्यक्ष व्यय (इनडाइरेक्ट इक्सपेन्डीचर)

प्रत्यक्ष व्यय -

शिक्षा संस्था को चालू रखने हेतु साक्षात् रूप से किए जाने वाले खर्च को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसमें निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत किये जाने वाले खर्च सम्मिलित हैं -

(अ) वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि (प्रावीडेन्ट फन्ड) यात्रा-भत्ते, पोशाक, तमगे तथा पुरस्कार।

(ब) परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला-कौशल के विषय में लगने वाला कच्चा माल, विज्ञान-विषयों के अध्यापन में प्रयोग होने वाली सम्भरण -सामग्री।

(स) स्काउटिंग, पर्यटन, खेलकूद तथा अन्य सहपाठ्य क्रियाएँ।

(द) फर्नीचर, उपकरण तथा भवनों की मरम्मत।

अप्रत्यक्ष व्यय -

कुछ व्यय ऐसे होते हैं, जिनको ऐसी मदों या कार्यों में खर्च किया जाता है, जिनका विशिष्ट कार्यों से तादात्म्य ठीक-ठीक और सरलता से नहीं किया जा सकता।

29- आत्मानन्द मिश्र, पूर्वोक्त 33-34

इनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि इन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर बाँटना असम्भव होता है। ऐसी मदें अग्रांकित हैं -

§क§ निदेशन तथा निरीक्षण आदि पर किया जाने वाला आवर्ती व्यय।

§ख§ भवनों, उपकरणों और फर्नीचर पर किया जाने वाला अनावर्ती व्यय।

§ग§ छात्र-वृत्तियों, छात्रावासों तथा अन्य विविध मदों पर होने वाला खर्च।

इन पर होने वाला व्यय एक-मुश्त धनराशि के रूप में सभी प्रकार की संस्थाओं को दिया जाता है।

जब कभी हम शिक्षा संस्थाओं के व्यय की चर्चा करते हैं तो हम उनके प्रत्यक्ष व्यय के सन्दर्भ में करते हैं, क्योंकि उनके अप्रत्यक्ष व्यय का प्रत्येक स्तर के विद्यालय का हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होता।

शिक्षा-व्यय की इन दो प्रमुख मदों के अतिरिक्त और कई प्रकार के व्यय इन्हीं मदों के अन्तर्गत किए जाते हैं, जिनके विशिष्ट नाम दिए गये हैं। ये अग्रांकित हैं -

§1§ **फुटकर या विविध व्यय §मिसलेनियस इक्सपेन्डीचर§** -

ऐसा व्यय जो उपरोक्त के किसी मद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, वह प्रकीर्ण, मुन्तफर्रिक, विविध या फुटकर व्यय कहलाता है। जैसे- स्काउटिंग, एन0सी0सी0, मध्याह्न-भोजन, वृक्षारोपण, उत्सव या समारोह के आयोजन आदि पर होने वाला व्यय इस मद में डाल दिया जाता है।

§2§ **नैमित्तिक या आकस्मिकी व्यय §कंटिन्जेन्ट इक्सपेन्डीचर§** -

छोटे-छोटे कार्यों को कराने या छोटी-छोटी वस्तुओं के क्रय पर किया जाने वाला आवर्ती व्यय, जिसका पहले से अनुमान नहीं किया जा सकता और आपाती तौर पर आकस्मिक करना पड़ता है, आकस्मिक या नैमित्तिक व्यय कहलाता है जैसे-

लेखन-सामग्री, तार, बिजली, टेलीफोन, पानी आदि का खर्च, साइकिल या टाइपराइटर की मरम्मत, डाक-खर्च, कुछ समय के लिये रक्खे गये कर्मचारियों आदि का वेतन आदि इसी व्यय के अन्तर्गत आते हैं।

§3§ **योजना व्यय या विकास व्यय §प्लान आर डेवलपमेन्ट इक्सपेन्डीचर§** -

जो खर्च शिक्षा को वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ाने के लिये, नये विद्यालय व कक्षायें खोलने, नये शिक्षक तथा कर्मचारी रखने, नये भवन बनाने, नये उपकरण एवं साज-सज्जा खरीदने के लिये किया जाता है, वह विकास व्यय या योजना व्यय कहलाता है। यह पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाता है। अतएव इसे योजना व्यय भी कहते हैं।

§4§ **गैर योजना या प्रतिबद्ध व्यय§नानप्लान आर कमिटेड इक्सपेन्डीचर§** -

शिक्षा का जो कार्यक्रम विकास योजना के पूर्व से चला आ रहा है, उस पर किया हुआ व्यय प्रतिबद्ध व्यय कहलाता है। एक पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर उसमें जो कुछ भी शिक्षा का विकास होता है, उस पर किया जाने वाला व्यय आगामी योजना के लिए प्रतिवद्ध व्यय हो जाता है। पंचवर्षीय योजना में इस व्यय का प्राविधान नहीं किया जाता, उसकी व्यवस्था राज्य के साधारण बजट में की जाती है। यह व्यय योजना व्यय से इतर या बाहर होता है, अतः इसे गैर योजना व्यय या योजनेतर व्यय §नान प्लान इक्सपेन्डीचर§ कहते हैं।

§5§ **लागत §कास्ट§** -

किसी कार्य के करने या खरीदने में व्यय हुआ वास्तविक धन लागत कहलाता है। किसी संस्था के परिचालन और संरक्षण में जो धन लगता है, उसे पोषण लागत§मेन्टेनेन्स कास्ट§ कहते हैं। उसके भवन, साज-सज्जा, उपकरण आदि पर जो व्यय होता है, उसे पूंजीगत लागत या कैपिटल कास्ट कहते हैं।

§6§ <u>इकाई लागत §यूनिट कास्ट§</u> -

किसी उत्पादन या सेवा की इकाई पर होने वाले व्यय को इकाई लागत या एकक लागत कहते हैं। विद्यालय को चलाने में वार्षिक व्यय जिसकी गणना छात्र को इकाई मानकर की जाती है, छात्र की इकाई लागत कहलाती है। इसे निकालने के लिये विद्यालय के वर्षभर के प्रत्यक्ष व्यय को छात्रों की दर्ज संख्या से भाग दिया जाता है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा- हेतु एक भवन बनाने में जो वास्तविक व्यय होता है, उसे भवन की इकाई लागत कहते हैं। एक विद्यालय को वर्षभर चलाने में जो खर्च होता है, उसे विद्यालय की इकाई लागत कहते हैं।

<u>व्यय का वर्गीकरण</u> -

स्थूल रूप से व्यय को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है -

§1§ आवर्ती व्यय या चालू व्यय §रिकरिंग इक्सपेन्डीचर या करेन्ट इक्सपेन्डीचर§

§2§ अनावर्ती व्यय या पूंजीगत व्यय §नानरिकरिंग इक्सपेन्डीचर या कैपिटल इक्सपेन्डीचर§

§3§ ऋण प्रभार §डेट चार्जेज§

§1§ <u>आवर्ती व्यय</u> -

इसका सम्बन्ध उस व्यय से है, जिसमें विद्यालय के प्रशासन, सामान्य नियंत्रण, उसके ढाँचे की सँक्रिया और संरक्षण, अध्यापकों और कर्मचारी- वर्ग के वेतन सहित शिक्षण-कार्य, पुस्तकालय, शिक्षण-सामग्री तथा चालू वर्ष में सेवायें प्राप्त करने हेतु उठाये गये खर्च सम्मिलित हैं। कभी-कभी परिचालन लागत §आपरेटिंग कास्ट§ कहते हैं।

§2§ <u>अनावर्ती व्यय</u> -

अनावर्ती या पूँजीगत व्यय वह है, जो कि स्थिर सम्पत्ति प्राप्त करने

में या भूमि, क्रीड़ांगन, भवनों तथा उपकरणों आदि की वृद्धि करने हेतु खर्च किया जाता है। यह विद्यालय के संयंत्र की सक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से या छात्रावासों, जलपान-गृहों, सहकारी भंडारों आदि के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो सकता है।

§3§ **ऋण प्रभार** -

इसका अभिप्राय ऋणों पर ब्याज की अदायगी अथवा ऋणों की मूल धनराशि की वापसी से है। यदि ऋण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें कि वह उधार लिया गया था, अदा कर दिया जाता है तो व्यय को चालू या प्रत्यावर्ती की संज्ञा दी जाती है।

ब्रिटिश काल में शिक्षा-वित्त का केन्द्रीकरण - §1833-70§

1833 में लागू किये गये चार्टर एक्ट के अनुसार ब्रिटिश इन्डिया में आने वाले मद्रास, बाम्बे, आगरा, उत्तर पश्चिमी सूबे, पंजाब, बंगाल, सागर, नर्बदा, और नागपुर आदि प्रेसीडेन्सी क्षेत्रों के सभी प्रशासनिक कार्य "नियंत्रण, निर्देशन एवं व्यवस्थापन" के सिद्धान्त पर गवर्नर जनरल के अधीन सीमित कर दिए गये। गवर्नर जनरल के पद पर 1853 में प्रथम विधि सदस्य थामस वैबिन्गटन मैकाले को नियुक्त किया गया तथा 1858 में इस बात की घोषणा की गयी कि कम्पनी राज्य के अन्तर्गत आने वाले सभी सूबे ब्रिटेन की साम्राज्ञी की राजसत्ता के अधीन होंगे तथा गवर्नर जनरल राजमुकुट के अधीन वाइसराय के रूप में काम करेगा। वाइस राय की सहायता एवं सहयोग हेतु एक परिषद् का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य मनोनीत किये गये। वित्तीय व्यवस्था को सम्भालने के लिए 1857 के गदर §स्वतंत्रता संग्राम§ से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इंग्लैन्ड से एक वित्त-विशेषज्ञ पाँचवें सदस्य के रूप में 1861 में लाया गया। स्थानीय संसाधनों एवं क्षमताओं का दोहन करने के उद्देश्य से स्थानीय स्वायत्त सरकार का गठन किया गया। 1870 में लार्ड मेयो की इच्छा पर नगर परिषदों एवं अन्य प्रशासन चलाने का नाम लेकर कुछ करों की वसूली प्रारम्भ की गयी। 1833 से 1870 की यह अवधि एक प्रकार से प्रशासकीय केन्द्रीकरण की अवधि कही जानी चाहिए। इसमें शिक्षा के क्षेत्र

में विशेष रूप से मतभेद उभरे, क्योंकि 1854 से 1870 के बीच आधुनिक शिक्षा-प्रणाली को भी स्वरूप दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा समस्त वैधानिक अधिकार एवं वित्तीय नियंत्रण गवर्नर जनरल में निहित कर दिए गये थे। सड़क, स्कूल एवं स्थानीय आवश्यकताओं के मदों को छोड़कर शेष पूरी वसूल की हुई धनराशि सरकारी खजाने में जमा होने लगी। स्ट्रेची[30] ने लिखा है कि "एक ओर स्थानीय सरकारें व्यावहारिक दृष्टि से पूरे प्रशासन हेतु उत्तरदायी थीं, परन्तु दूसरी ओर वित्तीय नियंत्रण उनकी सीमाओं से परे था तथा विभिन्न संसाधनों द्वारा अर्जित धनराशि व्यय कर सकना उनके अधिकार-सीमाओं से बाहर।" इस प्रशासनिक कमी को हाउस आफ कामन्स में 1852 में रक्खा गया, परन्तु 1870 तक इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सका। 1853 में चार्ल्स ट्रेवैलियान ने इंगलैन्ड की ही भाँति हिन्दुस्तान में भी बजट-प्रणाली प्रस्तावित की, जो 1860 में लागू हुई। पहले सभी प्रकार के वित्तीय लेखों-जोखों को बन्द करने की वार्षिक तिथि 30 अप्रैल होती थी, परन्तु 1867 में इसे 31 मार्च किया गया। 1838 से 1844 के बीच अफगान, सिन्धु और ग्वालियर के युद्ध, 1845 का सिख-युद्ध तथा 1852 के द्वितीय वर्मा-युद ने इस केन्द्रीकृत प्रशासन के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाला तथा सरकार को समय-समय पर ऋण लेने की नौबत पड़ने लगी।

सन् 1854 के नीति-पत्र के फलस्वरूप इस देश में एक नवीन शिक्षा-नीति का आरम्भ हुआ। राजकीय शिक्षा-व्यय में वृद्धि की गयी। सन् 1857 में 21·6 लाख रुपये और सन् 1870 में 65·71 लाख रुपये शिक्षा में व्यय किये गये। सरकार की वित्त-नीति अतिशय केन्द्रीभूत होने के कारण सम्पूर्ण भारत का केवल एक ही राजस्वगत आय-व्ययक होता था और राजस्व भारत सरकार के नाम पर उगाहा जाता था। खर्च भी इसी सरकार के नाम पर होता था। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का राजस्व पर कुछ अधिकार न था, वे न कोई कर उगाह सकते थे और न मितव्ययिता ही कर सकते

30- आत्मानन्द मिश्र, "इजूकेशनल फाइनेन्स इन इण्डिया," बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1962, पृष्ठ-71।

थे। बचत की रकम भारत सरकार को सौंप देनी पड़ती थी और आगामी वर्षों में आर्थिक बंटवारे में कमी की आशंका रहती थी। इसके फलस्वरूप प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का सिद्धान्त था "मत कमाओ, खर्च करो।"[31] भारत सरकार का आय-व्ययक प्रतिवर्ष घाटे का रहता था।

<u>विकेन्द्रीकृत प्रशासन में वित्त</u> - §1871 से 1921§

कम्पनी सरकार का ब्रिटेन की राजगद्दी में विलयन होने के साथ ही हिन्दुस्तान की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इतनी अनिश्चित और परिवर्तनशील हो गयी कि केन्द्रीकृत प्रशासन का सामान्य ढंग से चल पाना संभव नहीं रह सका। इस स्थिति की गम्भीरता को स्वीकार करते हुए लार्ड मेयो ने अपने एक आदेश द्वारा दिनांक 14 दिसम्वर 1870 को वित्त एवं प्रशासन के विकेन्द्रीकरण हेतु निश्चय किया। इस प्रकार सन् 1870 में लार्ड मेयो द्वारा विकेन्द्रीकरण की नीति प्रारम्भ की गयी। इस नीति के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को कुछ विभाग जैसे- जेल, पुलिस, शिक्षा तथा सड़क का प्रशासन सौंप दिया गया।[32] सूबों को हस्तान्तरित किये गये इन विभागों को अतिरिक्त स्थानीय कर द्वारा केन्द्र से मिली अनुदान राशि की कमी पूरा करने का अधिकार दिया गया। सूबों की सरकारों को अपने कार्य-क्षेत्र के अनुसार स्वयं के बजट बनाने तथा अपनी प्रशासन की नीति निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार शिक्षा का खर्च प्रान्तीय सरकारों को तीन स्रोतों से निकालना पड़ता था - §1§ शिक्षा विभाग की आय, §2§ केन्द्रीय अनुदान और §3§ कतिपय निर्धारित करों के द्वारा।

1877 में सूबों के साथ नये बन्दोबस्त निर्धारित किये गये। लार्ड रिपन

31- श्रीधरनाथ मुखोपाध्याय, "भारतीय शिक्षा का इतिहास", बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, 1961, पृष्ठ - 113

32- एस0एन0 मुखर्जी, "हिस्ट्री आफ इजूकेशन इन इण्डिया" 1974, बड़ौदा, आचार्य बुक डिपो, पृष्ठ- 123

ने स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे- जिला परिषदों एवं नगर परिषदों को शिक्षा का प्रमुख दायित्व सौंप दिया। जिला परिषदों को शिक्षा के साथ ही स्थानीय यातायात-व्यवस्था सौंपी गयी। बंगाल के लेफ्टिनेन्ट गर्वनर सर मैकेन्जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने 1896 के एक दस्तावेज में इस कार्य का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। 1909 में विकेन्द्रीकरण आयोग के गठन के साथ ही सन् 1912 में लार्ड हार्डिन्ज ने इस विकेन्द्रीकरण को स्थायी, निश्चित एवं अपरिवर्तनशील घोषित कर दिया। इसके तहत ग्राम पंचायतों को प्राइमरी स्कूल चलाने का कार्य सौंपा गया तथा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा का। यही स्थिति 1919 में प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम तक चलती रही।

सन् 1882 में पंचवर्षीय आर्थिक प्रबन्ध स्थिर किया गया, जिसके अनुसार राजस्व को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया था -

§1§ इम्पीरियल §2§ प्रोविन्सियल §3§ डिवाइडेड।

दिसम्बर 1870 में पारित लार्ड मेयो के आदेश से यद्यपि शिक्षा को स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा सूबों के दायित्व-क्षेत्र में निहित कर दिया गया था, परन्तु अनुदान-प्रणाली, शैक्षिक-प्रशासन तथा पंचवर्षीय आर्थिक नीतियाँ बहुत ही अस्पष्ट रक्खी गयीं। 1871 की वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से राजस्व में वृद्धि तो की गयी, परन्तु गुणात्मक क्षमता-वृद्धि की ओर ध्यान नहीं दिया गया। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार 1871 में भारत सरकार के कुल राजस्व की आय 50 करोड़ रूपये थी तथा व्यय 46·9 करोड़ था, जबकि 1921 तक के पाँच दशकों में यह राशि क्रमशः 206·9 करोड़ §आय§ तथा 232·1 करोड़ §व्यय§ पहुँच गयी। इस प्रकार 1870 की तुलना में आय में वृद्धि 4 गुना हुई और व्यय 5 गुना से अधिक हुआ।

उस समय की वित्त-नीति पर विचार करते समय दो बिन्दु प्रमुख रूप से उभरते हैं-§1§ शिक्षा के निमित्त सरकारें कितना व्यय करें, §2§ प्राप्त राशि में किस मद पर कितना व्यय किया जाय। हिन्दुस्तानी सरकार के अलग-अलग डिस्पैचों

में जो कुछ भी उल्लेख उपलब्ध हैं, वे समय, परिस्थिति एवं पृथक् मानसिकता के नीति-नियामकों के कारण सदैव परिवर्तनशील रहे हैं। 1854, 1882, 1884 और 1892 के दस्तावेजों में जो कुछ भी था, 1902 के दस्तावेज में लगभग पूरी तौर से परिवर्तित जैसे हो गया।

1885 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के गठन के साथ ही गोपालकृष्ण गोखले का प्रयास विशेष रूप से प्रकाश में आया। बिलग्रामी एवं सी0वाई0 चिन्तामणि ने सामूहिक रूप से लार्ड कर्जन को इस बात के लिए तैयार करने का प्रयास किया कि हिन्दुस्तान में शिक्षा के ऊपर व्यय की जाने वाली राशि का आंकलन इंगलैन्ड, फ्रान्स, रूस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की ही तुलना में होना चाहिए, किन्तु केन्द्रीय सरकार विभिन्न आपदाओं, स्वयं की भारत के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दे सकी।

1901 से लेकर 1921 के दो दशक की अवधि में सूबों के स्तर पर विधायिका परिषदों का गठन होने के साथ ही शिक्षा के प्रति भारतीय प्रतिनिधि सदस्यों के मन में सामूहिक प्रयासोन्मुख भाव जागृत हुआ। इधर ब्रिटिश सरकार भी प्रथम विश्वयुद्ध की घटना से इतना भयभीत हो गयी थी कि उसे विवश होकर शिक्षा का हिन्दुस्तानीकरण करना पड़ा। शिक्षा के हिन्दुस्तानीकरण का जो रूप प्रथम विश्वमहायुद्ध के दौरान उत्तरी भारत के विभिन्न सूबों में था, उसमें विशेष परिवर्तन आये तथा संयुक्त प्रान्त, वर्मा, बरार, बिहार और उड़ीसा जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े सूबे भी मद्रास, बंगाल, बम्बई और पंजाब राज्यों की तुलना में अग्रसर हुए। इस प्रकार 1920 में प्रति-छात्र प्रति-वर्ष शिक्षा पर होने वाले व्यय में 8·5 से लेकर 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई तथा स्कूलों की संख्या में 63·5 प्रतिशत और छात्रों की संख्या में 98·8 प्रतिशत वृद्धि हुई। माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तानी आन्दोलन के ही परिणाम

स्वरूप संयुक्त प्रान्त की सरकार ने 1921 में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम का चार्टर तैयार किया, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में नमूने के तौर पर एक माध्यमिक विद्यालय चलाने की जिम्मेदारी, अनुदान राशि में वृद्धि तथा व्यावसायिक शिक्षा में विकास का सीधा दायित्व सूबाई सरकारों के ऊपर आ गया।

द्वैध शासन तथा प्रान्तीय स्वायत्तता में वित्त-व्यवस्था -

सन् 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों से शासन में दूसरा परिवर्तन हुआ। शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया। लेकिन नये कर वसूल करने तथा वित्त मंजूर करने में प्राथमिकता के निश्चयन में वे शक्तिहीन थे, क्योंकि द्वैध शासन में यह सुरक्षित विषय था। एक तरफ तो प्रान्तों को केन्द्र के प्रति अनुदान देने पड़ते थे, दूसरी तरफ शिक्षा के लिए केन्द्रीय अनुदान पूर्णतया बन्द हो गये थे। प्रथम विश्वयुद्ध के उत्तरवर्ती प्रभावों के कारण वित्तीय कठिनाइयों तथा तृतीय दशक की आर्थिक मंदी से शिक्षा-व्यय में कटौती आवश्यक हो गयी थी। सन् 1936-37 में सरकारी अंशदान केवल 1236 लाख रूपये था। इस प्रकार तीन वर्ष की अवधि में सरकारी आनुपातिक हिस्से में 49·2 प्रतिशत से 43·1 प्रतिशत की कमी हो गयी। बढ़ोत्तरी की दर भी घटकर 22 लाख रूपये प्रति वर्ष हो गयी।

सन् 1935 के भारतीय सरकार-अधिनियम द्वारा प्रशासकीय स्वरूप में अंतिम परिवर्तन हुआ। प्रान्तीय स्वायत्तता ने भारतीय मंत्रियों को कोष पर भी अधिकार दे दिया। केन्द्र ने भी शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया। प्रान्तों की नयी मंत्रि-परिषदों ने शैक्षिक कार्यक्रम तेजी से आरम्भ किया। लेकिन शीघ्र ही द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और अंग्रेज अधिकारियों से मंत्रि-परिषदों का विरोध हो गया और उन्होंने त्याग-पत्र दे दिये। कामचलाऊ सरकार ने शिक्षा में यथास्थिति बनाये रखने का प्रयत्न किया, लेकिन युद्ध के संकट ने उनके प्रयासों को अवरूद्ध कर दिया। युद्ध के बाद जब लोकप्रिय मंत्रि-परिषदों ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने पुनः प्रयास करने आरम्भ किये,

लेकिन बढ़ती हुई कीमतों और राजनीतिक विप्लवों ने प्रगति को धीमा कर दिया। सन् 1946-47 में शिक्षा के लिये सरकारी अंशदान में कुल व्यय का 45 प्रतिशत अथवा 25·96 करोड़ रूपये था। इससे 136 लाख रूपये प्रतिवर्ष की बढ़ोत्तरी स्पष्ट थी और यह अंग्रेजी काल के अभिलेख में उच्चतम दर थी।[33] युद्ध के फलस्वरूप जीवनयापन की वस्तुओं के मूल्य में वृद्वि के कारण यह पूरा धन शिक्षा-प्रसार में नहीं लगाया जा सका।

स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर व्यय -

वर्तमान उत्तर प्रदेश मूलतः बंगाल महाप्रान्त का एक भाग था।[34] प्रशासनिक व्यवस्था-हेतु 1833 के अधिकार-पत्र अधिनियम (चार्टर एक्ट) के अन्तर्गत बंगाल महाप्रान्त का विभाजन किया गया और आगरा प्रान्त बनाने का निर्णय लिया गया, किन्तु विधान कार्यान्वित न करके आगरा प्रान्त का नवीन नामकरण "पशिचमोत्तर प्रदेश" किया गया। इसका प्रशासन 1836 में उपराज्यपाल के अधीन सौंप दिया गया। इस प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण 1840 में स्थानीय शासन को स्थानान्तरित कर दिया गया। सन् 1858 में इस प्रान्त में पाँच रेवेन्यू डिवीजन यथा-मेरठ, रूहेलखण्ड, आगरा, इलाहाबाद और बनारस थे।[35] इनके साथ दिल्ली, जबलपुर, सागर और अजमेर प्रखन्ड भी अन्तर्भूत थे। उनमें से अन्तिम चार अलग कर दिये गये, जो अब वर्तमान उत्तर प्रदेश में सम्मिलित नहीं हैं। प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद को स्थानान्तरित कर दी गयी।

सन् 1857 की क्रान्ति के उपरान्त अवध, जो एक पृथक् प्रान्त था,

33- प्रोग्रेस ऑफ इजूकेशनल इन इंडिया डेसीनियल रिव्यू, वाल्यूम-2

34- माधवी मिश्रा, "उत्तर प्रदेश में शिक्षा" (1858 से 1900), लखनऊ, मनोहर प्रकाशन 1972, पृष्ठ-1

35- मोती लाल भार्गव, "हिस्ट्री आफ सेकेन्डरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश," लखनऊ, सुपपरिन्टेन्डेन्ट प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी, 1958 पृष्ठ-1

उसे 1877 में पश्चिमोत्तर प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। इसी समय से इस वृहत्तर क्षेत्र को पश्चिमोत्तर प्रान्त आगरा और अवध कहा जाने लगा।[36]

सन् 1902 में इस प्रदेश का नाम बदलकर "संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध" कर दिया गया। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ को स्थानान्तरित कर दी गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र "संयुक्त प्रान्त" कर दिया गया। स्वतंत्रता मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद, 12 जनवरी 1950 को इस प्रान्त का नाम "उत्तर प्रदेश" पड़ा।[37]

पश्चिमोत्तर प्रान्त में सुनिश्चित शिक्षा का श्रीगणेश बनारस से हुआ, जहाँ सन् 1818 में श्री जय नारायण घोषाल ने 20 हजार रुपये का दान देकर बनारस चैरिटी स्कूल की स्थापना की। कुछ ही वर्षो बाद सुप्रीम सरकार ने इस स्कूल को 3,033 रु0 की वार्षिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। 1825 में श्री जयनारायण घोषाल के सुपुत्र श्री कालीशंकर घोषाल ने 20 हजार रुपये का दान देकर इस स्कूल को सहयोग किया। सन् 1843 में सुप्रीम सरकार ने शिक्षा-प्रबन्ध के लिए नियत धनराशि को व्यय करने का भार स्थानीय सरकार को हस्तान्तरित कर दिया और इसके लिए 1,81,108 रु0 व्यय करने का भी अधिकार दे दिया। हस्तान्तरण के समय इस प्रान्त में बनारस, आगरा और दिल्ली में तीन कालेज थे और 9 एंग्लोवर्नाकुलर स्कूल थे, जिन्हें सरकार की सहायता या पूर्ण संरक्षण प्राप्त था।

36- इन्डियन इजूकेशन कमीशन, 1882-83 प्राविन्सियल रिपोर्ट, "ए शार्ट स्केच आफ इजूकेशन", नयी दिल्ली, मैनेजर पब्लिकेशन्स, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया।

37- "उत्तर प्रदेश", 1976 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ-23

सन् 1843 में शैक्षिक नियंत्रण लेने के बाद प्रान्तीय सरकार ने अपनी शैक्षिक नीति की घोषणा की, जिसे **थामसन योजना** कहा गया। इस प्रान्त के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर थामसन महोदय थे, जो वड़े ही कुशल और योग्य प्रबन्धक थे और जिनकी प्रेरणा से ही प्रान्तीय शिक्षा विभाग (प्राविन्सियल कमेटी फार दि नार्थ वेस्टर्न प्राविन्स) का जन्म हुआ।[38] इस योजना के अनुसार 200 घरों वाले प्रत्येक गाँव में एक स्कूल स्थापित करने की व्यवस्था थी और शिक्षकों के वेतन के लिए जागीरें लगा देने का प्रस्ताव था।

सन् 1851 में मथुरा के जिलाधिकारी (कलेक्टर) अलेक्जेन्डर ने ग्राम-पाठशालाओं के लिए एक योजना बनायी। कुछ गाँवों को मिलाकर एक हल्का बनाया। उनके वीच एक स्कूल स्थापित किया। इन स्कूलों के खर्च के लिए जमीदारों से उनकी मालगुजारी का 1 प्रतिशत लिया जाता था और इतना ही अंश सरकार की ओर से मिलाया जाता था।

सन् 1854 में वुड का प्रेषण प्रकाशित हुआ। यह घोषणा-पत्र उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारत की शैक्षिक नीति का आधार बना रहा। पशिचमोत्तर प्रान्त में सार्वजनिक शिक्षा विभाग सन् 1855 में पुनः संगठित किया गया तथा एच0एस0 रीड शिक्षा-विभाग के संचालक नियुक्त हुए। प्रान्त के सभी कालेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिए गये। सन् 1856-57 में वुड के घोषणा-पत्र के आधार पर प्रथम वार सहायता अनुदान नियम लागू हुए। इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार द्रुत-गति से हुआ, परन्तु 1854 से 1870 तक माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1871-72 में शिक्षा प्रान्तीय उत्तरदायित्व का विषय बन गयी और सभी आर्थिक साधनों को प्रान्त की स्थानीय सरकार के नियंत्रण में दे दिया गया।

38- राघव प्रसाद सिंह, "भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका," लखनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार, पृष्ठ-94

सारिणी - 3·4

1870 ई0 में पश्चिमोत्तर प्रान्तों तथा अवध में हाई एवं मिडिल स्कूलों की तालिका

	स्कूल-संख्या	विद्यार्थी-संख्या	राजकीय कोष से होने वाला व्यय	अन्य कोष से व्यय
पश्चिमोत्तर प्रान्त				
सरकारी हाई स्कूल	13	2478	172892	32181
सरकारी मिडिल स्कूल	14	895	33799	7101
सहायता-प्राप्त हाई स्कूल	10	2373	34060	41675
सहायता-प्राप्त मिडिल स्कूल	162	7299	98860	122079
अवध प्रान्त				
सरकारी हाई स्कूल	11	2139	54147	11337
सरकारी मिडिल स्कूल	18	1678	19333	5973
सहायता-प्राप्त हाई स्कूल	01	519	11365	अज्ञात
सहायता-प्राप्त मिडिल स्कूल	21	2056	16499	18063
योग	250	19437	440955	338409

स्रोत- राघव प्रसाद सिंह, "भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भमिका," लखनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार, पृष्ठ-113

सारिणी क्रमांक 3·4 के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि पश्चिमोत्तर प्रान्तों में सरकारी और अनुदान प्राप्त हाई स्कूलों की संख्या 23 थी (मिडिल स्कूलों को छोड़कर), जिनमें 4851 विद्यार्थी थे। प्रति-हाई स्कूल औसतन 210 विद्यार्थी होते हैं। इसी प्रकार अवध में सरकारी और अनुदान-प्राप्त दोनों प्रकार के हाई स्कूलों की संख्या 12 थी, जिनमें 2658 विद्यार्थी थे और प्रत्येक में विद्यार्थियों की औसत संख्या 221 थी। पश्चिमोत्तर

प्रान्त में एक हाई स्कूल को राजकीय कोष से दिया जाने वाला धन लगभग 9000 रू0 होता था, जोकि अवध के एक हाई स्कूल पर उसी कोष से व्यय होने वाले धन से, जो लगभग 5000 रू0 होता था, कहीं अधिक ज्यादा था।

सन् 1882 में शिक्षा-आयोग की सिफारिशें प्राप्त हुईं। माध्यमिक शिक्षा का व्यापक सर्वेक्षण करने के बाद आयोग ने 23 संस्तुतियाँ कीं। आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था वहीं की जाय, जहाँ सहायता अनुदान के सहारे स्थानीय साधन तथा सहायोग सुलभ हों। पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा अवध में 1882 ई0 के बाद माध्यमिक शिक्षा का विस्तार हुआ। 23 अक्टूबर 1984 को केन्द्रीय शासन ने आयोग की अनुशंसाओं को अनुमोदित कर दिया।[39] 1887 में प्रान्त में इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुला, जिससे माध्यमिक शिक्षा को अधिक बल मिला। सन् 1888-89 में प्रथम बार इस प्रदेश के छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मैट्रीकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित हुए।

सन् 1887 से 1902 तक का समय भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक अप्रगतिशील था, विद्यार्थियों और स्कूलों की संख्या घट गई। 1899 में लार्ड कर्जन भारत के वाइस राय नियुक्त हुए।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक राजनैतिक घटनाओं के कारण भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की मांग बढ़ी, जो अपने उद्देश्य में अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति से भिन्न थी। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1904 में विश्वविद्यालय एक्ट बना। सन् 1906 के पहले सरकारी हाई स्कूलों का नियंत्रण शिक्षा विभाग के हाथ में था, परन्तु उसी वर्ष सरकार ने एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास किया, जिसके अन्तर्गत अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं की शिक्षा और डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल का, जिनका

39- गवर्नमेन्ट आफ इन्डियाज रिजाल्यूशन आन इण्डियन इजूकेशन कमीशन रिपोर्ट, 1882, कलकत्ता गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग इन्डिया, 1883

प्रवन्ध अब तक शिक्षा-विभाग द्वारा होता था, उत्तर दायित्व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सौंप दिया। प्रान्तीय सरकार ने 1907 में नैनीताल में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक महासभा बुलवायी, जिसमें जिला बोर्ड के अध्यक्ष, गैरसरकारी सभ्यजन और शिक्षा-विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए तथा माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। नैनीताल के अधिवेशन की सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक विद्यालय पुनः शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिए गये। 1914-17 के युद्ध ने सरकार को माध्यमिक शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय में कमी करने के लिए बाध्य किया।

देश में राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर व्याप्त हो गयी थी। 1919 का मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट, जो वास्तव में 1921 ई0 में लागू हुआ। द्वैध शासन में (प्रथम प्रकार के विभाग सुरक्षित और द्वितीय प्रकार के हस्तांतरित) शिक्षा आंशिक रूप से सुरक्षित और आंशिक रूप से हस्तांतरित थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप रायल कमीशन की नियुक्ति की गयी। 1927 में हर्टाग के नेतृत्व में एक आक्जेलरी एजूकेशन कमेटी गठित की गयी। इस कमेटी ने 1929 में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। सन् 1934 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी के प्रश्न पर सप्रू कमेटी नियुक्त की। पुनः 1936 में सप्रू समिति की संस्तुतियों की छानबीन करने के लिए प्रदेश के शिक्षा संचालक आर0एस0 वियर के नेतृत्व में एक समिति गठित की। 1936-37 में वुड एबाट की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। सन् 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वहुत से प्रान्तों में अपने मंत्रिमंडल बनाये। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार बनी। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शिक्षा में अत्यधिक रुचि लेते हुए शैक्षिक प्रगति एवं नीतियों की जाँच करने के लिए कई समितियाँ नियुक्त की। इनमें एक समिति प्रान्त की माध्यमिक शिक्षा की जाँच करने के लिए आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में गठित की गयी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1939 में दी, परन्तु इसकी अधिकांश सिफारिशें लागू नहीं हो पायीं।

राजनीतिक उत्तेजना बढ़ती गयी और सन् 1942 में पूरे देश में सत्याग्रह

आन्दोलन शुरू हो गया। सन् 1942 के विप्लव के बाद जब शांति हुई तो पुनः शैक्षिक सुधारों की गति में तेजी हो गयी। सन् 1944 में सार्जेन्ट योजना लागू की गयी। कठिन संघर्ष के बाद सन् 1947 को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी।

माध्यमिक शिक्षा का स्पष्ट एवं संगठित स्वरूप 1882 के शिक्षा आयोग की संस्तुति के बाद ही पश्चिमोत्तर प्रान्त में आ सका, अतएव स्वतंत्रता के पूर्व में माध्यमिक शिक्षा में हुए व्यय का विवरण 1886 से प्रस्तुत किया जा रहा है -

सारिणी - 3·5

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय 1886-87 से 1946-47

(लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	शिक्षा पर व्यय	माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1886-87	21·704	10·587 (48·78)	1	--	100
2-	1896-97	26·774	12·927 (48·28)	1·2	2·21	122
3-	1901-02	32·484	9·570 (29·46)	0·9	-5·18	90
4-	1906-07	46·275	19·290 (41·68)	1·8	20·31	182
5-	1911-12	66·455	28·601 (43·00)	2·7	9·65	270
6-	1915-16	92·008	38·665 (42·02)	3·6	8·79	365
7-	1921-22	185·826	67·643 (36·4)	6·3	12·94	639

सारिणी - 3·5 क्रमशः ------

8- 1926-27	212·084	77·850 §36·71§	7·3	3·02	735
9- 1931-32	253·003	81·244 §32·111§	7·6	0·87	767
10-1936-37	268·077	97·612 §36·41§	9·2	4·03	922
11-1941-42	348·810	117·021 §33·55§	11·0	3·98	1105
12-1946-47	513·330	180·416 §35·15§	17·0	10·84	1704

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- एम0एल0 भार्गव, "हिस्ट्री आफ सेकन्डरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश," लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी उत्तर प्रदेश§इण्डिया§, पृष्ठ-407

सारिणी क्रमांक 3·5 के आँकड़ों से विदित हो रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय सन् 1886-87 से 1946-47 तक सन् 1901-02 को छोड़कर लगातार बढ़ा है। 1886-87 में माध्यमिक शिक्षा में होने वाला व्यय 10·58 लाख था, जो 1901-02 में 9·57 लाख रह गया। इसका कारण तात्कालिक राजनैतिक घटनाएँ थीं, जिसका प्रभाव शैक्षिक व्यय पर भी पड़ा। 1886-87 से 1946-47 तक 60 वर्षो के अन्तराल में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में 17 गुना वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि 1915-16 से 1921-22 के मध्य हुई। इस अवधि में यह राशि दो गुने से भी अधिक बढ़ गयी।

माध्यमिक शिक्षा में होने वाले व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर सर्वाधिक 1901-02 से 1906-07 के मध्य रही। इन पाँच वर्षो की औसत वार्षिक वृद्धि-दर

स्वतन्त्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय
(1 8 8 6-8 7 से 1 9 4 6-4 7)
माध्यमिक शिक्षा पर व्यय
शिक्षा पर व्यय
व्यय (लाख रुपये में)
600
500
400
300
200
100
0
1886-87
1896-97
1901-02
1906-07
1911-12
1915-16
1921-22
1926-27
1931-32
1936-37
1941-42
1946-47
वर्ष

चित्र - 3.1

20·31 प्रतिशत थी। सबसे कम औसत वार्षिक वृद्धि-दर 1896-97 से 1901-02 के मध्य थी। इस पाँच वर्ष की समयावधि में व्यय में लगातार गिरावट आयी, जिससे औसत वार्षिक वृद्धि-दर का प्रतिशत ऋणात्मक §-5·18§ रहा।

यद्यपि सारिणी से यह प्रकट हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि हुई है, किन्तु कुल शिक्षा-व्यय में 1886-87 में माध्यमिक शिक्षा पर 48·78 प्रतिशत व्यय हुआ है। लेकिन समानुपातिक दृष्टि से 1946-47 में यह मात्र 35·15 प्रतिशत ही कुल व्यय में स्थान पा सका, जो यह प्रकट कर रहा है कि 1946-47 में माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत घट गया।

अब हम स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर स्रोत -वार होने वाले प्रत्यक्ष व्यय पर प्रकाश डालेंगे और उनके समानुपातिक योगदान का विश्लेषण करेंगे -

सारिणी - 3·6

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर स्रोतवार प्रत्यक्ष व्यय

§लाख रूपयों में§

स्वतन्त्रता के पूर्व §सन् 1886-87 से 1946-47 तक§

क्रमांक वर्ष	प्रान्तीय राजस्व	स्थानीय निकाय निधि	नगर पालिका निधि	शुल्क	अन्य स्रोत	कुल व्यय
1- 1886-87	2·271 §17·78§	3·761 §29·44§	0·425 §3·33§	2·598 §20·34§	3·719 §29·11§	12·774 §100§
2- 1896-97	3·130 §18·93§	3·537 §21·34§	0·652 §3·94§	5·309 §32·11§	3·907 §23·63§	16·535 §100§
3- 1901-02	2·820 §20·35§	2·282 §16·46§	0·428 §3·09§	4·866 §35·11§	3·464 §24·99§	13·860 §100§
4- 1906-07	4·308 §17·61§	4·948 §20·23§	0·866 §3·54§	8·708 §35·60§	5·629 §23·02§	24·459 §100§

सारिणी - 3·6 क्रमशः -----

5- 1911-12	7·039 (26·98)	5·117 (19·62)	0·941 (3·60)	8·832 (33·86)	4·158 (15·94)	26·087 (100)
6- 1916-17	9·361 (28·13)	3·360 (10·10)	0·954 (2·87)	14·356 (43·14)	5·243 (15·76)	33·274 (100)
7- 1921-22	33·320 (49·26)	4·123 (6·10)	1·588 (2·35)	17·941 (26·52)	10·671 (15·77)	67·643 (100)
8- 1926-27	47·034 (49·16)	3·632 (3·80)	2·059 (2·15)	25·964 (27·14)	16·983 (17·75)	95·672 (100)
9- 1936-37	71·028 (51·97)	3·890 (2·85)	4·552 (3·33)	42·126 (30·82)	15·076 (11·03)	136·672 (100)
10-1941-42	75·219 (47·41)	3·502 (2·21)	5·361 (3·38)	55·615 (35·06)	18·937 (11·94)	158·634 (100)
11-1946-47	96·929 (39·07)	4·465 (1·80)	9·565 (3·85)	99·417 (40·07)	37·743 (15·21)	248·119 (100)

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित स्रोतों की राशि का कुल व्यय से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- 'एनुअल रिपोर्ट आन पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन यूनाइटेड प्राविन्स' सम्बन्धित वर्षों की, इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी

सारिणी क्रमांक 3·6 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आय के 5 साधन थे। 1886-87 में राजकीय निधि से प्राप्त आय का प्रतिशत 17·78%,स्थानीय निकाय का 29·44%,नगरपालिका का 3·33%,शुल्क का 20·34%तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल आय का प्रतिशत 29·1 प्रतिशत था, परन्तु 1886-87 से 1946-47 के 60 वर्षों में इन स्रोतों द्वारा प्राप्त आय में काफी परिवर्तन हुआ। इस अवधि में नगरपालिका द्वारा प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत लगभग स्थिर रहा। यह 1886-87 में 3·33 प्रतिशत था,

जो 1946-47 में भी 3·85 प्रतिशत ही था, जबकि स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त होने वाली आय की धनराशि में काफी कमी आयी। सन् 1886-87 में इस मद द्वारा प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत 29·44 था, जो 1946-47 में सिर्फ 1·80 प्रतिशत रह गया। 1886-87 में शुल्काय का प्रतिशत 20·34 था, जो 60 वर्षों में बढ़कर 40·07 प्रतिशत हो गया। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत 1886-87 में 29·11 था, जो 1946-47 में घटकर 15·21 प्रतिशत रह गया, जिससे यह प्रकट होता है कि लोगों की दान देने की प्रवृत्ति नहीं रही।

माध्यमिक शिक्षा पर सभी स्रोतों से आय 1886-87 में 12·774 लाख थी, जो 60 वर्षों में बढ़कर 248·119 लाख हो गयी। यह वृद्धि 1886-87 की तुलना में 1947-48 में 19·42 गुना हो गयी।

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा में होने वाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय का क्या प्रतिशत रहा है? इसकी विवेचना अब हम निम्न सारिणी से करेंगे —

सारिणी - 3·7

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर कुल व्यय (1886-87 से 1946-47)

(लाख रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	प्रत्यक्ष व्यय	अप्रत्यक्ष व्यय	कुल योग
1-	1886-87	21·704 (75·67)	6·979 (24·33)	28·683 (100)
2-	1896-97	26·774 (73·56)	9·625 (26·44)	36·399 (100)
3-	1901-02	32·484 (71·25)	13·110 (28·75)	45·594 (100)
4-	1906-07	46·276 (61·79)	28·620 (38·21)	74·896 (100)

सारिणी - 3·7 क्रमशः ------

5- 1911-12	66·455 {61·57}	41·473 {38·43}	107·928 {100}
6- 1915-16	92·008 {66·10}	47·183 {33·90}	139·191 {100}
7- 1921-22	185·827 {62·33}	112·309 {37·67}	298·136 {100}
8- 1926-27	214·084 {63·38}	123·706 {36·62}	337·790 {100}
9- 1931-32	253·003 {65·00}	136·208 {35·00}	389·211 {100}
10-1936-37	268·077 {66·92}	132·495 {33·08}	400·572 {100}
11-1941-42	348·890 {75·22}	114·944 {24·78}	463·834 {100}
12-1946-47	513·330 {72·25}	197·125 {27·75}	710·455 {100}
गुनावृद्धि	23·66	28·24	24·97

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- एम0एल0 भार्गव, 'हिस्ट्री आफ सेकंडरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश', लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, 1958, पृ0-409

सारिणी क्रमांक 3·7 से स्पष्ट हो रहा है कि 1886-87 में प्रत्यक्ष व्यय 75·67 प्रतिशत था तथा अप्रत्यक्ष व्यय 24·33 प्रतिशत था। सारिणी के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत लगातार घटता गया और 1911-12 में 61·57 प्रतिशत तक पहुँच गया अर्थात् अप्रत्यक्ष व्यय में बढ़ोत्तरी हुई और इसका प्रतिशत 38·43

स्वतन्त्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर प्रत्यक्ष एवं कुल व्यय
(1886-87 से 1946-47)
प्रत्यक्ष व्यय
कुल व्यय
शिक्षा पर व्यय (लाख रुपये में)
0
100
200
300
400
500
600
700
1886-87
1896-97
1901-02
1906-07
1911-12
1915-16
1921-22
1926-27
1931-32
1936-37
1941-42
1946-47
वर्ष

चित्र - 3.2

प्रतिशत तक पहुँच गया। तत्पश्चात् प्रत्यक्ष व्यय पुनः बढ़ना शुरू हुआ और धीरे-धीरे 1946-47 में 72·25 प्रतिशत हो गया। 60 वर्ष के अन्तराल में प्रत्यक्ष व्यय में 23·66 गुना वृद्धि हुई, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय में 28·24 गुना और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय दोनों को मिला कर यह वृद्धि 24·97 गुना हो गयी।

द्वैध शासन में माध्यमिक शिक्षा पर राजकीय कोष से 1924-25 में कितना व्यय हुआ, इस पर अग्रांकित सारिणी के माध्यम से प्रकाश डाला जायेगा -

सारिणी - 3·8

द्वैध शासन में माध्यमिक शिक्षा पर राजकोष से व्यय

(सन् 1924-25 से 1935-36 तक)

(व्यय-रूपयों में)

क्रमांक वर्ष	मध्यमिक विद्यालय	राजकोष से माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	प्रति विद्यालय औसत व्यय
1- 1924-25	218	49,12,600	22,535
2- 1925-26	221	47,08,581	21,306
3- 1926-27	222	49,37,735	22,242
4- 1927-28	221	49,66,280	22,472
5- 1928-29	225	57,78,795	25,684
6- 1929-30	231	58,37,337	25,270
7- 1930-31	240	60,55,352	25,231
8- 1931-32	248	61,39,054	24,754
9- 1932-33	252	56,54,404	22,438
10-1933-34	264	59,94,300	22,706
11-1934-35	273	61,87,771	22,666

सारिणी - 3·8 क्रमशः ----

12-1935-36	291	64,47,387	22,156
गुणावृद्धि	1·33	1·31	0·98

स्रोत- आर0एस0 वियर, 'रिपोर्ट आन दि रिआर्गनाइजेशन आफ सेकन्डरी इजूकेशन इन यूनाइटेड प्राविन्स', इलाहाबाद, गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, पृष्ठ - 13

द्वैध शासन में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले राजकोष से 12 वर्षो के व्यय का अध्ययन करने पर सारिणी क्रमांक 3·8 से निम्नवत् निष्कर्ष प्राप्त हुए-

§1§ वर्ष 1924-25 में 218 माध्यमिक विद्यालय थे, जिन पर राजकोष से कुल 49,12,600 रू0 व्यय होता था तथा प्रति-विद्यालय औसत व्यय 22,535 रू0 था।

§2§ 12 वर्ष बाद 1935-36 में विद्यालयों की संख्या बढ़कर 291 हो गयी। विद्यालयों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। विद्यालयों की यह बृद्धि 1·33 गुना थी। विद्यालयों के व्यय में लगातार वृद्धि हुई। 1935-36 में 12 वर्षो में यह बढ़कर 64,47,387 रू0 हो गया। व्यय में कमी 0·98 गुना हो गयी।

§3§ प्रति विद्यालय व्यय में 1928-29 तक लगातार वृद्धि हुई। 1928-29 में यह 25,684 रू0 था, परन्तु इसके बाद लगातार घटता गया और 1935-36 में यह 22,156 रूपये हो गया।

1925-26 से 1935-36 तक शिक्षा के विभिन्न स्तरों-हेतु दस वर्षो में राजकीय कोष से आबंटन की क्या स्थिति थी? इस पर सारिणी क्रमांक 3·9 दारा प्रकाश डाला जा रहा है -

सारिणी - 3·9

राजकोष से शिक्षा के विभिन्न स्तरों-हेतु आबंटन

(सन् 1925-26 से 1935-36 तक)

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	विश्व-विद्यालय	माध्यमिक	प्राथमिक	विशेष	सामान्य व्यय	कुल योग
1-	1925-26	2,611 (15·2)	4,709 (27·5)	7,290 (42·5)	496 (2·9)	2,032 (11·9)	17,138 (100)
2-	1926-27	2,588 (14·4)	4,938 (27·6)	7,782 (43·4)	518 (2·9)	2,095 (11·7)	17,920 (100)
3-	1927-28	2,528 (14·3)	4,966 (28·2)	7,481 (42·4)	532 (3·0)	2,123 (12·1)	17,631 (100)
4-	1928-29	2,921 (14·8)	5,779 (29·3)	8,103 (41·1)	603 (3·1)	2,291 (11·7)	19,697 (100)
5-	1929-30	2,968 (14·7)	5,837 (28·9)	8,356 (41·4)	702 (3·5)	2,342 (11·5)	20,204 (100)
6-	1930-31	2,757 (13·7)	6,055 (30·2)	8,146 (40·5)	710 (3·5)	2,427 (12·1)	20,096 (100)
7-	1931-32	2,761 (13·6)	6,139 (30·2)	8,265 (40·6)	727 (3·6)	2,444 (12·0)	20,337 (100)
8-	1932-33	2,287 (12·1)	5,654 (29·8)	8,107 (42·8)	663 (3·5)	2,245 (11·8)	18,956 (100)
9-	1933-34	2,511 (13·0)	5,994 (31·1)	7,819 (40·6)	676 (3·5)	2,264 (11·8)	19,264 (100)
10-	1934-35	2,613 (13·1)	6,188 (31·0)	8,156 (40·9)	692 (3·5)	2,290 (11·5)	19,940 (100)

सारिणी - 3·9 क्रमशः -----

11-1935-36	2,717	6,447	8,414	705	2,401	20,685
	(13·1)	(31·2)	(40·7)	(3·4)	(11·6)	(100)

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत - (1) 'रिपोर्ट आन दि पब्लिक इंस्ट्रक्शन आन यूनाइटेड प्राविन्स' (सम्बन्धित वर्षों की), इलाहाबाद, गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी

(2) आर0एस0 वियर, 'रिपोर्ट आन दि रिआर्गनाइजेशन आफ सेकन्डरी इजूकेशन इन यूनाइटेड प्राविन्स', 1936, इलाहाबाद गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी। पृष्ठ- 8-9

सारिणी क्रमांक - 3·9 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि 1925-26 में व्यय का 15·2 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय शिक्षा पर, 27·5 प्रतिशत भाग माध्यमिक शिक्षा पर, 42·5 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर, 2·9 प्रतिशत भाग विशेष शिक्षा पर तथा 11·9 प्रतिशत भाग सामान्य शिक्षा पर व्यय होता था। विश्वविद्यालय शिक्षा का भाग लगातार घटता गया और 1935-36 में घटकर 13·1 प्रतिशत ही रह गया। माध्यमिक शिक्षा के व्यय का भाग 1925-26 में 27·5 प्रतिशत था, जो लगातार बढ़ता रहा और 1935-36 में 31·2 प्रतिशत तक पहुँच गया। जिससे यह स्वयमेव स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा को अन्य शिक्षा-स्तरों की तुलना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। प्राथमिक शिक्षा के व्यय का भाग 1925-26 में 42·5 प्रतिशत था, जो 1 वर्ष बाद 1926-27 में बढ़कर 43·4 प्रतिशत हो गया, परन्तु फिर 1927-28 से 1935-36 तक 9 वर्षों में यह व्यय लगभग स्थिर रहा। विशेष शिक्षा में 1925-26 में 2·9 प्रतिशत व्यय किया जाता रहा, जो 1931-32 में 3·6 प्रतिशत खर्च किया जाने लगा। यह भाग 1935-36 में घटकर 3·4 प्रतिशत तक पहुँच गया, लेकिन 1925-26 की तुलना में यह अधिक ही था।

1925-26 में सामान्य व्यय पर 11·9 प्रतिशत भाग व्यय होता था, जो 1930-31 में बढ़कर 12·1 प्रतिशत हो गया, लेकिन फिर धीरे-धीरे घटते-घटते

1935-36 में 11·6 प्रतिशत तक पहुँच गया।

इसी प्रकार सम्पूर्ण शिक्षा पर 1925-26 में 17,138 हजार रू0 व्यय किये जाते थे, जो 1935-36 में 20,685 हजार रू0 किये जाने लगे। व्यय की यह वृद्धि 1·20 गुना थी।

स्वायत्त शासन में माध्यमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं की शिक्षा में व्यय की गयी धनराशि का क्या प्रतिशत रहा? किसे प्राथमिकता मिली? इस पर अग्रांकित सारिणी द्वारा प्रकाश डाला जा रहा है -

सारिणी - 3·10

उत्तर प्रदेश में स्वायत्त शासन में बालक एवं बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा पर

प्रत्यक्ष व्यय (प्रतिशत सहित)

(सन् 1935-36 से 1946-47 तक)

(व्यय-रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	कुलयोग
1-	1935-36	83,10,269 (88·47)	10,88,487 (11·53)	93,98,756 (100)
2-	1936-37	85,86,989 (87·97)	11,74,255 (12·03)	97,61,244 (100)
3-	1937-38	87,16,802 (87·31)	12,66,471 (12·69)	99,83,273 (100)
4-	1938-39	90,20,641 (87·16)	13,28,834 (12·84)	1,03,49,475 (100)
5-	1939-40	92,72,778 (86·53)	14,42,992 (13·47)	1,07,15,770 (100)

सारिणी - 3·10 क्रमशः ------

6-	1940-41	94,56,252 (86·54)	14,70,129 (13·46)	1,09,26,381 (100)
7-	1941-42	99,75,154 (85·24)	17,26,932 (14·76)	1,17,02,086 (100)
8-	1942-43	1,01,59,502 (83·38)	20,25,331 (16·62)	1,21,84,833 (100)
9-	1943-44	1,04,05,241 (83·90)	19,97,368 (16·10)	1,24,02,609 (100)
10-	1944-45	1,12,55,862 (83·48)	22,26,959 (16·52)	1,34,82,821 (100)
11-	1946-47	1,51,09,475 (83·75)	29,32,089 (16·25)	1,80,41,564 (100)
	गुणावृद्धि	1·82	2·69	1·92

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल राशि से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत-'रिपोर्ट आन दि पब्लिक इंस्ट्रक्शन आफ यूनाइटेड प्राविन्स', सम्बन्धित वर्षो की, इलाहाबाद, गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी,

सारिणी क्रमांक 3·10 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर बालकों की शिक्षा में 1935-36 में 88·47 प्रतिशत धनराशि व्यय की जाती थी तथा बालिकाओं की शिक्षा में 11·53 प्रतिशत। 1935-36 से लेकर 1946-47 तक 11 वर्षो में बालकों की शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय-प्रतिशत में कुछ कमी आयी है और 1946-47 में यह प्रतिशत घटकर 83·75 रह गया। इसी प्रकार बालिकाओं के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है, जो 11·53 प्रतिशत से बढ़कर 16·25 प्रतिशत हो गया। अतएव यह स्वयमेव सिद्ध है कि स्वायत्त शासन में माध्यमिक शिक्षा-स्तर पर बालकों की तुलना में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। 1935-36 में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय 93 लाख रुपया था, जो 1946-47 में बढ़कर 1 करोड़ 80 लाख

रुपया हो गया। इस प्रकार 11 वर्षों में 1·92 गुना वृद्धि हुई। इसी प्रकार बालकों की शिक्षा में 1935-36 में 83,10,269 रू0 व्यय होते थे, जो 1946-47 में 1,51,09,475 रू0 होने लगे। बालकों के व्यय में 1·82 गुना वृद्धि हुई।

बालिकाओं की शिक्षा पर 1935-36 में 10,88,487 रू0 व्यय होते थे, जो 1946-47 में 29,32,089 रू0 व्यय होने लगे। बालिकाओं की शिक्षा में व्यय-वृद्धि 2·69 गुना हुई।

इस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा में बालकों की तुलना में अधिक धनराशि व्यय की गयी।

-x-x-x-x-

चतुर्थ अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति एवं वित्तीय नीति

नीति, कार्य का वह क्रम है जिसका अनुपालन वांछित उद्देश्यों की अवाप्ति के लिये किया जाता है। इस प्रसंग में यह उन सामान्य विधियों तथा लक्ष्यों का निर्देश करती है, जिनका पालन शासन जनशिक्षा के प्रति अपने अभिक्रम की पूर्ति के लिये करता है।

गाबा[1], ने सामाजिक संदर्भो में नीति को निम्नवत् स्पष्ट किया है -

"निर्दिष्ट सामाजिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिये सोच-विचारकर किये गये आधिकारिक निर्णयों की श्रृंखला, जो सम्पूर्ण कार्यक्रम को एकरूपता प्रदान करती है, नीति कही जाती है।"

साधारण भाषा में नीति का तात्पर्य राज्य शासन द्वारा अपनाये गये कार्य करने के तरीके से होता है। यह प्रशासन की विवेक-सम्मत व्यावहारिक या लाभदायक कार्य-विधि है, जिसका अनुवर्तन हितों की दृष्टि से अधिक और सिद्धांतों की दृष्टि से कम किया जाता है।

कार्टर, वी0 गुड[2], ने नीति को अग्रांकित शब्दों द्वारा परिभाषित किया है-

"मूल्यों की कुछ प्रणाली तथा कुछ निर्धारित परिस्थितिजन्य कारकों से व्युत्पन्न एक निर्णय, सामान्य योजना के संचालन-हेतु आकांक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये निर्देशित निर्णयों के उपाय।"

शिक्षा को व्यवस्था देने के लिये शासन जिन तत्वों या सिद्धान्तों को स्थिर करता है, उन्हें शिक्षानीति कहते हैं। शैक्षिक नीति सामान्यतः शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन तथा

1- ओम प्रकाश गाबा, "सामाजिक विज्ञान कोष", नयी दिल्ली, बी0 आर0 पब्लिशिंग हाउस, 1984, पृष्ठ-194

2- कार्टर, वी0 गुड, "डिक्शनरी आफ एजूकेशन", न्यूयार्क मैकग्रा, हिल बुक कम्पनी, 1973, पृष्ठ-428

प्रबन्ध-व्यवस्था, वित्त के प्राविधान तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण का निर्देश करती है। शिक्षा के उद्देश्य और आदर्श स्थूल रूप से उस समाज की आवश्यकताओं से व्यंजित होते हैं, जिनके लिये उसकी संकल्पना की जाती है। अन्ततोगत्वा इनका स्वरूप-निर्धारण, आदेश देने वाले प्रशासन के स्वरूप द्वारा सुनिश्चित होता है। इन अवयवों में किसी प्रकार का अंतर, शिक्षा के किन्हीं पक्षों पर बलान्तर से अनुगत होकर शैक्षिक नीति के विकास में प्रतिफलित होता है।

शिक्षा की नीति प्रायः निधारित होती है - शासकीय आदेशों और प्रस्तावों से, शिक्षा-समितियों और आयोगों की अनुशंसाओं से, भारतीय संविधान में निरूपित शैक्षिक तत्वों और निदेशक सिद्धान्तों से, पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-विकास हेतु दिग्दर्शित दिशाओं से, जिन्हें शासन स्वीकार कर ले, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 ऊपर से थोपी नहीं गयी है, बल्कि इसे शिक्षा के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षाविदों, पत्रकारों, संसद सदस्यों, विधायकों, डाक्टरों, इंजीनियरों, राजनेताओं, जनप्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, प्रबन्धकों, अभिभावकों तथा मजदूरों आदि के विचार-विमर्श तथा उनसे प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इस प्रकार शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का तात्पर्य शिक्षा के उन सिद्धान्तों तथा नीतियों के निर्धारण से है, जिनके आधार पर समस्त राष्ट्र की गतिविधियों का संचालन होता है।

भारत में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार परिषद् समय-समय पर शिक्षा-नीति सम्बन्धी सुझाव शासन को देती है।

माध्यमिक शिक्षा राज्य का विषय होने के कारण राज्य स्वयं उसकी नीति निधारित करने के लिये सक्षम होता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त समितियों और आयोगों की सिफारिशों पर वही निर्णय करता है। राज्य स्वयं भी माध्यमिक शिक्षा की नीति निधारित करने के लिये समितियों तथा आयोगों का गठन कर सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की स्थानीय, सामाजिक परिस्थितियों, बालक के सर्वांगीण विकास, पंचवर्षीय योजनाओं में निधारित शिक्षा के लक्ष्यों तथा राष्ट्रीय सामाजिक

उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में स्वयं की शैक्षिक नीतियों के निर्माण हेतु कई बार समितियों का गठन किया है। स्वाधीनता के पहले शिक्षा को कभी भी इसका देय नहीं मिला।

18 फरवरी सन् 1947 को तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने पत्रकारों के एक सम्मेलन में भाषण करते हुए कहा था कि "हमारे राष्ट्रीय बजट में शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसका स्थान खाने और कपड़े के तुरंत बाद ही होना चाहिए।"[3] लेकिन बाढ़ों, सूखे व आबादी की अदला-बदली के कारण खाने व कपड़ों की कमी हो गयी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की मुद्रा-स्फीति, बढ़ती हुई कीमतों, देशी रियासतों एवं नये प्रजातंत्र के एकीकरण तथा लाखों विस्थापितों के पुनर्वास आदि प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं का सामना करने के कारण शिक्षा को प्रधानता नहीं मिल सकी।

सन् 1950 में तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार मंडल के सदस्यों के सामने शैक्षिक वित्त पर इन सब कठिनाइयों के प्रभाव पर निम्नांकित प्रकाश डाला है -

"सन् 1947 में शरणार्थियों की समस्या में देश की पूरी शक्ति और वित्त का अधिकांश भाग व्यय हो गया था, इसलिये इस समय निकट भविष्य में शिक्षा के प्रसार के लिये पर्याप्त कोष की आशा नहीं की जा सकती थी। इन सब कठिनाइयों के बाद भी सन् 1948-49 के बजट में शिक्षा के लिये 11 (ग्यारह) करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया। अनेक प्रयत्नों के बाद भी प्रसार के इस परिमित कार्यक्रम के लिये पर्याप्त धन देने में हम असमर्थ रहे। सन् 1950-51 में परिस्थितियों के काफी सुधरने की आशा थी, किन्तु यह भी पूरी न हो सकी। हम आज ऐसे वित्तीय संकट में पड़ गये हैं कि शिक्षा के स्वीकृत बजट से हमें दस से बीस प्रतिशत की कटौती करनी पड़ रही है।"[4]

3- आत्मानन्द मिश्र, "दि फाइनेन्सिंग आफ इन्डियन एजूकेशन," नयी दिल्ली, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1967, पृष्ठ-217

4- शिक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार मंडल की सोलहवीं तथा सात्रहवीं बैठक की कार्यवाही (1950), पृष्ठ-13

उपर्युक्त परिस्थितियों में शिक्षा के लिये अधिक वित्तीय प्राविधान करने की आशा धूमिल होने लगी।

ऐसी विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा-सुधार के लिये विचार-विमर्श जारी रखा गया और शिक्षाविदों की अनेक समितियाँ तथा सम्मेलन बुलाये गये। उनमें शिक्षा की प्रतिकृति निर्धारित करने पर विवेचन किया गया। सन् 1950 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क घोषित करने हेतु निदेशक सिद्धांत निरूपित किया गया। उसके तत्काल 1 वर्ष बाद पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के लक्ष्य, विस्तार तथा उसकी उपलब्धता हेतु कार्यक्रम सम्मिलित किये गये।

इन आयोगों, समितियों, पंचवर्षीय योजनाओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा-नीतियों ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो नीतियाँ निर्धारित की हैं, उनका यहाँ विवेचन किया जायेगा तथा यह दर्शाने का प्रयास किया जायेगा कि उत्तर प्रदेश में किस सीमा तक उनका अनुसरण किया गया है।

भारत में समय-समय पर जो शिक्षा-आयोग नियुक्त किये गये हैं, उनका विवरण अग्रांकित सारिणी में दिया जा रहा है -

सारिणी - 4·1

अखिल भारतीय शिक्षा-आयोग

समयावधि	आयोग का नाम	नियुक्ति-वर्ष	आयोग के अध्यक्ष	कार्य-क्षेत्र	प्रचलित नाम
स्वतंत्रता के पूर्व	1- इन्डियन इजूकेशन कमीशन	1882	डब्ल्यू0डब्ल्यू0 हंटर	प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालेज शिक्षा	हंटर कमीशन
	2- इन्डियन इजूकेशन कमीशन	1902	रेले	विश्वविद्यालय शिक्षा	रेले कमीशन
	3- कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन	1917	एम0ई0 सैडलर	विश्वविद्यालय शिक्षा	सैडलर कमीशन
स्वतंत्रता के बाद	1- विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग	1948-49	सर्वपल्ली राधाकृष्णन्	विश्वविद्यालय शिक्षा	राधाकृष्णन् कमीशन
	2- माध्यमिक शिक्षा-आयोग	1952-53	ए0एल0मुदालियर	माध्यमिक शिक्षा	मुदालियर कमीशन
	3- संस्कृत-आयोग	1956-57	सुनील कुमार चटर्जी	संस्कृत शिक्षा	--
	4- शिक्षा-आयोग	1964-66	डी0एस0 कोठारी	राष्ट्रीय शिक्षा	कोठारी कमीशन
	5- अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा-आयोग	1971-72	एडगर फोरे	अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा	लर्निंग टुबी
	6- राष्ट्रीय शिक्षक-आयोग	1982-83	डी0पी0चट्टोपाध्याय	स्कूल स्तर	--
	7- राष्ट्रीय शिक्षक-आयोग	1982-83	प्रो0रईस अहमद	विश्वविद्यालय स्तर	--

स्रोत - 1- जे0सी0 अग्रवाल, "डेवलपमेन्ट एन्ड प्लानिंग आफ माडर्न इजूकेशन," नयी दिल्ली, विकास पब्लिसिंग हाउस , 1985

2- एस0के0 मूर्ति, "कान्टेम्पोरेरी प्राब्लेम्स एन्ड करेन्ट ट्रेन्ड्स इन इजूकेशन," लुधियाना, प्रकाश ब्रदर्स, 1979

प्रस्तुत शोध में काल-क्रमानुसार स्वतंत्रता के पश्चात् नियुक्त आयोगों की माध्यमिक शिक्षा की अनुशंसाओं पर प्रकाश डाला जा रहा है।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग §1949§[5] -

भारतीय शिक्षा के उत्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना करना था। आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर ही रिपोर्ट प्रस्तुत करना था तथा उन सुधारों एवं विकासों के सम्बन्ध में सलाह देना था, जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिए वाँछनीय हों। परन्तु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो राधाकृष्णन् आयोग के नाम से प्रसिद्ध है, ने माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर भी विचार-विमर्श किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उच्च शिक्षा तभी महत्वपूर्ण एवं अर्थपूर्ण हो सकती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा का आधार सुदृढ़ हो।

राधाकृष्णन् आयोग ने राष्ट्र को चुनौतीपूर्ण संदेश देते हुए कहा कि -

"प्रान्तीय सरकारें स्वभावतः बेसिक शिक्षा के विस्तार के लिए तत्पर हैं, किन्तु दुर्भाग्यवश वह माध्यमिक शिक्षा के लिए इतना उत्साह नहीं दिखातीं, जबकि वह हमारे पूरे शैक्षिक संयंत्र का वास्तविक कमजोर स्थल है। उनको यह एहसास नहीं हुआ है कि बेसिक शिक्षा के त्वरित विस्तार के लिए जिन कुशल शिक्षकों की सेना की आवश्यकता है, वह माध्यमिक विद्यालयों और इंटरमीडिएट कालेजों से ही प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कोई भी विश्वविद्यालय व्यर्थ हो जायेगा, जब-तक कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर ऊँचा नहीं उठाया जाता।"

माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी आयोग ने निम्नवत् अनुशंसाएँ की हैं -

माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम की कुल अवधि में वर्तमान इन्टरमीडिएट परीक्षा

5- रिपोर्ट आफ दि यूनिवर्सिटी इजूकेशन कमीशन, 1949, दिल्ली, मैनेजर आफ पब्लिकेशन, 1950

को शामिल किया जाय और उसके बाद ही विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाय। माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएँ (मातृभाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी) पढ़ायी जाँय।

वित्त-व्यवस्था -

(1) राज्य द्वारा उच्च शिक्षा को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का दायित्व स्वीकार किया जाना चाहिए।

(2) निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित महाविद्यालयों को भवन और अन्य आवश्यक सामग्री के लिए आर्थिक सहायता दी जाय।

(3) इनकम टैक्स के कानूनों में सुधार किया जाय, जिससे लोग शिक्षा के कार्यो के लिए अधिक दान देने को प्रोत्साहित हों।

(4) कालेजों को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान प्रदान किया जाय।

(5) उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए सरकार आगामी पाँच वर्षों तक 10 करोड़ रुपये का व्यय करे।

(6) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाय।

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की अनुशंसाएँ आने के पूर्व ही शिक्षा पुनर्संगठन योजना (1948) के अन्तर्गत वर्तमान इन्टरमीडिएट कालेज, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है, की व्यवस्था अलग से की जा चुकी थी।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)[6] -

डा0 ताराचन्द्र समिति की सिफारिशों के प्रकाश में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसकी जाँच तथा पुनर्संगठन के लिए डा0 लक्ष्मणस्वामी मुदालियर, उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की।

---

6 - रिपोर्ट आफ दि सेकन्डरी एजूकेशन कमीशन, नयी दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ इजूकेशन एन्ड सोसल वेलफेयर, 1972

इस आयोग ने विस्तारपूर्वक माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अनुशंसाएँ निम्न थीं -

माध्यमिक शिक्षा की संरचना के सम्बन्ध में कहा गया था कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को तोड़कर 1 वर्ष माध्यमिक शिक्षा में और 1 वर्ष स्नातक शिक्षा में जोड़ दिया जाय, इस प्रकार विश्वविद्यालयों का डिग्री पाठ्यक्रम 3 वर्ष का कर दिया जाय। विभिन्न उद्देश्य, रुचि तथा योग्यता के विद्यार्थियों के लिए, जहाँ संभव हो, बहुमुखी पाठ्यक्रम वाले विद्यालय खोले जाँय। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाँय, जिनमें कृषि और उससे सम्बन्धित विषय पढ़ाये जाँय। पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण हेतु दो प्रकार के पाठ्यक्रम रक्खे जाँय - §1§ अनिवार्य विषय §2§ वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषयों हेतु सात समूह बनाये गये हैं। इन वैकल्पिक विषयों में से छात्र अपनी रुचि, आवश्यकता और योग्यता के अनुकूल कोई सा भी अध्ययन समूह ले सकता है। विद्यालय में छात्रों का संचित अभिलेख रक्खा जाय, जो उनकी प्रगति और प्रयासों को दर्शाये। आयोग ने शिक्षकों के वेतन बढ़ाने, शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष करने की अनुशंसा की। माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन हेतु प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा-सलाहकार मंडल बनाने का सुझाव दिया। विद्यालय में छात्रों का नामांकन 750 से अधिक न हो तथा शिक्षा-सत्र 200 दिवसीय हो। परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन पंच बिन्दु मापनी के आधार पर हो, पूरक परीक्षा की व्यवस्था हो तथा परीक्षा प्रश्न-पत्र निबन्धात्मक हों।

वित्त-व्यवस्था[7] -

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं -

---

7- पूर्वोक्त, पृष्ठ-237

§1§ माध्यमिक शिक्षा के सुधार और पुनर्गठन के लिए केन्द्र और राज्यों में घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित किये जाँय।

§2§ माध्यमिक शिक्षा के विकास पर दिये जाने वाले धन पर आयकर न लगाया जाय।

§3§ राष्ट्रीय उद्योगों जैसे - रेल, संचार, तार और डाक आदि से होने वाली आय का कुछ भाग प्राविधिक शिक्षा के विकास में व्यय किया जाय।

§4§ धार्मिक संस्थाओं और खेरात-खानों के बचे हुए धन को माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय।

§5§ शिक्षा- संस्थाओं सम्बन्धी सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर से मुक्त किया जाय।

§6§ केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जहाँ संभव हो, वहाँ स्कूलों को खेल के मैदान, कृषि के फार्म, इमारतें आदि मुफ्त दी जाँय।

§7§ विद्यालय जिन वैज्ञानिक यंत्रों, पुस्तकों और अन्य वस्तुओं को खरीदे, उन पर किसी तरह की चुंगी न ली जाय।

§8§ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के लिए "औद्योगिक शिक्षा-कर" लगाया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन ने मुदालियर कमीशन की सिफारिशों पर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने स्वयं प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए आचार्य नरेन्द्र देव समिति से संस्तुति मांगी थी, जो सन् 1953 में प्राप्त हुई। यह संस्तुतियाँ भी माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक पक्ष पर अपना विचार प्रस्तुत करती थीं, अतएव इनके आधार पर ही प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किये गये।

<u>शिक्षा आयोग §1964-66§</u>[8] -

भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 जुलाई सन् 1964 के प्रस्ताव के आधार

8- रिपोर्ट आफ दि इजूकेशन कमीशन, इजूकेशन एन्ड नेशनल डेवलपमेन्ट गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया, मिनिस्ट्री आफ इजूकेशन, 1964-66

पर शिक्षा आयोग सभी स्तरों पर तथा सभी पहलुओं पर शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति एवं सामान्य सिद्धान्तों और नीतियों के निर्धारण के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष डा0 डी0एस0 कोठारी थे, अतएव इसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर आयोग ने अग्रांकित महत्वपूर्ण अनुशंसाएँ की हैं -

आयोग ने 10+2+3 संरचना की सिफारिश की है। इसमें 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, दो वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा और तीन वर्ष का उपाधि पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। निम्न माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 8 से 10 तक) तीन भाषाएँ तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर (कक्षा 9 से 12) पाठ्यक्रम दो भागों में पढ़ाया जाय तथा मानविकी विषयों में से कोई दो वैकल्पिक विषय, कार्यानुभव, शिल्प-कार्य, शारीरिक शिक्षा और नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाय।

शिक्षकों की स्थिति के बारे में आयोग का सुझाव था कि शिक्षकों की आर्थिक सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति को उन्नत करना बहुत आवश्यक है, जिससे वह रुचि, उत्साह और साहस तथा धैर्य के साथ अपना कार्य करे। शिक्षकों की सेवा-शर्तों और वेतन को उन्नत करने की जोरदार सिफारिश की है। प्रशिक्षित स्नातकों का वेतनक्रम 220 रु0 और 20 वर्ष बाद 400 रु0 दिया जाय। स्नातकोत्तर उपाधि- प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों का वेतनमान 300-600 रु0 हो। प्रशिक्षण-प्राप्त करने के उपरान्त जितना वेतन वे पा रहे हों, उसमें एक वर्ष की वेतन-वृद्धि कर दी जाय। माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में आयोग का सुझाव था कि उनका वेतन उनकी योग्यताओं और विद्यालय के आकार पर निर्भर होगा।

<u>वित्तीय व्यवस्था</u> -

भारत में यदि शिक्षा का विकास ठीक ढंग से करना चाहते हैं तो शिक्षा

के व्यय को आगे आने वाले 20 सालों में 12 रूपये प्रति व्यक्ति, जो कि 1965-66 में था, 1985-86 तक 54 रू0 प्रति व्यक्ति करना होगा। 1965-66 में राष्ट्रीय आय का 2·9 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय किया जाता था, यह सन् 1985-86 में 6·0 प्रतिशत हो जायेगा।

वित्तीय व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझावों पर विशेष बल दिया है -

आने वाली दो या तीन शताब्दियों तक यद्यपि सम्पूर्ण शिक्षा-व्यय का 2/3 भाग विद्यालयीय शिक्षा पर व्यय किया जायेगा तथा 1/3 भाग विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर व्यय होगा, फिर भी प्रत्येक दशक में धनराशि की गति बदलनी होगी।

जिला विद्यालय परिषदों को आर्थिक सहायता के उद्देश्य से जिला परिषदों द्वारा कम से कम तथा अधिक से अधिक राशि निर्धारित की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा उसी अनुपात में सहायता-अनुदान दिया जाना चाहिए, जिस अनुपात में जिला परिषद् अतिरिक्त लगान वसूल करे। आवर्तक अनुदान अलग से दिया जाय, यह पूरे व्यय का लगभग 2/3 होना चाहिए।

शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने प्रान्त की माध्यमिक शिक्षा में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं किया। आयोग द्वारा सुझायी गयी 10+2+3 शिक्षा-संरचना के अन्तर्गत तीन वर्ष का उपाधि पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया गया तथा माध्यमिक शिक्षा का ढांचा भी वही बना रहा, जैसा कि आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1953) में निर्धारित किया गया था। भाषाओं के अध्ययन, शिक्षकों की स्थिति, छात्रों के मार्ग-दर्शन, मूल्यांकन, विद्यालयीय प्रशासन और निरीक्षण तथा पाठ्य-पुस्तकों की रचना आदि पर तत्काल शासन अपने साधनों के अनुकूल आयोग की कुछ सिफारिशों को शनैः-शनैः कार्यान्वित करने के लिये सजग रहा है और इसी दिशा में 15 मार्च 1969 को एक राजाज्ञा द्वारा सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये गये।

वेतनमानों में पुनः पुनरीक्षण सन् 1971-73 में वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर किया और दिनांक 14-11-73 से शासकीय तथा गैरशासकीय उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को समान वेतन तथा समान दर पर मंहगाई-भत्ता देना स्वीकार किया गया। पाठ्यक्रम में परिवर्तन एवं सुधार करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अन्तर्गत पाठ्यक्रम-शोध एवं मूल्यांकन इकाई की स्थापना 1975 में की गयी। इस इकाई द्वारा हाई स्कूल का परीक्षाफल मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया। बाद में इस प्रणाली को इण्टरमीडिएट स्तर पर भी लागू कर दिया गया। आयोग ने शिक्षकों की दशा सुधारने के लिये लाभत्रयी योजना चालू कर दी। 1973-74 से अध्यापकों के कल्याण के लिये सामूहिक बीमा योजना लागू की। इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट में 1975 से यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी अध्यापक को साठ दिन से अधिक जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के बिना निलम्बित नहीं रखा जा सकता।

पाठ्य-पुस्तकों की रचना एवं गुणवत्ता आदि सुधारने के लिये आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने 1975 से हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर अनिवार्य अध्ययन - हेतु हिन्दी की पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। शैक्षिक अवसरों में समानता लाने के लिये बालिकाओं की शिक्षा कक्षा 10 तक निःशुल्क कर दी गयी तथा परिगणित जातियों के बच्चों के लिये प्रवेश में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये। परिगणित जाति के अभिभावकों, जिनकी आय 500 रुपये प्रतिमाह है, उनके बच्चों को इण्टरमीडिएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान किया गया। छात्रावास में भी 18 प्रतिशत स्थान इनके बच्चों को सुरक्षित किये गये।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा आयोग द्वारा संस्तुत माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश सिफारिशों को सुविधानुसार किसी न किसी रूप में कार्यान्वित करने के प्रयास किये गये।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग[9] (1971-72) -

संसार के शिक्षा-इतिहास में 1971-72 का अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग एक मील-पत्थर है। इसने संसार के सभी देशों की नयी ललकारों का सामना करने के लिये नयी दिशाएँ दी हैं। इस रिपोर्ट का सारांश "आजीवन शिक्षा" है। इसने औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न नियन्त्रणों तथा कक्षा-कक्ष और जीवन के बीच की सीमाओं को समाप्त करने का सुझाव दिया है।

साधारण स्कूल के लिये, जिसमें सेकेण्डरी शिक्षा भी शामिल है, इस आयोग ने सिफारिश की है -

> "अध्यापन की विभिन्न विधियों में कठोर अंतरों - साधारण, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यावसायिक - को छोड़ देना चाहिए और प्राइमरी व सैकेण्डरी स्तर तक शिक्षा एक ही समय में सैद्धांतिक, तकनीकी, क्रियात्मक तथा दस्तकारी बननी चाहिए।

इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार ने सभी राज्यों को ये निर्देश प्रदान किये कि वे इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा विभिन्न नियंत्रणों तथा कक्षा-कक्ष और जीवन के बीच की सीमाओं को समाप्त कर शिक्षा-व्यवस्था में सुधार करें। उत्तर प्रदश ने इस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अनौपचारिक शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था की है। पत्राचार-पाठ्यक्रम तथा दूर-शिक्षा भी प्रारम्भ कर दी गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (प्रथम)[10] 1982-83 -

अध्यापक समुदाय से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर सलाह देने के लिये, भारत

9- "इन्टरनेशनल कमीशन आन इजूकेशन" यूनेस्को, 1971-72

10- डी0पी0 चट्टोपाध्याय, राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (प्रथम), नयी दिल्ली गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया - 1983

सरकार ने 16 फरवरी, 1983 के प्रस्ताव नम्बर 23-1/81 पी0एन0 2 के अनुसार दो राष्ट्रीय शिक्षक-आयोगों की नियुक्ति की थी। इसमें पहले राष्ट्रीय आयोग ने स्कूल स्तर के अध्यापकों से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार किया।

प्रथम राष्ट्रीय शिक्षक-आयोग के अध्यक्ष, प्रो0 डी0पी0 चट्टोपाध्याय थे। अध्यापकों के लिये गठित प्रथम राष्ट्रीय आयोग की माध्यमिक स्कूलों से सम्बन्धित निम्नवत् अनुशंसाएँ थीं -

1- महिला अध्यापकों के लिये क्वार्टरों का निर्माण कराया जाय।

2- केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को अध्यापकों तथा शिक्षा-प्रशासकों के लिये ढेर सारे वेतन-क्रमों के स्थान पर एक ही वेतन-क्रम लागू करने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा समन्वित वेतन-क्रम लागू करना चाहिए।

3- वाइस प्रिंसिपल का पद माध्यमिक स्कूलों में बढ़ाया जाय।

4- अध्यापकों के संगठनों के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों के लिये आचार-संहिता तैयार की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन ने अध्यापकों के समन्वित वेतन-मान को स्वीकार कर लिया है तथा इसकी घोषणा 19 सितम्बर 1989 को कर दी है। प्रदेश में वाइस प्रिंसिपल का पद अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित है तथा निरंतर 3 दशकों से चला आ रहा है।

भारतीय संविधान में माध्यमिक शिक्षा-नीति[11] -

भारत का संविधान जनवरी 1950 में लागू किया गया था। संविधान में देश की शिक्षा-नीतियों का मोटे तौर पर उल्लेख किया गया था। प्रत्येक देश के संविधान

11- जय नारायण पान्डेय, "भारत का संविधान" इलाहाबाद, सैन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 1976

का अपना दर्शन होता है, जो जन-साधारण के आदर्शों, मूल्यों, आशाओं तथा आकांक्षाओं को मूर्तरूप देता है। अतएव यह स्वाभाविक है कि इस दस्तावेज में शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए।

भारतीय संविधान केवल वैधानिक उपबन्धों का संकलन भाग नहीं है, अपितु इसमें राष्ट्र की आत्मा के दर्शन होते हैं। इस संविधान में अतीत की महत्ता, वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की उज्ज्वलता का संकेत होता है।

हमारा संविधान 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत तथा अधिनियमित किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।

सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों का बंटवारा करते हुए संविधान में तीन सूचियाँ दी हुई हैं -

§1§ केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सूची। इसे केन्द्र-सूची कहते हैं।

§2§ राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यो की सूची। इसे राज्य-सूची कहते हैं।

§3§ ऐसे कार्यो की सूची, जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की है, समवर्ती सूची कहलाती है।

संविधान में शिक्षा को राज्य-सूची में सम्मिलित किया गया था, अतः 1976 तक शिक्षा का पूर्णरूपेण दायित्व राज्यों पर ही रहा। केवल उच्चशिक्षा और अनुसंधान में माप-दण्डों को निर्धारित करने का अधिकार केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में रखा।

1976 में 42वें संविधान-संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, अतएव शिक्षा को एक समवर्ती विषय मान लेने पर न केवल शिक्षा-विकास के उद्देश्यों के प्रतिकूल बातों अथवा कार्यकलापों के रोकने के बारे में केन्द्रीय सरकार का दायित्व बढ़ गया है, बल्कि पूरे देश में शिक्षा की वृद्धि-दर, विस्तार तथा उसके स्तर में

सुधार लाने की जिम्मेदारी तथा योजना बनाने का भार भी केन्द्रीय सरकार के ऊपर आ गया है। संविधान के अनुच्छेदों 1, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 29, 30, 41, 45, 46, 246, 337, 338, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 350 तथा 351 में शिक्षा के विविध पक्षों की ओर स्पष्ट संकेत दिये गये हैं।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्वान्त[12] -

संविधानमें यह बात स्पष्ट रूप से इंगित की गयी है कि नीति-निदेशक तत्व वाद-योग्य नहीं हैं, जबकि मूल-अधिकार वाद-योग्य हैं। इन अनुच्छेदों के आधार पर इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किन्तु इनमें दिये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। मूल-अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

निदेशक सिद्वान्त के अन्तर्गत शिक्षा से सम्बन्ध रखने वाली धारायें निम्नवत् हैं -

धारा-45 - "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर चौदह वर्ष तक की आयु के सब बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगा।"

धारा-46 - "शासन जनता के निर्बल वर्ग, विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों की शिक्षा तथा आर्थिक रुचि उत्पन्न करने में विशेष ध्यान। देगा तथा उनकी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से सुरक्षा करेगा।"

संविधान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि धर्म, जाति तथा भाषा के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश पाने से नहीं रोका जा सकेगा। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा-संस्थायें खोलने तथा चलाने का अधिकार रहेगा। राज्य द्वारा संचालित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था और वित्तीय व्यवस्था के लिये संविधान में समुचित

प्राविधान किया गया है। संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था की गयी तथा नीति-निदेशक प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अभीष्ट लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शासन प्रयासरत है।

हमने अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त आयोगों में माध्यमिक शिक्षा की नीति तथा उसकी वित्तीय व्यवस्था में प्रतिपादित नीति के दृष्टिकोणों, सुझावों, अनुशंसाओं तथा भारतीय संविधान में निरूपित निदेशक सिद्धान्तों पर विचार किया।

अब हम समय-समय पर अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्त समितियों की माध्यमिक शिक्षा तथा उसकी वित्तीय नीति की आख्याओं तथा संस्तुतियों पर विचार करेंगे।

सारिणी - 4·2

अखिल भारतीय शिक्षा-समितियाँ

समितियों के नाम	नियुक्ति-वर्ष	अध्यक्ष का नाम	प्रचलित नाम	कार्य- क्षेत्र
§1§ दि रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन सेकन्डरी इजूकेशन इन इण्डिया	1948	डा0ताराचन्द्र	ताराचन्द्र कमेटी	सेकन्डरी इजूकेशन
§2§ दि रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन दि वेज एन्ड मीन्स आफ फाइनेन्सिंग इजूकेशन डेवलपमेन्ट इन इन्डिया	1950	बी0जी0 खेर	खेर कमेटी	राष्ट्रीय शिक्षा
§3§ पोस्ट बेसिक विद्यालयों की समन्वय-समिति	1957	डा0पी0डी0 शुक्ला	--	पोस्ट बेसिक बहुउद्देशीय विद्यालय
§4§ रिपोर्ट आन दि नेशनल कमेटी आन वोमेन इजूकेशन	1959	श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख	दुर्गाबाई कमेटी	शिक्षा के सम्पूर्ण स्तर
§5§ कमेटी आन रिलीजिअस एन्ड मारल इंस्ट्रक्शन	1960	श्री प्रकाश	श्री प्रकाश कमेटी	शिक्षा के सम्पूर्ण स्तर
§6§ रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन डिफरेन्सियेशन आफ करीकुला फार ब्वायज एन्ड गर्ल्स	1964	श्रीमती हंसा मेहता	हंसा समिति	शिक्षा के सम्पूर्ण स्तर

सारिणी - 4·2 क्रमशः ------

§7§ रिपोर्ट आन साइंस इजूकेशन इन सेकन्डरी स्कूल्स	1964	डा0के0एन0 माथुर	--	माध्यमिक विद्यालय
§8§ कोआर्डीनेशन कमेटी आफ दि डिफरेन्ट स्कीम्स एन्ड प्रोग्राम्स इन दि फील्ड आफ फिजिकल इजूकेशन रिक्रियेशन एन्ड यूथ वेलफेयर	1964	डॉ0हृदय नाथ कुंजरू	कुंजरू कमेटी	शारीरिक शिक्षा सम्पूर्ण स्तर
§9§ कमेटी आन स्कूल टेक्स्ट बुक्स	1966	के0जी0 सैयदेन	--	माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर
§10§ कमेटी आन इक्जामिनेशन	1971	सिद्वार्थ शंकर रे	परीक्षा समिति	सम्पूर्ण शिक्षा स्तर
§11§ कमेटी आन 10+2+3	1973	पी0डी0 शुक्ला	10+2+3 समिति	माध्यमिक शिक्षा
§12§ ईश्वर भाई पटेल रिव्यू कमेटी	1977	ईश्वर भाई पटेल	ईश्वर भाई पटेल कमेटी	10+2 स्तर §माध्यमिक§
§13§ राष्ट्रीय समीक्षा समिति	1977	मेलकाम एस0 आदिशेषैया	आदिशेषैया समिति	10+2 स्तर §माध्यमिक§
§14§ नेशनल करीकुलम फार प्राइमरी एन्ड सेकन्डरी	1985	एन0सी0ई0 आर0टी0	--	माध्यमिक स्तर

ताराचन्द्र समिति 1948[13] -

सन् 1948 में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार परिषद् ने अपनी बैठक में माध्यमिक शिक्षा के प्रश्न पर विचार किया। माध्यमिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान देते हुए परिषद् ने प्रस्ताव रखा कि,

"भारत सरकार एक शिक्षा-कमीशन नियुक्त करे, जो भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान दशा की जांच-पड़ताल करे और माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर

13- ताराचन्द्र, "रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन सेकण्डरी इजूकेशन इन इण्डिया," नयी दिल्ली, शिक्षा-मंत्रालय, 1948

सूझाव प्रस्तुत करें।"

इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत सरकार ने अपने तत्कालीन शिक्षा-सलाहकार डा0 ताराचन्द्र की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति कर दी। इस समिति ने माध्यमिक शिक्षा पर कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं।

समिति के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देश्यीय विद्यालयों में बदलकर उनमें विभिन्न प्रकार के ऐसे कोर्स चलाये जाँय, जिनसे अधिकांश छात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की ओर उन्मुख हो सके। परम्परागत एकांगी विद्यालयों की उपेक्षा न कर, उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप चलाने दिया जाय। समिति ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का कार्यकाल 12 वर्ष करने की सिफारिश की तथा इन 12 वर्षों को 5 वर्ष जूनियर बेसिक, 3 वर्ष सीनियर बेसिक तथा 4 वर्ष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये निर्धारित करने का सुझाव दिया।

समिति ने हिन्दीको माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाये जाने की सिफारिश की तथा अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाये जाने को कहा। उसने माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर बाह्य परीक्षा सम्पादित करने का सुझाव दिया। माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध शिक्षकों की सेवा-सुविधाओं तथा वेतनक्रमों को केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार परिषद् के प्रस्तावों के अनुरूप करने का सुझाव दिया। समिति ने योग्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात कही तथा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को जानने-समझने तथा समाधान के लिये आयोग की नियुक्ति की बात कही। समिति ने राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के प्रान्तीय मंडल स्थापित करने तथा उनके कार्यों के समायोजन के लिये एक अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की।

उत्तर प्रदेश ने डा0 ताराचन्द्र समिति की संस्तुतियों को यथावत् स्वीकार नहीं किया। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के संगठन के लिये सन् 1948 में शिक्षा पुनः संगठन योजना का निर्माण किया गया।

खेर समिति[14] §1950§ -

सन् 1950 में बी0जी0 खेर ने "भारत में शैक्षिक विकास के वित्त प्रबन्धन के उपाय और साधन की समिति" नामक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

खेर समिति ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करते हुए कहा कि केन्द्र को अपने राजस्व का 10 प्रतिशत तथा राज्य को 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, साथ ही माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित स्नातकों का वेतन 80 रू0 से बढ़ाकर 220 रू0 कर देना चाहिए एवं 150 रू0 से 300 रू0 तक का एक सेलेक्शन ग्रेड भी दिया जाना चाहिए।

समिति के अनुसार, 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा 10 वर्ष की कालावधि में पूरी की जानी चाहिए तथा अनिवार्य शिक्षा के ऊपर के स्तरों में शिक्षा-शुल्क की दरें बढ़ा देनी चाहिए। शिक्षा के कुल व्यय का 70 प्रतिशत राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा तथा 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:40 के बजाय 1:30 होना चाहिए, जो पांच वर्ष की अवधि तक 1:40 हो सकता है।

उत्तर प्रदेश शासन ने समिति द्वारा सुझायी 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा की बात स्वीकार कर ली, परन्तु कुल राजस्व का 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की बात स्वीकार नहीं की।

पोस्ट बेसिक विद्यालयों की समन्वयन समिति[15] §1957§ -

सन् 1957 में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार परिषद् के निर्देश पर डा0 पी0डी0

14- बी0जी0 खेर, "रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन दि वेज एन्ड मीन्स आफ फाइनेन्सिंग इजूकेशन डेवलपमेन्ट इन इण्डिया" नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1950

15- कमेटी फार दि इन्टिग्रेसन आफ पोस्ट बेसिक एन्ड मल्टी परपज स्कूल्स 1957 मिनिस्ट्री आफ इण्डिया 1960

शुक्ला की अध्यक्षता में पोस्ट बेसिक और बहुउद्देश्यीय विद्यालयों का समन्वय करने के लिये एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अनुशंसा की है कि पोस्ट बेसिक स्कूलों में कला और विज्ञान का पाठ्यक्रम उन्नत करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बराबर बना दिया जाय। माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति के अनुसार सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में क्राफ्ट बढ़ाया जाय तथा पोस्ट बेसिक स्कूलों को क्राफ्ट की उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के वैकल्पिक समूहों के बराबर मान्यता दी जाय। माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दोनों ही प्रकार के विद्यालयों की एक ही परीक्षा ली जाय और एक ही प्रकार का प्रमाण-पत्र दिया जाय।

उत्तर प्रदेश में पोस्ट बेसिक विद्यालयों की संख्या अधिक नहीं थी। ये सभी विद्यालय धीरे-धीरे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिये गये।

स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति[16] §1959§ -

सन् 1959 में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में नियुक्त स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। माध्यमिक स्तर पर इस समिति की संस्तुति अग्रांकित थी -

माध्यमिक स्तर पर मिडिल स्कूल तक सह-शिक्षा स्वीकार की जाय, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के विद्यालय अलग हों। एक निर्धारित आय के माता-पिता की कन्याओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाय। मिडिल स्तर और विशेषकर उच्च माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षिकाओं के लिये आवास एवं ग्रामीण भत्ता देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश की विभागीय माध्यमिक शिक्षा समिति 1958 ने स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी अनेक सिफारिशें की थीं, जिन पर टिप्पणी करते हुए आचार्य जुगुल किशोर, शिक्षा मंत्री तथा

16- दुर्गाबाई देशमुख - "रिपोर्ट आफ दिं नेशनल कमेटी आन वोमेन्स एजूकेशन" नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार - 1959

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा कमेटी §1961§ ने कहा कि यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गयी है और यह अनुशंसा की है कि लेखपाल और जिला परिषद् के शिक्षकों की पत्नियों और स्त्री-सम्बन्धियों को स्कूलों में नौकर रखा जाय। जो स्त्रियाँ देहात में शिक्षण-कार्य कर रही हैं, उनके पतियों का वहाँ स्थानान्तरण कर दिया जाय। प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षिकाओं की प्रवेश-आयु 45 वर्ष कर दी जाय।

श्री प्रकाश कमेटी[17] §1960§ -

सन् 1960 में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार परिषद् द्वारा धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करने के लिए डा0 श्री प्रकाश तत्कालीन राज्यपाल, बम्बई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

इस समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा पर जो सुझाव दिये गये थे, वह निम्नलिखित थे।

समय-सारिणी में एक कालांश प्रतिदिन नैतिक शिक्षा के मूल्य के लिए रक्खा जाय। बालकों को समय-समय पर सेवा-कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाय, जिससे उनमें मानवता, राष्ट्र-प्रेम, स्वावलम्बन, श्रम तथा गौरव आदि की भावनायें उत्पन्न हो सकें। परीक्षाओं में विद्यार्थियों के चरित्र का मूल्यांकन किया जाय और इसे उचित स्थान दिया जाय। भाषा की शिक्षा, समाज-शिक्षा. तथा इतिहास की पढ़ाई में संसार के महान् धर्मो का तथा उपदेशों का समावेश किया जाय। प्रातः कालीन सभा में दो मिनट के लिए शान्ति-प्रार्थना करें, उसके बाद संसार के उत्तम साहित्य में से कुछ शिक्षा-प्रद अंश विद्यार्थियों के समक्ष पढ़े जाँय अथवा व्याख्यान दिए जाँय। समूह-गान को भी प्रोत्साहित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन ने यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई आदेश प्रदान नहीं किये

17- श्री प्रकाश, 'कमेटी आन रिलीजिअस एन्ड मारल इंस्ट्रक्शन', नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1960

थे, फिर भी प्रायः सभी विद्यालयों में कार्य आरम्भ करने के पूर्व छात्र कक्षावार पंक्तियों में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं तथा उन्हें समुचित उपदेश दिये जाते हैं। आजकल नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अंग बन चुकी है और उस पर विशेष बल दिया जा रहा है।

श्रीमती हंसा मेहता समिति[18] (1964) -

सन् 1964 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता पर विचार करने हेतु एक समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने प्रबन्धकों को यह स्वतन्त्रता प्रदान कर दी कि यदि वे चाहें तो बालिकाओं के अलग से विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को विषय -चयन करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी जाय, जो बालिकाएँ गणित तथा विज्ञान जैसे कठिन विषयों का चयन करें, उन्हें प्रोत्साहित तथा पुरस्कृत किया जाय। पाठ्य-पुस्तकों में स्त्रियोपयोगी विषयों जैसे- त्योहार, बालिकाओं के खेल, प्रसिद्ध स्त्रियों की जीवनियाँ, संसार में उच्च पदों पर आसीन महिलाओं की विशिष्टताएँ तथा हमारे गौरव तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रणी महिलाओं की जीवनियों पर प्रकाश डाला जाय। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सेक्स-एजूकेशन को भी सम्मिलित किया जाय।

उत्तर प्रदेश शासन ने इस समिति की अनुसंशा के पूर्व ही अलग से विद्यालय खोलने तथा छात्राओं को विषय-चयन की सुविधा प्रदान कर रखी थी। गृह-विज्ञान तथा ललित कलायें उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे तथा गणित वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ायी जाती थी। उत्तर प्रदेश शासन ने सेक्स-एजूकेशन देना स्वीकार नहीं किया।

विज्ञान शिक्षा समिति[19] (1964) -

माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा के लिए प्रयोगशाला, उपकरण तथा विज्ञान

18- श्रीमती हंसा मेहता, रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन डिफरेन्शियेसन्स आफ करीकुला, फार ब्वायज एन्ड गर्ल्स, नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1964

19- रिपोर्ट आन साइंस इजूकेशन इन सेकण्डरी स्कूल्स, "कमेटी आन प्लान प्रोजेक्ट्स" नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, 1964

सम्बन्धी शिक्षण-सामग्री की व्यवस्था तथा इस हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर विचार हेतु एक समिति डा0 के0एन0 माथुर की अध्यक्षता में गठित की गयी।

इस समिति ने निम्न संस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं -

वित्तीय विधि -

वित्तीय मांग-हेतु शिक्षा-विभाग को पूर्ण विवरण के साथ नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के 9 महीने पूर्व प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए। वित्त विभाग को 3 माह के अन्दर प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपना निर्णय लेकर सत्र के 6 माह के पूर्व ही वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर देनी चाहिए। हाई स्कूल में विज्ञान-शिक्षण शुरू करते समय 10,000 रूपये §1,000 रू0 वर्कसाप टूल्स§ भौतिकशास्त्र तथा रसायन-शास्त्र प्रयोगशाला के लिये दिये जाने चाहिए तथा यदि जीव विज्ञान का प्रारम्भ किया हो, तो 3,000 रू0 अतिरिक्त प्रदान किये जाँय। मिडिल स्कूलों के लिये 4,000 रूपये के उपकरण आवश्यक समझे गये हैं। विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिये कच्चा माल खरीदने के लिये वार्षिक अनुदान दिया जाना चाहिए।

जहाँ विज्ञान शुल्क विद्यार्थियों से वसूल किया जाता है, वहाँ यह शुल्क विद्यालय में ही रोककर विज्ञान प्रयोगशालाओं में ही खर्च किया जाना चाहिए तथा इसका समायोजन आवर्ती अनुदान में किया जा सकता है।

विज्ञान-उपकरण -

राज्य शिक्षा-विभाग राज्य-मंडल तथा जनपदवार विज्ञान-उपकरण खरीद सकता है। राज्य सरकार को अपने उत्पादकों के लिये बाजार लगवाना चाहिए, जहाँ शासन द्वारा प्रदेश में निर्मित उपकरणों के अतिरिक्त अन्य उत्पादकों की प्रदर्शनी लगानी चाहिए। इस बाजार की शाखाएं जिला तथा विद्यालय स्तर पर भी होनीं चाहिए, जहाँ वैज्ञानिक उपकरणों तथा सामग्री का अवलोकन तथा चयन उपयुक्तता के आधार पर किया जा सके। प्रत्येक राज्य को पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के अनुरूप पंचवर्षीय आवश्यकताओं की योजना बनाना चाहिए।

प्रयोगशाला-योजना -

प्रयोगशाला सदैव निचली सतह पर ही निर्मित की जाय तथा कक्षाओं की पंक्ति में ही अवस्थित होनी चाहिए। प्रयोगशाला-मेज यूनेस्को-टीम की संस्तुति के आधार पर मानक आकार की §4फिट - 0इंच × 1फिट - 9इंच§ होना चाहिए। शिक्षक की मेज का आकार §8फिट - 0इंच × 2फिट - 6इंच§ होना चाहिए तथा जमीन की सतह से इसकी ऊँचाई 7 फिट होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन ने विज्ञान - समिति द्वारा संस्तुत सभी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा विज्ञान-शिक्षा की प्रगति के लिये प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा उपकरणों के क्रयार्थ अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया। शासन ने पंचवर्षीय योजनाओं में भी विज्ञान-शिक्षा की नीति को स्पष्ट कर उसके उन्नयन-हेतु व्यवस्था की।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त समितियाँ तथा आयोग -

उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार, उन्नयन, पुनर्संगठन तथा वित्तीय व्यवस्था में समयानुकूल आवश्यक परिवर्तनों हेतु समय-समय पर अनेक समितियाँ तथा आयोग नियुक्त किये, जिनका विवरण निम्नांकित है -

सारिणी - 4.3

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त शिक्षा-समितियाँ तथा आयोग

समिति का नाम	नियुक्ति-वर्ष	अध्यक्ष का नाम	कार्य-क्षेत्र	प्रचलित नाम
स्वतन्त्रता के पूर्व				
§1§ रिपोर्ट आन दि रिआर्गनाइजेशन आफ सेकण्डरी इजूकेशन इन यूनाइटेड प्राविन्स, 1936	1936	आर0एस0 वियर	माध्यमिक शिक्षा	वियर कमेटी
§2§ रिपोर्ट आन दि प्राइमरी एण्ड सेकण्डरी इजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी	1939	आचार्य नरेन्द्रदेव	प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा	आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी

सारिणी - 4·3 क्रमशः -----

स्वतन्त्रता के पश्चात्				
§1§ शिक्षा पुनर्संगठन योजना	1948	--	माध्यमिक शिक्षा	--
§2§ रिपोर्ट आन दि सेकण्डरी इजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी उ0प्र0, 1953	1953	आचार्य नरेन्द्रदेव	माध्यमिक शिक्षा	आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी
§3§ सेकण्डरी इजूकेशन कमेटी	1961	आचार्य जुगुल किशोर	माध्यमिक शिक्षा	आचार्य जुगुल-किशोर कमेटी
§4§ ग्राण्ट इन एड कमेटी	1961	रामस्वरूप यादव	माध्यमिक शिक्षा	यादव कमेटी
आयोग				
§1§ माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग	1982	--	माध्यमिक शिक्षा	शिक्षा सेवा आयोग
§2§ उच्च शिक्षा सेवा आयोग	1982	सिंहल	उच्च शिक्षा	शिक्षा सेवा आयोग

इन समितियों तथा आयोगों में माध्यमिक शिक्षा की नीतियों तथा वित्तीय प्राविधानों का जो निरूपण किया गया है,उसका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जायेगा -

माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन योजना[20] **§1948§** -

प्रान्त में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्संगठन हेतु आचार्य नरेन्द्रदेव समिति §1939§ ने बहुमूल्य तथा विस्तृत आख्या प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की, परन्तु सरकार ने शीघ्र ही कार्य करना बन्द कर दिया। अन्य मूल्यवान रिपोर्टों की भाँति यह रिपोर्ट अपना स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने अप्रैल 1946 से पुनः कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। स्वतन्त्र राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के पुनर्निर्माण हेतु शिक्षा-मन्त्री ने अपनी व्यक्तिगत रुचि शिक्षा पुनर्संगठन की ओर दिखायी, क्योंकि यह बहुत दिनों से चिर-प्रतिक्षित था। अतः पहली सितम्बर 1947 को प्राथमिक

20- माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन, रिजलूशन नं0 19, दिनांक 19 फरवरी, 1948

तथा माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन सम्बन्धी योजना जन-विचार जानने के लिये प्रकाश में लायी गयी तथा यह योजना जुलाई 1948 से लागू हो गयी।[21]

पुनर्संगठन का कार्य सुगम न था, किसी रिक्त स्थान पर नया भवन खड़ा कर देना अधिक सरल है, बनिस्वत इससे कि एक पुराने भवन को नया रूप-रंग देकर आधुनिक बनाया जाय। कई वर्ष पुराना एक शिक्षण-संगठन पहले से ही उपस्थित था, यह सम्भव अथवा उचित नहीं था कि उसे पूर्ण रूपेण विनष्ट करके नवीन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाय। अतः आवश्यकता इस बात की थी कि एक ओर तो बड़े पैमाने पर शिक्षा-प्रसार किया जाय और दूसरी और शिक्षा-प्रणाली का इस प्रकार पुनर्संगठन हो कि वह वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

विद्यार्थी, अभिभावक, अध्यापक, शिक्षा-संस्थाओं के प्रबन्धक, शिक्षा-विभाग के अधिकारी तथा जनसाधारण ने विशेष उत्साह प्रदर्शित करते हुए इस योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का अधिक प्रसार हुआ। इस योजना के कार्यान्वयन से माध्यमिक शिक्षा का ढाँचा निम्नवत् हो गया -

(1) हिन्दुस्तानी मिडिल तथा एंग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल का अन्तर समाप्त हो गया तथा कक्षा 6, 7 एवं 8 सम्मिलित रूप से जूनियर हाई स्कूल कही जाने लगीं। जूनियर हाई स्कूल की अवधि 3 वर्ष हो गयी।

(2) वर्तमान में चल रहे हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों को बदलकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया, इसमें कक्षा 9, 10, 11 तथा 12 सम्मिलित हो गयीं तथा इसकी अवधि 4 वर्ष हो गयी। इन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को प्रिन्सिपल कहा जाने लगा।

(3) इस योजना की प्रमुख विशेषता आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (1939) द्वारा प्रस्तावित

21- "रिआर्गनाइजेशन आफ इजूकेशन इन दि यूनाइटेड प्राविन्सेज" प्राइमरी एन्ड सेकण्डरी डिपार्टमेन्ट आफ इजूकेशन यूनाइटेड प्राविन्स 1947, इलाहाबाद गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग प्रेस, 1947

चार विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों एवं सुझावों को कार्यान्वित करना था। अतः यह आवश्यक समझकर विद्यार्थियों की योग्यता के विभिन्न स्तरों और रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम के क, ख, ग, घ नामक चार वर्ग कर दिये गये, जिनमें क्रमशः साहित्यिक, वैज्ञानिक, रचनात्मक और कलात्मक सम्मिलित थे। आगे चलकर इनमें कृषि, वाणिज्य तथा प्राविधिक तीन वर्ग और जोड़ दिये गये।

§4§ बालिकाओं की शिक्षा- व्यवस्था बालकों के समान ही की जायेगी। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गृह-हस्तकला, संगीत, चित्रकला एवं मातृत्व-शिक्षा सम्मिलित की गयी।

§5§ योजना के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा की व्यवस्था जूनियर हाई स्कूल के बाद दसवीं कक्षा के पश्चात् तथा बारहवीं कक्षा के बाद करने का सुझाव दिया गया।

§6§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 3,4 तथा पाँचवीं कक्षा को हटाने तथा जूनियर हाई स्कूलों को साथ-साथ चलाने का सुझाव दिया गया।

§7§ प्राविधिक शिक्षा की महत्ता को स्वीकार करते हुए इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की संस्तुति की गयी।

§8§ शिक्षा-व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु प्रदेश को 4 मण्डलों के बजाय 5 मण्डलों में विभक्त कर दिया गया तथा प्रत्येक मण्डल की देख-रेख के लिये उप-शिक्षा निदेशक को कार्य भार सौंपा गया।

पुनर्संगठन के बाद शिक्षा का अधिक प्रसार होगा, इसका अनुमान नीचे दिये हुए आँकड़ों से लगाया जा सकता है। प्रदेश में जुलाई के पहले 412 गैर सरकारी हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज थे, जुलाई से यह सब हायर सेकेण्डरी स्कूल हो गये। इनका विवरण निम्नवत् है -

सारिणी - 4·4

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन

उन हायर सेकण्डरी स्कूलों की संख्या, जो जुलाई से पहले हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज थे			साहित्यिक वर्ग	वैज्ञानिक वर्ग	रचनात्मक वर्ग	कलात्मक वर्ग
1-	मेरठ मण्डल	124	124	40	74	16
2-	बरेली मण्डल	60	60	13	34	07
3-	इलाहाबाद मण्डल	67	64	18	46	20
4-	लखनऊ मण्डल	72	70	26	37	09
5-	बनारस मण्डल	89	89	21	65	09
	योग	412	407	118	256	61

स्रोत - "शिक्षा" शिक्षा विभाग का त्रैमासिक, मुख-पत्र, अक्टूबर 1948, वर्ष-1, सं02, पृष्ठ-16

पुराने इण्टरमीडिएट कालेजों ने यह नाम (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) नहीं स्वीकार किया, उसे वह अपना अपमान समझते थे, परिणाम यह हुआ कि आज भी यह हायर सेकण्डरी स्कूल या तो हायर सेकण्डरी स्कूल या इण्टरमीडिएट कहे जाते हैं।

सन् 1948 की इस पुनर्संगठन योजना को प्रान्तीय सरकार ने पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया, अतः यह योजना आलोचना का शिकार हो गयी। अधिकांश छात्रों ने साहित्यिक वर्ग को अपनाया। वैज्ञानिक वर्ग में भी छात्रों ने रुचि ली, किन्तु रचनात्मक तथा कलात्मक वर्ग सर्वप्रिय नहीं हो सके और न ही उनको पढ़ाने की समुचित व्यवस्था की गयी। विषयों को अनिवार्य, प्रमुख और सहायक के जाल में इस प्रकार उलझा दिया गया कि सामान्य छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिये समस्या उत्पन्न हो गयी। विषयों का अलग-अलग पाठन आर्थिक कठिनाइयों के कारण सम्भव नहीं हो सका। माध्यमिक शिक्षा का संख्यात्मक विकास अधिक गति से हुआ, जिसके कारण उसे उचित दिशा प्रदान नहीं की जा सकी और न ही उसके विकास पर नियन्त्रण रखा जा सका।

<u>आचार्य नरेन्द्र देव समिति (1953)</u>[22] -

प्रथम, आचार्य नरेन्द्र देव समिति सन् 1939 की माध्यमिक शिक्षा- विषयक सिफारिशें उत्तर प्रदेश में सन् 1948 में लागू की गयीं, इसके चार वर्ष के बाद आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में ही एक दूसरी समिति का गठन किया गया। इस समिति को माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन समिति, उत्तर प्रदेश या आचार्य नरेन्द्रदेव समिति कहते हैं। इस समिति की माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सिफारिशें निम्नवत् हैं -

समिति ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि चार वर्ष निर्धारित की। इस स्तर पर कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा दी जायेगी और यह विद्यालय हायर सेकण्डरी स्कूल कहे जायेंगे। जो हाई स्कूल कक्षा 10 तक की शिक्षा देते थे, उन्हें हायर सेकण्डरी बनाने तथा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को जूनियर हाई स्कूल कहने का सुझाव दिया।

समिति ने पाठ्यक्रम को कई समूहों में विभाजित किया, जिसमें किसी एक समूह के विषय को चुनना अनिवार्य था। यह समूह थे - साहित्यिक, वैज्ञानिक, कृषि, रचनात्मक, वाणिज्य या पूर्व तकनीकी तथा कलात्मक। हिन्दी पढ़ना अनिवार्य था, जिसके साथ संस्कृत का भी एक प्रश्न-पत्र अनिवार्य था। हिन्दी के अतिरिक्त एक भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा लेना अनिवार्य था। गणित कक्षा 10 तक अनिवार्य तथा इसके बाद की कक्षाओं में वैकल्पिक कर दी जाय। लड़कियों के लिये गणित पूर्णतः वैकल्पिक थी, इसके स्थान पर लड़कियाँ गृह-विज्ञान ले सकती थीं, जिसे लेने का अधिकार बालकों को नहीं था। कक्षा 9 व 10 में छः विषय तथा 11 व 12 में पाँच विषय पढ़ाने की सिफारिश की गयी। विषयों के प्रमुख तथा सहायक उप विभाजन को समाप्त करने का सुझाव दिया गया। तकनीकी शिक्षा के लिये अलग से स्कूल खोले जाँय, जिनको पालिटेकनिक में विकसित करने का प्रविधान हो।

विषयों के चुनने में विद्यार्थियों का उचित मार्ग-दर्शन होना चाहिए

22- रिपोर्ट आफ दि सेकण्डरी इजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी उत्तर प्रदेश, 1953 लखनऊ, सुपरिण्टेण्डेण्ट प्रिण्टिंग एण्ड स्टेशनरी, यू0पी0 (इण्डिया) 1953

और इसके लिये इलाहाबाद की मनोविज्ञान--शाला को उन्नत किया जाय तथा प्रत्येक जिले में एक मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोला जाय और इनमें व्यक्तिनिष्ठ परीक्षाओं की व्यवस्था की जाय।

परीक्षा के सम्बन्ध में समिति ने सुझाव दिया कि इण्टर-मीडिएट की परीक्षा तो पहले की तरह संचालित की जाय, किन्तु हाई स्कूल की परीक्षा में केवल स्वाध्यायी विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति दी जाय। प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत रखे जाँय और माध्यमिक शिक्षा परिषद् के समान ही कृपांक देने की व्यवस्था हो।

शिक्षा-संहिता में शिक्षकों की सेवा-शर्तें निर्धारित कर दी जाँय, जो अनिवार्य रूप से सभी शिक्षकों पर लागू हों, चाहे उनकी नियुक्ति संविदा पर हुई हो अथवा नहीं। शिक्षकों के चयन के लिये प्राचार्य सहित पाँच सदस्यों की चयन-समिति बनायी जाय। शिक्षकों का स्थानान्तरण समान वेतन पर दूसरी संस्था में मान्य किया जाय। प्रबन्धक तथा शिक्षक में झगड़ा होने की स्थिति में विवाचन मण्डल (आरबिटेशन बोर्ड) के निर्णय को मानना अनिवार्य हो।

विद्यालय-प्रबन्ध-समिति में दस से बारह सदस्य हों, जिनमें प्रधानाचार्य / प्राचार्य और शिक्षकों के प्रतिनिधि वरीयता के आधार पर रहें। समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का हो। शिक्षक प्रतिनिधियों की कालावधि 1 वर्ष हो।

समिति का मत था कि पाठ्यक्रम में नैतिक एवं मानवीय शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाय। विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासन-हीनता को रोकने के लिये विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक सम्मेलन किये जाँय। प्रत्येक विद्यालय में खेलकूद तथा व्यायाम आदि की समुचित व्यवस्था हो। शिक्षा निदेशालय 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिये उत्तम पाठ्य-पुस्तकों की सूची प्रकाशित करें और विषय से सम्बन्धित शिक्षकों के परामर्श से प्रधानाध्यापक उनका चयन करें।

वित्त - व्यवस्था[23] -

सहायता-प्राप्त संस्थाओं के शिक्षा-विभाग से प्राप्त अनुदान तथा शुल्क दो प्रमुख

23- पूर्वोक्त, पृष्ठ-65

आय के साधन हैं। पुराने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मामले में प्रायः यह पाया गया है कि उनके यहाँ कोई धर्मस्व नहीं हैं और जब उनसे निर्धारित धर्मस्व बनाने को कहा गया, तब उन्होंने इस कठिन समय में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। प्रबन्धतन्त्र के सदस्यों से उनका अंशदान नियमित तथा पूर्ण वसूल नहीं किया जाता है, इसलिये सहायता-प्राप्त संस्थाओं की वित्तीय व्यवस्था में अंशदान की कमी आती जा रही है।

अभी हाल में ही जमींदारी उन्मूलन एवं आर्थिक संकट के कारण समिति ने स्पष्ट किया कि दान, चन्दा आदि आय के स्रोतों में ह्रास हुआ है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षकों की वार्षिक वृद्धियाँ रोक दी गयी हैं। ऐसे शिक्षक जो सेवा-अवधि अधिक होने के कारण अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वित्तीय भार होने के कारण प्रबन्धतन्त्र उनसे शीघ्रातिशीघ्र सुविधाजनक समय में छुटकारा पाना चाहता है।

विभाग द्वारा शुल्क की अधिकतम दर या अन्य अधिकृत शुल्क पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। जब तक आय में लचीलापन नहीं आयेगा, तब तक संस्था के बढ़ते हुए व्यय को इन विपरीत वित्तीय परिस्थितियों में पूरा कर पाना सम्भव नहीं है। शिक्षकों की वेतन-वृद्धियों की अतिरिक्त धनराशि को शासन द्वारा प्रबन्धक-प्रलेख में वैध व्यय के मद में दिखलाकर आवर्ती व्यय के रूप में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाय।

समिति ने अनुशंसा की है कि वर्तमान अनुदान आँकने की प्रणाली में पुनरीक्षण किया जाय, क्योंकि अब यह समयानुकूल नहीं है। जिन संस्थाओं का ठहराव दस वर्ष या इससे अधिक हो चुका है, उन्हें ब्लाक ग्राण्ट दी जाय। अनुदान का मूल्यांकन विगत 5 वर्षों की वास्तविक आय तथा व्यय और आगत 5 वर्षों की अनुमानित आय और व्यय के आधार पर किया जाय। वर्तमान अनुदान का भुगतान त्रैमासिक किया जाय। जिन संस्थाओं का ठहराव 10 वर्ष से कम है, उनके अनुदान का मूल्यांकन वर्तमान प्रणाली के अनुरूप ही वार्षिक रूप में किया जाय। मिडिल कक्षाओं में चार आना, हाई स्कूल में आठ आना और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में बारह आना प्रतिमाह विकास-शुल्क तथा चार आना प्रतिमाह

प्रयोगात्मक विषयों के लिये शुल्क वसूल करने दिया जाय। माध्यमिक विद्यालयों में कोई प्रवेश-शुल्क न लिया जाय।

संस्था की मान्यता प्राप्त करते समय प्रबन्धतन्त्र धर्मस्व जमा करता है, अगर एक बार मान्यता मिल जाती है तो वह इस शर्त को भूल जाता है। समिति ने यह प्रस्तावित किया है कि निर्धारित धर्मस्व से अधिक धनराशि, जो व्याज आदि से प्राप्त होती है, उसे संस्था के विकास-फण्ड में स्थानान्तरित कर देना चाहिए। इस अधिक धनराशि का प्रयोग सशर्त अनुदान, जैसे- काष्ठोपकरण, पुस्तकालय, उपकरण तथा भवन-निर्माण के अंशदान में किया जा सकता है। धर्मस्व से आय बढ़ाने के लिये ऐसे शिक्षा-धर्मस्व-दान दाताओं को आयकर से छूट प्रदान की जानी चाहिए। वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन ने आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए पाठ्यक्रम को अंगीकार कर लिया और इसी आधार पर परीक्षाओं की व्यवस्था कर दी। मार्गदर्शन और परामर्श के लिये इलाहाबाद की मनोविज्ञानशाला को सुगठित कर दिया। विद्यालयों की प्रबन्ध-समिति में प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व होने लगा और उनकी सेवा-शर्तों को निर्धारित कर दिया गया। शिक्षकों के एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उसी वेतन-क्रम पर स्थानान्तरण होने लगे।

सेकेण्डरी एजूकेशन कमेटी (1961)[24] -

शासन ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग 1960 को समाप्त करते समय माध्यमिक शिक्षा पर एक छोटी समिति गठित करने की आवश्यकता महसूस की, जो राज्य में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का परीक्षण कर उनकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे। अतएव 26 जून 1961 को ओ0 एम0 नं0 ए/3553/XV-1600(14)1961 द्वारा आचार्य जुगुल किशोर, तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री की अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा समिति गठित कर दी। इस समिति का मुख्य कार्य 1958 में शासन द्वारा नियुक्त दस

24- दि रिपोर्ट आफ दि सेकण्डरी इजूकेशन कमेटी 1961, लखनऊ, प्रिण्टिंग एण्ड स्टेशनरी यू0पी0 (इण्डिया) 1964

विभागीय समितियों द्वारा की गयी संस्तुतियों को स्वीकार करने से सम्बन्धित था।

यह दस समितियाँ निम्नवत् थीं -

§1§ कमेटी आन गवर्नमेण्ट सी0पी0 एण्ड व्यूरो आफ साइकोलाजी, इलाहाबाद।

§2§ कमेटी आन नर्सरी ट्रेनिंग एण्ड होम साइंस कालेज, इलाहाबाद।

§3§ कमेटी आन गवर्नमेन्ट कालेज आफ फिजिकल इजूकेशन, रामपुर।

§4§ कमेटी आन कान्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग एण्ड बेसिक ट्रेनिंग कालेज।

§5§ कमेटी आन सेकण्डरी इजूकेशन।

§6§ कमेटी आन ट्रेनिंग कालेज।

§7§ कमेटी आन संस्कृत इजूकेशन।

§8§ कमेटी आन गांधियन आइडियोलाजी।

§9§ कमेटी आन प्राइमरी एण्ड सोसल इजूकेशन।

§10§ कमेटी आन डिग्री कालेज।

इस समिति का कार्य क्रमांक 5 पर दी हुई समिति §कमेटी आन सेकेण्डरी इजूकेशन§ द्वारा संस्तुत माध्यमिक शिक्षा पर सुधार-हेतु सुझाव देना था।

इस समिति की संस्तुतियाँ निम्नलिखित थीं -

सत्र में 200 कार्य-दिवसों में शिक्षण-कार्य सम्पन्न किया जाय। 18 दिन गृह-परीक्षा तथा 37 दिन वार्षिक परीक्षा के लिये नियत किये जाँय। माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में पहले सप्ताह में अनिवार्य प्रश्न-पत्रों तथा बाद में ऐच्छिक प्रश्न-पत्रों की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय। विद्यालय-भवन को सीनियर विंग तथा जूनियर विंग में विभाजित किया जाना चाहिए। विद्यालय भवन के विभिन्न उद्देश्यों के लिये कक्षों का आकार 15फिट× 20फिट, 18फिट × 20फिट, 24फिट × 20फिट तथा 30फिट × 20फिट होना चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएँ सम्मिलित रहें तथा उनसे फीस वसूल की जाय। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश-हेतु आयु-सीमा-बन्धन हटाने की संस्तुति की गयी। समिति ने यह स्वीकार किया कि शैक्षिक स्तर गिरने का कारण अंग्रेजी,

गणित और विज्ञान के मापदण्डों का घटना है, अतएव इन विषयों के पाठ्यक्रम उन्नत किये जाँय तथा कक्षोन्नति में सख्ती बरती जाय। गृह-कार्य को महत्व दिया जाय।

वित्त-व्यवस्था -

समिति ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक कक्षा में दो सेक्सनों सहित कक्षा 1 से 12 तक के छात्र प्रवेश प्राप्त करें। इस संस्था के प्रधानाचार्य को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा का वरिष्ठ वेतन-क्रम दिया जाय तथा 4 हाउस मास्टर 400-30-700 तथा 23 अध्यापक 250-25-500 के वेतन-क्रम में नियुक्त किये जाँय। आवर्तक अनुदान 3·00 लाख पहले वर्ष तथा 6·00 लाख अन्तिम वर्ष दिया जाय। इसी प्रकार अनावर्तक अनुदान 8·14 लाख प्रथम वर्ष तथा दूसरे वर्ष में 9·94 लाख दिया जाय। प्रति छात्र रू0 100 की दर से छात्रवृत्ति दी जाय। अनुरक्षण-फण्ड से अनावर्तक मदों पर कोई व्यय न किया जाय, यदि ऐसा व्यय किया जाता है तो उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल किया जाय। सभी मान्यता-प्राप्त विद्यालयों को अनुदान-सूची पर ले लिया जाय। संस्था में अनुशासन बनाये रखने के लिये छात्रों पर प्रति छात्र 5 रू0 तक जुर्माना किया जा सकता है।

इस समिति की बहुत सी अनुशंसाओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जो आज भी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में लक्षित हो रही हैं।

ग्राण्ट इन एड कमेटी §यादव कमेटी§ 1961[25] -

श्री रामस्वरूप यादव, तत्कालीन शिक्षा- उपमन्त्री की अध्यक्षता में ग्राण्ट इन एड कमेटी का गठन किया गया। इस समिति का उद्देश्य सहायक अनुदान प्रणाली में सुधार प्रस्तावित करना था। समिति ने यह पाया कि वर्तमान में चल रहे अनुदान आँकने के सहायक अनुदान-नियम समयानुकूल नहीं हैं तथा गतिशील शिक्षा-हेतु असंगत प्रतीत होते हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि -

---

25- यादव कमेटी रिपोर्ट, ग्राण्ट इन एड कमेटी, लखनऊ, प्रिण्टिंग एण्ड स्टेशनरी, यू0पी0 §इण्डिया§ 1961।

विभाग की पूर्व स्वीकृति के बाद कुछ विशिष्ट मामलों में प्रबन्धतन्त्र को उच्च वेतन तथा अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ देकर नियुक्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शिक्षकों के वार्षिक वेतन-वृद्धियों की लागत से कम अनुदान-राशि शासन द्वारा प्रबन्ध-तन्त्र को नहीं दी जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन ने यादव समिति की संस्तुति को पूर्णरूपेण स्वीकार नहीं किया।

माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग -

शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के चयन में प्रबन्धतंत्र पक्षपात, जातिवाद, भाई-भतीजावाद करता था। शासन ने इस अनैतिक कार्यवाही से मुक्ति दिलाने हेतु 1981 में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली तथा योग्य शिक्षकों का चयन करना है, ताकि वे माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में पहुँचकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ावें।

आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति सीधे ही जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्रबन्धतंत्र से कार्य-भार ग्रहण करता है, जिससे निजी विद्यालय के प्रबन्धक अपनी जमींदारी समझने वाली प्रथा को समाप्त कर रहे हैं।

भारतीय शासन की शिक्षा-नीति -

स्वतन्त्रता के बाद भारत सरकार और राज्य सरकारें राष्ट्रीय प्रगति और सुरक्षा के प्रभावी साधन के रूप में शिक्षा पर अधिकांश ध्यान देती रही हैं। अनेक आयोगों तथा समितियों ने शैक्षिक पुनर्निर्माण की समीक्षा की।

शिक्षा आयोग 1964-66 ने यह संस्तुत किया था कि भारत सरकार एक राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की घोषणा करे। स्वतन्त्र भारत में अभी तक तीन राष्ट्रीय शिक्षा-नीतियाँ घोषित की जा चुकी हैं। इन तीनों नीतियों में माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो नीति प्रतिपादित की गयी है तथा माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय नीति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ समीक्षा की जायेगी।

सारिणी - 4.5

भारतीय शासन की शिक्षा नीतियाँ

	शिक्षा-नीति	वर्ष
स्वतन्त्रता के पूर्व		
(1)	नेशनल एजूकेशन पालिसी	1904
(2)	नेशनल एजूकेशन पालिसी	1913
स्वतन्त्रता के बाद		
(1)	नेशनल एजूकेशन पालिसी	1968
(2)	नेशनल पालिसी आन एजूकेशन	1974
(3)	नेशनल एजूकेशन पालिसी	1979
(4)	नेशनल एजूकेशन पालिसी	1986

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1968 -

भारतीय शिक्षा-नीति के इतिहास-क्रम में अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा-नीति-विषयक यह तीसरी और स्वतन्त्रता के उपरान्त पहली घोषणा थी। इसमें सम्पूर्ण शिक्षा के सम्बन्ध में कतिपय महत्वपूर्ण संकल्प व्यक्त किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित कुछ परिच्छेद इस प्रकार हैं -

(क) सामाजिक परिवर्तन एवं रूपान्तरण-हेतु माध्यमिक (तथा उच्चतर) शिक्षा-सुविधा प्रमुख साधन है। अतः माध्यमिक शिक्षा की सामान्य सुविधाएँ उन सभी वर्गों एवं क्षेत्रों तक पहुँचायी जाँय, जिन्हें यह आज तक उपलब्ध न की जा सकी थीं।

(ख) इस अवस्था में तकनीकी तथा व्यावसायिक सुविधाओं का प्रसार करने की आवश्यकता है। माध्यमिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का तालमेल रोजगार के

अवसरों और विकासशील अर्थव्यवस्था से होना चाहिए। ऐसा सम्बन्ध तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर प्रभावशाली ढंग से समापक (टरमिनल) बनाने हेतु आवश्यक है। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का उपयुक्त रूप से शाखाकरण किया जाय, जिससे उसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्र जैसे- कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य, गृह-प्रबन्ध, कला और शिल्प, अनुसचिव-प्रशिक्षण आदि भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।

अध्यापकों को समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उनकी योग्यताओं तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए उनके वेतन-भत्ते तथा अन्य सेवा की शर्तें पर्याप्त और सन्तोषजनक होनी चाहिए। उनकी शैक्षिक स्वतन्त्रता की रक्षा की जाय। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को छोटी उम्र में खोजा जाय।

उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (1968) को सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया और इनमें से कई योजनाओं को कार्यान्वित भी किया। माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा-सूत्र लागू किया गया। निर्धन छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना तथा वर्षों से शरणार्थी के रूप में वापस आये भारत-वासी छात्र-छात्राओं को शिक्षा की सुविधा देने हेतु वर्ष 1967-68 में 5000 रु0 का प्राविधान किया गया।

सन् 1968-69 से वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज के लिये विज्ञान के छात्रों की वैज्ञानिक शोध-प्रतियोगिता प्रति वर्ष आयोजित होने लगी। हाई स्कूल कक्षाओं में 100 रु0 तथा इण्टर कक्षाओं में 150 रु0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया गया। उत्तर प्रदेश ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना को स्वीकार नहीं किया।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1979[26] -

जनता शासन के कार्य-काल में शैक्षिक परिवर्तनों के विषय में देश में अनास्था

26- मदन मोहन एवं सारस्वत, भारतीय शिक्षा का विकास, इलाहाबाद, कैलाश प्रकाशन, 1982, पृष्ठ-523

का वायुमण्डल बना हुआ था। शासन ने एक नयी शिक्षा नीति फरवरी 1979 में घोषित की, जिसमें शिक्षा आयोग (1966) द्वारा प्रस्तावित "समान विद्यालय पद्धति" (कामन स्कूल सिस्टम) को स्वीकार किया गया। इस राष्ट्रीय नीति में माध्यमिक स्तर पर जो नीति घोषित की गयी थी, उसमें माध्यमिक स्तर पर दो धाराएँ होंगी (1) सामान्य शिक्षा (2) व्यावसायिक शिक्षा। सामान्य शिक्षा बालकों में उन योग्यताओं तथा प्रतिभाओं का विकास करेगी, जो उन्हें उच्च शिक्षा के लिये तैयार करेगी। व्यावसायिक शिक्षा बालकों की रोजगार सम्बन्धी योग्यताओं तथा कुशलताओं का उन्मेष करेगी। इसके अनुसार विद्यालयी शिक्षा 12 वर्ष की होगी, जिसका पाठ्यक्रम, अवधि तथा विषय-वस्तु की दृष्टि से लचीला होगा। इसका आशय यह है कि रूप-रचना की समानता राज्यों की स्वायत्तता के कारण निछावर कर दी गयी है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा की अवधि भिन्न-भिन्न होगी, जिसके कारण स्थिति भ्रामक हो जायेगी।

जनता-शासन का कार्यकाल बहुत ही कम रहा है। अतः जनता-शासन का अन्त होते ही इस नीति का भी अन्त हो गया।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986[27] -

श्री राजीव गाँधी ने प्रधानमन्त्री बनते ही राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में 5 जनवरी 1985 को एक ऐसी शिक्षा-नीति बनाने का वचन दिया, जो राष्ट्र को 21वीं शती में प्रवेश के लिये वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से तैयार करे।

नयी शिक्षा-नीति तैयार करने से सम्बन्धित प्रधानमन्त्री की घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप कई संगठनों तथा व्यक्तियों से अनेक सुझाव शिक्षा-मन्त्रालय में प्राप्त हुए। मन्त्रालय में सभी पत्र-व्यवहारों को, जिनकी संख्या 6000[28] से भी अधिक है और जिनमें पत्र,

---

27- नेशनल पालिसी आन इजूकेशन 1986, नयी दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स, डेवलपमेण्ट गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, 1986

28- जे0सी0 अग्रवाल, "नयी शिक्षा नीति" दिल्ली, प्रभात प्रकाशन, 1986, पृ013

ज्ञापन, सेमीनारों की सिफारिशें तथा राज्य सरकारों की सिफारिशें भी शामिल हैं, आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा सभी सुझावों का विस्तृत विषय-विश्लेशण तैयार किया गया तथा इसके 12 खण्ड प्रकाशित किये गये।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, अपनी नीति है, जन-नीति है। समाजवादी समाज की दिशा में यह एक और कदम है। आने वाले वर्षों में शिक्षा में यह महाधिकार-पत्र सिद्ध होगा। इस दस्तावेज में करीब 10,000 शब्द हैं, जो 29 पृष्ठों पर फैले हुए हैं, इसमें 157 धाराएँ हैं।

21वीं शताब्दी की चुनौतियों को मद्दे नजर रखकर हर धारा को मानव संसाधन विकास के साथ जोड़ा गया है। इस शिक्षा-नीति के क्रियान्वयन हेतु 23 कार्यदल बनाये गये हैं, जिसमें माध्यमिक शिक्षा, नवोदय विद्यालय आदि गठित किये गये हैं।[29]

इस प्रकार हम पहली बार ऐसी शिक्षा-नीति बना पाये हैं, जो निर्जीव अभिलेख न होकर शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय जागृति की अभिव्यक्ति है। यह राष्ट्रीय-निर्माण, आर्थिक-पुनर्निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को व्यक्त करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में शिक्षा की सार्थक सहभागिता के सन्दर्भ में कहा गया है कि -[30]

"वर्ष 1976 का संविधान संशोधन, जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूचियों में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था। उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू के सम्बन्ध में केन्द्र और

29- वशिष्ठ एवं शर्मा, भारतीय शिक्षा की नयी दिशा, मेरठ, लायल बुक डिपो, 1987, पृष्ठ-3

30- अग्रवाल जे0सी0, नेशनल पालिसी आन इजूकेशन 1986 एन अप्रेजल, नयी दिल्ली, दाबा हाउस, 1989, पृष्ठ-83

राज्यों के बीच एक नये प्रकार की सहभागिता स्थापित हो। शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका और उत्तर-दायित्व में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन शिक्षा के राष्ट्रीय तथा समाकलनात्मक (इनटेग्रेटिव) रूप को बल देने, गुणवत्ता एवं स्तर बनाये रखने (जिसमें सभी स्तरों पर शिक्षकों के शिक्षण-प्रशिक्षण की व्यवस्थाएँ शामिल हैं), विकास के निमित्त जन-शक्ति की आवश्यकताओं के लिये शैक्षिक व्यवस्थाओं के अध्ययन और उनकी देख-रेख रखने, शोध एवं उच्च अध्ययन की जरूरतों को पूरा करने, शिक्षा, संस्कृति तथा मानव संसाधन विकास के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं की देख-भाल करने और सामान्य तौर पर शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लोने के लिये केन्द्रीय सरकार अधिकांश दायित्व स्वीकार करेगी।"

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा पर निम्न परिच्छेद है -[31]

"यह वह मंजिल है, जहाँ छात्रों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं से परिचित होना चाहिए। सेकेण्डरी स्तर के छात्रों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए। उन्हें अपने संवैधानिक कर्तव्यों और नागरिक अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। स्वस्थ-प्रकृति की चेतना जागृत करने के लिये मानव-जाति और मिश्रित संस्कृति के तत्व उनके पाठ्यक्रम में शामिल किये जाने चाहिए। कुछ खास संस्थाओं द्वारा शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने या सेकेण्डरी स्कूलों से इसी तरह काम लिये जाने से आर्थिक विकास के लिये जरूरी जनशक्ति की भरपाई हो सकती है। जगह-जगह सेकेण्डरी स्कूल खुलने से सेकेण्डरी स्तर तक शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। वे स्कूल उन इलाकों में खोले जायेंगे, जहाँ अब तक ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो सकी हैं।"

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा नवम्बर 1986 में "प्रोग्राम आफ एक्शन"[32]

31- उम्मेदराम काबरा, "नयी शिक्षा नीति क्रियान्वयन एवं सतत् मूल्यांकन", अजमेर, कृष्णा ब्रदर्स, 1987, पृष्ठ-58

32- नेशनल पालिसी आन इजूकेशन 1986, "प्रोग्राम आफ एक्शन", नयी दिल्ली, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट नवम्बर, 1986

नामक एक दस्तावेज जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा में उन क्षेत्रों में, जहाँ माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहाँ विद्यालय खोलने, नवोदय विद्यालय स्थापित करने, अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, प्रयोगशाला-सुविधाओं का विस्तार तथा शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने, पाठ्यक्रमों को विकसित करने हेतु नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन की कार्य-पद्धति पर प्रकाश डाला है।

वित्त- व्यवस्था[33] -

शिक्षा आयोग 1964-66 तथा राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1968 और विशेषकर शिक्षा से सम्बन्धित अन्य सभी सम्बन्धितों ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय समाज के समतावादी उद्देश्यों और व्यावहारिक तथा विकासोन्मुख उद्देश्यों को इस कार्य के स्वरूप और आयामों के अनुरूप शिक्षा में निवेश लगाकर ही उपलब्ध किये जा सकते हैं।

स्कूल-भवनों के रख-रखाव के लिये लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों से कहकर चन्दे लेकर, कुछ उपभोज वस्तुओं की पूर्ति करके, शिक्षा के उच्च स्तरों पर शुल्क बढ़ाकर और सुविधाओं का सक्षम रूप से उपयोग कर, कुछ प्रभावशाली बचत करके यथासंभव सीमा तक संसाधन जुटाये जायेंगे। तकनीकी तथा वैज्ञानिक जनशक्ति के अनुसंधान और विकास में शामिल संस्थाओं को भी सरकारी विभागों और उद्यमियों सहित प्रयोक्ता एजेन्सियों पर उपकर अथवा प्रभार लगाकर कुछ धन जुटाना चाहिए। ये सभी उपाय न केवल राज्य-संसाधनों पर बोझ को कम करने के लिये किये जायेंगे, अपितु शैक्षिक प्रणाली के अन्दर उत्तर-दायित्व की व्यापक भावना पैदा करने के लिये भी किये जायेंगे। तथापि, इस प्रकार के उपायों से कुल वित्त-पोषण के लिये मात्र आंशिक योगदान ही हो पायेगा। सरकार तथा सामान्य तौर पर समुदाय, प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, निरक्षरता को समाप्त करने, देश भर में सभी वर्गों के लिये समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, सामाजिक समबद्धता, समानता

33- वी0आर0 पुरकेत, "न्यू इजूकेशन इन इण्डिया", अम्बाला, दि एसोसिएटेड पब्लिशर्स, 1987, पृ0-532

और शैक्षिक कार्यक्रमों की प्रभावशाली कार्यात्मकता में वृद्धि करना, स्वतः भरण-पोषण से सम्बन्धित आर्थिक विकास के लिये निर्णायक वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकासशील प्रौद्योगिकियों और उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान, राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मूल्यों और अनिवार्य विवेचित जागरूकता उत्पन्न करने जैसे- कार्यक्रमों के लिये धन जुटायेंगे। 11.3 शिक्षा में निवेश न करने अथवा अपर्याप्त निवेश के हानिकारक परिणाम वास्तव में बहुत गम्भीर हैं। इसी तरह से व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की उपेक्षा की कीमत अस्वीकार्य है।

उत्तर प्रदेश शासन ने नयी शिक्षा नीति पर राज्य स्तरीय विचार-गोष्ठी 1 नवम्बर 1985 से 3 नवम्बर 1985 तक लखनऊ में आयोजित की, जिसके सुझाव और संस्तुतियाँ केन्द्रीय शासन को प्रेषित की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के क्रियान्वयन हेतु जुलाई 1986 में निम्न समितियाँ गठित की गयीं -

सारिणी - 4.6

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के क्रियान्वयन हेतु समितियाँ[34]

समिति	समिति-संख्या
प्राथमिक शिक्षा/पूर्व प्राथमिक शिक्षा	1
अनौपचारिक शिक्षा	2
प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा	3
माध्यमिक शिक्षा (विकलांगों की शिक्षा सहित)	4
शिक्षा का व्यवसायीकरण	5
महिला-शिक्षा-समिति	6
परीक्षा-पद्धति में सुधार	7

34- नयी शिक्षा नीति, "राज्य स्तरीय विचार गोष्ठी", उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग

सारिणी - 4.6 क्रमशः ----

शिक्षक-प्रशिक्षण	8
उच्च शिक्षा	9
वित्तीय साधनों की व्यवस्था	10
पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का निर्माण	11
प्राविधिक शिक्षा	12

स्रोत- "शिक्षा की प्रगति" 1986-87, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ-49

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेने और उनके अनुश्रवण के लिये मन्त्रिपरिषद् की एक उपसमिति का गठन किया गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित सचिवों की भी एक समिति गठित की गयी है, जो मन्त्रिपरिषद् की उपसमिति के विचारार्थ प्रस्तावों को अन्तिम रूप प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या - 2809/15-3-86 - 61§46§85 दिनांक 19-7-1986 द्वारा गठित समिति संख्या 6 §राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 महिला समिति की आख्या§ ने डॉ0 उर्मिला किशोर के संयोजकत्व में महिला शिक्षा के उत्थान, विकास तथा उन्नयन एवं कार्यान्वियन हेतु 9 मार्च 1987 को विस्तृत आख्या प्रस्तुत की है।[35] इस समिति ने नवीं पंचवर्षीय योजना तक महिला-शिक्षा में निर्धारित तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बालक-विद्यालय-भवनों में दिपाली में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने हेतु मान्यता के नियम में शिथिलीकरण का प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त भी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिये नियमों एवं मानकों को शिथिल एवं सरल किये जाने हेतु प्रस्ताव दिये गये।

माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के सफल संचालन हेतु निम्न कार्यक्रम

35- राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 "महिला समिति की आख्या", इलाहाबाद, शिक्षा-मंत्रालय, उत्तर प्रदेश

प्रदेश में चल रहे हैं -[36]

§1§ अध्यापकों के वृहद् प्रशिक्षण तथा पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित किये गये। माध्यमिक स्तर पर 200 सन्दर्भ केन्द्रों का चयन किया गया, जिसमें 2000 विद्यालयों के 30000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

§2§ प्रधानाचार्यों के व्यक्तित्व -परिष्कार एवं नैतिक शिक्षा का प्रशिक्षण शान्ति कुंज §हरिद्वार§ में दिया जा रहा है।

§3§ समाजोपयोगी उत्पादन-कार्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण 200 सन्दर्भ केन्द्रों पर सम्बद्ध 2000 माध्यमिक विद्यालयों में से एक अध्यापक का चयन करके 22 प्रशिक्षण शिविरों में अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

§4§ स्काउट गाइड का प्रशिक्षण भारत एवं स्काउट गाइड के विभिन्न केन्द्रों - शान्तिकुंज §हरिद्वार§, शीतलाखेत §अल्मोड़ा§ तथा इलाहाबाद में आयोजित किया जा रहा है।

§5§ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अध्यापक/अभिभावक एशोसिएशन 1986 जारी कर दी गयी है।

§6§ इस समय प्रदेश में वाणिज्य, गृहविज्ञान तथा कृषि के व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किये गये हैं, जिसके अन्तर्गत लगभग 2700 छात्र/छात्रा लाभान्वित हो रहे हैं। 31 ट्रेड्स के पाठ्यक्रम निर्माणाधीन हैं।

§7§ राष्ट्रीय एकता के विकास हेतु सामुदायिक गान का प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जा रहा है। जुलाई 1988 में प्रदेश के 5000 अध्यापकों को सामुदायिक गायन-कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया।

§8§ सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में कम से कम एक उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, जो लगभग पूरा हो रहा है।

-36- शिक्षा की प्रगति, 1988-89, इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, पृष्ठ-58

§9§ दूर-शिक्षा हेतु पत्राचार संस्थान खोला गया है तथा इसमें सन् 1986-87 से सम्पर्क शिक्षा योजना भी लागू कर दी गयी है।

§10§ प्रदेश में अब तक 30 नवोदय विद्यालय खुल चुके हैं तथा भवन-निर्माण का कार्य प्रारम्भ है।

§11§ शैक्षिक सत्र के कार्य दिवसों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

§12§ विद्यालयों में राजकीय अनुदान के समुचित प्रयोग और शैक्षिक नियोजन की दिशा में सुधार की दृष्टि से सभी माध्यमिक विद्यालयों की वित्तीय समीक्षा कर स्थिति के आकलन की दृष्टि से वित्तीय शैक्षिक सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया है, जो पूरा हो चुका है तथा जिसकी रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

§13§ पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण किया जा रहा है।

§14§ प्रदेश स्तर पर परिषद् के विभिन्न विभागों के सहयोग से अन्य आवश्यक क्षेत्रों की विषय-वस्तु §माड्यूल्स§ विकसित की गयी है और उसे अध्यापकों के पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण के उपयोग में लाया जा रहा है।

§15§ पाठ्य-पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा-नीति -

भारत में नियोजन अपने 38 वर्ष से अधिक पूरा कर चुका है। केन्द्र तथा प्रदेश अपनी-अपनी योजनाएँ तैयार करते हैं। प्रदेशों को योजनाएँ तैयार करने हेतु केन्द्र उनकी सहायता करता है। यह योजनाएँ राष्ट्रीय विकास परिषद् से अनुमोदित होती हैं एवं प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों द्वारा निर्मित होती हैं। इस प्रकार की अनुमोदित योजनाएँ, अग्रिम पाँच वर्षो हेतु उच्चस्तरीय नीतियों को उद्घोषित करती हैं। पंचवर्षीय योजनाएँ शिक्षा के विनियोजन का विशेषरूप से उल्लेख करती हैं, जिनमें उनकी नीतियों, कार्यक्रमों तथा लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को प्राप्त करने का पूर्ण विवरण उपलब्ध रहता है।

इन योजनाओं में आवर्ती मूल्यांकन का प्राविधान रहता है तथा कुछ परिवर्तनों के साथ वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के पूर्व चार वर्ष ﴾1947-50﴿ तक प्रत्येक वर्ष शिक्षा का अत्यधिक प्रसार हुआ और प्रत्येक वर्ष बजट में प्राविधानित धनराशि में अपार वृद्धि होती गयी।

अब तक देश तथा उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सात पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाएँ योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित की जा चुकी हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है -

सारिणी - 4.7

पंचवर्षीय योजनाएँ

	योजना	अवधि
1-	प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951-56
2-	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956-61
3-	तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961-66
4-	वार्षिक योजनाएँ ﴾तीन﴿	1966-69
5-	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1969-74
6-	पंचम् पंचवर्षीय योजना	1974-79
7-	वार्षिक योजना	1979-80
8-	छठवीं पंचवर्षीय योजना	1980-85
9-	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1985-90

"अनवरत योजना" ﴾रोलिंग प्लान﴿ 1978-83 भी प्रतिपादित की गयी, परन्तु कांग्रेस शासन ने जब केन्द्र में पुनः बागडोर सम्भाली और योजना आयोग को पुनर्गठित किया तो अपनी बैठक दिनांक 21 अप्रैल 1980 को अनवरत योजना की धारणा को त्याग दिया और पुनर्संशोधित छठवीं पंचवर्षीय योजना ﴾1978-83﴿ को भी त्याग दिया गया।

अन्ततः नयी छठवीं योजना §1980-85§ पुनः तैयार हुई।

उपर्युक्त योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा की नीतियों का यहाँ विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु नीतिगत निम्न पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है -

§1§ शिक्षा सुविधाओं का विस्तार।

§2§ बहुउद्देश्यीय विद्यालयों को खोलना।

§3§ वर्तमान अवस्थित विद्यालयों की दशा में सुधार।

§4§ पुस्तकालयों का सम्बर्द्धन तथा वृद्धि ।

§5§ विज्ञान शिक्षा में प्रगति।

§6§ शिक्षक-प्रशिक्षण को युक्तिपूर्ण बनाना।

§7§ 10+2+3 शिक्षा प्रणाली अपनाना।

§8§ सेवाकालीन प्रशिक्षण।

§9§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण।

§10§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-अध्ययन को मध्य में छोड़कर जाने वाले छात्रों-हेतु अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था।

§11§ समाजोत्पादक कार्य पर बल।

§12§ नव प्रवर्तनों तथा नवीन प्रौद्योगिकी जैसे-कम्प्यूटर आदि का माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोग।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया था कि माध्यमिक शिक्षा का सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से ताल-मेल बिठाना परमावश्यक है तथा युवाजनों को देश की वर्तमान स्थिति के लिये सुसज्जित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक अभिनति §वायस§ लाना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के आधार पर व्यवस्थित करके बेसिक शिक्षा के आधार पर उसका समायोजन किया जाय। योजना ने माध्यमिक शिक्षा के संगठन, शिक्षक-प्रशिक्षण और पद्धतियों के अनुसंधान को वरीयता दी। उत्तर प्रदेश

ने कई अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान देने तथा प्रशिक्षण महा-विद्यालयों के उन्नयन का प्रयास किया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने पर विशेष बल दिया गया। उस समय सम्पूर्ण देश में 1150 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों में और 937 को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित करने की व्यवस्था की गयी। उसने पाठ्यक्रम को विवधीकृत करने को कहा, जिससे यह बालकों की क्षमता और अभिवृत्ति के अनुकूल हो तथा माध्यमिक शिक्षा समाप्त होने पर उनकी अभिरुचि व्यवसायों की ओर हो जाय। बालिकाओं की शिक्षा पर बल देते हुए योजना ने टिप्पणी की थी कि 14 से 17 आयु-वर्ग की बालिकाओं का केवल 3 प्रतिशत ही स्कूलों में अध्ययन हेतु जाता है, अतएव उनके अधिकाधिक नामांकन की व्यवस्था की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

उत्तर प्रदेश में मुदालियर आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया गया, परन्तु उसके समकक्ष आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की संस्तुतियों को स्वीकार कर उनका अनुपालन किया गया। विविधीकृत पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, उनके लिये नये माध्यमिक विद्यालय खोले गये। 6 हाईस्कूलों को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकृत किया गया। 14 माध्यमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं के लिये आवासीय भवन बनाये गये। 40 बसों की व्यवस्था की गयी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक माध्यमिक विद्यालय खोले गये। सेण्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद; कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ तथा ब्यूरो आफ साइकोलाजी का पुनर्गठन किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन तथा संगठन पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त विज्ञान-शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण और शैक्षिक मार्गदर्शन की सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया गया। बालिकाओं और पिछड़ी जातियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की अनुशंसा की गयी। शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने पर

बल दिया गया। दृश्य-श्रव्य सामग्री के अत्यधिक प्रयोग, क्राफ्ट पढ़ाने का प्रशिक्षण तथा पुस्तकालयों को समुन्नत करने की सबल संस्तुति की गयी।

उत्तर प्रदेश में योजना-काल में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करने तथा वर्तमान शिक्षा-संस्थाओं के खेलों के मैदानों, अच्छे भवनों, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष प्रस्ताव था, अतएव शासन ने इन योजनाओं पर अधिक व्यय किया। पिछड़े क्षेत्रों में अधिकाधिक शैक्षिक सुविधाएँ देने के लिये उत्तराखण्ड में नये विद्यालय खोलने की योजना बनायी गयी। सेण्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट का विकास, राजकीय महिला प्रशिक्षण विद्यालय, इलाहाबाद, पाठ्यक्रम शोध-संस्था की स्थापना आदि के कार्यक्रमों की नीति अपनायी गयी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तीन वार्षिक योजनाओं के बाद प्रारम्भ हुई। योजना के प्रथम वर्ष में 14 से 17 वय-वर्ग के 19·3 प्रतिशत विद्यार्थी नामांकित थे, जिसमें बालकों का प्रतिशत 28·5 प्रतिशत और बालिकाओं का 9·8 प्रतिशत था। इस योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य 3·1 करोड़ नामांकन बढ़ाना था। इस स्तर में बालिकाओं का प्रतिशत बहुत निम्न था, अतएव बालक और बालिकाओं के नामांकन की विषमता को दूर करने हेतु कार्यक्रम निश्चित करने की नीति अपनायी गयी। माध्यमिक विद्यालयों में 73 प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षक इस योजना में उपलब्ध थे, शत-प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता हेतु नीति अपनायी गयी। विज्ञान तथा गणित के शिक्षकों हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण आरम्भ करने पर विचार किया गया।

उत्तर प्रदेश में योजना द्वारा दिये गये मार्गदर्शनों के आधार पर वृहत् कार्यक्रम किये जाने की नीति अपनायी गयी। इस योजना में कम विकसित क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान-शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार तथा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार किया गया। गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी गयीं। वर्तमान सुविधाओं को पूर्ण रूप से काम में लाने, बरबादी को कम करने तथा शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की नीति अपनायी गयी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ने सिफारिश की थी कि माध्यमिक स्तर पर निःशुल्कता को बढ़ावा दिया जाय और कार्यानुभव की उपयोगिता के कारण महत्वपूर्ण विषय मानकर विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाय। इस योजना के अन्त में आयु-वर्ग के 26·1 प्रतिशत छात्रों का नामांकन करा दिया जाय, अधिकतर छात्रों को व्यावसायिक विषयों की ओर उन्मुख किया जाय और उन्हें पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की जाँय। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के साथ एक प्रयोगात्मक विद्यालय अवश्य जोड़ दिया जाय, जिसमें नवाचार और नयी शिक्षण विधियों पर बल दिया जाय। बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं की कमी है, इस योजना के अन्त तक केवल 15 प्रतिशत बालिकाएँ ही शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी, अतएव स्त्री-शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाय। पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा प्रत्येक विद्यालय में बुक-बैंक स्थापित किये जाँय।

उत्तर प्रदेश में इस योजना-काल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास की नीति को क्रियान्वित करने के लिये सामान्य शिक्षा में शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किये गये। बुक-बैंक खोलने के लिये 2·7 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी गयी। पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालय खोले गये। प्रशिक्षण महाविद्यालयों को मान्यता देने के पूर्व दो प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न किये जाने का प्राविधान किया गया।

छठवीं योजना[37] में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा- सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिये जाने पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य-विवरणों को उन्नत करने अच्छी पुस्तकों के निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता पर बल दिया गया। छात्रों को उर्जा-संरक्षण, जनसंख्या-स्थायित्व तथा वातावरण-सुरक्षा के ज्ञान से परिचित

37- जे0 मोहन्ती- "इण्डियन इजूकेशन इन दि इमर्जिंग सोसाइटी," नयी दिल्ली, स्टरलिंग पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, 1986, पृष्ठ-109

कराया जाय। विज्ञान- शिक्षण को सुदृढ़ बनाने व उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान-किट प्रदान करने की नीति अपनायी गयी। "करके सिद्धान्त" के आधार पर व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

उत्तर प्रदेश ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास में सुनियोजित नीति अपनाकर पिछड़े क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया, साथ ही अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा अतिरिक्त विषय खोलने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में क्षेत्रीय असमताओं को कम किया गया। पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाया गया तथा पाठ्य-पुस्तकों का स्तर उच्च किया गया। सहायता-प्राप्त विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा खोलने, प्रयोगशालाओं के निर्माण, साज-सज्जा तथा विज्ञान-सामग्री आदि के लिये अनुदान प्रदान किया गया। सेवारत पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों एवं निरीक्षकों के ज्ञान का समयानुकूल नवीनीकरण किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना का 10वाँ अध्याय शिक्षा, संस्कृति तथा खेलों पर प्रकाश डालता है तथा माध्यमिक शिक्षा की नीतियों को उद्घोषित करता है।

अनियोजित उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की वृद्धि पर रोक लगायी जानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा शुल्क-मुक्त होनी चाहिए। हायर सेकण्डरी स्तर पर विज्ञान तथा गणित की शिक्षा को सुदृढ़ किया जायेगा। विज्ञान-शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू वातावरण-शिक्षा होना चाहिए। समाजोत्पादक कार्य को शिक्षा तथा कार्य से सही रूप में जुड़ना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाय। व्यावसायिक पाठ्यक्रम संस्थाओं में लचीलेपन के साथ शुरू किये जाने चाहिए। शिक्षक-प्रशिक्षण के स्तर को समुन्नत किया जाय। कम्प्यूटर का प्रयोग तथा आधुनिक सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता की शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। पाठ्य-पुस्तकों के नवीनीकरण, पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश शासन सातवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक नीति का माध्यमिक शिक्षा पर यथावत् करने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986 की संस्तुतियाँ तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना की संस्तुतियाँ लगभग समान हैं। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा-हेतु विभिन्न ट्रेड्स वाले पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिये गये हैं। मूल्यपरक शिक्षा दी जा रही है। राष्ट्रीय नेताओं तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के चरित्र-वर्णन पाठ्य-पुस्तकों में रख दिये गये हैं। शिक्षकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ चयनित माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रदान कर दिये गये हैं तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा-हेतु टी0वी0 तथा वी0सी0आर0 प्रदान किये गये हैं। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुल गये हैं। पुस्तकालयों के सम्बर्द्धन हेतु अधिकाधिक सहायता प्रदान की जा रही है।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में माध्यमिक शिक्षा का विकास -

शिक्षा, मानव के सर्वोन्मुखी विकास का सर्वोत्तम साधन है। वह मनुष्य को अपने वातावरण के अनुसार ढालने, समाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने, स्वस्थ जीविकोपार्जन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है।

15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतन्त्र हुआ। सदियों से सोयी भारत की चेतना ने एक नयी अँगड़ाई ली। मन्दिरों की शंखध्वनियों, मस्जिदों की अजानों, गुरुद्वारों के पाठों और गिरजाघरों के घण्टों की मधुर गुंजारों के बीच एक नये राष्ट्र का जन्म हुआ। स्वतन्त्रता के सूर्य की प्रथम किरण ने भारत-वसुन्धरा के हिम-शिखरों को उसके तृण-तृण और कण-कण को एक नये स्वर्णिम आलोक से भर दिया। पूर्व से लेकर पश्चिम तक तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक समूचे देश का हृदय एक अद्भुत और अभूतपूर्व हर्षोल्लास से उन्मत्त हो उठा, उत्साह और उमंगों के नये स्पन्दनों से थिरक उठा। हमने आनन्द की उन्हीं घड़ियों में यह पावन संकल्प लिया कि लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद के आदर्शों की नीव पर अपने नये भारत का निर्माण किया जाय। इस प्रकार स्वतन्त्रता के

तीन वर्ष बाद सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के संविधान की घोषणा हुई। भारतवर्ष संसार के लोकतन्त्रवादी महान् राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि स्वतन्त्र राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाय कि वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके।

लोकतन्त्रीय व सार्वजनिक शिक्षा वर्तमान युग की मुख्य विशेषता है। लोकतन्त्र में शिक्षा का बहुत महत्व होता है। शिक्षा ही उसके आधार को दृढ़ और शक्तिशाली बनाती है। लोकतन्त्र सामान्य व्यक्ति में श्रद्धा रखता है और समता के सिद्धान्त पर बल देता है। इसीलिए इसमें व्यक्ति की सम्भाव्य शक्तियों को विकसित करने के समान अवसर सभी को प्रदान किये जाते हैं। प्रजातान्त्रिक शासन-पद्धति में जनता के शिक्षित होने से जहाँ एक ओर प्रजातन्त्र को दृढ़ आधार-शिला मिलती है, वहीं दूसरी ओर लोगों को अपने दायित्व निर्वहन का सामार्थ्य प्राप्त होता है। सम्पूर्ण देश में मानवीय व प्राकृतिक साधनों के विकास, लोगों की शक्ति के उपयोग एवं साधारण नागरिकता के बन्धनों को दृढ़ करने के प्रयास, शिक्षा के कार्यक्रमों पर ही आधारित होते हैं। अतएव संविधान में शिक्षा का समुचित प्राविधान किया गया है।

सुयोग्य नागरिक बनाने हेतु प्राथमिक शिक्षा की उपादेयता, आवश्यकता तथा महत्ता को समझते हुए संविधान की 45वीं धारा में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान रखा गया है, परन्तु आज तक हम उस अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाये हैं। प्राथमिक शिक्षा द्वारा बालक के जीवन के सर्वांगीण विकास का कार्य प्रारम्भ किया जाता है तो माध्यमिक शिक्षा द्वारा इसकी गति में और अधिक तीव्रता लायी जाती है।

शैक्षिक सोपान में माध्यमिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि बहुसंख्यक विद्यार्थियों के लिये यह अन्तिम स्तर है और वे ज्यों ही यह शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, त्यों ही किसी न किसी काम में लग जाते हैं।

स्वतन्त्रता के पश्चात् ही देश व प्रदेश स्तर पर शैक्षिक विकास को प्राथमिकता

दी गयी। उत्तर प्रदेश ने भी शैक्षिक उन्नयन हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारम्भ किये। नये-नये विद्यालय तथा कालेज खोले गये एवं पढ़ने वाले छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। स्त्री-शिक्षा को वरीयता प्रदान की गयी। शिक्षा में वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों का समावेश किया गया। संख्यात्मक वृद्धि के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया।

शैक्षिक विकास, प्रदेश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटनाओं तथा परिवर्तनों से प्रभावित होता है तथा शिक्षा को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान के विभाजन से अस्त-व्यस्तता पैदा हो गयी। पाकिस्तान की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग हिन्दुस्तान में प्रवेश कर गया। अतएव सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग विस्थापितों के बसाने में किया। विस्थापितों का एक बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में भी बसाया गया, जिससे उत्तर प्रदेश शासन को भी विस्थापितों की आवास-व्यवस्था तथा भोजन आदि में व्यय करना पड़ा, अतएव शिक्षा के बजट में कमी करना स्वाभाविक था। तत्पश्चात् देशव्यापी अकाल पड़ा और जनता के भरण-पोषण की समस्या उत्पन्न हो गयी। सन् 1949-50 में प्रान्तीय पुनर्गठन किया गया, जिससे टिहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासतों का विलीनीकरण प्रदेश में कर लिया गया। शासन की अनेक परेशानियों के वाद भी प्रदेश में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास धीरे-धीरे होता रहा।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास का अध्ययन करने हेतु 9 काल-खण्डों में विभाजित कर प्रायः 5 वर्ष में प्रगति तथा विस्तार का विवेचन करने का प्रयास किया गया है, जो सारिणी क्रमांक 4·8 से 4·11 में दर्शाया गया है -

सारिणी - 4·8

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(सन् 1946-47 से 1987-88 तक)

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	योग	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि सूचकांक
1-	1946-47	415 (82·02)	91 (17·98)	506 (100)	1	--	100
2-	1950-51	833 (84·40)	154 (15·60)	987 (100)	1·9	23·76	195
3-	1955-56	1253 (85·01)	221 (14·99)	1474 (100)	2·9	9·87	291
4-	1960-61	1489 (84·08)	282 (15·92)	1771 (100)	3·5	4·03	350
5-	1965-66	2050 (81·97)	451 (18·03)	2501 (100)	4·9	8·24	494
6-	1970-71	2834 (82·99)	581 (17·01)	3415 (100)	6·7	7·31	675
7-	1975-76	3543 (84·34)	658 (15·66)	4201 (100)	8·3	4·60	830
8-	1980-81	4420 (85·36)	758 (14·64)	5178 (100)	10·2	4·65	1023
9-	1985-86	4863 (85·81)	804 (14·19)	5667 (100)	11·2	1·89	1120
10-	1987-88	4904 (85·48)	833 (14·52)	5737 (100)	11·3	0·62	1134

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित अंश का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत:. शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

सारिणी - 4·9

उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन

सन् 1946-47 से 1987-88 तक)

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	योग	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि दर	वृद्धि सूचकांक
1-	1946-47	1,77,562 (87·37)	25,663 12·63)	2,03,225 (100)	1	--	100
2-	1950-51	3,59,580 (86·15)	57,825 (13·85)	4,17,405 (100)	2·0	26·35	205
3-	1955-56	5,56,530 (86·40)	87,599 (13·60)	6,44,129 (100)	3·1	10·86	317
4-	1960-61	7,57,592 (83·06)	1,54,485 (16·94)	9,12,077 (100)	4·4	8·32	449
5-	1965-66	12,71,038 (81·53)	2,87,862 (18·47)	15,58,900 (100)	7·6	14·18	767
6-	1970-71	18,51,759 (79·96)	4,63,977 (20·04)	23,15,736 (100)	11·3	9·71	1139
7-	1975-76	22,38,580 (80·14)	5,54,809 (19·86)	27,93,389 (100)	13·7	4·13	1375
8-	1980-81	27,52,494 (79·82)	6,95,829 (20·18)	34,48,323 (100)	16·9	4·69	1697
9-	1985-86	32,61,779 (76·23)	10,17,039 (23·77)	42,78,818 (100)	21·0	4·82	2105
10-	1987-88	33,54,747 (76·02)	10,58,195 (23·98)	44,12,942 (100)	21·7	1·57	2171

नोट- कोष्ठक में सम्बन्धित अंश का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत:, शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

सारिणी - 4·10

उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक

(सन् 1946-47 से सन् 1987-88 तक)

क्रमांक	वर्ष	पुरुष	महिला	योग	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि दर	वृद्धि सूचकांक
1-	1946-47	7,610 (82·83)	1,577 (17·17)	9,187 (100)	1	--	100
2-	1950-51	15,453 (84·78)	2,774 (15·22)	18,227 (100)	1·9	24·60	198
3-	1955-56	24,541 (85·60)	4,130 (14·40)	28,671 (100)	3·1	11·46	312
4-	1960-61	30,222 (83·77)	5,854 (16·23)	36,076 (100)	3·9	5·17	393
5-	1965-66	45,717 (81·04)	10,697 (18·96)	56,414 (100)	6·1	11·27	614
6-	1970-71	64,810 (81·37)	14,836 (18·63)	79,646 (100)	8·6	8·24	867
7-	1975-76	84,485 (82·55)	17,864 (17·45)	1,02,349 (100)	11·1	5·70	1,114
8-	1980-81	96,117 (82·96)	19,747 (17·04)	1,15,864 (100)	12·61	2·64	1,261
9-	1985-86	1,04,321 (83·65)	20,386 (16·35)	1,24,707 (100)	13·5	1·52	1357
10-	1987-88	1,04,597 (82·81)	21,706 (17·19)	1,26,303 (100)	13·7	0·64	1,375

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित अंश का योग से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत; शिक्षा की प्रगति. (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

उ·प्र·में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अध्यापक तथा नामांकन
(1947-48 से 1988-89)
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सैकड़ों में)
उ·मा· विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या (दस हजार में)
उ·मा· विद्यालयों में नामांकन (लाख में)
संख्या
वर्ष

चित्र- 4.1

सारिणी - 4·11

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय

औसत अध्यापक-संख्या, छात्र-संख्या तथा शिक्षक-छात्र-अनुपात

(सन् 1946-47 से 1987-88 तक)

क्रमांक	वर्ष	विद्यालय	अध्यापक	छात्र	प्रति विद्यालय अध्यापक	प्रति विद्यालय छात्र	प्रति अध्यापक छात्र
1-	1946-47	506	9187	2,03,225	18	402	22
2-	1950-51	987	18,227	4,17,405	18	423	23
3-	1955-56	1474	28,671	6,44,129	19	437	22
4-	1960-61	1771	36,076	9,12,077	20	515	25
5-	1965-66	2501	56,414	15,58,900	22	623	28
6-	1970-71	3415	79,646	23,15,736	23	678	29
7-	1975-76	4201	1,02,349	27,93,389	24	665	27
8-	1980-81	5178	1,15,864	34,48,323	22	666	30
9-	1985-86	5667	1,24,707	42,78,818	22	755	34
10-	1987-88	5737	1,26,303	44,12,942	22	769	35

स्रोत - सारिणी क्रमांक 8, 9 तथा 10 के आधार पर आकलित।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास (1946-47 से 1950-51) -

सन् 1946-47 में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 506 थी, जिसमें 415 विद्यालय (82.02 प्रतिशत) बालकों के तथा 91 विद्यालय (17.98 प्रतिशत) बालिकाओं के थे। इस अवधि में छात्रों का नामांकन 2,03,225 था, जिसमें 1,77,562 (87.37 प्रतिशत) बालक तथा 25,663 (12.63 प्रतिशत बालिकाएँ थीं। शिक्षकों की संख्या 9,187 थी, जिसमें 7,610 (82.83 प्रतिशत) पुरूष शिक्षक तथा 1,577 (17.17 प्रतिशत) महिला शिक्षिकाएँ थीं। शिक्षक-छात्र अनुपात 1:22 था।[38] प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 402 थी तथा प्रति विद्यालय औसत अध्यापक-संख्या 18 थी।

संख्यात्मक विकास -

सन् 1950-51 में प्रदेश में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विकास में आशातीत वृद्धि हुई।

(अ) विद्यालय - इस अवधि में विद्यालयों की कुल संख्या 987 हो गयी, जिसमें 833 (84.40 प्रतिशत) बालकों के तथा 154 (15.60 प्रतिशत) बालिकाओं के विद्यालय थे। इस प्रकार पाँच वर्ष की अवधि में 481 विद्यालय बढ़ गये। सन् 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 1.9 गुना थी।

(ब) नामांकन - इस अवधि में छात्रों का नामांकन 4,17,405 था, जिसमें 3,59,580 (86.15 प्रतिशत) बालक तथा 57,825 (13.85 प्रतिशत) बालिकाएँ अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 423 थी।

(स) शिक्षक - उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-संख्या में लगातार वृद्धि होती रही, अतः शिक्षकों की संख्या में वृद्धि स्वाभाविक थी। शिक्षकों की संख्या 18,227 थी,

---

38- जनरल रिपोर्ट आन इजूकेशन इन यूनाइटेड प्रॉविन्स 31 मार्च 1947, इलाहाबाद, 1949

जिसमें 15,453 पुरूष तथा 2774 महिला शिक्षिकाएँ थीं। जिनका प्रतिशत क्रमशः 84·78 तथा 15·22 था। प्रति विद्यालय औसत शिक्षक संख्या 18 थी तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:23 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट स्तर तक तथा सहायता प्राप्त अंग्रेजी मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल स्तर तक 1947-48 में उन्नत किया गया। बालिकाओं के 4 राजकीय हाई स्कूल खोले गये। शिक्षण-शुल्क में ·50 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। भवन-निर्माण-सामग्री का अभाव होने के कारण निर्माण-कार्य स्थगित रहा। द्विपाली प्रथा प्रारम्भ की गयी। अधिकांश विद्यालयों में क्रीड़ांगन का अभाव था। 1948-49 में हाई स्कूलों और इण्टरमीडिएट कालेजों का पुनर्संगठन कर दिया गया तथा उन्हें हायर सेकेण्डरी विद्यालय कहा जाने लगा। हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों और एंग्लो-हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूलों को समाप्त कर उन्हें जूनियर हाई स्कूल कहा जाने लगा।

दस लाख[39] रूपये का विशिष्ट अनावर्ती अनुदान अशासकीय सहायता प्राप्त कला वर्ग के विद्यालयों को हायर सेकण्डरी स्तर तक बढ़ाने एवं नये-नये विषय खोलने के लिये दिया गया।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास - (1950-51 से 1955-56) -

राजनेता, समाज के प्रभावशाली लोग तथा कुशल राजनीतिज्ञों ने अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक खोलने पर विशेष बल दिया, जिस कारण माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में विशेष वृद्धि हुई। शिक्षा का समवेत आयोजन भी पंचवर्षीय योजना के कारण प्रारम्भ हो गया। 1952 में जमींदारी उन्मूलन के कारण शिक्षा को मिलने वाली

39- जनरल रिपोर्ट आन इजूकेशन इन दि यूनाइटेड प्राविन्स, 1948, इलाहाबाद, अधीक्षक, गवर्नमेन्ट स्टेशनरी एण्ड प्रिण्टिंग प्रेस, 1950, पृ0-14-19

आर्थिक सहायता भी प्रभावित हुई। जिसके कारण बहुत सी संस्थाओं का विकास अवरूद्ध हो गया। इसी बीच मुदालियर कमीशन तथा आचार्य नरेन्द्रदेव समिति की रिपोर्टें भी प्रकाशित हुईं। ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में माध्यमिक शिक्षा का विकास धीरे-धीरे होता रहा।

संख्यात्मक विकास -

§अ§ विद्यालय - सन् 1955-56 में प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1,474 हो गयी, जिसमें 1,253 §85·01 प्रतिशत§ बालकों के तथा 221 §14·99 प्रतिशत§ बालिकाओं के थे। इस प्रकार 1950-51 की तुलना में 1955-56 में 487 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिक हो गये। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 2·9 गुना थी।

§ब§ नामांकन - छात्रों का कुल नामांकन 6,44,129 था जिसमें 5,56,530 §86·40 प्रतिशत§ बालक तथा 87,599 §13·60 प्रतिशत§ बालिकाएँ थीं। सन् 1950-51 की तुलना में नामांकन में 2,26,724 की वृद्धि हुई, जो 1946-47 के नामांकन की 3·1 गुना थी तथा प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 437 थी।

§स§ शिक्षक - इस अवधि में 28,671 अध्यापक थे, जिसमें 24,541 पुरूष, 4,130 महिलाएँ थीं, जिनका प्रतिशत क्रमशः 85·60 तथा 14·40 था। सन् 1950-51 की तुलना में अध्यापकों की संख्या में 10,444 की वृद्धि हुई, जो 1946-47 से 3·1 गुना थी। प्रति विद्यालय शिक्षक-संख्या 19 थी तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:22 था।

विकास की विशिष्टाताएँ -

मेरठ, बरेली, कानपुर, लखनऊ तथा बनारस में पाँच क्षेत्रीय मनोविज्ञानशाला केन्द्र खोले गये। सहायता-प्राप्त उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भवन-निर्माण

हेतु 2,02,000 रूपये का अनुदान दिया गया।[40]

सहायता-प्राप्त बालिका विद्यालयों को 60,000 रूपये तथा राजकीय बालिका विद्यालयों को 40,000 रूपये का अनावर्ती अनुदान नयी बसें खरीदने के लिये दिया गया। प्रति छात्र औसत वार्षिक व्यय 73 रू0 था। छात्र-वृत्तियों में 7,61,200 रू0 खर्च किये गये। 60 हायर सेकण्डरी स्कूल्स अनुदान सूची पर लाये गये।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास (1955-56 से 1960-61) -

निर्दिष्ट अवधि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल था। विकास के नये आयाम सामने थे। जनसंख्या-वृद्धि की दर काफी तेज थी।

मिश्रित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना का महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने था, अतः विज्ञान की शिक्षा को विशेष बल मिला। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना अभीष्ट था, अतएव कृषि-उत्पादनों को विशेष प्राथमिकता दी गयी। प्रदेश में माध्यमिकशिक्षा की प्रगति सन्तोषजनक थी।

संख्यात्मक विकास -

(अ) विद्यालय - 1960-61 में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1,771 थी, जिसमें 1,489 (84·08 प्रतिशत) विद्यालय बालकों के तथा 282 (15·92 प्रतिशत) विद्यालय बालिकाओं के थे। इस प्रकार सन् 1955-56 की तुलना में इस वर्ष 297 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिक हो गये। यह वृद्धि 1946-47 की तुलना में 3·5 गुना थी।

(ब) नामांकन - विद्यालयों की वृद्धि के अनुरूप छात्रों के नामांकन में भी वृद्धि हुई। 1960-61 में छात्रों का कुल नामांकन 9,12,077 था, जिसमें छात्रों की संख्या

40- एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस आफ इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, 1956 इलाहाबाद गवर्नमेण्ट प्रिण्टिंग एण्ड स्टेशनरी प्रेस, 1959, पृष्ठ-6,8,82

7,57,592 (83·06 प्रतिशत) तथा छात्राओं की संख्या 1,54,485 (16·94 प्रतिशत) थी। सन् 1955-56 की तुलना में इस वर्ष छात्रों के नामांकन में वृद्धि 2,67,948 हो गयी। यह वृद्धि 1946-47 की तुलना में 4·4 गुना थी। इस वर्ष प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 515 थी।

(स) शिक्षक - 1955-56 में शिक्षकों की संख्या 28,671 थी, जो 5 वर्ष की अवधि में बढ़कर 1960-61 में 36,076 हो गयी, जिसमें 30,222 पुरुष तथा 5,854 महिला शिक्षिकाएँ थीं। जिनका प्रतिशत क्रमशः 83·77 तथा 16·23 था। इस प्रकार अध्यापकों की संख्या में कुल वृद्धि 7,405 की हुई। यह वृद्धि 1946-47 की तुलना में 3·9 गुना थी। प्रति विद्यालय औसत शिक्षक-संख्या 20 तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:25 था।

निर्दिष्ट अवधि की विशिष्टताएँ -

सन् 1956-57 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 800 पुस्तकालयों का सुधार किया गया। 1,200 अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की गयी। 60,078 रुपये की धनराशि बालिकाओं के दो राजकीय विद्यालय खोलने में व्यय की गयी।

100 रुपये मासिक वेतन पाने वाले सरकारी नौकरी के पालकों के बालकों का शिक्षण-शुल्क 11वीं तथा 12वीं कक्षा में आधा कर दिया गया। इस योजना के लिये 1956 के बजट में 1,95,000 रु0 की व्यवस्था की गयी। सहायता-प्राप्त उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सुधार हेतु 1,85,000 रु0 अध्यापकों की वार्षिक वेतन-वृद्धि के लिये 50,000 रु0 का आवर्तक अनुदान, फर्नीचर खरीदने और सुधारने के लिये 3,00,000 रु0 तथा भवन-निर्माण के लिये 1,00,000 रु0 का अनुदान देना स्वीकृत किया गया। शासन ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में उसी वेतन-क्रम पर स्थानान्तरित करने की सुविधा प्रदान की।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास (सन् 1960-61 से 1965-66) -

सन् 1962 में चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण देश की आर्थिक

व्यवस्था विगड़ गयी थी। शासन का सारा संसाधन रक्षा-व्यय में खर्च होने लगा, अतएव विकास के कार्यों को रोकना पड़ा। फलस्वरूप शिक्षा-व्यय में भी कटौती हुई, जिससे शिक्षा की प्रगति तथा विकास भी प्रभावित हुआ। 1965 में मुद्रा-स्फीति के कारण रुपये का अवमूल्यन हुआ, जिसके कारण लोगों को मँहगाई का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि की गयी। शासन का अधिकांश राजकोष वेतन में ही व्यय होने लगा। शैक्षिक विकास में रूकावट आयी। स्कूल-भवन निर्माण, उपकरण तथा साज-सज्जा की वस्तुएँ मँहगी होने से उनमें कटौती की गयी, जिससे शिक्षा-स्तर में गिरावट आयी।

सन् 1964 में पूर्वी पाकिस्तान में साम्प्रदायिक दंगों की आग भड़क उठी। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आये। उत्तर प्रदेश के नैनीताल और मेरठ जिलों में 682 परिवारों को बसाया गया। इसी प्रकार 1000 परिवार वर्मा से वापस उत्तर प्रदेश आये, इनमें 660 परिवारों को पोषण-भत्ता, कपड़े तथा वर्तन आदि बाँटे गये, जिसमें 27,735 रू0 व्यय हुए। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ा।

संख्यात्मक विकास -

§अ§ विद्यालय - सन् 1965-66 में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2,501 थी, जिसमें 2050 §81·97प्रतिशत§ बालकों के तथा451 §18·03 प्रतिशत§बालिकाओं के विद्यालय थे। गत पाँच वर्षो की तुलना में 730 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अधिक हो गये। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 4·9 गुना थी।

§ब§ नामांकन - इस अवधि में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 15,58,900 था, जिसमें छात्रों की संख्या 12,71,038 §81·53 प्रतिशत§ तथा छात्राओं की संख्या 2,87,862 §18·47 प्रतिशत§ थी। सन् 1960-61 की तुलना में नामांकन में 6,46,823 की वृद्धि हुई, जो 1946-47 की तुलना में 7·6 गुना थी। प्रति विद्यालय औसत छात्र संख्या 623 थी।

§स§ शिक्षक - शिक्षकों की संख्या 56,414 थी, जिसमें 45,717 §81·04 प्रतिशत§ पुरूष तथा 10,697 §18·96 प्रतिशत§ महिलाएँ थीं। इस प्रकार अध्यापकों की संख्या में 20,338

की वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1946-47 की तुलना में 6·1 गुना थी। प्रति विद्यालय औसत अध्यापक संख्या 22 थी तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:28 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

विज्ञान-शिक्षण के सुधार और प्रसार की एक विशेष योजना 1963 से प्रारम्भ की गयी। विज्ञान स्नातकों को शिक्षण व्यवसाय में आकृष्ट करने के लिये प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान-अध्यापकों को आठ अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ देने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी। विज्ञान-शिक्षा की त्वरित उन्नति हेतु केन्द्र शासन द्वारा 57,00,000 रु0 की लागत का एक "क्रैश प्रोग्राम" उत्तर प्रदेश को दिया गया। 2 अक्टूबर 1964 से सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को लाभत्रयी योजना की सुविधा देना शासन ने स्वीकार कर लिया।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास (सन् 1965-66 से 1970-71) -

इस समयावधि में स्वर्ण-नियन्त्रण कानून लागू हुआ। स्वर्णकारों के व्यवसाय पर रोक लगा देने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गयी, इसका प्रभाव उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ा, अतएव शासन को स्वर्ण-नियन्त्रण से प्रभावित अभिभावकों के बालकों को माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा करनी पड़ी, जिससे शासन के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ गया।

1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध पुनः हुआ, जिसके कारण विकास-कार्यो में अवरोध उत्पन्न हो गया। बंगला देश के शरणार्थी भारत आये, उनकी व्यवस्था आदि में राजकीय निधि का एक बहुत बड़ा भाग व्यय हुआ। 1969 में बैंकों, कोयला-खदानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में स्कूल और कालेजों के नाम सम्प्रदाय विशेष के साथ जुड़े थे, उन्हें बदल दिया गया। इन सभी परिवर्तनों के बाद भी उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का विकास धीरे-धीरे चलता रहा।

संख्यात्मक विकास -

§अ§ विद्यालय - वर्ष 1970-71 में उत्तर प्रदेश में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3415 थी, जिसमें 2834 §82·99 प्रतिशत§ विद्यालय बालकों के तथा 581 §17·01 प्रतिशत § विद्यालय बालिकाओं के थे। इस प्रकार वर्ष 1965-66 की तुलना में इस अवधि में 914 विद्यालय नये खोले गये, इनमें अधिकांश निजी संस्थाओं द्वारा संचालित थे। सन् 1946-47 की तुलना में विद्यालयों की संख्या में 6·7 गुना की वृद्धि हुई।

§ब§ नामांकन - इस अवधि में छात्रों का नामांकन 23,15,736 था, जिसमें 18,51,759 §79·96 प्रतिशत§ छात्र तथा 4,63,977 §20·04 प्रतिशत§ छात्राएँ थीं। 1965-66 की तुलना में नामांकन संख्या में 7,56,836 की अतिरिक्त वृद्धि हुई। नामांकन-वृद्धि 1946-47 की तुलना में 11·3 गुना थी। प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 678 थी।

§स§ शिक्षक - वर्ष 1970-71 में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 79,646 थी, जिसमें 64,810 §81·37 प्रतिशत§ पुरूष शिक्षक तथा 14,836 §18·63 प्रतिशत§ महिला शिक्षिकाएँ थीं। इस प्रकार 1970-71 की अवधि में 23,232 अतिरिक्त अध्यापक भर्ती किये गये। 1946-47 की तुलना में शिक्षकों की संख्या की वृद्धि 8·6 गुना थी तथा प्रति विद्यालय अध्यापक संख्या 23 थी। शिक्षक-छात्र अनुपात 1:29 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को दक्षता-पुरस्कार दिया जाने लगा है। 1967-68 से 4 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाने लगा। 1971 में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज §अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान§ अध्यादेश §97§ प्रख्यापित किया गया, जो अप्रैल 1971 से प्रवृत्त हुआ।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास §सन् 1970-71 से 1975-76§ -

यह समय अधिकाधिक वित्तीय संकट का था। मुद्रा-स्फीति को कम करने के लिये सरकार को सभी क्षेत्रों में खर्चे कम करने पड़े। शिक्षा के विकास-कार्यक्रमों में भी कमी करनी पड़ी। 1974 में "सम्पूर्ण क्रान्ति" का जय प्रकाश नारायण का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी पड़ा। छात्र हड़ताल करने लगे, छात्रों द्वारा तोड़-फोड़ की जाने लगी, परीक्षाएँ स्थगित करनी पड़ीं, शिक्षा-सत्र अनियमित हो गये, जून 1975 में इमेर्जेंसी लागू की गयी, अध्यापकों को नसबन्दी केस लाने को विवश किया गया, स्कूल और कालेजों में हड़तालें अवैध घोषित कर दी गयीं, सत्र नियमित होने लगे, परीक्षाओं में नकल की प्रवृत्ति को रोका गया--उपर्युक्त परिस्थितियों से प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा भी प्रभावित हुई।

संख्यात्मक विकास -

§अ§ विद्यालय - सत्र 1975-76 की अवधि में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4,201 थी, जिसमें 3,543 §84·34 प्रतिशत§ बालकों के तथा 658 §15·66 प्रतिशत§ बालिकाओं के विद्यालय थे। इस प्रकार 1970-71 की तुलना में 786 विद्यालय अधिक हो गये। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 8·3 गुना थी।

§ब§ नामांकन - इस अवधि में नामांकन 27,93,389 था, जिसमें से 22,38,580 §80·14 प्रतिशत§ छात्र तथा 5,54,809 §19·86 प्रतिशत§ छात्राएँ थीं। इस प्रकार सन् 1971-72 की तुलना में नामांकन 4,77,653 की अतिरिक्त वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1946-47 की तुलना में 13·7 गुना अधिक थी। प्रति विद्यालय छात्र-संख्या 665 थी।

§स§ शिक्षक - इस अवधि में अध्यापकों की संख्या 1,02,349 थी, जिसमें 84,485 §82·55 प्रतिशत§ पुरूष तथा 17,864 §17·45 प्रतिशत§ महिलाएँ थीं। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 11·1 गुना थी। इस प्रकार सन् 1971 से 1976 तक 22,703

अध्यापकों की वृद्धि हुई। इस समय प्रति विद्यालय औसत अध्यापक संख्या 24 तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:27 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

सन् 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को वे सभी शैक्षिक सुविधाएँ दी गयीं, जो गत आक्रमण के समय प्रदान की गयी थीं। 1972 में परिषद् के उपकार्यालय की स्थापना की गयी। 1 नवम्बर 1973 से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के समान शासन ने वेतनमान तथा मँहगाई भत्ता देना स्वीकार कर लिया।

माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम 1975 के अधीन यह व्यवस्था की गयी कि किसी भी अध्यापक को 60 दिन से अधिक बिना निरीक्षक की अनुमति के निलम्बित नहीं रखा जा सकता।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास (सन् 1975-76 से 1980-81) -

इमर्जेंसी के पश्चात् कांग्रेस शासन का पतन हुआ तथा जनता शासन ने कार्यभार सम्भाला। सभी को यह आशा की किरण थी कि देश में सामाजिक, आर्थिक क्रान्ति आयेगी तथा शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। जनता शासन के दौरान मुद्रा-स्फीति में सुधार हुआ तथा सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में उन्नयन हुआ, फलस्वरूप शिक्षा का विकास तथा प्रगति भी सन्तोष जनक रही।

संख्यात्मक विकास -

(अ) विद्यालय - इस अवधि में 5,178 विद्यालय थे, जिसमें 4,420 (85·36 प्रतिशत) बालकों के तथा 758 (14·64 प्रतिशत) बालिकाओं के थे। सन् 1975-76 की तुलना

में 1980-81 में 977 विद्यालय अधिक रहे। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 10·2 गुना थी।

§ब§ <u>नामांकन</u> - सन् 1980-81 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों का नामांकन 34,48,323 था, जिसमें 27,52,494 §79·82 प्रतिशत§ बालक तथा 6,95,829 §20·18 प्रतिशत§ बालिकाएँ थीं। 1975-76 की तुलना में छात्रों के नामांकन में 6,54,934 की वृद्धि हुई। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 16·9 गुना अधिक थी। प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 666 थी।

§स§ <u>शिक्षक</u> - 1980-81 में शिक्षकों की संख्या 1,15,864 थी, जिसमें 96,117 §82·96 प्रतिशत पुरूष शिक्षक तथा 19,747 §17·04 प्रतिशत§ महिला शिक्षिकाएँ थीं। 1975-76 की तुलना में 13,515 शिक्षक 1980-81 में बढ़ गये। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 12·61 गुना थी। प्रति विद्यालय शिक्षक-संख्या 22 तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:30 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

जनता शासन में तत्कालीन शिक्षा-मन्त्री, पी0सी0 चुन्दर ने राष्ट्र को शैक्षिक विकास के माध्यम से गति देने के लिये राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1979 प्रतिपादित की। विज्ञान एवं गणित के नये कोर्सों को पढ़ाने के लिये "समर इंस्टीट्यूट" के माध्यम से हाई स्कूल के 10 हजार तथा इण्टर कालेजों के 5 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के अन्तर्गत पाठ्यक्रम-शोध-मूल्यांकन की स्थापना की गयी। वर्ष 1978 में माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास §सन् 1980-81 से 1985-86§ -

इस अवधि में पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ, फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा-नीति

1979 की स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गयी। अनवरत योजना को भी त्याग दिया गया। शासन ने राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण को उचित स्थान देने की बात जोर-शोर से प्रारम्भ की। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सन्तोषप्रद थी, परन्तु शासन शिक्षा हेतु अधिक धन नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा का महत्व बढ़ा जा रहा था।

संख्यात्मक विकास -

§अ§ विद्यालय - 1985-86 में प्रदेश में 5,667 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, जिनमें 4,863 §85·81 प्रतिशत§ बालकों के तथा 804 §14·19 प्रतिशत§ बालिकाओं के विद्यालय थे। 1980-81 की तुलना में 489 विद्यालय 1985-86 में बढ़ गये। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 11·2 गुना थी।

§ब§ नामांकन - इस अवधि में छात्रों का नामांकन 42,78,818 था, जिसमें 32,61,779 §76·23 प्रतिशत§ बालक तथा 10,17,039 §23·77 प्रतिशत§ बालिकाएँ थीं। 1980-81 की तुलना में 1985-86 में नामांकन 8,30,495 बढ़ गया। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 21 गुना थी। प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 755 थी।

§स§ शिक्षक - 1985-86 में शिक्षकों की संख्या 1,24,707 थी, जिसमें 1,04,321 §83·65 प्रतिशत§ पुरुष शिक्षक तथा 20,386 §16·35 प्रतिशत§ महिला शिक्षिकाएँ थीं। 1980-81 की तुलना में 1985-86 में 8,843 अध्यापकों की संख्या अधिक थी। 1946-47 की तुलना में यह वृद्धि 13·5 गुना थी। प्रति विद्यालय औसत अध्यापक 22 तथा अध्यापक-छात्र अनुपात 1:34 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गाँधी लोक सभा में प्रबल बहुमत लेकर आये और शासन संभालते ही 5 जनवरी, 1985 को संसद में एक नयी राष्ट्रीय शिक्षा-नीति बनाने

की घोषणा की तथा 21वीं शती में प्रवेश के लिये उसे एक अनिवार्य आवश्यकता बताया। "प्रोग्राम आफ एक्सन" अविलम्ब तैयार कर अगस्त माह से लागू कर दिया गया। नयी शिक्षा-नीति का क्रियान्वयन अपनी चरम सीमा पर है। शिक्षकों का अभिनवीकरण किया जा रहा है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास §सन् 1985-86 से 1987-88§ -

यह अवधि सप्तम पंचवर्षीय योजना के तीन वर्षों तक की है। इस अवधि में देश का राजनीतिक वातावरण एक ऐसे मोड़ पर पहुँच गया, जहाँ मूल्यों का ह्रास होने लगा, अतएव नयी शिक्षा-नीति में मूल्यों की शिक्षा पर जोर दिया गया है। सारा देश मूल्यों की गिरावट तथा अनैतिकता में घुटन महसूस कर रहा है। माध्यमिक शिक्षा को नयी शिक्षा नीति में वेश-कीमती सोपान बताया गया है।

संख्यात्मक विकास -

§अ§ विद्यालय - 1987-88 में प्रदेश में 5,737 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चल रहे थे, जिनमें 4,904 §85·48 प्रतिशत§ बालकों के तथा 833 §14·52 प्रतिशत§ बालिकाओं के विद्यालय थे। 3 वर्षों में केवल 70 विद्यालय ही नये खोले गये। 1946-47 की तुलना में 1987-88 में माध्यमिक विद्यालय 11·3 गुना हो गये।

§ब§ नामांकन - 1987-88 में 44,12,942 छात्रों का नामांकन था, जिसमें 33,54,747 §76·02 प्रतिशत§ बालक तथा 10,58,195 §23·98 प्रतिशत§ बालिकाएँ थीं। विगत 3 वर्षों में 1,34,125 छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि 1946-47 की तुलना में 1986-87 में छात्रों की संख्या 21·7 गुना हो गयी। प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 769 थी।

§स§ शिक्षक - 1987-88 में प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 1,26,303 थी, जिसमें 1,04,597 §82·81 प्रतिशत§ पुरुष तथा 21,706 §17·19

प्रतिशत) महिलाएँ थीं। 1985-86 की तुलना में 1987-88 में 1,596 शिक्षकों की वृद्धि हुई। 1946-47 की तुलना में 1987-88 में अध्यापकों की संख्या 13·7 गुना हो गयी। प्रति विद्यालय औसत शिक्षक-संख्या 22 थी तथा शिक्षक-छात्र अनुपात 1:35 था।

विकास की विशिष्टताएँ -

व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। तहसील-मुख्यालय पर बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। चयनित विद्यालयों में टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा दिये जाने का प्राविधान निश्चित किया गया तथा दूर-शिक्षा के संचालन हेतु पत्राचार संस्थान खोले गये।

स्वातन्त्र्योत्तर काल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रत्येक पाँचवें वर्ष में कुल वृद्धि-विवरण सारिणी क्रमांक 4·8 में दर्शाया गया है तथा सारिणी क्रमांक 4·9 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का नामांकन दर्शाया गया है। इसी प्रकार सारिणी क्रमांक 4·10 शिक्षकों की संख्यात्मक वृद्धि प्रदर्शित कर रही है। इन सारणियों में सम्बन्धित अंश का प्रतिशत कोष्ठक में दर्शाया गया है। इन तीनों सारणियों का एक साथ अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1946-47 में 506 थी, जो 1987-88 में 5,737 हो गयी। विद्यालयों में 1946-47 की तुलना में 1987-88 को 11·3 गुना वृद्धि हुई।

इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1946-47 में नामांकन 2,03,225 था, जो 1987-88 में बढ़कर 44,12,942 हो गया। अतः नामांकन में वृद्धि 21·7 गुना हुई। 1946-47 में शिक्षकों की संख्या 9,187 थी, जो 1987-88 में बढ़कर 1,26,303 हो गयी। इस प्रकार शिक्षकों की वृद्धि 13·7 गुना हुई।

इस प्रकार चार दशकों में विद्यालयों की संख्या में 11·3 गुना, नामांकन में 21·7 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 13·7 गुना वृद्धि हुई है। इससे यह

प्रकट होता है कि जिस अनुपात से नामांकन में वृद्धि हुई है, उस अनुपात से न तो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और न ही विद्यालय खोले गये।

सारिणी 4·11 यह प्रकट करती है कि 1946-47 में प्रति विद्यालय औसत छात्र-संख्या 402 थी, जो 1987-88 में बढ़कर 769 हो गयी। इसी प्रकार प्रति विद्यालय औसत अध्यापक-संख्या 1946-47 में 18 थी, जो 1987-88 में बढ़कर 22 हो गयी है तथा 1946-47 में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:22 था, जो 1987-88 में बढ़कर 1:35 हो गया है।

सारिणी क्रमांक 4·12, 4·13 तथा 4·14 भारतवर्षमें माध्यमिक शिक्षा के विकास तथा प्रसार को दिग्दर्शित करती हैं -

सारिणी - 4·12

भारत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(सन् 1950-51 से 1986-87 तक)

क्रमांक	वर्ष	विद्यालय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि सूचकांक
1-	1950-51	7,288	1	--	100
2-	1960-61	17,257	2·3	13·68	237
3-	1970-71	36,738	5·0	11·29	504
4-	1980-81	51,594	7·0	4·04	708
5-	1986-87	67,706	9·2	5·20	929

स्रोत - जे.सी. अग्रवाल, 'इजूकेशन इन इण्डिया, पालिसीज, परफारमेन्स एण्ड डेवलपमेण्ट'
नयी दिल्ली, दोबा हाउस, 1989

सारिणी - 4·13

भारत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन (हजारों में)

(सन् 1950-51 से 1986-87 तक)

क्रमांक	वर्ष	नामांकन (हजारों में)	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि सूचकांक
1-	1950-51	1,481	1	--	100
2-	1960-61	3,483	2·3	13·52	235
3-	1970-71	7,167	4·8	10·58	484
4-	1980-81	11,281	7·6	5·74	762
5-	1986-87	17,600	11·8	9·34	1,188

स्त्रोत - फिफ्थ आल इण्डिया इजूकेशनल सर्वे (सलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स)
नयी दिल्ली, एन. सी. ई. आर. टी., 1989

सारिणी - 4·14

भारत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक (हजारों में)

(सन् 1950-51 से 1986-87 तक)

क्रमांक	वर्ष	अध्यापक (हजारों में)	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि सूचकांक
1-	1950-51	127	1	--	100
2-	1960-61	296	2·3	13·31	234
3-	1970-71	629	4·9	11·25	497
4-	1980-81	912	7·1	4·50	718
5-	1986-87	1,151	9·0	4·37	906

स्त्रोत - फिफ्थ आल इण्डिया इजूकेशनल सर्वे (सलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स)
नयी दिल्ली, एन. सी. ई. आर. टी., 1989

सारिणी क्रमांक 4·12 के अनुसार भारत में 1950-51 में 7,288 माध्यमिक विद्यालय थे, जो 1986-87 में बढ़कर 67,706 हो गये। विद्यालयों की यह वृद्धि 9·2 गुना हुई। इसी प्रकार सारिणी 4·13 छात्रों का नामांकन स्पष्ट करती है, जिसके अनुसार 1950-51 में भारत में माध्यमिक विद्यालयों में 14,81,000 था, जो 1986-87 में बढ़कर 1,76,00,000 हो गया। नामांकन की यह वृद्धि 11·8 गुना हुई।

सारिणी 4·14 के अनुसार 1950-51 में भारत में 1,27,000 अध्यापक थे, जो 1986-87 में बढ़कर 11,51,000 हो गये। शिक्षकों की यह वृद्धि 9·0 गुना है।

अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयों तथा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि लगभग समान है, किन्तु नामांकन में अपार वृद्धि हुई है। अतः अधिक विद्यालय खोले जाने तथा अधिक अध्यापक नियुक्त किये जाने की अविलम्ब आवश्यकता है।

सारिणी 4·15 उत्तर प्रदेश में 1950-51 से लेकर 1986-87 तक प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का नामांकन तथा शिक्षकों का विवरण प्रस्तुत करती है —

सारिणी - 4·15

उत्तर प्रदेश में प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अध्यापक तथा नामांकन

(सन् 1950-51 से 1986-87 तक)

वर्ष	प्रबन्धतंत्र	विद्यालय			अध्यापक			नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	पुरूष	महिला	योग	बालक	बालिका	योग
1950-51	1- केन्द्रीय	05 (0·6)	--	05 (0·5)	1729 (11·2)	586 (21·1)	2,315 (12·7)	2,609 (0·7)	--	2,609 (0·6)
	2- राजकीय	76 (9·1)	37 (24·0)	113 (11·5)	--	--	--	31,065 (8·7)	9,391 (15·6)	40,456 (9·7)
	3- जिलापरिषद्	02 (0·2)	--	02 (0·2)	23 (0·2)	--	23 (0·1)	587 (0·2)	--	587 (0·1)
	4- नगर पालिका	12 (1·4)	09 (5·9)	21 (2·1)	226 (1·4)	241 (8·7)	467 (2·6)	5,590 (1·6)	2,727 (4·5)	8,317 (2·0)
	5- सहायता-प्राप्त अशासकीय	646 (77·6)	107 (69·5)	753 (76·3)	12,646 (81·8)	1,925 (69·4)	14,571 (79·9)	2,97,442 (83·0)	47,940 (79·7)	3,45,382 (82·6)
	6- असहायता-प्राप्त अशासकीय	92 (11·1)	01 (0·6)	93 (9·4)	829 (5·4)	22 (0·8)	851 (4·7)	20,915 (5·8)	138 (0·2)	21,053 (5·0)
	योग	833 (100)	154 (100)	987 (100)	15,453 (100)	2,774 (100)	18,227 (100)	3,58,208 (100)	60,196 (100)	4,18,404 (100)
	प्रतिशत	(84·4)	(15·6)	(100)	(84·8)	(15·2)	(100)	(85·6)	(14·4)	(100)

सारिणी - 4·15 क्रमशः -----

वर्ष	प्रबन्धतंत्र	विद्यालय			अध्यापक			नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	पुरूष	महिला	योग	बालक	बालिका	योग
1960-61	1- केन्द्रीय	08 (0·5)	--	08 (0·5)	2,452 (8·2)	1,095 (18·7)	3,547 (9·8)	4,976 (0·6)	--	4,976 (0·5)
	2- राजकीय	90 (6·1)	49 (17·4)	139 (7·8)	--	--	--	42,626 (5·6)	20,991 (14·2)	63,617 (7·0)
	3- जिलापरिषद्	02 (0·1)	02 (0·7)	04 (0·2)	40 (0·1)	12 (0·2)	52 (0·1)	1,253 (0·2)	148 (0·1)	1,401 (0·2)
	4- नगर पालिका	30 (2·0)	16 (5·7)	46 (2·6)	702 (2·3)	296 (5·1)	998 (2·8)	17,617 (2·3)	7,837 (5·3)	25,454 (2·8)
	5- सहायता-प्राप्त अशासकीय	1,088 (73·1)	204 (72·3)	1,292 (73·0)	24,082 (79·7)	4,214 (72·0)	28,296 (78·5)	6,28,970 (82·3)	1,14,816 (77·4)	7,43,786 (81·5)
	6- असहायता-प्राप्त अशासकीय	271 (18·2)	11 (3·9)	282 (15·9)	2,941 (9·7)	237 (4·0)	3,178 (8·8)	68,761 (9·0)	4,082 (2·8)	72,843 (8·0)
	योग प्रतिशत	1,489 (100) (84·1)	282 (100) (15·9)	1,771 (100) (100)	30,217 (100) (83·8)	5,854 (100) (16·2)	36,071 (100) (100)	7,64,203 (100) (83·8)	1,47,874 (100) (16·2)	9,12,077 (100) (100)
1970-71	1- शासकीय	145 (5·1)	109 (18·8)	254 (7·5)	4,312 (6·7)	2,949 (19·9)	7,261 (9·1)			1,51,649 (6·5)
	2- स्थानीय निकाय	65 (2·3)	38 (6·5)	103 (3·0)	1,596 (2·5)	712 (4·8)	2,308 (2·9)			66,399 (2·9)
	3- सहायता-प्राप्त अशासकीय	2,185 (77·4)	385 (66·3)	2,570 (75·5)	53,895 (83·1)	10,267 (69·2)	64,162 (80·5)			19,23,679 (83·1)
	4- असहायता-प्राप्त अशासकीय	429 (15·2)	49 (8·4)	478 (14·0)	5,017 (7·7)	908 (6·1)	5,925 (7·5)			1,73,709 (7·5)
	योग प्रतिशत	2,824 (100) (82·9)	581 (100) (17·1)	3,405 (100) (100)	64,820 (100) (81·4)	14,836 (100) (18·6	79,656 (100) (100)			23,15,736 (100)

सारिणी - 4·15 क्रमशः ------

वर्ष	प्रबन्धतंत्र	विद्यालय			अध्यापक			नामांकन		
		हाई स्कूल	इण्टरमीडिएट	योग	हाई स्कूल	इण्टरमीडिएट	योग	बालक	बालिका	योग
1986-87	1- शासकीय	449 (18·1)	502 (14·9)	951 (16·2)	4,704 (13·1)	10,202 (11·9)	14,906 (12·2)	हाई स्कूल	हाई स्कूल	हाई स्कूल
	2- स्थानीय निकाय	43 (1·7)	57 (1·7)	100 (1·7)	808 (2·2)	1,934 (2·3)	2,742 (2·3)	14,67,256 (68·8)	3,62,632 (64·4)	18,29,887 (67·9)
	3- सहायता-प्राप्त अशासकीय	1,617 (65·1)	2,770 (82·1)	4,387 (74·9)	24,818 (68·9)	70,642 (82·7)	95,460 (78·6)	इण्टरमीडिएट	इण्टरमीडिएट	इण्टरमीडिएट
	4- असहायता-प्राप्त अशासकीय	376 (15·1)	44 (1·3)	420 (7·2)	5,705 (15·8)	2,680 (3·1)	8,385 (6·9)	6,65,176 (31·2)	2,00,292 (35·6)	8,65,467 (32·1)
	योग	2,485 (100)	3,373 (100)	5,858 (100)	36,035 (100)	85,458 (100)	1,21,493 (100)	21,32,432 (100)	5,62,924 (100)	26,95,354 (100)
	प्रतिशत	(42·40)	(57·6)	(100)	(29·7)	(70·3)	(100)	(79·1)	(20·9)	(100)

नोट - कोष्ठक में सम्बन्धित अंश का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत — 1. एनुअल रिपोर्ट आन दी प्रोग्रेस आफ एजूकेशन (सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय

2. शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की)
इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

1950-51 में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 5 थी, उनमें नामांकन 2,609 था तथा शिक्षकों की संख्या 2,315 थी। राजकीय विद्यालयों की संख्या 113 थी तथा नामांकन 40,456 था। जिला परिषद् के मात्र दो विद्यालय थे, जिनमें नामांकन 587 था तथा 23 अध्यापक शिक्षा प्रदान करते थे। इसी प्रकार नगरपालिका के 21 विद्यालय थे, जिनमें नामांकन 8,317 था तथा शिक्षकों की संख्या 467 थी। सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 753 थी, जिनमें नामांकन 345382था तथा शिक्षकों की संख्या 14,571 थी। इसी प्रकार असहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 93 थीं, जिनमें नामांकन 21,053 था तथा शिक्षकों की संख्या 851 थी।

इस प्रकार 1950-51 में प्रबन्धानुसार कुल विद्यालय 987 थे, जिनमें नामांकन 4,18,404 था तथा शिक्षकों की संख्या 18,227 थी।

सन् 1960-61 में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 8 थी, जिनमें नामांकन 4,976 था तथा शिक्षकों की संख्या 3,547 थी। राज्य के शासकीय विद्यालयों की संख्या 139 थी जिनमें 63,617 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। जिला परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय 4 थे, जिनमें 1401 विद्यार्थी थे तथा शिक्षकों की संख्या 52 थी। नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या 46 थी, जिनमें नामांकन 25454 था तथा 998 शिक्षक थे। सहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 1,292 थी जिनमें 7,43,786 विद्यार्थी अध्ययनरत थे तथा शिक्षकों की संख्या 28,296 थी। असहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 282 थी, जिनमें नामांकन संख्या 72,843 थी तथा शिक्षकों की संख्या 3,178 थी। इस प्रकार 1960-61 में प्रबन्धानुसार कुल विद्यालयों की संख्या 1,771 थी जिनका नामांकन 9,12,077 था शिक्षकों की संख्या 36,071 थी।

सन् 1970-71 में शासकीय विद्यालयों की संख्या 254 थी तथा नामांकन 1,51,649 था एवं शिक्षकों की संख्या 7,261 थी। स्थानीय निकाय के विद्यालयों की संख्या 103 थी, जिनमें 66,399 विद्यार्थी अध्ययनरत थे तथा शिक्षकों की संख्या 2,308 थी। सहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 2,570 थी, जिनमें नामांकन 19,23,679 था तथा

शिक्षकों की संख्या 64,162 थी। असहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 478 थी, जिनका नामांकन 1,73,709 था तथा शिक्षकों की संख्या 5,925 थी। इस प्रकार 1970-71 में प्रबन्धानुसार कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3,405 थी जिनका नामांकन 23,15,736 था तथा कुल शिक्षकों की संख्या 79656 थी।

सन् 1986-87 में शासकीय विद्यालयों की संख्या 951 थी, स्थानीय निकाय के विद्यालयों की संख्या 100 थी, सहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 4,387 तथा असहायता-प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 420 थी। इस प्रकार 1986-87 में प्रबन्धानुसार कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5,858 थी जिनमें 26,95,354 विद्यार्थी नामांकित थे तथा इन विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या 1,21,493 थी।

सारिणी क्रमांक 4·16 भारत में प्रबन्धानुसार विद्यालयों का विवरण प्रस्तुत करती है -

सारिणी - 4·16

भारत में प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

(सन् 1986-87)

क्रमांक	प्रबन्धतन्त्र	माध्यमिक	उच्चतर-माध्यमिक	योग	प्रतिशत
1-	राजकीय	19,452 (76·4)	6,001 (23·6)	25,453 (100)	37·59
2-	स्थानीय निकाय	3,248 (87·6)	460 (12·4)	3,708 (100)	5·48
3-	सहायता-प्राप्त अशासकीय	22,901 (73·8)	8,114 (26·2)	31,015 (100)	45·81
4-	असहायता-प्राप्त अशासकीय	6,607 (87·7)	923 (12·3)	7,530 (100)	11·12
	योग	52,208	15,498	67,706	100·00

नोट- कोष्ठक में सम्बन्धित अंश का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत - फिफ्थ आल इण्डिया एजूकेशनल सर्वे (सलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स) नयी दिल्ली, एन. सी. ई. आर. टी., 1989

सारिणी क्रमांक 4·16 के अनुसार 1986-87 में भारत में राजकीय विद्यालयों की संख्या 25,453 थी, जिनमें 19,452 माध्यमिक विद्यालय तथा 6,001 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। भारत के कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों का प्रतिशत 37·59 था। स्थानीय निकाय के विद्यालयों की कुल संख्या 3,708 थी, जिनमें 3,248 माध्यमिक तथा 460 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। कुल विद्यालयों में स्थानीय निकाय के विद्यालयों का प्रतिशत 5·48 था। सहायता-प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कुल संख्या 31,015 थी, जिनमें 22,901 माध्यमिक विद्यालय तथा 8,114 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। कुल विद्यालयों में सहायता-प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रतिशत 45·81 था। असहायता-प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की कुल संख्या 7,530 थी, जिनमें 6,607 माध्यमिक विद्यालय तथा 923 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, कुल विद्यालयों में इनका प्रतिशत 11·12 था।

-x-x-x-x-x-

पंचम अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय तथा उसके स्रोत

शिक्षा में अनेक प्रकार के साधन काम में आते हैं, जिन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, मानवीय साधन; जिसमें शिक्षा में काम करने वाले लोग जैसे, शिक्षक, निरीक्षक, लिपिक तथा भृत्य आदि आते हैं। दूसरा, भौतिक साधन; जिसमें भवन, क्रीड़ांगन, उपकरण तथा साज-सज्जा आदि आते हैं। तीसरा, वित्तीय साधन; जिसमें शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि आती है। किन्तु मानवीय और भौतिक साधन भी धन व्यय करने पर ही उपलब्ध होते हैं, अतएव यह कहा जा सकता है कि शिक्षा का प्रमुख साधन वित्त है। वित्तीय साधनों की प्राप्ति पर ही शिक्षा की प्रगति संभव है। शिक्षा के लिए जो धन एकत्र किया जाता है अथवा शिक्षा के लिए जो आर्थिक प्राप्तियाँ होती हैं, वह आय कहलाती हैं।

लेखांकन में पूंजीगत साधनों से प्राप्त धन को व्यय के विपरीत, जो कि संगठन में किये जाने वाले व्यय का निर्देश करता है, प्राप्तियाँ कहते हैं। "प्राप्तियाँ" विद्यालय की उन सब आमदनियों का उल्लेख करती हैं, जो उन्हें अनुदानों, आबंटनों, शुल्कों, दानों तथा उपहार रूप प्राप्त सम्पत्ति के रोकड़ मूल्य के रूप में प्राप्त होती हैं या उपलब्ध करायी जाती हैं।

आय का सीधा अर्थ संस्था की प्राप्तियों से है। डा0 आत्मानन्द मिश्र ने आय को अग्रांकित शब्दों में परिभाषित किया है[1]—

"किसी व्यापार, कार्य, सेवा या निवेश से मिलने वाली नियतकालिक प्रायः वार्षिक अर्थ-प्राप्ति, धनागम या आमदनी कहलाती है। विद्यालयों के अध्यापन-कार्य तथा अन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में जो धन एक वर्ष भर में छात्र, समुदाय, सरकार, सामग्री-विक्रय तथा ब्याज आदि से प्राप्त होता है, वह शिक्षा की आय होती है।"

1- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन", ग्रन्थम, कानपुर 1976 पृष्ठ-2।

इस प्रकार आय का प्रयोजन ऐसी धनराशि से है, जो सरकार, (केन्द्रीय + राज्य) विश्वविद्यालयों, स्थानीय निकायों, शुल्क, वृत्ति, दान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई हो। इस आय की गणना प्रायः 1 वर्ष के लिए होती है। यह वर्ष पहली अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है, इसे वित्तीय वर्ष कहते हैं और यह प्रायः दोनों वर्ष के संकेत से व्यक्त किया जाता है।

स्रोत का तात्पर्य उस आधार या साधन से है, जिससे धन बराबर मिलता रहे। अतएव आय के स्रोत वे साधन या अभिकरण हैं, जिनसे शिक्षा को बराबर आर्थिक प्राप्तियाँ होती रहती हैं।

आय के प्रकार -

संस्था की आय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

(1) आवर्ती आय

(2) अनावर्ती आय

(क) **आवर्ती आय -**

वह आय, जो प्रत्येक वर्ष विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं, आवर्ती आय कही जाती है। "इजूकेशन इन इण्डिया" (भारत में शिक्षा) में माध्यमिक शिक्षा की आवर्ती आय के अग्रांकित स्रोत दर्शाये गये हैं -[2]

(1) केन्द्रीय सरकार

(2) राज्य सरकार

(3) स्थानीय निकाय

(4) शुल्क

2- 'इजूकेशन इन इण्डिया' खण्ड-2 - 1979-80, नयी दिल्ली, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1987, पृष्ठ-65

§क§ शिक्षा शुल्क

§ख§ छात्रावास शुल्क

§ग§ अन्य शुल्क

§5§ अक्षय निधि

§6§ अन्य स्रोत

§ख§ **अनावर्ती आय -**

आय का वह भाग, जो आवर्ती आय के अतिरिक्त होता है, अनावर्ती आय कहा जाता है। अनावर्ती आय हेतु निम्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है -[3]

§1§ केन्द्रीय सरकार

§2§ राज्य सरकार

§3§ स्थानीय निकाय

§4§ अन्य

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की एक दशक की आवर्ती तथा अनावर्ती आय की प्राप्ति तथा उनके भाग का प्रतिशत सारणी क्रमांक 5.1 में दर्शाया गया है, जिससे आवर्ती तथा अनावर्ती आय की प्रवृत्तियों का ज्ञान हो रहा है -

---

3- वही - पृष्ठ - 123

सारिणी - 5.1

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आवर्ती तथा अनावर्ती आय

(1976-77 से 1985-86 तक)

(लाख रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	आवर्ती	अनावर्ती	योग
1-	1976-77	9065.82 (98.53)	135.16 (1.47)	9200.98 (100)
2-	1977-78	9627.14 (98.57)	139.39 (1.43)	9766.53 (100)
3-	1978-79	11005.01 (98.76)	138.71 (1.24)	11144.62 (100)
4-	1979-80	11431.68 (98.20)	209.49 (1.80)	11641.17 (100)
5-	1980-81	13230.04 (98.60)	187.27 (1.40)	13417.30 (100)
6-	1981-82	14637.84 (98.64)	201.24 (1.36)	14839.08 (100)
7-	1982-83	18740.77 (97.96)	390.37 (2.04)	19131.14 (100)
8-	1983-84	20379.11 (97.94)	429.16 (2.06)	20808.27 (100)
9-	1984-85	22417.11 (97.94)	472.08 (2.06)	22889.19 (100)
10-	1985-86	23922.00 (97.99)	489.69 (2.01)	24411.69 (100)
गुणावृद्धि		2.638	3.623	2.653

नोट- कोष्ठक में आवर्ती तथा अनावर्ती आय की कुल आय से उनके भाग का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत-(1) इजूकेशन इन इन्डिया भाग-2 1976-77 से 1979-80 तक, नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(2) शिक्षा के आंकड़े प्रोफार्मा सम्बन्धित वर्षो का, इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आवर्ती एवं कुल आय
(1976-77 से 1985-86)
कुल आय
आवर्ती आय
शैक्षिक आय (करोड़ रुपये में)
280
240
200
160
120
80
40
0
1976-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
वर्ष

चित्र-5.1

सारिणी क्रमांक 5·1 से यह प्रगट हो रहा है कि 1976-77 में आवर्ती आय का प्रतिशत 98·53 तथा अनावर्ती आय का प्रतिशत 1·47 था। 1980-81 में आवर्ती आय का प्रतिशत बढ़कर 98·60 हो गया तथा अनावर्ती आय का प्रतिशत घटकर 1·40 रह गया। इस प्रकार इन चार वर्षों में आवर्ती आय में वृद्धि हुई और अनावर्ती आय में गिरावट आयी। परन्तु 1985-86 में अर्थात् पाँच वर्षों में 1980-81 की तुलना में आय के अनावर्ती साधनों से वृद्धि हुई और इस आय का प्रतिशत बढ़कर 2·01 हो गया तथा आवर्ती आय का घटकर 97·99 हो गया। यद्यपि समानुपातिक दृष्टि से आवर्ती आय में 1976-77 की तुलना में 2·638 गुना वृद्धि हुई। इसी प्रकार अनावर्ती आय में 3·623 गुना वृद्धि हुई। कुल आय में एक दशक में वृद्धि 2·65 गुना थी।

आय के स्रोत -

शिक्षा को आय होती है - कई स्रोतों से, जिनमें प्रमुख हैं - केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, छात्र, जो शुल्क के रूप में देते हैं तथा उदार व्यक्ति, जो दान, उपहार, धर्मादा के रूप में देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आय विद्यालय के संचित कोष या अक्षय निधि {इनडाउमेन्ट} और उसके ब्याज से, वसीयत द्वारा प्राप्त सम्पत्ति या न्यास से, विद्यालय में निर्मित वस्तुओं से अथवा अनुपयोगी उपकरणों के विक्रय से तथा किराये आदि से भी हो जाती है।

स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की आय के अग्रांकित साधन थे। कुछ साधन धीरे-धीरे विलुप्त हो गये तथा कुछ नये उद्भूत हुए। 1947-48 में माध्यमिक शिक्षा के आय के साधनों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है -[4]

4- "एनुअल रिपोर्ट आन दि प्राग्रेस आफ इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश" फार दि ईयर 1947-48, इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश {इण्डिया}, पृष्ठ-16

§1§ राजकीय

§2§ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड

§3§ म्यूनिसिपल बोर्ड

§4§ फीस §शुल्क§

§5§ अन्य स्रोत

स्वतंत्रता के पूर्व अक्षय निधि §धर्मादा§ की आय की गणना अन्य स्रोतों के साथ की जाती थी, किन्तु स्वातंत्र्योत्तर धर्मादा का स्रोत अलग हो गया। केन्द्र सरकार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को मदद करने लगी तथा कभी-कभी विदेशी सहायता भी प्राप्त होने लगी।

उत्तर प्रदेश शासन की राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियों के व्योरेवार अनुमान में माध्यमिक शिक्षा की प्राप्तियों के शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 1·4·87 से अग्रांकित आय के साधन निर्धारित हैं -

लेखा शीर्षक -

01 शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्क

02 बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क

03 विभागीय परीक्षाओं का शुल्क

04 पत्राचार पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क

05 पाठ्य-पुस्तकों की प्राप्तियाँ

06 अंशदान

07 धर्मस्वों से आय

08 अधिभुगतानों की वसूलियाँ

09 की गयी सेवाओं के लिए भुगतानों की उगाही

10 मान्यता शुल्क

11 छुट्टी वेतन के लिए अंशदान

12 इमारतों का किराया

13 आवास भवनों पर कर

14 आवास भवनों पर सफाई कर

15 पत्राचार शिक्षा सतत् अध्ययन सम्पर्क योजना से प्राप्तियाँ

16 प्रकीर्ण प्राप्तियाँ[5]

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अभिभावक, अध्यापक विनियमावली 1986 की स्वीकृति प्रदान प्रदान कर दी गयी है। इसके अध्याय-4 में "एसोसियेशन के वित्तीय संसाधन और लेखा परीक्षा" के अन्तर्गत आय के साधनों पर भी प्रकाश डाला गया है।[6]

उपर्युक्त स्रोतों का वर्गीकरण अग्रांकित रूपों में किया जा सकता है -

(क) शासकीय

(1) केन्द्रीय निधि (सेन्ट्रल फन्ड)

(2) राज्य निधि (स्टेट फन्ड)

(ख) स्थानीय निकाय

(3) म्यूनिसिपल निधि

(4) जिला बोर्ड निधि

(ग) शैक्षिक कर

(घ) विदेशी सहायता

(ड·) निजी

(5) शुल्क

5- उत्तर प्रदेश शासन, 1989-90 की राजस्व एवं पूंजी लेख की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत), पृष्ठ-41-42

6- "माध्यम" अंक-3, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय, पृष्ठ- 108

(6) धर्मादा (अक्षय निधि)

(7) अन्य स्रोत

शिक्षा के लिए प्रथम चार स्रोतों से प्राप्त होने वाला धन सार्वजनिक निधि (पब्लिक फन्ड) कहलाता है और अन्त के तीन स्रोतों से प्राप्त धन निजी निधि (प्राइवेट फन्ड) कहलाता है।

(क) **शासकीय स्रोत** -

शासकीय स्रोत का तात्पर्य प्रशासन के दो स्तर अर्थात् केन्द्रीय शासन और प्रादेशिक शासन से है। शिक्षा के लिए केन्द्रीय शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि केन्द्रीय निधि तथा प्रादेशिक शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि राज्य निधि कहलाती है।

(1) **केन्द्रीय निधि** -

1833-1871 के मध्य जब भारत का शासन केन्द्रीकृत था, तब शिक्षा को केन्द्रीय अनुदान दिए जाते थे। जब 1871 में शासन विकेन्द्रीकृत हुआ, तब से प्रान्तीय अनुदान की व्यवस्था प्रारम्भ हुई और शिक्षा विभाग के वित्तीय विवरणों में उन्हें "प्रान्तीय राजस्व" की संज्ञा प्राप्त हुई।

भारतीय संविधान में समस्त शिक्षा का भार राज्यों पर रक्खा गया था। केन्द्र सरकार का शिक्षा में उत्तर-दायित्व केवल राष्ट्रीय महत्व की कुछ संस्थाओं जैसे- सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, विज्ञान एवं तकनीक के राष्ट्रीय संस्थान, वृत्तिक, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संघ के अधीन क्षेत्रों की शिक्षा, अनुसंधान तथा वैज्ञानिक शिक्षा, उच्च शिक्षा का समन्वयन एवं मानक निर्धारण, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण और हिन्दी का प्रसार एवं उन्नयन है। 1976 में संविधान संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, अतएव शिक्षा व्यवस्था केन्द्र तथा राज्य की सहभागिता

का अंग बन गयी।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र शासन ने एक महत्वपूर्ण स्वायत्तशासी संस्था, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्, नयी दिल्ली की स्थापना 1961 में की है। केन्द्र इस संस्था के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के केन्द्र प्रवर्तित §सेन्टर स्पान्सर्ड§ शिक्षा के कार्यक्रमों को भी सीधी सहायता दी जाती है। केन्द्र शासन इसके अतिरिक्त राज्यों की शिक्षा को वित्तीय सहायता देता है। एक, वित्तीय आयोग §फाइनेन्स कमीशन§ द्वारा निर्धारित अनुदान देकर, जो राज्य सरकारों को समग्र प्रतिबद्ध §कमिटेड§ व्यय के लिए दिया जाता है, जिसमें शिक्षा व्यय भी सम्मिलित रहता है। दूसरे, पंचवर्षीय योजनाओं के विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक अनुदान देकर, जिसमें शिक्षा के विकासात्मक कार्यक्रम सम्मिलित रहते हैं। शिक्षा के लिए केन्द्र के द्वारा दी गयी यह वित्तीय सहायता राज्यों के राजस्व में सम्मिलित कर ली जाती है, जिसे राज्य शिक्षा में व्यय करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सबसे महत्वपूर्ण योगदान केन्द्रीय राजस्व के हस्तान्तरण के रूप में रहा है। नाम्बियर अधिनिर्णय जो सन् 1952 तक चालू रहा, उसके अन्तर्गत आयकर का 50 प्रतिशत केन्द्रीय राजस्व से राज्यों को प्राप्त होने वाला कुल भाग था, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। सन् 1952 में गठित प्रथम वित्त आयोग ने इस राशि को बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया, जिसका 15·75 प्रतिशत उत्तर प्रदेश हेतु आबंटित किया गया। द्वितीय वित्तीय आयोग ने इस राशि को घटाकर 16·36 प्रतिशत कर दिया। सन् 1961 में तृतीय वित्त आयोग ने आबकारी का 20 प्रतिशत, भू-शुल्क का 17·01 प्रतिशत और रेलवे भाड़े का कुछ अंश इसमें सम्मिलित किया। परन्तु इस राशि का केवल 14·72 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को आबंटित किया गया। सन् 1966 में चौथे वित्त आयोग ने इस राशि को 75 प्रतिशत पुनः कर दिया। परन्तु आवंटन का आधार जनसंख्या के ऊपर 80 प्रतिशत तथा संग्रहण पर 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया। चूँकि उत्तर प्रदेश को इस आधार पर केवल 14·6 प्रतिशत राशि प्राप्त हो सकी थी, अतः इसका घाटा राज्य सरकार को भोगना पड़ा।

सन् 1969 के पाँचवें वित्त आयोग ने थोड़ा अन्तर करके जनसंख्या पर 90 प्रतिशत तथा संग्रहण पर 10 प्रतिशत कर दिया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की राज्य निधि बढ़कर 16·1 प्रतिशत हो गयी। आबकारी शुल्क 20 प्रतिशत था, जिसका 80 प्रतिशत जनसंख्या पर आधारित था तथा 20 प्रतिशत पिछड़ेपन पर आधारित था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को कुल राशि का 14·5 प्रतिशत ही पाँचवे वित्त आयोग द्वारा मिल सका, जबकि चौथे वित्त आयोग में यह राशि 16·36 प्रतिशत थी।

संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत हरिजनों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता दिये जाने की अतिरिक्त व्यवस्था की गयी है। इस आबंटन की कुछ राशि हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार की हस्तान्तरण-नीति के अन्तर्गत जनसंख्या के अनुपात में कुछ अधिक नहीं प्राप्त कर सका।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु केन्द्र सरकार के स्रोत से एक दशक में जो धनराशि उपलब्ध हुई है, उसका विवरण सारिणी क्रमांक 5·2 में दर्शाया गया है -

सारिणी - 5·2

केन्द्र शासन द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	केन्द्रीय शासन निधि	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में प्रतिशत	गुणावृद्धि
1-	1976-77	31·99	0·35%	1
2-	1977-78	35·01	0·36%	1·09
3-	1978-79	41·86	0·38%	1·31

सारिणी - 5·2 क्रमशः -------

4- 1979-80	64·27	0·56%	2·01
5- 1980-81	81·85	0·62%	2·56
6- 1981-82	67·77	0·46%	2·12
7- 1982-83	66·75	0·36%	2·09
8- 1983-84	76·01	0·37%	2·38
9- 1984-85	83·61	0·37%	2·61
10-985-86	86·07	0·36%	2·69

स्रोत - "राज्यों में शिक्षा के आंकड़े" (सम्बन्धित वर्षों के) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

सारिणी क्रमांक 5·2 को देखने से स्पष्ट होता है कि केन्द्र शासन द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु बहुत ही अल्प मात्रा में सहायता प्रदान की गयी है। 1976-77 में यह 31·99 लाख थी,जो कुल आय का 0·35 प्रतिशत थी। 1985-86 में इस स्रोत का योगदान भी 0·36 प्रतिशत ही कुल आय में रहा, जबकि 1985-86 में केन्द्र शासन द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि 86·07 लाख थी, जो 1976-77 की 2·69 गुना थी।

(2) **राज्य निधि -**

प्रत्येक राज्य अपने राजस्व से, जिसमें केन्द्र से प्राप्त धनराशियाँ भी सम्मिलित रहती हैं, शिक्षा के लिए निधि निर्धारित करता है, जो राज्य निधि कहलाती है। प्रदेश की शिक्षा के लिए यह धन व्यय करने के अतिरिक्त राज्य सरकारें स्थानीय निकायों एवं निजी अभिकरणों (प्राइवेट एजेन्सीज) को भी शिक्षा के प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता देती हैं, जो अनुदान कहलाता है। इस सहायक अनुदान के विस्तृत नियम बनाये जाते हैं, जिनके आधार पर सहायता दी जाती है। कुल राज्य निधि प्रायः दो भागों में

बंटी होती है। एक भाग पहले से चली आ रही संस्थाओं और कार्यक्रमों पर खर्च किया जाता है, जिसे प्रतिबद्ध व्यय §कमिटेड इक्सपेन्डीचर§ या आयोजनेतर §नान-प्लान§ व्यय कहते हैं। दूसरा भाग शिक्षा के विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए होता है, जिसे योजनाव्यय या विकासात्मक व्यय §प्लान अथवा डेवलपमेन्ट इक्सपेन्डीचर§ कहते हैं।

शिक्षा तथा अन्य मदों पर व्यय करने हेतु धनराशि निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संसद में और राज्य सरकारों को विधान मण्डल की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। यह धन केन्द्र या राज्य की संचित निधि §कन्सालीडेटेड फन्ड§ से लिया जाता है। कभी-कभी स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष की अवधि में उसकी आवश्यकता से कम पड़ जाती है और विभाग को अधिक निधि की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल अधिक धनराशि की मांग प्राप्त करने वाला दूसरा वित्तीय विवरण दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। संचित निधि से व्यय को प्राधिकृत कराने हेतु वही निर्दिष्ट कार्य-विधि अपनायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु राज्य निधि से जो सहायता प्राप्त हुई है, उसका विस्तृत विवरण सारिणी क्रमांक 5·3 में दर्शाया गया है—

सारिणी - 5·3

राज्य निधि से प्राप्त आय का विवरण

§हजार रुपयों में§

क्रमांक	वर्ष	राज्य-निधि	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर-प्रतिशत
1-	1947-48	8109·9	36·9%	1	19·6%
2-	1950-51	13864·7	34·6%	1·7	9·7%

सारिणी - 5·3 क्रमशः -----

3- 1955-56	21980·5	33·9%	2·7	12·5%
4- 1960-61	38669·4	40·8%	4·8	14·0%
5- 1965-66	76443·9	46·3%	9·4	15·1%
6- 1970-71	154690·2	53·0%	19·1	20·9%
7- 1980-81	1029302·4	76·7%	126·9	12·1%
8- 1985-86	1818350·4	74·5%	242·2	15·3%×

संकेत - × - यह 1947-48 से 1985-86 के मध्य 38 वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि-दर है।

स्रोत - §1§ "एनुअल रिपोर्ट आन दी प्रोग्रेस आफ इजूकेशन"§सम्बन्धित वर्षों की§ इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, यू0पी0 §इण्डिया§

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आंकड़े" इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

सारिणी क्रमांक 5·3 द्वारा यह स्पष्ट है कि शासन द्वारा राज्य निधि से माध्यमिक शिक्षा हेतु प्राप्त होने वाली आय सन् 1947-48 में 8109·9 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 36·9% थी। 1950-51 में यह धनराशि 13864·7 हजार रूपये हो गयी, जो सन् 1947-48 की धनराशि का 1·7 गुना थी। 3 वर्षों में इस स्रोत की औसत वार्षिक वृद्धि- दर 19·6 प्रतिशत रही, लेकिन समानुपातिक दृष्टि से इसका कुल आय में प्रतिशत घट गया।

1955-56 में इस स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली आय 21980·5 हजार रूपये थी, जो 1947-48 की तुलना में 2·7 गुना है। 1950-51 तथा 1955-56 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि दर 9·7 प्रतिशत थी, जबकि 1950-51 में 19·6 प्रतिशत थी। समानुपातिक दृष्टि से कुल आय में इस स्रोत का प्रतिशत घटकर 33·9 प्रतिशत रह गया, जिससे यह प्रगट हो रहा है कि इन वर्षों में अन्य स्रोतों से आय में वृद्धि हुई है।

1960-61 में राज्य निधि द्वारा प्राप्त होने वाली आय 38669·4 हजार रुपये थी, जो सन् 1947-48 की तुलना में 4·8 गुना है। 1955-56 तथा 1960-61 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 12·5 प्रतिशत थी। इस अवधि के मध्य आय का समानुपातिक अनुपात बढ़कर 40·8 प्रतिशत हो गया, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आय के अन्य स्रोतों में कमी आ गयी।

1965-66 में राज्य निधि द्वारा आय बढ़कर 76443·9 हजार रुपये हो गयी, जो 1947-48 की तुलना में 9·4 गुना थी तथा 1960-61 व 1965-66 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 14·0 प्रतिशत थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में इस स्रोत का प्रतिशत बढ़कर 46·3 प्रतिशत हो गया। 1970-71 में राज्य से प्राप्त होने वाली निधि बढ़कर 154690·2 हजार रु0 हो गयी, जो 1947-48 की तुलना में 19·1 गुना थी। 1965-66 तथा 1970-71 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 15·1% थी तथा शिक्षा की कुल आय में इस स्रोत का प्रतिशत बढ़कर 53·0 प्रतिशत हो गया।

1980-81 में राज्य शासन द्वारा प्राप्त होने वाली आय 1029302·4 हजार रुपये थी, जो 1947-48 की तुलना में अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 126·9 गुना हो गयी तथा 1970-71 और 1980-81 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 20·9 प्रतिशत थी। राज्य निधि की आय का प्रतिशत बढ़कर 76·7 प्रतिशत हो गया, जो 1947-48 की तुलना में दो गुने से भी अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय में काफी कमी आ गयी।

1985-86 में यह आय बढ़कर 1818350·4 हजार रु0 हो गयी, जो 1947-48 की तुलना में 242·2 गुना थी। 1980-81 तथा 1985-86 के मध्य राजकीय निधि से प्राप्त होने वाली आय में काफी वृद्धि हुई। पाँच वर्षों के अन्तराल में धनराशि में वृद्धि लगभग 2 गुने के बराबर हो गयी। 1980-81 तथा 1985-

86 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 12·1 प्रतिशत थी। 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 15·3 प्रतिशत रही।

इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख स्रोतों में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आय प्रथम स्थान पर है। 1947-48 में माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में इसका भाग 36·9 प्रतिशत था, जो लगभग 3 दशक के अन्तराल में 1980-81 में बढ़कर 76·7 प्रतिशत हो गया। 1985-86 में घटकर 74·5 प्रतिशत हो गया। हम देखते हैं कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के अन्य स्रोतों में लगातार कमी आती जा रही है तथा इस स्रोत का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका कारण हमें जो प्रतीत हो रहा है, वह शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व शासन द्वारा अपने ऊपर लेना है। अतएव आय के इस स्रोत में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शनैः शनैः शासन का दायित्व बनती जा रही है।

§ख§ <u>स्थानीय निकाय</u> -

इस स्रोत में धन की वह निधियाँ सम्मिलित हैं, जिन्हें नगर पालिका, परिषदों, जिला-परिषदों, छावनी बोर्डों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों की सामान्य निधि से प्राप्त किया जाता है।

ये स्वायत्त शासन की संस्थाएँ होती हैं, जो किसी स्थान विशेष में स्थापित की जाती हैं और अपने क्षेत्र की जन-सेवाओं की व्यवस्था करती हैं। क्षेत्र के अनुसार इनके विभिन्न नाम दिये जाते हैं। शहरी क्षेत्र में यह नगर निगम, नगरपालिका या कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, छावनी या कन्टोनमेन्ट बोर्ड और अधिसूचित क्षेत्र या नोटीफाइड एरिया कहलाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तर पर इन्हें जिला बोर्ड, जिला परिषद्, तहसीलस्तर पर जनपद-ताल्लुक बोर्ड और गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत या न्याय

पंचायत कहते हैं। शिक्षा वित्त में शहरी स्वायत्त संस्थाओं के समवेत स्रोत को म्यूनिसिपल निधि कहते हैं और ग्रामीण स्वायत्त संस्थाओं के समवेत स्रोत को जिला बोर्ड या स्थानीय निधि कहते हैं।

§3§ **म्यूनिसिपल बोर्ड** -

नगरपालिकायें उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में अस्तित्व में आयीं और सफाई, पुलिस, शिक्षा तथा संचार व्यवस्था के लिये उत्तरदायी बनायी गयीं। बाद में पुलिस सम्बन्धी दायित्व उनसे ले लिया गया और जन-कल्याण के अन्य कार्य करने के लिये उन्हें अनुमति प्रदान कर दी गयी। कानून ने नगरपालिकाओं को शिक्षा सम्बन्धी व्यय का भार उठाने की अनुज्ञा तो प्रदान की किन्तु इस कार्य की अनिवार्यता उन पर आरोपित नहीं की।

म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम आदि की आय का साधन प्रायः उनके भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत भवनों और जायदाद पर लगने वाला कर होता है। वे सफाईकर, हाटकर, नजूल भूमिकर आदि भी वसूल करती हैं। कुछ नगरपालिकायें नगर में परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके उनसे भी आमदनी करती हैं। इस आय के अतिरिक्त उन्हें शासन से शिक्षा के लिए अनुदान भी मिलता है।

§4§ **जिला बोर्ड निधि** -

ब्रिटिश भारत में देहाती क्षेत्रों के लिये स्थानीय निकायों के रूप में कार्य करने के लिए जिला परिषदें और तहसील स्तर पर जनपद या ताल्लुक बोर्ड होते हैं। जिले के ग्रामों में स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा तथा संचार के लिए वह उत्तरदायी थे। उनमें राजस्व का स्रोत लगान के साथ वसूल किया जाने वाला एक स्थानीय भूमिकर था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन सेवाओं को बनाये रखने के लिए राज्य अनुदानों के साथ दिया जाता है। इनकी मुख्य जिम्मेदारी प्रारम्भिक शिक्षा की थी, किन्तु कभी-कभी वे माध्यमिक विद्यालय भी चलाते थे।

स्वतंत्र भारत में लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण की एक नयी व्यवस्था, जिसे पंचायत राज कहते हैं, प्रारम्भ की गयी। इसकी रचना ग्राम, खंड तथा जिला स्तर पर स्थित स्थानीय स्वशासन निकायों की त्रिसोपानीय संरचना के रूप में की गयी, जो अग्रांकित हैं -

§1§ ग्राम-पंचायत §2§ पंचायत-समिति §3§ जिला-परिषद्

उत्तर प्रदेश में 1946-47 से लेकर 1952-53 तक शैक्षिक विवरणिकाओं तथा वार्षिक रिपोर्टों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के स्रोतों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फन्ड तथा म्यूनिसिपल फन्डों को अलग-अलग दर्शाया जाता था, जैसे- डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कुल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में 1947-48 में 1·5 प्रतिशत, 1950-51 में 0·1 प्रतिशत, 1951-52 में 0·1 प्रतिशत तथा 1952-53 में 1·7 प्रतिशत भाग था तथा म्यूनिसिपल फन्ड का 1947-48 में नगण्य, 1950-51 में 1·5 प्रतिशत, 1951-52 में 2·2 प्रतिशत तथा 1952-53 में 0·1 प्रतिशत था।[7]

1952-53 की बाद की रिपोर्टों में इनका प्रतिशत नगण्य होने के कारण स्थानीय संस्थाओं की निधि के रूप में दर्शाया जाने लगा।

अतएव इन फन्डों से प्राप्त होने वाली आय का विवरण अग्रांकित तालिका में दर्शाया गया है, जिसके आधार पर आय के इस स्रोत की विवेचना की जायेगी -

---

7- एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस आफ इजूकेशन पार्ट-1 तथा 2, §सम्बन्धित वर्षों की§ इलाहाबाद, प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी, उत्तर प्रदेश §इण्डिया§

सारिणी - 5·4

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्थानीय निकायों से आय

§हजार रूपयों में§

क्रमांक	वर्ष	स्थानीय निकाय निधि	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर-प्रतिशत
1-	1947-48	396·4	1·8%	1	17·4%
2-	1950-51	641·0	1·6%	1·6	-0·3%
3-	1955-56	633·0	1·0%	1·6	5·4%
4-	1960-61	825·0	0·9%	2·1	9·1%
5-	1965-66	1272·8	0·8%	3·2	9·4%
6-	1970-71	1994·4	0·7%	5·0	34·9%
7-	1980-81	39768·2	3·0%	100·3	19·6%
8-	1985-86	97453·0	4·0%	245·8	15·6%×

संकेत - × - यह 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर है।

स्रोत- §1§ "एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस आफ इजुकेशन"§सम्बन्धित वर्षों की§ इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी, यू0पी0 §इण्डिया§
§2§ "राज्यों में शिक्षा के आंकड़े"§सम्बन्धित वर्षो के§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सारिणी क्रमांक 5·4 से उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्थानीय निकायों से प्राप्त होने वाली आय का विवरण स्पष्ट है, जिससे प्रगट होता है कि 1947-48 में इस स्रोत से आय 396·4 हजार रूपये थी, जो माध्यमिक शिक्षा की कुल आय का 1·8 प्रतिशत थी।

1950-51 में यह आय बढ़कर 641·0 हजार रूपये हो गयी, जो

1947-48 की तुलना में 1·6 गुना थी। यह कुल आय का 1·6 प्रतिशत भाग थी, जो स्पष्ट करती है कि समानुपातिक दृष्टि से आय के इस स्रोत का प्रतिशत घट गया। 1947-48 तथा 1950-51 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 17·4 प्रतिशत थी।

1955-56 में इस स्रोत द्वारा आय 633·0 हजार रूपये हो गयी, जो 1947-48 की तुलना में 1·6 गुना वृद्धि ही कही जा सकती है। 1950-51 तथा 1955-56 की आय की तुलना करने पर 8000 हजार रू0 घट गयी। 1950-51 से 1955-56 के मध्य औसत वार्षिक ह्रास-दर 0·3 प्रतिशत थी।

1960-61 में स्थानीय निकाय निधि से प्राप्त होने वाली आय 825 हजार रूपये थी, जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय का 0·9 प्रतिशत भाग थी, जिससे स्पष्ट होता है कि आय के कुल भाग में इस स्रोत का प्रतिशत घट रहा है। 1960-61 में आय में वृद्धि 1947-48 की तुलना में 2·1 गुना थी।

1965-66 में इस स्रोत से आय 1272·8 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 0·8 प्रतिशत थी। इस स्रोत की प्रवृत्ति समानुपातिक दृष्टि से धीरे-धीरे घटते रहने की है।1960-61 तथा 1965-66 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 9·1 प्रतिशत थी। 1947-48 की आय की तुलना 1965-66 में करने पर 3·2 गुना वृद्धि हुई।

1970-71 में इस स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली कुल आय 1994·4 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 0·7 प्रतिशत भाग थी। इस स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत भाग लगातार घटकर 0·7 प्रतिशत तक पहुँचा है। इस प्रकार इस स्रोत द्वारा प्राप्त आय इस वर्ष में नगण्य-सी थी। 1965-66 तथा 1970-71 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 9·4 प्रतिशत थी तथा इस राशि में अगर वृद्धि की तुलना 1947-48 से की जाय तो इसमें 5 गुना वृद्धि थी।

1980-81 में इस स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, जो बढ़कर 39768·2 हजार रू0 हो गयी। यह धनराशि 1947-48 की तुलना में 100·3 गुना थी तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में 3·0 प्रतिशत भाग पाकर अपना स्थान बनाया। 1970-71 से 1980-81 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 34·9 प्रतिशत थी।

1985-86 में इस स्रोत की आय 97453·0 हजार रूपये थी, जो 1947-48 की तुलना में 245·8 गुना थी। 1980-81 तथा 1985-86 के बीच औसत वार्षिक वृद्धि-दर 19·6 प्रतिशत थी। इस स्रोत ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में 4 प्रतिशत स्थान पाकर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। सन् 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 15·6 प्रतिशत रही।

अतएव हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त होने वाली निधियाँ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में अपना महत्वपूर्ण स्थान नहीं बना सकी हैं, क्योंकि 1947-48 में इस स्रोत का कुल आय में प्रतिशत 1·9 प्रतिशत था, लेकिन 1970-71 तक इस स्रोत ने 1 प्रतिशत भी स्थान नहीं पाया, बल्कि घटकर 0·7 प्रतिशत ही रह गया। परन्तु 1980-81 तथा 1985-86 में इस स्रोत की आय का कुल आय में क्रमशः 3 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत भाग था, जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, जबकि 1947-48 की तुलना में 1985-86 में प्राप्त होने वाली धनराशि में 245·8 गुना वृद्धि थी।

(ग) **शैक्षिक कर (इजूकेशनल सेस)** -

शैक्षिक कर किसी भी प्रशासनिक अभिकरण द्वारा लगाया जा सकता है और उससे प्राप्त धन उसी अभिकरण अर्थात् केन्द्र, राज्य या स्थानीय निकाय-निधि में सम्मिलित होकर शिक्षा के लिए प्राप्त होता है। अतएव शैक्षिक कर का विवरण अलग से

नहीं दर्शाया जाता। कभी-कभी एक पृथक् शिक्षा उपकर भी लगाया जाता है और उससे प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण आय शिक्षा के लिए विनियोजित की जाती है। यह आमतौर पर देहाती क्षेत्रों में भू-राजस्व पर एक अनुमात्रा के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में मकानों पर कर के रूप में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश §उत्तर पश्चिमी सीमान्त प्रान्त§ में लगाया गया 1951 में हल्का-बन्दी कर प्रथम प्रकार का था तथा इसकी सफलता ने अन्य प्रान्तों में इसके आरोहण को प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में आय की प्राप्ति हेतु ऐसा कोई कर नहीं लगाया गया।

§घ§ **विदेशी सहायता** -

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा की आय के एक नये स्रोत का उद्भव हुआ, जिसे विदेशी सहायता कहते हैं। विकासशील देशों के शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अभिकरणों जैसे -यूनेस्को, कोलम्बो प्लान तथा अन्य परोपकारी संगठनों ने इसे प्रारम्भ किया। इस सहायता के तीन प्रकार हैं -

§1§ विशेषज्ञों को उपलब्ध कराना।

§2§ कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों में धन और उपकरण देना।

§3§ विदेशों में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ और यात्रानुदान देना।

यह सहायता प्रायः नगद धन के रूप में प्राप्त न होकर विशेषज्ञों और भौतिक साधनों के रूप में प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा प्रसार विभाग§इक्सटेन्सन सर्विसेज§ विदेशी सहायता प्राप्त कर उसका उपयोग विभिन्न रूपों में कर रहा है।

§ड.§ **निजी स्रोत** -

शिक्षा को जो वित्तीय सहायता व्यक्तिगत लोगों जैसे- छात्र, अभिभावक, समाज के उदार तथा धनी व्यक्तियों या न्यासों §ट्रस्ट§ से मिलती है, वह निजी स्रोत द्वारा प्राप्त कही जाती है।

निजी स्रोतों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के प्रमुख स्रोत अग्रांकित हैं -

§1§ शुल्क

§2§ अक्षय निधि §धर्मस्व§

§3§ अन्य स्रोत

§1§ **शुल्क §फीस§** -

छात्र, विद्यालय से प्राप्त होने वाले शिक्षण तथा अन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में उसे कुछ धन प्रतिमाह या प्रतिवर्ष देते हैं, उसे शुल्क या फीस कहते हैं। इस प्रकार शुल्क विद्यार्थियों से उन्हें शिक्षा तथा अन्य दी जाने वाली सेवाओं के लिए एकत्रित सभी प्रकार के प्रभार हैं।

कार्टर, वी0 गुड[8] ने शुल्क को निम्नवत् परिभाषित किया है -

"शुल्क वह निर्धारित धनराशि, जिसका भुगतान छात्र अपने विद्यालयीन सुविधाओं एवं अधिकारों हेतु करता है तथा विधि सम्मत है।"

प्रारम्भ में शुल्क नहीं ली जाती थी। लेकिन यह देखा गया कि निःशुल्क शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर आकर्षित नहीं करती, इसलिये सन् 1844 में बंगाल में शासन ने मासिक शुल्क अनिवार्य कर दिए। 1854 में "इजूकेशनल डिस्पैच" ने उल्लेख किया है कि,[9]

"इस देश में तथा अन्य देशों में अनुभव के आधार पर यह देखा गया है कि पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा, शिक्षार्थी के हृदय में, उस शिक्षा की तुलना में, जिसके

8- कार्टर, वी0 गुड, "डिक्शनरी आफ इजूकेशन", मैकग्रा, हिल बुक कम्पनी 1973, पृष्ठ-237

9- दि इजूकेशनल डिस्पैच आफ 1854, पैरा-54, वाइड पृष्ठ-379 आफ सलेक्शन फ्राम इजूकेशनल रेकार्डस पार्ट-1, जे0ए0 रिचे, कलकत्ता, गर्वनमेन्ट प्रिंटिंग, 1922

लिए उसे कुछ शुल्क देना पड़ता है, भले ही शुल्क राशि कम से कम क्यों न हो, कम सम्मान का स्थान पाती है। इतना ही नहीं, शुल्क छात्रों में नियमित उपस्थिति तथा अधिक परिश्रम-भावना उत्पन्न करती है।"

इसके पश्चात् शासन ने केवल उन्हीं संस्थाओं को सहायता अनुदान देने का निश्चय किया, जहाँ पर कुछ राशि शुल्क के रूप में ली जाती है। इस प्रकार समुच्चय में शुल्क शिक्षा के लिए वित्त की महत्वपूर्ण स्रोत बन गयी। शुल्क ने शैक्षिक वित्त के स्रोतों से केवल राज्य अनुदानों के बाद अपने महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। शुल्क का निर्धारण शासन द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्व प्रथम 1864 में प्रथम बार लोक शिक्षण संचालक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षकों से थोड़ी धनराशि शुल्क के रूप में संग्रह करने के लिए कहा।[10] सामान्यतः इस समय उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र से शिक्षण शुल्क, पुनः प्रवेश, छात्र पंजी, विलम्ब दंड, अनुपस्थिति दंड, मंहगाई, विकास, कला, विज्ञान, पंखा, वाचनालय, दृश्य-श्रव्य, क्रीड़ा, रेडक्रास, स्काउट गाइड, परीक्षा, प्रगति पत्र, संगीत, स्याही, पत्रिका, जलपान, चिकित्सा, निर्धन, प्रकाश, छात्रावास किराया, बस शुल्क आवश्यक परिवर्तनों के साथ संग्रह की जाती हैं। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं से शिक्षण शुल्क वसूल नहीं की जाती। शासनादेश संख्या मा0 8268/पन्द्रह - 18(10) - 1976 दिनांक 2·8·77 में शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि विद्यालय में अनधिकृत शुल्क, अंशदान, संदान आदि न लिया जाय। यदि लिया जाता है तो उसके लिए प्रधानाचार्य/अध्यापक/प्रबन्ध-समिति या पेरेन्ट बाडी के सदस्य, जो भी उत्तरदायी हों, उनके विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ए एवं अधिनियम की धारा 7-ग के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में 1885 में शुल्क की दरें निर्धारित कर दी गयीं। इन

10- बी0डी0 मिश्रा, "हिस्ट्री आफ सेकण्डरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश", अप्रकाशित थिसिस, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 1967-68, पृष्ठ - 665

दरों में 1946-47 तक कई बार पुनर्विचार करके वृद्धि की गयी। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि माध्यमिक विद्यालयों में शुल्क-वृद्धि कैसे हुई तथा व्यय का कौन सा अंश उन्होंने वहन किया? निम्न सारिणी द्वारा 1895 से 1946-47 तक माध्यमिक विद्यालयों में तथा 1947-48 से 1987-88 तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण शुल्क के रूप में संग्रह की जाने वाली शुल्क का विवरण दर्शाया गया है -

सारिणी - 5·5

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण-शुल्क

(शुल्क प्रतिमाह रूपये)

क्रमांक	वर्ष	कक्षाएँ			
		9वीं	10वीं	11वीं	12वीं
		वर्ग प्रथम	वर्ग द्वितीय	--	--
1-	1895	3·00	2·50 (तत्कालीन दो रूपये आठ आना)	--	--
2-	1906	2·50	3·00	3·50	3·50
3-	1946	3·00	3·00	6·50	6·50
4-	1947	3·50	3·50	8·50	8·50
5-	1956	3·50	3·50	8·50	8·50
6-	1969	4·50	4·50	8·75	8·75
7-	1987	4·50	4·50	8·75	8·75

स्रोत- (1) फाइल नं0 690 न0 एफ/2292 डेटेड 16 जनवरी 1895 इलाहाबाद, डायरेक्टर आफ इंस्ट्रक्शन नार्थ वेस्टर्न, प्राविन्स एन्ड अवध पैरा-3

(2) जनरल रिपोर्ट आन दि पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन दि यूनाइटेड प्राविन्सेज, (सम्बन्धित वर्षों की)

सारिणी - 5·5 के स्रोत क्रमशः ------

§3§ एनुअल रिपोर्ट आन दि प्राग्रेस आफ इजूकेशन, इलाहाबाद, गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग प्रेस

§4§ "शिक्षा की प्रगति," इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

§5§ "माध्यम," अंक-4 उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, 1987, पृ0-15

§6§ शिक्षा संहिता 1958, इलाहाबाद, अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, पृष्ठ-80-81

1947-48 में शिक्षण-शुल्क में वृद्धि की गयी, परन्तु छात्रों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया, अतः शासन को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। उपरोक्त तालिका द्वारा यह स्पष्ट है कि बाजार में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और स्कूलों में रख-रखाव में वृद्धि को देखते हुए शिक्षण-शुल्क में होने वाली वृद्धि अत्यन्त न्यून थी। दूसरी ओर स्वतंत्रता के बाद एक दौर चला, जिसमें कक्षा 10वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क करने की मांग उठायी गयी। मद्रास और मैसूर राज्यों में 1965 में कक्षा 10वीं तक शिक्षण-शुल्क माफ कर दिया गया। फिर केरल राज्य ने भी इसका अनुसरण किया। उत्तर प्रदेश शासन ने बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क की। 1989-90 के बजट भाषण में कक्षा 8वीं तक शिक्षा निःशुल्क होने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने की।[11]

इस प्रकार शुल्क की धनराशि में बढ़ोत्तरी तथा निःशुल्कता का प्रभाव आय के इस महत्वपूर्ण स्रोत पर भी पड़ा।

स्वतंत्रता के पश्चात् शुल्क द्वारा होने वाली आय का विवरण तथा कुल आय में उसका प्रतिशत योगदान तथा उसमें वृद्धि सारिणी क्रमांक 5·6 में दर्शायी गयी है, जिसके आधार पर आय के इस स्रोत की विवेचना की जायेगी -

---

11- दैनिक जागरण, 15 फरवरी, 1989, कानपुर, पृष्ठ-1

सारिणी - 5·6

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की शुल्क द्वारा आय

§हजार रूपयों में§

क्रमांक	वर्ष	शुल्क निधि	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में कुल आय-प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि दर-प्रतिशत
1-	1947-48	10880·9	49·4%	1	23·9%
2-	1950-51	20685·7	51·7%	1·9	11·6%
3-	1955-56	35743·0	55·2%	3·3	6·1%
4-	1960-61	47968·3	50·6%	4·4	8·9%
5-	1965-66	73609·2	44·5%	6·8	8·8%
6-	1970-71	112083·8	38·4%	10·3	6·4%
7-	1980-81	207836·0	15·5%	19·1	16·2%
8-	1985-86	441246·4	18·1%	40·6	10·2%×

संकेत- × - यह 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर है।

स्रोत-§1§ एनुअल रिपोर्ट आन दि प्राग्रेस आफ इजुकेशन §सम्बन्धित वर्षो की§ इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट, गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी, यू0पी0 §इण्डिया§

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े" §सम्बन्धित वर्षो के§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सारिणी क्रमांक 5·6 द्वारा प्रगट हो रहा है कि 1947-48 में शुल्क द्वारा होने वाली आय 10880·9 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 49·4 प्रतिशत थी।

1950-51 में यह राशि बढ़कर 20685·7 हजार रूपये हो गयी, जो कुल आय का 51·7 प्रतिशत थी। 1947-48 की तुलना में इस आय में 1·9

गुना वृद्धि हुई तथा इन तीन वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धिदर 23·9 प्रतिशत थी। इस प्रकार 1950-51 में इस स्रोत द्वारा प्राप्त आय कुल आय की आधे से अधिक थी।

1955-56 में इस स्रोत द्वारा आय 35743·0 हजार रुपये थी, जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय का 55·2 थी। 1947-48 की तुलना में इस स्रोत द्वारा आय-वृद्धि 3·3 गुना थी तथा 1950-51 एवं 1955-56 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 11·6 प्रतिशत रही।

1960-61 में इस स्रोत द्वारा आय 47968·3 हजार रुपये थी, जो कुल आय का 50·6 प्रतिशत थी। यद्यपि 1947-48 की धनराशि से इस आय में 4·4 गुना वृद्धि हुई है, लेकिन समानुपातिक दृष्टि से इस आय में कमी हो गयी। इसका कारण स्वतंत्रता के बाद निःशुल्कता की मांग की प्रवृत्ति रही होगी। 1955-56 तथा 1960-61 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 6·1% थी।

1965-66 में इस स्रोत द्वारा 73609·2 हजार रुपये की आय हुई, जो कुल आय का 44·5 प्रतिशत थी। 1960-61 की तुलना में पुनः इस आय के भाग में कमी हो गयी, यद्यपि 1947-48 की तुलना में इस धनराशि में 6·8 गुना वृद्धि हुई है। 1960-61 तथा 1965-66 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 8·9 प्रतिशत थी।

1970-71 में इस स्रोत द्वारा 112083·8 हजार रुपये की आय हुई, जो 1947-48 की तुलना में 10·3 गुना थी तथा यह कुल आय का 38·4 प्रतिशत थी। समानुपातिक दृष्टि से पुनः इन पाँच वर्षों के अन्तराल में इस स्रोत में कमी आ गयी। सन् 1965-66 तथा 1970-71 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 8·8 प्रतिशत थी।

1980-81 में इस स्रोत द्वारा आय 207836·0 हजार रुपये थी,

जो 1947-48 की तुलना में 19·1 गुना थी। यह कुल आय का 15·5 प्रतिशत थी। अप्रत्याशित रूप से इस स्रोत में इतनी कमी आ गयी, जो यह प्रगट कर रही है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अन्य स्रोत में वृद्धि हुई। 1970-71 में शिक्षकों तथा 1973-74 में कर्मचारियों के वेतन का दायित्व शासन द्वारा अपने ऊपर ले लेने पर राजकीय स्रोत में वृद्धि हुई। 1970-71 तथा 1980-81 के बीच औसत वार्षिक वृद्धिदर 6·4 प्रतिशत थी।

1985-86 में इस स्रोत द्वारा 441246·4 हजार रूपये आय थी। आय की यह धनराशि 1947-48 की तुलना में 40·6 गुना थी। यह कुल आय का 18·1 प्रतिशत थी। 1980-81 की तुलना में 1985-86 में पुनः इस स्रोत में वृद्धि हुई। 1980-81 तथा 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 16·2 प्रतिशत थी। 1947-48 से 1985-86 तक औसत वार्षिक वृद्धिदर 10·2 प्रतिशत रही है।

§2§ <u>अक्षय निधि या धर्मादा</u> -

यह उस धनराशि का निर्देश करते हैं जिसका मूल अक्षुण्ण बनाये रखना होता है। इसका अभिप्राय स्वयं इसके नाम से प्रगट हो रहा है। इसकी आमदनी को ही प्रयोग में लाया जा सकता है। धर्मस्व कालेज तथा विद्यालय मुख्यतः धर्मस्व से चलायी जाने वाली संस्थाओं को कहते हैं। शैक्षिक धर्मस्व या न्यास की आमदनी ही पूर्ण रूप से शैक्षिक उद्देश्यों में लगायी जाती है। धर्मस्वों की आमदनी सामान्यतः स्थिर तथा प्रायः निश्चित होती है, जब-तक कि मूलधन में परिवर्तन न किया जाय।

कार्टर, वी0 गुड ने अक्षय निधि/ धर्मस्व को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है-[12]

12- कार्टर, वी0 गुड, पूर्वोक्त, पृष्ठ- 294

"धर्मस्व राशि विधि सम्मत मान्यताओं के आधार पर शैक्षिक उद्देश्य से समाहरित की गयी वह सम्पदा है, जो प्रत्येक उद्देश्य से अलग-अलग दर पर संकलित की गयी हो तथा आवश्यकतानुसार ऋण-पत्र अथवा ऋणाधार और अवधान द्रव्य की भी भूमिका निर्वाह करे।"

धर्मस्व की धनराशि पर समय-समय में परिवर्तन होते रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् कई बार परिवर्तन हुआ। शिक्षा संहिता 1958 के अनुसार कोई भी शिक्षण संस्था, यदि वह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की है, स्थापित करते समय उनके प्रबन्धकों को अक्षय निधिजो क्रमशः 3000 रु0 व 5000 रु0 तक की है,[13] बैंक या ऋण-पत्रों के रूप में जमा करना होगा, जिससे संस्था की आर्थिक सुदृढ़ता निश्चित हो जाय। सुरक्षित निधि साधारणतया अचानक आपातिक स्थितियों का सामना करने के लिए होती है और बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के निकाली नहीं जायेगी।

कैलेन्डर (1966-69)[14] के अनुसार परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता देते समय वित्त-प्रबन्धन हेतु निम्न आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं -

3(क) "वित्त- प्रबन्ध के लिए हाई स्कूल के लिए 15,000 रुपये के तथा इन्टरमीडिएट कालेज के लिए 5,000 रुपये के अतिरिक्त संदान का प्राविधान करना आवश्यक होगा, जिससे कि कम से कम क्रमशः 450 रुपये अथवा 600 रुपये वार्षिक की आय हो, इस प्रतिबन्ध के साथ कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हाई स्कूल तथा बालिकाओं के हाई स्कूल के संबन्ध में भी 10,000 रुपये के सन्दान का, जिससे कम से कम 300 रुपये की वार्षिक आय हो, प्राविधान किया जाय। जब ऐसा हाई स्कूल इंटरमीडिएट कालेज हो जाय तो 5000 रुपये के अतिरिक्त सन्दान, जिसमें 150 रु0

13- शिक्षा संहिता उत्तर प्रदेश, 1958, इलाहाबाद, अधीक्षक राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत), पृष्ठ-188

14- कैलेन्डर (1966-69) हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, पृष्ठ - 107

की वार्षिक की अतिरिक्त आय हो, आवश्यक होगा।"

शिक्षा संशोधन अधिनियम के अध्याय-7 विनियम 8﴾घ﴿ ﴾ड•﴿ और सामान्य नियम 3﴾क﴿ व ﴾ख﴿ के अनुसार निम्न प्रभूत एवं उसकी कम से कम सम्मुख अंकित धनराशि आय के रूप में अनुरक्षण निधि में अवश्य जमा की जानी चाहिए। प्रभूत-निधि की वार्षिक आय का अलग खाता रक्खा जायेगा एवं इसे विद्यालय के विकास पर व्यय करने के आदेश हैं।

सारिणी - 5•7

प्रभूत - विवरण

विद्यालय		प्रभूत की धनराशि﴾रुपये में﴿	आय, जो खाते में आनी है।	
बालक	हाई स्कूल	15000•00	900•00	वार्षिक
	इन्टर	20000•00	1200•00	वार्षिक
बालिका	हाई स्कूल	10000•00	500•00	वार्षिक
	इन्टर	15000•00	800•00	वार्षिक
पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालय	हाई स्कूल	10000•00	500•00	वार्षिक
	इन्टर	15000•00	800•00	वार्षिक

स्रोत- माध्यम -3, पृष्ठ- 171, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

स्वतंत्रता के पूर्व धर्मस्व से प्राप्त आय अन्य स्रोतों के साथ शैक्षिक रिपोर्टों में दर्शायी जाती थी, परन्तु स्वतंत्रता के बाद यह आय के स्रोत के रूप में एक सशक्त साधन बन गया।

एफ0 एच0 स्विफ्ट[15] शिक्षा के लिए धर्मादों के निर्माण के पक्ष में नहीं हैं। उनका कथन है कि "शासन के लिए भूमि तथा धन के विशाल धर्मादों की स्थापना की अपेक्षा चालू-निधियों से शिक्षा का वित्त- प्रबन्धन करना उचित सार्वजनिक नीति है। इस प्रकार की स्थायी निधियों का निर्माण आने वाली संततियों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा-हेतु अपने ऊपर कराधान को अनावश्यक बना देता है।"

स्वतंत्रता के पश्चात् धर्मस्व से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु जो आय हुई है, उसका विभिन्न कालों में क्या योगदान रहा है? अग्रांकित तालिका द्वारा दर्शाया जा रहा है-

सारिणी - 5·8

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में धर्मस्व द्वारा प्राप्त होने वाली आय

(हजार रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	धर्मस्व-निधि	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर-प्रतिशत
1-	1947-48	--	--	--	--
2-	1950-51	683·3	1·7%	1	7·8%
3-	1955-56	994·3	1·5%	1·5	-0·8%
4-	1960-61	953·1	1·0%	1·4	13·6%
5-	1965-66	--	--	--	--
6-	1970-71	--	--	--	--

15- एफ0एच0 स्विफ्ट, "ए हिस्ट्री आफ पब्लिक परमानेन्ट कामन स्कूल फन्ड्स इन दि यूनाइटेड स्टेट्स", न्यूयार्क, हेनरी होल्ट एन्ड कम्पनी 1911, पृष्ठ-493

सारिणी - 5·8 क्रमशः -------

7- 1980-81	12238·1	0·9%	17·9	10·1%×
8- 1985-86	--	--	--	--

नोट- 1965-66, 1970-71 तथा 1985-86 की धर्मस्व-निधि 'अन्य स्रोत' में सम्मिलित है।

संकेत - × - यह 1950-51 से 1980-81 के मध्य की औसत वार्षिक वृद्धिदर है।

स्रोत-§1§ "एनुअल रिपोर्ट आन दि प्राग्रेस आफ इजूकेशन" §सम्बन्धित वर्षो की§ इलाहाबाद, गवर्नमेन्ट प्रिंटिंग एन्ड स्टेशनरी

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े", नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

सारिणी 5·8 द्वारा यह प्रगट हो रहा है कि 1950-51 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में धर्मस्व की धनराशि 683·3 हजार थी, जो कुल आय का 1·7 प्रतिशत थी।

1955-56 में धर्मस्व द्वारा आय 994·3 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 1·5 प्रतिशत थी। 1950-51 की तुलना में इस धनराशि में 1·5 गुना की वृद्धि हुई। 1950-51 तथा 1955-56 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 7·8 प्रतिशत थी।

1960-61 में धर्मस्व की आय घटकर 953·1 हजार रूपये हो गयी,जो कुल आय का 1·0 प्रतिशत थी। यद्यपि 1950-51 की तुलना में यह धनराशि 1·4 गुना थी, परन्तु 1955-56 की तुलना में 0·1 गुना कम हो गयी। 1955-56 तथा 1960-61 के मध्य औसत वार्षिक ह्रास-दर 0·8 प्रतिशत थी।

1965-66, 1970-71 तथा 1985-86 की धर्मस्व की धनराशि शैक्षिक विवरणिकाओं में अन्य स्रोत के साथ जोड़कर प्रदर्शित की है,अतएव इसका विवेचन

भी अन्य स्रोत के साथ किया जायेगा।

1980-81 में इस स्रोत द्वारा आय 12238·1 हजार रूपये थी, जो 1950-51 की धनराशि से तुलना करने पर 17·9 गुना हो गयी। लेकिन समानुपातिक दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में यह 1 प्रतिशत भी स्थान नहीं बना सकी। कुल आय में इसका प्रतिशत 0·9 प्रतिशत था। 1960-61 से 1980-81 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·6 प्रतिशत थी। 1950-51 से 1980-81 के बीच औसत वार्षिक वृद्धिदर 10·1 प्रतिशत रही।

अन्य स्रोत -

उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त शिक्षा की जो आय होती है वह अन्य स्रोतों के अन्तर्गत दर्शायी जाती है। दान, उपहार, चंदा, परिलब्धि, जुर्माना, विक्रय, आमदनी, किराया, ऋण, बैंक खातों का ब्याज तथा अन्य मदों की प्राप्तियों को अन्य स्रोतों की संज्ञा दी जाती है। दान या उपहार में जो वस्तुएँ या पदार्थ मिलते हैं, उनका मूल्य बाजार भाव पर रूपयों में आँक लिया जाता है और खातों में उनके समतुल्य धनराशि दिखलायी जाती है। दान और उपहार व्यक्तियों की दानशीलता और उदारता पर निर्भर करते हैं, जो प्रायः घटती और बढ़ती रहती है अतः इस स्रोत की आय अस्थिर और दोलायमान रहती है।

सारिणी 5·9 स्वतंत्रता के पश्चात् अन्य स्रोत से होने वाली आय को दर्शाती है तथा यह भी प्रगट करती है कि इस आय का विभिन्न कालों में कुल आय में क्या योगदान था -

सारिणी - 5·9

अन्य स्रोतों द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त होने वाली आय

(हजार रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त निधि	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर-प्रतिशत
1-	1947-48	2624·2	11·9%	1	16·5%
2-	1950-51	4150·9	10·4%	1·6	5·6%
3-	1955-56	5458·1	8·4%	2·1	3·1%
4-	1960-61	6368·4	6·7%	2·4	16·8%
5-	1965-66	13851·5 ×	8·4%	5·3	10·7%
6-	1970-71	23053·9 ×	7·9%	8·8	8·6%
7-	1980-81	52585·0	3·9%	20·0	9·9%
8-	1985-86	84119·3 +	3·4%	32·1	9·6% ××

संकेत- ××- यह 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर है।
× - इस धनराशि में विश्वविद्यालय-निधि एवं धर्मस्व-निधि शामिल हैं।
+ - इसमें धर्मस्व-निधि सम्मिलित है।

स्रोत- पूर्वोक्त सारिणी क्रमांक 5·8 के स्रोत

सारिणी क्रमांक 5·9 द्वारा प्रगट हो रहा है कि 1947-48 में अन्य स्रोतों द्वारा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 2624·2 हजार रुपये थी, जो कुल आय का 11·9 प्रतिशत थी।

1950-51 में इस स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली आय 4150·9 हजार रुपये थी, जो 1947-48 की तुलना में 1·6 गुना बढ़ गयी थी, लेकिन समानुपातिक

दृष्टि से इसका प्रतिशत घटकर 10·4 प्रतिशत ही रह गया। 1947-48 से 1950-51 के बीच औसत वार्षिक वृद्धिदर 16·5 प्रतिशत थी।

1955-56 में इस स्रोत की आय बढ़कर 5458·1 हजार रुपये हो गयी, जो 1947-48 की तुलना में 2·1 गुना थी। इस आय का कुल आय में प्रतिशत 8·4 था। औसत वार्षिक वृद्धि-दर 1950-51 तथा 1955-56 के मध्य 5·6 प्रतिशत थी।

1960-61 में स्रोतों द्वारा प्राप्त होने वाली आय 6368·4 हजार रुपये थी, जो कुल आय में अपना योगदान केवल 6·7 प्रतिशत ही कर रही थी। यद्यपि 1947-48 की तुलना में इस धनराशि में 2·4 गुना की वृद्धि हुई है। 1955-56 तथा 1960-61 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर का प्रतिशत 3·1 था।

1965-66 में अन्य स्रोतों तथा धर्मस्व को मिलाकर 13851·5 हजार रुपये आय थी, जो कुल आय 8·4 प्रतिशत थी। यदि 1947-48 में प्राप्त होने वाली धनराशि से इसकी तुलना की जाय तो यह धनराशि बढ़कर 5·3 गुना हो गयी थी। 1960-61 तथा 1965-66 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर का प्रतिशत 16·8 था। 1970-71 में धर्मस्व तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय 23053·9 हजार रुपये थी। यह धनराशि 1947-48 की तुलना में 8·8 गुना थी। इसका योगदान कुल आय में 7·9 प्रतिशत था, जो 1965-66 के मुकाबले में कम था। 1965-66 से 1970-71 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर का प्रतिशत 10·7 था।

1980-81 में अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय 52585·0 हजार रुपये थी, जो 1947-48 की तुलना में 20 गुने से अधिक थी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में इस स्रोत का योगदान 3·9 प्रतिशत था। 1970-71 से 1980-81 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 8·6 प्रतिशत रही।

1985-86 में इस स्रोत द्वारा प्राप्त होने वाली आय तथा धर्मस्व की आय को मिलाकर 8411 9·3 हजार रूपये थी। यदि इस धनराशि की तुलना 1947-48 से की जाय तो इसमें 32·1 गुने की वृद्धि हो गयी है। परन्तु समानुपातिक दृष्टि से यह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में केवल 3·4 प्रतिशत ही अपना योगदान दे रही है। 1980-81 से 1985-86 के बीच औसत वार्षिक वृद्धिदर 9·9 प्रतिशत थी तथा 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर 9·6 प्रतिशत रही।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत निरन्तर घटता-बढ़ता रहा है।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है अतएव यह प्रणाली बहुस्रोत प्रणाली कही जायेगी। माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक स्रोत से आय थोड़ी-थोड़ी प्राप्त होती रहती है और एक स्रोत की कमी को दूसरा स्रोत पूरा कर देता है। इससे शिक्षा वित्त को बढ़ाने में प्रयास अनेक स्तरों और क्षेत्रों में करना संभव होता है और उसमें कोई बाधा नहीं पहुँचती है। बहुस्रोत प्रणाली होने का यह लाभ भारतीय शिक्षा वित्त की विशेषता है।

हमने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के विभिन्न स्रोतों पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया है तथा 1947-48 से 1985-86 तक की प्रत्येक स्रोत से होने वाली आय पर प्रकाश डाला है। अब हम सारिणी क्रमांक 5·10 द्वारा विभिन्न स्रोतों की कुल आय में आनुपातिक अनुदान तथा उनकी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करेंगे -

सारिणी - 5·10

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में विभिन्न स्रोतों का योगदान

(हजार रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	राजकीय निधि	स्थानीय निकाय निधि	शुल्क निधि	धर्मस्व निधि	अन्य स्रोतों से	कुल आय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धदर-प्रतिशत
1-	1947-48	8109·9	396·4	10880·9	--	2624·2	22011·4	1	22·1%
		(36·9)	(1·8)	(49·4)		(11·9)	(100)		
2-	1950-51	13864·7	641·0	20685·7	683·3	4150·9	40025·6	1·8	10·1%
		(34·6)	(1·6)	(51·7)	(1·7)	(10·4)	(100)		
3-	1955-56	21980·5	633·0	35743·0	994·3	5458·1	64808·9	2·9	7·9%
		(33·9)	(1·0)	(55·2)	(1·5)	(8·4)	(100)		
4-	1960-61	38669·4	825·0	47968·3	953·1	6368·4	94784·2	4·3	11·7%
		(40·8)	(0·9)	(50·6)	(1·0)	(6·7)	(100)		
5-	1965-66	76443·9	1272·8	73609·2	--	13851·5×	165177·4	7·5	12·1%
		(46·3)	(0·8)	(44·5)		(8·4)	(100)		
6-	1970-71	154690·2	1994·4	112083·8	--	23053·9×	291822·3	13·3	35·7%
		(53·0)	(0·7)	(38·4)		(7·9)	(100)		
7-	1980-81	1029302·4	39768·2	207836·0	12238·1	52585·0	1341729·7	61·0	12·7%
		(76·7)	(3·0)	(15·5)	(0·9)	(3·9)	(100)		
8-	1985-86	1818350·4	97453·0	441246·4	--	84119·3+	2441169·1	110·9	13·2%××
		(74·5)	(4·0)	(18·1)		(3·4)	(100)		

संकेत- + - इसमें धर्मस्व-निधि शामिल है।
× - इसमें विश्वविद्यालय-निधि एवं धर्मस्व-निधि भी सम्मिलित है।
×× - यह औसत वार्षिक वृद्धदर प्रतिशत 1947-48 से 1985-86 तक का है।

स्रोत- पूर्वोक्त सारिणी क्रमांक 5·3, 5·4, 5·6, 5·8 तथा 5·9 के आधार पर निर्मित।

उ॰मा॰ शिक्षा की आय में विभिन्न स्रोतों का योगदान

चित्र-5.2

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के छः विभिन्न स्रोत हैं और प्रत्येक स्रोत शैक्षिक वित्त-प्रबन्धन में अपनी-अपनी भूमिका निभाता है। इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि भिन्न-भिन्न गति से बढ़ती या घटती रहती है, जिसकी विवेचना बहुत ही रोचक है। सारिणी क्रमांक 5·10 में 1947-48 से 1985-86 के बीच इन स्रोतों के योगदान, कुल आय में उनका प्रतिशत और उनकी वृद्धि-गति दर्शायी गयी है।

सारिणी क्रमांक 5·10 द्वारा यह स्पष्ट होता है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 1947-48 में 22011·4 हजार रुपये थी, जिसमें 36·9% राज्य सरकार, 1·8% स्थानीय निकाय, 49·4% शुल्क तथा 11·9% अन्य स्रोतों से प्राप्त होती थी।

1950-51 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय बढ़कर 40025·6 हजार रुपये हो गयी। आय की यह वृद्धि 1947-48 की तुलना में 1·8 गुना रही। इस आय में 34·6% राज्य सरकार से, 1·6% स्थानीय निकाय से, 51·7% शुल्क से, 1·7% धर्मस्व से तथा 10·4% अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई है। तीन वर्षों में आय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 22·1% रही। 1950-51 में राजकीय निधि से प्राप्त होने वाली आय में कुछ कमी आयी है तथा शुल्काय में वृद्धि हुई है। स्थानीय निकाय-निधि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली निधियों में समानुपातिक दृष्टि से कमी हुई है।

1955-56 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 64808·9 हजार रुपये थी। 8 वर्षों के अन्तराल में इस धनराशि में 2·9 गुना वृद्धि हुई तथा 1950-51 और 1955-56 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 10·1% रही। इस आय में 33·9% राज्य सरकार का, 1·0% स्थानीय निकायों का, 55·2% शुल्क का, 1·5% धर्मस्व का तथा 8·4% अन्य स्रोतों का योगदान रहा है। विभिन्न स्रोतों

से प्राप्त होने वाली आय में, राजकीय निधि, स्थानीय निकाय-निधि, धर्मस्व तथा अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त आय में समानुपातिक दृष्टि से कमी आयी है। शुल्क द्वारा प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि हुई है।

1960-61 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 94784·2 हजार रूपये थी, जिसमें समानुपातिक दृष्टि से 40·8 प्रतिशत राज्य सरकार से, 0·9% स्थानीय निकाय से, 50·6 प्रतिशत शुल्क से, 1·0 प्रतिशत धर्मस्व से, तथा अन्य स्रोतों से 6·7 प्रतिशत प्राप्त हुई। कुल आय की यह वृद्धि 1947-48 की तुलना में 4·3 गुना है। 1955-56 तथा 1960-61 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 7·9 प्रतिशत रही है। 1960-61 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आय में बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि शुल्काय, धर्मस्व, स्थानीय निकाय एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय में कमी हुई है।

1965-66 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 165177·4 हजार रूपये थी, जो 1947-48 की आय की तुलना में 7·5 गुना है। 1960-61 तथा 1965-66 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 11·7% रही है। इस आय में 46·3 प्रतिशत राज्य सरकार का, 0·8 प्रतिशत स्थानीय निकायों का, 44·5 प्रतिशत शुल्क का तथा 8·4 प्रतिशत भाग अन्य स्रोतों का सम्मिलित है। 1960-61 की तुलना में राजकीय निधि में तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जबकि शुल्काय तथा स्थानीय निकाय के भागों में कमी आयी है। अन्य स्रोतों की आय में वृद्धि का कारण धर्मस्व की आय का जुड़ जाना है।

1970-71 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 291822·3 हजार रूपये थी, जिसमें 53·0 प्रतिशत राजकीय निधि, 0·7 प्रतिशत स्थानीय निकाय निधि, 38·4 प्रतिशत शुल्क निधि तथा 7·9 प्रतिशत अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली निधियों का है। आय की यह राशि 1947-48 की तुलना में 13·3 गुना

है तथा 1965-66 और 1970-71 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 12·1 प्रतिशत रही है। इस आय में राजकीय निधि का भाग बढ़ गया है। परन्तु शुल्क, स्थानीय निकाय तथा अन्य स्रोतों के अनुपात में कमी आ गयी है।

1980-81 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 134729·7 हजार रूपये थी। यह धनराशि 1947-48 की तुलना में 61 गुनी है। 1970-71 तथा 1980-81 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 35·7 प्रतिशत रही है। इस आय में 76·7 प्रतिशत राज्य सरकार का, 3·0 प्रतिशत स्थानीय निकाय का, 15·5 प्रतिशत शुल्क का, 0·9 प्रतिशत धर्मस्व का तथा 3·9% अन्य स्रोतों का योगदान रहा है। राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जो कुल आय की तीन चौथाई से भी अधिक है।स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त होने वाली आय में भी वृद्धि हुई है, जबकि शुल्क से प्राप्त होने वाली आय में काफी गिरावट आयी है। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की तुलना में भी कमी हो गयी।

1985-86 में सभी स्रोतों से मिलाकर कुल आय 244169·1 हजार रूपये थी, जिसमें 74·5 प्रतिशत राजकीय निधि, 4 प्रतिशत स्थानीय निकाय निधि, 18·1 प्रतिशत शुल्क तथा 3·4 प्रतिशत अन्य स्रोतों का योगदान रहा है। आय में यह वृद्धि 1947-48 की तुलना में 110 गुना थी, जो एक रिकार्ड कही जा सकती है तथा 38 वर्षों की अर्थात् 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·2 प्रतिशत है। स्थानीय निकाय-निधि तथा शुल्क-निधि में 1980-81 की तुलना में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है। राजकीय निधि एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय के प्रतिशत में कमी आयी है।

आय की प्रवृत्तियाँ -

सारिणी का समग्र रूप से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि राजकीय

निधि का योगदान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है तथा अन्य स्रोतों के योगदान का अनुपात बराबर घटता जा रहा है। 1980-81 तथा 1985-86 में स्थानीय निकाय-निधि में किंचित् वृद्धि हुई है।

प्रारम्भ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को राज्य-निधि से कुल आय का एक तिहाई अंश प्राप्त होता था, किन्तु अन्तिमवर्ष में यह दो तिहाई से भी अधिक हो गया। इससे विदित हो रहा है कि उत्तरोत्तर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यय का भार सरकार पर आता जा रहा है। राजकीय निधि के योगदान बढ़ने तथा उसके आपूर्ति होने के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे - शासन द्वारा कुछ निजी विद्यालयों को अपने अधीन लेने की नीति भी अपनायी गयी है तथा जब अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय में कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करना भी सरकार के लिये आवश्यक हो जाता है। स्थानीय निकाय-निधि का योगदान प्रारम्भ से ही बहुत कम रहा है। इसका कारण यह था कि शासकीय नीति के अनुसार स्थानीय निकायों का उत्तर-दायित्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, उनका प्रचार तथा प्रसार करना था। आवश्यकता होने पर कुछ निकायों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गयी, इसलिए स्थानीय निकाय माध्यमिक शिक्षा पर बहुत ही कम व्यय करते थे। 1947-48 में स्थानीय निकायों का जो योगदान था, वह 1970-71 में आधे से भी कम रह गया। परन्तु 1980-81 तथा 1985-86 में इसके योगदान में वृद्धि हुई है। इनके घटते हुए योगदान में अपेक्षाकृत नगरपालिका का प्रतिशत अधिक स्थिर रहा। स्थानीय निकायों की आय सीमित है, अतः जब-तक औद्योगीकरण, कृषि का आधुनिकीकरण और नये करों का रोपण नहीं होता है, तब-तक इनका योगदान बढ़ने की संभावना नहीं हो सकती है।

सर्वाधिक कमी शुल्क द्वारा प्राप्त होने वाली आय में हुई है। 1947-48 में इस स्रोत का योगदान लगभग आधा था। इस स्रोत का योगदान धीरे-धीरे

1955-56 तक बढ़ा। 1985-86 तक इसका अंशदान 1/5 भाग से भी कम हो गया। फीस द्वारा आय कम होने के प्रमुख कारणों में बालिकाओं की शिक्षा में निःशुल्कता, लोकतंत्र में शुल्क-मुक्ति को बढ़ावा प्रदान किया जाना, ताकि निर्धन किन्तु मेधावी छात्रों द्वारा समानता के अवसर का लाभ प्राप्त किया जा सके, आदि हैं। अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा सैनिक अभिभावकों के बालकों/पालितों को शुल्क से मुक्ति प्रदान किया जाना है। यदा-कदा प्रदेश में सूखा पड़ जाने अथवा बाढ़ आ जाने के कारण प्रभावित क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस माफ कर दी जाती है। शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्वतंत्रता-संग्राम-सेनानियों के पुत्रों/पालितों की फीस भी नियमानुसार माफ रहती हैं, अतएव शुल्क आय में इन कारणों से कमी होना स्वाभाविक है तथा इस स्रोत की आय में बराबर घटना-बढ़ना भी बना रह सकता है।

धर्मस्व से होने वाली आय का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में योगदान बराबर घटता रहा है। इस स्रोत का योगदान 1950-51 में 1·7 प्रतिशत था, जो 1980-81 में मात्र 0·9 प्रतिशत रह गया।

अन्य स्रोतों में दान, चंदा, पुरष्कार तथा उपहार आदि आते हैं। इस स्रोत द्वारा 1947-48 में कुल आय का 1/10 भाग से अधिक प्राप्त होता था, परन्तु 1985-86 तक इस स्रोत का योगदान मात्र 1/33 ही रह गया। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् लोगों में यह धारणा बन गयी कि अब तो अपना राज्य स्थापित हो गया है, अतएव अब शिक्षा का भार शासन उठायेगा। इधर कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी, करों में कोई छूट न होने के कारण तथा आर्थिक संकट की वजह से भी लोगों द्वारा अपना हाथ खींच लिया गया। धीरे-धीरे लोगों में दानशीलता की प्रवृत्ति कम होती चली गयी, जिसका प्रभाव धर्मस्व और अन्य स्रोतों के योगदान पर भी पड़ा।

अभी तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय की प्रवृत्तियों की जानकारी हेतु लगभग चार दशक की आय पर विचार कियां गया है। लेकिन प्रवृत्तियों की गहन जानकारी हेतु अब केवल एक दशक की वर्षवार आवर्ती आय के विभिन्न स्रोतों पर

प्रकाश डाला जायेगा तथा उनके समानुपातिक योगदान पर विचार कर आय के स्रोतों की प्रवृत्तियाँ उजागर की जायेंगी।

अग्रांकित सारिणी 5·11 में 1976-77 से 1985-86 तक की वर्षवार आवर्ती आय का विवरण प्रस्तुत है -

एक दशक की आवर्ती आय को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय का लगभग तीन चौथाई भाग राज्य सरकार से प्राप्त होता है। इस आय का दूसरा भाग 15-24 प्रतिशत के मध्य शुल्क से प्राप्त होता है। केन्द्रीय सरकार का योगदान बहुत ही कम रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 1976-77 में 31·99 लाख रुपये प्रदान किये गये, जो कुल आय का 0·35 प्रतिशत भाग था। 1980-81 में यह राशि बढ़कर 81·85 लाख हो गयी तथा इस आय का अंशदान 0·62 प्रतिशत हो गया। 1985-86 तक यह धनराशि बढ़कर 86·07 लाख पहुँच जाने पर कुल आय में अपना अंशदान 0·36 प्रतिशत ही प्राप्त कर पायी, जबकि 1976-77 की तुलना में यह धनराशि 2·69 गुना थी।

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली 77·17 प्रतिशत निधि का सर्वाधिक अंशदान 1978-79 में रहा। इस वर्ष 8492·94 लाख रुपये राज्य शासन से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु प्राप्त हुए। 1985-86 में यह राशि 17677·61 लाख हो गयी, जो 1976-77 की तुलना में 2·5 गुना थी, लेकिन कुल आय में इसका योगदान केवल 73·90 प्रतिशत ही था।

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में विश्वविद्यालय स्रोत से 1977-78 एवं 1978-79 में कुल 1 लाख 78 हजार रु0 की आय हुई, जो नगण्य रही। अक्षय निधि से प्राप्त होने वाली आय भी बहुत कम थी। स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त होने वाली राशि इस स्तर की शिक्षा में अपना कोई विशेष योगदान नहीं

सारिणी - 5·11

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की स्रोतवार आवर्ती आय

(सन् 1976-77 से 1985-86 तक)

(लाख रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	विश्वविद्यालय	स्थानीय निकाय	शुल्क	अक्षय निधि	अन्य स्रोत	योग
1-	1976-77	31·99	6995·22	---	23·98	1818·97	27·37	168·29	9065·82
		(0·35)	(77·16)		(0·27)	(20·06)	(0·30)	(1·86)	(100)
2-	1977-78	35·01	6852·24	0·86	77·28	2278·40	45·94	337·41	9627·14
		(0·36)	(71·18)	(0·01)	(0·80)	(23·67)	(0·48)	(3·50)	(100)
3-	1978-79	41·86	8492·94	0·92	74·56	2145·85	31·37	218·41	11005·91
		(0·38)	(77·17)	(0·01)	(0·68)	(19·50)	(0·29)	(1·98)	(100)
4-	1979-80	64·27	8815·34	---	124·08	2176·78	42·68	208·53	11431·68
		(0·56)	(77·11)		(1·09)	(19·04)	(0·37)	(1·82)	(100)
5-	1980-81	81·85	10054·42	---	393·10	2078·36	122·41	499·93	13230·04
		(0·62)	(76·00)		(2·97)	(15·71)	(0·93)	(3·78)	(100)
6-	1981-82	67·77	11180·42	---	406·85	2372·07	129·34	481·39	14637·84
		(0·46)	(76·38)		(2·78)	(16·21)	(0·88)	(3·29)	(100)
7-	1982-83	66·75	13749·42	---	793·63	3564·22	150·43	416·32	18740·77
		(0·36)	(73·37)		(4·23)	(19·01)	(0·80)	(2·22)	(100)

सारिणी - 5·11 क्रमशः --------

8-	1983-84	76·01	14850·71	---	867·19	3913·49	213·75	457·96	20379·11
		(0·37)	(72·87)		(4·26)	(19·20)	(1·05)	(2·25)	(100)
9-	1984-85	83·61	16335·78	---	953·91	4304·84	---	738·97 ×	22417·11
		(0·37)	(72·87)		(4·26)	(19·20)		(3·30)	(100)
10-	1985-86	86·07	17677·61	---	967·33	4412·46	---	778·53 ×	23922·00
		(0·36)	(73·90)		(4·04)	(18·45)		(3·25)	(100)

नोट - कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित अंश की राशि का कुल राशि में प्रतिशत दर्शाया गया है।

संकेत - × - इसमें अक्षय निधि द्वारा प्राप्त धनराशि भी शामिल है।

स्रोत -"राज्यों में शिक्षा के आँकड़े"(सम्बन्धित वर्षों के) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

स्रोतानुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर कुल आय

(1985-86)

चित्र- 5.3

दे सकी। स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि का योगदान 1976-77 में 0·27 प्रतिशत था।एक दशक बाद इस स्रोत का योगदन 4·04 प्रतिशत हो गया। शुल्क द्वारा प्राप्त होने वाली आय का योगदान एक दशक में कभी-कभी घटता-बढ़ता भी रहा है, लेकिन 1985-86 में यह घट गया।

इस प्रकार एक दशक के विभिन्न आवर्ती आय के स्रोतों का विश्लेषण करने पर इनकी प्रवृत्तियाँ लगभग वैसी ही हैं, जैसी चार दशक की आय का विश्लेषण करने पर थीं।

इसी प्रकार अब एक दशक की अनावर्ती आय का विवेचन प्रस्तुत किया जायेगा तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली अनावर्ती आय का विश्लेषण कर आय की प्रवृत्तियाँ उजागर की जायेंगी।

सारिणी 5·12 को देखने पर यह विदित होता है कि अनावर्ती आय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में अनावर्ती आय का योगदान बहुत कम रहता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली अनावर्ती आय का योगदान कुल आय में 1976-77 में 0·95 प्रतिशत था। इस स्रोत का योगदान 1985-86 में बढ़कर 1·39 प्रतिशत हो गया। अनावर्ती आय में भी राज्य सरकार का योगदान सर्वाधिक रहा है। 1976-77 में इस आय का अंशदान 83·23 प्रतिशत था। 1985-86 में भी इस आय का प्रतिशत 84·34 था। अनावर्ती आय में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान अन्य स्रोतों का प्रतीत हो रहा है, जो कुल आय का 1976-77 में 14·80 प्रतिशत योगदान कर रहा है। यद्यपि 1976-77 की तुलना में 1985-86 में इस स्रोत का योगदान कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी लगभग 13 प्रतिशत था। स्थानीय निकायों द्वारा भी अधिकतम लगभग 1·50 प्रतिशत तक योगदान किया जाना संभव हो सका है। स्थानीय निकायों का योगदान भी घटता-बढ़ता रहता है।

सारिणी - 5·12

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अनावर्ती आय (सन् 1976-77 से 1985-86 तक)

(लाख रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	विश्वविद्यालय	स्थानीय निकाय	अन्य स्रोत	कुल योग
1-	1976-77	1·29 (0·95)	112·49 (83·23)	0·19 (0·14)	1·19 (0·88)	20·00 (14·80)	135·16 (100)
2-	1977-78	1·52 (1·09)	116·74 (83·76)	0·13 (0·09)	0·88 (0·63)	20·12 (14·43)	139·39 (100)
3-	1978-79	2·24 (1·61)	115·47 (83·25)	---	1·74 (1·25)	19·26 (13·89)	138·71 (100)
4-	1979-80	2·02 (0·96)	153·40 (73·23)	---	4·78 (2·28)	49·29 (23·53)	209·49 (100)
5-	1980-81	2·08 (1·11)	154·67 (82·60)	---	4·59 (2·45)	25·92 (13·84)	187·26 (100)
6-	1981-82	5·22 (2·59)	158·37 (78·70)	---	6·89 (3·42)	30·76 (15·29)	201·24 (100)
7-	1982-83	5·31 (1·36)	333·97 (85·55)	0·22 (0·06)	5·16 (1·32)	45·71 (11·71)	390·37 (100)

सारिणी - 5·12 क्रमशः ---------

8-	1983-84	5·85	367·36	---	5·68	50·27	429·16
		(1·36)	(85·60)		(1·33)	(1·71)	(100)
9-	1984-85	6·44	404·10	---	6·24	55·30	472·08
		(1·36)	(85·60)		(1·32)	(11·72)	(100)
10-	1985-86	6·81	413·02	---	7·20	62·66	489·69
		(1·39)	(84·34)		(1·47)	(12·80)	(100)

नोट - कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल आय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- (1) "इजूकेशन इन इण्डिया," 1977-78, 1978-79, 1979-80

(2) "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े," पूर्वोक्त,

इस प्रकार एक दशक में अनावर्ती आय का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अनावर्ती आय में भी सर्वाधिक योगदान राज्य सरकार का, दूसरा स्थान अन्य स्रोतों का, तीसरा स्थानीय निकायों का तथा चौथा स्थान केन्द्र सरकार का है।

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय (आवर्ती तथा अनावर्ती) के विभिन्न स्रोतों की जानकारी, उनका समानुपातिक योगदान तथा आय की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया। अब भारत की माध्यमिक शिक्षा की आय के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान कर उसकी तुलना उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के स्रोतों से करेंगे। अग्रांकित सारिणी क्रमांक 5·13 पर भारत की माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त आय का प्रतिशत दर्शाया गया है -

सारिणी - 5·13

भारत में माध्यमिक शिक्षा की आय में विभिन्न स्रोतों का योगदान

(लाख रूपयों में)

क्रमांक वर्ष	कुल आय	आय का प्रतिशत				
		राजकीय निधि	जिला बोर्ड निधि	स्थानीय निकाय निधि	शुल्क	अन्य स्रोत
1- 1949-50	2043·6	34·6	1·7	1·4	50·3	12·0
2- 1950-51	2304·50	36·4	1·5	1·4	50·4	10·3
3- 1955-56	3761·44	39·9	2·8	1·4	46·7	9·2
4- 1960-61	6891·17	48·0	3·2	1·5	39·2	8·1
5- 1963-64	10554·46	53·2	2·8	1·1	35·5	7·4
6- 1979-80	87527·14	84·2	---	2·3	11·3	2·2

स्रोत - (1) "दि फोर्थ इण्डियन इयर बुक आफ इजूकेशन", सेकन्डरी इजूकेशन, नयी दिल्ली, एन0सी0ई0आर0टी0, 1973, पृष्ठ- 491-92

(2) "भारत में शिक्षा" खंड-2, 1979-80, नयी दिल्ली, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

सारिणी क्रमांक 5·10, 5·12 तथा 5·13 को एक साथ देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश तथा भारत में माध्यमिक शिक्षा की आय के स्रोतों में समानता है। भारत तथा उत्तर प्रदेश दोनों में ही आय के प्रमुख 5 स्रोत हैं यथा - केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, शुल्क तथा अन्य स्रोत ।

भारत में 1950-51 में राजकीय स्रोत द्वारा प्राप्त अंशदान का कुल आय में प्रतिशत 56·4 प्रतिशत था, जबकि उत्तर प्रदेश में 34·6 प्रतिशत था। 1980-81 में उत्तर प्रदेश में कुल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के राजकीय स्रोत का प्रतिशत 76·7 हो गया, जबकि भारत का 1979-80 में 84·2 प्रतिशत था। भारत में राजकीय निधि का योगदान उत्तर प्रदेश की तुलना में प्रारम्भ से ही अधिक रहा है और दोनों स्थानों पर इस स्रोत के योगदान में धीरे-धीरे वृद्वि हुई है।

उत्तर प्रदेश में शुल्काय द्वारा 1950-51 में 51·7 प्रतिशत का योगदान प्रदान किया गया। भारत में भी इसी स्रोत द्वारा 50·4 प्रतिशत का योगदान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इस स्रोत का योगदान 1980-81 में घटकर 15·5 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार भारत में 1979-80 तक इस स्रोत का योगदान 11·3 प्रतिशत तक ही था।

1950-51 में उत्तर प्रदेश में अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का योगदान 10·4 प्रतिशत था, जबकि भारतवर्ष में 10·3 प्रतिशत था। भारत में इस स्रोत का योगदान घटकर 1979-80 में मात्र 2·2 प्रतिशत रह गया तथा उत्तर प्रदेश में 1980-81 में 3·9 प्रतिशत स्थान बन पाया।

किन्तु यह सभी राशियाँ चालू मूल्यों {करेन्ट प्राइसेज} पर दी हुई हैं, जिससे वृद्वि बहुत अधिक जान पड़ती है। यदि इस समय में हुई मूल्यों और जीवन-स्तर की वृद्वि को निष्प्रभावित करके इन धनराशियों को किसी वर्ष के स्थिर मूल्यों {कान्स्टेन्ट

प्राइसेस§ में परिवर्तित किया जाता है तो पता चलता है कि वास्तविक वृद्धि कितनी हुई? किन्तु इस शैक्षिक वित्त को स्थिर मूल्यों में परिवर्तित करने के सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं, अतएव हम इन्हें जनसंख्या और प्रदेशीय आय से तुलना करके देखेंगे, क्योंकि यह दो मापदंड अपेक्षाकृत कम परिवर्तनशील हैं। अग्रांकित सारिणी क्रमांक 5·14 में यह तुलना की गयी है -

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा की कुल आय में वृद्धि हुई है, अतएव शिक्षा के विभिन्न स्तरों की आय में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय भी स्वाभाविक गति से शनैः-शनैः बढ़ी।

सारिणी क्रमांक 5·14 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य की जनसंख्या, कुल आय तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरों की आय में क्रमागत ढंग से वृद्धि हुई है।

1947-48 में शिक्षा की कुल आय का लगभग 24·3 प्रतिशत भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय से प्राप्त होता था। तीन वर्षों के अन्तराल के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में वृद्धि के फलस्वरूप इस आय का शिक्षा की कुल आय में योगदान 38·8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय में हुई वृद्धि §50 प्रतिशत§ से थोड़ी अधिक थी। अगले पन्द्रह वर्षों तक अर्थात् 1950 से 1965 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय का योगदान लगातार घटता चला गया और कुल आय में यह प्रतिशत घटकर 14·3 ही रह गया। 1965 के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय का योगदान पुनः बढ़ना प्रारम्भ हुआ और इस योगदान की वृद्धि की गति काफी तेज रही तथा 1970-71 में इसका प्रतिशत 24·8 हो गया। 1970-71 से 1975-76 तक इस वृद्धि-गति में ठहराव सा था, परन्तु 1980-81 में यह योगदान बढ़कर 29·2 प्रतिशत हो गया। 1985-86 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय का कुल शिक्षा की आय में 44·6 प्रतिशत योगदान हो गया,

सारिणी - 5·14

शिक्षा की कुल आय, जनसंख्या और राज्य की कुल आय की तुलना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय

(सन् 1947-48 से 1985-86 तक)

क्रमांक	वर्ष	उच्चतर मा0 शिक्षा की आय (हजार रू0 में) (अ)	सम्पूर्ण शिक्षा की कुल आय (हजार रू0 में) (ब)	उच्चतर मा0 शिक्षा की आय का कुल शिक्षा-आय में प्रतिशत (स)	उ0 प्र0 की कुल आय× (करोड़ रू0 में) (द)	उ0 प्र0 की जनसंख्या (हजारों में) (य)	उ0मा0 शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय र=अ/य राशि (रू0में)	गुणा-वृद्धि	उ0प्र0 की प्रति-व्यक्ति आय ल=द/य राशि (रू0में)	गुणा-वृद्धि	(र) का (ल) में प्रतिशत
1-	1947-48	22011·4	90539	24·3	---	55021	0·4	1	---	---	--
2-	1950-51	40025·6	103277·9	38·8	2738	63216	0·6	1·5	433	1	0·14
3-	1955-56	64808·9	253684·0	25·5	3030	67080	1·0	2·5	452	1·04	0·22
4-	1960-61	94784·2	397003·5	23·9	3321	73746	1·3	3·3	450	1·04	0·29
5-	1965-66	165177·4	721609·7	14·3	3601	82995	2·0	5·0	434	1·00	0·46
6-	1970-71	291822·3	1153321·1	24·8	4256	88341	3·3	8·3	482	1·11	0·68
7-	1975-76	630804·4	2548623·5	24·8	4611	95408	6·6	16·5	482	1·11	1·37
8-	1980-81	1341729·7	4587346·8	29·2	5693	110862	12·1	30·3	514	1·19	2·35
9-	1985-86	2441169·1	5471316·5	44·6	7155	124933	19·5	48·8	573	1·34	3·40

नोट- × - उत्तर प्रदेश की कुल आय 1970-71 के स्थायी भावों के आधार पर ली गयी है।

स्रोत- (1) राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश, 1970-71 से 1986-87, पत्रिका संख्या-209, उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान

(2) "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े" (सम्बन्धित वर्षों के) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

किन्तु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति की आय में हुई वृद्धि (6। प्रतिशत) से कुछ कम थी।

सारिणी से स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1950-51 में उत्तर प्रदेश की कुल आय सन् 1970-71 के स्थायी भावों के आधार पर 2738 करोड़ रुपये थी तथा उत्तर प्रदेश में प्रति-व्यक्ति आय 433 रुपये थी। सन् 1965-66 तक प्रति-व्यक्ति आय में विशेष विभिन्नता नहीं पायी गयी तथा इसकी वृद्धि-गति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, किन्तु 1965-66 के पश्चात् प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि होनी प्रारम्भ हुई, जो 20 वर्षो के पश्चात् 1985-86 में बढ़कर 573 रुपये हो गयी। 1950-51 की प्रति-व्यक्ति की आय की तुलना में 1985-86 में यह वृद्धि 1·34 गुना थी। उत्तर प्रदेश में प्रति-व्यक्ति आय की वृद्धि की तुलना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय 40 पैसे थी, जो अड़तीस वर्षो में बढ़कर 19·5 रुपये हो गयी है। यह 1947-48 की तुलना में 49 गुना है। इसके फलस्वरूप उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय का उत्तर प्रदेश की प्रति-व्यक्ति आय में प्रतिशत भी बढ़ता गया। यह प्रतिशत सन् 1950-51 में 0·14 था एवं क्रमशः बढ़ते हुए सन् 1985-86 में 3·4 प्रतिशत हो गया। यद्यपि यह वृद्धि इतनी अधिक तीव्र न हो सकी, जितनी कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय में हुई थी।

अब हम प्रदेश के प्रति-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्रति-छात्र पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय का आंकलन करेंगे तथा छात्र-संख्या-वृद्धि एवं आय-वृद्धि का तुलनात्मक विवेचन करेंगे। अग्रांकित सारिणी में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय तथा प्रति-छात्र आय दर्शायी गयी है, जिसके आधार पर विस्तृत विवेचन किया जायेगा -

सारिणी - 5·15

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-विद्यालय तथा प्रति-छात्र आय

§सन् 1947-48 से 1985-86 तक§

क्रमांक	वर्ष	उच्चतर मा0 शिक्षा की आय §हजार रू0में§ §अ§	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या §ब§	नामांकन §हजारों में§ §स§	उच्चतर मा0 शिक्षा की प्रति-विद्यालय आय द=अ/ब राशि §हजार रू0में§	गुणा वृद्धि	उ0मा0 शिक्षा की प्रति-छात्र आय य=अ/स राशि §रू0में§	गुणावृद्धि
1-	1947-48	22011·4	609	249·3	36·1	1	88·3	1
2-	1950-51	40025·6	987	417·4	40·6	1·1	95·9	1·1
3-	1955-56	64808·9	1474	644·1	44·0	1·2	100·6	1·1
4-	1960-61	94784·2	1771	912·1	53·5	1·5	103·9	1·2
5-	1965-66	165177·4	2501	1558·9	66·0	1·8	106·0	1·2
6-	1970-71	291822·3	3415	2315·7	85·5	2·4	126·0	2·4
7-	1975-76	630804·4	4201	2793·4	150·2	4·2	225·8	4·6
8-	1980-81	1341729·7	5178	3448·3	259·1	7·2	389·1	4·4
9-	1985-86	2441169·1	5667	4278·8	430·8	11·9	570·5	6·5

स्रोत-§1§"राज्यों में शिक्षा के आँकड़े"§सम्बन्धित वर्षों के§ इलाहाबाद,शिक्षा निदेशालय

§2§"शिक्षा की प्रगति," इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय,

सारिणी क्रमांक 5·15 का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, उनमें नामांकन तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। 1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा उनमें नामांकन संख्या क्रमशः 22011432 रूपये, 609 तथा 249303 थी, जो 1985-86 में विभिन्न अनुपातों एवं वार्षिक वृद्धिदर से बढ़कर क्रमशः

उ·प्र·की प्रति व्यक्ति आय, उ·मा·शिक्षा की प्रति व्यक्ति, प्रति विद्यालय एवं प्रति शिक्षार्थी आय
आय
60
50
40
30
20
10
0
1947-48
1950-51
1955-56
1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
वर्ष
उ·प्र·की प्रति व्यक्ति आय (दस रुपये में)
उ·मा·शिक्षा की प्रति शिक्षार्थी आय (दस रुपये में)
उ·मा·शिक्षा की प्रति विद्यालय आय (दस हजार रु)
उ·मा·शिक्षा की प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)

चित्र-5.4

2441169122 रू0, 5667 एवं 427818 हो गयी। यह वृद्धि 1947-48 की तुलना में क्रमशः 111, 9·3 तथा 17·2 गुनी हैं।

1947-48 तथा 1985-86 के मध्य सर्वाधिक वृद्धि नामांकन में हुई, जो कि 1947-48 की तुलना में 17·2 गुनी है, परन्तु इस अनुपात में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। विद्यालयों में मात्र 9·3 गुना ही वृद्धि हो पायी है। प्रति-विद्यालय आय की वृद्धि प्रारम्भिक आय की तुलना में 11·9 हुई है, जबकि प्रति-विद्यार्थी आय 6·5 गुना हो सकी। यदि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की गुना-वृद्धि की तुलना नामांकन की गुना-वृद्धि से की जाय तो यह अनुपात 1:2 दृष्टिगोचर हो रहा है। 1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-विद्यालय आय 36 हजार रूपये थी, जो 1985-86 में बढ़कर 430·8 हजार हो गयी। यह वृद्धि पहले 1965-66 तक धीरे-धीरे हुई और 1965-66 के बाद तीव्रगति से प्रभावित हुई, जबकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-विद्यार्थी आय 1947-48 में 88·3 रूपये थी, 1965-66 तक यह 106·0 रूपये रही तथा 1970-71 से 1985-86 तक तेजी से वृद्धि करती हुई 570·5 रूपये हो गयी।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-विद्यार्थी आय तथा प्रति-विद्यालय आय का अनुपात 1947-48 में 1:409 था, जो 1975-76 में बढ़कर 1:665 हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय, विद्यालयों की संख्या तथा नामांकन की वृद्धि का यही अनुपात रहा तो निकट भविष्य में प्रति-विद्यालय की आय प्रति-विद्यार्थी की आय से हजार गुना हो जायेगी।

भारत के विभिन्न राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आय के स्रोतों में अधिक भिन्नता तो देखने को नहीं मिली, किन्तु स्रोतों के योगदान में बहुत विभिन्नता है। अग्रांकित सारिणी में विभिन्न राज्यों में इन स्रोतों के आनुपातिक योगदान को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, जिससे तुलनात्मक समीक्षा की जायेगी -

सारिणी - 5·16

भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा की स्रोतवार आवर्ती आय का तुलनात्मक अध्ययन

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विभिन्न स्रोतों की आय का प्रतिशत						कुल योग		
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	स्थानीय निकाय	शुल्क	अक्षय निधि	अन्य स्रोत	प्रतिशत	कुल धनराशि (हजार रू0 में)	प्रतिव्यक्ति आय (रू0 में)
1-	केरल	39·06	14·75	4·15	38·38	---	3·66	100	85,78	0·34
2-	मध्य प्रदेश	2·92	83·43	1·89	8·71	0·62	2·43	100	34,90,94	6·69
3-	उत्तर प्रदेश	0·58	78·77	0·97	18·02	0·21	1·45	100	87,49,51	7·89
4-	चंडीगढ़	---	89·16	---	9·69	1·12	0·03	100	34,88	---
5-	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	99·68	---	---	0·32	---	---	100	84,81	---
6-	अरूणाचल प्रदेश	100	---	---	---	---	---	100	43,62	---
7-	दादर व नगर हवेली	100	---	---	---	---	---	100	4,60	---
8-	दिल्ली	3·26	69·08	1·04	24·56	0·16	1·90	100	36,01,58	---
9-	गोवा, दमन व दीव	---	90·42	---	9·58	---	---	100	27,66	---
10-	पांडिचेरी	---	86·99	---	12·77	0·24	---	100	12,22	---
11-	आंध्र प्रदेश	27·79	7·51	---	58·06	---	6·64	100	2,84,81	0·53
12-	बिहार	59·10	0·35	---	37·08	---	3·47	100	1,25,29	0·18
13-	गुजरात	0·81	86·49	0·03	11·49	0·27	0·91	100	28,28,41	8·30
14-	जम्मू-कश्मीर	---	97·89	---	1·01	0·39	0·71	100	2,17,81	---

सारिणी - 5·16 क्रमशः --------

15- कर्नाटक	0·67	79·08	3·05	4·58	0·53	12·09	100	7,78,20	2·10
16- महाराष्ट्र	1·87	75·10	7·62	14·56	0·21	0·64	100	33,42,47	5·32
17- मणिपुर	11·70	84·57	---	3·45	---	0·28	100	57,76	---
18- उड़ीसा	24·04	48·61	5·76	17·72	1·59	2·28	100	30,24	0·11
19- सिक्किम	20·23	79·77	---	---	---	---	100	1,01,88	---
20- तमिलनाडू	0·16	90·52	2·81	4·53	0·52	1·46	100	35,16,93	7·27
21- त्रिपुरा	2·09	95·74	---	1·71	---	0·46	100	2,39,93	---
22- पश्चिम बंगाल	0·39	72·49	0·01	23·58	1·19	2·34	100	15,09,38	2·77
23- असम	0·49	86·85	0·03	10·55	0·38	1·70	100	4,39,44	---
24- हरियाणा	8·58	69·84	0·40	18·36	0·96	1·86	100	4,70,52	3·64
25- हिमाचल प्रदेश	9·39	82·09	---	8·42	0·02	0·08	100	3,35,65	7·84
26- पंजाब	5·68	75·85	---	16·08	0·09	2·30	100	10,86,20	6·47
27- राजस्थान	5·89	79·38	0·09	11·65	1·72	1·27	100	16,22,08	4·73
28- भारत	2·91	78·28	1·74	14·85	0·41	1·81	100	3,31,22,60	4,83

नोट- क्रमांक 1 से 4 तक पुरानी पद्धति वाले माध्यमिक शिक्षा विद्यालय एवं क्रमांक 5 से 22 तक (10+2) पद्धति वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंकित किया गया है, जबकि 23 से 27 तक दोनों पद्धतियों का मिश्रित रूप हैं।

स्रोत-"इजूकेशन इन इण्डिया" 1979-80, नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पृष्ठ- 65-66

सारिणी 5·16 से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा की आय उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है, जो पूरे देश की आय की 26·4 प्रतिशत हैं। दिल्ली (केन्द्र शासित राज्य) तामिलनाडु एवं मध्य प्रदेश क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ स्थान पर रहे। सबसे कम राशि व्यय करने वाला राज्य उड़ीसा था। यदि हम प्रति-व्यक्ति शैक्षिक आय की दृष्टि से विचार करें तो उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, जबकि गुजरात प्रथम स्थान पर रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा होने वाली आय का कुल आय में सबसे अधिक प्रतिशत बिहार राज्य में रहा, जबकि इस राज्य को राज्य से मिलने वाली सहायता सबसे कम थी। माध्यमिक शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा आय के स्रोतों में जम्मू-काश्मीर, त्रिपुरा, तथा तमिलनाडू में अंशदान 90 प्रतिशत से अधिक रहा। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 78·77 प्रतिशत रहा। शुल्काय द्वारा प्राप्त होने वाली सर्वाधिक आय आन्ध्र प्रदेश में रही तथा सबसे कम जम्मू-काश्मीर में। भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रति-व्यक्ति आय 4·83 रु0 है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति-व्यक्ति आय 7·89 रुपये है। अतः उत्तर प्रदेश की औसत आय भारत की औसत आय से काफी अधिक है।

विभिन्न स्रोतों से आय बढ़ाने की विवेचना -

हम इक्कीसवीं सदी के द्वार पर खड़े हैं, वे बच्चे जिनका जन्म अब होगा, इस शताब्दी की समाप्ति पर अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर सकेंगें और वह ऐसे संसार में कदम रक्खेंगे जो उन्हें मानव जाति के इतिहास में अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री श्री पंत ने कहा था[16] कि -

"यदि नयी पीढ़ी 21वीं सदी में प्रवेश करते हुए अपने आपको कमजोर

16- शिक्षा की चुनौती, नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (प्राक्कथन) नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार 1985

पाती है, तब इसके लिए आज की पीढ़ी को जिम्मेदार ठहराया जायेगा। यह नहीं माना जायेगा कि उनके शिक्षा तथा प्रशिक्षण की कमियां केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बन्धों अथवा विभागीय जिम्मेदारियों के स्वरूप के कारण रही हैं या प्रशासकीय कमियों के कारण पैदा हुई थीं। शिक्षा एक राष्ट्रीय दायित्व है।"

शिक्षा का सम्बन्ध अनिवार्यतः भविष्य से होता है। लोगों की बढ़ती हुई संख्या के हर स्तर से शिक्षा की बढ़ती हुई मांग तथा उनको शिक्षित करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बीच की खाई ज्यों की त्यों बनी हुई है। भारत तथा राज्यों में शिक्षा की वित्त-व्यवस्था की पद्धति लगभग एक जैसी है। शिक्षा के लिए वित्त उपलब्ध कराना पूरी तरह सरकार का दायित्व हो गया है, अतः शिक्षा प्रायः अब पूरी तौर से सरकारी निधियों पर निर्भर कर रही है तथा अन्य स्रोतों से संसाधनों के योगदान में तेजी से कमी आती जा रही है। यह प्रवृति भविष्य में और बढ़ सकती है। शिक्षा को अभी तक एक अवशिष्ट क्षेत्र माना जाता रहा है जोकि वित्त आयोग तथा गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत किये गये योजना खर्च से स्पष्ट है। जबकि बहुत से देशों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद §जी0एन0पी0§ का शिक्षा पर होने वाला खर्च 6 से 8 प्रतिशत के मध्य है/ हमारे यहाँ शिक्षा-आयोग §1964-66§ तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति §1968§ ने शिक्षा व्यय को 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की थी, परन्तु हम अभी तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का शिक्षा पर 3 प्रतिशत से कुछ अधिक ही धनराशि व्यय कर पाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति §1986§ ने शिक्षा में निवेश न करने अथवा अपर्याप्त निवेश के हानिकारक परिणाम होने की चेतावनी दी है तथा शिक्षा हेतु संसाधनों के बढ़ाने की पुरजोर सिफारिश की है।

उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बड़ी ही व्यय-साध्य है, अतएव शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति-हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई व्यय के किसी मानक को आधार मानकर धनराशि के आबंटन की एक पद्धति तैयार करनी चाहिए, तभी सभी छात्रों को उसका समुचित लाभ मिलेगा

तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण में विषमताएँ उत्पन्न नहीं होगी।

हमने इस अध्ययन में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के मुख्यतः 6 स्रोत उपलब्ध पाये हैं, अतएव सर्वप्रथम उन्हीं स्रोतों से आय बढ़ाने की विवेचना की जायेगी, तत्पश्चात् अन्य साधनों से आय बढ़ाने की विवेचना निरूपित की जायेगी -

§1§ **केन्द्र सरकार** -

शिक्षा अभी तक आवश्यक रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व रही है। शिक्षा के लिए कुल योजना व्यय 70 प्रतिशत राज्य वहन करते हैं। शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धि केन्द्र पर निर्भर नहीं रही है। केन्द्र ने राज्यों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार हेतु अधिक सहायता नहीं की। भारतीय संविधान की धारा 275 और 282 में केन्द्र को राज्यों के लिए विशिष्ट अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। ऐसे ही केन्द्रीय सहायता अन्य देशों में भी दी जाती है। संयुक्त राज्य में §इंगलैन्ड§ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिये सामान्य अनुदान देने की व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान में भी समाज कल्याण की धारा में कृषि और व्यापारिक शिक्षा के लिए उदार अनुदान देने का प्राविधान है।

अतएव केन्द्र और राज्यों के बीच शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन का बँटवारा उपयुक्त अनुपात में किये जाने हेतु माप-दण्ड निर्धारित किया जाय। उत्तर प्रदेश हेतु राज्य की जनसंख्या, राज्य की प्रति-व्यक्ति आय तथा शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले प्रति-व्यक्ति व्यय को आधार मानकर केन्द्र सरकार अनुदान प्रदान करे। यही मानक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु स्थापित किया जाय। केन्द्र का अंशदान आय-व्ययक में एक अलग लेखा शीर्ष में होना चाहिए।

§2§ **राज्य सरकार** -

राज्य सरकार ने शिक्षा पर सम्पूर्ण राजस्व लेखे का 1985-86 में 18·8

प्रतिशत तथा 1986-87 में 18·8 प्रतिशत ही आय-व्ययक में प्राविधानित किया था।[17] अतएव शासन को अपने आय-व्ययक में शिक्षा हेतु कम से कम 35 प्रतिशत राजस्व लेखे से प्राविधान करना चाहिए तथा शासन माध्यमिक शिक्षा पर कुल शिक्षा बजट का 1980-81 में 29·39 प्रतिशत, 1981-82 में 33·09 प्रतिशत, 1982-83 में 33·16 प्रतिशत, 1983-84 में 34·96 प्रतिशत, 1984-85 में 37·15 प्रतिशत तथा 1985-86 में 37·47 प्रतिशत प्राविधानित कर रहा है अतः माध्यमिक शिक्षा पर कम से कम बजट में कुल शिक्षा बजट का 40 प्रतिशत प्राविधान अवश्य किया जाना चाहिए।

शासन को माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु राजकीय स्रोतों को बढ़ाने हेतु निम्न प्राविधानों की व्यवस्था करनी चाहिए -

§1§ कृषि-आय पर कर लगाया जाय, जिसका उपयोग केवल माध्यमिक शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था, विकास तथा गुणात्मक सुधार के लिए किया जाय।

§2§ शासन द्वारा समय-समय पर वित्तीय सर्वेक्षण कराये जाँय। प्रति-दशक में वित्तीय सर्वेक्षण अनिवार्य कर दिया जाय और जिसकी आख्या प्राप्त होने पर समुचित सुझावों के क्रियान्वयन में ढीलापन न किया जाय। अधिक अच्छा होगा कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में परिनियम बना दिया जाय कि वित्तीय बाधाओं को दूर करने हेतु वित्तीय सर्वेक्षण की रिपोर्टों को मानना आवश्यक होगा। वित्तीय व्यवस्था की समुचित व्यवस्था हेतु माध्यमिक शिक्षा संसाधन आयोग की स्थापना की जाय, जो माध्यमिक शिक्षा के संसाधनों की उपलब्धता हेतु समग्रता से विचार कर शासन को अपनी आख्या दें तथा सुझाव प्रस्तुत करें।

§3§ माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध सभी विभागों से है और उसका लाभ भी सभी विभागों को मिलता है अतः सभी विभागों के बजट का एक निश्चित अनुपात

17- शिक्षा मंत्री जी की बजट भाषण की सामग्री 1985-86 तथा 1986-87, साइक्लोस्टाइल्ड भाषण प्रति पृष्ठ-1।

शिक्षा के इस सेक्टर के लिए निश्चित कर दिया जाय।

§4§ औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लाभ का 5 प्रतिशत भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय।

§5§ सेवानिवृत्त, जिनमें अनुभव के साथ-साथ पर्याप्त कार्य-क्षमता विद्यमान है और वह स्वेच्छापूर्वक अपनी सेवाओं का लाभ विद्यालयों को देना चाहते हैं, तो ऐसे विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तियों की क्षमताओं का दोहन संस्थाओं के लाभ हेतु किया जा सकता है।

§6§ बहुत सी ऐसी लाभ-अर्जक संस्थाएँ हैं, जिनका आयोजन विद्यालय कर सकता है। उदाहरण के लिए बसों का परमिट माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को दिया जाय और बस चलाने से होने वाली आय संस्था के उन्नयन एवं विकास पर व्यय की जाय।

§7§ प्रबन्ध-समितियों को सरकार विद्यालय के विकास हेतु बिना ब्याज का ऋण प्रदान करें और ऋण की अदायगी आसान किस्तों पर ली जाय।

§3§ **स्थानीय निकाय -**

स्थानीय निकाय महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में शिक्षा के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। स्थानीय निकायों को उपयुक्त कानून द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में माध्यमिक शिक्षा हेतु अंशदान प्रदान करने हेतु आश्वस्त करना चाहिए। स्थानीय निकायों की आय बहुत कम होती है, अतः उसे शिक्षा के लिए कर लगाने का अधिकार दिया जाय। जिला बोर्डों को राजस्व या लगान पर एक निश्चित दर से कर लगाने को कहा जाय और शहरों के म्यूनिसिपल बोर्ड को सम्पत्ति-गृहों और वाहनों पर कर लगाने को कहा जाय। इनका एक निश्चित अंश माध्यमिक शिक्षा को प्रदान किया जाय, साथ ही सरकार एकत्रित कर राशि के बराबर अनुदान दे, ताकि अधिक से अधिक कर एकत्र करने का उत्साह बना रहे। तभी स्थानीय निकाय अपना योगदान बढ़ा सकेंगे और राज्य के भार को किसी सीमा तक कम

कर सकेंगे। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु विद्यालय खोलना चाहती हैं, उसमें उन्हें मान्यता देने में उदारता अपनायी जाय।

§4§ **शुल्क** -

माध्यमिक शिक्षा में शुल्कदर आज वही है, जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद थी। वर्तमान में प्रचलित दरों का महंगाई के साथ मानकीकरण किया जाय। छात्रों की बहुत बड़ी संख्या सम्पन्न परिवारों से आती है, अतः छात्रों से शुल्क के साथ विकास-शुल्क को और अधिक बढ़ाकर प्राप्त किया जा सकता है। शुल्क की दरें अवश्य बढ़ायी जानी चाहिए। जो लोग शुल्क दे सकते हैं, उनकी फीस किसी भी दशा में माफ न की जाय।

§5§ **धर्मस्व** -

धर्मस्व की धनराशि भी आज की मंहगाई तथा राज्य आय अनुमान के मानकों के आधार पर बढ़ा दी जाय, ताकि उससे होने वाली आय को विद्यालय-विकास में उपयोग किया जा सके।

§6§ **अन्य स्रोत** -

माध्यमिक शिक्षा वित्त का सर्वाधिक प्रभावी एवं उपादेय संसाधन जन-समूह है, अतएव समाज-सेवी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को अधिक अधिकार देकर प्रभावी बनाया जाय। विद्यालयों का स्थानीय समुदायों से घनिष्ट सम्बन्ध होना चाहिए और उनको शिक्षकोत्तर लागत के पूरे या एक अंश को वहन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनसे स्कूल के सुधार और भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये अधिकतम सहायता प्राप्त की जाय। निजी विद्यालय के प्रबन्धकों को आवर्ती व्यय को एक निर्धारित अंश तक वहन करना चाहिए, इससे शिक्षा के प्रति स्थानीय लोगों की रुचि बढ़ेगी, साथ ही साथ समुदायों और जनता के अंशदान से माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी।

प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा-उन्नयन-निधि अवश्य बनायी जाय, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, दानशील तथा धनाढ्य व्यक्तियों से उचित धनराशि प्राप्त की जाय। उसका लेखा-परीक्षण अवश्य कराया जाय।

उपर्युक्त 6 साधनों के अतिरिक्त निम्न सामान्य उपाय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के संसाधन बढ़ाने हेतु किये जा सकते हैं -

§1§ "फाउन्डेशन फार टेक्स्ट बुक एन्ड टीचिंग" की स्थापना की जाय, जिसके शेयर अभिभावकों तथा अध्यापकों को दिये जाँय। इस प्रकार शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि के बराबर की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ली जाय।

§2§ छात्र स्वयं उत्पादन करें और अपने व्यय के कुछ अंश हेतु उसका उपयोग करें। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यावसायीकरण सुविधाओं की व्यवस्था करें, ताकि छात्र इससे लाभान्वित हों।

§4§ अक्षमताओं को समाप्त कर तथा औद्योगिकी में परिवर्तन के जरिए शिक्षा की इकाई लागत में कमी की जाय।

§4§ निजी क्षेत्रों द्वारा विद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर समुदाय के वित्तीय या सहायता वाली संस्थाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय।

§5§ शिक्षकों के लिए निधियाँ, नामांकन के बजाय औसत दैनिक उपस्थिति के आधार पर मंजूर की जानी चाहिए।

संसाधनों की व्यवस्था के बाद आवश्यकता संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की है। संसाधन जुटाना तथा उनका कारगर ढंग से इस्तेमाल करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि -

"राज्य कोष से व्यय की जाने वाली एक-एक पाई की लोकप्रियता ही प्रशासन की कुशलता की कसौटी है।"

उत्तर प्रदेश जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में यह कथन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा कोष राजकोष ही नहीं जन-जन का कोष है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के आय के स्रोतों की प्रणाली बहुस्रोतीय है। अतएव शासन को एक ऐसा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आयोग स्थापित करना चाहिए, जो धन के गलत इस्तेमाल और बर्बादी का पता लगाये तथा किफायत से धन खर्च करने की योजना बनाकर सुझाये।

हमने अपने अध्ययन में 1947-48 से लेकर 1985-86 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय का विश्लेषण किया है तथा निष्कर्षों के आधार पर आय के साधनों को बढ़ाने की विवेचना की है, परन्तु यदि आय के यही वर्तमान स्रोत अवस्थित रहे तो 2001 में कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का क्या योगदान होगा? यह प्रश्न अत्यन्त सामयिक तथा विचारणीय है।

शिक्षा वित्त की सांख्यिकी में कुल आय और कुल व्यय के आँकड़े समान या एक ही दिखलाये जाते हैं। शिक्षा पर जितना व्यय होता है, उतनी ही उसकी आय मान ली जाती है। अतएव आय और व्यय शब्द पर्याय के अर्थ में भी प्रयोग किये जाते हैं, जैसे- शिक्षा आय के स्रोत अथवा शिक्षा व्यय के स्रोत से एक ही तात्पर्य है।

अतएव उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की इक्कसवीं सदी की आय का निर्धारण करने के पूर्व समय के साथ आँकड़ों की परिवर्तनशीलता, एक दूसरे के मध्य अन्तर्सम्बन्ध आदि तथ्यों का गहन अध्ययन आवश्यक है। इस हेतु कोठारी आयोग के अनुसार मुख्यतः तीन परिवर्तनशील चरों की आवश्यकता पड़ती है -

§1§ आर्थिक वृद्धि §इकोनामिक ग्रोथ§ सामान्यतः 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत वार्षिक।

§2§ जनसंख्या- वृद्धि, सामान्यतया 1·5 प्रतिशत से 2·5 प्रतिशत वार्षिक।

§3§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा- व्यय का राज्य की आय से अनुपात §सामान्यतः 1·3 प्रतिशत से 7·0 प्रतिशत तक§

उपलब्ध आँकड़ों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की आय में लगभग 4 प्रतिशत से कम वार्षिक वृद्धदर से वृद्धि हुई है, जबकि प्रदेश की जनसंख्या एवं माध्यमिक शिक्षा की आय में क्रमशः 2·27 प्रतिशत एवं 11·7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही है। अतएव इन्हीं दरों पर अनुमान करना अधिक उपयुक्त रहेगा। अनुमानित परिणाम का उसके वास्तविक मूल्यों से विक्षेपण करने एवं मौलिकता बनाये रखने के लिए राज्य की आय 1980-81 के स्थायी भावों के आधार पर एवं जनसंख्या की नवीनतम जनगणना 1980-81 को आधार मानकर आंकलन प्रस्तुत किया जा रहा है। यह आंकलन अग्रांकित सारिणी 5·17 में दर्शाया गया है -

सारिणी - 5·17

इक्कीसवीं सदी के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अनुमानित आय

§सन् 1985-86 से 2005-06 तक§

क्रमांक	आय के विभिन्न चर तथा सूचकांक	1985-86	1990-91	1995-96	2000-01	2005-06
1-	राज्य-आय§करोड़ रूपये में§ §4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर से 1980-81 के स्थायी भावों के आधार पर§	17544	21345	25970	31596	38441
2-	वृद्धि-सूचकांक	100	122	148	180	219
3-	अनुमानित जनसंख्या §लाखों में§ §1980-81 की जनगणना के आधार पर§	1220	1367	1532	1716	1923

सारिणी - 5·17 क्रमशः -----

4-	वृद्धि-सूचकांक	100	112	126	141	158
5-	प्रति-व्यक्ति राज्य-आय §रूपये में§	1438	1561	1696	1841	1999
6-	वृद्धि-सूचकांक	100	109	118	128	139
7-	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय§रू0 करोड़ो में§ §12 प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर के आधार पर§	244	430	758	1336	2354
8-	वृद्धि-सूचकांक	100	176	311	547	965
9-	राज्य-आय में माध्यमिक शिक्षा की कुल आय का प्रतिशत	1·39	2·01	2·92	4·23	6·13
10-	वृद्धि-सूचकांक	100	145	210	304	441
11-	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय §रूपयों में§	20	31·5	49·5	77·9	122·4
12-	वृद्धि-सूचकांक	100	157	247	389	612

स्रोत - §1§ "शिक्षा की प्रगति", इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

§2§ "राज्य-आय-अनुमान", उत्तर प्रदेश, 1986-87

सारिणी क्रमांक 5·17 से ज्ञात होता है कि इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 1336 करोड़ रूपये होगी, जो 1985-86 की तुलना में 5·47 गुनी है। अगले पाँच वर्षों §2005§ में यह आय बढ़कर 2354 करोड़ रूपये हो जायेगी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय, राज्य की आय एवं उसकी जनसंख्या से बहुत अधिक प्रभावित होती है। इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में राज्य की आय एवं जनसंख्या का अनुमान क्रमशः 31596 करोड़ रूपये एवं 17·16 करोड़ किया गया है, जो कि 1985-86 की तुलना में क्रमशः 2·19 गुना एवं 1·58 गुना है। उच्चतर माध्यमिक

इक्कीसवीं सदी हेतु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अनुमानित आय
(1 9 8 5-8 6 से 2005-06)
माध्यमिक शिक्षा की प्रति व्यक्तिआय
राज्य की प्रति व्यक्तिआय
अनुमानित आय
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रतिव्यक्ति आय (रूपये में)
राज्य की प्रतिव्यक्ति आय (दस रूपये में)
200
160
120
80
40
0
1985-86
1990-91
1995-96
2000-01
2005-06
वर्ष
चित्र-5.5

शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय इक्कीसवी सदी के प्रारम्भ में लगभग 77·9 रूपये होगी, जबकि 5 वर्ष बाद यह धनराशि बढ़कर 122·4 रूपये होगी। यह धनराशियाँ 1985-86 की तुलना में क्रमशः 389 एवं 612 गुनी हैं।

इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में राज्य की आय का 4·23 प्रतिशत भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय से मिलने की संभावना है। 2005 में यह प्रतिशत 6·13 प्रतिशत हो जायेगा, जोकि बीसवीं शताब्दी के अन्तिम पंचक के प्रतिशत से दुगना है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में तेजी से वृद्धि हुई है। बीसवीं सदी के अन्तिम दशक में राज्य में प्रति- व्यक्ति आय 1561 रूपये अनुमानित की गई है। यह राशि इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 1841 रूपये तक पहुँच जायेगी। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में वृद्धि-दर अधिक रहने के कारण वृद्धि-सूचकांक सर्वाधिक रहा।

अब हम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के चार स्रोतों पर यह अनुमान करने का प्रयत्न करेंगे कि इन चार स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का इक्कीसवीं सदी में क्या आनुपातिक योगदान होगा? सारिणी क्रमांक 5·18 में इसका आकलन किया गया है -

सारिणी - 5·18

"इक्कसीसवीं सदी में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आय के विभिन्न स्रोतों का अनुमानित योगदान"

(सन् 1985-86 से 2005-06 तक)

	1985-86	1990-91	1995-96	2000-01	2005-06
(1) राजकीय निधि से उ0 माध्यमिक शिक्षा की आय (करोड़ रूपयों में)	181·84	306·41	516·32	870·03	1466·05
वृद्धि-सूचकांक	100	169	284	478	806

सारिणी - 5·18 क्रमशः -----

§2§ स्थानीय निकाय-निधि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय	9·75	21·19	46·07	100·15	217·70
वृद्धि-सूचकांक	100	217	473	1027	2233
§3§ शुल्क-निधि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय	44·12	86·48	169·42	331·78	650·33
वृद्धि-सूचकांक	100	196	384	752	1474
§4§ धर्मस्व-निधि एवं अन्य स्रोत	8·41	10·84	13·96	17·99	23·18
वृद्धि-सूचकांक	100	129	166	214	276

सारिणी क्रमांक 5·18 में स्रोतवार राज्य की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय का आकलन एवं विश्लेषण किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की वृद्धिदर राजकीय निधि, स्थानीय निकाय-निधि, शुल्क-निधि तथा धर्मस्व एवं अन्य स्रोतों की वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः 11·09, 16·8, 14·4 तथा 5·2 रही। अतएव इन्हीं संख्याओं के पास की संख्या का चयन कर स्रोतवार आय निकाली गयी है। सबसे अधिक वृद्धि 1980-85 के मध्य स्थानीय निकाय-निधि में हुई है। इक्कीसवीं सदी में स्थानीय निकाय का योगदान लगभग 100·15 रुपये रहेगा, जो कि 1985-86 की तुलना में 10 गुना अधिक है। 1985-86 में शुल्क-निधि से प्राप्त होने वाली आय धर्मस्व एवं अन्य स्रोतों से होने वाली आय से करीब 5 गुने से अधिक है, किन्तु यह अनुपात इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में बढ़कर 12 गुने से अधिक हो जायेगा। इक्कीसवीं सदी में भी उच्चतर माध्यामक शिक्षा में आय की आपूर्ति सर्वाधिक राज्य सरकार से होगी तथा आय के स्रोतों में दूसरा प्रमुख स्रोत शुल्क का होगा।

-x-x-x-x-

षष्ठ अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यय तथा उसके मद

शिक्षा की व्यवस्था करने में जो धन खर्च होता है, वह व्यय कहलाता है। व्यय से अभिप्राय विद्यालयों द्वारा या उनके लिये वस्तुओं तथा सेवाओं पर होने वाले वित्तीय प्रभारों से है। साधारणतः इसका अभिप्राय चालू वर्षो के प्रभारों से होता है तथा इसमें गतवर्ष की सेवाओं हेतु किये गये भुगतान तथा भविष्य में की जाने वाली सेवाओं के लिये अग्रिम अदायगी सम्मिलित नहीं होती है।

"इजूकेशन इन इण्डिया" में व्यय की निम्नवत् व्याख्या की गयी है -[1]

"वित्तीय वर्ष के दौरान की संस्था द्वारा की गयी अदायगियाँ, खर्च हैं।"

व्यय की पूर्ण धनराशि, आय की पूर्ण धनराशि के बराबर हो सकती है और नहीं भी। यदि आय व्यय से अधिक है तो अन्तर-बचत कहलाता है, परन्तु यदि आय व्यय से कम है तो अन्तर-घाटा कहलाता है।[2] भारतीय शिक्षा-वित्त की यह विशेषता है कि शिक्षा की आय और व्यय का जो विवरण सरकारी रिपोर्टों में दिया जाता है, उसमें बचत या घाटा नहीं दर्शाया जाता है। इसलिये आय और व्यय के पदों (टर्म्स) को अदल-बदल कर प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता है। अतः शिक्षा-व्यय से तात्पर्य ऐसे व्यय से है, जो शिक्षा संस्थाएँ शिक्षा-व्यवस्था के निमित्त मानवीय साधनों तथा भौतिक साधनों की पूर्ति के लिये करती हैं।

व्यय का वर्गीकरण -

स्थूल रूप से "व्यय" का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जा सकता है-

(1) **आवर्ती व्यय (रिकरिंग इक्सपेन्डीचर) या चालू व्यय (करेन्ट इक्सपेन्डीचर) -**

इसका सम्बन्ध उस व्यय से है, जिसमें विद्यालय के प्रशासन, सामान्य

1- "इजूकेशन इन इण्डिया", वाल्यूम-2, 1979-80 (स्पष्टीकरण - 8), नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1987

2- आत्मानन्द मिश्र, "दि फाइनेन्सिंग आफ इन्डियन इजूकेशन," बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, 1967, पृष्ठ-17

नियंत्रण, उसके ढाँचे की सक्रिया और संरक्षण, अध्यापकों और कर्मचारी-वर्ग के वेतन-सहित शिक्षण-कार्य, पुस्तकालय, शिक्षण-सामग्री तथा चालू वर्ष में सेवाएं प्राप्त करने के लिये उठाये गये खर्च सम्मिलित हैं। इसे परिचालन लागत §आपरेटिंग कास्ट§ भी कहते हैं। "इजूकेशन इन इण्डिया" में इस व्यय की अग्रांकित शब्दों में व्याख्या की गयी है-

"आवर्ती खर्च वह है, जिसे किसी संस्था को चलाने के लिये प्रत्येक वर्ष वहन किया जाता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें कर्मचारी-वर्ग के वेतन, फुटकर खर्च, उपस्कर, फर्नीचर के अनुरक्षण, छात्रवृत्तियों, वजीफों तथा अन्य वित्तीय रियायतों, छात्रावास§भोजन के अलावा§, खेल-कूद, निर्देशन, निरीक्षण आदि पर होने वाला खर्च शामिल है।"

§2§ <u>अनावर्ती व्यय §नान रिकरिंग इक्सपेन्डीचर§ या पूंजीगत व्यय §कैपिटल इक्सपेन्डीचर§-</u>

अनावर्ती या पूंजीगत व्यय वह है, जो स्थिर सम्पत्ति प्राप्त करने में या भूमि, क्रीड़ागंन, भवन, तथा उपकरणों आदि की वृद्धि-हेतु किया जाता है। यह विद्यालय के संयंत्र की सक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से या छात्रावासों, जलपानगृहों, सरकारी भंडारों आदि के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो सकता है।

"इजूकेशन इन इन्डिया" में इस व्यय को अग्रांकित शब्दों में स्पष्ट किया गया है -

"शैक्षिक खर्च का वह भाग है, जो आवर्ती खर्च के अतिरिक्त है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें भवनों §अनुरक्षण के अलावा§, उपस्करों, पुस्तकालयों आदि पर होने वाला खर्च शामिल है।"[4]

3- "इजूकेशन इन इण्डिया", 1979-80 §स्पष्टीकरण - 8§

4- "वही", 1979-80 §स्पष्टीकरण - 8§

इस प्रकार इस तरह का व्यय प्रतिवर्ष नहीं किया जाता है। एक बार व्यय करने के उपरान्त इन मदों पर व्यय करना बहुत समय तक आवश्यक नहीं रहता है।

§3§ ऋण प्रभार §डेट चार्जेज§ -

इसका अभिप्राय ऋणों पर ब्याज की अदायगी तथा ऋणों की मूलधनराशि की वापसी से है। यदि ऋण उसी वित्तीय वर्ष में, जिसमें कि वह उधार लिया गया था; अदा कर दिया जाता है, तो व्यय को चालू या प्रत्यावर्ती की संज्ञा दी जाती है।[5] वैसे भारतवर्ष में सामान्यतः कर्ज आदि की प्रथा नहीं है।

अब हम उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के एक दशक के आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की विवेचना करते हुए उसके वितरण का विश्लेषण करेंगे-

सारिणी - 6·1

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय

§सन् 1976-77 से 1985-86 तक§

§रुपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आवर्ती	अनावर्ती	कुल योग
1-	1976-77	8667·73 §98·8§	107·62 §1·2§	8775·35 §100§
2-	1977-78	9133·65 §98·9§	99·23 §1·1§	9322·88 §100§
3-	1978-79	10892·07 §98·9§	122·36 §1·1§	11014·43 §100§

5- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त-प्रबन्धन", कानपुर, ग्रन्थम्, 1976, पृ0- 33

सारिणी - 6·1 क्रमशः -----

4- 1979-80	11365·33 (98·6)	159·99 (1·4)	11525·32 (100)
5- 1980-81	13055·69 (98·8)	162·88 (1·2)	13218·57 (100)
6- 1981-82	14395·20 (99·1)	137·42 (0·9)	14532·62 (100)
7- 1982-83	16628·02 (99·2)	142·40 (0·8)	16770·42 (100)
8- 1983-84	19287·82 (99·2)	156·64 (0·8)	19444·46 (100)
9- 1984-85	21716·60 (99·2)	172·30 (0·8)	21888·90 (100)
10-1985-86	23270·60 (98·1)	443·25 (1·9)	23713·85 (100)

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।
"स्रोत- "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े" (सम्बन्धित वर्षों के) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

सारिणी क्रमांक 6·1 से स्पष्ट हो रहा है कि 1976-77 में आवर्ती व्यय का प्रतिशत 98·8 था तथा अनावर्ती का 1·2% । 1982-83 में आवर्ती व्यय का प्रतिशत बढ़कर 99·2 हो गया तथा अनावर्ती व्यय का घटकर 0·8 प्रतिशत रह गया। 1985-86 में आवर्ती व्यय का प्रतिशत पुनः घटकर 98·1 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय का बढ़कर 1·9 प्रतिशत हो गया।

अतएव सारिणी 6·1 यह स्पष्ट करती है कि अनावर्ती व्यय का बहुत ही कम भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हो रहा है। एक दशक के अन्दर आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय के भागों में परिवर्तन होता रहा है। 1976-77 में कुल व्यय (आवर्ती + अनावर्ती) की जाने वाली धनराशि 8775·35 लाख रुपये थी, जो एक दशक अर्थात्

1985-86 में 23713·85 लाख रु0 हो गयी। यह 1976-77 की तुलना में 2·70 गुना थी।

अब हम उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय में मदवार व्यय का विश्लेषण करेंगे तथा मदवार व्यय का वितरण में किस मद का कितना प्रतिशत भाग था? इस पर प्रकाश डालेंगे। व्यय की गहनतम विवेचना-हेतु एक दशक की व्याख्या की जायेगी। सारिणी क्रमांक 6·2 में आवर्ती व्यय दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में आवर्ती व्यय की निम्न मदें हैं -

(1) अध्यापन तथा गैर शैक्षिक वर्ग के वेतन और भत्ते।

(2) गैर अध्यापन-वर्ग के वेतन और भत्ते।

(3) भवनों का अनुरक्षण।

(4) उपस्कर तथा फर्नीचर का अनुरक्षण ।

(5) उपकरण, रासायनिक और उपयोग भंडार।

(6) पुस्तकालय।

(7) बजीफे, छात्रवृत्तियाँ और अन्य वित्तीय रियायतें।

(8) खेलकूद ।

(9) छात्रावास ।

(10) अन्य मदें।

सारिणी - 6·2

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का मदवार आवर्ती व्यय

(सन् 1976-77 से 1985-86 तक)

(रूपये-लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	अध्यापकों का वेतन	अन्य कर्मचारियों का वेतन	भवनों का अनुसरण	उपस्कर तथा फर्नीचर का अनुसरण	उपकरण एवं रासायनिक उपभोग भण्डार	पुस्तकालय	वजीफे, छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य वित्तीय सहायता	खेलकूद	छात्रावास	अन्य मदें	कुलयोग
1-	1976-77	6371·04	1259·72	89·47	101·10	104·90	46·72	342·52	38·48	33·77	280·01	8667·73
		(73·50)	(14·53)	(1·03)	(1·17)	(1·22)	(0·54)	(3·95)	(0·44)	(0·39)	(3·23)	(100)
2-	1977-78	6661·30	1324·05	149·05	100·41	108·12	54·77	381·63	38·38	49·31	266·63	9133·65
		(72·93)	(14·50)	(1·63)	(1·10)	(1·18)	(0·60)	(4·19)	(0·42)	(0·54)	(2·92)	(100)
3-	1978-79	8039·61	1658·11	110·79	63·48	70·8	24·55	439·71	79·29	49·18	356·55	10892·07
		(73·81)	(15·22)	(1·02)	(0·58)	(0·65)	(0·23)	(4·04)	(0·73)	(0·45)	(3·27)	(100)
4-	1979-80	8192·56	1879·03	116·66	68·00	73·23	26·46	484·74	52·45	57·01	415·19	11365·33
		(72·08)	(16·53)	(1·03)	(0·60)	(0·64)	(0·23)	(4·27)	(0·46)	(0·50)	(3·66)	(100)
5-	1980-81	9534·07	2110·29	166·88	77·55	82·12	31·90	596·91	44·20	57·35	354·42	13055·69
		(73·03)	(16·16)	(1·28)	(0·59)	(0·63)	(0·24)	(4·57)	(0·34)	(0·44)	(2·72)	(100)
6-	1981-82	10380·74	2505·39	171·95	84·35	106·62	39·51	616·35	48·48	56·01	385·80	14395·26
		(72·11)	(17·39)	(1·19)	(0·58)	(0·74)	(0·27)	(4·28)	(0·37)	(0·39)	(2·68)	(100)

सारिणी - 6·2 क्रमशः ---------

7- 1982-83	11818·81	2869·70	171·86	111·24	108·03	43·91	887·74	49·98	56·00	510·76	16628·02
	(71·08)	(17·26)	(1·03)	(0·67)	(0·65)	(0·26)	(5·34)	(0·30)	(0·34)	(3·07)	(100)
8- 1983-84	14000·70	3160·67	190·81	122·36	111·83	48·31	976·51	54·98	59·83	561·84	19287·82
	(72·59)	(16·39)	(0·99)	(0·63)	(0·58)	(0·25)	(5·06)	(0·29)	(0·31)	(2·91)	(100)
9- 1984-85	15400·77	2678·32	---	---	123·02	53·14	1074·16	---	65·81	2321·40	21716·60
	(70·92)	(12·33)			(0·57)	(0·24)	(4·95)		(0·30)	(10·69)	(100)
10- 1985-86	16712·99	2762·23	---	---	132·14	56·23	1129·33	---	67·72	2409·97	23270·60
	(7[illegible]·82)	(11·87)			(0·57)	(0·24)	(4·85)		(0·29)	(10·36)	(100)
गुणावृद्धि	2·6	2·2	2·1	1·2	1·3	1·2	3·3	1·4	2·0	8·6	2·68

औसत गुणावृद्धि 11·60%

स्रोत- राज्यों में शिक्षा के आँकड़े (सम्बन्धित वर्षों के) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

सारिणी क्रमांक 6·2 को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि आवर्ती व्यय का सर्वाधिक भाग 1976-77 में अध्यापन तथा गैर शैक्षिक-वर्ग के वेतन और भत्तों पर व्यय होता रहा, जो कुल व्यय का 73·50 प्रतिशत था। तत्पश्चात् व्यय का दूसरा बड़ा भाग गैर अध्यापन-वर्ग के कर्मचारियों के वेतन-भत्ते पर व्यय किया गया,जो कुल व्यय का 14·53 प्रतिशत था। तृतीय स्थान वजीफे, छात्र-वृत्तियों तथा अन्य वित्तीय रियायतों को दिया गया, जिनका भाग कुल व्यय में 3·95 प्रतिशत था। भवनों के अनुरक्षण में 1·17 प्रतिशत, उपकरण तथा रासायनिक उपभोग भंडार में 1·22 प्रतिशत, पुस्तकालय में 0·54 प्रतिशत, खेलकूद में 0·44 प्रतिशत, छात्रावास में 0·39 प्रतिशत तथा अन्य मदों में 3·23 प्रतिशत व्यय किया गया।

एक दशक के अन्तराल में 1980-81 में शिक्षकों तथा गैर शैक्षिक-वर्ग के वेतन और भत्तों का व्यय 73·03 प्रतिशत तक पहुँच गया, लेकिन 1985-86 में यह भाग पुनः घटकर 71·82 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार गैर अध्यापन-वर्ग के वेतन और भत्तों के भाग का प्रतिशत 1982-83 में 17·26 प्रतिशत रहा। शिक्षकों तथा गैर शिक्षकों के व्यय में यह वृद्धि संभवतः वेतनमानों के पुनरीक्षण के कारण ही हुई होगी, क्योंकि गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन के व्यय का भाग 1985-86 में पुनः 11·87 प्रतिशत हो गया। वजीफे, छात्र-वृत्तियों तथा अन्य वित्तीय रियायतों के मद को छोड़कर अन्य सभी मदों के व्यय के भाग में उत्तरोत्तर कमी होती जा रही है। सबसे अधिक दयनीय स्थिति पुस्तकालय में व्यय की है। पुस्तकालयों की बहुत महत्ता है, लेकिन इस मद पर अत्यन्त कम भाग व्यय किया गया।

1976-77 में आवर्ती व्यय की मदों में व्यय की जाने वाली कुल राशि 8667·73 लाख थी, जो 1986-87 में बढ़कर 23270·60 लाख रुपये हो गयी। आवर्ती व्यय की यह वृद्धि 2·68 गुना थी।

इसी प्रकार अनावर्ती व्यय की निम्न मदें थीं -

(1) पुस्तकालय

§2§ भवन

§3§ उपस्कर

§4§ फर्नीचर

§5§ अन्य मदें

1976-77 से 1985-86 तक अर्थात् एक दशक का मदवार व्यय अग्रांकित सारिणी 6·3 में दर्शाया जा रहा है, जिससे मदवार व्यय के प्रतिशत-वितरण की जानकारी हो सकेगी -

सारिणी - 6·3

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर मदवार अनावर्ती व्यय

§सन् 1976-77 से 1985-86 तक§

§रुपये-लाखों में§

क्रमांक वर्ष	पुस्तकालय	भवन	उपस्कर	फर्नीचर	अन्य मदें	कुलयोग
1- 1976-77	6·67	34·66	17·91	21·37	27·01	107·62
	§6·2§	§32·2§	§16·6§	§19·9§	§25·1§	§100§
2- 1977-78	4·28	37·62	13·03	15·37	28·93	99·23
	§4·3§	§37·9§	§13·1§	§15·5§	§29·2§	§100§
3- 1978-79	6·97	60·46	15·51	15·92	23·50	122·36
	§5·7§	§49·4§	§12·7§	§13·0§	§19·2§	§100§
4- 1979-80	9·60	71·52	19·04	28·58	31·25	159·99
	§6·0§	§44·7§	§11·9§	§17·9§	§19·5§	§100§
5- 1980-81	7·71	73·56	19·86	29·54	32·21	162·88
	§4·7§	§45·2§	§12·2§	§18·1§	§19·8§	§100§
6- 1981-82	11·16	54·46	17·24	21·30	33·26	137·42
	§8·1§	§39·6§	§12·5§	§15·6§	§24·2§	§100§
7- 1982-83	9·41	61·08	20·79	20·15	30·97	142·40
	§6·6§	§42·9§	§14·6§	§14·2§	§21·7§	§100§

सारिणी - 6·3 क्रमशः -------

8- 1983-84	10·35	67·18	22·87	22·17	34·06	156·64
	§6·6§	§42·9§	§14·6§	§14·2§	§21·7§	§100§
9- 1984-85	11·59	71·50	---	---	89·21	172·30
	§6·7§	§41·5§			§51·8§	§100§
10- 1985-86	13·10	328·33	---	---	101·82	443·25
	§2·9§	§74·1§			§23·0§	§100§
गुणावृद्दि	1·96	9·47	1·28	1·04	3·77	4·12

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े", §सम्बन्धित वर्षो के§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

सारिणी क्रमांक 6·3 को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि अनावर्ती मदों के व्यय में अधिकांश भाग "भवन" पर खर्च हुआ। 1976-77 में इस मद पर कुल व्यय का 32·2 प्रतिशत भाग व्यय होता था। 1980-81 में यह भाग बढ़कर 45·2 प्रतिशत हो गया तथा 1985-86 में इस मद पर कुल व्यय के 74·1 प्रतिशत भाग को स्थान दिया गया। भवनों के निर्माण में 1976-77 में 34·66 लाख रूपये व्यय किये जाते रहे। 1985-86 में यह धनराशि बढ़कर 328·33 लाख रूपये हो गयी, जो 1976-77 की तुलना में 9·47 गुना थी।

पुस्तकालय-मद में 1976-77 में कुल व्यय का 6·2 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता रहा, परन्तु इस मद के आबंटन में सदैव उदासीनता दिखलायी गयी तथा एक दशक के अन्दर प्रतिवर्ष इसके भाग में कमी हुई और कभी बढ़ोत्तरी भी होती रही। कुल व्यय में 1985-86 में मात्र 2·9 प्रतिशत ही अपना स्थान पा सका। इस मद में 1976-77 में 6·67 लाख व्यय होते थे। 1985-86 में 13·10 लाख रूपये व्यय किये गये, जो 1976-77 की तुलना में 1·96 गुना थे। परन्तु सामानुपातिक दृष्टि

से इसका भाग बहुत कम हो गया।

उपस्कर-मद में 1976-77 में कुल व्यय का 16·6 प्रतिशत भाग व्यय किया गया, जिसके प्रतिशत भाग में लगातार कमी होती गयी और 1983-84 में इस मद को केवल 14·6 प्रतिशत स्थान मिल सका। 1984-85 तथा 1985-86 में इस मद में अलग से कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी।

फर्नीचर-मद में 1976-77 में कुल धनराशिका 19·9 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता रहा। इस मद के आबंटन में भी प्रतिशत भाग में सदैव उतार-चढ़ाव होता रहा। 1983-84 में इस मद को मात्र 14·2 प्रतिशत भाग ही स्थान मिल सका।

अन्य मदों के व्यय में भवनों के बाद कुल व्यय का प्रतिशत भाग व्यय किया गया। 1976-77 में यह प्रतिशत भाग 25·1 था, जो 1985-86 में 23 प्रतिशत तक पहुँच गया।

1976-77 में कुल अनावर्ती व्यय 107·62 लाख रुपये था, जो लगातार बढ़ता रहा और 1980-81 में 162·88 लाख रुपये हो गया। 1982-83 तथा 1983-84 में कुछ कम हो गया, परन्तु 1985-86 में बढ़कर 443·25 लाख रुपये पहुँच गया। धनराशि की यह वृद्धि 4·12 गुना थी।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि अनावर्ती व्यय की मदों में एक दशक में सर्वाधिक व्यय भवनों पर किया गया, तत्पश्चात् अन्य मदों के मद पर हुआ, उसके बाद फर्नीचर और उपस्कर में किया गया। व्यय का सबसे कम अंश पुस्तकालय-मद में रहा।

व्यय के प्रकार -

भारत में शिक्षा-व्यय अग्रांकित दो प्रकार का माना गया है -

(1) प्रत्यक्ष व्यय (डायरेक्ट इक्सपेन्डीचर)

§2§ अप्रत्यक्ष व्यय §इनडायरेक्ट इक्सपेन्डीचर§

प्रत्यक्ष व्यय -

शिक्षा-संस्था को चालू रखने के लिये साक्षात् रूप से किये जाने वाले खर्च को प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। इसमें निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत किये जाने वाले खर्च सम्मिलित हैं -

§1§ वेतन, भत्ते, भविष्य-निधि §प्रावीडेन्ट फन्ड§, यात्रा-भत्ते, पोशाक, तमगे तथा पुरस्कार।

§2§ परीक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कला-कौशल के विषय में लगने वाला कच्चा माल, विज्ञान-विषयों के अध्ययन में प्रयोग आने वाली सम्भरण-सामग्री।

§3§ स्काउटिंग, पर्यटन, खेलकूद तथा अन्य सहपाठ्य क्रियाएँ।

§4§ फर्नीचर, उपकरण तथा भवनों की मरम्मत।

"इजूकेशन इन इण्डिया" में प्रत्यक्ष व्यय का स्पष्टीकरण अग्रांकित किया गया है -

"प्रत्यक्ष खर्च वह है जिसे शैक्षिक संस्थाओं के संचालन के लिये प्रत्यक्ष रूप में किया जाता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें उपस्कर, भवन, अनुरक्षण आदि का खर्च शामिल है।"

अप्रत्यक्ष व्यय -

कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनको ऐसी मदों या कार्यों में खर्च किया जाता है, जिसका विशिष्ट कार्यों से तादात्म्य ठीक-ठीक और सरलता से नहीं किया जा सकता है। इनका स्वरूप ही ऐसा होता है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं पर बाँटना संभव नहीं होता है। ऐसी मदें अग्रांकित हैं -

§1§ निरीक्षण तथा निर्देशन आदि पर किया जाने वाला आवर्ती व्यय।

§2§ भवनों, उपकरणों और फर्नीचर पर किया जाने वाला अनावर्ती व्यय।

§3§ छात्रवृत्तियाँ, छात्रावासों तथा अन्य विविध मदों पर होने वाला खर्च आदि।

"इजूकेशन इन इण्डिया" में अग्रांकित शब्दों में इस व्यय को स्पष्ट किया गया है -

"शैक्षिक खर्च का वह भाग जो प्रत्यक्ष खर्च के अलावा होता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इसमें निर्देशन, निरीक्षण, भवनों §अनुरक्षण के अलावा§, अनावर्ती उपस्करों, छात्रवृत्तियों, वजीफों तथा अन्य वित्तीय रियायतों, छात्रावासों §भोजन-खर्च के अलावा§ पर होने वाला खर्च आदि शामिल है।

जब कभी-कभी हम शिक्षा-संस्थाओं के व्यय की चर्चा करते हैं तो उनके प्रत्यक्ष व्यय के सन्दर्भ मे करते हैं, क्योंकि उनके अप्रत्यक्ष व्यय के प्रत्येक स्तर के शिक्षा व्यय का ज्ञान हमें स्पष्ट नहीं हो पाता है। शिक्षा व्यय की इन दो प्रमुख मदों के अतिरिक्त और कई प्रकार के व्यय इन्हीं के अन्तर्गत किये जाते हैं, जिनको विशिष्ट नाम दिये गये हैं। जिनका स्पष्टीकरण अग्रांकित है -

§क§ **फुटकर व्यय §मिस्लेनियस इक्सपेन्डीचर§** -

ऐसा व्यय, जो ऊपर के किसी मद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है; वह प्रकीर्ण, मुत्तफर्रिक, विविध या फुटकर व्यय कहलाता है। जैसे- स्काउटिंग, एन0सी0सी0, मध्याह्न-भोजन, वृक्षारोपण, आदि। फुटकर व्यय में पहले छात्रावास- अधिभार भी सम्मिलित था, जिससे उसका परिमाण बहुत बढ़ गया था। अब छात्रावास-अधिभार को एक अलग से मद बना दिया गया है।

§ख§ **नैमित्तिक व्यय या आकस्मिकी §कन्टिन्जेन्ट इक्सपेन्डीचर या कन्टेन्जेन्सीज§** -

छोटे-छोटे कार्यों को कराने या छोटी-छोटी वस्तुओं के क्रय पर किया जाने

वाला आवर्ती व्यय, जिसका पहले से अनुमान नहीं किया जा सकता और आपाती तौर पर अकस्मात् करना पड़ता है; आकस्मिक या नैमित्तिक व्यय कहलाता है जैसे- लेखन-सामग्री, तार, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि का खर्च, बाइसकिल या टाइपराइअर की मरम्मत, डाक-खर्च, कुछ अवधि के लिये रखे कर्मचारियों के वेतन आदि।

§ग§ **विकास-व्यय§डेवलपमेन्ट इक्सपेन्डीचर§ या योजना-व्यय§प्लान इक्सपेन्डीचर§** -

जो खर्च शिक्षा को वर्तमान से आगे बढ़ाने के लिये नये विद्यालय तथा कक्षायें खोलने, नये शिक्षक रखने, नये भवन बनाने या नये उपस्कर खरीदने में किया जाता है, वह विकास- व्यय कहलाता है। ऐसा व्यय प्रायः देश तथा प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में किया जाता है।

§घ§ **गैर-योजना या प्रतिबद्ध व्यय§नान प्लान कमिटेड इक्सफेन्डीचर§** -

शिक्षा का जो कार्यक्रम विकास योजना के पूर्व से चला आ रहा है, उस पर किया गया व्यय प्रतिबद्ध व्यय कहलाता है। एक पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर उसमें जो कुछ शिक्षा का विकास होता है, उस पर किया जाने वाला व्यय आगामी योजना के लिये प्रतिबद्ध व्यय हो जाता है। उसकी व्यवस्था राज्य के साधारण बजट में की जाती है। यह व्यय योजना-व्यय से बाहर या इतर होता है, अतएव इसे गैर- योजना व्यय या योजनेतर व्यय §नान-प्लान इक्सपेन्डीचर§ की संज्ञा दी जाती है। यह व्यय प्रत्येक योजना के बाद बढ़ता ही रहता है।

§ङ§ **भारित व्यय** -

"आय-व्ययक" शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। उसमें "वार्षिक-वित्त-विवरण" शब्द का प्रयोग किया गया है। "आय-व्ययक" §बजट§ शब्द का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है और वह आसानी से समझ में आ

जाता है । इसलिये पूरे आय-व्ययक साहित्य में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार यह अपेक्षित है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान मंडल के सदनों के समक्ष, राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिये, अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेंगे, जिसे "वार्षिक वित्त-वितरण" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है और जिसे आमतौर पर "आय-व्ययक" समझा जाता है। उस वित्त-वितरण में दिये हुए व्यय के अनुमानों में उन धनराशियों को पृथक्-पृथक् दिखाया जायेगा, जो राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय तथा उस निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्तावित पूर्ति के लिये अपेक्षित हों और उनमें राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया गया है।

भारित व्यय में, जिसे आय-व्ययक में सामान्यतया तिरछे अंक में दिखाया जाता है, निम्नलिखित प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं -

§1§ राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उनके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय।

§2§ विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।

§3§ ऐसे ऋण-भार, जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अन्तर्गत ब्याज, ऋण-शोधन, निधि-भार और मोचनभार, उधार लेने और ऋण-व्यवस्था तथा ऋण-मोचन सम्बन्धी अन्य व्यय सम्मिलित हैं।

§4§ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों, भत्तों तथा पेंशनों से सम्बद्ध व्यय और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों के समस्त वेतन, भत्ते और पेंशनें सम्मिलित हैं।

§5§ किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति या पंचाट के भुगतान के लिये अपेक्षित कोई धनराशियाँ।

(6) संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन न्यायालयों या आयोगों के व्यय तथा पेंशनों के व्यय के विषय में समायोजन।

(7) राज्य के लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनमें आयोग के सदस्यों तथा कर्मचारियों को अथवा उनके विषय में देय वेतनों, भत्तों तथा पेन्शनों के व्यय सम्मिलित हैं।

(8) संविधान या राज्य के विधान मंडल से विधि द्वारा संचित निधि पर भारित घोषित किया गया अन्य व्यय।[6]

शिक्षा के विभिन्न स्तरों यथा-माध्यमिक शिक्षा के बजट में भारित व्यय तिरछे शब्दों में दर्शाया जाता है। इसके अन्तर्गत कभी-कभी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन-भुगतान किया जाता है।

(च) <u>लागत (कास्ट)</u> -

किसी कार्य के करने या वस्तु के खरीदने में व्यय हुआ वास्तविक धन "लागत" कहलाता है। किसी संस्था के परिचालन और संरक्षण में जो धन लगता है, उसे पोषण-लागत (मेन्टेनेन्स-कास्ट) कहते हैं। उसके भवन, साज-सज्जा, उपकरण, आदि पर जो व्यय होता है, उसे पूंजीगत लागत (कैपिटल कास्ट) कहते हैं।

(छ) <u>इकाई लागत (यूनिट कास्ट)</u> -

किसी उत्पादन या सेवा की इकाई पर होने वाले व्यय को "इकाई या एकक लागत" कहते हैं। विद्यालय को चलाने में वार्षिक व्यय, जिसकी गणना छात्र को इकाई मानकर की जाती है, छात्र की इकाई लागत कहलाती है। इसे निकालने के लिये विद्यालय के वर्ष भर के प्रत्यक्ष व्यय को छात्रों की दर्ज-संख्या से भाग दिया जाता है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के एक भवन बनाने में जो वास्तविक व्यय होता है, उसे भवन की इकाई लागत कहते हैं। एक विद्यालय को वर्षभर चलाने में जो खर्च होता है,

उसे विद्यालय की इकाई लागत कहते हैं।

अब हम उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर स्वतंत्रता के पश्चात् होने वाले प्रत्यक्ष व्यय का विवेचन करेंगे। सारिणी क्रमांक 6·4 में 1947-48 से 1985-86 तक के बालकों तथा बालिकाओं पर अलग-अलग होने वाले प्रत्यक्ष व्यय को दर्शाया गया है -

सारिणी - 6·4

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय

(सन् 1947-48 से 1985-86 तक)

(रुपये-लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	कुलयोग	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1-	1947-48	187·00 (84·96)	33·11 (15·04)	220·11 (100)	1	
2-	1950-51	339·79 (84·89)	60·46 (15·11)	400·25 (100)	1·8	औसत
3-	1955-56	542·83 (83·76)	105·26 (16·24)	648·09 (100)	2·9	वार्षिक वृद्धिदर
4-	1960-61	792·85 (83·65)	154·99 (16·35)	947·84 (100)	4·3	
5-	1965-66	1357·31 (82·17)	294·46 (17·83)	1651·77 (100)	7·5	
6-	1970-71	2413·56 (82·71)	504·66 (17·29)	2918·22 (100)	13·3	
7-	1975-76	---	---	6308·05	28·7	

सारिणी - 6·4 क्रमशः --------

8-	1980-81	---	---	13055·69	59·3	
9-	1985-86	---	---	23270·60	105·7	13·05%

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत-1- एनुअल रिपोर्ट आन दी प्रोग्रेस आफ इजूकेशन, 1947 से 1960, इलाहाबाद अधीक्षक, गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी (यू0पी0) भारत।

2-"राज्यों में शिक्षा के आँकड़े;" (सम्बन्धित वर्षों के)

सारिणी क्रमांक 6·4 से स्पष्ट हो रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 1947-48 में कुल प्रत्यक्ष व्यय 220·11 लाख रूपये था, जो 1985-86 में बढ़कर 23270·60 लाख रूपये हो गया। प्रत्यक्ष व्यय में वृद्धि 105·7 गुना थी। 1947-48 में कुल प्रत्यक्ष व्यय का 84·96 प्रतिशत बालकों की शिक्षा में तथा 15·04 प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा में व्यय किया गया। 1950-51 से लेकर 1970-71 तक बालकों की शिक्षा में किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत सदैव 82·00 प्रतिशत से अधिक रहा है तथा बालिकाओं की शिक्षा में 15 और 18 प्रतिशत के मध्य था। बालिकाओं की शिक्षा में समुचित व्यय नहीं किया गया, जिससे बालिकाओं की शिक्षा आज भी पिछड़ी हुई है और महिलाओं में साक्षरता कम है। प्रत्यक्ष व्यय में औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·05 प्रतिशत थी। प्रत्यक्ष व्यय का विश्लेषण करने पर ज्ञात हो रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर यह स्पष्ट तेजी से बढ़ रहा है।

हमने सारिणी क्रमांक 6·4 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय का विवेचन किया है। प्रत्यक्ष व्यय किन-किन प्रमुख मदों पर किया गया? वह कहाँ तक उचित था? इसका विश्लेषण किया जायेगा। 1975-76 के पूर्व तक प्रत्यक्ष व्यय की मदों के सम्बन्ध में शैक्षिक रिपोर्टों में जो विवरण दिया जाता है, वे प्रमुखतः चार होती हैं -

(1) शिक्षकों का वेतन

§2§ अन्य कर्मचारियों का वेतन

§3§ उपकरण तथा अन्य सामग्री

§4§ अन्य मदें।

व्यय के विश्लेषण में इन्हीं मदों पर हुए खर्च का विवेचन किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में सांख्यिकी उपलब्ध है। शिक्षकों के वेतन को छोड़कर अन्य मदों की सांख्यिकी 1965-66 के पूर्व उपलब्ध नहीं है। अतएव अन्य मदों में 1965 के बाद का विश्लेषण करते हुए व्यय के विभिन्न मदों पर वितरण की विवेचना प्रस्तुत की जायेगी।

§1§ **शिक्षकों का वेतन** -

प्रत्यक्ष व्यय का सबसे बड़ा मद सामान्यतः वेतन या तनख्वाह है। शिक्षकों के वेतन में कितनी धनराशि व्यय की गयी, उसका कुल व्यय में कितने प्रतिशत भाग था और व्यय होने वाली धनराशि की क्या प्रवृत्ति रही? इस तथ्य का विवेचन सारिणी क्रमांक 6.5 में किया गया है -

सारिणी - 6.5

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के वेतन पर व्यय

§रुपये-लाखों में§

क्रमांक वर्ष	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय	अध्यापकों के वेतन पर व्यय			
		राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1- 1950-51	400.26	180.53	45.10	1	
2- 1955-56	648.09	421.51	65.04	2.33	
3- 1960-61	947.84	649.60	68.53	3.60	
4- 1965-66	1651.77	1165.69	70.57	6.48	

सारिणी - 6·5 क्रमशः

5-	1970-71	2918·22	2064·08	70·73	11·43	
6-	1975-76	6308·05	4520·51	71·66	25·04	
7-	1980-81	13055·69	9534·07	73·03	52·81	
8-	1985-86	23270·60	16712·99	71·82	92·58	13·81%

स्रोत - §1§ एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस आफ इजूकेशन §1950 से 1960 तक§

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े", §सम्बन्धित वर्षों के§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

सारिणी क्रमांक 6·5 को देखने पर यह ज्ञात होता है कि 1950-51 में शिक्षकों के वेतन में 180·53 लाख रुपये व्यय होते थे, जबकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का कुल व्यय 400·26 लाख रुपये था। इस प्रकार 1950-51 में शिक्षकों के वेतन में कुल व्यय का 45·10 प्रतिशत व्यय किया गया।

शिक्षकों के वेतन के मद में लगातार वृद्धि हुई है। 1950-51 की तुलना में 1985-86 में वेतन की धनराशि 92·58 गुना हो गयी। शिक्षकों के वेतन में 1947-48 से 1985-86 के मध्य लगभग चार दशक में सदैव कुल व्यय का 45·10 प्रतिशत से लेकर 73·03 प्रतिशत तक व्यय हुआ है तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·81 प्रतिशत रही है।

उपर्युक्त सभी तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि शिक्षकों के वेतन के मद में सर्वाधिक व्यय किया गया। शिक्षकों के वेतनमान पूर्व में बहुत कम थे, जिन्हें बढ़ाने के कारण इस मांग को और अधिक बल मिला, अतः वेतन की धनराशि बढ़ना स्वाभाविक था।

§2§ <u>अन्य कर्मचारियों का वेतन</u> -

सारिणी क्रमांक 6·6 में सन् 1965-66 से 1985-86 तक शिक्षकों

के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष व्यय में होने वाले इस मद के व्यय का विवरण दर्शाया गया है जिसके आधार पर दो दशक में होने वाले व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा यह देखा जायेगा कि कुल व्यय-वितरण में अन्य कर्मचारियों के वेतन को कौन सा स्थान मिला -

सारिणी - 6·6

प्रत्यक्ष व्यय में अन्य कर्मचारियों के वेतन पर व्यय

(रुपये-लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	कुल व्यय	अन्य कर्मचारियों के वेतन पर व्यय			
			राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1-	1965-66	1651·77	206·26	12·49	1	
2-	1970-71	2918·22	407·78	14·0	1·9	
3-	1971-72	3310·94	475·41	14·4	2·3	
4-	1972-73	4015·17	573·47	14·3	2·8	
5-	1973-74	4516·19	662·96	14·7	3·2	
6-	1974-75	5740·04	895·18	15·6	4·3	
7-	1975-76	6308·05	978·05	15·5	4·7	
8-	1976-77	8667·73	1259·72	14·5	6·1	
9-	1977-78	9133·65	1324·05	14·5	6·4	
10-	1978-79	10892·07	1658·11	15·2	8·0	
11-	1979-80	11365·33	1879·03	16·5	9·1	
12-	1980-81	13055·69	2110·19	16·2	10·2	
13-	1981-82	14395·20	2505·39	17·4	12·1	
14-	1982-83	16628·02	2869·70	17·3	13·9	

सारिणी - 6·6 क्रमशः --------

15-1983-84	19287·82	3160·67	16·4	15·3	
16-1984-85	21716·60	2678·32	12·3	13·0	
17-1985-86	23270·60	2762·23	11·9	13·4	13·85%

स्रोत- §1§ "इजूकेशन इन इण्डिया" §सम्बन्धित वर्षों की§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े," शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद,

सारिणी क्रमांक 6·6 द्वारा यह विदित हो रहा है कि 1965-66 से लेकर 1984-85 तक अन्य कर्मचारियों के वेतन में सदैव कुल व्यय का 12 प्रतिशत से लेकर लगभग 17·4 प्रतिशत तक व्यय किया गया। कर्मचारियों के इस वेतन-मद में सर्वाधिक 17·4 प्रतिशत धनराशि 1981-82 में व्यय की गयी, जबकि 1985-86 में यह मात्र 11·9 प्रतिशत ही रह गयी।

1965-66 में इस मद पर 206·26 लाख रुपये व्यय किये गये, जबकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यय की कुल धनराशि 1651·77 लाख रुपये थी। 1985-86 में इस मद का व्यय 2762·23 लाख रुपये पहुँच गया। 1965-66 की तुलना में यह धनराशि 13·4 गुना हो गयी, परन्तु समानुपातिक दृष्टि से कुल व्यय में इस मद का प्रतिशत घट गया। इस मद की औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·85 प्रतिशत थी।

सारिणी से यह निष्कर्ष निकलता है कि कर्मचारियों के वेतनमानों की वृद्धि के फलस्वरूप इस मद में धनराशि की वृद्धि भी आवश्यक थी। शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी होते हैं, जिनका प्रशासन के सहायोग में महत्वपूर्ण स्थान होता है। छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर कर्मचारी निश्चित कर दिये गये हैं। पहले कर्मचारी न होने पर भी किसी तरह काम चला लिया जाता था, परन्तु नये अनुदान नियम लागू होने के कारण निर्धारित

संख्या के कर्मचारी रखना अनिवार्य हो गया।

§3§ उपकरण तथा अन्य सामग्री -

उपकरणों के प्रयोग से अध्यापन-क्रिया की गुणवत्ता बढ़ती है। विज्ञान का कोई भी ज्ञान तब-तक अधूरा है, जब-तक उसकी संपुष्टि प्रयोग द्वारा नहीं हो जाती है। अतएव उपकरणों की महत्ता निर्विवाद है। सारिणी क्रमांक 6·7 में 1965-66 से 1975-76 अर्थात् एक दशक तक उपकरणों में होने वाले व्यय को दर्शाया गया है तथा कुल व्यय के वितरण में उसे कितना तथा कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसे प्रतिशत के रूप में दर्शा कर विवेचित किया गया है -

सारिणी - 6·7

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय में उपकरण तथा अन्य सामग्री का व्यय

§सन् 1965-66 से 1975-76 तक§

§रुपये-लाखों में§

			उपकरण तथा अन्य सामग्री पर व्यय			
क्रमांक	वर्ष	कुल व्यय	राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1-	1965-66	1651·77	98·48	5·9	1	
2-	1970-71	2918·22	174·03	5·9	1·8	
3-	1971-72	3310·94	171·30	5·2	1·7	
4-	1972-73	4015·17	188·74	4·7	1·9	
5-	1973-74	4516·19	194·73	4·3	2·0	
6-	1974-75	5740·04	251·14	4·4	2·5	
7-	1975-76	6308·05	333·71	5·3	3·4	12·98%

स्रोत-"राज्यों में शिक्षा के आँकड़े," §सम्बन्धित वर्षों के§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

सारिणी क्रमांक 6·7 से स्पष्ट है कि एक दशक में 4 प्रतिशत से लेकर लगभग 6 प्रतिशत तक कुल व्यय की धनराशि इस मद में व्यय की गयी। 1965-66 में इस मद में कुल धनराशि का 5·9 प्रतिशत भाग व्यय किया तथा 1974-75 तक इस मद के प्रतिशत भाग में निरन्तर कमी होती गयी और 1975-76 में पुनः इस मद पर कुल व्यय की 5·3 प्रतिशत धनराशि खर्च की गयी। यद्यपि एक दशक में 1965-66 में व्यय की जाने वाली धनराशि का 3·4 गुना व्यय 1975-76 में किया गया तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 12·98 प्रतिशत थी, तथापि समानुपातिक दृष्टि से कुल व्यय में इस मद में कमी आती गयी है।

1976-77 से शैक्षिक सांख्यिकी की रिपोर्टों में व्यय की मदों में परिवर्तन हो गया है, अतएव 1976-77 से इस मद में व्यय की जाने वाली धनराशि का विवेचन सारिणी क्रमांक 6·8 में प्रस्तुत किया जा रहा है -

सारिणी - 6·8

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में उपस्करणों तथा फर्नीचर के अनुरक्षण पर व्यय

(रूपये लाखों में)

			उपस्करण तथा फर्नीचर के अनुरक्षण पर व्यय			
क्रमांक	वर्ष	कुल व्यय	राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1-	1976-77	8667·73	101·10	1·17	1·0	
2-	1977-78	9133·65	100·41	1·10	0·99	
3-	1978-79	10892·07	63·48	0·58	0·63	
4-	1979-80	11365·33	68·00	0·60	0·67	
5-	1980-81	13055·69	77·55	0·59	0·77	
6-	1981-82	14395·26	84·35	0·58	0·83	

सारिणी - 6·8 क्रमशः ----------

7-	1982-83	16628·02	111·24	0·67	1·10	
8-	1983-84	19287·82	122·36	0·63	1·21	2·76%
9-	1984-85	21716·60	---	---	---	§1976-77से 1983-84के
10-	1985-86	23270·60	---	---	---	मध्य§

स्रोत - §1§ "इजुकेशन इन इण्डिया" §सम्बन्धित वर्षों की§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े", इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय§सम्बन्धित वर्षों की§

सारिणी क्रमांक 6·8 को देखने पर यह विदित होता है कि 1976-77 में इस मद पर कुल धनराशि का 1·17 प्रतिशत भाग ही व्यय किया गया, तत्पश्चात् 8 वर्षों में इस मद में व्यय की जाने वाली धनराशि 1 प्रतिशत भी नहीं थी। 1983-84 में इस मद पर केवल 0·63 प्रतिशत धनराशि ही व्यय की गयी। यद्यपि एक दशक में इसकी धनराशि में वृद्धि हुई है, क्योंकि 1975-76 में 101·10 लाख रूपये व्यय किये गये तथा 1983-84 में 122·36 लाख रूपये; जिससे यह धनराशि 1·21 गुनी हो गयी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 2·76 प्रतिशत हो गयी, परन्तु समानुपातिक दृष्टि से इस मद का स्थान नगण्य ही कहा जा सकता है। उपस्करणों के व्यय में किसी भी प्रकार की कटौती करना श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता है।

§4§ <u>अन्य मद</u> -

अन्य मदों में अनेक विकीर्ण या फुटकर व्यय आते हैं, जिनके कम होने से शैक्षणिक प्रक्रिया में कोई विशेष अन्तर नहीं आता है। फुटकर व्यय जो नितांत आवश्यक हों और जिनके बिना कोई शैक्षणिक क्रिया प्रभावित होती हो, उन्हीं को मान्य करना चाहिए।

अन्य मदों पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय में कितना खर्च

किया गया तथा व्यय के वितरण में उसका क्या स्थान रहा? इस पर सारिणी क्रमांक 6·9 में प्रकाश डाला गया है -

सारिणी - 6·9

प्रत्यक्ष व्यय में अन्य मदों पर व्यय-विवरण

§रुपये-लाखों में§

			अन्य मदों पर व्यय			
क्रमांक वर्ष	कुल व्यय	राशि	कुल व्यय में प्रतिशत	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1- 1965-66	1651·77	181·34	10·9	1	
2- 1970-71	2918·22	272·33	9·3	1·5	
3- 1971-72	3310·94	308·17	9·3	1·7	
4- 1972-73	4015·17	364·63	9·1	2·0	
5- 1973-74	4516·19	332·70	7·4	1·8	
6- 1974-75	5740·04	352·30	6·1	1·9	
7- 1975-76	6308·05	475·78	7·5	2·6	
8- 1976-77	8667·73	280·01	3·2	1·5	
9- 1977-78	9133·65	266·63	2·9	1·5	
10-1978-79	10892·07	356·55	3·3	1·9	
11-1979-80	11365·33	415·19	3·7	2·3	
12-1980-81	13055·69	354·42	2·7	1·9	
13-1981-82	14395·20	385·80	2·7	2·1	
14-1982-83	16628·02	510·76	3·1	2·8	
15-1983-84	19287·82	561·84	2·9	3·1	
16-1984-85	21716·60	2321·40	10·7	12·8	

सारिणी - 6·9 क्रमशः -------

17-1985-86	23270·60	2409·97	10·4	13·3	13·8%

स्रोत - §1§ "इजूकेशन इन इण्डिया" §सम्बन्धित वर्षो की§ नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली

§2§ "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े" §सम्बन्धित वर्षो के§ इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

सारिणी क्रमांक 6·9 को देखने पर यह प्रगट होता है कि प्रत्यक्ष व्यय के इस मद के भाग पर 1965-66 में 181·34 लाख रुपये व्यय किये गये, जबकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यय की कुल धनराशि 1651·77 लाख रूपये थी। इस मद को 10·9 प्रतिशत धनराशि प्रदान की गयी। 1965-66 के बाद से इस मद में व्यय की जाने वाली राशि का प्रतिशत लगातार घटता चला गया और घटकर 1977-78 में 2·9 प्रतिशत हो गया। तत्पश्चात् प्रति वर्ष इसका भाग घटता-बढ़ता रहा और अन्त में 1985-86 में पुनः बढ़कर 10·4 प्रतिशत हो गया। यद्यपि 1965-66 में इस मद में व्यय की जाने वाली धनराशि 1985-86 में बढ़कर 13·3 गुना हो गयी तथा इसकी औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·8 प्रतिशत रही है, फिर भी किसी-किसी वर्ष में इस मद की धनराशि में होने वाला व्यय बहुत ही कम था। इसका कारण अन्य मदों के व्यय में बढ़ोत्तरी होना है।

अभी तक हमने प्रत्यक्ष व्यय की प्रमुख मदों पर विस्तार पूर्वक विचार किया है, उनका विश्लेषण तथा व्याख्या की है। अब हम प्रत्यक्ष व्यय में विभिन्न मदों के वितरण का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तथा प्रत्येक मद के प्रतिशत का विवेचन करते हुए उसकी समीक्षा प्रस्तुत करेंगे।

प्रत्यक्ष व्यय का मदवार विवरण तथा उनके वितरण का तुलनात्मक अध्ययन -

"शैक्षिक रिपोर्टों" तथा "इजूकेशन इन इण्डिया" में 1965-66 से 1975-

76 तक प्रत्यक्ष व्यय के प्रमुख 4 मद दशाये गये हैं, परन्तु 1976-77 से "इजूकेशन इन इण्डिया" में 10 मद दर्शाये गये हैं। इस तथ्य के स्पष्टीकरण हेतु इसमें निम्न टिप्पणी दी हुई है -

"वर्ष 1976-77 से पहले खर्च को आवर्ती तथा अनावर्ती के स्थान पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाता था। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष खर्च में आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों किस्म की मदों का खर्च शामिल होता था।"[7]

अतः विभिन्न मदों के वितरण का तुलनात्मक अध्ययन करने तथा व्यय की प्रवृत्तियाँ जानने हेतु 10 मदों को प्रमुख 6 मदों में सारिणी क्रमांक 6-10 में दर्शाया जा रहा है -

सारिणी क्रमांक 6·10 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि सन् 1965-66 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय में कुल 1651·77 लाख रूपये व्यय हुए, जिसका 70·57 प्रतिशत अध्यापकों के वेतन पर, 12·49 प्रतिशत अन्य कर्मचारियों के वेतन पर, 5·96 प्रतिशत उपकरण तथा अन्य उपस्करण पर 10·98 प्रतिशत अन्य मदों पर व्यय किया गया। सन् 1965-66 से लेकर 1985-86 तक 7/10 भाग सदैव अध्यापकों के वेतन पर खर्च किया जाता रहा तथा 3/10 भाग में अन्य मद समाहित थे।

सर्वाधिक व्यय अध्यापकों के वेतन पर हुआ, जिसका कारण समय-समय पर शिक्षकों के वेतनमानों में पुनरीक्षण तथा वेतन में वृद्धियाँ किया जाना है। 1965-66 में इस मद में 1165·69 लाख रूपये व्यय किये गये तथा 1985-86 में इसी मद पर 16712·98 लाख रूपये व्यय हुए। अध्यापकों के वेतन के मद में यह धनराशि 14·3 गुना थी। यद्यपि सभी विभिन्न मदों पर धनराशियाँ दो दशक में बढ़ गयी हैं, लेकिन अन्य मदों की तुलना में इस मद की वृद्धि सर्वाधिक है, जो सर्वथा उचित प्रतीत

सारिणी - 6·10

प्रत्यक्ष व्यय का मदवार विवरण

(रूपये-लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	अध्यापकों का वेतन	अन्य कर्मचारियों का वेतन	उपकरण तथा अन्य उपस्करण	भवनों के अनुसरण, उपकरण, रासायनिक उपभोग भंडार तथा पुस्तकालय	वजीफे, छात्रवृत्तियाँ, खेल-कूद तथा छात्रावास	अन्य मदें	कुल योग	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1965-66	1165·69 (70·57)	209·26 (12·49)	98·48 (5·96)	---	---	181·34 (10·98)	1651·77 (100)	1		100
2-	1970-71	2064·08 (70·73)	407·78 (13·97)	174·03 (5·96)	---	---	272·33 (9·34)	2918·22 (100)	1·7		177
3-	1975-76	4520·51 (71·66)	978·05 (15·51)	333·70 (5·29)	---	---	475·78 (7·54)	6308·04 (100)	3·8		382
4-	1980-81	9534·07 (73·03)	2110·29 (16·16)	---	358·45 (2·75)	698·46 (5·35)	354·42 (2·71)	13055·69 (100)	7·9		790
5-	1985-86	16712·98 (71·82)	2762·23 (11·87)	---	188·38 (0·81)	1197·05 (5·14)	2409·96 (10·36)	23270·60 (100)	14·0	14·14%	1409
	गुणावृद्धि	14·3	13·4	3·4	0·5	1·7	13·3				

नोट - कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- (1) "इजूकेशन इन इण्डिया" (सम्बन्धित वर्षों की) नयी दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ इजूकेशन एन्ड कल्चर।
(2) "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े" (सम्बन्धित वर्षों के) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

होती है, क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भाग लेने वाले शिक्षक ही होते हैं।

अन्य कर्मचारियों के वेतन में भी व्यय की जाने वाली धनराशि 13·4 गुना बढ़ी है, जो उचित प्रतीत होती है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं में अन्य कर्मचारी भी आवश्यक होते हैं। इनकी वृद्धि का भाग शिक्षकों के वेतन में वृद्धि के भाग से लगभग एक 1(0·9) गुना कम है, अतः इस मद का द्वितीय स्थान है।

उपकरण तथा अन्य उपस्करण व्यय शैक्षिक रिपोर्टों में केवल 1975-76 तक दर्शाया गया है। तत्पश्चात् ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मद में व्यय की जाने वाली धनराशि को अन्य मदों के साथ सम्मिलित कर दिया गया। एक दशक के अंतराल में यह केवल लगभग 6 प्रतिशत ही कुल व्यय में स्थान पास का। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये इस मद पर व्यय अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य है। इस व्यय के मद में जैसा कि 1965-66 में 5·96 प्रतिशत, धनराशि व्यय की गयी, परन्तु 1975-76 में यह प्रतिशत घटकर 5·29 प्रतिशत रह गया। कटौती करना शिक्षा के हित में नहीं होगा। अन्य मदों में कटौती कर इस मद को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

भवनों के अनुरक्षण तथा पुस्तकालय पर 1980-81 में 2·75 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी, लेकिन 1985-86 में इस मद में केवल 0·81 प्रतिशत ही धनराशि व्यय की जा सकी। पुस्तकालय संस्थाओं का जीवन होता है। यदि किसी विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय नहीं है, तो छात्रों को ज्ञानार्जन का लाभ नहीं मिल सकेगा। अतएव इस मद पर भी अधिक धनराशि व्यय करना अपेक्षित है।

वजीफे, छात्र-वृत्तियों तथा खेलकूद एवं छात्रावास पर 1980-81 में कुल व्यय का 5·35 प्रतिशत भाग इस मद पर व्यय किया गया। इस मद पर 1980-81 में 698·46 लाख रूपये तथा 1985-86 में 1197·05 लाख रूपये व्यय हुए, जो कुल व्यय का 5·14 प्रतिशत भाग था। यह धनराशि यद्यपि 1·7 गुनी हो गयी, तथापि समानुपातिक अनुपात घट गया। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करने तथा शिक्षा में

सभी को समान अवसर दिये जाने के लिये यह आवश्यक है कि इस मद का अनुपात अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्य मदों में 1965-66 में कुल व्यय का 10·98 प्रतिशत व्यय किया जाता था। इसके बाद इसका प्रतिशत व्यय कम होता गया, परन्तु 1985-86 में यह पुनः कुल व्यय में 10·36 प्रतिशत स्थान पा गया। इसके कम होने से शैक्षणिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, अतएव इस मद के व्यय को कम करके अन्य आवश्यक मदों जैसे- उपकरण तथा पुस्तकालय आदि पर अवश्य व्यय किया जाना चाहिए।

इस प्रकार उपर्युक्त सारिणी के आधार पर प्रत्यक्ष व्यय के विभिन्न मदों को एक साथ अध्ययन करने पर ऐसा ज्ञात होता है कि वेतन पर व्यय बढ़ने की प्रवृत्ति है तथा अन्य मदों पर व्यय का अनुपात घट रहा है। कीमतों के बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण महंगाई-भत्ते तथा वेतन आदि में वृद्धि की मांग प्रायः बढ़तीरहेगी किन्तु शासन को यह देखना आवश्यक तथा अपेक्षित है कि इस मांग की पूर्ति करने में अध्यापन की गुणात्मकता को आघात न पहुँचे। उपकरण तथा अन्य प्रयोज्य सामग्री एवं पुस्तकालय आदि जो नितांत आवश्यक हैं, उनकी व्यवस्था तथा प्रबन्ध सदैव होते रहना चाहिए, तभी इस स्तर की शिक्षा में गुणात्मकता लायी जा सकती है।

भारत में माध्यमिक शिक्षा में प्रत्यक्ष व्यय -

अब हम स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय के रूप में कितना व्यय किया गया? बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में व्यय का क्या वितरण रहा? व्यय की क्या प्रवृत्ति रही तथा उत्तर प्रदेश एवं भारत में औसत वार्षिक वृद्धिदर कितनी रही? इस पर विचार करेंगे। सारिणी क्रमांक 6·11 में भारत में बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा पर होने वाले प्रत्यक्ष व्यय को दर्शाया गया है -

सारिणी - 6·11

भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय

(रूपये- लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	बालक	बालिका	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1950-51	1948·82 (84·57)	355·68 (15·43)	2304·50 (100)	·1	--	100
2-	1955-56	3132·53 (83·28)	628·91 (16·72)	3761·44 (100)	1·6	--	163
3-	1960-61	5732·09 (83·18)	1159·09 (16·82)	6891·18 (100)	2·9	--	299
4-	1965-66	11444·76 (83·12)	2324·49 (16·88)	13769·25 (100)	5·9	--	597
5-	1970-71	22401·83 (82·97)	4598·18 (17·03)	27000·01 (100)	11·7	--	1172
6-	1976-77	--	--	64375·76	27·9	--	2793
7-	1979-80	--	--	68502·16	29·7	12·41%	2973
	गुणावृद्धि	11·5	12·9				

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित वर्षो का कुल योग में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- मृदुला, "इजूकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स", नयी दिल्ली, एसोसियेशन आफ इण्डियन यूनीवर्सिटीज 1987, पृष्ठ-148, टेबुल नं0-133

सारिणी क्रमांक 6·11 को देखने पर यह विदित हो रहा है कि भारत में 1950-51 में माध्यमिक शिक्षा में प्रत्यक्ष व्यय 2304·50 लाख रूपये था, जिसमें 84·57 प्रतिशत बालकों की शिक्षा पर तथा 15·43 प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा पर

व्यय हुआ। इस प्रकार बालक और बालिकाओं की शिक्षा में व्यय का अनुपात 5:1 था। 1970-71 तक यह व्यय बढ़कर 27000·01 लाख रुपये हो गया। व्यय में यह वृद्धि 11·7 गुनी थी। 1970-71 में बालकों की शिक्षा में 82·97 प्रतिशत तथा बालिकाओं की शिक्षा में 17·03 प्रतिशत व्यय किया गया, जिससे स्पष्ट है कि बालिकाओं की शिक्षा में बालकों की तुलना में अधिक व्यय किया गया। इस प्रकार बालक-बालिकाओं के व्यय में अनुपात 4:1 हो गया।

1979-80 में भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय 68502·16 लाख रुपये हो गया, जो 1950-51 की तुलना में 29·7 गुना था, जबकि उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय में धनराशि की वृद्धि 1980-81 में 32·62 गुना थी। इस प्रकार अखिल भारतीय मानक स्तर पर उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष व्यय में गुना-वृद्धि अधिक थी। भारत में प्रत्यक्ष व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 12·41 प्रतिशत थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 1950-51 से 1980-81 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 12·32 प्रतिशत थी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की औसत प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर अखिल भारतीय मानक स्तर पर कम थी।

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में इकाई व्यय -

अब हम प्रति-छात्र, प्रति-शिक्षक तथा प्रति-विद्यालय पर होने वाले व्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यक्ष व्यय में एक छात्र को शिक्षा देने पर जो औसत वार्षिक व्यय होता है, वह प्रति-छात्र व्यय कहलाता है और जो औसत वार्षिक वेतन किसी संस्था में एक शिक्षक को दिया जाता है, वह प्रति-शिक्षक व्यय कहलाता है तथा इसी प्रकार एक संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिये जो औसत वार्षिक व्यय होता है, वह प्रति-विद्यालय इकाई व्यय कहलाता है।

सारिणी क्रमांक 6·12 के आधार पर हम प्रति-छात्र, प्रति-शिक्षक तथा प्रति-विद्यालय इकाई व्यय का विवेचन करेंगे -

सारिणी - 6·12

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में प्रति-विद्यालय, प्रति-शिक्षक तथा प्रति-छात्र व्यय

क्रमांक	व्यय की मदें	1946-47	1955-56	1965-66	1975-76	1985-86
1-	माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय §रू0 हजारों में§	22011	64809	165177	630804	2441169
2-	गुणावृद्धि	1·00	2·94	7·50	28·66	110·91
3-	कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	506	1474	2501	4201	5667
4-	प्रति-विद्यालय औसत व्यय §रू0 में§	43500	43968	66044	150155	430769
5-	गुणावृद्धि	1·00	1·01	1·52	3·45	9·90
6-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक	9187	28671	56414	102349	124707
7-	प्रति-अध्यापक औसत व्यय §रू0 में§	2396	2260	2928	6163	19575
8-	गुणावृद्धि	1·00	0·94	1·10	2·57	8·17
9-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन	203225	644129	1558900	2793389	4278818
10-	प्रति-छात्र औसत व्यय §रू0 में§	108	101	106	226	571
11-	गुणावृद्धि	1·00	0·94	0·98	2·09	5·29

स्रोत - §1§ सारिणी क्रमांक 6·4, 6·5 के आधार पर निर्मित।

§2§ "शिक्षा की प्रगति", इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय।

सारिणी क्रमांक 6·12 को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि 1946-47 में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय 22011 हजार रूपये था तथा प्रति-विद्यालय (जिसमें मिडिल स्कूल + हाई स्कूल + इंटरमीडिएट कालेज सम्मिलित थे) औसत व्यय 43500 रू0, प्रति-शिक्षक 2396 रू0 तथा प्रति-छात्र 108 रू0 था। जुलाई 1948 में पुनर्संगठन योजना के लागू हो जाने से उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 की कक्षाओं को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का नाम दिया गया तथा मिड़िल स्कूलों को जूनियर हाई स्कूल का नाम देकर पूर्व माध्यमिक शिक्षा के नाम से अलग कर दिया गया। फलस्वरूप 1955-56 में प्रति-विद्यालय औसत व्यय 43968 रू0, प्रति-शिक्षक औसत व्यय 2260रू तथा प्रति-छात्र औसत व्यय 101 रू0 हो गया।

1965-66 में पुनः प्रति-विद्यालय औसत व्यय 66044 रू0, प्रति -शिक्षक औसत व्यय 2928 रू0 तथा प्रति-छात्र औसत व्यय 106 रू0 था।

1975-76 में प्रति-विद्यालय औसत व्यय, प्रति-शिक्षक व्यय तथा प्रति-छात्र औसत व्यय दो गुने से भी अधिक हो गया।

1985-86 में प्रति-विद्यालय व्यय बढ़कर 430769 रू0 हो गया, जो कि 1946-47 के व्यय का 9·90 गुना है। प्रति-शिक्षक व्यय 19575 रू0 हो गया, जो 1946-47 की तुलना में 8·17 गुना है। इसी प्रकार प्रति-छात्र व्यय 571 रू0 हो गया, जो 1946-47 की तुलना में 5·29 गुना हो गया। चार दशक में सबसे अधिक औसत इकाई व्यय में वृद्धि प्रति-विद्यालय हुई है, उसके बाद प्रति-शिक्षक तथा तीसरा स्थान प्रति-छात्र का रहा है। प्रति-विद्यालय व्यय बढ़ने का कारण; भवन, उपकरण, फर्नीचर, उपस्कर तथा पुस्तकों की कीमत में वृद्धि हो जाना रहा है। कीमतों की वृद्धि का विद्यालयों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक ऐसे विद्यालय का व्यय 1970-71 में 73463 रू0 था। इस मानक के आधार पर

उत्तर प्रदेश में प्रति-विद्यालय व्यय लगभग 12 हजार रुपये अधिक था, क्योंकि 1970-71 में उत्तर प्रदेश में प्रति-विद्यालय व्यय 85453 रु0 था।

प्रति-शिक्षक औसत वेतन बढ़ने का कारण समय-समय पर अनेकों बार उनके वेतनमानों में पुनरीक्षण, वृद्धि तथा सुधार रहा है। सन् 1947-48 में शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धियाँ की गयीं।

जुलाई 1969 में वेतनमानों में पुनरीक्षण किया गया, किन्तु शिक्षक उससे संतुष्ट नहीं हुए। राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में अन्तर था, अतएव समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग का जोर पकड़ना स्वाभाविक था। सन् 1971 में वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया गया। मूल्यों के बढ़ जाने के कारण एक नवम्बर 1973 से पुनः पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये गये तथा शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान समान कर दिये गये।[8] 1-8-79 से पुनः नवीन वेतनमान लागू किये गये।[9] सितम्बर 1989 में वेतनमानों में पुनः सुधार की घोषणा की गयी। वेतन-वृद्धि के फलस्वरूप प्रति-शिक्षक औसत व्यय बढ़ गया।

प्रति-छात्र औसत वार्षिक व्यय 1965-66 और 1975-76 के बीच दो गुने से भी अधिक हो गया तथा पुनः एक दशक बाद अर्थात् 1975 और 1985- के बीच दो गुने से अधिक रहा। 1965-66 में जहाँ प्रति-विद्यार्थी व्यय 106 रु0 था, वहीं 1975-76 में 226 रु0 हो गया तथा 1985-86 में 571 रु0 हो गया।

यदि हम चार दशक में प्रति-विद्यालय, प्रति-शिक्षक तथा प्रति-छात्र के औसत वार्षिक वृद्धिदर की आपस में तुलना करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

8- राजाज्ञा संख्या- 345/15-8-3039/1973 नवम्बर 1,1973, लखनऊ (उत्तर प्रदेश शासन)

9- माध्यम, अंक-4, उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, पृष्ठ- 49

सबसे कम वार्षिक औसत वृद्धि प्रति-छात्र व्यय में हुई है। उसका एक मात्र कारण यह समझ में आ रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण-शुल्कदर लगभग आज भी वही है, जो 1947 में थी। हाई स्कूल कक्षाओं का वार्षिक शिक्षण शुल्क 54 रुपया है तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं का वार्षिक शुल्क 108 रु0 है। इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में औसत वार्षिक शिक्षण-शुल्क 81 रु0 समझी जा सकती है। 1979-80 में अखिल भारतीय स्तर पर 309·2 रुपये प्रति-छात्र औसत व्यय है। उत्तर प्रदेश में 1979-80 में 342·60 रुपये प्रति-छात्र औसत व्यय है, इस प्रकार 241·60 रुपये प्रति-छात्र की शिक्षा में सार्वजनिक कोष से व्यय किया जाता है, जब कि कीमतें बढ़ने तथा शिक्षकों के वेतन बढ़ने के कारण शिक्षण-शुल्क बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। परन्तु जब 1947-48 में शिक्षण-शुल्क बढ़ाया गया तो छात्रों तथा अभिभावकों द्वारा आन्दोलनात्मक रुख अपनाया गया और शासन को अपना निर्णय बदलना पड़ा। आज भी शिक्षण-शुल्क बढ़ाने पर ऐसी परिस्थिति पुनः उत्पन्न हो सकती है, अतः सोच-समझ कर शासन द्वारा यह कदम उठाया जाना चाहिए। यदि शिक्षण-शुल्क नहीं बढ़ाया जायेगा तो आय के साधन नहीं बढ़ सकेंगे और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में व्यय-वृद्धि का भार राज्य-निधि पर बढ़ता ही जायेगा।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्धानुसार विद्यालयों में व्यय तथा प्रति-विद्यालय, प्रति-छात्र व्यय -

हमने अभी तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सामान्य प्रत्यक्ष व्यय का अध्ययन उत्तर प्रदेश की संस्थाओं पर किया है। अब उपलब्ध सांख्यिकी के आधार पर प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल व्यय तथा कुल व्यय में उनका प्रतिशत व्यय, प्रति-छात्र औसत व्यय एवं प्रति-विद्यालय औसत व्यय का अध्ययन करेंगे। सारिणी क्रमांक 6·13 के आधार पर इन विद्यालयों का विवेचन तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है -

सारिणी - 6·13

प्रबन्धानुसार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यय तथा प्रति-विद्यालय व प्रति-छात्र व्यय

वर्ष	प्रबन्ध-तन्त्र	शासकीय	स्थानीय निकाय	निजी	कुलयोग
1950-51	व्यय (रू0 हजारों में)	7862	810	31354	.40026
	कुल व्यय में प्रतिशत	19·7	2·0	78·3	100
	विद्यालय-संख्या	118	23	848	987
	कुल विद्यालय में प्रतिशत	12·0	2·3	85·7	100
	प्रति-विद्यालय औसत व्यय (रू0 हजारों में)	66·63	35·20	37·06	40·55
	नामांकन-संख्या	42065	8904	366435	417404
	कुल नामांकन में प्रतिशत	10·1	2·1	87·8	100
	प्रति-छात्र औसत व्यय (रू0 में)	187	91	86	96
1960-61	व्यय (रू0 हजारों में)	14798	2752	77235	94785
	कुल व्यय में प्रतिशत	15·6	2·9	81·5	100
	विद्यालय-संख्या	147	50	1574	1771
	कुल विद्यालय में प्रतिशत	8·3	2·8	88·47	100
	प्रति-विद्यालय औसत व्यय (रू0 हजारों में)	100·66	55·04	49·07	53·52
	नामांकन-संख्या	68593	26855	816629	912077
	कुल नामांकन में प्रतिशत	7·5	3·0	89·5	100
	प्रति-छात्र औसत व्यय (रू0 में)	216	102	95	104

सारिणी - 6·13 क्रमशः--------

1970-71	व्यय §हजारों में§	38864	8318	244600	291822
	कुल व्यय में प्रतिशत	13·3	2·9	83·8	100
	विद्यालय-संख्या	254	113	3048	3415
	कुल विद्यालय में प्रतिशत	7·4	3·3	89·3	100
	प्रति-विद्यालय औसत व्यय §रू० हजारों में§	153·01	73·61	80·47	85·45
	नामांकन संख्या	151649	66399	2097388	2315736
	कुल नामांकन में प्रतिशत	6·5	2·9	90·6	100
	प्रति-छात्र औसत व्यय §रू० में§	256	125	117	126

स्रोत - एनुअल रिपोर्ट आन दि प्राग्रेस आफ इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश§सम्बद्ध वर्षो की§ इलाहाबाद, गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी

सारिणी क्रमांक 6·13 से स्पष्ट हो रहा है कि निजी संस्थाओं द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें नामांकन का प्रतिशत प्रदेश के कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सर्वाधिक रहा है, लेकिन प्रति-विद्यालय तथा प्रति-छात्र औसत व्यय राजकीय विद्यालयों का सर्वाधिक रहा है।

सन् 1950-51 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर कुल 40026 हजार रूपये व्यय हुए, जिनमें सर्वाधिक 31354 हजार रूपये निजी संस्थाओं द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर, 7862 हजार रूपये राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर तथा 810 हजार रूपये स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर व्यय किये गये, जिनका कुल व्यय में प्रतिशत क्रमशः 78·3 प्रतिशत, 19·7 प्रतिशत तथा 2·0 प्रतिशत रहा। इस वर्ष कुल विद्यालयों की संख्या 987 थी, जिनमें 848

निजी संस्थाओं द्वारा संचालित, 118 शासकीय तथा 23 स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, जिनका कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिशत क्रमशः 85·7 प्रतिशत, 12·0 प्रतिशत तथा 2·3 प्रतिशत रहा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष कुल नामांकन संख्या 417404 थी, जिसमें 366435 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित, 42065 राजकीय तथा 8904 स्थानीय निकायों द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में थी। इनका कुल नामांकन में प्रतिशत क्रमशः 87·8 प्रतिशत, 10·1 प्रतिशत तथा 2·1 प्रतिशत रहा। 1950-51 में प्रति-विद्यालय औसत व्यय निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में 37·06 हजार रुपये, शासकीय विद्यालयों में 66·63 हजार रुपये तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में 35·20 हजार रुपये रहा। प्रति-छात्र औसत व्यय, निजी, शासन, तथा निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में क्रमशः 86 रुपये, 187 रुपये तथा 91 रुपये रहा।

1960-61 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों पर कुल व्यय 94785 हजार रुपये था, जिसमें सर्वाधिक 77235 हजार रुपये निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालयों पर, 14798 रुपये शासकीय विद्यालयों पर तथा 2752 हजार रुपये स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों पर व्यय किये गये। इनका कुल व्यय में प्रतिशत क्रमशः 81·5 प्रतिशत, 15·6 प्रतिशत तथा 2·9 प्रतिशत रहा। 1960-61 में कुल विद्यालय-संख्या 1771 थी, जिसमें 1574 निजी संस्थाओं द्वारा संचालित, 147 शासकीय तथा 50 स्थानीय निकायों द्वारा संचालित थे। इनका कुल विद्यालयों में प्रतिशत क्रमशः 88·47 प्रतिशत, 8·3 प्रतिशत तथा 2·8 प्रतिशत था। प्रति-विद्यालय औसत व्यय सर्वाधिक 100·66 हजार रुपये शासकीय विद्यालयों का रहा। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों का प्रति-विद्यालय औसत व्यय 49·05 हजार रुपये तथा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति-विद्यालय औसत व्यय 55·04 हजार रुपये रहा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1960-61 में 912077 था, जिसमें 816629 विद्यार्थी निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालयों में, 68593 विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों में तथा

26855 विद्यार्थी स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकित थे, जिनका कुल नामांकन में प्रतिशत क्रमशः 89·5, 7·5 तथा 3·0 प्रतिशत था। 1960-61 में प्रति-छात्र औसत व्यय सर्वाधिक 216 रुपये राजकीय विद्यालयों में, फिर दूसरे स्थान पर 102 रुपये स्थानीय निकाय के विद्यालयों में तथा सबसे कम 95 रुपये निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों में रहा है।

1970-71 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल 291822 हजार रुपये व्यय हुए, जिसमें सर्वाधिक व्यय 244600 हजार रुपये निजी प्रबन्धतंत्र के विद्यालयों में, 38864 हजार रुपये शासकीय विद्यालयों में तथा 8318 हजार रुपये स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में व्यय हुए, जिनका कुल व्यय में प्रतिशत क्रमशः 83·8 प्रतिशत, 13·3 प्रतिशत तथा 2·9 प्रतिशत रहा। 1970-71 में कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3415 थी, जिसमें सर्वाधिक 3048 विद्यालय निजी संस्थाओं द्वारा, 254 शासन द्वारा तथा 113 स्थानीय निकायों द्वारा संचालित थे। इनका कुल विद्यालयों में प्रतिशत क्रमशः 89·3, 7·4 तथा 3·3 था। 1970-71 में प्रति-विद्यालय औसत व्यय सर्वाधिक 153·01 हजार रुपये शासकीय विद्यालयों का ही रहा, दूसरा स्थान निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालयों का रहा। इसमें प्रति-विद्यालय औसत व्यय 80·47 हजार रुपये तथा स्थानीय निकाय के विद्यालयों में प्रति-विद्यालय औसत व्यय 73·61 हजार रुपये रहा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस वर्ष कुल नामांकन 2315736 था, जिसमें निजी प्रबन्धकों के विद्यालयों में 2097388, राजकीय विद्यालयों में 151649 तथा स्थानीय निकाय के विद्यालयों में 66399 था। इनका कुल नामांकन में प्रतिशत क्रमशः 90·6 प्रतिशत, 6·5 प्रतिशत तथा 2·9 प्रतिशत था। 1970-71 में प्रति-छात्र औसत व्यय 256 रु0 सर्वाधिक राजकीय विद्यालयों में, 125 रुपये स्थानीय निकाय के विद्यालयों में तथा सबसे कम 117 रुपये निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालयों में रहा है।

सारिणी को समग्र रूप से देखने पर स्पष्ट होता है कि शासकीय विद्यालयों का प्रति-विद्यालय औसत व्यय अन्य प्रबन्धानुसार विद्यालयों की तुलना में सर्वाधिक रहा है तथा 1950-51 की तुलना में 1970-71 में यह 2·3 गुना हो गया। प्रति-छात्र औसत व्यय 1·37 गुना रहा। निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति-विद्यालय औसत व्यय 1950-51 की तुलना में 1970-71 में 2·2 गुना हो गया तथा प्रति-छात्र औसत व्यय 1·36 गुना रहा। इसी प्रकार स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति-विद्यालय औसत व्यय सन् 1950-51 की तुलना में 1970-71 में 2·1 गुना तथा प्रति-छात्र औसत व्यय 1·37 गुना हो गया।

इस प्रकार राजकीय विद्यालयों का प्रति-छात्र औसत वार्षिक व्यय भी सर्वाधिक रहा। निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति-विद्यालय औसत व्यय तथा प्रति-छात्र औसत व्यय राजकीय विद्यालयों की तुलना में कम रहा है। प्रति-छात्र औसत वार्षिक व्यय में वृद्धि 1950-51, 1960-61 तथा 1970-71 में लगभग 1·4 गुना समान थी।

<u>भारत के विभिन्न राज्यों में मदों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा-आवर्ती व्यय तथा उ0प्र0 से तुलना</u> -

राज्यों द्वारा विभिन्न मदों पर खर्च करने में बड़ा अन्तर रहता है, कोई किसी मद पर अधिक खर्च करता है, तो कोई किसी और पर। "इजूकेशन इन इण्डिया" में आवर्ती व्यय के 10 मद दर्शाये गये हैं। अतः उनके व्यय के प्रतिशत वितरण की विवेचना करते हुए उत्तर प्रदेश से उसकी तुलना की गयी है। भारत तथा उसके विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा पर 1979-80 में आवर्ती व्यय किन-किन मदों पर किया गया, वितरण का क्या अनुपात रहा तथा उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये आवर्ती व्यय का अखिल भारतीय मानकों के साथ कैसा सम्बन्ध रहा? इन सभी प्रश्नों के समाधान का तथ्यात्मक विवरण सारिणी क्रमांक 6·14 द्वारा प्रस्तुत किया गया है -

सारिणी - 6·14

भारत के विभिन्न राज्यों में मदों के अनुसार आवर्ती व्यय (1979-80)

(रुपये-लाखों में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	अध्यापन और शैक्षिक वर्ग के वेतन तथा भत्ते	गैर-अध्यापन वर्ग के वेतन एवं भत्ते	भवनों का अनुरक्षण	उपस्कर तथा फर्नीचर का अनुरक्षण	उपकरण, रासायनिक एवं उपभोग भंडार	पुस्तकालय	वजीफे, छात्रवृत्तियाँ और अन्य वित्तीय रियायतें	खेल-कूद	छात्रावास	अन्य मदें	जोड़-आवर्ती
1-	उत्तर प्रदेश	6415·66 (74·1)	1294·57 (15·0)	71·39 (0·8)	44·39 (0·5)	54·39 (0·6)	18·06 (0·2)	397·35 (4·6)	40·80 (0·5)	19·18 (0·2)	299·10 (3·5)	8654·89 (100)
2-	मध्य प्रदेश	2626·73 (76·9)	386·65 (11·3)	14·00 (0·4)	7·99 (0·2)	25·84 (0·8)	10·88 (0·3)	119·09 (3·6)	33·23 (0·9)	23·26 (0·7)	166·56 (4·9)	3414·23 (100)
3-	केरल	39·49 (51·3)	10·71 (13·9)	1·57 (2·0)	0·68 (0·9)	1·02 (1·3)	0·37 (0·5)	3·13 (4·1)	0·61 (0·8)	11·85 (15·4)	7·52 (9·8)	76·95 (100)
4-	चंडीगढ़	35·20 (86·6) (प्रथम)	4·41 (10·8)	0·17 (0·4)	---	0·39 (1·0)	---	0·09 (0·2)	0·03 (0·1)	0·22 (0·5)	0·18 (0·4)	40·69 (100)
5-	अडंमान निकोबार द्वीप समूह	54·60 (65·7)	9·86 (11·8)	1·22 (1·5)	0·31 (0·4)	4·61 (5·5)	0·35 (0·4)	3·15 (3·8)	0·73 (0·9)	0·15 (0·2)	8·15 (9·8)	83·13 (100)
6-	अरूणाचल प्रदेश	22·51 (51·6)	2·12 (4·8)	---	0·21 (0·5)	0·69 (1·6)	0·82 (1·9)	13·87 (31·8)	0·71 (1·6)	0·79 (1·8)	1·92 (4·4)	43·64 (100)

सारिणी - 6·14 क्रमश: ----------

7- दादर व नगर हवेली	2·88 (56·9)	0·14 (2·8)	0·07 (1·4)	0·12 (2·4)	0·13 (2·5)	0·04 (0·8)	1·27 (25·1)	0·11 (2·2)	0·30 (5·9)	---	5·06 (100)
8- दिल्ली	2712·87 (77·4)	323·20 (9·2)	27·54 (0·8)	9·93 (0·3)	25·90 (0·7)	75·09 (2·2)	39·12 (1·1)	33·40 (0·9)	26·23 (0·8)	230·26 (6·6)	3503·54 (100)
9- गोवा, दमन व दीव	27·85 (77·0)	4·04 (11·2)	0·81 (2·3)	0·10 (0·3)	0·80 (2·2)	0·30 (0·8)	0·30 (0·8)	0·19 (0·5)	---	1·77 (4·9)	36·16 (100)
10-पांडिचेरी	6·82 (62·7)	1·19 (11·0)	0·69 (6·3)	0·48 (4·4)	---	0·75 (6·9)	0·16 (1·5)	0·62 (5·7)	---	0·16 (1·5)	10·87 (100)
11-आंध्र प्रदेश	159·20 (62·6)	20·93 (8·2)	13·40 (5·3)	2·67 (1·0)	2·86 (1·1)	1·60 (0·6)	1·40 (0·6)	3·04 (1·2)	24·04 (9·5)	25·22 (9·9)	254·36 (100)
12-बिहार	73·61 (63·5)	10·95 (9·5)	2·06 (1·8)	1·52 (1·3)	1·71 (1·5)	0·33 (0·3)	5·49 (4·7)	0·93 (0·8)	9·94 (8·6)	9·33 (8·0)	115·87 (100)
13-गुजरात	2055·59 (72·8)	296·58 (10·5)	88·85 (3·2)	18·14 (0·7)	49·16 (1·7)	13·24 (0·5)	97·35 (3·4)	11·45 (0·4)	10·02 (0·4)	181·81 (6·4)	2822·19
14-जम्मू और काश्मीर	161·14 (74·0)	18·72 (8·6)	19·02 (8·7)	2·79 (1·3)	4·92 (2·3)	1·83 (0·8)	3·54 (1·6)	1·03 (0·5)	0·37 (0·2)	4·45 (2·0)	217·81
15-कर्नाटक	854·05 (56·4)	214·20 (14·2)	0·48 (0·03)	11·50 (0·8)	3·21 (0·2)	---	128·72 (8·5)	1·677 (0·1)	2·04 (0·1)	297·62 (19·7)	1513·49 (100)

सारिणी - 6·14 क्रमशः -----

16-महाराष्ट्र	2357·96 (70·8)	396·69 (11·9)	172·39 (5·2)	61·09 (1·8)	60·45 (1·8)	18·92 (0·6)	14·32 (0·4)	21·29 (0·6)	24·55 (0·7)	204·32 (6·2)	3331·98 (100)
17-मणिपुर	42·53 (73·6)	8·82 (15·3)	2·00 (3·5)	0·20 (0·4)	1·85 (3·2)	0·11 (0·2)	0·51 (0·9)	0·13 (0·2)	0·24 (0·4)	1·40 (2·3)	57·79 (100)
18-उड़ीसा	21·07 (69·7)	5·73 (19·0)	0·55 (1·8)	1·12 (3·7)	0·23 (0·8)	0·07 (0·2)	0·55 (1·8)	0·11 (0·4)	0·06 (0·2)	0·74 (2·4)	30·23 (100)
19-सिक्किम	69·59 (64·5)	---	5·46 (5·0)	---	---	---	7·84 (7·3)	3·78 (3·5)	---	21·24 (19·7)	107·91 (100)
20-तमिलनाडू	2868·94 (82·5) (द्वितीय)	308·64 (8·9)	33·21 (0·9)	15·24 (0·5)	15·20 (0·4)	6·52 (0·2)	66·22 (1·9)	11·06 (0·3)	12·85 (0·4)	140·35 (4·0)	3478·23 (100)
21-त्रिपुरा	174·29 (72·6)	28·76 (12·0)	1·88 (0·8)	1·11 (0·5)	0·82 (0·3)	0·43 (0·2)	15·76 (6·6)	1·68 (0·7)	1·71 (0·7)	13·50 (5·6)	239·94 (100)
22-पश्चिम बंगाल	943·82 (76·8)	146·23 (11·9)	14·53 (1·2)	17·43 (1·4)	6·00 (0·5)	7·36 (0·6)	31·53 (2·6)	6·10 (0·5)	23·64 (1·9)	32·21 (2·6)	1228·85 (100)
23-असम	352·33 (81·1) (तृतीय)	37·58 (8·6)	8·97 (2·1)	2·43 (0·6)	2·11 (0·5)	1·36 (0·3)	6·34 (1·5)	2·48 (0·6)	0·34 (0·08)	20·64 (4·7)	434·58 (100)
24-हरियाणा	332·56 (78·3)	37·63 (8·9)	11·98 (2·8)	3·02 (0·7)	3·01 (0·7)	2·31 (0·6)	4·26 (1·0)	4·18 (1·0)	6·94 (1·6)	18·57 (4·4)	424·46 (100)

सारिणी - 6·14 क्रमशः -------

25-हिमाचल प्रदेश	260·83 (78·7)	40·77 (12·3)	1·80 (0·6)	2·48 (0·7)	0·61 (0·2)	1·26 (0·4)	2·36 (0·7)	0·45 (0·1)	4·70 (1·4)	16·35 (4·9)	331·61 (100)
26-पंजाब	760·31 (71·9)	107·12 (10·1)	13·64 (1·3)	4·78 (0·5)	6·76 (0·6)	6·66 (0·6)	93·30 (8·8)	8·14 (0·8)	16·06 (1·5)	41·41 (3·9)	1058·18 (100)
27-राजस्थान	1214·59 (74·8)	221·94 (13·7)	12·50 (0·8)	17·92 (1·1)	19·84 (1·2)	7·36 (0·5)	25·51 (1·6)	11·05 (0·7)	14·86 (0·9)	76·99 (4·7)	1622·56 (100)
28-भारत	24647·02 (74·4)	3938·18 (11·9)	520·18 (1·6)	227·65 (0·7)	292·51 (0·9)	176·02 (0·5)	1082·53 (3·2)	199·00 (0·6)	234·34 (0·7)	1821·77 (5·5)	33139·20 (100)

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय में प्रतिशत आकलन कर दर्शाया गया है।

स्रोत- "इजूकेशन इन इण्डिया" 1979-80, नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

सारिणी क्रमांक 6·14 के अनुसार अध्यापन और शैक्षिक वर्ग के वेतन-भत्तों के मद में कुल व्यय का 70 प्रतिशत से अधिक भाग अधिकांशतः अनेक राज्यों में व्यय किया जा रहा है जैसे- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, असम तथा राजस्थान आदि। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, जो इस मद में अपने कुल व्यय का 50 और 60 प्रतिशत के बीच व्यय करते हैं जैसे- केरल, अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, दादर व् नगर हवेली आदि। शेष राज्य 60 और 70 प्रतिशत के मध्य इस मद में व्यय करते हैं। इस मद में सर्वाधिक व्यय चंडीगढ़ (86·6%), तमिलनाडू (82·5%) तथा असम राज्य (81·1%) द्वारा किया गया है तथा सबसे कम अरूणाचल प्रदेश (51·6%) द्वारा किया गया है।

दूसरा महत्वपूर्ण मद है - "अध्यापन वर्ग के वेतन एवं भत्ते"। इस मद में सर्वाधिक व्यय 19 प्रतिशत उड़ीसा द्वारा तथा सबसे कम व्यय 2·8 प्रतिशत दादर व नगर हवेली द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश द्वारा इस मद पर 15·00 प्रतिशत व्यय किया गया है।

"भवनों के अनुरक्षण" में सर्वाधिक व्यय दिल्ली (10·6%) तथा जम्मू-काश्मीर (8·7%) द्वारा किया गया है। इस मद को सबसे कम स्थान चंडीगढ़ व मध्य प्रदेश (0·4%) द्वारा दिया गया। उत्तर प्रदेश ने इस मद पर 0·8 प्रतिशत व्यय किया। "उपस्कर तथा फर्नीचर का अनुरक्षण" मद में सर्वाधिक व्यय पांडिचेरी (4·4%) तथा उड़ीसा (3·7%) द्वारा किया गया तथा सबसे कम व्यय मध्य प्रदेश (0·2%), अंडमान-नीकोबार(0·4%) तथा दिल्ली (0·3%) राज्यों ने किया। उत्तर प्रदेश ने इस मद पर 0·5 प्रतिशत व्यय किये।

"उपकरण, रासायनिक और उपभोग भंडार" मद में सर्वाधिक व्यय अंडमान निकोबार द्वीप (5·5%), उड़ीसा (3·7%) तथा मणिपुर ने (3·2%) किया। सबसे

कम हिमाचल प्रदेश §0·2%§ तथा कर्नाटक §0·2%§ ने व्यय किया। उत्तर प्रदेश ने इस मद पर 0·6 प्रतिशत व्यय किया।

"पुस्तकालय" मद पर सर्वाधिक व्यय 6·9 प्रतिशत पॉंडिचेरी, 2·2 प्रतिशत दिल्ली तथा 1·9 प्रतिशत अरूणाचल प्रदेश ने किया। सबसे कम धनराशि 0·2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा त्रिपुरा राज्यों ने व्यय किया।

"वजीफे, छात्रवृत्तियाँ और अन्य वित्तीय रियायतें" के मद में सर्वाधिक धनराशि पंजाब तथा कर्नाटक §8·5%§ राज्यों द्वारा व्यय की गयी। तत्पश्चात् त्रिपुरा §6·6%§ ने व्यय की। सबसे कम चंडीगढ़ ने §0·2%§ व्यय की। उत्तर प्रदेश द्वारा मात्र 4·6 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी।

"खेल-कूद" पर सर्वाधिक व्यय सिक्किम §3·5%§ ने तथा सबसे कम उत्तर प्रदेश §0·5%§ एवं चंडीगढ़, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश §0·1%§ ने व्यय किया।

"छात्रावास" पर सर्वाधिक व्यय केरल §15·4%§ तथा पॉंडिचेरी §9·5%§ राज्यों ने किया। सबसे कम व्यय कर्नाटक §0·1%§, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उड़ीसा §0·2%§ राज्यों द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा भी 0·2 प्रतिशत व्यय किया गया।

"अन्य मद" में सर्वाधिक व्यय कर्नाटक तथा सिक्किम §19·7%§ द्वारा एवं सबसे कम चंडीगढ़ §0·4%§ द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश ने 3·5 प्रतिशत धनराशि व्यय की।

उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 6·14 का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रायः अनेक राज्यों ने 1979-80 में आवर्ती व्यय की मदों में

सर्वाधिक धनराशि अध्यापन तथा शैक्षिक वर्ग के वेतन पर व्यय किया है, तत्पश्चात् गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतन पर व्यय की गयी है।

अनेक राज्यों ने उपकरणों, वजीफों, तथा अन्य वित्तीय रियायतों के मद पर कोई विशेष धनराशि नहीं व्यय की है, जबकि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उपकरणों आदि पर व्यय करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य कहा जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा में समानता के अवसर दिलाने हेतु वजीफों तथा अन्य वित्तीय रियायतों पर व्यय करना समीचीन तथा आवश्यक है। पुस्तकालय मद पर भी संतोष -जनक व्यय नहीं किया गया, जिससे माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों की दशा अच्छी नहीं है।

यदि हम उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के आवर्ती व्यय की अखिल भारतीय मानक से तुलना करते हैं तो अग्रांकित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं- भारत ने अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों पर 74·4 प्रतिशत व्यय किया, जबकि उत्तर प्रदेश ने भी 74·1% इसी मद पर खर्च किया है। यद्यपि भारत द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतिशत व्यय भाग की तुलना में थोड़ा अधिक व्यय किया गया है, तथापि दोनों द्वारा इस मद को समान वरीयता दी गयी है।

गैर अध्यापन वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर भारत का मानक व्यय 11·9 प्रतिशत रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 15·0 प्रतिशत इस मद पर व्यय किये हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगभग 3 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया है, जिसका कारण कर्मचारियों के वेतनमानों में अप्रत्याशित वृद्धि का होना है।

भवनों के अनुरक्षण पर भारत द्वारा 1·6 प्रतिशत व्यय किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश ने इस मद पर मात्र 0·8 प्रतिशत ही व्यय किया। उत्तर प्रदेश

शासन को इस मद पर अधिक व्यय करना चाहिए।

उपस्कर तथा फर्नीचर के अनुरक्षण मद पर भारत द्वारा 0·7 प्रतिशत व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश ने भी इस मद पर मात्र 0·5 प्रतिशत व्यय किया है। यद्यपि उत्तर प्रदेश का प्रतिशत व्यय भारत के प्रतिशत व्यय से थोड़ा कम है, फिर भी दोनों को व्यय-वितरण में समानता प्राप्त है।

उपकरण, रासायनिक उपभोग भंडार मद में भारत का मानक व्यय 0·9 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश का मात्र 0·6 प्रतिशत है, जो भारत के मानक व्यय से 0·3 प्रतिशत कम है।

पुस्तकालय मद पर भारत द्वारा 0·5 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है, जबकि उत्तर प्रदेश ने मात्र 0·2 प्रतिशत ही व्यय किया है। भारत के मानक स्तर से उत्तर प्रदेश ने 0·3 प्रतिशत कम व्यय किया है। उत्तर प्रदेश को पुस्तकालय मद पर और अधिक व्यय करना चाहिए तथा कम से कम अखिल भारतीय मानक स्तर पर अवश्य ही इस मद के व्यय को पहुँचाने का प्रयास करना चाहिए।

वजीफे, रियायतें तथा छात्रवृत्तियों के मद पर भारत ने 3·2 प्रतिशत व्यय किया है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा 4·8 व्यय किया गया है। उत्तर प्रदेश का इस मद पर व्यय 1·6 प्रतिशत अधिक है, जो यह सिद्ध कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्रीकरण के महत्व को मान्यता मिली है।

खेलकूद मद में भारत का मानक व्यय 0·6 प्रतिशत रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 0·5 प्रतिशत ही व्यय किया है, जो अखिल भारतीय मानक से कम है। छात्रावास मद में भारत द्वारा 0·7 प्रतिशत व्यय किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 0·2 प्रतिशत ही व्यय किया है। अखिल भारतीय मानक स्तर पर उत्तर प्रदेश का व्यय 0·5 प्रतिशत कम है।

"अन्य मद" के व्यय में भारत द्वारा 5·5 प्रतिशत व्यय किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा मात्र 3·5 प्रतिशत व्यय किया गया है, जो अखिल भारतीय मानक स्तर से 2 प्रतिशत कम है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय मानक स्तर व्यय में उत्तर प्रदेश के व्यय से तुलना करने पर कुछ विभिन्नताएँ तथा कहीं-कहीं पर समानताएँ दृष्टिगोचर होती हैं, अतएव इन विभिन्नताओं की गहराई से जाँचकर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक आवश्यक मद पर एक निश्चित मानक निर्धारित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस व्यय की कमी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित न करें।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर राजस्व व्यय -

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर राजस्व का कितना अंश शासन द्वारा वहन किया जाता है? इसका विवरण अग्रांकित सारिणी क्रमांक 6·15 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर राजस्व व्यय के अन्तर्गत दर्शाया गया है, इसमें कृषि, उद्योग, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत शिक्षा- कार्यक्रमों पर व्यय की गयी धनराशियाँ सम्मिलित नहीं हैं।

इस सारिणी द्वारा शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर 35 वर्षों में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कितना राजस्व किस स्तर की शिक्षा पर व्यय किया गया है? इस तथ्य का विश्लेषण किया जायेगा, जिससे व्यय के तुलनात्मक अनुपात की जानकारी हो जायेगी और उस पर धनराशि के वितरण की वरीयता स्पष्ट हो जायेगी -

सारिणी - 6·15

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर राजस्व व्यय

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	व्यय की मदें	1951-52	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71	1975-76	1980-81	1985-86	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1-	प्राथमिक शिक्षा	350	422	602	2002	3643	11466	17145	38002	108·6	14·78%
		(47·1)	(41·3)	(33·9)	(44·8)	(48·5)	(56·8)	(51·1)	(49·2)		
2-	माध्यमिक शिक्षा	168	241	356	1058	1792	6106	10972	27596	164·3	16·19%
		(22·6)	(23·6)	(20·0)	(23·7)	(23·8)	(30·3)	(32·8)	(35·7)		
3-	उच्च शिक्षा	66	99	122	435	581	1641	3434	7453	112·9	14·91%
		(8·9)	(9·6)	(6·9)	(9·7)	(7·7)	(8·1)	(10·3)	(9·6)		
4-	अन्य मदें	159	260	696	973	1500	975	1950	4269	26·8	10·16%
		(21·4)	(25·5)	(39·2)	(21·8)	(20·0)	(4·8)	(5·8)	(5·5)		
	कुल योग	743 (100)	1022 (100)	1776 (100)	4468 (100)	7516 (100)	20188 (100)	33501 (100)	77320 (100)	104·06	14·64%

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- उत्तर प्रदेश, आय-व्ययक की रूप-रेखा (सम्बन्धित वर्षों की) वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा एवं सम्पूर्ण शिक्षा पर राजस्व व्यय(वास्तविक)
माध्यमिक शिक्षा पर व्यय
सम्पूर्ण शिक्षा पर व्यय
व्यय (करोड़ रुपये में)
80
72
64
56
48
40
32
24
16
8
0
1951-52
1955-56
1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
वर्ष

चित्र-6.1

सारिणी क्रमांक 6·15 से स्पष्ट हो रहा है कि शासन द्वारा शिक्षा राजस्व का अधिकांश भाग प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया।

प्राथमिक शिक्षा सन् 1951-52 में 350 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 47·1 प्रतिशत था। इसके पश्चात् सन् 1985-86 तक इस व्यय में लगातार वृद्धि होती रही और 1985-86 में यह 38002 लाख रूपये हो गया तथा इसका कुल व्यय में प्रतिशत 49·2 प्रतिशत रहा। प्राथमिक शिक्षा पर व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक प्रतिशत 56·8 सन् 1975-76 में रहा तथा सबसे कम प्रतिशत 33·9 सन् 1960-61 में रहा। 1985-86 में 1951-52 की तुलना में इस स्तर की शिक्षा का व्यय 108·6 गुना हो गया तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 14·78 प्रतिशत रही।

माध्यमिक शिक्षा पर सन् 1951-52 में 168 लाख रूपये व्यय किये गये, जिसका कुल व्यय में प्रतिशत 22·6 रहा। इसके बाद इस धनराशि में लगातार वृद्धि हुई और सन् 1985-86 में यह बढ़कर 27596 लाख रूपये हो गयी, जो कुल व्यय का 35·7 प्रतिशत थी। माध्यमिक शिक्षा पर व्यय सन् 1951-52 की तुलना में 1985-86 में बढ़कर 164·3 गुना हो गया तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 16·19 प्रतिशत रही।

उच्च शिक्षा पर सन् 1951-52 में 66 लाख रूपये व्यय किये गये, जिसका कुल व्यय में प्रतिशत 8·9 रहा। इसके बाद इस धनराशि में लगातार वृद्धि हुई। 1985-86 में 7453 लाख रूपये हो गयी तथा कुल व्यय में इसका प्रतिशत 9·6 हो गया। 1951-52 की तुलना में 1985-86 में इस स्तर की शिक्षा में व्यय 112·9 गुना हो गया तथा इसकी वार्षिक औसत वृद्धिदर 14·9 प्रतिशत रही।

सन् 1951-52 में शिक्षा पर कुल राजस्व व्यय 743 लाख रूपये

था, जो 1985-86 में 77320 लाख रुपये हो गया। यह 1951-52 की तुलना में 104·06 गुना था। समयान्तराल में कुल व्यय की औसत वार्षिक वृद्धिदर 14·64 प्रतिशत रही।

संवैधानिक निर्देश की पूर्ति हेतु सर्वाधिक धनराशि प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की गयी, जिसे उचित ही कहा जा सकता है, क्योंकि इस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य एवं सार्वभौमिक बनाना था। अतएव प्रथम वरीयता प्राथमिक शिक्षा को मिली।

प्राथमिक शिक्षा के बाद द्वितीय वरीयता माध्यमिक शिक्षा को मिली तथा अंतिम वरीयता उच्च शिक्षा को प्रदान की गयी।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यय, जनसंख्या और राज्य बजट से सम्बन्ध -

सारिणी क्रमांक 6·16 में 1947 से 1985 तक प्रायः प्रत्येक पाँच वर्ष में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर होने वाला व्यय प्रदर्शित किया गया है तथा राज्य की जनसंख्या एवं राज्य बजट से उसका सम्बन्ध दर्शाया गया है। इस प्रदेश की शैक्षिक सांख्यिकी में यह बहुत बड़ी कठिनाई है कि जिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मिडिल की कक्षाएँ चल रही हैं, उनका अलग से व्यय नहीं दर्शाया जाता है। इनका व्यय इन्हीं संस्थाओं के व्यय के साथ जुड़ा रहता है।

सारिणी क्रमांक 6·16 से स्पष्ट हो रहा है कि 1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय 220·11 लाख रुपये था, जो 1985-86 में 23270·60 लाख रुपया हो गया। इस प्रकार 1946-47 की तुलना में 1985-86 में यह लगभग 105·72 गुना हो गया। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।

उत्तर प्रदेश में कुल शिक्षा पर जो व्यय होता था, उसका उच्चतर माध्यमिक

सारिणी - 6·16

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यय तथा उसका जनसंख्या और राज्य बजट से सम्बन्ध

(सन् 1947-48 से 1985-86 तक)

क्रमांक	व्यय की मदें	1947-48	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1970-71	1975-76	1980-81	1985-86
1-	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय (रु0 लाखों में)	220·11	400·26	648·09	947·84	1651·77	2918·22	6308·05	13055·69	23270·60
2-	वृद्धि-सूचकांक	100	182	294	431	750	1326	2866	5931	10572
3-	शिक्षा पर कुल व्यय(रु0लाखों में)	905·39	1633·24	2555·85	3989·24	7216·10	11533·21	25486·2	44338·79	80998·44
4-	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यय का कुल शिक्षा व्यय में प्रतिशत	24·31	24·51	25·36	23·76	22·89	25·30	24·75	29·45	28·73
5-	वृद्धि-सूचकांक	100	101	104	98	94	104	102	121	118
6-	राज्य की जनसंख्या (लाखों में)	550·21	632·16	670·80	737·46	829·95	883·41	954·08	1108·90	1249·33
7-	प्रति व्यक्ति उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय (रुपयों में)	0·40	0·63	0·97	1·29	1·99	3·30	6·61	11·77	18·63
8-	वृद्धि-सूचकांक	100	157	242	322	497	825	1652	2942	4657

सारिणी - 6·16 क्रमशः ------

9- राज्य का कुल बजट (रु0 लाखों में)	---	5550	8583	14835	26400	49405	94022	---	352054
10-कुल बजट में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत	---	7·21	7·55	6·39	6·26	5·91	6·71	---	6·61
वृद्धि-सूचकांक	---	100	105	89	87	82	93	---	92

स्रोत - (1) एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस आफ इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस।

(2) आय-व्ययक, उत्तर प्रदेश शासन।

शिक्षा पर 1947-48 में 24·3 प्रतिशत तथा 1950-51 में 24·51 प्रतिशत अर्थात् लगभग एक चौथाई व्यय किया गया। यह प्रतिशत 10 वर्ष बाद घटकर 23·76 प्रतिशत हो गया। तदन्न्तर यह फिर बढ़ा और 1980-81 में 29·45 प्रतिशत हो गया तथा 1985-86 में यह 28·73 प्रतिशत था। कुल व्यय का यह प्रतिशत पहले दशक में बढ़ता रहा, दूसरे दशक में घट गया और तीसरे तथा चौथे दशक में यह पुनः बढ़ा।

व्यय की यह धनराशियाँ वर्तमान ॥करेन्ट॥ मूल्यों पर दी गयी हैं, यदि इन्हें किसी एक वर्ष को लेकर स्थिर मूल्यों में परिवर्तित किया जा सकता, तो शायद व्यय में वृद्धि ठीक ज्ञात हो सकती, किन्तु स्थिर मूल्यों में परिवर्तित करने के लिये उचित सूचकांक ॥डिफ्लेटर्स॥ प्राप्य नहीं है, इसलिए स्थिर मूल्यों में परिवर्तन करना सुलभ नहीं है। तब हम इस व्यय को जनसंख्या और प्रदेश के बजट से सम्बन्धित करके देखेंगे, जोकि अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है, इससे वृद्धि का कुछ सही अनुमान लग सकेगा।

सारिणी में राज्य में प्रति व्यक्ति उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय भी दर्शाया गया है, जो 1947-48 से 1985-86 तक लगातार बढ़ता रहा है। सन् 1947-48 में प्रति व्यक्ति उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 0·40 रू0 खर्च किया जाता है, जो 1985-86 में बढ़कर 18·63 रुपये हो गया। यह 1947-48 की तुलना में 46·57 गुना था।

राज्य के कुल वजट में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर हुए व्यय का प्रतिशत 1950-51 से 1985-86 के मध्य घटता-बढ़ता रहा है सन् 1950-51 में यह प्रतिशत 7·21 था, जो 1985-86 में घटकर 6·61 प्रतिशत रह गया। कुल राज्य वजट में माध्यमिक शिक्षा पर हुए व्यय के प्रतिशत का सूचकांक 1950-51 की तुलना में 1985-86 में 8 कम हो गया।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बजट -

प्रति वर्ष विधायिका द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय हेतु फन्ड्स का प्राविधान बजट में किया जाता है। शिक्षा विभाग के अधिकारी सचिव तथा सहायक सचिव एवं निदेशक बजट तैयार करते हैं, जिसे शिक्षा मंत्री जी द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है और विधन सभा/राज्य सभा उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करती है।

बजट में शिक्षा के विभिन्न स्तरों हेतु वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार मदवार बजट शीर्षक के अन्तर्गत धनराशि प्राविधानित रहती है। स्वतंत्रता के पश्चात् लगभग चार दशक में शिक्षा का कुल बजट क्या रहा? उसमें माध्यमिक शिक्षा के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गयी? कुल शिक्षा बजट में माध्यमिक शिक्षा को क्या स्थान मिला? आदि का विवेचन अग्रांकित सारिणी क्रमांक 6·17 में किया गया है -

सारिणी - 6·17

माध्यमिक शिक्षा बजट

(रूपयों में)

क्रमांक वर्ष	शिक्षा का सम्पूर्ण बजट	माध्यमिक शिक्षा बजट	शिक्षा व्यय में माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत
1- 1947-48	41636700	11986800	28·79%
2- 1950-51	73744200	16595000	22·50%
3- 1955-56	102016500	23546400	23·08%
4- 1960-61	133556200	33610200	25·17%
5- 1965-66	269036700	65367800	25·01%
6- 1970-71	678861000	182437500	26·87%

सारिणी - 6·17 क्रमशः --------

7- 1975-76	1958508100	481329500	24·58%
8- 1980-81	3213005000	944430000	29·40%
9- 1985-86	6326485000	2371014000	37·48%
गुणावृद्धि	151·9	197·8	
औसत वार्षिक वृद्धिदर	14·13	14·93	

स्रोत - शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय।

सारिणी 6·17 से यह विदित हो रहा है कि 1947-48 में शिक्षा का सम्पूर्ण बजट 41636700 रूपये था, जिसमें माध्यमिक शिक्षा का बजट 11986800 रू0 था, जो कुल शिक्षा बजट का 28·79 प्रतिशत था। लगभग चार दशक पश्चात् 1985-86 में कुल शिक्षा का बजट 6326485000 रूपये हो गया और माध्यमिक शिक्षा का बजट 2371014000 रूपये था, जो कुल शिक्षा बजट का 37·48 प्रतिशत था। कुल शिक्षा बजट में लगातार वृद्धि होती रही। 1985-86 में 1947-48 की तुलना में कुल शिक्षा बजट 151·9 गुना था तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 14·13% थी।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बजट में भी लगातार वृद्धि होती रही है। 1985-86 में माध्यमिक शिक्षा के बजट में वृद्धि 197·8 गुना थी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 14·93 प्रतिशत थी। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा बजट की वृद्धिदर तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर सम्पूर्ण शिक्षा बजट की तुलना में अधिक थी।

माध्यमिक शिक्षा नियोजन के लिये बजट -

शिक्षा के बजट में नियोजन का बजट भी दर्शाया जाता है। शिक्षा के

शिक्षा का बजट
(1950-51से1985-86)
640
560
480
400
320
240
160
80
0
शिक्षा का बजट(करोड़ रुपये में)
शिक्षा का सम्पूर्ण बजट
माध्यमिक शिक्षा का बजट
1950-51
1955-56
1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
वर्ष

चित्र- 6.2

विभिन्न स्तरों हेतु नियोजन का बजट भी स्तरानुसार अलग-अलग प्रदर्शित किया जाता है। सारिणी क्रमांक 6·18 में माध्यमिक शिक्षा नियोजन का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके आधार पर उसकी व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत की जायेगी -

सारिणी - 6·18

माध्यमिक शिक्षा नियोजन के लिये बजट

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	माध्यमिक शिक्षा नियोजन बजट	गुणावृद्धि	वृद्धि-सूचकांक	औसत वार्षिक वृद्धिदर
1-	1960-61	0·6367000	1	100	
2-	1965-66	3·2095900	5·0	504	
3-	1970-71	0·8287800	1·3	130	
4-	1975-76	1·7332000	2·7	272	
5-	1980-81	2·8118000	4·4	441	7·71%
6-	1985-86	0·4822000	0·7	075	

स्रोत- "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय।

सारिणी क्रमां 6·18 को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा नियोजन का बजट सदैव घटता-बढ़ता रहा है। सन् 1960-61 में यह 0·6367000 करोड़ रुपये था, जो 1965-66 में अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 3·20959000 करोड़ रुपये हो गया। तत्पश्चात् अचानक पुनः घटकर 0·8287800 करोड़ रु0 हो गया। इसी प्रकार एक दशक बाद पुनः बढ़कर 2·8118000 करोड़ रुपये हो गया। बजट के इस शीर्षक पर शासन को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि

ऐसी विभिन्नताएँ नियोजन बजट में न हों। 1980-81 में 1960-61 की तुलना में माध्यमिक शिक्षा नियोजन हेतु बजट में निर्धारित राशि 4·4 गुना थी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 7·71 प्रतिशत थी।

आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय -

अब हम माध्यमिक शिक्षा बजट में यह देखने का प्रयास करेंगे कि कुल व्यय में आयोजनागत तथा आयोजनेतर पक्ष में कितना-कितना भाग किस पक्ष को आबंटित किया गया है? पन्द्रह वर्षों के आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय को पाँच वर्षों के अन्तराल में सारिणी क्रमांक 6·19 में दर्शाया गया है, जिसके आधार पर दोनों पक्षों के वितरण की व्याख्या एवं विवेचना प्रस्तुत की जायेगी -

सारिणी - 6·19

माध्यमिक शिक्षा बजट में आयोजनागत तथा आयोजनेतर वास्तविक व्यय

§सन् 1973-74 से 1987-88 तक§

§रूपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1973-74	354·203 §11·21§	2804·663 §88·79§	3158·866 §100§	1		100
2-	1978-79	500·96 §6·22§	7550·02 §93·78§	8050·98 §100§	2·5		254
3-	1983-84	765·77 §3·81§	19314·41 §96·19§	20080·18 §100§	6·3		635
4-	1987-88	733·83 §2·00§	36081·07 §98·00§	36814·90 §100§	11·6	19·17%	1165

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, परफारमेन्स बजट§सम्बन्धित वर्षों का§

सारिणी क्रमांक 6·19 को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रायः 90 प्रतिशत से अधिक भाग आयोजनेतर पक्ष में तथा 10 प्रतिशत भाग आयोजनागत पक्ष में व्यय किया गया है।

1973-74 में माध्यमिक शिक्षा में कुल 3158·866 लाख रूपये व्यय किये गये, जिनमें 354·203 लाख आयोजनागत पक्ष में तथा 2804·663 लाख आयोजनेतर पक्ष में व्यय किये गये। आयोजनागत व्यय के प्रतिशत में लगातार कमी होती चली गयी और 1987-88 में मात्र 2 प्रतिशत ही इसमें व्यय किया गया, जबकि इसके विपरीत आयोजनेतर व्यय में लगातार वृद्धि होती गयी और 1987-88 में 98 प्रतिशत धनराशि इसमें व्यय की गयी। 1973-74 में माध्यमिक शिक्षा में जो धनराशि व्यय की गयी, वह 1987-88 में 11·6 गुना हो गयी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 19·17 प्रतिशत रही है।

शिक्षा के विकास, गुणवत्ता तथा प्रसार के लिये आवश्यक है कि योजनागत व्यय में अधिक धनराशि शासन द्वारा मुहैया करायी जाय।

उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक में माध्यमिक शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत निम्न व्यय दर्शाये जाते हैं -

(1) निदेशन और प्रशासन

(2) निरीक्षण

(3) राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(4) अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता

(5) माध्यमिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को सहायता

(6) छात्रवृत्ति/छात्र वेतन

(7) शिक्षकों का प्रशिक्षण

(8) पाठ्य पुस्तक

(9) अन्य मद

परन्तु स्थानीय निकायों को सहायता तथा पाठ्य-पुस्तकों पर कोई भी व्यय आय-व्ययक में नहीं दर्शाया जा रहा है। अब हम प्रत्येक बजट शीर्षक पर आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय का विश्लेषण पन्द्रह वर्षों के आय-व्ययक से करेंगे तथा उसी आधार पर विवेचन करेंगे -

§1§ **निदेशन और प्रशासन पर व्यय -**

शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर के कार्यालयों एवं विद्यालयों को निर्देश एवं मार्ग -दर्शन देने के अतिरिक्त सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत नवीन योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाता है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उसके उन्नयन के लिये गोष्ठियों तथा सम्मेलनों आदि के आयोजन से सम्बन्धित कार्य का सम्पादन भी किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा के अधीन चल रहे अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की वेतन-व्यवस्था एवं सभी विद्यालयों के लेखों की समुचित जाँच करने के लिये लेखा विभाग के संगठन का व्यय भी इसमें सम्मिलित है।

1973-74 से इस शीर्षक पर होने वाले व्यय का विवरण सारिणी क्रमांक 6·20 में दर्शाया गया है, जिसके आधार पर इस व्यय की व्याख्या तथा समीक्षा की जायेगी -

सारिणी - 6·20

माध्यमिक शिक्षा निदेशन एवं प्रशासन वास्तविक व्यय

§रूपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि सूचकांक
1-	1973-84	9·384	29·534	38·907	1		100
		§24·10§	§75·90§	§100§			

सारिणी - 6·20 क्रमशः ---------

2- 1978-79	7·55 (11·02)	60·96 (88·98)	68·51 (100)	1·7		176
3- 1983-84	6·44 (4·58)	134·15 (95·42)	140·59 (100)	3·6		361
4- 1987-88	---	176·51 (100)	176·51 (100)	4·5	11·41%	453

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।
स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, परफारमेन्स बजट (सम्बन्धित वर्षो का)

सारिणी क्रमांक 6·20 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि 1973-74 में इस मद पर 38·907 लाख रूपये व्यय किये गये, जिसमें 9·384 लाख रूपये आयोजनागत पक्ष में तथा 29·534 लाख आयोजनेतर पक्ष में व्यय किये गये। कुल व्यय का क्रमशः 24·10 प्रतिशत तथा 75·90 प्रतिशत था। इस प्रकार 1973-74 में तीन चौथाई व्यय आयोजनेतर मद में तथा एक चौथाई व्यय आयोजनागत पक्ष में किया गया। आयोजनागत व्यय का प्रतिशत लगातार घटता चला गया और 1983-84 में यह मात्र 4·58 प्रतिशत ही था, जबकि आयोजनेतर का व्यय 95·42 प्रतिशत था।

इस मद में 1973-74 की तुलना में 1987-88 में धनराशि 176·51 लाख रूपये हो गयी, जो 15 वर्षो के अन्तराल के बाद 4·5 गुना थी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 11·41 प्रतिशत रही।

(2) **निरीक्षण** -

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सम्भागीय स्तर पर सम्भागीय उपशिक्षा

निदेशक, बालिका विद्यालय निरीक्षिका §पाँच संभागों में सह बालिका विद्यालय निरीक्षिका§ तथा जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक§कतिपय जिलों में सह जिला विद्यालय निरीक्षक§ एवं जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका कार्यरत हैं। यह हाई स्कूल तथा इन्टर-मीडिएट स्तर की शिक्षा से सम्बन्धित विद्यालयों का निरीक्षण एवं इन विद्यालयों से सम्बन्धित अन्य प्रशासकीय कार्य करते हैं। अतः इन पर होने वाले व्यय का विवरण सारिणी क्रमांक 6·21 में दर्शाया जा रहा है, जिसके आधार पर इस व्यय का विवेचन किया जायेगा -

सारिणी - 6·21

माध्यमिक शिक्षा निरीक्षण पर वास्तविक व्यय

§रूपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1973-74	19·692 §21·72§	70·986 §78·28§	90·678 §100§	1		100
2-	1978-79	9·31 §7·83§	109·56 §92·17§	118·87 §100§	1·3		131
3-	1983-84	17·59 §8·44§	190·85 §91·56§	208·44 §100§	2·2		229
4-	1987-88	2·32 §0·58§	396·47 §99·42§	398·79 §100§	4·3	11·16%	439

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, परफारमेन्स बजट §सम्बन्धित वर्षों के§

सारिणी क्रमांक 6·21 से स्पष्ट हो रहा है कि 1973 में निरीक्षण

पर कुल 90·678 लाख रुपये व्यय किये गये, जिसमें 78·28 प्रतिशत आयोजनेतर व्यय से तथा 21·72 प्रतिशत आयोजनागत व्यय से खर्च किये गये। 1987-88 में आयोजनागत व्यय से मात्र 0·58 प्रतिशत तथा आयोजनेतर व्यय से 99·42 प्रतिशत व्यय किया गया। इस तरह से इस समय लगभग सारा व्यय आयोजनेतर व्यय से ही किया जा रहा है, जो उचित नहीं कहा जा सकता है। 1973-74में कुल व्यय की जाने वाली धनराशि 1987-88 में 4·3 गुना थी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 11·16 प्रतिशत रही है।

(3) **राजकीय माध्यमिक विद्यालय** -

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1973-74 से 1987-88 तक जो धनराशि व्यय की गयी, उसका विवरण सारिणी क्रमांक 6·22 में दिया जा रहा है, जिसके आधार पर उसकी व्याख्या तथा विवेचना की जायेगी -

सारिणी - 6·22

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों पर वास्तविक व्यय

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1973-74	70·139 (13·33)	455·902 (86·67)	526·041 (100)	1		100
2-	1978-79	120·21 (16·20)	621·89 (83·80)	742·10 (100)	1·4		141
3-	1983-84	167·37 (7·47)	2071·82 (92·53)	2239·19 (100)	4·2		425

सारिणी - 6·22 क्रमांशः --------

4-	1987-88	183·77 (3·72)	4758·49 (96·28)	4942·26 (100)	9·3	17·35%	939

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।
स्रोत - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (सम्बन्धित वर्षो का)

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1973-74 में 526·041 लाख रूपये व्यय किये गये जिसमें 13·33 प्रतिशत आयोजनागत व्यय से तथा 86·67 प्रतिशत आयोजनेतर व्यय से किये गये। 1987-88 में आयोजनागत व्यय का प्रतिशत 3·72 प्रतिशत था तथा आयोजनेतर व्यय का प्रतिशत 96·28 प्रतिशत था। 1987-88 में 1973-74 की तुलना में व्यय हुई धनराशि 9·3 गुना थी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 17·35 प्रतिशत रही है।

(4) **अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता** -

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता नाम शीर्षक के अन्तर्गत प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई तथा क्षतिपूर्ति आदि पर होने वाले व्यय के लिये अनुदान दिये जाते हैं। इस शीर्षक के अन्तर्गत 1973-74 से 1987-88 तक के व्यय का विवरण पाँच वर्षो के अन्तराल में सारिणी क्रमांक 6·23 में दिया जा रहा है -

सारिणी - 6·23

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता वास्तविक व्यय

§रूपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1973-74	189·737 §9·51§	1804·874 §90·49§	1994·611 §100§	1		100
2-	1978-79	302·30 §4·78§	6047·88 §95·24§	6350·18 §100§	3·1		318
3-	1983-84	453·36 §2·79§	15802·49 §97·21§	16255·85 §100§	8·1		815
4-	1987-88	321·77 §1·17§	27240·65 §98·83§	27562·42 §100§	13·1	20·63%	1382

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।
स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक§सम्बन्धित वर्षो की§

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को 1973-74 में 1994·611 लाख रूपये की सहायता प्रदान की गयी, जिसमें 9·51 प्रतिशत आयोजनागत व्यय से तथा 92·49 प्रतिशत आयोजनेतर व्यय से थी। पन्द्रह वर्षो के अन्तराल के बाद आयोजनागत व्यय का प्रतिशत घटकर मात्र 1·17 प्रतिशत रह गया। 1973-74 की तुलना में 1987-88 में दी जाने वाली सहायता अनुदान की राशि 13·8गुना थी तथा इस राशि की औसत वार्षिक वृद्धिदर 20·63 प्रतिशत थी।

पन्द्रह वर्षो के अन्तराल में प्रति विद्यालय कितनी सहायता दी गयी इसका विवरण सारिणी क्रमांक 6·24 में दिया जा रहा है -

सारिणी - 6.24

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रति-विद्यालय सहायता

वर्ष	कुल सहायता (लाख में)	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय सहायता (लाखों में)
1973-74	1994.611	4003	0.4983
1978-79	6350.180	4469	1.4209
1983-84	16255.850	5650	2.8771
1987-88	27562.42	5737	4.8043

स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (सम्बन्धित वर्षों की)

सारिणी क्रमांक 6.24 द्वारा ज्ञात हो रहा है कि 1873-74 में प्रति अशासकीय विद्यालय सहायता की राशि 0.4983 लाख रुपये, 1978-79 में 1.4209 लाख रुपये, 1983-84 में 2.8771 लाख रुपये तथा 1987-88 में 4.8043 लाख रुपये थी।

(5) **छात्रवृत्ति/छात्र वेतन** -

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 में विभिन्न प्रकार की योग्यता छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। सन् 1947 में माध्यमिक विद्यालयों के लिये 928 छात्रों को 661500 रु0 की छात्रवृत्तियाँ दी जाती थीं। 1960-61 में 8104 छात्रों को 1812100 रु0 की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती थी। 1973-74 से 1987-88 तक छात्रवृत्तियों में माध्यमिक स्तर पर जो व्यय किया गया है, उसका आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण सारिणी क्रमांक 6.25 में दर्शाया जा रहा है। जिसके अधार पर इस व्यय की व्यवस्था एवं विवेचना की जायेगी -

सारिणी - 6·25

माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्ति तथं छात्र वेतन पर वास्तविक व्यय

§रूपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्वि	औसत वार्षिक वृद्विदर	वृद्वि-सूचकांक
1-	1973-74	30·523 §50·87§	29·483 §49·13§	60·006 §100§	1		100
2-	1978-79	37·31 §45·07§	45·48 §54·93§	82·79 §100§	1·3		137
3-	1983-84	23·10 §17·80§	106·67 §82·20§	129·77 §100§	2·1		216
4-	1987-88	31·31 §18·37§	139·13 §81·67§	170·44 §100§	2·8	7·74%	284

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।
स्रोत - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक §सम्बन्धित वर्षो का§

सारिणी क्रमांक 6·25 से स्पष्ट हो रहा है कि 1973-74 में छात्रवृत्तियों पर जो धनराशि व्यय की गयी है, वह आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय से लगभग समान कही जा सकती है, क्योंकि आयोजनागत व्यय का प्रतिशत 50·87 प्रतिशत जबकि आयोजनेतर व्यय का 49·13 प्रतिशत है। 1987-88 में आयोजनागत व्यय का प्रतिशत घटकर 18·37 प्रतिशत रह गया तथा आयोजनेतर व्यय का प्रतिशत 81·67 हो गया। इस शीर्षक में 1973-74 में 60·006 लाख रूपये व्यय किये

गये जो 1987-88 में 170·44 लाख रू0 हो गये। यह 1973-74 की तुलना में 2·8 गुना था तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 7·74 प्रतिशत थी।

§6§ **शिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय** -

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अध्यापकों को प्रशिक्षण सुलभ कराने हेतु प्रदेश में कुल 12 एल0टी0 प्रशिक्षण कालेज है, जिनमें से 5 राजकीय तथा 07 अराजकीय है।

1973-74 से 1987-88 के मध्य 15 वर्षों में इस शीर्षक बजट पर जो व्यय हुआ है, उसका विवेचन सारिणी क्रमांक 6·26 पर किया जा रहा है-

सारिणी - 6·26

माध्यमिक शिक्षा - शिक्षकों के प्रशिक्षण पर वास्तविक व्यय

§रूपये लाखों में§

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1973-74	17·776 §17·30§	84·995 §82·70§	102·771 §100§	1		100
2-	1978-79	6·05 §4·55§	126·95 §95·45§	133·00 §100§	1·2		129
3-	1983-84	22·74 §10·85§	186·82 §89·15§	209·56 §100§	2·0		203
4-	1987-88	33·67 §9·37§	325·57 §90·63§	359·24 §100§	3·4	9·35%	349

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक §सम्बन्धित वर्षों का§

सारिणी क्रमांक 6·26 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण पर 1973-74 में 102·771 लाख रुपये व्यय किये गये, जिसमें 17·30 प्रतिशत आयोजनागत व्यय से तथा 82·70 प्रतिशत आयोजनेतर व्यय से किये गये। आयोजनागत व्यय का प्रतिशत धीरे-धीरे घटकर 1987-88 में 9·37 प्रतिशत तक पहुँच गया। इसके विपरीत आयोजनेतर व्यय का प्रतिशत बढ़कर 90·63 प्रतिशत पहुँच गया। 1987-88 में 1973-74 की तुलना में व्यय की जाने वाली धनराशि 3·4 गुना हो गयी तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 9·35 प्रतिशत थी।

(7) **अन्य मदों पर वास्तविक व्यय** -

इस शीर्षक के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद, मनोविज्ञान ब्यूरो, केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के स्रोत सामग्रियों का संकलन, शैक्षिक संग्रहालय एवं प्रकीर्ण अन्य व्ययों के प्राविधान सम्मिलित किये जाते हैं।

इस शीर्षक बजट में 1973-74 से 1987-88 तक जो धनराशि व्यय की गयी है, उसका विवरण सारिणी क्रमांक 6·27 में दर्शाया जा रहा है-

सारिणी - 6·27

अन्य मदों पर वास्तविक व्यय

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	गुणा-वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1973-74	16·952 (4·90)	328·900 (95·10)	345·852 (100)	1		100
2-	1978-79	18·23 (3·28)	537·30 (96·72)	555·53 (100)	1·6		160

सारिणी - 6·27 क्रमशः --------

3- 1983-84	75·17 §8·38§	821·61 §91·62§	896·78 §100§	2·5	9·99%	259
4- 1987-88	44·76 §18·89§	192·21 §81·11§	236·97 §100§	0·6		068

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय में प्रतिशत दर्शाया गया है।
स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक §सम्बन्धित वर्षों का§

सारिणी क्रमांक 6·27 से यह विदित हो रहा है कि "अन्य मद" नामक शीर्षक बजट में 1973-74 में कुल 345·852 लाख रूपये व्यय किये गये, जिसमें 95·10 प्रतिशत आयोजनेतर व्यय एवं 4·90 प्रतिशत आयोजनागत व्यय था। अन्य मदों की तुलना में इसमें विपरीत गति रही है। इसमें आयोजनागत व्यय का प्रतिशत 1987-88 में बढ़कर 18·89 प्रतिशत हो गया तथा अयोजनेतर व्यय में कमी आयी है, जो 1987-88 में 81·11 था।

<u>उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में व्यय की प्रवृत्तियाँ</u> -

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शैक्षिक सोपान की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस स्तर की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े, व्यावसायिक दक्षता से युक्त होनहार नागरिक तैयार हों - इसलिये नितांत आवश्यक है कि इसमें अधिकाधिक धनराशि व्यय की जाय।

आज की शिक्षा पूर्णतः राजकीय दायित्व होती जा रही है। बजट का अधिकांश भाग शिक्षा तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो रहा है। शिक्षा के आवश्यक अंगों जैसे- उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और वजीफों आदि पर कम धनराशि व्यय की जा रही है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है। आयोजनेतर व्यय अधिक हो रहा है, आयोजनागत व्यय में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए।

आवर्ती व्यय तथा अनावर्ती व्यय में एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। व्यय के मदों का परीक्षण तथा पुनरीक्षण अवश्य किया जाय तथा उसके निष्कर्षो के आधार पर व्यय के मदों में सुधार अपेक्षित है।

इक्कीसवीं सदी के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का अनुमानित व्यय -

सारा संसार इक्कीसवीं सदी की प्रतीक्षा में हैं। हमारे देश में भी एक नयी चहल-पहल है तथा इक्कीसवीं सदी की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से की जा रही है। शोधकर्ता ने भी अपने शोध में इस भावना से ओत-प्रोत होकर उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिये इक्कीसवीं सदी हेतु अनुमानित व्यय का विवेचन कोठारी कमीशन के अनुसार किया है। सारिणी क्रमांक 6.28 में इस व्यय का विवेचन किया गया है, जिसके आधार पर इसका विश्लेषण किया जायेगा -

सारिणी - 6.28

इक्कीसवीं सदी के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का अनुमानित व्यय

क्रमांक	व्यय की विभिन्न चर एवं सूचकांक	1985-86	1990-91	1995-96	2000-01	2005-06
1-	उ0मा0 विद्यालयों की अनुमानित संख्या (1.8% वार्षिक वृद्धि-दर के आधार पर)	5667	6196	6774	7406	8097
2-	वृद्धि सूचकांक	100	109	120	131	143
3-	उ0मा0विद्यालयों में अध्यापकों की अनुमानित संख्या (1.5% वार्षिक वृद्धि-दर के आधार पर)	124707	134345	144728	155913	167962
4-	वृद्धि सूचकांक	100	108	116	125	135

सारिणी - 6·28 क्रमशः --------

5- शिक्षार्थियों की संख्या (हजारों में) (4·5% वार्षिक वृद्धि-दर के आधार पर)	4278·8	5332	6645	8281	10319
6- वृद्धि-सूचकांक	100	125	155	194	241
7- उ0मा0 शिक्षा का कुल व्यय (करोड़ रू0में) (12% वार्षिक वृद्धि-दर के आधार पर)	237	418	736	1297	2286
8- वृद्धि-सूचकांक	100	176	311	547	965
9- उ0मा0 शिक्षा का प्रति विद्यालय व्यय (हजार रूपये में)	418·2	674·6	1086·5	1751·3	2823·3
10- वृद्धि-सूचकांक	100	161	259	419	675
11- उ0मा0 शिक्षा का प्रति अध्यापक व्यय (हजार रूपये में)	19·0	31·1	50·9	83·2	136·1
12- वृद्धि-सूचकांक	100	164	268	438	716
13- उ0मा0शिक्षा का प्रति शिक्षार्थी व्यय (रूपये में)	554	784	1108	1566	2215
14- वृद्धि-सूचकांक	100	142	200	283	400

स्रोत- (1) "राज्यों में शिक्षा के आँकड़े" नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

(2) "शिक्षा की प्रगति", इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय।

(3) डी0एस0 कोठारी, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया।

सारिणी क्रमांक 6·28 द्वारा माध्यमिक शिक्षा पर इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में होने वाले व्यय का अनुमान दर्शाया गया है।

इक्कीसवीं सदी हेतु उ·मा· शिक्षा का अनुमानित व्यय
(1985-86 से 2005-06)
उ·मा· शिक्षा का प्रति शिक्षार्थी व्यय (दस रुपये में)
उ·मा· शिक्षा का प्रति अध्यापक व्यय (सौ रुपये में)
उ·मा· शिक्षा का प्रति विद्यालय व्यय (हजार रुपये में)
उ·मा· शिक्षा का अनुमानित व्यय
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यय
2700
2400
2100
1800
1500
1200
900
600
300
0
1985-86
1990-91
1995-96
2000-01
2005-06
वर्ष

चित्र-6.3

सारणी के अनुसार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर सन् 1985-86 में 237 करोड़ रूपये व्यय हुए। यदि यह व्यय वर्तमान दर से बढ़ता रहा हो तो इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन् 2000-01 में यह 1297 करोड़ रूपया हो जायेगा तथा सन् 2005-06 में यह 2286 करोड़ हो जायेगा तथाइसका वृद्धि-सूचकांक 965 हो जायेगा।

सन् 1985-86 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 5667 थी, जो यदि वर्तमान गति से बढ़ती गयी तो इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन् 2000-01 में 7406 हो जायेगी तथा 2005-06 में यह 8097 हो जायेगी। तथा इस वर्ष इसका वृद्धि-सूचकांक 143 हो जायेगा। सन् 1985-86 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रति-विद्यालय व्यय 418·2 हजार रूपये था, जो सन् 2000-01 में बढ़कर 1751·3 हजार रूपये हो जायेगा तथा 2005-06 में यह 2823·5 हजार रूपये हो जायेगा इस वर्ष इसका वृद्धि-सूचकांक 675 हो जायेगा।

सन् 1985-86 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 124707 थी। यदि यह संख्या वर्तमान गति से बढ़ती गयी, तो इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन् 2000-01 में यह 155913 हो जायेगी तथा 2005-06 में यह 167962 हो जायेगी इसका वृद्धि-सूचकांक 135 हो जायेगा। सन् 1985-86 में प्रति अध्यापक औसत व्यय 19 हजार रूपये था, जो सन् 2000-01 में 83·2 हजार रू0 तथा सन् 2005-06 में 136·1 हजार रूपये हो जायेगा तथा इसका वृद्धि सूचकांक इस वर्ष 716 हो जायेगा।

सारणी से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सन् 1985-86 में 4,278·8 हजार छात्र थे। यदि वर्तमान दर से यह वृद्धि जारी रही तो इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में सन् 2000-01 में 8281 हजार तथा सन् 2005-06 में 10319 हजार हो जायेगी और इस वर्ष इसका वृद्धि-सूचकांक

241 हो जायेगा। सन् 1985-86 में उच्चतर माध्यामिक शिक्षा का प्रति छात्र व्यय 554 रुपये था। यह सन् 2000-01 में 1566 रुपये तथा 2005-06 में 2215 रुपये हो जायेगा सन् 2005-06 में इसका वृद्धि सूचकांक 400 हो जायेगा।

-x-x-x-x-

सप्तम अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा एवं उसका वित्त-प्रबन्धन

देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए संसाधनों के उचित उपयोग हेतु नियोजन की आवश्यकता पड़ती है।

किन्हीं परिस्थितियों के उपस्थित होने के पूर्व उनका समाधान करने के लिए उपलब्ध साधनों की क्रमबद्ध व्यवस्था को "नियोजन" या "प्लानिंग" कहते हैं।

प्लानिंग एक नयी संकल्पना है, जो बीसवीं शताब्दी में अस्तित्व में आयी। योजना से साधन का उचित वितरण होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे जन-जीवन का स्तर ऊँचा उठता है और अधिकतम जनसंख्या का कल्याण होता है। बहुत लोग इस प्रक्रिया में न केवल निर्णयों को तैयार करने वरन् उनके क्रियान्वयन को भी सम्मिलित कर लेते हैं। आयोजन द्वारा भविष्य की आवश्यकतायें निश्चित की जाती हैं, उनकी संतुष्टि के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, कालावधि निर्दिष्ट की जाती है, जिसके अन्तर्गत संतुष्टि करना है, साधनों और सेवाओं का आकलन किया जाता है, उनके उपयोग की उचित प्रणाली का विवरण दिया जाता है तथा अपेक्षित त्याग और वांछित परिणामों का संतुलन किया जाता है। यह प्रक्रिया ध्येयों और सुझावों का एक क्रम प्रस्तुत करती है, जो एक संतुलित ढंग से नियंत्रित होकर निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। उसमें प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है, उनको प्राथमिकता दी जाती है और उनकी प्राप्ति के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है।

भारत में नियोजन का मुख्य लक्ष्य भारतवासियों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना और उनकी सुख-सुविधा के लिए और अधिक अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराना है। अतएव नियोजन को, सम्पूर्ण मानवीय और भौतिक संसाधनों का अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग करना तथा आय, अर्थ और अवसरों की समानता को कम करने पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार नियोजन का मूलतत्व सभी मार्गों पर क्रमिक तथा सुसंगत विकास करना है।

3 मार्च 1947 को "फेडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज," नयी दिल्ली के वार्षिक सत्र के उद्घाटन-भाषण में श्री जवाहर लाल नेहरू ने नियोजन

के अभिप्राय को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है -

"नियोजन का अर्थ हैकिसी ऐसे लक्ष्य की कल्पना करना,जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे समाज की कल्पना करना,जिसका हमारा ध्येय है तथा कम से कम सम्भव विसंगतियों के साथ सूत्रबद्ध एवं शांतिपूर्ण ढंग से उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना तथा लक्ष्यों को निधारित करना, जिससे कि एक ही समय में हम सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकें।"[1]

नियोजन के सिद्धान्त की उत्पत्ति -

नियोजन के सिद्धान्त की उत्पत्ति यू0एस0एस0आर0 में हुई। सन् 1917 की क्रान्ति के पश्चात् समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। इसने समाज की पुनर्रचना करने के दुष्कर कार्य की कठिनाई का सामना किया। इन कठिनाइयों के प्रति लेनिन भयभीत थे, लेकिन उन्होंने कहा "यह सर्वाधिक कठिन कार्य है, क्योंकि असंख्य लोगों को जीवन के गहनतम आर्थिक आधारों को नया रूप देने का मामला है, यह जटिल समस्या है।"[2] उन्होंने नियोजन के सिद्धान्त की रचनाकी एवं प्रस्तावित किया कि "पार्टी की योजना की पूर्ति एक दूसरी पार्टी की योजना से पूरित होना चाहिए। यह एक ऐसी योजना होगी, जिसका ध्येय हमारी सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था को पुनर्जीवित करना एवं इसे आधुनिक तकनीकी के विकास के स्तर तक उठाना होगा।"[3]

सन् 1921 में "गासप्लान" नामक प्रथम नियोजन संघ की स्थापना की गयी, जिसका लक्ष्य था सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सच्चाई में बदलना।

1- रामकृष्ण हेगड़े, "प्लानिंग एन्ड स्टेट राइट्स"
दि गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक, 1988 पृष्ठ -11

2- आई0ए0 मेवनेको, "प्लानिंग इन यू0एस0एस0आर0
मास्को, फारेन लैंगवेज पब्लिसिंग हाउस", 1975, पृ07

3- "प्लानिंग आफ मैन पावर इन सोवियत यूनियन"
मास्को, प्रागेस पब्लिशर्स, 1975, पृ0 25

भारत में नियोजन -

भारतीय नियोजन के प्रथम प्रवर्तक भारतरत्न डाक्टर मोक्षगुडम् विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने पुनर्निर्माण योजना के पक्ष में आवाज उठाई। रूसी नियोजन से प्रेरणा प्राप्त करके उन्होंने 1934 में "प्लान्ड इकानामी फार इन्डिया" नामक पुस्तक लिखी। उनके अनुसार राष्ट्रीय निर्माण के लिये शिक्षा, उद्योग तथा रक्षा प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं तथा इनका परतंत्र शासन में सबसे अधिक पतन हुआ है।"[4]

सर एम0 विश्वेश्वरैया ने सन् 1934 में आर्थिक विकास के क्षेत्र में दस वर्षीय योजना का खाका तैयार किया, जिसका लक्ष्य था राष्ट्रीय आय को दो गुना करना।

गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया एक्ट 1935 द्वारा भारत को प्रान्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुई। सन् 1937 में इस एक्ट के तहत राष्ट्रीय कांग्रेस ने ग्यारह में से 9 प्रान्तों में मंत्रिपद ग्रहण किए और केन्द्रीय सरकार बनाने की आशा की। अतएव उसने राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक बृहत् योजना तैयार करने की सोची। सन् 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति गठित की, जिसमें भारतीय महासंघ के प्रतिनिधि, राज्यों के योजना मंत्री, कुछ चुने हुए अर्थशास्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तियों के अतिरिक्त सरकार के नामिनी प्रतिनिधि भी थे।

शिक्षा के लिए इसने दो उपसमितियाँ बनायीं, एक सामान्य शिक्षा के लिए डा0 राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में और दूसरी तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डा0 मेघनाथ साहा की अध्यक्षता में।

किन्तु बाद में युद्ध और शांति के उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस और सरकार में मतभेद हो गया और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल को त्यागकर आन्दोलन छेड़ दिया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू 1940 में जेल में डाल दिए गये। इस प्रकार इस कमेटी का कार्य

4- एम0 विश्वेश्वरैया, "प्लान्ड इकोनामी फार इन्डिया", बंगलौर, बंगलौर प्रेस, 1934, पृष्ठ 203

अवरूद्ध हो गया। जो कुछ भी थोड़ा-बहुत काम हो पाया था, उसे समिति के जनरल सेक्रेट्री ने सन् 1948 में बम्बई की वोरा कम्पनी द्वारा एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा दिया।[5]

श्री जे0पी0 नायक ने राष्ट्रीय नियोजन समिति के सम्बन्ध में निम्नवत् विचार प्रस्तुत किये हैं -

"भारत में शिक्षा-नियोजन पर राष्ट्रीय योजना समिति के कार्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मुख्य महत्व ऐतिहासिक है- यह पहला संगठन है जिसमें सामाजिक, आर्थिक उत्थान की सम्पूर्ण योजना के एक भाग के रूप में शैक्षिक उत्थान की योजना तैयार करने के विषय में विचार किया गया।[6]

विश्वेश्वरैया तथा राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा तैयार की गयी भूमिका ने 1944 में असंख्य योजनाओं को प्रवाहित किया। महत्वपूर्ण योजनायें निम्न हैं-

§1§ बम्बई योजना

§2§ जन योजना

§3§ गाँधियन योजना

"बम्बई योजना" को बम्बई के 8 अग्रणी उद्योगपति व्यापारियों तथा अर्थशास्त्रियों ने बनाया। "जन योजना" श्री एम0एन0 राय तथा गाँधियन योजना श्रीमन्नारायण अग्रवाल द्वारा निर्मित की गयी।

उपर्युक्त सभी पाँचों योजनायें संयुक्त रूप से भारत की योजनाओं की जन्मदाता कही जा सकती हैं।

"बम्बई योजना" पन्द्रह वर्षों के लिए निर्मित की गयी। राष्ट्रीय योजना समिति

5- "द नेशनल प्लानिंग कमेटी इजूकेशन"
बम्बई, वोरा एन्ड कम्पनी, 1948

6- जे0पी0 नायक, "इजूकेशनल प्लानिंग इन इन्डिया", नयी दिल्ली, एलाइड पब्लिशर्स, 1965

ने विशेष अवधि निर्धारित नहीं की तथा अन्य तीन योजनायें 10 वर्षों की अवधि के पक्ष में थीं।

कुल अनुमानित योजना में "जन-योजना" शीर्ष पर है तथा विश्वेश्वरैया योजना सबसे नीचे। इस कारण दोनों योजनाओं में काफी भिन्नता है। राष्ट्रीय योजना समिति इस बिन्दु पर मौन है। कुल व्यय का शिक्षा पर प्रस्तावित भाग "विश्वेश्वरैया योजना" तथा "गाँधी योजना" में समान है, जो क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 10·6 प्रतिशत है। "बम्बई योजना" केवल 5·04 प्रतिशत की निम्न प्राथमिकता देती है। "जन योजना" लगभग मध्य में है तथा "राष्ट्रीय योजना समिति" शिक्षा के भाग का एक भिन्न माप प्रस्तुत करती है। "जन योजना" में वार्षिक अनुमानित व्यय सर्वोच्च है। विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न सारिणी में अंकित है —

सारिणी - 7·1

अग्रगामी योजनाएँ तथा शिक्षा

क्रमांक	मद	विश्वेश्वरैया योजना	राष्ट्रीय नियोजन समिति	बाम्बे प्लान	जन प्लान	गाँधियन प्लान
1-	योजना के वर्ष	1934	1938	1944	1944	1944
2-	योजनावधि	10 वर्ष	अनुपलब्ध	15 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष
3-	कुल अनुमानित योजना व्यय (करोड़ रूपयों में)	रू0 100	अनुपलब्ध	रू0 10000	रू0 15000	रू0 3700
4-	कुल व्यय में शिक्षा के व्यय का अनुमानित प्रतिशत	10	10	5·04	6·93	10·6
			(कुल राष्ट्रीय व्यय का)			
5-	वार्षिक अनुमानित व्यय (करोड़ रूपयों में)	रू0 1	अनुपलब्ध	रू0 32·66	रू0 104	रू0 39·5

स्त्रोत-सतेश्वरी सक्सेना, "इजूकेशनल प्लानिंग इन इण्डिया" न्यू देलही, स्टर्लिंग पब्लिशर्स, 1979, पृष्ठ-15

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने पर सन् 1944 में भारत की सभी प्रान्तीय सरकारों को युद्धोत्तर विकास योजनाओं को तैयार करने का आदेश दिया गया। इन विकास की योजनाओं में शिक्षा को भी स्थान दिया गया। इसी समय विकास की योजनाओं के निर्माण कार्य की ओर रचनात्मक कदम उठाने के लिए शिक्षा के सलाहकार सर सारजेन्ट को वाइस राय की प्रबन्ध कारिणी कौन्सिल की पुनर्निर्माण समिति ने आदेश दिया कि युद्धोत्तर शिक्षा की जाँचकर उस पर एक स्मृति-पत्र तैयार करें।

शिक्षा के लिए सौभाग्य से शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने सन् 1938 और 1943 के बीच विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के अध्ययन के लिए नौ समितियाँ नियुक्त की थीं और उनके प्रतिवेदन उपलब्ध थे। सर जान सारजेन्ट ने, जो उस समय भारत सरकार के इजूकेशनल कमिश्नर थे, इन प्रतिवेदनों और अन्य कुछ विशिष्ट अध्ययनों के आधार पर सन् 1944 में "युद्धोत्तर शैक्षिक विकास" तैयार कर दी, जो सारजेन्ट रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य था -

"भारत में चालीस वर्ष की अवधि में शैक्षिक उपलब्धियों के उन्हीं मापदंडों का निर्माण करना, जिनको इंग्लैन्ड में पहले ही प्राप्त किया जा चुकाहै।" [7]

योजना में यह स्वीकार किया गया है कि -

"इस देश का भाग्य यहाँ के लोगों की शिक्षा पर निर्भर करता है।" [8]

योजना का प्रयोजन यह था कि देश की न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकताओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाय, यह दिखाया जाय कि उसे पूरा करने में कितना समय

7- "पोस्टवार इजूकेशनल डेवलपमेन्ट इन इन्डिया,"
दिल्ली, मैनेजर आफ पब्लिकेशन, तृतीय संस्करण,
1944, पृष्ठ-1

8- वही, पृष्ठ-1

लगेगा और मोटे तौर पर उसकी लागत निकाली जाय। योजना में विकास की अवधि 40 वर्ष रक्खी गयी थी।

शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का, जब वह पूरे तौर पर चल निकलेगी, व्यय 312·6 करोड़ रूपये हो जाने वाला था, जिसमें से 277 करोड़ रूपये सार्वजनिक निधि और 35·6 करोड़ रूपया अन्य स्रोतों से खर्च किया जाने वाला था। पूंजीगत व्यय ऋण लेकर करना था। योजना के प्रथम पाँच वर्ष से लेकर अन्तिम पाँच वर्ष तक बढ़ा हुआ व्यय क्रमशः 10 करोड़, 23·8 करोड़, 37·4करोड़, 61·45करोड़,106करोड़,165करोड़, 250करोड़ तथा अन्तिम वर्ष में 312·6 करोड़ रूपया होता। सन् 1938-39 में जनसंख्या के प्रति-व्यक्ति शिक्षा पर व्यय 0·35 रूपया था,जो योजना के पूर्णरूपेण चालू हो जाने पर बढ़कर 11·00 रूपया प्रतिव्यक्ति हो जाता।

सारिणी क्रमांक 7·2 में योजना की संरचना, नामांकन तथा व्यय दर्शाया गया है —

सारिणी - 7.2

सारजेन्ट योजना द्वारा अनुमानित शिक्षा-संरचना, नामांकन और व्यय

वय-वर्ग प्राक्कलित नामांकन-संख्या		शिक्षा का स्तर कक्षायें	प्राक्कलित वार्षिक व्यय
1-	3-6 वर्ष (10,00,000)	पूर्व प्राथमिक विद्यालय नर्सरी कक्षायें	रुपये लाख में 320
2-	6-11 वर्ष (3,59,00,000)	जूनियर बेसिक विद्यालय (1-5)	11,400
3-	11-14 वर्ष (1,56,00,000)	सीनियर बेसिक विद्यालय (6-8)	8,600
4-	14-17 वर्ष (73,00,000)	(क) उच्च माध्यमिक विद्यालय (9-11)	7,900
	14-17 वर्ष (75,000)	(ख) तकनीकी विद्यालय और कला विद्यालय	1,000
5-	17-22 वर्ष (2,40,000)	(क) विश्वविद्यालय शिक्षा 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	960
	17-22 वर्ष (25,000)	(ख) तकनीकी वाणिज्य और कला महाविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण	व्यय 4(ख) में सम्मिलित
6-	17-19 वर्ष (20,00,000)	(क) अवर स्नातक शिक्षक	620
	20-22 वर्ष (1,80,000)	(ख) स्नातक शिक्षक	
7-	10-40 वर्ष (9,05,00,000)	प्रौढ़ शिक्षा	300
8-	14-20 वर्ष (3,20,00,000)	मनोरंजन एवं सामाजिक क्रिया-कलाप	100
9-	--	रोजगार कार्यालय	60
		कुल व्यय	31,260

स्रोत :- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन," ग्रन्थम, रामबाग, कानपुर, 1976, पृ0-133 तथा 134

इस योजना की अनेक अच्छाइयाँ तथा कुछ कमियाँ भी थीं। नूरउल्ला तथा नायक[9] ने लिखा है कि -

"अब तक की प्रकाशित योजनाओं में सार्जेन्ट योजना सबसे अधिक विस्तृत थी, भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में यह प्रथम प्रयास था, जिसने शिक्षा के प्रत्येक अंग पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है।"

यूनाइटेड प्राविन्स (यू0पी0) के संचालक, लोक-शिक्षण ने भी "ए प्लान आफ पोस्ट-वार डेवलपमेन्ट इन दि इजूकेशन डिपार्टमेन्ट, यूनाइटेड प्राविन्स"[10] तैयार कराया।

15 अगस्त 1944 को डब्ल्यू0 जी0 पी0 वाल, संचालक, लोक शिक्षण ने प्राविन्स की योजना प्रस्तुत की। यह योजना 20 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गयी थी। इस योजना के विस्तार हेतु प्रदेश को 10 शैक्षिक संभागों में बाँटा गया था तथा प्रत्येक संभाग का प्रभारी, जिला विद्यालय निरीक्षक था। इस योजना में यह बल दिया गया था कि 20 वर्ष की अवधि में यह योजना धीरे-धीरे लागू की जाय तथा एक संभाग में एक ही समय में यह योजना लागू होनी चाहिए।

इस योजना ने केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की इस संस्तुति को स्वीकार कर लिया था कि इन्टरमीडिएट कक्षाओं का एक वर्ष समाप्तकर हाई स्कूल कक्षाओं में जोड़ दिया जाय तथा दूसरा वर्ष विश्वविद्यालय कक्षाओं के साथ। अतः इस योजना ने इस प्रक्रिया के पूरी होने के पश्चात् ही इस पर विचार हेतु छोड़ दिया।

विश्वविद्यालय शिक्षा को इस योजना ने अपनी परिधि से बाहर रक्खा।

9- नूरउल्ला एन्ड नायक, "ए स्टूडेन्ट हिस्ट्री आफ इजूकेशन"
दिल्ली, मैकमिलन, पृष्ठ-253

10- "ए प्लान आफ पोस्ट-वार इजूकेशनल डेवलपमेन्ट इन दि इजूकेशन डिपार्टमेन्ट, यूनाइटेड प्राविन्स"
इलाहाबाद, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, 1944

इस प्रकार इस योजना में मुख्यतः प्रथामिक शिक्षा, जूनियर हाई स्कूल, नार्मल स्कूल्स तथा शिक्षकों के वेतन पर प्रकाश डाला गया है। इस योजना में 20 वर्षों में आवर्ती व्यय रू0 37,64,76,960 तथा अनावर्ती व्यय रू0 1,06,25,32,500[11] प्रस्तावित किए गये थे जिसमें जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल्स, 85 हाई स्कूल, मनोवैज्ञानिक शाला तथा विदेशी छात्रवृत्तियाँ सम्मिलित थीं। बिल्डिंग प्रोग्राम हेतु 1,05,30,00,000 रू0 की कुल कीमत आँकी गयी थी। योजना-विस्तार हेतु वर्षवार बेसिक विद्यालयों का आकस्मिक व्यय हेतु विवरण भी प्रस्तुत किया गया था।

एक हाई स्कूल का व्यय अग्रांकित दर्शाया गया था -

आवर्तक		रू0
शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन		29,592
आकस्मिक व्यय		2,420
	योग	32,012
अनावर्तक		
भवन		80,000
उपकरण तथा काष्ठोपकरण		24,500
	योग	1,04,500

85 हाई स्कूलों का व्यय निम्नवत् दर्शाया गया था[12] -

	रू0
आवर्तक	27,21,020
अनार्वतक	88,82,500

2 सितम्बर 1946 को श्री जवाहर लाल नेहरू ने अन्तरिम सरकार के उपाध्यक्ष

11- आफ सिट, पृष्ठ-5

12- आफ सिट, पृष्ठ-7

पद के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया। एक माह पश्चात् भारत सरकार ने श्री के0सी0 नियोगी की अध्यक्षता में एक "सलाहकार नियोजन परिषद्" नियुक्त करने का निर्णय लिया, जिसका मुख्य कार्य अग्रांकित था-

"राष्ट्र के उत्थान हेतु योजनाओं को परिमार्जित करना एवं समायोजित करना। इसका यह भी लक्ष्य था कि राजकीय एवं गैर राजकीय अभिकरणों द्वारा किये गये कार्यो का पुनरावलोकन करना तथा भविष्य के नियोजन हेतु प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों के सम्बन्ध में शासन को संस्तुतियाँ प्रेषित करना।"[13]

शताब्दियों से पराधीनता की श्रृंखला में बन्दी भारत ने 15 अगस्त, 1947 को मुक्त होकर स्वाधीनता की पावन वायु में सांस ली। इस समय विगत विश्वयुद्ध, देश के विभाजन और अंग्रेजों की शोषणनीति के फलस्वरूप भारत की आर्थिक दशा इतनी असंतुलित तथा निम्न स्थिति में थी कि भारतीयों के सुख एवं सम्पन्नता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अतएव एक नयी मोर्चाबन्दी अभाव, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन के खिलाफ प्रारम्भ हुई। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का यह मानना था कि जब-तक भारत आत्म-निर्भर नहीं बनता, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अवसर नहीं मिलता, तब-तक आजादी अधूरी है। इसलिए सन् 1950-51 में देश के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारम्भ हुआ। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना था और लागों को अधिकाधिक समृद्धिशालीतथा विविधतापूर्ण जीवन-यापन के अवसर प्रदान करना था। अतः पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है।

सामाजिक परिवर्तन तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में सर्वांगीण उन्नति करने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है तथा मानव-संसाधन विकास के लिए आवश्यक निवेश है, अतएव

13- हेगड़े, तत्स्थान (लाक सिट)

पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के आयोजन को विशेष महत्व प्रदान किया गया। जब राष्ट्र के ऐसे व्यापक आयोजन में शिक्षा सम्मिलित की जाती है तो वह आर्थिक आयोजन का एक अंग बन जाती है, जो जनशक्ति (मैन पावर) आयोजन का एक विस्तार मात्र होता है, किन्तु जब शिक्षा का अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र में आयोजन किया जाता है तो उसका उद्देश्य एवं कार्य उतना ही विस्तृत हो जाता है, जितना शिक्षा का। अतएव शैक्षिक आयोजन का तात्पर्य शिक्षा की आवश्यकताओं का अनुमान करके उसके विकास की दिशा को निर्धारित करने और उसके साधनों के इष्टतम उपयोग से है।

सी0ई0 बीटी ने शैक्षिक नियोजन के पेरिस स्थित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रकाशित अपने ग्रन्थ "नियोजन एवं शैक्षिक प्रशासन" के पृष्ठ-13 पर परिभाषा दी है -

"शैक्षिक नियोजन छात्रों और राष्ट्र की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित विकास का लक्ष्य लेकर नीतिगत बिन्दुओं के आधार पर शैक्षिक प्रणाली की प्राथमिकताओं एवं लागत की दृष्टि से निश्चित किया गया वह नीतिगत कार्य है, जिसमें आर्थिक एवं राजनीतिक यथार्थों को समाविष्ट किया गया है।"[14]

संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा-शाखा (यूनेस्को) ने इसी मान्यता की 1970 में प्रकाशित अपने सर्वेक्षण के अनुच्छेद 12-14 में, निम्न प्रकार व्याख्या की है-

शैक्षिक नियोजन वह प्रक्रिया है, जिसे शिक्षाशास्त्री अपने छात्रों के शिक्षण हेतु लागू करता है तथा जिसमें सुनिश्चित एवं सुनियोजित ढंग से समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान निहित होता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्देश्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों में संतुलन हो, दूर दृष्टि भाव से समयबद्ध कार्यक्रम के साथ सुव्यवस्थित ढंग से छात्रों की रुचि का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध

14- सी0ई0 बीटी, "प्लानिंग एन्ड दि इजूकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर", पेरिस, इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ इजूकेशनल प्लानिंग, पेज-13

हो सके।[15]

सीधे और संक्षिप्त शब्दों में हम शैक्षिक नियोजन को एक ऐसा विकासात्मक दस्तावेज कह सकते हैं, जिसमें कार्यक्रम की समयबद्धता, वैज्ञानिक विश्लेषण, उपलब्ध संसाधन, सामयिक वरीयता तथा सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के साथ भौतिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से लक्ष्य-प्राप्ति का आशय निहित हो।

यह ध्यान रक्खा जाना चाहिए कि शैक्षिक नियोजन असंख्य अन्योन्याश्रित सोपानों वाली एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें §अ§ शिक्षा के उद्देश्यों एवं वरीयताओं का विनिश्चयन §ब§ न्यूनतम प्रवणता एवं तात्कालिक परिस्थिति का विश्लेषण §स§ सम्भावित विकल्पों एवं अनुगमन का चिन्तन §द§ योजना-निर्धारण §य§ योजना का निर्देशन, प्रबोधन §अनुश्रवण§ तथा कियान्वयन §र§ योजना का मूल्यांकन एवं समायोजन सन्निहित हो।

भारतवर्ष में शिक्षा को समवेत आयोजन का एक अंग बना दिया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आपस में एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं कि एक का आयोजन करने से दूसरे का आयोजन जरूरी हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रों की योजना के साथ शैक्षिक योजना को सम्मिलित कर दिया जाता है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि एक का विकास दूसरे को प्रभावित करता है।

इस आधार पर भारत में सन् 1950-51 से पंचवर्षीय योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं, जिनमें शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि -

---

15- इजूकेशनल प्लानिंग : "ए वर्ल्ड सर्वे आफ प्राब्लेम्स एन्ड प्रासपेक्ट्स," पेरिस, यूनेस्को, 1970, पृष्ठ-12-14

"कोई भी योजना तब-तक सफल नहीं हो सकती है, जब-तक कि वह मानव सामग्री के लिए विनियोग नहीं करती।"[16]

दूसरी योजना में यह स्वीकार किया गया है कि -

"आर्थिक विकास स्वभावतः मानवीय साधनों की अधिकाधिक माँग करता है और एक लोक-तांत्रिक व्यवस्था में ऐसे मूल्यों और अभिवृत्तियों को चाहता है, जिनके निर्माण में गुणात्मक शिक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है।"[17]

तीसरी योजना में व्यक्त किया गया है कि "त्वरित आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए तथा स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और अवसरों की समानता के आधार पर सामाजिक व्यवस्था लाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण अकेला घटक है।"[18] अतएव राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों के नियोजित विकास में शिक्षा को केन्द्रीय स्थान देना परमावश्यक है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ने तीन पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर स्वीकार किया है कि - "आर्थिक विकास को त्वरित करने और जिस समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए यह परमावश्यक है कि शिक्षा और विकास के बीच एक दृढ़ और सार्थक कड़ी जोड़ी जाय।"[19]

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक आधुनिकीकरण में शिक्षा निर्णायक भूमिका अदा करती है।[20]

16- प्रथम पंचवर्षीय योजना - (दिल्ली, योजना आयोग, 1951), पृष्ठ-45

17- द्वितीय पंचवर्षीय योजना - (दिल्ली, योजना आयोग, 1956), पृष्ठ-500

18- तृतीय पंचवर्षीय योजना - (दिल्ली, योजना आयोग, 1961), पृष्ठ-573

19- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना - (दिल्ली, योजना आयोग, 1966), पृष्ठ-311

20- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना भाग-2,-(दिल्ली, योजना आयोग, 1974),पृ0-191

उत्तर प्रदेश की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के महत्व को अग्रांकित शब्दों में व्यक्त किया गया है -

"वैयक्तिक और सामाजिक विकास के लिए निश्चित रूप से शिक्षा सबसे प्रभावकारी साधन है।"[21]

उत्तर प्रदेश की छठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के महत्व को निम्नवत् स्वीकार किया गया है-

"मानव के विकास में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, जो मनुष्य को अपने वातावरण के अनुसार ढालने, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन करने तथा जीवन के उत्कृष्ट मूल्यों के प्रति आस्थावान दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक है।"[22]

उत्तर प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना 1988-89 (आलेख्य) के अध्याय 11 में शिक्षा के महत्व की अग्रांकित स्पष्ट स्वीकारोक्ति की गयी है -

"सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है तथा मानव संसाधन विकास के लिए आवश्यक निवेश है .... शिक्षा विद्यार्थियों में कौशल उत्पन्न करने में भी सहायक होती है तथा उन्हें नये-नये कार्य करने के योग्य बनाती है।"[23]

अतएव इस योजना में शिक्षा को राष्ट्र के समग्र प्रयासों का महत्वपूर्ण अंश समझा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अध्याय 10 में नियोजन को प्राथमिकता देने के महत्व पर अग्रांकित शब्दों में विचार व्यक्त किये गये हैं-[24]

21- ड्राफ्ट फाइव ईयर प्लान, 1978-83 भाग-3, उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग, 1979, पृष्ठ-130

22- छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) तथा वार्षिक योजना 1981-82, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, पृष्ठ-155

23- वार्षिक योजना 1988-89 (आलेख्य), उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग 1988, पृष्ठ-204

24- "नेशनल पालिसी आन इजूकेशन - 1986" न्यू देहली, गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट, मई 1986 पृष्ठ-26

"शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी·······"

"शिक्षा की आयोजना और प्रबन्ध का दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य तैयार किया जायेगा·····"

इस प्रकार शिक्षा ने राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में केन्द्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। अतएव शिक्षा को विकास के सशक्त माध्यम के रूप में पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

आयोजन संयंत्र -

हमारे संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए शैक्षिक आयोजन भी दो स्तरों अर्थात् केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर किया जाता है। शिक्षा योजनाओं के लक्ष्य और व्यय दोनों ही केन्द्र व राज्यों के ताल-मेल बिठाने पर ही निश्चित किये जा सकते हैं। केन्द्र द्वारा राज्यों को अपनी योजनायें बनाने के लिए मार्ग-दर्शक संकेत दिए जाते हैं, जिनके आधार पर राज्य अपनी योजनायें बनाते हैं। केन्द्र में योजना आयोग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षिक विकास की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करते हैं, जो दो भागों में बँटी होती है -प्रथम केन्द्रीय योजना (सेन्ट्रल प्लान) तथा दूसरी राज्य योजना। राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य अपने राज्य से सम्बन्धित योजना विभाग तथा शिक्षा विभाग शैक्षिक विकास की विस्तृत योजना तैयार करते हैं। चार दशकों में पंचवर्षीय योजनायें निर्मित करने हेतु केन्द्र तथा राज्यों में एक विशाल संगठनात्मक नियोजन मशीनरी कार्यरत है।

प्रदेश के योजनातंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता समय-समय पर अनुभव की जाती रही है, जिससे विभिन्न बिन्दुओं पर प्रदेश की परिस्थिति के अनुरूप आर्थिक कार्यकलापों को दिशा देने का उत्तरदायित्व नियोजन तंत्र द्वारा भलीभाँति सम्पादित किया जा सके। इसी उद्देश्य से प्रदेश के योजना-तंत्र को केन्द्रीय योजना आयोग से वर्ष 1971-72 में प्राप्त मार्ग-दर्शक सिद्धान्त, जिसमें केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की गयी थी, के अनुसार पुनर्गठन किया गया और राज्य योजना आयोग को शीर्षस्थ संस्था के रूप में रक्खा गया। नियोजन विभाग इसके सचिवालय के रूप में कार्यरत है।

राज्य योजना आयोग प्रदेश के नियोजन-तंत्र की सर्वोपरि संस्था है, मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष, नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष तथा प्रमुख विभागों के मंत्रीगण इसके सदस्य होते हैं, ख्याति-प्राप्त अर्थशास्त्री विशेषज्ञ तथा उद्योगपतियों के अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए उन्हें भी आयोग से सम्बद्ध किया गया है। आयोग के तकनीकी सदस्यों की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यकारी समितियाँ (स्टीयरिंग ग्रुप) भी गठित हैं। प्रत्येक कार्यकारी समिति के सहायतार्थ तकनीकी व्यक्तियों का प्रकोष्ठ उपलब्ध है। राज्य योजना आयोग का गठन राज्य में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग, कार्यक्रमों में प्राथमिकता निर्धारण, सामाजिक व आर्थिक विकास में बाधक तत्वों का अभिज्ञान तथा योजनागत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति-समीक्षा कर विकास सम्बन्धी नीति के विषय में मार्ग दर्शन करने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य योजना आयोग हेतु वर्ष 1988-89 के लिए 162.00 लाख (3.00 लाख पर्वतीय क्षेत्र) का परिव्यय अनुमोदित है[25], जिसमें 30.00 लाख रुपये की धनराशि सेमीनार/वर्कशाप एवं अध्ययनों हेतु रखी गयी है, ताकि समय-समय पर त्वरित अध्ययन कराकर विकास योजनाओं का सफलता पूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना नियोजन सचिव की अध्यक्षता में वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। जिसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने में सहयोग देना है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अतिरिक्त इसके अन्तर्गत 9 प्रभाग और कार्यरत हैं—

(1) विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

(2) मूल्यांकन प्रभाग

(3) प्रशिक्षण विभाग

(4) दीर्घकालीन योजना प्रभाग

25- वार्षिक योजना - 1988-89 (आलेख्य), उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग, 1988, पृष्ठ-144

§5§ क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

§6§ जनशक्ति नियोजन प्रभाग

§7§ योजना अनुश्रवण एवं लागत प्रबन्ध विभाग

§8§ परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

§9§ पर्वतीय विभाग

राज्य योजना आयोग तथा उसके विभिन्न विभागों के बीच के सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिये निम्नांकित रेखाचित्र दिया जा रहा है —

स्रोत:- वार्षिक योजना 1988-89 (आलेख्य), उत्तर प्रदेश शासन नियोजन विभाग, 1988, पृष्ठ-144

"उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं"

संवैधानिक उपबंध के अनुसार भारत में शिक्षा अनिवार्यतः राज्य का विषय है, इसलिए शैक्षिक आयोजना को सफल बनाने के लिए संसाधनों को जुटाना और आवश्यक प्राथमिकताएं निर्धारित करना राज्य सरकारों की योग्यता और इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य-सूची में खर्च के विकासात्मक शीर्षों में न केवल विकास के विशिष्ट कार्यों के लिये बल्कि अपेक्षित अभिनवों और वातावरण पैदा करने के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायेगा। इन योजनाओं से सम्बन्धित कुछ शब्दों को ठीक से समझ लेना चाहिए, जिससे योजनाओं का विवरण स्पष्ट हो सके।

§1§ **अवधि** - अवधि से तात्पर्य उस काल या समय से है, जिसके बीच एक योजना बनायी जाती है। इसे योजनावधि भी कहते हैं। भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रायः यह योजनाएं पाँच वर्ष तक चलती हैं, जिससे "पंचवर्षीय" कहलाती हैं। अभी तक ऐसी सात पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। तीसरी योजना समाप्त होने पर सन् 1965-66 में प्राकृतिक प्रकोप, पड़ोसियों से युद्ध और आर्थिक विपन्नता के कारण चौथी योजना को तीन वर्षों के लिए स्थगित करना पड़ा और तीसरी योजना के पश्चात् तीन वार्षिक योजनाएं चलायी गयीं, जो सन् 1966-67, 1967-68 और 1968-69 तक चलीं तथा चौथी योजना 1969 में प्रारम्भ हो सकी।

वर्ष की गणना प्रायः वित्तीय वर्ष के आधार पर की जाती है। इस प्रकार पहली योजना का काल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था।

पंचम् पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1974-75 से 1978-79 तक थी। परन्तु अक्टूबर 1977 में तत्कालीन योजना आयोग/ केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस योजना की अवधि एक वर्ष पूर्व ही 31 मार्च 1978 को समाप्त मानी जाय तथा 1978 से 1983 तक के लिए एक नयी योजना तैयार की जाय। इस निर्णय

के साथ ही साथ तत्कालीन योजना आयोग/केन्द्रीय सरकार ने योजनाओं की संरचना के लिए "अनवरत योजना" §रोलिंग प्लान§ की एक नयी प्रणाली अपनाने का भी निर्णय लिया। परन्तु इस प्रणाली को साकार रूप नहीं दिया जा सका तथा 1978-83 की योजना केवल "प्रारूप" स्तर पर पहुँचकर समाप्त हो गयी।

जनवरी 1980 में नयी सरकार के गठन के बाद योजना आयोग का भी पुर्नगठन हुआ तथा पुनर्गठित योजना आयोग ने अप्रैल, 1980 में यह निर्णय लिया कि योजना की संरचना पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती रहे और ऐसी कोई प्रणाली अपनाना, जिसमें "प्लान हाली-डे" का भास हो, नियोजन के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होगा। तदनुसार आयोग ने यह निर्णय लिया कि 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की जाय। इस योजना की तैयारी के सिलसिले में योजना आयोग ने अपनी मार्ग-दर्शिका में वर्ष 1979-80 को आधार वर्ष मानने का निर्देश दिया।[26]

§2§ <u>लक्ष्य</u> - लक्ष्य का मतलब उस काम या बात से है, जिसको सिद्ध करने की इच्छा की जाय और जिसपर दृष्टि या ध्यान रक्खा जाय। लक्ष्य प्रस्तावित उपलब्धियाँ होती हैं, जिन्हें योजना के क्रियान्वयन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, उनका प्रयोजन पूर्वानुमान से कहीं अधिक क्रियान्वयन को दिशा देना होता है। एक-दो वर्षों के अनुभव के आधार पर बाद में उनमें संशोधन या परिवर्तन भी किया जा सकता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना आवश्यक होता है। योजना के प्रत्येक क्षेत्र के लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं, उनसे धन व्यय करने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है और प्रयत्नों को दिशा मिलती रहती है। इन लक्ष्यों के आधार पर योजना की सफलता का मूल्यांकन किया जाता है। इन लक्ष्यों का स्वरूप शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या होती है या विभिन्न वय-वर्गों की संख्या में प्रवेश पाने वाले छात्रों का प्रतिशत होता है। माध्यमिक शिक्षा में 14-18 वय वर्ग के छात्रों की

26- छठी पंचवर्षीय योजना §1980-85§ तथा वार्षिक योजना 1981-82, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, पृष्ठ-1

प्रवेश संख्या का उसकी कुल जनसंख्या में प्रतिशत निकाल लिया जाता है।

§3§ **प्राथमिकता** - प्राथमिकता से तात्पर्य अग्रता, वरीयता या महत्व-क्रम देने से है। जीवन में परस्पर विरोधी अनेक क्षेत्रों की आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें प्राथमिकता यह बताती है कि धन आबंटन में किस आवश्यकता, स्तर या मद पर पहले बल दिया जायेगा? किस पर दूसरा, किस पर तीसरा? तदवत्। उदाहरणार्थ-स्वास्थ्य, शिक्षा, निवास तथा सिंचाई में से किसको अग्रता मिलेगी? शिक्षा में स्वयं की अनेक शाखायें तथा क्षेत्र हैं, जैसे-प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्राविधिक, सामाज-शिक्षा तथा शिक्षक-शिक्षा। इनमें किसको वरीयता दी जायेगी? किस मद पर कितना जोर दिया जायेगा? यह बात प्राथमिकता देने से स्पष्ट हो जाती है। प्राथमिकता से ही योजना की शिक्षा-नीति का अनुमान लगाया जा सकता है।

§4§ **परिव्यय/आबंटन** - सभी क्षेत्रों की सम्पूर्ण योजना के लिए परिव्यय §आउट-ले§ निर्धारित किया जाता है। इस पूरे परिव्यय को विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभाजित किया जाता है। जब वह किसी क्षेत्र के विभिन्न मदों या आइटमों पर बाँट दिया जाता है तो वह उस मद का आबंटन कहलाता है। इन योजनाओं के सम्बन्ध में पूरी योजना का परिव्यय शिक्षा पर कुल आबंटन और उससे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर किये गये व्यय का विवरण दिया जायेगा। इनका प्रतिशत निकालकर वित्त वितरण में जो महत्व दिया गया है, वह स्पष्ट किया जा सकेगा। सन् 1982 से 1989 तक की जिला योजनाओं में कुल आबंटन और शिक्षा पर परिव्यय तथा उससे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर किये गये व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

§5§ **उपलब्धि** - किसी योजना के अन्त में कितना काम पूरा हो सका या लक्ष्य की किस सीमा तक प्राप्ति हुई, यही योजना की उपलब्धि कही जाती है। योजना समाप्त हो जाने पर मूल्यांकन किया जाता है। जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, वे किस सीमा तक प्राप्त हो गये हैं? यदि लक्ष्यों से उपलब्धि कम हुई तो उसके क्या कारण थे? जिससे भविष्य में उन अवरोधों को दूर किया जा सके। इसका स्वरूप लक्ष्य की भाँति नामाकंन-संख्या या वय-वर्ग में नामांकित छात्रों का प्रतिशत होता है।

§6§ **परियोजना** - परियोजना स्कीम या प्रोजेक्ट को कहते हैं, जो कार्यरूप में लायी जाने वाली योजना के सम्बन्ध में नियमित और व्यवस्थित रूप से स्थिर किया हुआ कार्य का स्वरूप होता है - जैसे-विद्यालयों में नामांकन-वृद्धि, विज्ञान-शिक्षण की व्यवस्था, उपकरणों की पूर्ति, शिक्षक-प्रशिक्षण आदि परियोजनायें किसी भी स्तर की शिक्षा में चलायी जाती हैं। इनके परिभाषीकरण से योजना में स्पष्टता और लक्ष्यों में निश्चितता आ जाती है।

§7§ **जिला सेक्टर योजना** - नियोजन प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर उचित भूमिका प्रदान कर, जन-आकांक्षाओं को साकार करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982-83 से विकेन्द्रित योजना प्रणाली लागू की गयी है, जिसमें प्रत्येक वर्ष आयोजनागत परिव्यय का 30 प्रतिशत जिला सेक्टर योजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है।[27]

प्रथम पंचवर्षीय योजना
§1951 - 56§

अवधि - उत्तर प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारम्भ हुई और 31 मार्च 1956 तक चली।

आबंटन - इस योजना का पूरा परिव्यय 153·37 करोड़ रूपये था, जिसमें 18·07 करोड़ रूपये सामान्य शिक्षा पर व्यय हुआ। इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 1·25 करोड़ रूपया व्यय किया गया। इस योजना में सामाजिक सेवाओं पर 44·74 करोड़ रूपये व्यय किये गये।

इस प्रकार से कुल योजना व्यय में सामाजिक सेवाओं पर 29·17 प्रतिशत तथा शिक्षा पर 11·78 प्रतिशत व्यय हुआ और शिक्षा का 7 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय का अनुपात बहुत कम था।

27- "विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जारी शासनादेशों का संकलन" राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, 1986, पृष्ठ-1

सारिणी - 7·3

प्रथम पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा का व्यय-विवरण (लाख रुपयों में)

क्रमांक	योजना का नाम	प्रस्तावित व्यय 1951-56	1951-52	1952-53	1953-54	1954-55	1955-56	वास्तविक कुल व्यय 1951-56
1-	50 हिन्दुस्तानी मिडिल विद्यालयों का खुलना	9·60	1·92	1·92	1·92	1·89	1·91	9·56
2-	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा 4 जूनियर हाई स्कूलों (बालिका) का खुलना	22·07	4·05	4·60	4·44	4·57	4·71	22·37
3-	सैन्य तथा सामाजिक शिक्षा	43·54	6·10	6·20	10·03	9·61	10·66	42·60
4-	जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण प्रारम्भ करना	15·91	2·61	3·44	3·21	2·73	2·73	14·72
5-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुवर्ती कक्षायें खोलना	2·74	0·40	0·52	0·54	0·46	0·64	2·56
6-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय							
	1- उपकरण	20·80	3·50	4·64	4·12	7·93	7·93	28·12
	2- छात्रवृत्ति	5·95	1·19	1·19	1·19	1·19	1·19	5·95
	योग	120·61	19·77	22·51	25·45	28·38	29·77	125·88

स्रोत - प्रोग्रेस रिव्यू आफ उत्तर प्रदेश, प्रथम पंचवर्षीय योजना, लखनऊ, नियोजन विभाग, पृष्ठ-31

सारिणी क्रमांक 7·3 यह स्पष्ट कर रही है कि प्रथम योजना में माध्यमिक शिक्षा पर 120·61 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित था, परन्तु इसके विपरीत 125·88 लाख रुपये व्यय किये गये। सर्वाधिक व्यय सैन्य तथा सामाजिक शिक्षा पर किया गया तथा न्यूनतम व्यय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुवर्ती कक्षायें खोलने में।

प्राथमिकता - प्रथम योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि, सिंचाई तथा विद्युत को दी गयी। इसके बाद उद्योग और यातायात को। अन्तिम स्थान समाज सेवाओं का था। समाज सेवाओं में चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान था, उसके बाद शिक्षा को स्थान दिया गया।

शिक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राथमिक शिक्षा तथा समाज शिक्षा को प्रदान किया गया। तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को और अन्तिम स्थान विश्वविद्यालय शिक्षा का था। प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता देने का कारण संवैधानिक निर्देश था।

लक्ष्य - प्रथम योजना काल में बालिकाओं के 12 हाई स्कूल खोलने का प्राविधान था। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 189 अनुवर्ती कक्षायें खोलने का लक्ष्य था। इन कक्षाओं में शिक्षा-समाप्ति के बाद छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा। यह व्यवसाय कृषि, वाणिज्य, पुस्तककला और धातु कर्म आदि की शिक्षा देते थे। 1948 की माध्यमिक शिक्षा पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक माध्यमिक विद्यालयों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाना था। योजना में 70 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1·82 लाख अतिरिक्त नामांकन करने की आशा व्यक्त की गयी एवं अधिकांश छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने का प्राविधान किया गया।

उपलब्धि - योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गये थे, उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया। अपेक्षित संख्या से अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। लेकिन अनुवर्ती कक्षायें 114 ही खोली जा सकीं। उनकी माँग अधिक न होने के

कारण उनके खोलने में अधिक उत्साह नहीं दिखाया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त §1955-56§ में निम्न उपलब्धियाँ प्राप्त हो गयीं थीं—

§1§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 987 से बढ़कर 1474 हो गयी थी, जिसमें 221 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे।

§2§ छात्र-छात्राओं की संख्या 1·85 लाख से बढ़कर 3·8 लाख हो गयी, जिसमें 0·31 लाख लड़कियाँ थीं। यद्यपि नामांकन में काफी वृद्धि हुई, किन्तु आयु-वर्ग के बालक-बालिकाओं का प्रतिशत अब भी बहुत कम था।

§3§ 18227 अध्यापकों की संख्या बढ़कर 28871 हो गयी, जिसमें 4130 महिला शिक्षिकायें थीं।

§4§ माध्यमिक शिक्षा का बजट 1·66 करोड़ से बढ़कर 2·35 करोड़ हो गया।

§5§ छात्र-वृत्तियों पर प्रतिवर्ष 1·95 लाख रूपया व्यय किया गया। इस प्रकार इस पंचवर्षीय योजना में इस मद पर 6·95 लाख रूपया छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान किया गया।

<u>परियोजनाएं</u> -

§1§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुवर्ती कक्षाएं खोली गयीं, जिन पर पाँच वर्षों में 2·56 लाख रूपये व्यय किया गया था।

§2§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उपकरण तथा शिक्षक देने की व्यवस्था करना, जिसमें पाँच वर्षों में 28·12 लाख रूपये व्यय किये गये।

§3§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के समेकन §कन्सालीडेशन§ पर अधिक वल दिया गया।

§4§ बालिकाओं की शिक्षा के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाना, जिस पर पाँच वर्षों में 22·37 लाख रूपये व्यय किये गये।

(5) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियाँ देना, जिस पर 5·95 लाख रूपया इस योजना काल में व्यय किया गया, जो प्रतिवर्ष 1·95 लाख रूपये की दर से था।[28]

(6) आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में द्वितीय पुनर्संगठन समिति नियुक्त की गयी।

(7) सैनिक एवं समाज सेवा की सम्मिलित योजना परिचालित की गयी, जिस पर पाँच वर्षो में 42·60 लाख रूपया व्यय किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना
(1956 - 61)

अवधि - द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी।

आबंटन - द्वितीय योजना का कुल परिव्यय 233·35 करोड़ रूपये था, जिसमें सामाजिक सेवाओं पर 45·45 करोड़ रूपये व्यय किये गये। सामान्य शिक्षा पर 14·31 करोड़ रूपये व्यय हुए। इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 2·97 करोड़ रूपये व्यय किए गये। कुल योजना व्यय का 19·47 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं पर तथा 6·1 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ और शिक्षा का 21 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। प्रथम योजना की तुलना में दूसरी योजना में समाज सेवाओं को योजना परिव्यय का बहुत थोड़ा भाग प्राप्त हुआ, किन्तु उसमें से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को लगभग 1/5 भाग प्राप्त हुआ।

28- प्रोग्रेस रिव्यू आफ इजूकेशन फर्स्ट फाइवर ईयर प्लान, उत्तर प्रदेश शासन, 1957, पृ0-28,30,95 तथा 154-55

सारिणी - 7·4

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तविक व्यय-विवरण

§लाख रूपयों में§

क्रमांक	मद का नाम	द्वितीय योजना के लिए प्रस्तावित धनराशि	1956-57	1957-58	1958-59	1959-60	1960-61	योग 1956-61
1-	5 राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का खोलना	18·960	0·460	0·860	1·401	2·646	4·347	9·714
2-	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु 8 भवनों का निर्माण	20·050	1·370	1·890	5·705	8·736	1·307	19·008
3-	राजकीय बालिका विद्यालयों हेतु बसों की व्यवस्था	16·150	3·570	4·180	2·385	2·684	1·678	14·497
4-	बालिका विद्यालयों में शिक्षा - सुविधाओं का विस्तार	3·530	0·180	0·520	0·854	0·863	1·014	3·431
5-	महिला शिक्षिकाओं हेतु आवासीय क्वाटर्स तथा भवनों का विस्तार	11·040	0·900	0·900	3·701	3·223	0·772	9·496
6-	राजकीय बालक विद्यालयों में भवन-निर्माण	11·210	0·880	2·140	1·963	2·005	0·247	7·235
7-	असहायता-प्राप्त मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान	29·880	10·800	3·750	5·849	8·060	9·837	29·296
8-	अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भवन-निर्माण अनुदान	11·500	2·000	3·500	1·600	1·607	2·376	11·083

सारिणी- 7·4 क्रमशः ----

9-	उ0मा0 विद्यालयों को क्रीड़ांगन हेतु प्राविधान	3·200	0·400	0·800	--	--	--	1·200
10-	पुस्तकालयों के सम्वर्द्धन हेतु अनुदान	14·250	2·500	3·750	2·023	2·251	1·279	11·803
11-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का बहु-उद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तन	51·160	6·260	14·110	9·002	12·660	73·50	49·382
12-	पिछड़े क्षेत्रों में उ0मा0वि0 का प्रान्तीयकरण	4·300	0·040	0·460	1·080	1·718	2·296	5·594
13-	हाई स्कूल विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तन	13·050	0·900	1·800	2·057	2·112	2·581	9·660
14-	गोमेशली §पौरीगढ़वाल§ के जूनियर हाई स्कूल की क्रमोन्नति	--	--	--	--	0·367	0·517	0·884
15-	विद्यालय मनोवैज्ञानिक सेवाओं के लिए प्राविधान	3·050	0·780	1·040	0·435	0·424	0·385	3·064
16-	विज्ञानं शिक्षण सुधार हेतु प्राविधान	4·520	--	0·320	0·708	0·833	0·757	2·618
17-	सेन्ट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट का पुनर्गठन	3·370	0·500	0·850	0·631	0·624	0·618	3·223
18-	राजकीय रचनात्मक ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ का पुनर्गठन	4·720	0·990	16·20	0·798	0·676	0·650	4·734
19-	8 बड़े जनपदों में सहायक जिला विद्यालय निरीक्षकों का प्राविधान	2·140	0·280	0·480	0·455	0·374	0·435	2·024
20-	स्पिलोवर स्कीम	--	--	--	--	--	--	--

सारिणी - 7·4 क्रमशः -----

21-	सहायता-प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन में सुधार	87·000	--	--	24·871	29·569	40·176	94·614
22-	पिछड़े क्षेत्रों के उ0मा0वि0 के सहायता अनुदान में	1·500	--	--	0·467	0·501	0·599	1·567
23-	टी0 एन्ड पी0 इस्टाविलिश्मेन्ट तथा सस्पेन्स चार्जेज	--	--	--	1·242	1·375	0·360	2·977
	योग	313·580	23·810	43·030	67·227	83·508	79·545	297·120

स्रोत - प्रोग्रेस रिव्यू आफ सेकेन्ड फाइव इयर प्लान,
उत्तर प्रदेश शासन ﴾1962﴿, पृष्ठ- 80-82 तथा 209

सारिणी क्रमांक 7·4 यह प्रदर्शित करती है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा हेतु 313·580 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत था, परन्तु 297·120 लाख रुपये ही खर्च हुए। सबसे अधिक व्यय क्रमशः सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के वेतन-सुधार तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तन करने में हुआ। सबसे कम व्यय माध्यमिक विद्यालयों में "खेल के मैदान" मद में किया गया।

<u>प्राथमिकता</u> - द्वितीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता, कृषि, सिंचाई, विद्युत, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को दी गयी। तदुपरान्त उद्योग और यातायात को और अन्तिम स्थान समाज-सेवाओं का था। समाज-सेवाओं में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी। उसके बाद स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवार- नियोजन तथा जन-वितरण को स्थान दिया गया।

शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को तत्पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा को महत्व दिया गया।

माध्यमिक शिक्षा में सर्वोच्च वरीयता इसके पुनर्गठन, बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, सामान्य हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तन तथा छात्राओं की माध्यमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना था। शिक्षकों की दशा सुधारने हेतु उनके वेतन तथा शैक्षिक मार्ग दर्शन की सेवाओं में सुधार किया गया।

<u>लक्ष्य</u> -

(1) 256 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना।

(2) 63 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम चालू रखना।

(3) 1·25 लाख अतिरिक्त नामांकन।

§4§ 300 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना।

§5§ विद्यालयों के भवन, पुस्तकालय, क्रीड़ांगन के विकास के लिए विशिष्ट अनुदान देना।

§6§ 20 शैक्षिक मार्ग-दर्शन की सेवाओं की प्रमुख नगरों में व्यवस्था करना।।

<u>उपलब्धि</u> - योजना में जो लक्ष्य सामने रक्खे गये थे, उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया। द्वितीय योजना काल §1955-66 - 1960-61§ में पाँच वर्ष में निम्न उपलब्धियाँ प्राप्त हुई —

§1§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1474 से बढ़कर 1771 हो गयी, जिसमें 282 विद्यालय बालिकाओं के थे।

§2§ छात्रों का नामांकन 3·8 लाख से बढ़कर 5·11 लाख हो गया, जिसमें बालिकाओं की संख्या 0·31 लाख से बढ़कर 0·6 लाख हो गयी। 14 से 18 आयुववर्ग के बालकों का 15·16 प्रतिशत विद्यालयों में पढ़ने जाने लगा, किन्तु बालिकाओं का प्रतिशत 2·11 ही था, जो बालकों की अपेक्षा बहुत कम था।

§3§ शिक्षकों की संख्या बढ़कर 37 हजार हो गयी।

§4§ माध्यमिक शिक्षा का बजट 2·35 करोड़ से बढ़कर 3·36 करोड़ हो गया।

§5§ 310 गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया।

§6§ 575 विद्यालयों को पुस्तकालय और भवनों के विकास के लिए अनुदान दिए गये।

§7§ 25 उ0 मा0 विद्यालयों में क्रीड़ांगन हेतु विशिष्ट अनुदान दिए गये।

§8§ चुने हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 25 मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की गयी।

§9§ वाराणसी, लखनऊ, बरेली, कानपुर तथा मेरठ में 5 क्षेत्रीय मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले गये।

§10§ बालिकाओं के 6 हाई स्कूल और बालकों के दो हाई स्कूलों को इन्टरमीडिएट तक बढ़ा दिया गया। दो राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल में परिवर्तित किया गया तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए शासकीय विद्यालयों में 60 पाठ्यक्रम लागू किये गये।

§11§ महिलाओं के लिए शारीरिक प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय इलाहाबाद में खोला गया।

§12§ चार प्रशिक्षण महा- विद्यालयों में सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था शिक्षकों के लिए की गयी।

<u>परियोजनाएं</u> -

§1§ विज्ञान-अध्यापन में सुधार एवं उन्नति करने हेतु 32 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का चयन।

§2§ 14 माध्यमिक विद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं के लिए 9·496 लाख रुपये का अनुदान प्रदान कर आवास की व्यवस्था करना।

§3§ 40 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था करना।

§4§ पिछड़े क्षेत्रों के 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण करना।

§5§ 103 गैर सरकारी सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन-निर्माण में सहायता करना।

§6§ सन् 1959 तथा 1961 में शिक्षकों के वेतन को पुनरीक्षित किया गया।

§7§ 1957 में 11 विद्यालयों में §10 राजकीय तथा 1 अराजकीय§ टेक्नीकल पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया।

§8§ विस्तार सेवा विभाग से लाभप्रद योजनाओं का श्रीगणेश हुआ।

§9§ 1956 में इंगलिश टीचिंग लैंग्वेज संस्थान स्थापित किया गया।

§10§ 1958 में इन्टरमीडियट इजूकेशन एक्ट का व्यापक रूप से संशोधन किया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

§1961 - 66§

<u>अवधि</u> - तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली।

<u>आबंटन/परिव्यय</u> - तृतीय योजना का कुल व्यय 560·63 करोड़ रुपया था, जिसमें 102·72 करोड़ रुपये सामाजिक सेवाओं पर व्यय किए गये। जो कुल योजना व्यय का 18·32 प्रतिशत था। सामान्य शिक्षा पर 44·71 करोड़ रुपया व्यय किया गया, जो कुल योजना व्यय का 7·97 प्रतिशत अर्थात् 8 प्रतिशत था। सामान्य शिक्षा व्यय में 7·41 करोड़ रुपया उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया गया, जो कुल शिक्षा व्यय का 17 प्रतिशत है।

दूसरी योजना की तुलना में तीसरी योजना में समाज-सेवाओं की प्रगति को काफी तेज करने के लिए पर्याप्त धन आबंटित किया गया, किन्तु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर आनुपातिक व्यय दूसरी योजना से कम ही था।

सारिणी - 7·5

तृतीय पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा का मदवार परिव्यय

§लाख रूपयों में§

क्रमांक	योजना	वित्तीय स्थिति कुल योजना 1961-66
1-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त क्रमोन्नति तथा विस्तार	465·290
2-	शिक्षकों के वेतन में सुधार	5·120
3-	बालिकाओं की शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम	22·000
4-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में सुधार	124·240
5-	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सुधार	41·500
6-	शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	21·690
7-	विद्यालय-निरीक्षकों का सुदृढ़ीकरण	10·000
8-	माध्यमिक शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ	50·000
	योग	739·640

स्रोत- थर्ड फाइव ईयर प्लान वाल्यूम -2 §स्टेटमेन्ट्स§
गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश, प्लानिगं डिपार्टमेन्ट, पृष्ठ-34,35 तथा 36

सारिणी क्रमांक 7·5 से यह विदित हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न मदों हेतु 739·640 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ था। परन्तु इस परिव्यय से अधिक 741·0 लाख रूपया व्यय हुआ। इस योजना में सबसे अधिक व्यय माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम, क्रमोन्नति तथा विस्तार में किया गया। परिव्यय में दूसरा स्थान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों में सुधार को दिया गया। छात्रों

को वजीफे हेतु 50,000 का प्राविधान किया गया। जो परिव्यय में तीसरा स्थान प्राप्त कर रहा है।

लक्ष्य - माध्यमिक शिक्षा में किए गये सुधारों को निम्नलिखित दिशाओं में जारी रक्खा जायेगा -

(1) बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक जोर

(2) विज्ञान की शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि

(3) अधिक खेल के मैदान, अच्छे भवन और पुस्तकालय बनाकर वर्तमान संस्थाओं में सुधार।[29]

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा हेतु तीसरी योजना के निम्न लक्ष्य रक्खे गये-[30]

(1) अनुदान सूची पर 600 विद्यालय लिए जायेंगे।

(2) बालिकाओं के लिए 985 अतिरिक्त छात्र-वृत्तियाँ होंगी।

(3) 788 बालिकाओं के लिए पुस्तकीय सहायता उपलब्ध होगी।

(4) बालिकाओं के लिए 100 सामान्य कक्षों का निर्माण किया जायेगा।

(5) मेरिट की बुनियाद पर 9032 वजीफे देय होंगे।

(6) मेरिट की बुनियाद पर 7004 किताबी सहायताएं दी जाएंगी।

(7) पिछड़े क्षेत्रों में 250 जूनियर हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान उदारता पूर्वक दिया जायेगा।

(8) 1000 गैरसरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों में सुधार किया जायेगा।

(9) 425 बालकों के गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में तथा 130 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा का विकास किया जायेगा।

29- तीसरी पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग 1961, नवम्बर, पेज-164

30- "शिक्षा की प्रगति", 1962, लखनऊ, शिक्षा पत्रिका विभाग, शिक्षा निदेशक कार्यालय, पृ0-48

﴾10﴿ 500 गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जायेगा।

﴾11﴿ 250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को क्रीड़ांगन हेतु अनुदान दिया जायेगा।

﴾12﴿ 1454 गैर सरकारी सीनियर बेसिक स्कूलों के लिए भवन, फर्नीचर, साज-सज्जा के लिए अनुदान दिया जायेगा।

﴾13﴿ उत्तराखंड में 11 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा तीन वर्तमान राजकीय हाई स्कूलों को इन्टरमीडियट स्तर तक बढ़ा दिया जायेगा।

﴾14﴿ लड़कियों के सरकारी स्कूलों में 50 बसें दी जायेंगी तथा 100 गैर सरकारी संस्थाओं को बस खरीदने के लिए अनुदान दिया जायेगा। देहात की लड़कियों को नगरों में उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 14 छात्रावासों का निर्माण किया जायेगा।

﴾15﴿ तीसरी योजना में माध्यमिक स्तर पर 2·28 लाख विद्यार्थियों की अतिरिक्त भर्ती होगी।

<u>उपलब्धि</u> - तृतीय योजना-अवधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल छात्र-छात्राओं का नामांकन लक्ष्य 7·45 लाख रक्खा गया था, जिसमें 0·84 लाख लड़कियाँ थीं। योजना के अन्त में कुल छात्र/छात्राओं का नामांकन 8·03 लाख हो गया, जिसमें 1·11 लाख छात्राएं थीं। योजनावधि में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 1771 से बढ़कर 2501 हो गयी। इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापकों की संख्या 44376 होने का अनुमान था, जो योजना के अंत में 46 हजार हो गयी। प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रतिशत 82 निर्धारित किया गया था, जो योजनावधि में ही पूरा हो गया।

उत्तराखण्ड में 11 हायर सेकन्डरी स्कूल ﴾8 बालकों के व 3 बालिकाओं के﴿ खोले गये तथा 3 राजकीय हाई स्कूलों को इन्टरमीडियट तक उच्चीकृत किया गया। तृतीय योजना-काल में 637 विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये। इस योजनावधि में

592 स्कूलों को विज्ञान-शिक्षा की उन्नति तथा प्रयोगशाला-निर्माण हेतु 49,75,000 रु0 का अनावर्तक अनुदान दिया गया। क्रीड़ांगन हेतु 230 विद्यालयों को 13,00,000 रु0 का अनुदान दिया गया। तृतीय योजना-काल में 810 विद्यालयों को दो कमरों के निर्माणार्थ 43,90,000 रु0 का भवन अनुदान दिया गया।

परियोजनाएं -

(1) बढ़े हुए नामांकन की व्यवस्था करने के लिए गैर सरकारी बालिका विद्यालयों को बसें प्रदान की गयीं।

(2) उन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में, जिनमें विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, उनमें विज्ञान-शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 47·92 लाख रुपये खर्च करने का प्राविधान किया गया।

(3) विज्ञान-शिक्षकों को अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ स्वीकृत की गयीं।

(4) भारत सरकार के निर्देश पर 445 विद्यालयों को क्रैश प्रोग्राम स्वीकृत किया गया।

(5) 9 (3 रसायन, 5 भौतिक शास्त्र तथा एक जीव विज्ञान) केन्द्रों में पोस्ट-ग्रेजुएट कन्डेन्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य विज्ञान-शिक्षकों की कमी को पूरा करना था।

(6) प्रशिक्षण-संस्थाओं की संख्या में वृद्धि की गयी।

तीन वार्षिक योजनाएं

तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल अनेक संकटों का समय था। देश को 1962 में चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा था, जिसके फलस्वरूप सरकार की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गयी और समस्त विकास कार्य रोकने पड़े। शासन का ध्यान व संसाधन रक्षा-कार्यों में लग गये, जिससे शिक्षा के व्यय में कटौती करनी पड़ी। अस्तव्यस्तता व आर्थिक तंगी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना रोकनी पड़ी।

अवधि - चतुर्थ योजना तीन वर्ष तक आरम्भ न हो सकी। इस अवकाशकाल में

तीन वार्षिक योजनाएं चलायी गयीं। इन योजनाओं की अवधि तीन वित्तीय वर्ष 1966 -67, 1967-68 तथा 1968-69 थी अर्थात् 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक थी।

आबंटन - सन् 1966-67 की वार्षिक योजना का कुल परिव्यय 148·83 करोड़ रूपये था तथा 1967-68 का 155·04 करोड़ एवं 1968-69 का परिव्यय 177·78 करोड़ रूपये था।

सारिणी - 7·6

तीन वार्षिक योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय

(करोड़ रूपयों में)

योजना वर्ष	कुल योजना परिव्यय	सामान्य शिक्षा पर व्यय	सामान्य शिक्षा पर कुल योजना व्यय का प्रतिशत	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर सामान्य शिक्षा व्यय का प्रतिशत
1966-67	148·83	2·48	1·7%	·59	23·7%
1967-68	155·04	4·54	2·92%	·85	18·7%
1968-69	177·78	5·29	2·97%	·96	18·1%
योग	481·65	12·31		2·40	

सारिणी क्रमांक 7·6 प्रकट कर रही है कि इन तीन वार्षिक योजनाओं में सामान्य शिक्षा पर क्रमशः 2·48 करोड़ रूपये, 4·54 करोड़ रूपये तथा 5·29 करोड़ रूपये व्यय हुए। शिक्षा के व्यय से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर क्रमशः ·59

करोड़ रुपये, ·85 करोड़ रुपये तथा ·96 करोड़ रुपये व्यय हुए।

योजना के कुल परिव्यय का इन वार्षिक योजनाओं में क्रमशः 17 प्रतिशत, 2·92 प्रतिशत तथा 2·97 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर व्यय किया गया। शिक्षा के इस आबंटन का माध्यमिक शिक्षा पर क्रमशः 23·7 प्रतिशत, 18·7 प्रतिशत तथा 18·1 प्रतिशत व्यय हुआ। वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा का आनुपातिक आबंटन सबसे अधिक प्रथम वार्षिक योजना में था।

<u>प्राथमिकता</u> - पाकिस्तानी युद्ध तथा अनावर्षण के कारण प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी थी। पानी की आवश्यकता को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचाई के साधनों तथा कृषि को दी गयी। प्रायः चालू परियोजनाओं को जिनमें त्वरित उत्पादन की आशा थी, उन्हें बढ़ाया गया। बिजली, सहकारिता और यातायात बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। धनाभाव के कारण सामाजिक सेवाओं को अधिक आबंटन नहीं किया गया। सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में स्वास्थ्य पर शिक्षा से अधिक व्यय किया गया।

इन वार्षिक योजनाओं में भी प्रथम वरीयता प्राथमिक शिक्षा को ही दी गयी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के तुरन्त बाद उच्च शिक्षा को दी गयी। माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाने तथा विज्ञान-शिक्षण पर विशेष बल दिया गया।

<u>लक्ष्य</u> - तीन वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा के अग्रांकित लक्ष्य निर्धारित किये गये—

क्र0सं0	1966-67	1967-68	1968-69
1-	137 माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान सूची पर लाना	88 माध्यमिक विद्यालयों के अनुदान सूची पर लेने का प्रस्ताव	80 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना
2-	17 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय के विकास हेतु	पुस्तकालय सेवा में सुधार हेतु 75 उच्चतर माध्यमिक	75 विद्यालयों को पुस्तकालय सुविधा हेतु अनावर्ती अनुदान

क्रमशः ----

	अनावर्ती अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।	विद्यालयों को अनावर्ती अनुदान देने का लक्ष्य।	देने का लक्ष्य।
3-	50 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान।	35 विद्यालयों को दक्षता अनुदान।	35 विद्यालयों को दक्षता अनुदान
4-	10 राजकीय बालिका विद्यालयों में बसें खरीदने का प्राविधान।	दो आवासीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालयों में बसें देने का प्राविधान।	12 विद्यालयों में क्रीड़ांगन की सुविधा प्रदान करने का प्राविधान।
5-	---	---	कुछ विशिष्ट आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रन्तीय-करण।
6-	---	---	विज्ञान शिक्षण की सुविधायें बढ़ाने हेतु अनावर्ती अनुदान।

<u>उपलब्धि</u> - तीन वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गये थे, उन्हें पूरा करने का प्रयास किया गया। इन तीन वर्षों में प्रस्तावित 338 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाया गया। पुस्तकालय सुधारने हेतु 1966-67 में 17 विद्यालयों को 50,000 रूपयेका अनुदान दिया गया। इसी प्रकार 1967-68 तथा 1968-69 में प्रतिवर्ष 75 विद्यालयों को पुस्तकालय सुधार हेतु 2,20,000 का अनुदान दिया गया। 1966-67 में 50, 1967-68 में 35 तथा 1968-69 में 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को क्रमशः 1,00,000 रूपये तथा 75,000 रू0 के दक्षता पुरष्कार प्रदान किये गये।

छात्रों के नामांकन में 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में क्रमशः 50 हजार, 52 हजार तथा 64 हजार की वृद्धि हुई तथा छात्रों का कुल नामांकन

10·64 लाख हो गया, जिसमें 1·60 लाख छात्रायें थीं। इसी प्रकार इन वार्षिक योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2501 से बढ़कर 3012 हो गयी। शिक्षकों की संख्या 46 हजार से बढ़कर 64 हजार हो गयी तथा माध्यमिक शिक्षा का बजट 14·38 करोड़ रूपये हो गया।

<u>परियोजनाएं</u> -

(1) विज्ञान-शिक्षण की शुरूआत करना अथवा उसके पढ़ाने को उन्नत बनाना, जिसके लिए 13·61 लाख रूपये खर्च करने का प्राविधान किया गया।

(2) क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत शासन द्वारा 105 गैर सरकारी कृषि वर्ग सहित बहुधंधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को कृषि वर्ग की कक्षाओं की उन्नति हेतु अनुदान दिया गया।

(3) पोस्ट-ग्रेजुएट कन्डेन्स डिप्लोमा कोर्स की 12 इकाइयाँ (4 रसायन, 6 भौतिक, 1 वनस्पति तथा 1 जीवशास्त्र) प्रारम्भ की गयीं।

(4) विज्ञान-अध्यापकों को शिक्षण-व्यवसाय में आकृष्ट करने और बनाये रखने के लिए प्रदेश की सहायता-प्राप्त माध्यमिक संस्थाओं में आठ वेतन-वृद्धि तक देने की स्वीकृति देदी गयी।

(5) सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए विभाग द्वारा पाँच प्रशिक्षण केन्द्रों पर (1 शासकीय तथा 4 अशासकीय महाविद्यालयों में संलग्न) तीन-तीन महीनों के दो फेरों में दो वर्षीय एल0टी0 (जनरल) और एल0टी0 (हिन्दी) सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
(1969 - 74)

<u>अवधि</u> - विश्राम के बाद प्रारम्भ होने वाली चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक थी।

आबंटन - चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की शिक्षा का महत्वपूर्ण अध्याय पुनः शुरू हुआ। चतुर्थ योजना का कुल व्यय 1165·39 करोड़ रुपये हुआ, जिसमें सामान्य शिक्षा पर वास्तविक व्यय 56·36 करोड़ रुपये हुआ। इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 9·90 करोड़ रूपया व्यय हुआ।

सारिणी - 7·7

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की नवीन योजनाएं तथा उसका परिव्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रमांक	योजना	परिव्यय
1-	असहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान	4·65
2-	सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षण सुविधाओं का प्राविधान	2·08
3-	अशासकीय हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित करना	1·67
4-	सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सुधार	1·03
	योग	9·43

स्रोत - फोर्थ फाइव ईयर प्लान, गवर्नमेन्ट आफ उत्तर प्रदेश, 1970, पृष्ठ-136

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल योजना का 4·83 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ और शिक्षा का 17 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर। चौथी योजना

में शिक्षा पर अनुपातिक आबंटन तीसरी पंचवर्षीय योजना से कम था, किन्तु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत तीसरी योजना के बराबर था।

प्राथमिकता - चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च वरीयता खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने, पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों में समाज-सेवाओं की विषमताओं को कम करने तथा जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि को यथा-संभव रोकने को प्रदान की गयी।

समाज-सेवाओं में शिक्षा को सर्वोच्च वरीयता दी गयी। समन्य शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा को सबसे अधिक वरीयता प्राप्त हुई, तदुपरान्त माध्यमिक शिक्षा को और विश्वविद्यालयी शिक्षा को स्थान दिया गया।

लक्ष्य - चौथी पंचवर्षीय योजना में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 6·2 लाख अतिरिक्त हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें बालिकाओं का नामांकन 2 लाख बढ़ने का लक्ष्य था। योजना के अन्त में 14 से 18 आयु-वर्ग में आबादी का प्रतिशत 17·88 होगा और बालिकाओं के लिए यह प्रतिशत 8·7 हो जाने की आशा थी। वर्तमान विद्यालयों में नामांकन की सुविधाओं को इष्टतम करके तथा जूनियर हाई स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर में परिवर्तित करके तथा नये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलकर लक्षित नामांकन की व्यवस्था करने का प्राविधान किया गया। 400 विज्ञान-प्रयोगशालाएं हाई स्कूलों में तथा 400 विज्ञान प्रयोगशालाएं इन्टरमीडियट कालेजों में निर्माण करने का लक्ष्य रक्खा गया। उत्तराखंड में पिछड़े हुए शिक्षा के स्तर और सुविधाओं की कमी पर विशेष ध्यान देने का लक्ष्य रक्खा गया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने पर जोर दिया गया। 800 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को भवन-निर्माण हेतु अनुदान देने का प्राविधान था।

उपलब्धि - चतुर्थ योजना के अंत में नामांकन 13·64 लाख हो गया, जिसमें 11·11 लाख बालक तथा 2·53 लाख बालिकाएं अध्ययनरत थीं। कुल मिलाकर 18·9%

छात्र-छात्राएं (14-18 वर्ष) आबादी में अपने आयु-वर्ग में शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 3012 से बढ़कर 4003 हो गयी तथा शिक्षकों की संख्या बढ़कर 78 हजार हो गयी एवं माध्यमिक शिक्षा का बजट 25.53 करोड़ रूपया हो गया। शिक्षा का स्तर और गुणात्मकता बढ़ाने के लिए दक्षता अनुदान दिया जाने लगा तथा शिक्षकों को अच्छे कार्यो और अच्छे परीक्षाफल के लिए दक्षता पुरष्कार भी दिया जाने लगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पाठ्यचर्या, शोध और मूल्यांकन-इकाई की स्थापना की।

<u>परियोजनाएं</u> - चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की गयीं-

(1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक की स्थापना की गयी।

(2) यूनीसेफ की विज्ञान सम्बन्धी योजनाओं हेतु शिक्षा निदेशालय में एक विज्ञान सेल का सृजन किया गया, जिस हेतु 7.64 लाख रूपये का प्राविधान किया गया।[31]

(3) झाँसी और फैजाबाद में बालिकाओं के दो मंडलों का सृजन।

(4) पाठ्यक्रम, शोध एवं मूल्यांकन के नये तरीकों से अध्यापकों को अवगत कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी।

(5) 1 अक्टूबर 1964 से सेवा-निवृत्त जीवित एवं स्थायी कर्मचारियों को नवम्बर, 1972 में अनुग्रह पेन्शन देने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(6) माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण हेतु सर्वेक्षण की अग्रगामी योजना सुल्तानपुर जिले में प्रारम्भ की गयी। सुल्तानपुर जनपद की इस योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा वर्ष 1973-74 में 80,000 रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी।[32]

31- चौथी पंचवर्षीय योजना, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग, जुलाई 1969, पृष्ठ-257

32- शिक्षा की प्रगति 1973-74, इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, पृष्ठ-11

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

(1974 - 79)

अवधि - पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक थी।

आबंटन/परिव्यय - पाँचवीं योजना का कुल व्यय 2924·39 करोड़ रुपया था, जिसमें 94·04 करोड़ रुपये सामान्य शिक्षा पर व्यय हुए। सामान्य शिक्षा व्यय में से 25·90 करोड़ रुपया उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय हुआ। इस प्रकार कुल योजना का 3·21 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ तथा शिक्षा का 28 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। पाँचवीं योजना में शिक्षा पर आनुपातिक आबंटन चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रतिशत से कम था, परन्तु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत चौथी योजना की अपेक्षा अधिक था।

सारिणी - 7·8

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का परिव्यय (अनन्तिम)

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	परिव्यय
1-	निर्देशन एवं प्रशासन	32·00
2-	निरीक्षण	115·38
3-	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	1158·66
4-	छात्र-वृत्तियाँ	110·00
5-	अध्यापक-प्रशिक्षण	226·00
6-	अशासकीय विद्यालयों को सहायता	614·19
7-	अन्य व्यय	102·92
	योग	2359·15

स्रोत- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, उ0प्र0 वार्षिक योजना 1976-77, पृ0-267 से 274

पांचवी योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर परिव्यय (लाख रु० में)

चित्र- 7.1

उपर्युक्त सारिणी यह प्रकट करती है कि पाँचवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा का परिव्यय 23·60 करोड़ रुपया था, परन्तु वास्तविक व्यय 25·90 करोड़ हुआ। पाँचवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा पर वार्षिक व्यय अग्रांकित सारिणी में दर्शाया गया है -

सारिणी - 7·9

पाँचवीं योजना में माध्यमिक शिक्षा पर वार्षिक व्यय-विवरण

(करोड़ रुपयों में)

मद	1974-75	1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	योग
माध्यमिक शिक्षा	1·85	3·09	5·21	6·56	9·22	25·93

स्रोत - उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग - 1977-78 तथा 1980-81 के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय - व्ययक, इलाहाबाद, अधीक्षक राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, पृष्ठ-क्रमशः 4 तथा

प्राथमिकता - इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता बेरोजगार तथा अर्द्धबेरोजगार व्यक्तियों को लाभपूर्ण रोजगार देना, छोटे कृषकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों को उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना था, ताकि उनको निजी उपयोग का न्यूनतम स्तर उपलब्ध कराया जा सके। तदुपरान्त विद्युत, सिंचाई एवं यातायात के साधनों का सुदृढ़ीकरण, कृषि-उत्पादन में 6 प्रतिशत की वृद्धि करना, औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि करना, जन्मदर में कमी करना तथा मूल्यों को स्थिर करना था।

समाज-सेवाओं के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता क्रमशः स्वास्थ्य-सेवाओं, पेय-जल-व्यवस्था, ग्रामीण-क्षेत्रों में स्वास्थ्य-केन्द्रों की स्थापना तथा शिक्षा-व्यवस्था को दी गयी।

शिक्षा में सर्वोच्च वरीयता अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को दी गयी, तत्पश्चात् माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को स्थान था। बालिकाओं की शिक्षा में निहित कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प किया गया।

<u>लक्ष्य</u> - पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 18·64 लाख हो जाने का लक्ष्य था। जिसमें बालिकाओं का नामांकन 3·78 लाख हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना के अन्त में आयुवर्ग में आबादी का प्रतिशत 21·1 होगा और बालिकाओं के लिए यह प्रतिशत 9·0 होगा।

नामांकन में वृद्धि के कारण कुछ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में द्वि-पाली प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया गया। कुछ जूनियर हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उच्चीकृत करने का प्रस्ताव किया गया। विज्ञान, मनोविज्ञान व गृह-विज्ञान के शिक्षण के लिए कुछ विशेष संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया गया। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने तथा बुक बैंक योजना को कार्यान्वित करने का लक्ष्य रक्खा गया।

<u>उपलब्धि</u> -

(1) छात्रों का नामांकन 13·64 लाख से बढ़कर 17·78 लाख हो गया, जिसमें 2·82 लाख छात्राएं थीं।

(2) अध्यापकों की संख्या 64 हजार से बढ़कर 78 हजार हो गयी।

(3) उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4003 से बढ़कर 4869 हो गयी।

(4) माध्यमिक शिक्षा का बजट 25·53 करोड़ से बढ़कर 68·00 करोड़ हो गया।

(5) पाँचवी योजना के अन्तर्गत 1212 असहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित किये गये।

(6) तृतीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण का कार्य इसी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा हुआ।

§7§ माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पाठ्यक्रम, शोध एवं मूल्यांकन इकाई की स्थापना की गयी।

§8§ राजकीय माध्यमिक विद्यालय पहाड़ी क्षेत्रों में खोले गये।

§9§ बुक बैंक योजना को अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने योजनावधि में 1.50 करोड़ रुपये का अनुदान देना स्वीकार कर लिया।

§10§ हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कक्षाओं की हिन्दी और अंग्रेजी पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

परियोजनाएं -

§1§ वर्ष 1974-75 से राज्य के आठ जनपदों §इटावा, मैनपुरी, आगरा, कानपुर, झाँसी, जालौन, ललितपुर तथा बाँदा§ में चम्बल घाटी के असामाजिक व्यक्तियों द्वारा सताये गये परिवारों को तथा आत्म-समर्पण किये गये असामाजिक लोगों के बच्चों को सुविधा हेतु शैक्षिक सहायता की योजना लागू की गयी। इस योजना के लिए कुल 20,000 रू0 का प्राविधान वर्ष 1976-77 में किया गया।[33]

§2§ उत्तर प्रदेश, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने परीक्षाफल कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराना प्रारम्भ कर दिया।

§3§ हाई स्कूल एवं इन्टर परीक्षाओं में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को विशेष सुविधा की योजना सम्मान के साथ प्रारम्भ की गयी।

§4§ पंचम् पंचवर्षीय योजना से हाई स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति की दर 10 रू0 से बढ़ाकर 15 रू0 तथा इन्टर योग्यता छात्रवृत्ति की दर 16 रू0 से बढ़ाकर 25 रू0 कर दी गयी।

§5§ माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अभिलेखों को माइक्रोफिल्मिंग कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

§6§ कार्यानुभव से सम्बन्धित एक प्रायोगिक परियोजना चलायी गयी।।

33- "शिक्षा की प्रगति" 1976-77, इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय, पृष्ठ-7

वार्षिक योजना - 1979-80

अवधि - वार्षिक योजना 1979-80 की अवधि 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक थी।

आबंटन/परिव्यय - इस वार्षिक योजना का परिव्यय 834 करोड़ रुपये था, जिसमें सामाजिक सेवाओं का परिव्यय 199·99 करोड़ रुपये निश्चित किया गया था। सामान्य शिक्षा का परिव्यय 14·39 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 3·76 करोड़ व्यय करने का प्राविधान किया गया। परन्तु इस वार्षिक योजना में सामान्य शिक्षा पर वास्तविक व्यय 16·46 करोड़ तथा माध्यमिक शिक्षा पर 4·83 करोड़ हुआ ।

सारिणी - 7·10

वार्षिक योजना 1979-80 का परिव्यय तथा शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा परिव्यय का प्रतिशत

(करोड़ रुपयों में)

वार्षिक योजना का कुल परिव्यय	सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय	सामान्य शिक्षा का परिव्यय	माध्यमिक शिक्षा का परिव्यय	कुल योजना परिव्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रतिशत	सामाजिक सेवाओं के परिव्यय में शिक्षा का प्रतिशत	शिक्षा परिव्यय में माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत	कुल योजना परिव्यय में शिक्षा-व्यय का प्रतिशत
834	199·99	14·39	3·76	23·97%	7·19%	26·12%	1·72%

स्रोत - योजनागत विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृष्ठ-5 तथा शिक्षा विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक 1980-81, पृष्ठ-3

सारिणी कमांक 7·10 यह प्रगट कर रही है कि वार्षिक योजना 1979-80 में लगभग 24 प्रतिशत परिव्यय सामाजिक सेवाओं हेतु आबंटित किया गया। सामाजिक

सेवाओं के परिव्यय में शिक्षा का प्रतिशत 7·19 था तथा सामान्य शिक्षा-परिव्यय में 26·12 प्रतिशत धनराशि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में व्यय हेतु आबंटित की गयी।

कुल योजना परिव्यय में सामान्य शिक्षा-परिव्यय का प्रतिशत 1·72 प्रतिशत था।

परन्तु वास्तविक सामान्य शिक्षा-व्यय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का वास्तविक व्यय 29·34 प्रतिशत हुआ।

प्राथमिकता - इस वार्षिक योजना में प्रथम वरीयता जल-आपूर्ति तथा द्वितीय स्थान समाज-सेवाओं को मिला। वार्षिक योजना 1979-80 में शिक्षा में सर्वोच्च वरीयता प्राथमिक शिक्षा को प्रदान की गयी, तदुपरान्त माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा प्रौढ़-शिक्षा को दी गयी।

लक्ष्य -

(1) अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रक्खा गया।

(2) स्थानीय प्रयास जहाँ सामने नहीं आ पा रहे हैं, परन्तु बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता शासन अनुभव कर रहा है, वहाँ राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

(3) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की कार्य-पद्धति सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु इसे विकेन्द्रित करने का लक्ष्य रक्खा गया।

(4) नामांकन बढ़कर 18·50 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

(5) 210 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिए जाने का लक्ष्य निधारित किया गया।

उपलब्धि - वार्षिक योजना 1979-80 में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के उन्नयन हेतु निम्न

उपलब्धियाँ प्राप्त हुई -

§1§ वर्ष 1979-80 में मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमशः 4 तथा 46 राजकीय हाई स्कूल खोले गये तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 29 एवं मैदानी क्षेत्र में 3 राजकीय हाई स्कूलों को इंटर स्तर तक उच्चीकृत किया गया।

§2§ मैदानी क्षेत्र में 190 तथा पर्वतीय क्षेत्र में 20 असहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुदान सूची पर लाये गये।

§3§ 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान दिया गया।

§4§ इस वार्षिक योजनान्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 4869 से बढ़कर 5072 हो गयी।

§5§ छात्रों का नामांकन 18·40 लाख हो गया, जिसमें 3·02 लाख बालिकाएं थीं।

§6§ शिक्षकों की संख्या 80 हजार से बढ़कर 92 हजार हो गयी।

<u>परियोजना</u> -

§1§ शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षणा प्रदान किया गया।

§2§ ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष व्यवस्था हेतु 25 विद्यालयों को अनुदान दिया गया।

§3§ राजकीय तथा मान्यता प्राप्त विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 30,000 छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत की गयीं।

छठवीं पंचवर्षीय योजना
§1980 - 85§

<u>अवधि</u> - छठवीं पंचवर्षीय योजनावधि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक थी।

<u>आबंटन/परिव्यय</u> - छठी योजना का कुल परिव्यय 6200 करोड़ रुपये था, जिसमें 875

करोड़ रुपये सामाजिक एवं सामुदायिक-सेवाओं के लिए आवंटित किये गये। सामान्य शिक्षा का परिव्यय 158·20 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया, जिसमें 41·74 करोड़ रुपये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु आवंटित किये गये।

पाँचवीं योजना की तुलना में सामान्य शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा पर आवंटन तथा उसका प्रतिशत दोनों ही अधिक था।

सारिणी - 7·11

माध्यमिक शिक्षा हेतु छठी योजना का आवंटन

(करोड़ रुपयों में)

योजना परिव्यय	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	सामान्य शिक्षा परिव्यय	माध्यमिक शिक्षा परिव्यय	योजना परिव्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रतिशत	योजना परिव्यय में शिक्षा का प्रतिशत	सामाजिक सेवाओं में शिक्षा का प्रतिशत	सामान्य शिक्षा में शिक्षा का प्रतिशत
6200	875	158·20	41·74	14·1	2·55	18·04	26·4

स्रोत - सातवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 1985-86, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग, पृष्ठ-145, तालिका-3

सारिणी क्रमांक 7·11 से यह विदित हो रहा है कि कुल योजना परिव्यय में सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के परिव्यय का प्रतिशत 14·1 था। इसी प्रकार कुल योजना परिव्यय में सामान्य शिक्षा परिव्यय का प्रतिशत 2·55 था, सामाजिक सेवाओं में शिक्षा का प्रतिशत 18·04 था तथा सामान्य शिक्षा में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिव्यय का प्रतिशत 26·4 था।

वास्तविक व्यय - छठी पंचवर्षीय योजना में सामान्य शिक्षा परिव्यय 158·20 करोड़ के समक्ष 210·62 करोड़ रुपये हुआ, जो मूल परिव्यय से 52·42 करोड़ रुपये अधिक था

अर्थात् ·33 गुना अधिक था।[34]

इसी प्रकार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर मूल परिव्यय 41·74 करोड़ के समक्ष 68·62 करोड़ रुपये हुआ,जो कुल शिक्षा व्यय का 33 प्रतिशत है।

प्राथमिकता - इस योजना में प्रथम वरीयता उर्जा, द्वितीय वरीयता सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण तथा तृतीय स्थान समाज-सेवाओं का था। समाज-सेवाओं में शिक्षा को द्वितीय स्थान मिला। शिक्षा में सर्वोच्च प्राथमिकता अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को दी गयी,जिसमें मुख्य रूप से बालिकाओं की शिक्षा का प्रसार था।

तत्पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को और तदुपरान्त विश्वविद्यालय शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा को दी गयी।

लक्ष्य - क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया जायेगा। वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बालक एवं बालिकाओं का अनुपात 5:1 है, इसे कम करने का प्रयास किया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए पाठ्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन किये जायेगें। मेधावी छात्रों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित किये जायेगें। यह विद्यालय बिहार में स्थापित "नेतरहट विद्यालय" मॉडल पर स्थापित होगा।

छात्र/छात्राओं का नामांकन 25:7 हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 18 बालक विद्यालयों में जहाँ सह शिक्षा दी जाती है,कामन रूम बनाये जाने का प्राविधान रक्खा गया। माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेगें। 3 सहायता प्राप्त उत्कृष्ट विद्यालयों को अपने विद्यालय के शैक्षिक स्तर को ऊँचा बनाये रखने के लिए 3 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। 240 माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान अनुदान

34- "वही" पृष्ठ-147

देने का प्राविधान रक्खा गया।

उपलब्धि - 1979-80 को आधार मानकर छठंवी योजना की उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें 4953 विद्यालयों से संख्या बढ़कर 5654 हो गयी है।। छात्रों का नामांकन 25.58 हो गया है, शिक्षकों की संख्या 80 हजार से बढ़कर 92 हजार हो गयी तथा माध्यमिक शिक्षा का बजट 81.90 करोड़ रूपये से बढ़कर 188.39 करोड़ रूपये हो गया और 591 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुदान सूची पर लाये गये। 23 राजकीय हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया गया, जिसमें 03 बालिका विद्यालय थे। 25 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान-अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की गयीं।

परियोजनाएं -

(1) 1 जुलाई 1980 से इन्टर योग्यता-छात्रवृत्ति की दरों को 25 रू0 से बढ़ाकर 40 रूपये कर दिया गया।

(2) परिषद् की विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत एकउपकार्यालय वाराणसी में स्थापित किया गया, जो गोरखपुर तथा वाराणसी संभाग के जनपदों की परीक्षाएं आयोजित करेगा।

(3) माध्यमिक शिक्षा के अभिनवीकरण हेतु पत्राचार संस्थान की स्थापना।

(4) राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना।

(5) 750 माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा शिक्षण योजना के "पाइलेट प्रोजेक्ट" में सम्मिलित किया गया।

(6) आवासीय विद्यालय हेतु 4.33 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना
(1985 - 90)

अवधि - सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक निर्धारित की गयी है।

परिव्यय/आबंटन - सातवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय 11000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। जिसमें सामान्य शिक्षा पर प्रतिपादित नीति के दृष्टिकोण से 266·00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया। जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का परिव्यय 76·00 करोड़ रुपये तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 186·79 करोड़ रुपये का परिव्यय रक्खा गया है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु 50·44 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया।

सारिणी - 7·12

सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिव्यय

(करोड़ रुपयों में)

योजना परिव्यय	सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर परिव्यय	सामान्य शिक्षा का परिव्यय	माध्यमिक शिक्षा का परिव्यय	योजना व्यय में सामाजिक सेवाओं का प्रतिशत	सामान्य शिक्षा परिव्यय का प्रतिशत	सामाजिक सेवाओं के परिव्यय में शिक्षा का प्रतिशत	शिक्षा परिव्यय में माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत
11000	1862·96	266·00	50·44	16·93%	2·41%	14·27%	19%

सारिणी क्रमांक 7·12 यह स्पष्ट कर रही है कि सातवीं योजना में कुल योजना परिव्यय में सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं का प्रतिशत 16·93 है। समाजिक सेवाओं के परिव्यय में सामान्य शिक्षा-परिव्यय का प्रतिशत 14·27 प्रतिशत है। इसी प्रकार कुल योजना परिव्यय में सामान्य शिक्षा का परिव्यय 2·41 है तथा सामान्य शिक्षा परिव्यय में माध्यमिक शिक्षा का परिव्यय 19 प्रतिशत निर्धारित है।

छठवीं योजना में जहाँ माध्यमिक शिक्षा पर सामान्य शिक्षा का 33 प्रतिशत व्यय किया गया है, वहीं सातवीं योजना में केवल 19 प्रतिशत ही माध्यमिक शिक्षा पर व्यय करना निर्धारित किया गया है। सामान्य शिक्षा का सहमत परिव्यय 261·99 करोड़ रुपये रक्खा गया है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा का सहमत परिव्यय 50·88 करोड़ है, जो शिक्षा व्यय का 19·42 प्रतिशत है।

वास्तविक व्यय - सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर निम्न व्यय हुआ है -

सारिणी - 7.13

सातवीं योजना के तीन वर्षों में माध्यमिक शिक्षा पर वास्तविक व्यय

(करोड़ रूपयों में)

सातवीं योजना का माध्यमिक शिक्षा परिव्यय	1985-86	1986-87	1987-88
50.88	7.70	11.00	18.87
माध्यमिक शिक्षा परिव्यय का व्यय-प्रतिशत	15.13%	21.6%	37%
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा व्यय में गुणावृद्धि	1	1.42	2.45

स्रोत - एनुअल प्लान 1989-90 इजूकेशन, उत्तर प्रदेश, डाइरेक्टोरेट आफ इजूकेशन, नवम्बर-1988, पृष्ठ - 248

सप्तम् योजना के निर्देशक सिद्धान्त भी पूर्व की भाँति मूल रूप से विकास की दर में वृद्धि, साम्यता और सामाजिक न्याय, आत्म-निर्भरता, दक्षता एवं उत्पादकता में सुधार हैं। इस योजना में प्रथम वरीयता ऊर्जा को दी गयी, द्वितीय स्थान सामाजिक सेवाओं को तथा तृतीय स्थान यातायात को मिला। समाज-सेवाओं में प्रथम स्थान शिक्षा, द्वितीय स्वच्छता एवं जल सम्पूर्ति, तदुपरान्त स्वास्थ्य सेवाओं को मिला। शिक्षा में सर्वोच्च वरीयता प्राथमिक शिक्षा को, फिर माध्यमिक शिक्षा, तत्पश्चात् उच्च शिक्षा, प्रौढ़-शिक्षा, तदुपरान्त अध्यापक-शिक्षा को दी गयी।

प्राथमिकता - राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित वरीयताओं के परिप्रेक्ष्य में सातवी पंचवर्षीय योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रमुख वरीयताएं निम्नांकित हैं -

§1§ माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार करने में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

§2§ माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को कई चरणों में लिया जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को समाज का एक ऐसा अंग बनाना है, जोकि आत्म-निर्भर नागरिक तथा उत्पादन कर्मकर बन सके और व्यावसायिक कौशल का ज्ञान भी प्राप्त कर सके।

§3§ वर्तमान परीक्षा प्रणाली, जिसकी विश्वसनीयता घटती जा रही है, में यथोचित परिवर्तन किये जायेगें।

लक्ष्य - बालिकाओं की शिक्षा के उत्थान के लिए बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ऐसी तहसीलों अथवा नगर क्षेत्र में खोलने का लक्ष्य रक्खा गया है, जिसमें कोई बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। सातवीं योजना के अंत तक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5850, नामांकन 28·61 लाख तथा शिक्षकों की संख्या 95 हजार हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ और वाराणसी के भवनों का विस्तार करने हेतु 56·60 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। मंडलीय और जनपदीय स्तरीय अधिकारियों के शैक्षिक कार्यालय संकुलों एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु इस योजना में 57·00 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित है।

सातवीं योजना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दे रही है।

उपलब्धि - सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षो §1985-86, 1986-87, तथा 1987-88§ में निम्नवत् उपलब्धियाँ हुयी हैं —

§1§ बालिकाओं की शिक्षा के विकास के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम तीन वर्षों में वर्षवार निम्न विद्यालय खोले गये —

वर्ष	विद्यालय संख्या
1985-86	12
1986-87	7
1987-88	12
	31

इस प्रकार अब तक 31 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अगले वर्षों में भी हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने तथा 8 हाई स्कूलों को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत करने की व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में की गयी है।

§2§ माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के अन्तर्गत प्रदेश में 126 विद्यालयों में कामर्स, 138 विद्यालयों में व्यावसायिक गृह-विज्ञान तथा 154 विद्यालयों में व्यावसायिक कृषि शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी है। इस हेतु 1988-89 की वार्षिक योजना में 86·00 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित है।

§3§ हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की कार्य-पद्धति का परीक्षण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स की नियुक्ति की गयी है।

§4§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5654 से बढ़कर 5737 हो गयी है।

§5§ नामांकन 25·58 लाख से बढ़कर 27·61 लाख हो गया है, जिसमें 6·34 लाख लड़कियाँ हैं। इस प्रकार लड़के और लड़कियों के नामांकन में 1:5 की जगह 1:3·50 हो चुका है।

§6§ शिक्षकों की संख्या 95 हजार पहुँच गयी है।

§7§ पर्वतीय क्षेत्र के 38 विद्यालय अनुदान सूची पर लिए जा चुके हैं। 1989-90 में 151 विद्यालय अनुदान सूची में लिये जाने की घोषणा शासन द्वारा की जा चुकी है।

§8§ माध्यमिक शिक्षा का बजट 188·39 करोड़ से बढ़कर 349·90 करोड़ पहुँच गया है।

परियोजनाएं -

§1§ माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु प्रत्येक जनपद के स्कूलों में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिए 16·09 लाख का परिव्यय 1988-89 के लिए आबंटित किया गया है।

§2§ सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1·00 लाख प्रति संस्था की दर से चार सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है।

§3§ मूल्य परक शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना प्रारम्भ की जा चुकी है।

§4§ 22 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रेगुलर कान्टेक्ट प्रोग्राम के माध्यम से पत्राचार शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है।

§5§ मान्यता प्राप्त सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक - अभिभावक संघों का गठन किया जा चुका है।

§7§ सामुदायिक भावना के विकास के लिए "नेशनल यूथ कैम्पस" आयोजित किये जा रहे हैं।

"पंचवर्षीय योजनाओं का समवेत अध्ययन"

अब हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में तथा वार्षिक योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के आबंटन, लक्ष्य और उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे यह

पता चल सके कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-आयोजन में क्या प्राथमिकता दी गयी।

सारिणी - 7·14

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय का प्रतिशत

(करोड़ रूपयों में)

योजना	योजना परिव्यय/ व्यय	शिक्षा में व्यय/परिव्यय	कुल योजना-व्यय में शिक्षा-व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना	153·36	18·07	11·78%
द्वितीय योजना	233·35	14·31	6·13
तृतीय योजना	560·63	44·71	7·97%
वार्षिक योजनायें	451·63	12·31	2·72%
चतुर्थ योजना	1165·39	56·36	4·83
पंचम् योजना	2924·46	94·04	3·21
वार्षिक योजना	834	14·39	1·72
छठवीं योजना	6497·41	210·61	3·24
सातवीं योजना	11000	266·0	2·41

स्रोत - उत्तर प्रदेश की विभिन्न पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनायें (प्रतिशत की गणना स्वयं की गई हैं)

सारिणी 7·14 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में योजना-परिव्यय में से बहुत कम भाग शिक्षा पर आबंटित किया गया है। यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 11·78 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 6·13 प्रतिशत, तृतीय योजना में 7·97 प्रतिशत, तीन वार्षिक योजनाओं में 2·72

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा व्यय/ परिव्यय

चित्र- 7.2

प्रतिशत, चतुर्थ में 4·83 प्रतिशत, पंचम् में 3·21 प्रतिशत, छठवीं योजना में 3·24 प्रतिशत, सातवीं योजना में 2·41 प्रतिशत शिक्षा पर आवंटित किया गया है।।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में 11·78 प्रतिशत शिक्षा का परिव्यय था, वहीं सातवीं योजना में घटकर 2·41 प्रतिशत ही रह गया। यह स्थिति अत्यन्त ही असंतोष-प्रद कही जा सकती है।

अग्रांकित सारिणी कमांक 7·15 दी हुई है, जो भारत सरकार द्वारा बनायी जाने वाली विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय को प्रदर्शित करती है --

सारिणी - 7·15

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय का प्रतिशत

(करोड़ रुपयों में)

योजना	कुल योजना परिव्यय	व्यय	शिक्षा परिव्यय	शिक्षा व्यय	सम्पूर्ण योजना में शिक्षा-व्यय का प्रतिशत
प्रथम योजना	2356	1960	169	153	7·2
द्वितीय योजना	4800	4672	277	273	6·4
तृतीय योजना	8209	8557	560	589	7·3
वार्षिक योजना	6756	6625	331	321	4·8
चतुर्थ योजना	24882	16160	822	786	3·5
पंचम् योजना	53411	42300	1285	912	3·3
छठवीं योजना	172210	149750	2524	943	1·5
सातवीं योजना	180000	--	5733	--	1·6

स्रोत - जे0सी0 अग्रवाल, "इजूकेशन इन इन्डिया" पालिसीज, प्रोग्राम्स एन्ड डेवलपमेन्ट," नयी दिल्ली, दाबा हाउस, 1989, पृष्ठ-127

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में परिव्ययएवं व्यय
कुल योजना परिव्यय तथा व्यय
शिक्षा परिव्यय तथा व्यय
कुल योजना परिव्यय →
← शिक्षा परिव्यय
कुल योजना व्यय →
← शिक्षा व्यय
प्रथम
द्वितीय
तृतीय
वार्षिक
चतुर्थ
पंचम्
षष्ठम्
सप्तम्
1285 करोड़
2524 करोड़
5733 करोड़
172210 करोड़
180000 करोड़
रुपये करोड़ो में
0
20,000
40,000
60,000
200
400
600
800
1000

चित्र - 7.3

सारिणी 7·15 यह प्रगट करती है कि यद्यपि शिक्षा-व्यय कई गुना बढ़ गया है, लेकिन अनुपातिक दृष्टि से कुल योजना-व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत कम होता गया है, क्योंकि जहाँ प्रथम योजना में यह प्रतिशत 7·2 प्रतिशत था, वहीं सातवीं योजना में घटकर 1·6 प्रतिशत रह गया है।

यदि हम उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओं में शिक्षा-व्यय की तुलना भारत सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं से करते हैं तो यह देखते हैं कि अखिल भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मानक शिक्षा-व्यय उत्तर प्रदेश के मानक व्यय से कम ही रहा है अर्थात् उत्तर प्रदेश ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्पूर्ण योजना-व्यय में शिक्षा-व्यय में अधिक प्रतिशत व्यय किया है।

इसी प्रकार यदि हम योजनाओं में विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-कृषि, उद्योग, यातायात, संचार आदि से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि भारतवर्ष तथा प्रदेश स्तर पर भी शिक्षा व्यय में दिनानुदिन कमी ही होती गयी है अर्थात् शिक्षा को केन्द्र तथा राज्यों में अन्य विकास क्षेत्रों की तुलना में योजनाओं में कम प्राथमिकता दी गयी है। परिणाम स्वरूप देश में शिक्षा-व्यवस्था पिछड़ी हुई है।

सारिणी - 7·16

विभिन्न मदों के अन्तर्गत योजनावार व्यय एवं प्रतिशत व्यय

(लाख रूपयों में)

योजनावधि	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च	अन्य	योग
प्रथम योजना (1951-56)	1271 (70)	125 (7)	43 (3)	368 (20)	1807 (100)
द्वितीय योजना (1956-61)	841 (59)	297 (21)	175 (12)	118 (8)	1431 (100)
तृतीय योजना (1961-66)	2949 (66)	741 (17)	494 (11)	287 (6)	4471 (100)
वार्षिक योजना (1966-69)	732 (60)	240 (20)	230 (18)	29 (2)	1231 (100)
चतुर्थ योजना (1969-74)	3791 (67)	990 (17)	638 (11)	282 (5)	5701 (100)
पंचम योजना (1974-79)	5005 (53)	2590 (28)	1264 (14)	545 (5)	9404 (100)
छठी योजना (1980-85)	9254 (44)	6863 (33)	3058 (15)	1886 (8)	21061 (100)
सातवीं योजना परिव्यय (1985-90)	17445·84 (65)	5044·35 (19)	1865·97 (7)	2243·84 (9)	26600·00 (100)

नोट - कोष्ठक में व्यय का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत - सातवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना (1985-90) उत्तर प्रदेश, पेज - 144 तथा 145, तालिका 2 तथा 3

सारिणी क्रमांक 7·16 से पता चलता है कि सभी योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा को दी गयी, क्योंकि प्रायः सभी पंचवर्षीय योजनाओं में (केवल छठवीं पंचवर्षीय योजना को छोड़कर) कुल शिक्षा के व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक परिव्यय/व्यय आबंटित किया

उ॰प्र॰की पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों के अन्तर्गत
योजनावार व्यय
लाख रु॰ में
प्रथम योजना
368
43
125
1271
द्वितीय योजना
118
175
297
841
प्राथमिक शिक्षा
माध्यमिक शिक्षा
उच्च शिक्षा
अन्य शिक्षा
तृतीय योजना
287
494
741
2949
चतुर्थ योजना
282
638
990
3791
पंचम योजना
545
1264
2590
5005
छठीं योजना
1886
3058
9254
6863
सातवीं योजना
2244
1866
5044
17446

चित्र-7.4

गया। इसका मुख्य कारण संवैधानिक निर्देश था, जिसे 1960 तक पूरा करना था, जो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षा के मद में प्राविधानित राशि का प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर क्रमशः कम होता गया। यह प्रतिशत पहली योजना में 70 प्रतिशत था, जो छठी पंचवर्षीय योजना में घटकर 44 प्रतिशत ही रह गया। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमीकरण की महत्ता को देखते हुए पुनः सातवीं योजना में 65 प्रतिशत कर दिया गया।

जैसे-जैसे प्राथमिक शिक्षा का आधार बढ़ता गया, उससे उत्तीर्ण होकर अधिकाधिक छात्र माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेने लगे। इसलिए माध्यमिक शिक्षा का विस्तार आवश्यक हो गया। अतएव दूसरी प्राथमिकता माध्यमिक शिक्षा को प्रदान की गयी।

सारिणी - 7.17

उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष की योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा-व्यय-वृद्धि

(करोड़ रूपयों में)

योजनावधि	उत्तर प्रदेश		भारत वर्ष	
	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय	वृद्धि	व्यय	व्यय में वृद्धि
प्रथम योजना	1.25	0	20	0
द्वितीय योजना	2.97	2.37	51.0	2.55
तृतीय योजना	7.41	5.9	103.0	5.15
वार्षिक योजना	2.40	1.92	52.0	2.6
चतुर्थ योजना	9.90	6.336	140.0	7.00
पंचम योजना	25.90	20.72	250.0 परिव्यय	12.5
वार्षिक योजना	9.90	7.8	--	--
छठवीं योजना	68.63	54.90	368.0 पुनरीक्षित परिव्यय	18.4
सातवीं योजना	50.44	40.35	420.0 परिव्यय	21.0

स्रोत - सातवीं पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश वृद्धि आकलित, एम0एम0 अन्सारी, इजूकेशन एन्ड इकोनामिक ड़ेवलपमेन्ट एसोसियेशन आफ यूनिवर्सिटीज, नयी दिल्ली, पृ0-34

सारिणी क्रमांक 7·16 को देखने से यह विदित हो रहा है कि प्रथम योजना में कुल शिक्षा व्यय/परिव्यय का केवल 7 प्रतिशत ही माध्यमिक शिक्षा हेतु आबंटित किया गया था, दूसरी योजना में यह बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया। तीसरी योजना में प्राथमिक शिक्षा का आबंटन बढ़ने के कारण यह 17 प्रतिशत ही रह गया। वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा-आबंटन 1/5 कर दिया गया। चौथी योजना में भी यह तीसरी योजना के बराबर 17 प्रतिशत ही रहा। पाँचवी योजना में यह बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया तथा छठवीं योजना में पिछली सभी योजनाओं से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। लेकिन सातवीं योजना में पुनः प्रारम्भिक शिक्षा का आबंटन अधिक हो जाने के कारण माध्यमिक शिक्षा के आबंटन में कमी हो गयी और घटकर केवल 19 प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार विदित हो रहा है कि विश्वविद्यालयीन शिक्षा की अपेक्षा माध्यमिक शिक्षा को वरीयता दी गयी और उसका आनुपातिक आबंटन बढ़ाने का सतत् प्रयत्न होता रहा है, जिसका घटना-बढ़ना प्रारम्भिक शिक्षा के आबंटन पर निर्भर रहा है।

इसी प्रकार भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में भी पहली योजना से[35] क्रमशः 13 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा सातवीं योजना में 17 प्रतिशत आबंटन माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया है।

सारिणी क्रमांक 7·17 से पता चलता है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम तीन योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा को द्वितीय वरीयता प्राप्त हुई है। वार्षिक योजनाओं, चतुर्थ पंचववर्षीय योजना, पंचम, छठवीं तथा सातवीं में द्वितीय वरीयता विश्वविद्यालय शिक्षा को तथा तृतीय वरीयता माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुई है। प्राथमिक शिक्षा को केन्द्रीय योजना में भी सर्वोच्च वरीयता प्राप्त है।

35- एम0एम0 अन्सारी, "इजुकेशन एण्ड इकोनामिक डेवलपमेन्ट," नयी दिल्ली, एसोसियेशन आफ इण्डियन युनिवर्सिटीज, पृष्ठ-34

सारिणी - 7·18

भारत की योजनाओं में विभिन्न मदों के अन्तर्गत योजनावार व्यय तथा उनका प्रतिशत

(करोड़ रूपयों में)

मद	प्रथम योजना व्यय	द्वितीय योजना व्यय	तृतीय योजना व्यय	योजना अवकाश व्यय	चतुर्थ योजना व्यय	पांचवीं योजना परिव्यय	छठवीं योजना पुनरीक्षित परिव्यय	सातवीं योजना परिव्यय
1- प्रारम्भिक शिक्षा	85 (56)	95 (35)	201 (34)	75 (23)	239 (30)	410 (32)	900 (45)	905 (36)
2- माध्यमिक शिक्षा	20 (13)	51 (19)	103 (18)	52 (16)	140 (18)	250 (19)	368 (14)	420 (17)
3- विश्वविद्यालय शिक्षा	14 (9)	48 (18)	87 (15)	77 (24)	195 (25)	292 (23)	265 (13)	486 (19)
4- प्रौढ़ शिक्षा	5 (3)	4 (1)	2 (अगणनीय)	3 (1)	4·5 (1)	18 (1·4)	200 (10)	128 (51)
5- अन्य प्रोग्राम	9 (6)	23 (8)	64 (11)	30 (10)	89·5 (11)	129 (9·5)	118 (6)	223 (9)
योग सामान्य शिक्षा	133 (87)	221 (81)	457 (78)	237 (74)	668 (85)	1092 (85)	1751 (88)	2162 (86)
6- कला एवं संस्कृति	--	3 (1)	7 (1)	4 (1)	12 (2)	37 (2·9)	65 (3)	84 (3)
7- प्राविधिक शिक्षा	20 (13)	49 (18)	125 (21)	81 (25)	106 (13)	156 (12·1)	170 (9)	278 (11)
योग शिक्षा	153 (100)	273 (100)	589 (100)	322 (100)	786 (100)	1285 (100)	1986 (100)	2574 (100)

नोट - कोष्ठक में व्यय का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत - एडाप्टेड फ्राम - एस0एन0 सर्राफ, "हायर इजूकेशन एन्ड फाइव ईयर प्लान, पालिसीज, प्लान्स एन्ड पर्सपेक्टिव", यूनिवर्सिटी न्यूज, (नयी दिल्ली) जनवरी 23, 1985

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में सब मिलाकर यह प्रतीत हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा हेतु आबंटित धनराशि लगातार बढ़ती ही रही है। प्रथम योजना में यह सवा करोड़ थी तथा छठवीं योजना में 68·63 करोड़ तक पहुँच गयी। सातवीं योजना में पुनः यह घटकर 50·44 करोड़ हो गयी। छठवीं योजना में प्रथम योजना की राशि से इसमें लगभग 55 गुना वृद्धि हो गयी थी, लेकिन सातवीं योजना में यह वृद्धि 40 गुना ही रही। अनुपात की दृष्टि से भी प्रथम योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में यह लगभग पंचांश (1/5) तथा 1/3 (तिहाई) हिस्सा प्राप्त करती हुई दिखलाई पड़ रही है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा के आवंटन पर उचित ध्यान दिया गया है।

इसी प्रकार सारिणी क्रमांक 7·17 को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी है, उसमें लगातार वृद्धि ही हुई है। प्रथम योजना में जहाँ यह धनराशि 20 करोड़ आवंटित थी, वहीं सातवीं योजना में इस धनराशि का परिव्यय 420·0 करोड़ रूपया निर्धारित है। अतः प्रथम योजना की तुलना में सातवीं योजना में यह वृद्धि 21 गुना अधिक है।

अब हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों का समवेत विवेचन करेंगे —

सारिणी - 7·19

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा के लक्ष्य

(1951 - 1987-88)

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	वार्षिक	चतुर्थ	पंचम्	वार्षिक	छठवीं	सातवीं योजना के तीन वर्ष
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	12	256	515	464	941	772	205	600	136
अनुवर्ती विद्यालय	189	--	--	--	--	--	--	--	--
अतिरिक्त नामांकन (लाख में)	1·91	1·25	2·28	1·27	6·2	4·11	·62	7·18	3·23

स्रोत - पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाएं (सम्बद्ध वर्षों में) उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग

सारिणी क्रमांक 7·19 यह स्पष्ट करती है कि माध्यमिक शिक्षा में जो भी लक्ष्य प्रतिपादित किए गये हैं, वह समय और परिस्थिति को देखते हुए उपयुक्त थे।

अब हम अग्रांकित सारिणी में पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों की विवेचना करेंगे, साथ ही लक्ष्यों के सन्दर्भ में उपलब्धियों की व्याख्या करेंगे।

सारिणी - 7·20

पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा-क्षेत्र में उपलब्धियाँ

(1950 - 1987-88)

	1950-51	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	वार्षिक	चतुर्थ	पंचम्	वार्षिक	छठवीं	सातवीं योजना के तीन वर्ष 1987-88
1- कुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	987	1474	1771	2501	3012	4003	4869	5072	5654	5737
(अ) बालक	833	1253	1489	2050	2484	3359	4139	4328	4822	4904
(ब) बालिका	154	**221**	282	451	528	644	730	744	832	833
2- कुल नामांकन (लाखें में)	1·85	3·8	5·11	8·03	10·64	13·64	17·78	18·40	25·58	27·61
बालक	--	3·49	4·51	6·93	9·04	11·11	14·96	15·38	19·93	21·27
बालिकाएं	--	0·31	0·6	1·11	1·60	2·53	2·82	3·02	5·65	6·34
3- अध्यापक (हजार में)	18	24	37	46	64	78	80	92	94	95
4- बजट (करोड़ में)	1·66	2·35	3·36	6·53	14·38	25·53	68·00	81·90	188·39	349·90
5- अनुदान सूची पर लाये गयें विद्यालय	--	--	310	637	338	312	1212	210	591	पर्वतीय क्षेत्र के केवल 38 89-90 में 151 विद्यालय
6- अनुवर्ती कक्षायें	--	114	--	--	--	--	--	--	--	--
7- उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गुना-वृद्दि	0	1·49	1·79	2·53	3·05	4·05	4·91	5·13	5·72	5·81

सारिणी - 7·20 क्रमशः ----

	1950-51	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	वार्षिक	चतुर्थ	पंचम्	वार्षिक	छठवीं	सातवीं योजना के तीन वर्ष 1987-88
8- नामांकन में गुना-वृद्धि	——	2·05	2·76	4·34	5·75	7·37	9·61	9·94	13·82	14·92
9- शिक्षक गुना-वृद्धि	0	1·33	2·05	2·55	3·56	4·33	4·44	5·11	5·22	5·27
10- बजट गुना-वृद्धि	0	1·41	2·02	3·93	8·66	15·37	40·96	49·33	133·48	210·78

स्रोत - 1- सातवीं पंचवार्षिक योजना तथा वार्षिक योजना, 1985-86 उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग, पृष्ठ - 145

2- एनुअल प्लान शिक्षा, 1984, 1985, 86, 87, 89 डाइरेक्टोरेट, इलाहाबाद, सम्बन्धित पृष्ठ

3- शिक्षा विभाग का आय-व्ययक 1975 से 1989-90 तक, उत्तर प्रदेश शासन, सम्बन्धित पृष्ठ

पंचवर्षीय योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

पैमाना १ से.मी. = ५००

चित्र- 7.5

पंचवर्षीय योजनाओं में उ॰मा॰वि॰
में अध्यापकों की संख्या
पैमाना १से॰मी॰=५०००
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
१९५०-५१
प्रथम
द्वितीय
तृतीय
तीन वार्षिक
चतुर्थ
पंचम
एक वार्षिक
षष्ठम
सप्तम

चित्र-7.6

चित्र-7.7

सारिणी 7·20 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्धियाँ दर्शायी गयी हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों में कितनी गुना वृद्धि हुई है, इसका भी स्पष्ट विवेचन किया गया है।

सन् 1950-51 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 987 थी, जिसमें 833 बालकों के तथा 154 विद्यालय बालिकाओं के थे। सातवीं योजना के तीसरे वर्ष अर्थात् 1987-88 तक यह संख्या बढ़कर 5737 तक पहुँच गयी है, जिसमें 4904 विद्यलय बालकों के हैं तथा 833 बालिकाओं के। लगभग 4 दशक बाद बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या 1950-51 के बराबर हो पायी है, जो यह स्वयमेव सिद्ध कर रही है कि आज भी बालिकाओं की शिक्षा कितनी पिछड़ी हुई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं योजना तक ﴾पाँचवीं को छोड़कर﴿ उ0मा0 विद्यालयों के खुलने के जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गये थे, वह पूरे हुए, बल्कि लक्ष्य से अधिक विद्यालय खुले। मात्र पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की वृद्धि लगभग 6 गुना हो गयी है।

सन् 1950-51 में उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का नामांकन 1·85 लाख था, जो 1987-88 में बढ़कर 27·61 लाख हो गया। चार दशक में यह वृद्धि लगभग 1·5 गुना हो गयी।

प्रथम, द्वितीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नामांकन लक्ष्य से अधिक हो गया। वार्षिक योजना में भी उपलब्धि लक्ष्य से अधिक रही। चौथी और पाँचवीं योजना में हम अभीष्ट लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके।

पाँचवी योजना में अपेक्षित संख्या में विद्यालय नहीं खोले जा सके। अतएव नामांकन कम होना स्वाभाविक था। छठवीं योजना तथा सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में नामांकन उपलब्धि शत-प्रतिशत रही।

सन् 1950-51 में शिक्षकों की संख्या 18 हजार थी, जो 1987-88 में 95 हजार हो गयी। शिक्षकों की वृद्धि भी लगभग 5·30 गुना ही हो सकी, जो नामांकन देखते हुए कम है। शिक्षकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि की जानी चाहिए। यद्यपि हम शिक्षकों की उपलब्धि में केवल पाँचवी योजना को छोड़कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सफलता प्राप्त करते रहे हैं, फिर भी महिला शिक्षकों की नियुक्ति अत्यन्त आवश्यक है।

सबसे अधिक उपलब्धि हमें माध्यमिक शिक्षा के बजट में प्राप्त हुई है। सन् 1950-51 में माध्यमिक शिक्षा का बजट 1·66 करोड़ रुपये था, जो 1987-88 में 349·90 करोड़ रुपये हो गया। इसमें हमें आशा से अधिक उपलब्धि प्राप्त हो सकी है, क्योंकि यह वृद्धि 210 गुना है।

असहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रबन्धतंत्रों द्वारा किया जाता है तथा यह सर्वविदित है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान है, किन्तु यह विद्यालय विकास के विभिन्न कगारों में खड़े हैं और आर्थिक संसाधनों के अभाव में इनका विकास रुका रहता है। अतः अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के चतुर्मुखी विकास एवं उन्नयन हेतु शासन अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में अनुदान सूची पर लेकर इन्हें आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदान प्रदान करता है। इस प्रकार से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में संसाधनों के अभाव के कारण 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 में मैदानी क्षेत्र का कोई भी विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लिया जा सका। सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल पर्वतीय क्षेत्र 38 विद्यालय अनुदान सूची पर लिये गये थे। परन्तु शासन ने 1989-90 के सत्र के सितम्बर माह में मैदानी क्षेत्र के 151 विद्यालय अनुदान सूची पर लेने की घोषणा की है।[36]

36- अमृत प्रभात (दैनिक) इलाहाबाद, 16 सितम्बर 1989, पृष्ठ-1

प्रथम पंचवर्षीय योजना में 189 अनुवर्ती विद्यालय खोलने का लक्ष्य था, परन्तु केवल 114 अनुवर्ती विद्यालय ही खोले जा सके, क्योंकि इनकी मांग अधिक नहीं थी। अन्य किसी पंचवर्षीय योजना में भी यह विद्यालय नहीं खुल सके।

नियोजन की विकेन्द्रित प्रणाली -

विशिष्ट स्थानीय, क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को साकार करने और स्थानीय पहलशक्ति, सम्भाव्य क्षमता, योग्यता तथा स्थानीय संसाधनों से अधिक लाभ उठाने के लिये नियोजन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण किया गया।

प्रदेश में 1982-83 से विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देश्य यह है कि जनपदों को अपनी जनशक्ति तथा स्थानीय संसाधन के अनुरूप विकास कार्यक्रम चलाने का अवसर मिले और अन्तर्जनपदीय विषमता घटे। इस प्रकार जिलों को नियोजन की इकाई बनाने से पुरानी चली आ रही मान्यता "अन्तराल एवं समस्या प्रधान अवधारणा" (बैकलाग-कम प्राबलेम ओरियन्टेड कान्सेप्ट) में परिवर्तन आया और संसाधन एवं आवश्यकता पर आधारित अवधारणा (रिसोर्स कम नीड बेस्ड कान्सेप्ट) को योजना में शामिल किया गया।

जिला योजनायें विकास कार्यों को जनसाधारण तक ले जाने का साधन मात्र नहीं हैं, बल्कि वे जन-साधारण के बीच से विकास को प्रस्फुटित करती हैं। विकेन्द्रित नियोजन की नई अवधारणा पर आधारित जिला योजनाओं के माध्यम से योजना के राष्ट्रीय और प्रदेशीय उद्देश्यों को धरती पर उतारना अधिक प्रभावी ढंग से सम्भव हो रहा है।

जिला नियोजन के मूलभूत सिद्धान्त -

योजनाओं के तैयार करने में जिन मूलभूत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नीति सिद्धान्तों पर ध्यान रक्खा जाना आवश्यक है, वे निम्न हैं -

§1§ "विकास सामाजिक न्याय के साथ हो" इस सिद्धान्त को मानते हुए यह देखना पड़ेगा कि विकास के कार्यक्रम जो प्रस्तावित किए जा रहे हैं, उनमें रोजगार एवं विकास के अवसर विशेष रूप से समाज के पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध हों।

§2§ जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अधिकतम तथा सर्वोत्तम उपयोग हो, जिससे आय एवं रोजगार दोनों में वृद्धि हो सके।

§3§ भूमि, पशुधन, लघु एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता की वृद्धि इस प्रकार के विकास से जो लाभ संभावित हों, उसका अधिकांश भाग समाज के दलित वर्ग, छोटे किसान, भूमिहीन, कृषक तथा ग्रामीण उद्यमियों को मिले।

§4§ राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसमें §अ§ प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा §ब§ ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पेयजल §स§ ग्रामीण सड़कें §द§ ग्रामीण विद्युतीकरण §य§ ग्रामीण निर्धनों के हेतु आवास §र§ पर्यावरण सुधार §ल§ पौष्टिक आहार सम्मिलित हैं, की पूर्ति।

§5§ ऐसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थापनाओं का निर्माण किया जाय, जिससे उपरोक्त तथ्यों की पूर्ति हो सके।

§6§ अवस्थित अवस्थापनाओं/ संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्गठित किया जाय, जिससे गरीबों के हितों की रक्षा हो सके।

§7§ रोजगार के ऐसे अवसरों का सृजन किया जाय जिससे भूमिहीनों, छोटे कृषकों आदि को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें।

§8§ रोजगार के अधिक अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु उक्त दलित वर्ग, भूमिहीनों, ग्रामीण उद्यमियों को विभिन्न प्रशिक्षणों द्वारा विकसित किया जाय।

इस प्रकार एक ओर जहाँ यह जिला योजनाएं आंचलिक असंतुलन को दूर करती हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं।

जिला योजना की संरचना -

उत्तर प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन को प्रारम्भ करने के निर्णय के फलस्वरूप जिला को विकेन्द्रित नियोजन की इकाई बनाया गया तथा राज्य सरकार के निर्णयानुसार विकास विभाग की आयोजनागत योजनाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है —

§1§ राज्य सेक्टर

§2§ जिला सेक्टर

मोटे तौर पर इस विभाजन का आधार यह है कि जो योजनायें सामान्यतः एक जिले को लाभान्वित करती हैं और जिनके नियोजन, निर्णय एवं कार्यान्वयन जिलों में ही निहित हैं, उन्हें जिला सेक्टर में रक्खा गया है, जैसे - कृषि एवं पूरक कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण तथा लघु उद्योग, शिक्षा, खेल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, जलापूर्ति, श्रम-कल्याण, समाज-कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।

जो योजनायें एक से अधिक जिलों को अथवा पूरे प्रदेश को लाभान्वित करती हैं, उन्हें राज्य सेक्टर में रक्खा गया है जैसे- कृषि, शोध एवं शिक्षा की समस्त योजनाओं को राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

जिला योजनाओं की संरचना, कार्यान्वियन, समन्वय तथा अनुश्रवण -

जिला सेक्टर की योजनाओं के समुचित निर्धारण तथा कार्यान्वियन के लिए जिला स्तर पर दो सीमितियाँ बनाई गयी हैं -

§1§ जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति

§2§ जिला योजना समन्वय तथा कार्यान्वियन समिति

जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष, मंत्रि-परिषद् का सदस्य होता

है और जनपद के सभी प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। समिति में जिलाधिकारी तथा जिला भूमि विकास अधिकारी भी शामिल किए गये हैं। जिला विकास अधिकारी को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसका कार्य राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और जिले के लिए आबंटित योजना-परिव्यय की सीमा को ध्यान में रखते हुए जिले की वार्षिक योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देना तथा प्रति तीन माह पर उसका अनुश्रवण करना है।

जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति का प्रमुख कार्य योजना को असली जामा पहिनाना है। यह धनराशि हेतु प्रस्ताव तैयार करती है तथा रचना एवं कार्यान्वयन के लिए पूर्ण उत्तरदायी होती है और समस्त जनपदीय विकास अधिकारीगण इसके सदस्य होते हैं।

मंडल स्तर पर भी मंत्रिमंडल के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक मंडलीय समिति गठित की जाती है, इसके उपाध्यक्ष मंडलायुक्त होते हैं। मंडलीय अधिकारी और मंडल के सभी जिलों के अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति जिला योजनाओं का पुनरीक्षण और अनुश्रवण करती है।

जिला योजनाओं का अनुमोदन

जिला स्तर पर जिला योजना समन्वयन एवं कार्यन्वयन समिति द्वारा बनाई गई जिला योजना का अनुमोदन जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् मंडलीय समिति द्वारा पारित की जाती है। इस प्रकार मंडलीय समिति द्वारा पारित जिला योजना की प्रतियाँ नियोजन विभाग को तथा उनके अंश अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं जिला योजनाएं

परिव्यय/आबंटन -

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली की नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजनागत परिव्यय

राज्य सेक्टर एवं जिला सेक्टर में क्रमशः 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के अनुपात में निर्धारित हैं। वर्ष 1980-81 में एक त्वरित अध्ययन के निष्कर्ष द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सम्पूर्ण आयोजनागत व्यय का लगभग 30 प्रतिशत अंश जिला सेक्टर की स्कीमों/योजनाओं के लिए खर्च होता है। उसी दृष्टिकोण से कुल परिव्यय 30 प्रतिशत जिला योजना परिव्यय के लिए निर्धारित किया गया। जैसे-जैसे जिला सेक्टर में अधिक योजनायें ली जायेंगी, वैसे ही यह प्रतिशत 35 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

सारिणी - 7·21

जिला योजनाओं में सामान्य शिक्षा का परिव्यय §मैदानी क्षेत्र§

§लाख रूपयों में§

वर्ष	जिला सेक्टर का कुल परिव्यय	सामान्य शिक्षा परिव्यय	सामान्य शिक्षा प्रतिशत
1982-83	28000·00	1445·84	5·16%
1983-84	29400·00	1721·53	5·86%
1984-85	31458·00	2203·45	7·00%
1985-86	35000·00	2000·00	5·71%
1986-87	40157·01	2775·71	6·91%
1987-88	45716·06	3515·14	7·69%
1988-89	54260·33	3705·00	6·82%
1989-90	62932·89	3576·51	5·68%

स्रोत - §1§ विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जारी शासनादेशों राज्य योजना आयोग का संकलन पृष्ठ - 202

§2§ जिला सेक्टर योजनावार परिव्यय, नियोजन विभाग, 1985-86 से 1989-90 तक

सारिणी - 7·21 यह प्रगट कर रही है कि जिला योजनाओं में सामान्य शिक्षा अब तक कुल परिव्यय में केवल 5 प्रतिशत से 7·70 प्रतिशत तक ही आबंटन प्राप्त कर सकी है। 1984-85 में सामान्य शिक्षा परिव्यय के प्रतिशत में विगत वर्षों के प्रतिशत से वृद्धि हुयी, परन्तु 1988-89 में पुनः 1982-83 के परिव्यय से थोड़ा अधिक आबंटन प्राप्त कर सकी।

जिला योजनाओं में सामान्य शिक्षा परिव्यय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत आबंटन प्राप्त हुआ इसका विवेचन अग्रांकित है —

सारिणी - 7·22

जिला योजना के सामान्य शिक्षा-परिव्यय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का आबंटन

(लाख रूपयों में)

वर्ष	कुल योजना परिव्यय	सामान्य शिक्षा परिव्यय	माध्यमिक शिक्षा परिव्यय	माध्यमिक शिक्षा का प्रतिशत	माध्यमिक शिक्षा परिव्यय में वृद्धि
1985-86	35000·00	2000·00	6·00	0·3%	0
1986-87	40157·01	2775·71	19·94	0·7%	3·32
1987-88	45716·06	3515·14	45·35	1·2%	7·55
1988-89	54260·33	3705·00	48·84	1·3%	8·14
1989-90	62932·89	3576·51	68·42	1·90%	11·4

स्रोत - जिला सेक्टर योजना परिव्यय, वार्षिक योजना, 1985-86 से 1989-90 तक
उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग

सारिणी क्रमांक 7·22 से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिला योजनाओं के सामान्य शिक्षा के परिव्यय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कम प्रतिशत परिव्यय प्राप्त हुआ है, लेकिन

यह प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। 1985-86 में यह प्रतिशत 0·3 प्रतिशत था, जो 1989-90 में बढ़कर 1·90 प्रतिशत हो गया।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा-परिव्यय में भी लगातार वृद्धि होती जा रही है। 1989-90 में माध्यमिक शिक्षा का परिव्यय 1985-86 की तुलना में लगभग 11·5 गुना बढ़ गया है, जिससे विदित हो रहा है कि जिला योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा की महत्ता बढ़ती जा रही हैं तथा माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं को समुचित स्थान मिल रहा है।

जिला योजनाओं में जनपद के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु जिन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उन पर प्रदेश में कितना परिव्यय विभिन्न वर्षों में आबंटन किया गया है उसका विवेचन अग्रांकित सारिणी में है -

सारिणी - 7·23

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जिला योजना में विभिन्न योजना/मद का परिव्यय

(हजार रूपयों में)

योजना/मद	वर्ष				
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
(1) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/पुस्तकार्यों का सम्बर्द्धन	--	932·7	1420·1	1558·80	1525·00
(2) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र-संख्या-वृद्धि तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान/कक्षा-कक्ष एवं काष्ठोपकरण हेतु अनुदान	--	1283·0	276·8	1964·70	2492·00
(3) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत।	--	9542·0	26423·6	32057·60	48770·00

सारिणी - 7·23 क्रमशः ----

§4§ बालकों तथा बालिकाओं के कतिपय राजकीय बालिका स्कूलों को इन्टर स्तर पर क्रमोन्नति के सम्बन्ध में भवन-निर्माण	--	325·00	570·0	--	--
§5§ राजकीय बालिका इन्टर विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलना तथा नये विषयों का समावेश	--	1083·00	2912·2	2793·50	3936·00
§6§ राजकीय उ0 मा0 विद्यालयों में विज्ञान-अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं का निर्माण	--	2551·0	4597·0	4637·70	5099·00
§7§ असहायिक उ0मा0 विद्यालयों का अनुदान सूची पर लाना।	--	1700·0	--	--	--
§8§ ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के सहायता-प्राप्त उ0मा0 विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा।	--	975·00	1736·2	1395·05	1996·00
§9§ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था।	--	585·00	1970·0	2535·0	3144·00
§10§ जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण।	--	371·00	1014·4	896·60	1460·00
§11§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालचर योजना प्रसार।	212·8	241·2	220·8	256·30	--
§12§ माध्यमिक स्तर पर स्काउटिंग एवं गर्ल्स गाइडिंग योजना का विकास।	--	--	--	--	263·00
§13§ माध्यमिक स्तर पर खेल-कूदों की उन्नति, युवक-कल्याण तथा अन्य शैक्षिक क्रियायें।	387·5	352·5	211·5	729·10	735·50
	600·3	19941·4	45352·6	48724·05	68420·50

स्रोत - §1§ जिला योजना निर्देशिका, §माध्यमिक§ 1989-90, उ0प्र0 शिक्षा निदेशालय, पृ0-8-14
§2§ जिला सेक्टर योजनावार परिव्यय, वार्षिक योजना 1985-86 से 1989-90 तक
उ0 प्र0 शासन, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग

सारिणी क्रमांक 7·23 से मालूम हो रहा है कि 1985-86 में जिला योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त था, केवल दो योजनायें "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में बालचर योजना प्रसार" तथा "माध्यमिक स्तर पर खेलकूदों की उन्नति, युवक कल्याण तथा अन्य शैक्षिक क्रियायें" स्थान पा सकी थीं। जिस हेतु मात्र 600·3 हजार रूपये आबंटित किया गया था।

1986-87 में 13 योजनाओं को स्थान दिया गया उनमें वरीयता के आधार पर सर्वोपरि स्थान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत को दिया गया। दूसरा स्थान "राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान-अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं के निर्माण" को मिला। तीसरा स्थान "सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्र-संख्या-वृद्धि तथा सेनेटरी सुविधा हेतु अनुदान" को दिया गया। चौथा स्थान "राजकीय बालिका इन्टर विद्यालयों में अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों के समावेश" को मिला। इस प्रकार 1986-87 से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा ने जिला योजनाओं में अपना समुचित स्थान प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया था तथा विभिन्न योजनाओं हेतु परिव्यय आबंटित किया जाने जगा।

1989-90 में माध्यमिक स्तर पर गाइडिंग एवं गर्ल्स गाइडिंग योजना के विकास को धन आबंटित होने लगा है। बालचर योजना को 1989-90 में कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी है। विभिन्न योजनाओं हेतु आबंटित धनराशि में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होती जा रही है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि जिला योजनाओं में सामान्य शिक्षा हेतु आबंटित धनराशि में उच्चतरमाध्यमिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है।

शैक्षिक प्रक्रिया का उदय कक्षाओं में होता है। विद्यालय उसका आधार स्थल है, अतएव शिक्षा-आयोजन का प्रारम्भ विद्यालय से ही होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय का

अपना स्वयं का व्यक्तित्व होता है, उसके विकास के लिए विद्यालय स्तर पर योजना बनाने से ही शिक्षा का गुणात्मक विकास हो सकता है। हर एक विद्यालय अपनी-अपनी योजनाएं बनायें और यह सारी विद्यालय योजनाएँ जिले की योजना का आधार बनें और उनसे फिर राज्य और केन्द्र की योजनाएँ बनायी जायँ। शिक्षा का आयोजन ऊपर से न होकर मूल आधार स्थल विद्यालय से होना चाहिए, जिससे वह प्रभावकारी और लाभप्रद हो सके। शिक्षक को उससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध किये बिना और उसके पूर्ण एवं उत्साही सहयोग के बिना, सच्चे अर्थो में प्रभावी शैक्षिक योजना तैयार ही नहीं की जा सकती।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा के संख्यात्मक विकास के फलस्वरूप उसकी गुणवत्ता में जहाँ ह्रास हुआ है, वहीं पिछले चार दशकों में ज्ञान और विज्ञान के विस्फोट ने शिक्षा के लिए नये आयाम और चुनौतियाँ दी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षाविदों द्वारा किए गये विभिन्न अध्ययनों एवं समीक्षाओं के आधार पर शिक्षण संस्था के सर्वांगीण विकास हेतु संस्थागत योजना की प्रक्रिया पर बल दिया है। संस्थागत योजना की प्रक्रिया द्वारा एक शिक्षण संस्था अपने संसाधनों एवं आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित कर अपने विकास हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की संकल्पना करती है।

शिक्षा आयोग 1966 की रिपोर्ट में कहा गया है कि "विद्यालयी शिक्षा के स्तर को सुधारने की आवश्यकता को देखते हुए हमारी अनुशंसा है कि एक राष्ट्रीय विद्यालय सुधार-कार्यक्रम आरम्भ किया जाय। उस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जायँ कि वह अपनी क्षमता के अनुरूप अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करने की दिशा में प्रयत्नशील हो सके। शैक्षिक विकास का कोई भी सर्वांगीण कार्यक्रम तब-तक सफलता पूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है, जब-तक कि प्रत्येक शैक्षिक संस्था और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों, अध्यापक, छात्र और स्थानीय समुदाय को कार्यक्रम में सम्मिलित न किया जाय और कार्यक्रम की क्रियान्विति में यथाशक्ति योगदान देने के के लिये इन्हें आवश्यक प्रेरणा न मिले।"[37]

37- शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट, नयी दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, पृ0290

उत्तर प्रदेश में राज्य एवं जनपद स्तर पर शैक्षिक योजनायें बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का लक्ष्य हमारे सामने है। छात्रों के विकास की तीनों प्रमुख दिशाओं : ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं कौशलात्मक का अभियोजना की संकल्पना में समाविष्ट करना पूर्णतः अपेक्षित है। संस्थागत योजना में एक व्यावहारिक, सुव्यवस्थित, विस्तृत, विकासात्मक योजना का निर्माण किया जाता है, जिसके क्रियान्वयन से विद्यालय का संरचनात्मक तथा गुणात्मक शैक्षिक उन्नयन हो सकता है तथा विद्यालय की उन्नति और शिक्षा की गुणात्मकता बढ़ सकती है। विद्यालय के उपलब्ध साधनों तथा कार्यक्रमों में अधिक व्यय की अपेक्षा नहीं होती है, फिर भी ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख हमारी पंचवर्षीय योजना में नहीं रहता। अतएव संस्थागत योजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए।

योजनाओं के मूल्यांकन करने में प्रायः संख्यात्मक मूल्यांकन किया जाता है, किन्तु गुणात्मक मूल्यांकन नहीं कर पाते। कितने विद्यालय खुले, कितने छात्र प्रविष्ट हुए, कितना धन व्यय हुआ आदि तथ्य जानकर हम संतोष कर लेते हैं, किन्तु व्यय के अनुकूल वृद्धि हुई अथवा नहीं, बालकों की रुचियों, व्यवहारों, कौशलों, चरित्र तथा नागरिकता के गुणों में क्या परिवर्तन हुआ है? योजना के कौन-कौन अवरोधक या त्वरक रहे हैं, यह हम नहीं जान पाते। अतएव मूल्यांकन को अधिक व्यापक बनाना होगा। यह अधिक अच्छा होगा कि मूल्यांकन को क्रियान्वयन का ही एक अंग मान लिया जाय, जिससे निष्पादन के साथ-साथ मूल्यांकन स्वतः होता चले। इससे बाह्य मूल्यांकन की आवश्यकता कम नहीं होती, वह तो अपने स्थान पर आवश्यक है ही ।

स्वतंत्र भारत तथा उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो भी प्रगति हुई है, वह शिक्षा को समवेत योजनाओं में सम्मिलित करने के कारण ही हुई है अतएव शैक्षिक नियोजन निरन्तर सतर्कता पूर्ण करने की आवश्यकता है।

-x-x-x-x-

अष्टम अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सहायक अनुदान-प्रणाली

विगत शताब्दी में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष में शिक्षा-व्यवस्था करने की सोची तो यह अनुभव किया कि इतने विशाल देश की शिक्षा-व्यवस्था कर सकना सरकार के लिए संभव नहीं है। भारतवर्ष में शिक्षा सदैव समाज तथा राज्य से सहायता प्राप्त करती रही है। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों में यह सहायता विभिन्न रूपों में प्रदान की जाती रही।

प्राचीन काल में जब शिक्षा में द्रव्य का स्थान निषिद्ध था, तब समाज और राज्य यह सहायता भिक्षा, भेंट, उपहार, पुरष्कार, दान आदि देकर करते थे। मध्यकाल में रूपया, भवन या आवश्यक वस्तुओं को देकर शिक्षा-संस्थाओं की सहायता की जाती थी, तब शिक्षा धर्म से पूर्ण रूपेण अनुप्राणित थी तथा शिक्षा की सहायता धार्मिक कर्तव्य का एक अंग समझी जाती थी। यह सहायता इतनी ओर से आती थी कि संस्था को कभी इसकी कमी अनुभव नहीं होती थी, किन्तु शिक्षा को राज्य द्वारा प्राप्त सहायता यत्रतत्रिक ही थी। ब्रिटिश शासन के आरम्भ में इस सहायता को वैधानिक स्वीकृति दी गयी, तब से शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाने लगा और सहायक अनुदान-प्रणाली शिक्षा की वित्त-व्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान करती है।

अनुदान शिक्षण-संस्थाओं की आय का महत्वपूर्ण साधन है। अनुदान मूलतः किसी धन या जायदाद का उपहार होता था, जो किसी प्रभुसत्ता द्वारा जनता के लाभ के कार्यों में खर्च करने के लिए किसी वैध व्यक्ति या सुपात्र को दे दिया जाता था।। धीरे-धीरे बदलकर इसका तात्पर्य उस योगदान से हो गया, जो प्रायः किसी बड़ी शासकीय इकाई द्वारा छोटी इकाई को शिक्षा सरीखे किसी विशिष्ट कार्य की सहायता के लिए दिया जाता है। अब इसका अर्थ धनराशि का विनियोजन है, जिसका प्रयोजन और परिमाण तथा अवधि, जिसमें उसका व्यय करना अनिवार्य होता है, निश्चित कर दिये जाते हैं।[1]

1- आत्मानन्द मिश्रा, "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन", कानपुर, ग्रन्थम् 1976, पृष्ठ 225

"इनसाइक्लोपीडिया आफ सोसल साइन्सेज" में अनुदान के सम्बन्ध में कहा गया है कि -[2]

"यह ऐसा धन है जो उच्च सरकार द्वारा अधीनस्थ सरकारी सत्ता को या तो खजाने से या अन्य वित्तीय साधनों से विशेष रूप में दिया जाता है।"

इस परिभाषा से स्पष्ट है कि अनुदान उच्च सरकारी सत्ता के द्वारा अधीनस्थ संगठनों या सत्ता को कुछ शर्तों के साथ दिया जाने वाला धन है।

गाबा[3] ने अनुदान की निम्न परिभाषा प्रस्तुत की है - "संघीय व्यवस्था के अन्तर्गत, वह धनराशि जिसे संघीय सरकार राज्यों को सहायता के रूप में नियत करती है या जिसे राज्य सरकार स्थानीय इकाइयों को देने के लिए नियत करती है।" इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के विभिन्न भागों में शासन के एक से मापदंड स्थापित किये जा सकें। कई बार सहायता अनुदान के साथ यह शर्त जुड़ी रहती है कि राज्य सरकार को भी उसके अनुपात में आवश्यक निधि जुटानी पड़ेगी।

पारांजपे का विचार है कि -

"जो शिक्षा संचालकों द्वारा अशासकीय शिक्षण-संस्थाओं को प्रदान की जाती है।"

इसी प्रकार सौराष्ट्र की अनुदान कोड में दी गयी परिभाषा कुछ उन्नत है तथा इससे अनुदान के उद्देश्यों पर भी प्रकाश पड़ता है।

"अनुदान ऐसा धन है जो राज्य के खजाने से निजी प्रयासों की शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा अन्य सम्बन्धित कल्याणकारी गतिविधियों के विकास

2- ई0आर0ए0 सेलिगमैन एन्ड ए जान्सन, "इनसाइक्लोपीडिया आफ सोसल साइन्सेज", न्यूयार्क, मैकमिलन एन्ड कम्पनी, पृष्ठ-152

3- ओम प्रकाश गाबा, "राजनीति विज्ञान कोश", नयी दिल्ली, बी0आर0 पब्लिशिंग हाउस कारपोरेशन, पृष्ठ-128

तथा उन्हें उन्नत बनाने के लिए दिया जाता है।[4]

मध्य प्रदेश के अनुदान नियमों में अनुदान की दी गयी परिभाषा भी विस्तृत तथा अनुदान के उद्देश्यों एवं कार्यों पर समुचित प्रकाश डालने वाली है। इसमें अनुदान की शर्तों का भी उल्लेख है। इन नियमों के अनुसार,

"शिक्षा के विकास, प्रसार तथा उसे उन्नत करने की दृष्टि से राज्य के खजाने से धन की राशि प्रतिवर्ष अलग रख ली जाती है, उसे अनुदान के रूप में अशासकीय प्रबन्ध के रूप में चलने वाली शालाओं तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को वितरित की जाती है।[5]

"दि कनसाइज डिक्शनरी आफ इजूकेशन" में अनुदान की निम्नवत् व्याख्या की गयी है -[6]

"सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एक संस्था को लोकहितैषी अंशदान"

कार्टर वी0 गुड ने निम्नवत् परिभाषा प्रस्तुत की है -

"यह एक धनराशि होती है जिसका नियतकालिक भुगतान एक शासन द्वारा दूसरे शासन या अभिकरण को किसी विशेष कार्य के सहायतार्थ किया जाता है।"[7]

किसी भी विद्यालय को अनुदान प्राप्त करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता और उसका मिलना या न मिलना शिक्षा-विभाग के पास इस हेतु उपलब्ध धन व्यवस्था पर निर्भर करता है।

4- सौराष्ट्र स्टेट रिवाइज्ड, ग्रान्ट इन कोड, सौराष्ट्र सरकार, पृष्ठ-1।

5- गवर्नमेन्ट आफ मध्य प्रदेश, इजूकेशन डिपार्टमेन्ट "यूनीफाइड ग्रान्ट-इन-एड रूल्स", भोपाल, सेन्ट्रल प्रेस, पृष्ठ - 1

6- जीने, आर0 हवेश "दि कन्साइज डिक्शनरी आफ इजूकेशन", लन्दन वानलोस्टे एन्ड रैनी होल्ड कम्पनी, पेज - 102

7- कार्टर वी0 गुड, "डिक्शनरी आफ इजूकेशन", न्यूयार्क, मैकग्रा-हिल-बुक कम्पनी, 1973, पृष्ठ- 265

अनुदान प्रायः सम्पूर्ण खर्च का एक अंश ही पूरा करता है, अतएव इसे सहायक अनुदान §ग्रान्ट-इन-एड§ कहा जाता है।। इसे देते समय कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं, जैसे प्राप्तकर्ता को अपनी ओर से पूरक व्यय करने की अथवा किसी विशिष्ट तरीके या मद पर खर्च करने की। यह शासन के विभिन्न स्तरों के बीच या शासन और निजी संस्थाओं के बीच, जो शिक्षा की व्यवस्था करती हैं, एक आर्थिक व्यवस्था है।

"सहायक अनुदान एक धनराशि होती है, जिसका नियतकालिक भुगतान एक शासन द्वारा दूसरे शासन या अभिकरण §एजेन्सी§ को विशेष कार्य के सहायतार्थ किया जाता है। यह धनराशि एक बड़े शासन-तंत्र द्वारा छोटे शासन-तंत्र या निजी अभिकरण को सरकारी खजाने या उसी कार्य के निमित्त एकत्रित राजस्व से दी जाती है।"[8]

अनुदान का प्रयोजन/उद्देश्य -

अनुदान का प्रमुख प्रयोजन शिक्षा के प्रसार में सहायता करना है। शासन को अनेक आवश्यक कार्यों में खर्च करना पड़ता है, इसलिए वह शिक्षा जैसी जनहितकारी सेवाओं का पूरा भार अपने ऊपर नहीं ले पाता। वह समुदाय या समाज की इन कार्यों में सहायता लेता है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए शासन भी कुछ सहायक धनराशि दे देता है। अधिक विस्तार होने से गुणवत्ता की उपेक्षा हो जाती है, अतः उस पर नजर रखने के लिए नियन्त्रण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अनुदान देकर शासन नियन्त्रण और मार्गदर्शन का अधिकार प्राप्त कर लेता है। निजी प्रयास शासकीय प्रयत्नों से अधिक सस्ते होते हैं, अतएव निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करके अनुदान द्वारा शासन सस्ती और अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करता है।

आत्मानन्द मिश्र के अनुसार अनुदान के तीन प्रयोजन कहे जा सकते हैं -

---

8- आत्मानन्द मिश्र, "शिक्षा का वित्त प्रबन्धन", ग्रन्थम कानपुर 1976, पृ0-226

§1§ स्थानीय शिक्षा के उपक्रम को प्रोत्साहित एवं नियन्त्रित करना।

§2§ अनुदान की शर्तें लगाकर निरीक्षण और लेखा-परीक्षण करके शिक्षा और उसकी सेवाओं के मानकों को निर्धारित करना।

§3§ विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षा-व्यय-भार में समानता लाना।

<u>अनुदान के लक्षण</u> -

एक अच्छी सहायक अनुदान-प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

§1§ पर्याप्तता

§2§ नम्यता

§3§ स्थायित्व

§4§ सरलता

§5§ निश्चितता

अनुदान पर्याप्त होना चाहिए, जिससे कि प्राप्तकर्ता को न खर्च की कमी पड़े और न इतनी अधिक आमदनी हो कि वह अनुचित लाभ उठा सके।

अनुदान की धनराशि स्थानीय परिस्थितियों, संस्था के आर्थिक साधनों, शिक्षा के प्रचार तथा समग्र व्यय पर निर्भर करेगी, अतएव अनुदान-प्रणाली ऐसी हो कि संस्था की स्थिति, आकार और स्वरूप के अनुसार कम या ज्यादा अनुदान दिया जा सके।

अनुदान में मिलने वाली धनराशि स्थिर होना चाहिए, वह सदा घटती-बढ़ती नहीं रहना चाहिए, अन्यथा प्रबन्धकों को अनिश्चितता का आभास होगा। अनुदान आँकने का ढंग ऐसा होना चाहिए, जो पाठशाला के स्थिर तत्वों पर आधारित हो जैसे- वेतन और प्रवेश संख्या, जिससे अनुदान राशि सरलता से कूती जा सके।

अनुदान-राशि सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार की बेईमानी या उससे किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठाया जा सके।

आकलन का आधार

किसी भी संस्था को दिये जानेवाली अनुदान की राशि निर्धारित करने के लिये कई आधार हो सकते हैं। कभी एक या दो आधारों पर विचार करके तो कभी कई आधारों को ध्यान में रखकर अनुदान की गणना की जाती है। प्रमुख आधार निम्नांकित हैं -

1- शिक्षा - स्तर -

जिस स्तर की शिक्षा होती है, उसकी आवश्यकता के अनुसार अनुदान निश्चित किया जाता है, जैसे - प्राथमिक विद्यालयों को सबसे कम और विश्वविद्यालयों को सबसे अधिक अनुदान दिया जाता है।

2- छात्र - नामांकन -

छात्रों की प्रवेश-संख्या के आधार पर अनुदान का आकलन कर लिया जाता है। संस्था के एक छात्र पर होने वाला औसत व्यय निकाल लिया जाता है और उसे छात्रों की औसत उपस्थिति से गुणा करके अनुदान-राशि निर्धारित की जाती है।

3- शिक्षक - वेतन -

प्रत्येक शिक्षक-योग्यता के शिक्षक का न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन निश्चित कर दिया जाता है जैसे - मिडिल स्कूल अथवा हाई स्कूल उत्तीर्ण, स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण, प्रशिक्षित अथवा अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतनमान निश्चित कर दिया जाता है। संस्था में शिक्षकों की संख्या निश्चित करने के लिए प्रति घण्टा पीछे एक शिक्षक और कुछ विशिष्ट विषयों के लिए एक-एक शिक्षक रखने की अनुमति दी जाती है। विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं की संख्या को उनके वेतनमान से गुणा करके कुल अनुदान-राशि की गणना कर ली जाती है।

4- शैक्षिक - स्तर -

किसी संस्था का जैसा कुछ शैक्षिक स्तर होता है उसी के अनुरूप उसे अनुदान दिया

जाता है। शैक्षिक स्तर परीक्षाफल से जाँचा जाता है, यदि निरीक्षकों की जाँच पर शैक्षिक स्तर निर्धारित किया जाय तो निरीक्षकों के मापदण्डों में सम्बद्धता न हो पावेगी और वैयक्तिकता का दोष आ जायेगा।

5- **क्षेत्र का पिछड़ापन** -

यदि कोई क्षेत्र शिक्षा में पिछड़ा हुआ है तो उसमें स्थित संस्था को अधिक अनुदान देना चाहिए। ऐसे पहाड़ी तथा अनुसूचित जातियों के क्षेत्र होते हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाता है।

6- **मौलिक आवश्यकताएँ** -

संस्था की मौलिक आवश्यकताएँ जिनमें भवन, प्रयोगशाला, क्रीड़ा का मैदान, उपकरण, साज-सज्जा आदि आते हैं, के आधार पर अनुदान निश्चित किया जाता है। इनकी कमी होने पर विद्यालयों की अनुदान राशि कम की जा सकती है, किन्तु यही कारण उनके अनुदान बढ़ाने का भी हो सकता है।

7- **आर्थिक स्थिति** -

संस्था की आर्थिक स्थिति या आय के आधार पर भी अनुदान दिया जाता है। जिस संस्था की आर्थिक स्थिति खराब है उसे अधिक अनुदान देना चाहिए, किन्तु प्रायः होता यह है कि धनाढ्य संस्थाएँ अधिक अनुदान पाती हैं।

8- **स्वीकार्य व्यय** -

जो व्यय संस्था को चलाने के लिए बहुत जरूरी और उचित समझा जाता है, उसी के आधार पर अनुदान दिया जाता है। इस स्वीकार्य व्यय या एडमिसिबिल इक्सपेन्डीचर के अन्तर्गत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन-भत्ता, आकस्मिक व्यय तथा अन्य विविध व्यय सम्मिलित किये जाते हैं। भवन-निर्माण तथा साज-सज्जा के लिए अलग से अनुदान की राशि निर्धारित की जाती है।

कोठारी आयोग[9] का कहना है कि अनुदान की गणना विद्यालय के कुछ निश्चित अचरों §इनवैरिएबिल्स§ के आधार पर ही करना चाहिए, जिसमें प्रबन्धकों को अनुदान-राशि की निश्चितता रहे। यह अचर हैं, शिक्षकों तथा छात्रों की संख्या।

इस प्रकार अनुदान-राशि निर्धारित करके उसे मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक किश्तों में अदा किया जाता है, किन्तु वेतनवृद्धि और कीमतों के बढ़ने से संस्था का खर्च बढ़ जाता है, अतएव प्रतिवर्ष या प्रति दो या तीन वर्ष बाद अनुदान का खर्च के अनुसार पुनरीक्षण कर लिया जाता है। पुनरीक्षण की अवधि प्रायः एक वर्ष होती है किन्तु मध्य प्रदेश में दो वर्ष और मैसूर राज्य में 6 महीने की। यदि संस्था मान्यता की शर्तों का उल्लंघन करती है तो अनुदान घटा दिया जाता है या पूरा बन्द कर दिया जाता है।

अनुदान के प्रकार

अनुदान प्रधानतः दो प्रकार के होते हैं -

§1§ आवर्ती

§2§ अनावर्ती

1- आवर्ती अनुदान -

ऐसा अनुदान जो बार-बार निश्चित अवधि में दिया जाता है, आवर्ती अनुदान कहलाता है। अवधि मास, त्रिमास, अर्द्धमास या पूर्णवर्ष हो सकती है। यह प्रायः वेतन-भत्ता, भविष्यनिधि §प्राविडेन्ट फन्ड§, पेन्शन, छात्रवृत्ति, किराया, शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति तथा आकस्मिक व्यय के लिए दिया जाता है।

इसके निम्न तीन रूप होते हैं -

§1§ पोषण-अनुदान §मेन्टीनेन्स ग्रान्ट§ - यह विद्यालय को चलाने के लिये आवश्यक चालू

9- दौलत सिंह कोठारी, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, नयी दिल्ली, शिक्षा मन्त्रालय, पृष्ठ - 10-14

व्यय की सहायता के लिये दिया जाता है। इसमें शुल्क की क्षतिपूर्ति और छात्रों की वित्तीय रियायतें भी शामिल रहती हैं। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसे शिक्षण-अनुदान कहते हैं।

2- वेतन-अनुदान (सैलरी ग्रान्ट) - यह अनुदान शिक्षकों को ठीक से वेतन मिले, इस दृष्टि से अलग से दिया जा सकता है। इस प्रकार का अनुदान आसाम, जम्मू-काश्मीर, केरल, पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल में वेतन में सम्मिलित रहता है। यह प्रायः विद्यालय के समस्त व्यय का 33 प्रतिशत होता है, किन्तु केरल में यह शत-प्रतिशत है, जहाँ शासन शिक्षकों को वेतन सीधा स्वयं देता है। उत्तर प्रदेश में सम्प्रति शासकीय तथा अशासकीय दोनों प्रकार की संस्थाओं में वेतन एक-सा ही है।

3- छात्रावास-अनुदान (हास्टल ग्रान्ट) - यह अनुदान विद्यालयों में संलग्न छात्रावास के पोषण के लिए दिया जाता है। प्रायः यह पोषण अनुदान में सम्मिलित किया जाता है, किन्तु कभी-कभी यह अलग से दिया जा सकता है।

2- अनावर्ती अनुदान -

ऐसा अनुदान जो कभी-कभी दिया जाता है और प्रायः जल्दी दोहराया नहीं जाता, अनावर्ती अनुदान कहलाता है। भवन-निर्माण, भूमि-क्रय तथा उपकरण एवं साज-सज्जा खरीदने के लिये यह अनुदान दिया जाता है। प्रायः यह कुल खर्च के एक अंश के रूप में 33 प्रतिशत या 50 प्रतिशत होता है। इस अनुदान के तीन विभेद किये जा सकते हैं -

(अ) भवन-अनुदान - यह विद्यालय या उसके छात्रावास के भवन को खरीदने, निर्माण करने या बढ़ाने अथवा खेलकूद के मैदान के लिये भूमि खरीदने के लिये दिया जाता है। इस अनुदान को पाने के लिये लोक निर्माण विभाग का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है। असम, बंगाल, केरल और उड़ीसा में यह अनुदान नहीं दिया जाता। प्रायः इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है।

§ब§ उपस्कर-अनुदान - यह अनुदान उपकरण, वैज्ञानिक-यन्त्र, रसायन, दृश्य-श्रव्य सामग्री, पुस्तक, मानचित्र, फर्नीचर, खेलकूद की सामग्री तथा अन्य आवश्यक चीजों के खरीदने के लिये दिया जाता है। कभी-कभी यह बालिका-विद्यालयों के मोटर/बस खरीदने या टाइप-राइटर खरीदने के लिये भी दिया जाता है।

§स§ विशिष्ट अनुदान - जो अनुदान किसी विशिष्ट कारण से अथवा किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिये दिया जाता है, उसे विशिष्ट अनुदान कहते हैं।[10] जैसे -

§1§ दक्षता-अनुदान - विद्यालयों की गुणात्मकता और दक्षता के लिये उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में निर्धारित अनुदान दिया जाता है।

§2§ एकमुश्त §ब्लाक§ अनुदान - यह एकमुश्त दिया जाने वाला अनुदान होता है, जिसमें किसी प्रयोजन या शिक्षा-स्तर का निर्देशन नहीं होता और प्राप्तकर्ता उसे विद्यालय के किसी कार्य में लगा सकता है।

§3§ तदर्थ अनुदान - यह किसी विशिष्ट कार्य के लिये एकमुश्त अनुदान होता है, जो विद्यालय की आवश्यकताओं को बिना आँके या अनुमान पर दे दिया जाता है।

अनुदान का नाम कभी-कभी उस स्रोत के आधार पर किया जाता है, जहाँ से वह प्राप्त होता है। इस आधार पर निम्नांकित प्रकार के अनुदान होते हैं -

§क§ केन्द्रीय अनुदान

§ख§ राज्य शासन या प्रादेशिक अनुदान

§ग§ स्थानीय निकाय अनुदान

§घ§ यू0जी0सी0 अनुदान

§ङ§ प्रतिष्ठान §फाउन्डेशन§ अनुदान

10- आत्मानन्द मिश्र, "ग्राण्ट इन एड आफ इजूकेशन इन इण्डिया", दिल्ली, मैकमिलन कम्पनी, 1973, पृ0-33-36

अनुदान की प्रणालियाँ

कम्पनी राज्य द्वारा सर्वप्रथम 1954 में वुड के घोषणा-पत्र में अनुदान-नीति को औपचारिक रूप प्राप्त हुआ। सन् 1957 में प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के बाद सहायता-अनुदान की प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन आये तथा 1959 से सहायक अनुदान-प्रणाली देश में प्रारम्भ हुई। अनुदान विभिन्न रीतियों से दिया जाता है, इनमें से कुछ रीतियाँ ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही थीं। विभिन्न प्रान्तों की आवश्यकताओं और शिक्षा-हेतु उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए कई सहायक अनुदान-प्रणालियों का जन्म हुआ तथा स्वतन्त्रता के बाद भी कुछ प्रणालियों का विकास हुआ।

आजकल की प्रचलित प्रणालियों का यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जायेगा, उनमें से निम्नांकित प्रमुख हैं -

1- वेतन-अनुदान-प्रणाली[1] (सैलरी ग्रान्ट सिस्टम) -

इसका प्रारम्भ मद्रास प्रेसीडेन्सी में हुआ था, जहाँ निर्धारित अर्हता के शिक्षकों के वेतन का आंशिक अनुदान प्रतिमाह सरकार द्वारा दिया जाता था। अर्हताओं के अनुसार अधिकतम वेतन निर्धारित था, जिस सीमा तक प्रबन्धक वेतन दे सकते थे। आधुनिक समय में यह प्रणाली केवल केरल में विद्यमान है, जहाँ सरकार पूरा वेतन और भत्ता सीधा शिक्षक को देती है। पशिचमी बंगाल में प्रशिक्षित शिक्षक के वेतन का आधा और अप्रशिक्षित का तिहाई अनुदान के रूप में दिया जाता है।

यह प्रणाली योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करने पर बल देती है, जिससे शिक्षण-स्तर ऊँचा होता है, शिक्षकों को भी निश्चित समय पर वेतन मिल जाता है और प्रबन्धकों से कोई विवाद नहीं होता है।

11- आत्मानन्द मिश्र, "ग्राण्ट इन एड आफ इजूकेशन इन इण्डिया", नयी दिल्ली, मैकमिलन, 1973, पृ041-56

यह प्रणाली अच्छे कार्य के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं देती है। इसमें प्रबन्धकों के बेईमानी करने की गुंजाइश है।

2- **परीक्षाफल-अनुदान-प्रणाली (रिजल्ट ग्रान्ट सिस्टम)** -

इस प्रणाली में निरीक्षक-गण विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में परीक्षा लेते हैं। और प्रत्येक बालक पर जो एक निर्दिष्ट मापदण्ड की योग्यता रखता है, कुछ धनराशि दी जाती है। सब पास होने वाले छात्रों पर मिलने वाली धनराशि का योग पाठशाला का अनुदान होता है। यह प्रणाली बम्बई में प्रारम्भ हुई थी और बाद में मद्रास को छोड़कर सभी प्रान्तों में प्रचलित हुई, किन्तु आजकल इसका चलन बन्द हो गया।

इस प्रणाली में अनुदान शैक्षिक उपलब्धियों से जुड़ा रहता है अतएव विद्यालय में पढ़ायी अच्छी होती है, परन्तु परीक्षा के दोषों के कारण इसमें भी दोष आ जाते हैं। अनुदान प्रतिवर्ष अनिश्चित रहता है।

3- **नियतकालिक अनुदान-प्रणाली (फिक्सड् पीरिएड ग्रान्ट सिस्टम)** -

इस प्रणाली का आरम्भ बंगाल प्रेसीडेन्सी में हुआ था, अतएव इसे बंगाल-प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में शिक्षा-संस्था की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर उसके अनुदान को कुछ वर्षों के लिये निश्चित कर दिया जाता है। यह निश्चित करते समय संस्था में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनका वेतन, निवास-स्थान, सम्भावित आर्थिक साधन और शैक्षिक व्यवस्था, स्थित क्षेत्र की सम्पन्नता या विपन्नता और उससे प्राप्त अनुमानित फीस आदि बातों पर विचार किया जाता है।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण इसकी सरलता और रूचीलापन है। इसमें संस्था के सम्बन्ध में किसी वृहत् विवरण को एकत्र करने की जरुरत नहीं पड़ती। उसकी आवश्यकताओं को देखकर उसके अनुरूप अनुदान निश्चित कर दिया जाता है। इससे संस्था में दृढ़ता और स्थायित्व की भावना आती है।

यह प्रणाली शिक्षा-विभाग की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता को प्रश्रय देती है। यह शिक्षकों के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं देती, जिससे वे अपने कार्य को उन्नत कर सकें और अपनी शैक्षिक अर्हताओं को बढ़ा सकें।

4- सानुपाती अनुदान-प्रणाली (प्रोपोर्शनेट ग्रान्ट सिस्टम) -

इसमें स्कूल की आय का एक निश्चित अनुपात 50 या 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन यह हुआ है कि अनुदान का अनुपात संस्था का "स्वीकार्य या अनुमोदित व्यय" (एडमिसिबल आर एप्रूव्ड इक्सपेन्डीचर) होगा। कभी-कभी व्यय की प्रत्येक मद पर अलग-अलग प्रतिशत निश्चित किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में स्वीकार्य व्यय का 45 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 50 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को दिया जाता है। दिल्ली में स्थानीय निकायों के स्कूलों को 50 प्रतिशत और निजी विद्यालयों को 75 प्रतिशत दिया जाता है।

इस प्रणाली में बड़ी सरलता और लचीलापन है। इसमें अनुदान आँकने में बड़ी सुभीता और शीघ्रता होती है। व्यय के मद स्वीकार्य होने से फिजूलखर्ची नहीं होती है और सहायता में स्थिरता और दृढ़ता आती है।

इस प्रणाली से सम्पन्न विद्यालयों को अधिक अनुदान मिल जाता है। कभी-कभी स्वीकार्य मदों के सम्बन्ध में भी विवाद खड़ा हो जाता है।

5- प्रति-छात्र अनुदान-प्रणाली (कैपिटेशन ग्रान्ट सिस्टम) -

इसमें प्रत्येक छात्र पर औसत उपाधि के आधार पर निश्चित दर से अनुदान दिया जाता है, जो छोटी से बड़ी कक्षाओं में बढ़ता जाता है। औसत उपस्थिति प्रायः 31 मार्च के दिन ही ली जाती है। इससे विद्यालय में छात्रों की संख्या और उपस्थिति को बढ़ावा मिलता है।

इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण इसकी सरलता और स्वच्छता है। इस

प्रणाली से शिक्षा-प्रसार में बल मिलता है।

इस प्रणाली में छात्रों की संख्या घटने पर अन्य सुविधाएँ वही रखनी पड़ती हैं, जिससे खर्च में कमी नहीं होती है; किन्तु अनुदान कम हो जाता है, जिससे स्कूल चलाना मुश्किल हो जाता है।

6- **घाटा-अनुदान-प्रणाली (डेफीसिट ग्रान्ट सिस्टम)** -

इस प्रणाली में विद्यालय के बजट के सम्पूर्ण या अधिकांश घाटे को पूरा किया जाता है। अनुमोदित व्यय और स्वीकृत आय के बीच का अन्तर घाटा कहलाता है। प्रायः यह अनुदान दो तिहाई से लेकर पूरे घाटे को पूरा करता है। वर्तमान में इस प्रणाली का प्रयोग अनेक राज्यों में हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश और असम में सम्पूर्ण घाटा अनुदान के रूप में मिलता है। कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को घाटे का 85 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के स्कूलों को 80 प्रतिशत अनुदान में दिया जाता है। मध्य प्रदेश में 75 प्रतिशत या पूर्ण घाटा, जो कम हो, अनुदान में दिया जाता है। तमिलनाडु में दो तिहाई घाटे की पूर्ति की जाती है।

यह प्रणाली बहुत उपयोगी है। प्रबन्धक अनुदान के लिये आश्वस्त रहते हैं और वह उन्हें सरलता से मिल जाता है।

प्रबन्धक प्रायः अपने हिस्से हेतु धन का प्रबन्ध नहीं कर पाते और छात्रों पर फीस बढ़ाकर या शिक्षकों के वेतन से कटौती करके उसको पूरा करते हैं।

7- **संयुक्त प्रणाली या बहुविध अनुदान-प्रणाली (कम्बाइन्ड सिस्टम् आर मल्टीपिल् ग्रान्ट सिस्टम)** -

विद्यालय- व्यय की विभिन्न मदों को जब दो प्रणालियों से आँककर अनुदान दिया जाता है तो उसे संयुक्त प्रणाली कहते हैं। जैसे- शिक्षकों से सम्बन्धित व्यय वेतन-प्रणाली से दिया जाय और अन्य व्यय परीक्षा-प्रणाली से। जैसे- उत्तर प्रदेश में पोषण

अनुदान तीन विधियों से दिया जाता है - यथा (1) वेतन अनुदान (2) प्रति-छात्र अनुदान (3) नियतकालिक अनुदान, जो प्रत्येक अनुमोदित कक्षा इकाई के लिये होता है। इसी प्रकार पंजाब में चार प्रकार का अनुदान दिया जाता है यथा- वेतन, प्रति-छात्र प्रणाली, भविष्य निधि-अनुदान तथा छात्रावास-अनुदान।

निजी अभिकरणों की सहायता करने में कई कारकों पर ध्यान रखना पड़ता है। अतएव संयुक्त या बहुविध प्रणाली से प्रत्येक कारक की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है।

इस प्रणाली में अनुदान की गणना जटिल होती है और किसी मद की गणना में विभाग तथा प्रबन्धकों के बीच विवाद हो सकता है।

भारत में माध्यमिक शिक्षा की सहायक अनुदान प्रणालियाँ

भारत के राज्यों में व्यक्तिगत संस्थाएँ शैक्षिक दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। यदि यह संस्थाएँ न होतीं तो शासन को ऐसी ही अथवा इसी प्रकार की संस्थाएँ स्थापित करनी पड़तीं तथा आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन करना पड़ता। इस प्रकार राजकोष से शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की प्रथा वर्षों से चली आ रही है। ऐसी सहायता अभिभावकों से वसूल की जाने वाली शुल्क की मात्रा को सीमित करती है। इस प्रकार कम कीमत पर राजकीय संस्थाओं की भाँति असंख्य लोगों को ये संस्थाएँ शिक्षा की सुविधा प्रदान करती हैं।

देश में ऐसे भी बहुत से विद्यालय हैं, जो शासन द्वारा दिया जाने वाला अनुदान स्वीकार नहीं करते हैं और विद्यार्थियों से अत्यधिक शुल्क वसूल कर अपने आपको चालू रखे हैं।

जहाँ तक सहायता-अनुदान-प्रणाली का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश का अपना प्रतिमान (नमूना) है तथा सहायक अनुदान-नियम समय-समय

पर परिवर्तित होते रहते हैं।

अधिकांश माध्यमिक विद्यालय असम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में निजी उद्यमों द्वारा संचालित किये जाते हैं, जबकि आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में अधिकांश माध्यमिक विद्यालय शासन द्वारा संचालित हैं। मैसूर, पंजाब तथा तमिलनाडु में माध्यमिक संस्थाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था शासन तथा निजी उद्यमों द्वारा लगभग समान है। माध्यमिक विद्यालयों के लिये सहायता-अनुदान-नियम कई राज्यों के लगभग समान हैं। माध्यमिक शिक्षा हेतु विभिन्न राज्यों में जो सहायक अनुदान-प्रणालियाँ प्रचलित हैं, उनमें कुछ का विवरण निम्न है -

आन्ध्र प्रदेश में टीचिंग ग्रान्ट[12] - विगत वर्ष के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा भृत्यों के बराबर दी जाती है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत आकस्मिक व्यय अनुरक्षण-व्यय हेतु प्रदान की जाती है, जिसके अन्तर्गत भृत्यों का वेतन भी वितरित किया जाता है। संस्था को प्रदान की जाने वाली अनुदान में से शिक्षण-शुल्क तथा अन्य अनुदान, जो शासन ने प्रदान किया है, उसकी कटौती कर ली जाती है।

शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अनुदान के पूर्व यह आवश्यक है कि कला तथा विज्ञान की कक्षाओं में क्रमशः 10 तथा 15 छात्र-संख्या होना चाहिए। महिला विद्यालयों में इस शर्त को छूट दी जा सकती है।

आसाम[13] में अशासकीय संस्थाओं को आवर्ती तथा अनावर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। आवर्ती अनुदान-निश्चयन अनुमोदित आय तथा अनुमोदित व्यय के

12- पी0डी0 शुक्ला, "एडमिनिस्ट्रेशन आफ इजूकेशन इन इण्डिया," नयी दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, 1983, पृष्ठ- 130

13- वही, पृष्ठ - 130

अन्तर को देखते हुए घाटा-प्रणाली के अनुसार किया जाता है। अनुमोदित आय की गणना उपस्थित पंजिका में छात्रों की संख्या को शिक्षण-शुल्क से गुणा करके की जाती है और उसमें विद्यालयों में 25 प्रतिशत तथा महाविद्यालयों में 25 प्रतिशत कम कर दिया जाता है। विशेष मामलों में जहाँ नामांकन निर्धारित संख्या से कम है, वहाँ बाद वाला नामांकन मान लिया जाता है। पब्लिक-दान, जब तक कि वह भवन हेतु उद्दिष्ट न किया गया हो, संस्था की आय माना जाता है। अनुमोदित व्यय के अन्तर्गत शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन एवं कर्मचारियों के प्रोविडेन्ट फन्ड में शासन का अंशदान सम्मिलित है। अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा पहले ही निश्चित अथवा निर्धारित कर दी जाती है ।

अनावर्ती अनुदान संस्था के भवन-निर्माण, विज्ञान-प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्राओं का कामन कक्ष तथा क्रीड़ांगन के सुधार के लिये दिया जाता है। प्रत्येक संस्था की आवश्यकतानुसार अनुदान की मात्रा निर्धारित की जाती है। विद्यालयों हेतु 25 प्रतिशत तथा महाविद्यालयों हेतु 40 प्रतिशत शुल्क की धनराशि में जो कटौती की जाती है उसको निम्न मदों में खर्च किया जाता है -

§1§ संस्था के भवन, काष्ठोपकरण तथा उपकरणों के मरम्मत एवं रख-रखाव।

§2§ पुस्तकालय-संग्रह में बढ़ोत्तरी तथा प्रतिस्थापन हेतु ।

§3§ प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की शुल्क-मुक्ति।

बिहार[14] में पूर्व की भाँति व्यक्तिगत प्रबन्धकों को माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान न करके जनपद के सम्बन्धित शिक्षा-अधिकारियों को सीधा अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय को आकस्मिक व्यय तथा अन्य खर्चों हेतु 50 रु0 मासिक की दर से प्रदान किया जाता है। राज्य के आय-व्ययक में

14- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 13।

उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समय-समय पर अनावर्ती अनुदान भी प्रदान किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद् विभिन्न प्रकार के अनुदान आबंटित करती है, उदाहरणस्वरूप- सामान्य अनुदान, छात्रावास-अनुदान, जमींदारी-उन्मूलन-अनुदान, विशेष विषयों हेतु अनुदान तथा दक्षता-अनुदान आदि। सामान्य अनुदान मासिक आवर्ती अनुदान है, जिसके अन्तर्गत शुल्क-आय तथा मानक लागत के अन्तर के बराबर धनराशि प्रदान की जाती है।

गुजरात[15] में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्राप्त होने वाले अनुदानों के अतिरिक्त 1980 में एडहाक अनुदान देना शासन ने प्रस्तावित किया है। यह अनुदान (1) विज्ञान-शिक्षण में सुधार (2) चयनित माध्यमिक विद्यालयों का सम्पूर्ण सुधार (3) माध्यमिक विद्यालयों में कार्य-अनुभव लागू करना आदि मदों पर प्रदान किया जाता है। गुजरात में अनुमोदित व्यय का शहरी विद्यालय 45 प्रतिशत, ग्रामीण 50 प्रतिशत, बालिका विद्यालय 55 प्रतिशत तथा पोस्ट बेसिक विद्यालय 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करते हैं।

कर्नाटक[16] की सरकार ने विभिन्न प्रकार तथा भिन्न-भिन्न स्तर की शिक्षा संस्थाओं हेतु विशिष्ट संहिताएँ निर्गत की हैं। जैसे -

(1) ग्रान्ट इन कोड फार सेकन्डरी स्कूल्स इन मैसूर स्टेट 1967.

(2) न्यू ग्रान्ट इन कोड फार सेकन्डरी टीचर्स कालेजेज आफ इजूकेशन इन मैसूर स्टेट 1966.

(3) रूल्स परटेनिंग टु ग्रान्ट इन एड टु प्राइवेट हास्टल इन दि स्टेट 1968.

(4) ग्रान्ट इन कोड फार आर्ट इंस्टीट्यूशन 1975.

माध्यमिक विद्यालय अनुरक्षण-अनुदान में शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों का सम्पूर्ण वेतन, भत्ते तथा फण्ड एवं प्रत्येक प्रथम सेक्सन हेतु 75 रु0 तथा अतिरिक्त सेक्सन हेतु 25 रु0 आकस्मिक व्यय के रूप में प्राप्त करते हैं। अनुरक्षण अनुदान में विद्यालय

15- वही, पृष्ठ - 13।

16- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 13।

भवन तथा क्रीड़ांगन का रख-रखाव एवं मरम्मत का अधिकतम व्यय 50 रु0 प्रति सेक्सन की दर से तथा यही समान धनराशि किराये के भवन हेतु व्यय, सम्मिलित रहता है। अधिकतम एक लाख रुपये तक भवन-अनुदान का 50 प्रतिशत भी प्रदान किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय को 5000 रुपये की धनराशि डी0पी0आई0 तथा अध्यक्ष, प्रबन्ध-समिति के संयुक्त खाते में "स्थायी कोष" में जमा करना पड़ता है, तभी अनुदान दिया जाता है। विद्यालय अनुत्तीर्ण छात्रों के अतिरिक्त किसी भी छात्र से शिक्षण-शुल्क वसूल नहीं कर सकता।

केरल[17] में प्रत्येक सहायता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक तथा गैरशिक्षक कर्मचारी अपना पारिश्रमिक सीधे शासन से प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति छात्र की दर से 350 रु0 अनुरक्षण-अनुदान प्रदान की जाती है। अनुदान में यदि विद्यालय-भवन किराये का है, तब 5 पैसा प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से खपरैल भवनों के लिये तथा 12 पैसे प्रति स्क्वायर फुट छप्पर वाले भवनों के लिये धनराशि सम्मिलित रहती है।

मध्य प्रदेश[18] में विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न स्तर की शैक्षिक संस्थाओं हेतु वित्तीय सहायता शासन द्वारा निर्गत 1960 के "यूनीफाइड ग्रान्ट इन एड फार नान गवर्नमेन्ट इजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन इन मध्य प्रदेश" के आधार पर प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत संगठनों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था को तभी अनुदान प्रदान किया जायेगा, जब कि वह एक वर्ष तक अस्तित्व में रह चुकी हो तथा विद्यालयों में 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 18 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के शिक्षकों हेतु पद आरक्षित हों। माध्यमिक संस्थाओं को तीन प्रकार के अनुदान प्रदान किये जाते हैं - (1) अनुरक्षण - अनुदान (2) भवन-अनुदान (3) उपकरण-अनुदान। अनुरक्षण-अनुदान की गणना 75 प्रतिशत वास्तविक व्यय अथवा वास्तविक घाटा, जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है। इस उद्देश्य हेतु

17- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 134

18- वही, पृष्ठ - 134

व्यय के मदों की स्पष्ट सूची तैयार की जाती है। एक ही समय में दो वर्ष के लिये अनुदान निर्धारित की जाती है, परन्तु अर्द्धवार्षिक आधार पर भुगतान की जाती है तथा हाई स्कूल स्तर के प्रत्येक सेक्सन के हिसाब से 25 रू0 आकस्मिक व्यय हेतु अनुदान प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती है।

महाराष्ट्र[19] में "महाराष्ट्र सेकन्डरी स्कूल्स कोड" में दिये गये विभिन्न नियमों के अन्तर्गत मान्यता-प्राप्त माध्यमिक विद्यालय को अनुदान प्रदान किया जाता है। अनुदान के अन्तर्गत अनुरक्षण-अनुदान, उपकरण-अनुदान, भवन-अनुदान तथा अन्य प्रकार के अनुदान समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। अनुरक्षण-अनुदान से तात्पर्य §1§ वेतन पर व्यय, भत्तों तथा प्राविडेन्ट फन्ड में अंशदान §2§ किराये पर व्यय §3§ अन्य मदों पर व्यय अथवा पूर्ववर्ती वर्ष के कुल स्वीकृत व्यय का 12 प्रतिशत या जो भी कम हो §4§ उपस्थिति-पंजिका पर नामांकित प्रति-छात्र एक रूपये प्रति इकाई अनुदान §5§ शुल्क-भुगतान करने वाले छात्रों से स्वीकृत शिक्षण-शुल्क, जो वापसी योग्य है, घटाया जायेगा §6§ विद्यालय-व्यय हेतु कुल स्वीकृत व्यय का 1 प्रतिशत ग्रामीण विद्यालयों तथा 2·50 प्रतिशत शहरी विद्यालयों के लिये प्रबन्धकीय अंशदान में घटाया जायेगा।

राजस्थान[20] में सहायता-अनुदान-प्रणाली "राजस्थान ग्रान्ट इन एड टु इजूकेशनल एन्ड कल्चरल इंस्टीट्यूशन रूल्स" द्वारा संचालित है। अनुदान हेतु प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्र एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के निदेशक §संयोजक§, महाविद्यालयीन तकनीकी तथा संस्कृत-शिक्षा के निदेशक, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष, सचिवालय स्तर के शिक्षा तथा वित्त विभाग के प्रतिनिधि, सम्बन्धित मण्डल के उप अथवा संयुक्त निदेशक तथा तीन अशासकीय शिक्षाविदों द्वारा गठित होती है।

19- ग्रान्ट इन कोड फार स्कूल एन्ड कालेजेज् §रिवाइज्ड§ पूना, यवरदा प्रिन्टिंग प्रेस 1957

20- पी0डी0 शुक्ला, "एडमिनिस्ट्रेशन आफ इजूकेशन इन इण्डिया", नयी दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस

समिति द्वारा संस्था को चार वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, जो 80 प्रतिशत, 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत विगत वर्ष के अनुमोदित व्यय के अनुसार तथा वेतन-वृद्धि में व्यय होने वाली धनराशि के बराबर अनुदान पाते हैं, जो संस्थाएँ पथ-प्रदर्शक तथा शिक्षा में प्रवर्तित प्रायोगिक क्रियाओं को सम्पन्न करती हैं, उन्हें एक विशिष्ट श्रेणी में राक्खा जाता है तथा वह अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत व्यय के बराबर रक्खे गये हैं। सहायता-अनुदान में वृद्धि पर प्रायः 3 वर्ष के बाद ही विचार किया जाता है। संस्था को सहायता-अनुदान प्राप्त करने के लिये न्यूनतम नामांकन तथा छात्रों को अधिकतम औसत उपस्थिति के मानक निर्धारित हैं।

तमिलनाडु[21] में शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता राज्य सरकार की विभिन्न संहिताओं तथा नियमों द्वारा संचालित है। सहायता-प्राप्त विद्यालयों में सहायता-अनुदान के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्टाफ का वेतन तथा कुछ अन्य आवर्ती प्रकृति के अनुमोदित मद सम्मिलित हैं। प्राथमिक पाठशालाओं को छोड़कर, जिनका अनुदान वार्षिक प्रदान किया जाता है, वेतन का अनुदान मासिक दिया जाता है। संस्था के भवनों को उपयुक्त रूप में सुरक्षित रखने के लिये हाई स्कूल के निजी प्रबन्धतन्त्रों को न्यूनतम धनराशि अंशदान के रूप में देना पड़ता है। यह धनराशि विद्यालय के स्थापित होने के आधार पर निर्धारित की जाती है, यदि विद्यालय 1964-65 के पहले स्थापित हुआ है तो 1500 रु0, यदि 1965-70 के बीच स्थापित हुआ है तो 5000 रु0 तथा यदि 1970-71 के बाद स्थापित हुआ है तो 7000 रु0।

वेस्ट बंगाल[22] शिक्षकों के वेतन के सन्तोषप्रद भुगतान की आवश्यकता को स्वीकृति प्रदान करता है। 1973 से "वेतन-घाटा-योजना" हेतु सहायक-अनुदान के रूप में सहायता-अनुदान का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अनुमोदित शिक्षक तथा गैरशिक्षक कर्मचारियों के वेतन

21- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 137

22- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 138

संदाय के खाते में वास्तविक कमी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उड़ीसा[23] में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पूर्ण घाटे के बराबर मान्यता वर्ष से अनुदान दिया जाता है। जब-तक विद्यालय सहायता-अनुदान-सूची में सम्मिलित होने लायक नहीं रहता, तब-तक 75 रु0 माह प्राप्त करता है।

पंजाब[24] में विद्यालय चार प्रकार की अनुदान प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का 1/3 तथा नवीं एवं दसवीं कक्षा की औसत उपस्थिति के आधार पर प्रति-छात्र व्यय 24 रुपये तथा प्रति-छात्रा 48 रुपये ब्लाक अनुदान दिया जाता है। कोई भी माध्यमिक विद्यालय प्रतिवर्ष 6000 रु0 से अधिक अनुदान नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन शासन अनुदान की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यथा- अधिकतम वार्षिक अनुदान 12000 रु0 तथा 30 रु0 प्रति छात्र एवं 60 रु0 प्रति छात्रा ब्लाक ग्रान्ट।

दिल्ली[25] प्रशासन का सम्बन्ध मिडिल, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अनुदान के भुगतान तक ही है। प्रशासन सहायक अनुदान-प्रणाली की केवल दो योजनाएँ संचालित करता है। मान्यता-प्राप्त उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों के वेतन हेतु 95 प्रतिशत तथा अनुमोदित मदों के आकस्मिक व्यय हेतु 66-2/3 प्रतिशत प्रदान करता है। दूसरी योजनान्तर्गत क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित होने वाले शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठनों को प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अनुदान-प्रणाली

स्वतन्त्रता के पूर्व -

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधीन कलकत्ते के मदरसे और बनारस के संस्कृत

23- तत्स्थान सन्दर्भित, पृष्ठ-85

24- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 139

25- पूर्व सन्दर्भित, पृष्ठ - 139

कालेज से शैक्षिक अनुदान देने का प्रादुर्भाव हुआ। 1854 में सहायक अनुदान-प्रणाली का दस्तावेज जारी होने के पश्चात् प्रान्तीय सरकारों को परामर्श दिया गया कि इंग्लैण्ड की परम्परा के अनुसार अनुदान-विधि की नियमावली तैयार करें तथा कुछ विशेष कार्यो हेतु धनराशि स्वीकृत करें, जैसे - शिक्षकों के वेतन में वृद्धि, छात्रवृत्तियों का संचालन, भवन-निर्माण आदि। नियमावली तैयार करने में कुछ निम्नवत् बिन्दु विशेषरूप से परिलक्षित किये जांय -

(1) अनुदान पाने वाला विद्यालय धर्म-निरपेक्ष हो।

(2) स्थानीय प्रबंध समिति का गठन सुव्यवस्थित हो।

(3) सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने हेतु खुला हो।

(4) छात्रों से शुल्क रूप में कुछ आय भी प्राप्त करता हो।

पश्चिमोत्तर प्रान्त और अवध में सहायता अनुदान को बहुत थोड़ी सफलता मिली। सन् 1856-57 की प्रथम अनुदान नियमावली में प्रमुख शर्त यह थी कि सभी छात्रों से शिक्षण-शुल्क वसूल किया जाय। फलस्वरूप मिशनरी संगठनों द्वारा संचालित स्कूल अनुदान का लाभ नहीं ले सके। सन्[26] 1858 के मूल सहायता-अधिनियम 1864 में संशोधित करके अधिक उदार बनाये गये और कम से कम दो तिहाई छात्रों से शुल्क वसूल करने पर जोर दिया गया। इस अवधि में 72 स्कूल और कालेजों को 80,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होता था। सन् 1957-58 की सार्वजनिक शिक्षा-संचालक की विज्ञप्ति से ज्ञात होता है कि सहायता-अनुदान-प्राप्त विद्यालय निर्विवाद वे धार्मिक संस्थायें थीं, जो ईसाई पादरियों द्वारा चलाई जाती थीं। वास्तव में मिशनरी संस्थाओं ने सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान से लाभ उठाया, परन्तु सरकार धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार करने तथा उसे प्रोत्साहन देने पर दृढ़ रही। 1861-62 में नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्स में 9 संस्थायें अनुदान प्राप्त कर रहीं थीं।

सन् 1871-72 से ऐसे अनेक विद्यालयों को, जो सहायता-अनुदान-श्रेणी

26- एनुअल रिपोर्ट आन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1874-75, नार्थ वेस्ट प्राविन्सेज एन्ड अवध, पृष्ठ - 74

में थे, उन्हें सरकारी प्रबंध में ले लिया गया। अतएव निजी विद्यालयों की प्रवृत्ति पतन की ओर हो गयी, जबकि सहायता-प्राप्त विद्यालयों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। इस प्रान्त में सहायता-अनुदान के नियम मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रान्त की तुलना में अधिक उदार थे।

सन् 1871 के अधिनियम 10 के लागू होने के साथ ही उत्तर-पश्चिमी सूबों की सरकार ने यह निर्णय लिया कि शिक्षा पर तीव्र गति से बढ़ते हुए व्यय को सीमित किया जाय। विभाग की वचनबद्धता वैसे ही सीमित थीं और इस पर भी किसी प्रकार की कटौतियाँ संभव नहीं लग रही थीं, अतएव स्वाभाविक रूप से सहायता प्राप्त संस्थाओं पर ही चोट पड़ी। इसका स्पष्ट रूप 1871 से 1875 तक शिक्षा संस्थाओं पर किया गया व्यय 1,95,000 रूपये था, जबकि अनुदान की राशि केवल 9,000 रूपये थी[27]। सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से यह कहा कि अन्य विभागों के व्यय की तुलना में शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय बहुत अधिक है, वर्तमान परिस्थिति में व्यय में वृद्धि की स्वीकृति देना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग को निर्देश दिये जाँय कि नये विद्यालय कदापि न खोले जाँय तथा जो संस्थायें चल रही हैं उन्हीं की दक्षता में वृद्धि की जाय। इस आदेश के परिपालन हेतु अनुदान नियमों की नीति में 1974 में राजाज्ञा सं0 449-ए-दिनांक 2 जून 1974 के अधीन संशोधन कियें गये[28]। भारत सरकार के प्रस्ताव-संख्या 62 दिनांक 11 फरवरी 1975 द्वारा नियमों और शर्तो को और अधिक स्पष्ट किया गया। यह निश्चय किया गया कि छोटे स्तर के स्कूलों को शिक्षण-व्यय का एक तिहाई तथा उच्चतर स्तर को शिक्षण-व्यय का आधा आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।

1882 पहुँचते-पहुँचते व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा शिक्षणकार्य एक प्रकार का स्थायी

27- डब्ल्यू0डब्ल्यू0 हण्टर, एजूकेशन कमीशन रिपोर्ट 1882, नार्थ वेस्टर्न प्राविन्स एण्ड अवध प्राविन्सियल कमेटी, कलकत्ता गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस इण्डिया 1884, पृष्ठ-42-48

28- एम0एल0 भार्गव, हिस्ट्री आफ सेकण्डरी इजूकेशन इन उत्तर प्रदेश, लखनऊ सूपरिण्टेण्डेण्ट, प्रिन्टिंग एण्ड स्टेशनरी उत्तर प्रदेश (इण्डिया) 1958, पृष्ठ - 337

उद्यम जैसा बन चुका था। इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षण-कार्य में लगी संस्थायें (कम से कम माध्यमिक स्तर पर) सस्ती दर पर कम समय में शिक्षा-प्रसार के उद्देश्य को पूरा कर सकती हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने इसी आधार पर इस बात का समर्थन किया है कि "जहाँ तक सम्भव हो माध्यमिक शिक्षा, अनुदान के माध्यम से ही चलायी जाय तथा सरकार को चाहिए कि जितनी शीघ्र हो सके माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अपने प्रबन्ध को वापस ले लें[29]।

आर्थिक अनुदान की यह व्यवस्था जो अब तक पूरी तौर से परम्परा जैसी बन चुकी थी, हमारे सामाजिक मनोविज्ञान को भी प्रभावित कर रही थी। तत्कालीन भारतीय समाज रजवाड़ों और जमीदारों से ग्रस्त था, उसका चिन्तन पूर्णरूपेण मध्यवर्ती सोंच तक सीमित था। भूमि की उपज को अपनी आय का प्रमुख स्रोत मानकर अपनी विलासिता खोजने वाला यह अभिजात वर्ग अपने बच्चों की शिक्षा के लिये सामान्य जन की आर्थिकता के बल पर विद्यालय चलाता था।

लार्ड कर्जन भारत में शिक्षा की प्रगति से संतुष्ट नहीं था। वह प्रत्येक सोपान पर गुणात्मक सुधार चाहता था। अक्टूबर 1902 में प्रकाशित भारत सरकार के राज्य-पत्र संख्या-854/885 (जिसे एच0एच0 राइजले, कार्यकारी सचिव, स्थानीय प्रशासन भारत सरकार ने प्रेषित किया) में राज्य सरकारों को अनुपालन हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये। लार्ड कर्जन इस बात का पक्षधर था कि व्यक्तिगत संस्थाओं को निरन्तर अनुदान दिया जाता रहे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय प्रशासन अनुदान देने के पूर्व इस बात के लिये पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाय कि माध्यमिक विद्यालय को वास्तव में अनुदान राशि की आवश्यकता है तथा उसकी आर्थिक स्थिति जो कुछ भी है, स्थायी है, उसकी प्रबन्ध-समिति नियमतः गठित है, आदि।

29- एम0एल0 शर्मा, "इजूकेशनल रिकान्स्ट्रक्शन इन उत्तर प्रदेश", आगरा, कन्चलसन एण्ड कम्पनी 1967, पृष्ठ - 114

शिक्षा से सम्बन्धित वित्तीय प्रशासन जिला परिषद अधिनियम 1906 के अन्तर्गत जिला परिषदों को सौंप दिया गया, परन्तु यह प्रयोग भी पूरी तरह विफल रहा, फलस्वरूप स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग की अनुज्ञप्ति संख्या 685/नवम्-9 दिनांक 26 जुलाई 1909 द्वारा नियमों में संशोधन करके अनुदान प्रदान करने का अधिकार फिर से शिक्षा-विभाग को दे दिया गया।

21 अप्रैल 1913 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा "माध्यमिक शिक्षा में निजी क्षेत्र का योगदान" शीर्षक से अनुदान-राशि में वृद्धि की महत्ता को अधिक बल दिया गया।

वर्षवार व्यय की गयी धनराशि के विश्लेषण से यह आभास होता है कि 1922 से 1947 तक के ढाई दशकों में अनुदान पद्धति द्वारा ही प्रमुख रूप से व्यय भार वहन किया गया है। सन् 1886 में उत्तर प्रदेश में 25 शासकीय विद्यालय चल रहे थे और उनकी तुलना में 24 व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा संस्थाएं चलायी जा रही थीं। सन् 1902 में व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा चलाये जाने वाले विद्यालयों की संख्या 24 से बढ़कर 67 हो गयी जबकि शासकीय विद्यालय 25 से 34 ही हो सके। 1921 में शासकीय और गैर शासकीय विद्यालयों की संख्या क्रमशः 55 और 129 थी, 1937 में 56 और 203 तथा 1947 में यह संख्या 60 और 355 हो गयी। इस प्रकार 1886 से 1947 के बीच शासकीय माध्यमिक संस्थाएँ 25 से बढ़कर 60 ही हो सकीं तथा व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा संचालित संस्थाओं की संख्या 24 से 355 हो गयी।

सन् 1947 के पूर्व सहायक अनुदान प्रणाली कुछ मान्यताओं पर आधारित थी, जो अधोलिखित हैं -

(1) निजी शैक्षिक संस्थाओं को अनावर्ती खर्च के लिये स्वल्प प्राविधान रखा जाता था।

(2) आवर्ती खर्च हेतु सामान्य मान्यता यह थी कि प्रति-विद्यार्थी व्यय शासकीय संस्था

में अशासकीय संस्थाओं की अपेक्षा अधिक होगा। अतः नियम सामान्य रूप से ऐसे बनाये जाते थे कि निजी संस्थाएँ शासकीय संस्थाओं की अपेक्षा अधिक खर्च नहीं करती थीं। उदाहरण के लिये कोई भी निजी संस्था, शासकीय संस्थाओं की अपेक्षा वेतन अधिक नहीं देती थी।

(3) सहायता-अनुदान की प्रणालियाँ बहुत पेचीदी थीं, जिनमें स्वेच्छाचारिता और विवेकाधिकार का तत्व बहुधा अधिकांश रूप से शिक्षा-अधिकारियों के अधिकार (अथार्टी) में निहित था, जो अनुदान को स्वीकृत करते थे।

(4) कई प्रकार की सहायता-अनुदान-प्रणालियाँ थीं, जैसे- आनुपातिक अनुदान, कैपिटेशन ग्रान्ट, न्यूनतम पूरक अनुदान, खण्ड अनुदान (ब्लाक ग्रान्ट) आदि। किन्तु इन सब प्रणालियों में सामान्य मान्यता यह थी कि सहायक अनुदान केवल कुछ अंश ही पूरा करेगा और निजी उद्यमों की संस्थाओं को आवर्ती खर्च हेतु न्यायसंगत अनुपात में स्वेच्छा-दान लोगों से लेना होगा।

(5) सहायता-अनुदान सामान्य रूप से एक वर्ष के आधार पर दिया जाता था। इस प्रकार की सहायता के लिये बजट में एडहाक (तदर्थ) के आधार पर प्राविधान रक्खा जाता था। अतएव निजी संस्थाओं को यह सम्भव नहीं था कि वे दूरदर्शिता से अनुदान की राशि प्राप्त करेंगी। अतएव लम्बी अवधि के लिए कोई योजना नहीं बनायी जा सकती थी इसके विपरीत भी कई निजी संस्थाओं को स्थापित और संचालित करना सम्भव हुआ इसके कारण दो तत्व थे -

(अ) यह योग्य और समर्पित व्यक्तियों को शैक्षिक व्यवस्था की ओर अग्रसर कर सके।

(ब) जनता द्वारा अधिक आर्थिक दान प्राप्त कर सके।

स्वतन्त्रता के पश्चात् -

कुछ वर्षों बाद तक ब्रिटिश अनुदान-प्रणाली का ही प्रचलन रहा, किन्तु निजी विद्यालयों को उससे होने वाली असुविधाओं को देखते हुए उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी। माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ तथा प्रभावोत्पादक बनाने हेतु निजी शिक्षण-संस्थाओं की

वित्तीय सहायता हेतु कुछ नियम अनुदान प्रदान करने के लिये निर्मित किये गये, वह समय-समय पर संशोधित होते रहे। निजी संस्थाओं के अनुदान सम्बन्धी नियमों का उल्लेख करने के पूर्व स्वातन्त्र्योत्तर भारत तथा उत्तर प्रदेश में सहायक अनुदान सम्बन्धी आयोगों के प्रति-वेदनों की निम्नवत् आख्याएँ हैं-

मुदालियर आयोग ¶1953¶ -

मुदालियर आयोग ने यह संस्तुति किया है कि माध्यमिक शिक्षा को पुनर्संगठन करने के लिये केन्द्र सरकार को किस सीमा तक दायित्व लेकर उसे वित्तीय सहायता देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के विकास पर दिये जाने वाले धन पर आयकर न लगाया जाय। धार्मिक संस्थाओं और खैरातखानों से बचे हुए धन को माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय। आयोग ने केन्द्र और राज्य के साथ ही साथ व्यक्तिगत स्रोत को भी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक साधन माना है। निजी संस्थाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रस्तावित आय के साधनों में -

¶1¶ राज्य तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान

¶2¶ व्यक्तिगत प्रबन्ध समितियों द्वारा प्राप्त धन

¶3¶ विद्यालय-शुल्क

— मुख्य हैं। आयोग का विचार है कि राज्य द्वारा निजी संस्थाओं को उदारता पूर्वक अनुदान देना चाहिए।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ¶1953¶ -

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने सुझाव दिया है कि निजी संस्थाओं की आय के दो प्रमुख स्रोत हैं -

¶1¶ शिक्षण-शुल्क

¶2¶ शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान

अभी हाल में ही जमींदारी-उन्मूलन एवं आर्थिक संकट के कारण समिति ने स्पष्ट किया है कि दान, चन्दा आदि आय के स्रोतों में ह्रास हुआ है, इसलिये प्रबन्धतन्त्रों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षकों की वार्षिक वेतन-वृद्धियों को रोकना पड़ा है। समिति ने सुझाव दिया है कि शिक्षा-विभाग वित्तीय सहायता करने में लचीलापन अपनावे। समिति ने अनुशंसा की है कि वर्तमान अनुदान आँकने की प्रणाली में पुनरीक्षण किया जाय क्योंकि अब यह समयानुकूल नहीं है।[30]

समिति ने सुझाव दिया है कि "अनुदान-प्रणाली के मूल्यांकन का तरीका पुराना हो जाने के कारण इसे संशोधित किया जाना चाहिए। 10 वर्ष की अवधि वाले अथवा इससे अधिक वर्षों से चल रहे विद्यालयों को ब्लाक ग्रान्ट दी जानी चाहिए। अनुदान का मूल्यांकन विगत पाँच वर्षों की वास्तविक आय तथा व्यय एवं अगले पाँच वर्षों की सम्भावित आय तथा व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। अनुदान त्रयमासिक प्रदान की जानी चाहिए। जिन संस्थाओं के चलने की अवधि 10 वर्षों से कम है, उनके अनुदान के वार्षिक मूल्यांकन का तरीका यही रहना चाहिए।

यादव कमेटी रिपोर्ट (1961) -

उत्तर प्रदेश शासन ने अनुदान प्रणाली में सुधार लाने हेतु तत्कालीन उप शिक्षा-मन्त्री श्री आर0के0 यादव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति ने निम्नवत् अनुशंसाएँ प्रस्तुत की हैं -

(1) जिस विद्यालय में एक कक्षा में दो से अधिक सेक्सन्स चल रहे हों, उन्हें बन्द कर दिया जाय।

(2) शिक्षण-शुल्क बढ़ाया जाय।

(3) आय और व्यय के मानक निश्चित कर दिये जाँय।

30- रिपोर्ट आन दि सेकण्डरी इजूकेशन रिआर्गनाइजेशन कमेटी उत्तर प्रदेश 1953, लखनऊ, सुपरिण्टेण्डेण्ट प्रिण्टिंग एण्ड स्टेशनरी यू0पी0 (इण्डिया) पृष्ठ - 65

§4§ प्रबन्धतन्त्रों को मानकों की जानकारी दे दी जाय।

§5§ प्रबन्धतन्त्रों को कुछ शिक्षकों को अधिक वेतन देने तथा अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ देने की अनुमति दी जाय। इसकी अनुमति वह विभाग से प्राप्त करलें तथा अनुदान का मूल्यांकन करते समय इसे अनुमोदित व्यय माना जाय।

अनुदान-प्रणाली में वास्तव में सुधार 1964 में हुआ, जब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान प्रस्तावित आय और व्यय के आधार पर आकलित न होकर वास्तविक आय और व्यय पर आकलित किया जाने लगा।

कोठारी आयोग दारा प्रस्तावित प्रणाली[31] -

शिक्षा आयोग 1964-66 ने निजी संस्थाओं को अनुदान देने हेतु एक सूत्र सुझाया है। इसके लिये उसने संस्था के व्यय को दो भागों में विभाजित किया है, एक शिक्षकीय व्यय §टीचर्स कास्ट्स§, जो शिक्षकों के वेतन, भत्ता आदि से सम्बन्धित है और दूसरा अशिक्षकीय व्यय §नान टीचर्स कास्ट्स§, जो अन्य मदों पर खर्च होता है। इस सूत्र के अनुसार अनुदान §क§ कुल शिक्षकीय व्यय, धन §ख§ एक निर्दिष्ट सीमा तक वास्तविक अशिक्षकीय व्यय, ऋण §ग§ निशिचत दरों पर फीस से आय, ऋण §घ§ प्रवन्ध-समिति का निर्धारित योग -दान होता है।

उपर्युक्त आयोगों, समितियों तथा आख्याओं पर विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश शासन ने समय-समय पर कुछ अंशों का पालन किया तथा अनुदान नियम बनाये।

शासन दारा सहायक अनुदान -

उत्तर प्रदेश में सहायक अनुदान स्थानीय निकायों तथा निजी अभिकरणों को प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा के प्रसार हेतु सन् 1951-52 से 1972-

---

31- डी0एस0 कोठारी, ए रिपोर्ट आफ दि इजूकेशन कमीशन 1966, देहली, मैनेजर आफ पब्लिकेशन, पृष्ठ- 254-66

73 तक निम्न अनुदान प्रदान किया है -

सारिणी - 8·1

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा-प्रसार हेतु सहायक अनुदान

वर्ष	अनुदान-राशि (लाख रुपयों में)
1951-52	45
1955-56	413
1960-61	591
1965-66	1977
1970-71	3631
1972-73	4802

स्रोत- (1) उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा, 1965-66, तालिका 15, पृष्ठ-30, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त-विभाग

(2) उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा, 1973-74, तालिका-12, पृ025

(3) उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा, 1974-75

उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8·1 यह प्रकट करती है कि शासन द्वारा स्थानीय निकायों को 1951-52 में 45 लाख रुपये का अनुदान दिया जाता था, जो 1972-73 में बढ़कर 4802 लाख रुपये हो गया। 21 वर्ष में यह वृद्धि 106 गुने से भी अधिक हो गयी। शासन ने 1972-73 के बाद से यह अनुदान देना बन्द कर दिया है तथा प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों के वेतन का भार राजकोष से किया जाने लगा है।

शासन द्वारा उत्तर माध्यमिक कक्षाओं के लिये दो प्रकार का अनुदान प्रायः दिया जाता है-

(1) आवर्ती

(2) अनावर्ती

आवर्ती अनुदान §रिकरिंग ग्राण्ट§ -

उत्तर प्रदेश की शिक्षा-संहिता[32] के पैरा 308 में सहायक अनुदान के लिये निम्न नियम था -

किसी संस्था के स्वीकृत वार्षिक अनुरक्षण व्यय और स्वीकृत आय, जो फीस तथा निजी स्रोतों से हो, के अन्तर से अधिक वार्षिक अनुदान नहीं दिया जायेगा या अनुरक्षण के वार्षिक व्यय के आधे के बराबर दिया जायेगा, दोनों में से जो कम हो, अधिक न होगा। अनुरक्षण-व्यय शिक्षकों का वेतन, भविष्यनिधि में योगदान और सुरक्षित कोष के लिये योगदान, बशर्ते कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये यह कोष 5000 रूपये से अधिक न एकत्र किया जाय। अनावर्ती व्यय में उपकरण तथा भवनों के लिये लागत का 50 प्रतिशत देने की व्यवस्था है।

सन् 1967-68 में इन नियमों में संशोधन करके कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि का तीन चौथाई और 3 प्रतिशत विकास-अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। अच्छे स्कूलों को दक्षता §इफीसेन्सी§ अनुदान 4000, 2000 अथवा 1000 रूपया उनकी दक्षता के अनुसार देने का प्राविधान किया गया। नये स्कूलों के लिये यदि वे विभाग के नियमों को सन्तुष्ट करते हैं तो 2000 रूपये तदर्थ §एडहाक§ देने की व्यवस्था की गयी।

सन् 1971[33] में अनुदान-नियमों में फिर परिवर्तन किया गया जोकि वर्तमान में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट §अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान§ अधिनियम 1971 के अनुसार -

"प्रत्येक संस्था का प्रबन्धाधिकरण अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन-वितरण

32- शिक्षा संहिता उत्तर प्रदेश 1958, इलाहाबाद, राजकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश §भारत§, पृष्ठ- 188

33- उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज §अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन§ अधिनियम-1971, इलाहाबाद, गवर्नमेण्ट प्रिंटिंग प्रेस, 1971

करने के प्रयोजनार्थ किसी अनुसूचित बैंक में एक पृथक् लेखा खोलेगा, जो प्रबन्धाधिकरण के किसी प्रतिनिधि द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से परिभाषित किया जायेगा।"

"प्रबन्धाधिकरण ऐसे शुल्क के रूप में जो राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार अनुरक्षण-निधि का भाग होती है, छात्रों से प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत या यदि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वितरित की जाने वाली धनराशियों की अपेक्षता को ध्यान में रखते हुए उससे अधिक प्रतिशत के लिये निर्देश दे, उक्त लेखा में ऐसे दिनांक तक जो निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, जमा करेगा। वेतन-भुगतान, बिना किसी प्रकार की कटौतियों के, सिवाय उनके जो विनियमों द्वारा अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किया जायेगा।

इन नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि आगामी माह के बीसवें दिन तक वेतन का भुगतान अवश्य कर दिया जाय और उक्त प्रतिशत में शुल्क न जमा किया जाय तो निरीक्षक विद्यालय को शुल्क वसूलने से रोककर सीधे छात्रों से स्वयं वसूल करने की व्यवस्था कर सकता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई मास के अन्त में खाते में अवशेष धनराशि का ऐसा अंश, जो संस्था के अध्यापकों तथा कर्मचारियों को उस अवधि तक, जिसके लिये छात्रों से शुल्क वसूल किया जा चुका है, के वेतन के भुगतान के दायित्व को पूरा करने के बाद उनके एक महीने के वेतन के योग से अतिरिक्त हो, प्रबन्धाधिकरण को संस्था पर व्यय करने के लिये दे दिया जायेगा।

मार्च 1975[34] में शासन ने इस नियम में पुनः संशोधन कर दिया और वे विद्यालय जहाँ पर विज्ञान का शिक्षण नहीं किया जाता, अपनी शुल्क-आय का 85 प्रतिशत जमा करेंगे, लेकिन विज्ञान-शुल्क सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा उपयोग में लाया जायेगा।

34- अधिनियम 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971 जैसा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा संशोधित)

उपर्युक्त के अनुसार शासन सहायता-अनुदान के रूप में शिक्षकों के वेतन हेतु उस धनराशि को जोड़कर जमा कर देता है, जितनी की कमी प्रतीत होती है।

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु आयोजनागत तथा आयोजनेतर पक्ष में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत 1973 से 1987 तक जो धनराशि प्रदान की गयी है, उसका विवरण निम्नवत् है -

सारिणी - 8.2

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायता

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग
1973-74	189.737 (9.51)	1804.874 (90.49)	1994.611 (100.0)
1978-79	302.30 (4.76)	6047.88 (95.24)	6350.18 (100.0)
1983-84	453.36 (2.79)	15802.49 (97.21)	16255.85 (100.0)
1987-88	321.77 (1.17)	27240.65 (98.83)	27562.42 (100.0)

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित अंश का प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-विभाग के कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक, आय-व्ययक सम्बन्धित वर्षों के।

उपर्युक्त सारिणी क्रमांक 8.2 यह प्रकट करती है कि आयोजनागत पक्ष में अनुदान की धनराशि 9.51 प्रतिशत 1973-74 में प्रदान की जाती रही, यद्यपि आयोजनागत पक्ष में धनराशि लगातार बढ़ती रही, लेकिन 1987-88 में अनुपात घटकर 1.17 प्रतिशत ही रह गया।

आयोजनेतर पक्ष में 1973-74 में लगभग 91 प्रतिशत अनुदान-राशि प्रदान की गयी। 1987-88 में यह प्रतिशत बढ़कर 98·83 तक पहुँच गया।

1973-74 से 1987-88 तक 15 वर्षों में माध्यमिक विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली धनराशि में 13·82 गुना वृद्धि हुई तथा औसत वार्षिक वृद्धि-दर 1978-79 में 43·67 प्रतिशत 1983-84 में 31·20 प्रतिशत तथा 1987-88 में 17·39 प्रतिशत थी तथा 15 वर्षों में (1973 से 1988 तक) औसत वृद्धि-दर 85·46 प्रतिशत है। वृद्धि-सूचकांक क्रमशः 1978-79 में 318, 1983-84 में 815 तथा 1987-88 में 1382 है।

सारिणी - 8·3

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को प्रति विद्यालय सहायता

वर्ष	कुल सहायता (लाख में)	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय सहायता (लाख में)
1973-74	1994·611	4003	0·4983
1978-79	6350·180	4469	1·4209
1983-84	16255·850	5650	2·8771
1987-88	27562·42	5737	4·8043

स्रोत - (1) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-विभाग के कार्यपूर्ति-दिग्दर्शक आय-व्ययक
(2) शिक्षा निदेशालय, शिक्षा की प्रगति, सम्बन्धित वर्षों की

आशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1973-74 में प्रति-विद्यालय औसत अनुदान की राशि लगभग 50 हजार थी, जो 1987-88 में अर्थात् 15 वर्षों में बढ़कर प्रति-विद्यालय 4·81 लाख रूपये हो गयी। इस प्रकार प्रति-विद्यालय औसत अनुदान में वृद्धि साढ़े आठ गुना हुई।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निजी संस्थाओं को 1950-51 तथा 1960-61 में जो अनुदान प्रदान किया गया है, वह अग्रांकित सारिणी में प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस स्तर पर सर्वाधिक अनुदान दिया गया एवं एक दशक में सानुपातिक अनुदान क्या रहा?

सारिणी - 8·4

उत्तर प्रदेश की निजी संस्थाओं में प्रत्यक्ष व्यय के अन्तर्गत राज्य-अनुदान

संस्थाएँ	1950-51		1960-61	
	राज्य अनुदान रू0	प्रतिशत	राज्य अनुदान रू0	प्रतिशत
1- पूर्व प्राथमिक	5075	0·1	94084	0·3
2- प्राथमिक	79273	0·8	522873	1·5
3- मिडिल	660171	6·7	1005051	3·0
4- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	7631068	77·5	26084474	77·1
5- महाविद्यालय	1468083	14·9	6146377	18·1
योग	9843670	100·0	33852859	100·0

स्रोत- एनुअल रिपोर्ट आन दि प्रोग्रेस इन उत्तर प्रदेश 1950-51, 1960-61 सुपरिण्टेण्डेण्ट गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस, इलाहाबाद।

सारिणी से प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में राज्य द्वारा सामान्य शिक्षा के लिये 9843670 रू0 अनुदान दिया गया, जो एक दशक पश्चात् 3·4 गुना हो गया। प्रारम्भ में राज्य द्वारा सर्वाधिक अनुदान कुल निजी संस्थाओं (सामान्य शिक्षा) में दिये गये अनुदान का 77·5 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दिया गया था, जो एक दशक पश्चात् समानुपातिक दृष्टि से कम हो गया, परन्तु सापेक्ष धनराशि में वृद्धि रही। इसके अतिरिक्त

अन्य समस्त स्तरों की निजी संस्थाओं में दिये गये राज्य-अनुदान में एक दशक में आनुपातिक एवं सापेक्ष वृद्धि रही।

सारिणी से प्रकट होता है कि राज्य में सर्वाधिक अनुदान उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं को, उसके पश्चात् महाविद्यालयीन स्तर पर निजी संस्थाओं को दिया गया। तृतीय स्थान मिडिल विद्यालयों का, चतुर्थ स्थान प्राथमिक विद्यालयों का एवं अन्तिम स्थान पूर्व माध्यमिक संस्थाओं का रहा।

शासन द्वारा निजी उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं को अन्य की तुलना में सर्वाधिक अनुदान देने का कारण इन संस्थाओं का राज्य में वर्चस्व होना था।

शिक्षा विभाग के व्यय पर नियन्त्रण करने हेतु उत्तर प्रदेश ने राज्याज्ञा संख्या-ए-2-2525/दस-सा-म-83-24§4§/82 दिनांक 9-8-83 द्वारा लेखाशीर्षक 277 शिक्षा ख-माध्यमिक शिक्षा -4 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता §1§ बालकों को सहायक अनुदान §2§ बालिकाओं को सहायक अनुदान, पर साख सीमा योजना लागू की है। इस योजना के अन्तर्गत, उक्त लेखा शीर्षक के अन्तर्गत धन का आवंटन मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा सीधे जनपदीय कोषाधिकारी के निस्तारण पर रखा जाता है और जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने जनपद के लिये आवंटित धनराशि की निर्धारित सीमा तक उपयोग करे। एक माह के अन्त में अवशेष का उपयोग अनुवर्ती माहों में किया जा सकता है किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अर्थात् मार्च की अवशेष साख-सीमा व्ययगत §लैप्स§ हो जायेगी।

इस लेखा शीर्षक के निम्नलिखित लघु शीर्षक हैं -

§क§ <u>आवर्तक अनुदान §बालक§</u> -

§1§ अनुरक्षण अनुदान।

§2§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 की क्षतिपूर्ति।

§3§ रजाअली खाँ हास्टल को अनुदान।

§4§ 450 रू0 तक पेन्शन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के बच्चों को अर्द्धशुल्क-मुक्ति।

§5§ आंग्ल भारतीय विद्यालयों को सहायता।

§6§ क्रमोत्तर कक्षाओं को अनुदान।

§7§ भविष्य निर्वाह निधि का राजकीय अंशदान।

§8§ रीजनल कालेज आफ इजूकेशन, अजमेर में अध्यापकों का प्रशिक्षण।

§9§ 450 रू0 तक वेतन पाने वाले बेसिक शिक्षा परिषद् के कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क-शिक्षा।

§ख§ आवर्तक अनुदान §बालिका§ -

§1§ अनुरक्षण-अनुदान।

§2§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6 की क्षतिपूर्ति।

§3§ 450 रू0 वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के बच्चों की अर्द्धशुल्क की मुक्ति।

§4§ भविष्य-निर्वाह-निधि का राजकीय अंशदान।

§5§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 7 से 10 तक की बालिकाओं की निःशुल्क-शिक्षा-क्षतिपूर्ति।

अनावर्तक अनुदान -

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनावर्तक विकास-अनुदान प्रदान करने हेतु निम्न परियोजनाएँ संचालित हैं -

§1§ गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर लाना।

यह परियोजना प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों में संचालित है। मैदानी एवं पर्वतीय जनपदोंके समस्त गैर सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अब मान्यता तिथि के वरीयता क्रमानुसार अनुदान सूची पर लिया जाता है।

§2§ सहायता–प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र-संख्या की वृद्धि पर कक्षा-कक्ष-निर्माणार्थ एवं साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण के क्रयार्थ अनुदान।

यह परियोजना प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों के विद्यालयों को अनुदान प्रदान करने हेतु संचालित है। इन विद्यालयों के लिये कक्षा-कक्ष-निर्माण हेतु योजना की लागत 25000 रू0 प्रति अर्ह यूनिट निर्धारित की गयी हैं तथा बालक विद्यालयों के लिये राजकीय अनुदान एवं प्रबन्धकीय अंशदान 90:10 रखा गया है। बालिका विद्यालयों को शत-प्रतिशत 25000 रू0 का अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

साज-सज्जा तथा काष्ठोपकरण योजना की अनुमानित लागत 7000 रू0 प्रति अर्ह यूनिट रखी गयी है। बालक तथा बालिकाओं के विद्यालयों के लिये अनुदान प्राप्त करने का मानक उपर्युक्त ही है। 1961-62 से 1964-65 तक 945 विद्यालयों को 1291875 रू0 का अनुदान प्रदान किया गया। 1967-70 के मध्य 90 विद्यालयों को 260000 रू0 का अनुदान प्रदान किया।

§3§ सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों का सम्बर्द्धन -

यह परियोजना प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीयदोनोंक्षेत्रों के विद्यालयों को अनुदान प्रदान करने हेतु संचालित है। योजना की लागत 10000 रू0 प्रति अर्ह यूनिट स्थापित की गयी है तथा बालक विद्यालयों के लिये राजकीय अनुदान एवं प्रबन्धकीय अंशदान 90:10 रखा गया है। बालिका विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

1965-66 से 1970-71 तक निम्न अनुदान स्वीकृत किया गया-

सारिणी - 8.5

असहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुस्तकालय-अनुदान

वर्ष	विद्यालय-संख्या	धनराशि
1965-66	200	5,50,000
1966-67	17	51,000
1967-68	75	2,20,000
1968-69	75	2,20,000
1969-70	20	80,000

स्रोत- शिक्षा की प्रगति ﴾सम्बन्धित वर्षो की﴿, इलाहाबाद, शिक्षा-निदेशालय

﴾4﴿ सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता-अनुदान -

यह परियोजना प्रदेश के मात्र पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को विद्यालय के प्रशासन एवं अनुशासन को स्वच्छ बनाये रखने तथा गृह एवं परिषदीय दोनों परीक्षाओं के परीक्षाफल को उत्तम बनाये रखने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु संचालित की गयी है। इसके अन्तर्गत मात्र उन्हीं विद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाता है जिनका तीन वर्षो का कक्षा 10 एवं 12 का परिषदीय परीक्षाफल 75 प्रतिशत तथा 9 एवं 11 का गृह-परीक्षाफल 85 प्रतिशत से कम नहीं होता। योजनान्तर्गत अनुदान प्रदान करने की दो श्रेणियाँ हैं। अर्ह विद्यालयों के अन्तर्वरीयता क्रम में प्रथम श्रेणी में चयनित विद्यालयों को 10,000 रु0 प्रति विद्यालय तथा द्वितीय श्रेणी में चयनित विद्यालयों को 7,000 रु0 प्रति विद्यालय की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

अशासकीय सहायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 7 वर्षो में निम्न दक्षता अनुदान प्रदान किया गया -

सारिणी - 8.6

अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में दक्षता-अनुदान

वर्ष	विद्यालय-संख्या	धनराशि
1970-71	60	1,00,000
1971-72	60	1,00,000
1972-73	60	1,00,000
1973-74	60	1,00,000
1974-75	60	1,00,000
1975-76	102	1,70,000
1976-77	102	1,70,000

स्रोत- शिक्षा की प्रगति (सम्बन्धित वर्षों की), इलाहाबाद, शिक्षा-निदेशालय

(5) सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जिनमें हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान वर्ग की मान्यता नहीं है, को विज्ञान-उपकरणों के क्रयार्थ अनुदान तथा विज्ञान वर्ग की मान्यता -

यह परियोजना प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय दोनों क्षेत्रों के सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान प्रदान करने हेतु संचालित है। अनुदान हेतु योजना की अनुमानित लागत 10,000 रु0 प्रति अई यूनिट निर्धारित की गयी है तथा राजकीय एवं प्रबन्धकीय अंशदान 90:10 है। बालिका विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि सामान्यतः 8,000 रु0 की विज्ञान प्रयोगात्मक सामग्री और लगभग 2,000 रु0 की प्रयोगात्मक मेजों आदि की व्यवस्था की जायेगी।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा -

यह परियोजना प्रदेश के मैदानी तथा पर्वतीय दोनों क्षेत्रों के बालकों के उन सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान प्रदान करने हेतु संचालित की गयी है, जिनमें बालिकाएँ भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बालिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु उनके लिये अलग से कामन रूम एवं प्रक्षालन-कक्ष आदि की व्यवस्था करने के लिये इस योजनान्तर्गत विद्यालयों को 25000 रू0 का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। योजनान्तर्गत अनुदान के प्रति प्रबन्धकीय अंशदान की अपेक्षा नहीं की जाती।

§7§ सहायता-प्राप्त अशासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान -

माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं चतुर्मुखी विकास में संख्यात्मक दृष्टिकोण से अधिकांश योगदान अशासकीय विद्यालयों द्वारा ही सम्भव है। सम्प्रति ये अशासकीय विद्यालय विकास के विभिन्न स्तरों पर अवस्थित हैं। साधन-सम्पन्नता, गुणात्मकता, अनुशासन आदि की दृष्टि से इन विद्यालयों के स्तर और उपलब्धियों में पर्याप्त भिन्नता मिलती है, इसका कारण संसाधनों की उपलब्धता का असमान स्तर है। अतएव इसे दूर करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी जिलों के सहायता प्राप्त अशासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष मात्र तीन सहायता प्राप्त उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 1,00,000 रू0 प्रति-विद्यालय की दर से यह अनावर्तक विकास अनुदान स्वीकृत किया जाता है, जिसमें विद्यालय प्रबन्धतन्त्र से प्रबन्धकीय अंशदान लगाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

मान्यता-प्राप्त संस्थाओं को अनुदान स्वीकार करने के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश -

शिक्षा-संहिता के अध्याय 9 के अनुच्छेद 293 से 317 में भी इस सम्बन्ध

35- माध्यम §4§ शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, पृष्ठ - 348

में अनुदेश दिये गये हैं जिनके मुख्य बिन्दु निम्न हैं -

§1§ शासन के विशेष आदेशों के अन्तर्गत मुक्त संस्थाओं को छोड़कर अनुदान-प्राप्तकर्ता संस्था को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा पंजीकरण का वार्षिक नवीनीकरण होना चाहिए।

§2§ सोसाइटी के संविधान अथवा पदाधिकारी के परिवर्तन की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को दी जानी आवश्यक है।

§3§ जिला विद्यालय निरीक्षक/मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका की बिना अनुमति के न तो अतिरिक्त अनुभाग खोला जा सकता है और न ही बन्द किया जा सकता है।

§4§ बसों के क्रय के लिये अनुदान स्वीकृत करते समय अनुच्छेद 305 में दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

§5§ यदि अनुदान के उपभोग के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों और निश्चित मानकों की पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की जाती है तो विभाग द्वारा चेतावनी दी जाती है और पुनः यदि पाया जाता है कि संस्था द्वारा कमियाँ पूरी नहीं की गयीं हैं तो अनुच्छेद 315 के उपबन्धों के अनुसार संस्था का अनुदान निलम्बित किया जा सकता है।

वर्तमान प्रणाली के गुण-दोष -

उत्तर प्रदेश बड़ा ही सौभाग्यवान् है कि इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर जनता का सहयोग बहुत अधिक रहा है। सहायता अनुदान निजी उद्यमों द्वारा संचालित विद्यालयों के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। अधिनियम संख्या 24, §1971§ उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज §अध्यापक, कर्मचारियों का वेतन-वितरण अधिनियम§ उ0प्र0 आदेश संख्या 26, 1975 द्वारा संशोधित लागू होने के पूर्व अशासकीय मान्यता प्राप्त हायर सेकण्डरी स्कूलों को शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 308 के अन्तर्गत शासन

द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के आधार पर वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया जाता था। शिक्षकों के वेतन-भुगतान को नियमित तथा व्यवस्थित बनाने हेतु पिछले वर्षों के वार्षिक अनुरक्षण-अनुदान के आधार पर अनुमानित त्रयमासिक अनुदान की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। कई विद्यालयों में अध्यापकों के वेतन बकाये में चलने लगे। प्रबन्धतन्त्र अनुरक्षण-अनुदान के वेतनादि के भाग को प्रशासनिक व्यय पर खर्च कर देने के कारण बकाये वेतन के भुगतान को करना सम्भव नहीं हो पा रहा था। अतएव 1-4-1971 से उपर्युक्त अधिनियम लागू किया गया तथा शिक्षा-विभाग के व्यय पर नियन्त्रण करने के लिये उत्तर प्रदेश शासन ने राज्याज्ञा संख्या ए-2-2525/दस-सा-म-83-24﴾4﴿/82, दिनांक 9-8-83 द्वारा लेखा शीर्षक "277-शिक्षा-ख-माध्यमिक शिक्षा-4 "अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता" ﴾1﴿ बालकों को सहायक अनुदान ﴾2﴿ बालिकाओं को सहायक अनुदान" पर साख-सीमा योजना लागू की है।

इस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षकों के वेतन के भुगतान का वैधानिक दायित्व ﴾स्टेटयूटरी रिसपान्सिबिलिटी﴿ इस अधिनियम द्वारा स्वीकार कर लिया है। अनुदान की इस प्रणाली से शिक्षकों के वेतन मिलने में बड़ी सुविधा हो गयी है। उन्हें प्रतिमाह नियमित समय पर वेतन उनके बैंक के खातों में जमा हो जाता है, जिससे वह अपनी सुविधानुसार उसे निकाल सकते हैं। प्रबन्धकों की वेतन से कटौती करने की शिकायत का भी निराकरण हो गया है।

परन्तु संस्थाएँ यह अनुभव करती हैं कि अनुरक्षण धनराशि की शेष 20 प्रतिशत में विद्यालय के आकस्मिक व्यय को पूरा करने में अत्यन्त कठिनाई होती है और विद्यालय विकास के लिये कोई धन शेष नहीं रह जाता, जिससे शैक्षिक स्तर के उन्नयन में भी बाधा पहुँचती है।

<u>सहायक अनुदान प्रणाली में सुधार</u> -

यह सर्वविदित है कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का सर्वाधिक योगदान रहा है। पंचम् अखिल भारतीय

शैक्षिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश 1987-88 की संक्षिप्त आख्या के अनुसार इस समय प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 16·23 प्रतिशत, स्थानीय निकायों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1·7 प्रतिशत, सहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 74·89 प्रतिशत तथा असहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7·17 प्रतिशत अवस्थित हैं। निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा संचालित अशासकीय विद्यालय विकास के विभिन्न कगारों पर खड़े हुए हैं एवं आर्थिक संसाधनों के अभाव में इनका विकास रूका हुआ है, अतएव इन विद्यालयों के चतुर्मुखी विकास के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सहायक अनुदान प्रणाली में कुछ सुधार प्रस्तावित हैं -

§1§ प्रायः यह देखा गया है कि अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष के अन्तिम सप्ताह अथवा अन्तिम दिन किया जाता है तथा अनुदान-गृहीता से यह शर्त रखी जाती है कि वह उसका उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् तत्कालप्रस्तुत करे, ऐसी स्थिति में अनुदान का समुचित उपभोग नहीं हो पाता, इसलिये अनुदान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही स्वीकृत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि सम्पूर्ण वर्ष में उसका उपयोग समान एवं प्रभावोत्पादक ढंग से हो सके।

§2§ इस समय प्रदेश में 451 असहायता-प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा चलाये जा रहे हैं, जिनमें शासन ने सितम्बर 89 में 151 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची पर ले लिया है। शासन की इस कार्यवाही से अभी भी 300 विद्यालय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अतएव प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन में समानता लाने हेतु सभी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाना चाहिए।

§3§ अनावर्तक अनुदान 90:10 के अनुसार प्रदान की जाती है, लेकिन संस्थाओं के पास 10 प्रतिशत धनराशि भी उपलब्ध नहीं रहती, जिसके कारण कक्षा-कक्ष निर्माण अथवा विज्ञान के मँहगे उपकरण को खरीदने के लिए प्राप्त धनराशि

निष्क्रिय रूपसे बिना प्रयोग किये हुए पड़ी रहती है या अन्य मदों में गलत ढंग से व्यय कर दिये जाने के कारण लेखा-आपत्ति प्रस्तुत करती है। अतएव शासन द्वारा पूर्ण धनराशि का भुगतान करना चाहिए।

(4) शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिये अनावर्तक अनुदान का वर्तमान निर्धारण कम प्रतीत हो रहा है, अतः प्रति अर्ह यूनिट अनुदान की धनराशि बढ़ायी जानी चाहिए।

(5) अनेक संस्थाएँ अनुदान की शर्तो को पूरा नहीं कर पातीं, जिससे उन्हें अनुदान नहीं मिल पाता। अतएव अनुदान प्रदान करने में शर्तों का बन्धन हटाकर शासन को उदारतापूर्वक अनुदान प्रदान करना चाहिए।

(6) निजी संस्थाएँ खुलने पर कई वर्षों तक संस्थाओं को अनुदान नहीं मिलता, जिससे वे आर्थिक संकट से ग्रसित रहती हैं। अतएव इन संस्थाओं का निरीक्षण कराकर अविलम्ब अनुदान प्रदान करना चाहिए।

(7) किसी संस्था को अनुदान स्वीकृत इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाना चाहिए कि अनुदान से क्रय किये गये उपकरणों आदि को बिना शासन की सहमति के विक्रय नहीं किया जा सकता।

(8) भवन आदि योजनाओं से सम्बन्धित अनुदान के विषय में आवश्यकतानुसार धनराशि स्वीकृत की जानी चाहिए।

(9) अनुदान को आवर्तक एवं अनावर्तक मदों में विभाजित करते हुए बजट में प्रदर्शित करना चाहिए। अनुदान का बजट अनुमान में प्रत्येक उद्देश्य का आर्थिक अनुमान स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए।

(10) अनुदान-गृहीता संस्था से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए कि उसने अन्य किसी राजकीय संस्था से उसी उद्देश्य हेतु अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

-x-x-x-x-

नवम अध्याय

: : = : : = : : = : : = : : = : : = : : = : : = : : = : : = : :

माध्यमिक शिक्षा-संस्थाओं का कृत-इतिहास

माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था तथा उसका संचालन भिन्न-भिन्न प्रदेशों में अपनी विशेषता रखता है। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की अपनी अलग ही विशिष्टताएँ तथा व्यवस्थाएँ हैं।

किसी भी प्रणाली की कार्य-पद्धति में उसके अवयव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। किसी भी प्रणाली की दक्षता वास्तव में अधिकांशतः अवयवों की सफल कार्य-पद्धति पर निर्भर करती है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की शैक्षिक प्रणाली में छात्र, शिक्षक, शिक्षण-सामग्री, प्रबंध-व्यवस्था तथा संस्थाएँ महत्वपूर्ण होने के साथ ही साथ प्रणाली के निर्णायक भी हैं। प्रणाली के सफल संचालन-हेतु कोष की आवश्यकता होती है। शैक्षिक संस्थाओं की कार्य-पद्धति में निधियों के परिमाण की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। तदनुसार प्रणाली की कार्य-पद्धति को वे अभिकरण, जो निधि प्रदान करते हैं; वे विधियाँ, जिनके द्वारा निधि उपलब्ध करायी जाती है तथा इस प्रक्रिया में समयावधि की जटिलताएँ एवं निधि की उपलब्धता में आवश्यक शर्तें प्रभावित करती हैं। इस प्रकार शैक्षिक संस्था की सफल कार्य-प्रणाली हेतु एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था आवश्यक है।

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था की विस्तृत विवेचना हमने गत अध्यायों में की है। यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं का व्यक्ति-अध्ययन (केस-स्टडी) प्रस्तावित है। अतः व्यक्ति-अध्ययन हेतु प्रदेश की महत्वपूर्ण संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् एवं अतर्रा नगर की चार उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं में दो का चयन किया गया है। पहली संस्था राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा, उ0प्र0) है, जो शासन द्वारा संचालित है तथा दूसरी संस्था ब्रह्म विज्ञान इण्टर कालेज, अतर्रा (बाँदा, उ0प्र0) है, जो निजी प्रबन्ध-तन्त्र द्वारा संचालित है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तीय व्यवस्था -

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917) की अनुशंसा

के आधार पर आज से 68 वर्ष पूर्व संयुक्त प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। माध्यमिक शिक्षा का विनियमन, पर्यवेक्षण व परिषद् का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय से लेकर इसी परिषद् को सौंप दिया गया था। वैधानिक तथा स्वायत्तशासी निकाय होने के कारण शिक्षा-जगत् में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस परिषद् का गठन शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधानों के अनुसार हुआ। यह अधिनियम "बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट" कहा गया। इस अधिनियम का प्रकाशन 7 जनवरी, 1922 को हुआ तथा 30 सितम्बर, 1922 को राज्यपाल की स्वीकृति मिली। 1 अप्रैल 1922 को बोर्ड के कार्यालय की स्थापना शिक्षा-संचालक के कार्यालय में हुई। इस अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड की सर्वप्रथम बैठक 22 अप्रैल, 1922 को श्री ए०एस० मैकेन्जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई तथा मि० रायबहादुर ए०सी० मुकर्जी ने सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया। नवीन अधिनियम के अनुसार सदस्य चुने गये व नामजद हुए। चुनाव के बाद पूरे निर्धारित बोर्ड की प्रथम बैठक 17, 18 व 19 अगस्त 1922 को हुई तथा द्वितीय बैठक 23 सितम्बर 1922 को सम्पन्न हुई। फरवरी 1923 में विभिन्न समितियों का गठन तथा उनकी बैठकें सम्पन्न हुईं। प्रारम्भ में इस बोर्ड का क्षेत्र बड़ा व्यापक था। अजमेर, गरवारा, मध्य भारत तथा विंध्य-प्रदेश आदि प्रान्तों के परीक्षार्थी इस बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते तथा इसकी परीक्षाओं में सम्मिलित होते थे।

1921 के बाद इस अधिनियम में 1941 की अधिनियम-संख्या-5, 1950 की अधिनियम-संख्या-4, 1958 की अधिनियम-संख्या-35, 1959 की अधिनियम-संख्या-6, 1972 की अधिनियम-संख्या-29, 1975 की अधिनियम-संख्या-26, 1977 की अधिनियम-संख्या-5, 1978 की अधिनियम-संख्या-12 तथा 1981 की अधिनियम-संख्या-1 द्वारा अनेक संशोधन किये गये।

इस परिषद् पर हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट शिक्षा के लिये अग्रांकित कार्य सौंपे गये -

§1§ संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।

§2§ पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

§3§ इनकी परीक्षाएँ सम्पन्न कराना।

यह परिषद् अपनी तीन प्रमुख समितियों के माध्यम से कार्य करती है -

§1§ मान्यता प्रदान करने वाली समिति।

§2§ पाठ्यक्रम बनाने बाली समिति।

§3§ परीक्षा-समिति।

इस परिषद् द्वारा 1924 में सर्वप्रथम हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं का आयोजन किया गया, तब से यह परीक्षार्थियों की निरंतर बढ़ती संख्या, जो कि अब-तक लगभग 22 लाख पहुँच गयी है, की परीक्षा-व्यवस्था करना, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का निर्धारण करना एवं माध्यमिक शिक्षा को उन्नयन की दिशा प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को विषम परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर रही है।

सारिणी संख्या 9·1 में "बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडिएट" की हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं में 1946-47 से 1987-88 तक परीक्षाओं में सम्मिलित परीक्षार्थी, उत्तीर्ण परीक्षार्थी तथा उनका प्रतिशत दर्शाया गया है -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त उ·मा·विद्यालय
(1950-51 से 1985-86)
बालकों के हाई स्कूल विद्यालय
बालिकाओं के हाईस्कूल विद्यालय
बालकों के इण्टरमीडिएट विद्यालय
बालिकाओं के इण्टरमीडिएट विद्यालय
संख्या (सैकड़ों में)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1950-51
1955-56
1960-61
1965-66
1970-71
1975-76
1980-81
1985-86
वर्ष

चित्र-9.1

सारिणी क्रमांक 9·1 को देखने से यह ज्ञात होता है कि हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट में परीक्षार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। सारिणी द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत सन् 1946-47 में 63·2 प्रतिशत तथा 1951 में 59·06 प्रतिशत था। हाई स्कूल के परीक्षाफल में इसके बाद लगातार गिरावट ही आयी, और 1981 में घटकर यह प्रतिशत 38·38 प्रतिशत तक पहुँच गया। इसका कारण स्वतंत्रता के बाद नीचे की कक्षाओं में आसान प्रोन्नतियाँ एवं विशेष छूट देना रहा। इन वर्षो के दौरान देश व समाज की स्थिति अस्त-व्यस्त थी। 1985-86 में यह प्रतिशत पुनः बढ़ने लगा और 1987-88 में बढ़कर 46·6 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार 1951 में इन्टरमीडिएट का परीक्षाफल 59·5 प्रतिशत था, जो 1966 में घटकर 44·1 प्रतिशत रह गया। इसके बाद इसमें पुनः वृद्धि शुरू हुई और 1987-88 में यह 69 प्रतिशत हो गया।

वित्त-व्यवस्था -

माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन हम दो प्रमुख कारकों के आधार पर करेंगे -

§1§ आय §2§ व्यय

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना 1921 में हुई थी, अतएव उसकी वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन भी स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की अवधि में करते हुए उसका विवेचन एवं विश्लेषण करेंगे।

सारिणी - 9·2

उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् की कुल आय §स्वतन्त्रता के पूर्व§

§सन् 1926-27 से 1946-47 तक§

क्रमांक	वर्ष	कुल आय §रूपयों में§	गुणावृद्धि दर	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1926-27	1,96,929	1	--	100
2-	1931-32	2,39,818	1·2	4·36	122

सारिणी - 9·2 क्रमशः -----

3- 1936-37	3,27,066	1·6	7·28	166
4- 1941-42	4,50,061	2·2	7·52	228
5- 1946-47	8,62,881	4·3	18·34	438

स्रोत- एम0एल0 भार्गव, "हिस्ट्री आफ सेकन्डरी, इजूकेशन इन उ0प्र0," लखनऊ, सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, उ0प्र0, इण्डिया 1958, पृष्ठ-433-34

सारिणी से स्पष्ट हो रहा है कि स्वतंत्रता के पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय 1926-27 में 1,96,929 रूपये थी, जो 1946-47 में बढ़कर 8,62,881 रूपये हो गयी। 1926-27 की तुलना में 1946-47 में आय की वृद्धि 4·3 गुना हो गयी। 5 वर्षो के अंतराल में औसत वार्षिक वृद्धि-दर 1931-32 में 4·36 प्रतिशत, 1936-37 में 7·28 प्रतिशत, 1941-42 में 7·52 प्रतिशत तथा 1946-47 में 18·34 प्रतिशत थी।

सारिणी - 9·3

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा-परिषद् का व्यय (स्वतन्त्रता के पूर्व)

(सन् 1926-27 से 1946-47 तक)

क्रमांक वर्ष	कुल व्यय (रूपये में)	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1- 1926-27	1,69,324	1	--	100
2- 1931-32	2,11,904	1·2	5·03	125
3- 1936-37	2,83,754	1·6	6·78	167
4- 1941-42	3,32,728	1·9	3·45	196
5- 1946-47	6,81,640	4·0	20·97	402

स्रोत- एम0एल0 भार्गव, "हिस्ट्री आफ सेकन्डरी इजूकेशन इन उ0प्र0", लखनऊ; सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रिन्टिंग एन्ड स्टेशनरी, यू0पी0, इण्डिया (1958) पृष्ठ-433-34

सारिणी से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर 1926-27 में होने वाला व्यय 1,69,324 रूपये था, जो 1946-47 में बढ़कर 6,81,640 रूपये हो गया। 1926-27 की तुलना में 1946-47 के व्यय में 4·0 गुना वृद्धि हुई। पाँच वर्ष के अंतराल में व्यय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 1931-32 में 5·03 प्रतिशत, 1936-37 में 6·78 प्रतिशत 1941-42 में 3·45 प्रतिशत तथा 1946-47 में 20·97 प्रतिशत थी।

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तीय व्यवस्था -

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन दो प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायेगा -

(1) आय (2) व्यय

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय के मुख्य स्रोत निम्नांकित हैं -

(1) राज्य सरकार

(2) शुल्क

(3) अक्षयनिधि तथा अन्य

अग्रांकित सारिणी द्वारा एक दशक की आय का विवेचन किया गया है-

सारिणी - 9.4

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्रोतवार "कुल आय" (रूपयों में)

(स्वतन्त्रता के बाद सन् 1976-77 से 1985-86 तक)

क्रमांक	वर्ष	राज्य सरकार	शुल्क	अक्षयनिधि एवं अन्य स्रोत	योग	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1976-77	1,07,38,563 (20·37)	4,03,95,792 (76·61)	15,94,073 (3·02)	5,27,28,428 (100)	1·0	--	100
2-	1977-78	97,94,215 (18·30)	4,05,74,075 (75·82)	31,48,652 (5·88)	5,35,16,942 (100)	1·0	1·49	101
3-	1978-79	54,51,481 (10·21)	3,53,82,298 (66·26)	1,25,69,249 (23·53)	5,34,03,028 (100)	1·0	-0·21	101
4-	1979-80	83,90,793 (13·95)	3,89,11,000 (64·67)	1,28,62,120 (21·38)	6,01,63,913 (100)	1·1	11·24	114
5-	1980-81	96,88,600 (14·54)	4,14,31,000 (62·18)	1,55,12,235 (23·28)	6,66,31,835 (100)	1·2	9·71	126
6-	1981-82	58,36,176 (9·07)	4,24,11,800 (65·90)	1,61,10,000 (25·03)	6,43,57,971 (100)	1·2	-3·53	122
7-	1982-83	61,19,788 (9·26)	4,37,85,527 (66·21)	1,62,21,000 (24·53)	6,61,26,315 (100)	1·2	2·67	125

सारिणी- 9·4 क्रमशः -----

8- 1983-84	67,31,766 (9·25)	4,81,64,080 (66·22)	1,78,43,100 (24·53)	7,27,38,946 (100)	1·3	9·09	138
9- 1984-85	74,04,942 (9·25)	5,29,80,480 (66·22)	1,96,27,410 (24·53)	8,00,12,832 (100)	1·5	9·09	152
10- 1985-86	80,06,778 (9·63)	5,49,97,878 (66·13)	2,01,63,611 (24·24)	8,31,68,267 (100)	1·5	3·79	158

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित स्रोतों की राशि का कुल योग से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत-(1) "इजूकेशन इन इन्डिया" वाल्यूम-2, 1976, 1977, 1978 तथा 1979, नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(2) राज्यों में शिक्षा के आँकड़े (वित्तीय आँकड़े (1980-81) से 1985-86 तक नयी दिल्ली, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार

§1§ राज्य सरकार -

सन् 1976-77 में माध्यमिक शिक्षा परिषद् को राज्य सरकार द्वारा 1,07,38,563 रुपये की आय होती था, जो कुल आय का 20·37 प्रतिशत थी। आगत वर्षों में राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली निधि में निरन्तर कमी होती गयी और 1981-82 में यह मात्र 58,36,176 रुपये रह गयी, जो कुल आय का 9·07 प्रतिशत थी। तदनन्तर धनराशि में वृद्धि होती गयी, परन्तु आनुपातिक प्रतिशत लगभग समान ही रहा। 1985-86 में यह 80,06,778 थी, जो कुल आय का 9·63 प्रतिशत थी।

§2§ शुल्क -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय का मुख्य स्रोत शुल्क है। 1975-76 में शुल्क से आय 76·61 प्रतिशत होती थी। इसके अनुपात में लगातार 1980-81 तक गिरावट आयी तदनन्तर पुनः बढ़कर यह 1985-86 में 66 प्रतिशत तक पहुँच गयी।

§3§ अक्षयनिधि एवं अन्य स्रोत -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की अक्षयनिधि एवं अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त होने वाली आय 1976-77 में 15,94,073 रुपये थी , जो कुल आय का 3·02 प्रतिशत थी। अक्षयनिधि तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय 1985-86 में बढ़कर 2,01,63,611 रुपये हो गयी, जो कुल आय का 24·24 प्रतिशत थी। अक्षयनिधि तथा अन्य स्रोतों द्वारा प्राप्त होने वाली आय में लगातार वृद्धि होती रही है।

इस प्रकार यदि हम 1976-77 से 1985-86 तक विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त होने वाली आय का स्रोतवार विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि सर्वाधिक आय शुल्क द्वारा ही होती है।

इस स्रोत की कुल आय 1976-77 में 5,27,28,428 रूपये थी, जो कि 1985-86 में बढ़कर 8,31,68,267 रूपये हो गयी। आय की यह वृद्धि एक दशक में 1·5 गुना हुई।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का व्यय -

हम निम्नलिखित सारिणी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के 1947-48 से 1985-86 तक के व्यय का विवेचन करेंगे, जिससे माध्यमिक शिक्षा परिषद् में होने वाली व्यय की प्रवृत्तियों का ज्ञान हो सकेगा -

सारिणी - 9·5

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् का व्यय (रूपयों में)

(स्वतन्त्रता के बाद सन् 1947-48 से 1985-86 तक)

क्रमांक वर्ष	कुल व्यय	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1- 1947-48	9,72,368	1	--	100
2- 1950-51	21,63,269	2·2	40·82	222
3- 1955-56	56,72,700	5·8	32·44	583
4- 1960-61	71,95,125	7·4	5·37	740
5- 1965-66	1,04,48,470	10·7	9·04	1074
6- 1970-71	1,32,28,500	13·6	5·02	1360
7- 1975-76	4,48,86,722	46·1	47·87	4616
8- 1980-81	6,66,31,853	68·5	9·69	6852
9- 1985-86	8,31,68,267	85·5	4·96	8553

स्रोत- (1) "इजूकेशन इन इन्डिया" (सम्बन्धित वर्षों की) नयी दिल्ली, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार

(2) राज्यों में शिक्षा के आँकड़े (वित्तीय आँकड़े), नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1980-81 - 1985-86)

उपर्युक्त सारिणी द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि 1947-48 में माध्यमिक शिक्षा पर कुल व्यय 9,72,368 रुपये था, जो 1985-86 में 39 वर्षों बाद 8,31,68,267 रुपये हो गया। व्यय में यह वृद्धि 85·5 गुना हुई। सारिणी देखने से यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक पाँच वर्ष में व्यय लगातार बढ़ता रहा है।

अब हम निम्न सारिणी द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के एक दशक के मदवार व्यय का विवेचन तथा विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

सारिणी - 9·6

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा-परिषद् का मदवार व्यय (रुपयों में)

(सन् 1976-77 से 1985-86 तक)

क्रमांक	वर्ष	वेतन एवं भत्ते	भवनों का अनुरक्षण	अन्य मद	योग
1-	1976-77	70,86,873 (13·44)	17,789 (0·03)	4,56,23,766 (86·53)	5,27,28,428 (100)
2-	1977-78	85,61,452 (16·90)	15,876 (0·03)	4,49,39,614 (83·97)	5,35,16,942 (100)
3-	1978-79	89,79,508 (16·81)	19,400 (0·04)	4,44,04,120 (83·15)	5,34,03,028 (100)
4-	1979-80	93,95,850 (15·62)	20,000 (0·03)	5,07,44,063 (84·35)	6,01,63,913 (100)
5-	1980-81	1,03,45,068 (15·52)	23,973 (0·04)	5,62,62,812 (84·44)	6,66,31,853 (100)
6-	1981-82	1,10,89,670 (17·23)	25,955 (0·04)	5,32,42,346 (82·73)	6,43,57,971 (100)
7-	1982-83	1,23,97,945 (18·75)	29,994 (0·05)	5,36,98,376 (81·20)	6,61,26,315 (100)
8-	1983-84	1,36,37,740 (18·75)	32,993 (0·05)	5,90,68,213 (81·20)	7,27,38,946 (100)

सारिणी - 9·6 क्रमशः -------

9- 1984-85	1,50,01,506 (18·75)	--	6,50,11,326 (81·25)	8,00,12,832 (100)
10-1985-86	1,51,35,655 (18·20)	--	6,80,32,612 (81·80)	8,31,68,267 (100)

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल व्यय से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- राज्यों में शिक्षा के आँकड़े (वित्तीय आँकड़े) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सारिणी क्रमांक 9·6 से माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निम्न मदें स्पष्ट हो रही हैं -

(1) वेतन एवं भत्ते

(2) भवनों का अनुरक्षण

(3) अन्य मद

वेतन एवं भत्ते -

परिषद् द्वारा 1976-77 में वेतन एवं भत्तों पर 70,86,873 रू0 की धनराशि व्यय की गयी, जो कुल खर्च का 13·44 प्रतिशत था। 1985-86 में इस मद में 1,51,35, 655 रूपये व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 18·20 प्रतिशत था। इस प्रकार वेतन एवं भत्तों पर एक दशक में लगातार वृद्दि हुई है।

भवनों का अनुरक्षण -

भवनों के अनुरक्षण पर 1976-77 में कुल व्यय का 0·03 प्रतिशत अर्थात 17,789 रूपये व्यय किये गये। इसी प्रकार लगातार 1983-84 तक सम्पूर्ण व्यय का 0·05 प्रतिशत इस मद पर व्यय किया गया,1984-85 तथा 1985-86 में इस पर कोई धनराशि व्यय

नही की गयी। इस मद पर एक दशक में कभी भी कुल धन की 0·1 प्रतिशत धनराशि भी नही व्यय की जा सकी।

अन्य मद -

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस मद पर सर्वाधिक धनराशि व्यय की जा रही है। 1976-77 में इस मद पर 86·53 प्रतिशत व्यय किया गया। तदनन्तर इस मद में सदैव व्यय का प्रतिशत 80 प्रतिशत से अधिक ही रहा है। सन् 1985-86 में 81·80 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की आय और व्यय का स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद विवेचन और विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि -

§1§ स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त आय, व्यय से अधिक थी, अतः प्रति वर्ष कुछ न कुछ धनराशि अवश्य बच जाती थी। परन्तु 1929-30 की परीक्षाओं में प्रदेशेतर संस्थाओं के सम्मिलित न होने से 1929-30 की आय 2,06,218 रू0 हुई तथा व्यय 2,38,593 रू0 हुआ, अतः कोई बचत नही हुई।

§2§ स्वतंत्रता के पश्चात् 1949-50 में भी कुछ बचत नही हो पायी, क्योंकि प्रश्न पत्रों के आउट §खुलासा§ हो जाने के कारण दुबारा प्रश्न-पत्र छपवाने पड़े।

§3§ स्वतंत्रता के पश्चात् आय और व्यय दोनों में लगातार वृद्दि हुई है। एक दशक §1976-77 से 1985-86§ में आय में वृद्दि 1·5 गुना तथा व्यय में वृद्दि 1·57 गुना हुई है। इस प्रकार आय और व्यय समान हैं।

§4§ माध्यमिक शिक्षा परिषद् को सर्वाधिक आय शुल्क से होती है। दूसरा स्थान राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता तथा तृतीय स्थान अक्षय निधि एवं अन्य स्रोतों का है।

§5§ माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा सर्वाधिक व्यय अन्य मदों पर किया जाता है,

फिर वेतन एवं भत्तों पर तथा कुछ नॉमिनल व्यय, जो सबसे कम है, भवनों के अनुरक्षण पर किया जाता है।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा॒बाँदा॒ उ0प्र0 -

अतर्रा नगर में बालकों के चार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे, परन्तु बालिकाओं का एक भी विद्यालय न होने के कारण यहाँ की जनता को बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शासन से अनेकों बार यहाँ पर बालिका विद्यालय खुलवाने हेतु मांग रक्खी गयी, परन्तु वह निरर्थक ही रही। अन्ततः विवश होकर यहाँ की जनता ने अनशन आदि किये। जिसके फलस्वरूप शासन ने अपने शासनादेश संख्या 169/15-12-80-32॒13॒79 लखनऊ, दिनांक 11-4-80 द्वारा अतर्रा में एक राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की तथा सितम्बर 1980 में यह विद्यालय संचालित हुआ।

इस विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षक-संख्या का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है -

सारिणी - 9·7

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा॒बाँदा॒ उ0प्र0, नामांकन, शिक्षिका-संख्या तथा शिक्षिका-छात्रा-अनुपात

क्रमांक वर्ष	नामांकन संख्या	शिक्षिका-संख्या	शिक्षिका-छात्रा-अनुपात
1- 1981-82	297	9	1:33
2- 1982-83	336	9	1:37
3- 1983-84	348	11	1:32
4- 1984-85	352	12	1:29
5- 1985-86	367	13	1:28
6- 1986-87	363	9	1:40

सारिणी - 9·7 क्रमशः ----

7- 1987-88	345	9	1:38
8- 1988-89	338	11	1:31

स्रोत- "विद्यालय-सूचना-पत्र" (सम्बन्धित वर्षों का) बाँदा, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय

उपरोक्त सारिणी का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं पर किया जायेगा -

(1) छात्रा-संख्या (नामांकन)

(2) शिक्षिका-संख्या

(3) शिक्षिका-छात्रा-अनुपात

छात्रा-संख्या (नामांकन) -

इस विद्यालय में 1981-82 में छात्राओं की संख्या 297 थी, जो प्रति वर्ष लगातार बढ़ती रही और 1985-86 में बढ़कर 367 हो गयी। यह वृद्धि 1·23 गुना थी। तत्पश्चात् 1986-87 से छात्राओं की संख्या में कमी हुई और 1988-89 तक घटकर मात्र 338 रह गयी। ऐसा आभास हो रहा है कि नगर में एक दूसरा निजी प्रबन्ध -तंत्र द्वारा संचालित बालिका विद्यालय खुल जाने से नामांकन-संख्या प्रभावित हुई होगी।

शिक्षिका-संख्या -

सन् 1981-82 में 9 शिक्षिकायें कार्यरत थीं। 1985-86 तक शिक्षिकाओं की संख्या बढ़कर 13 हो गयी। तत्पश्चात् 1986-87 से 1987-88 तक पुनः 9 हो गयी तथा 1988-89 में यह संख्या बढ़कर 11 हो गयी। शिक्षिकाओं के घटने-बढ़ने का कारण शासन द्वारा स्थानान्तरण, पद-सृजन तथा नियुक्तियों में विलम्ब आदि होना है।

शिक्षिका-छात्रा-अनुपात -

सारिणी 9·7 द्वारा स्पष्ट है कि 1981-82 में शिक्षिका-छात्रा-अनुपात 1:33

था, जो 1982-83 में 1:37 हो गया। यह पुनः घटकर 1985-86 में 1:28 हो गया तथा 1986-87 में 1:31 हो गया। शिक्षिका-छात्रा-अनुपात में यह परिवर्तन शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण तथा छात्राओं की प्रवेश-संख्या में परिवर्तन होने के कारण है।

वित्तीय व्यवस्था -

इस संस्था की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन दो शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायेगा -

(1) आय (2) व्यय

संस्था की आय का विवरण सारिणी क्रमांक 9·8 में दर्शाया गया है -

सारिणी - 9·8

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0 की आय

(सन् 1981-82 से 1988-89)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	शुल्क	अन्य	कुल योग	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि-दर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1981-82	8,055·19	--	8,055·19	1·0	--	100
2-	1982-83	9,272·47	--	9,272·47	1·15	--	115
3-	1983-84	11,043·53	--	11,043·53	1·37	--	137
4-	1984-85	13,463·78	--	13,463·78	1·67	--	167
5-	1985-86	14,882·08	--	14,882·08	1·85	21·19	185
6-	1986-87	16,416·77	--	16,416·77	2·04	--	204
7-	1987-88	15,553·38	--	15,553·38	1·93	--	193
8-	1988-89	10,580·56	--	10,580·56	1·31	-9·63	131

स्रोत- "कैश बुक" (सम्बन्धित वर्षो की) अतर्रा, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

सारिणी – 9·9

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0 का मदवार व्यय

(सन् 1981-82 से 1988-89 तक)

(रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	शिक्षिकाओं का वेतन	कर्मचारियों का वेतन	कार्यालय व्यय	यात्रा व्यय	भवन किराया	विज्ञान उपकरण प्रयोगशाला तथा साज-सज्जा व्यय	छात्रवृत्ति व्यय	कुल योग	गुणावृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धि दर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1981-82	64,637 (54·4)	29,003 (24·4)	2,400 (2·0)	851 (0·7)	12,000 (10·1)	10,000 (8·4)	--	1,18,891 (100)	1	--	100
2-	1982-83	97,236 (61·1)	39,760 (25·0)	3,360 (2·1)	1,777 (1·1)	12,000 (7·5)	5,000 (3·2)	--	1,59,133 (100)	1·3	--	134
3-	1983-84	85,191 (60·3)	37,325 (26·4)	3,300 (2·3)	1,921 (1·4)	12,000 (8·5)	1,000 (0·7)	532 (0·4)	1,41,269 (100)	1·1	--	119
4-	1984-85	1,47,892 (67·8)	50,917 (23·3)	2,900 (1·3)	2,472 (1·2)	12,000 (5·5)	1,000 (0·5)	996 (0·4)	2,18,177 (100)	1·8	--	184
5-	1985-86	1,33,180 (57·3)	85,211 (36·7)	9,604 (4·1)	2,960 (1·3)	--	750 (0·3)	720 (0·3)	2,32,425 (100)	1·9	23·87	195
6-	1986-87	1,42,883 (68·0)	50,866 (24·2)	5,000 (2·4)	2,872 (1·4)	--	7,750 (3·7)	720 (0·3)	2,10,091 (100)	1·7	--	177
7-	1987-88	1,42,580 (57·1)	61,239 (24·6)	5,000 (2·0)	3,132 (1·3)	36,000 (14·4)	750 (0·3)	720 (0·3)	2,49,421 (100)	2·1	--	210

सारिणी - 9·9 क्रमशः -------

8- 1988-89	2,20,375	69,353	6,500	4,494	12,000	4,300	720	3,17,742	2·6	12·24	267
	(69·4)	(21·8)	(2·0)	(1·4)	(3·8)	(1·4)	(0·2)	(100)			
गुणावृद्धि	3·41	2·37	2·71	5·28	1	0·43	1·35	2·67			

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित मदों की राशि का कुल योग से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- "कैश बुक" सम्बन्धित वर्षों की, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ0 प्र0

सारिणी क्रमांक 9·8 से यह स्पष्ट हो रहा कि इस संस्था की आय का केवल एक ही स्रोत है, शुल्क। छात्राओं का शिक्षण-शल्क हाई स्कूल तक माफ होने के कारण शुल्क द्वारा आय भी बहुत कम है। शुल्क से होने वाली आय 1981-82 में 8,055 रूपये थी, जो 1986-87 में बढ़कर 16,416 रू0 हो गयी। आय की यह वृद्धि 2·04 गुना थी तथा औसत वार्षिक वृद्धि दर 21·19 प्रतिशत रही है। लेकिन पुनः 1987-88 में शुल्क से होने वाली आय में कुछ गिरावट आयी और यह घटकर 15,553 रू0 रह गयी। इसी प्रकार 1988-89 में शुल्क द्वारा आय घटकर 10,580 रू0 थी। शुल्क द्वारा आय का घटना-बढ़ना छात्राओं की संख्या पर निर्भर करता है।

व्यय-

संस्था में व्यय की मुख्य मदें केवल सात थीं -

§1§ शिक्षिकाओं का वेतन

§2§ कर्मचारियों का वेतन

§3§ कार्यालय-व्यय

§4§ यात्रा-भत्ता-व्यय

§5§ भवन-किराया

§6§ छात्र-वृत्ति

§7§ विज्ञान-उपकरण/प्रयोगशाला, साज-सज्जा आदि।

शिक्षिकाओं का वेतन -

सारिणी क्रमांक 9·9 से स्पष्ट हो रहा है कि 1981-82 में शिक्षिकाओं के वेतन में 64,637 रू0 व्यय होते थे, जो कुल व्यय का 54·4 प्रतिशत था। यह व्यय 8 वर्षो के अन्तराल में बढ़कर 2,20,375 रू0 हो गया, जो कुल व्यय का 69·4 प्रतिशत है तथा व्यय की यह वृद्धि 3·41 गुना है।

कर्मचारियों का वेतन -

कर्मचारियों का वेतन 1981-82 में 29,003 रू0 था, जो कुल व्यय

का 24·4 प्रतिशत था। कर्मचारियों के वेतन में भी लगातार वृद्धि होती रही और 1985-86 में यह बढ़कर 85,211 रु0 हो गयी, जो कुल व्यय का 36·7 प्रतिशत थी, लेकिन 1986-87 में घटकर 50,866 रु0 रह गया, जो कुल व्यय का 24·2 प्रतिशत था। इसका कारण संभवतः कर्मचारियों का स्थानान्तरण रहा होगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन के व्यय में कमी आयी होगी। 1987-88 में यह व्यय बढ़कर 61,239 हो गया, जो कुल व्यय का 24·6 प्रतिशत था तथा 1988-89 में यह राशि बढ़कर 69,353 रु0 हो गयी, जो कुल व्यय की 21·8 प्रतिशत थी। 1981-82 से 1988-89 तक 8 वर्षों के अन्तराल में कर्मचारियों के वेतन में 2·39 गुना वृद्धि हुई।

कार्यालय-व्यय -

1981-82 में कार्यालय-व्यय मात्र 2400 रु0 था, जो कुल व्यय का 2·0 प्रतिशत था। यह व्यय बढ़कर 1985-86 में 9604 रु0 हो गया, जो कुल व्यय का 4·1 प्रतिशत था तथा व्यय वृद्धि भी 4 गुना थी। इसी प्रकार 1986-87 तथा 1987-88 में कार्यालय में व्यय होने वाली धनराशि 5000 रु0 थी अर्थात् समान थी, जो क्रमशः कुल व्यय का 2·04 प्रतिशत तथा 2·00 प्रतिशत थी। 1988-89 में यह धनराशि बढ़कर 6500 रु0 हो गयी, जो कुल व्यय का 2·0 प्रतिशत थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल व्यय में केवल 2 प्रतिशत धनराशि ही कार्यालय-व्यय में 1981-82 में खर्च की गयी तथा 1988-89 में भी कुल व्यय की 2 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की जा रही है। अतएव कार्यालय व्यय में 8 वर्षों के अन्तराल में भी समानुपातिक दृष्टि से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

यात्रा-व्यय -

सन् 1981-82 में यात्रा-व्यय 851 रु0 मात्र था, जो 1988-89 में बढ़कर 4494 रु0 हो गया। यात्रा-व्यय में लगातार वृद्धि हुई। 8 वर्षों के अन्तराल

में इसमें 5·28 गुना वृद्धि हुई। 1981-82 में यात्रा-व्यय में कुल व्यय का 0·7 प्रतिशत ही व्यय हुआ परन्तु 1888-89 में कुल व्यय का यह 1·4 प्रतिशत था।

भवन - किराया -

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन किराये पर है। इस भवन का 1981-82 में किराया 1000 रु0 प्रति माह था। इस प्रकार एक वर्ष में 12000 रु0 खर्च होते थे, जो कुल व्यय का 10·1 प्रतिशत है। 1984-85 तक लगातार 12000 रु0 प्रतिवर्ष किराये पर व्यय होता रहा, जो क्रमशः कुल व्यय का 1982-83 में 7·5 प्रतिशत, 1983-84 में 8·5 प्रतिशत तथा 1984-85 में 5·5 प्रतिशत था। शासन द्वारा 1987-88 में 36000 रु0 किराये का भुगतान एक-मुश्त किया गया, जो 1987-88 में कुल व्यय का 14·4 प्रतिशत था। 1988-89 में पुनः शासन द्वारा 12000 रु0 का भुगतान किया गया, जो कुल व्यय का 3·8 प्रतिशत था।

छात्रवृत्ति-व्यय -

1983-84 में इस मद पर मात्र 532 रु0 व्यय हुए, जो कुल व्यय का 0·4 प्रतिशत था तथा 1984-85 में 996 रु0 व्यय हुआ, जो कुल व्यय का 0·4 प्रतिशत था, फिर लगातार चार वर्षों में 720 रु0 ही व्यय किए जाते रहे, जो 1985-86 में कुल व्यय का 0·3 प्रतिशत, 1986-87 में 0·3 प्रतिशत, 1987-88 में 0·3 प्रतिशत था तथा 1988-89 में यह कुल व्यय का 0·2 प्रतिशत था। 1983-84 से 1988-89 तक चार वर्षो के अन्तराल में इस मद में 1·35 गुना वृद्धि हुई।

विज्ञान-उपकरण तथा प्रयोगशाला, साज-सज्जा व्यय -

सन् 1981-82 में विज्ञान-उपकरणों के क्रय में तथा प्रयोगशाला की साज-सज्जा में 10000 रु0 व्यय हुए जो व्यय का 8·4 प्रतिशत था। तत्पश्चात् 1988-89 तक इस मद के व्यय में लगातार कमी होती गयी। 1985-86 तथा 1987-88 में

इस मद पर व्यय मात्र 750 रु0 ही था। 1988-89 में यह व्यय 4300 रु0 था, जो कुल व्यय का 1·4 प्रतिशत था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संस्था की आय विभिन्न वर्षों में घटती-बढ़ती रही है, परन्तु सारिणी क्रमांक 9·9 यह स्पष्ट कर रही है कि व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। 1981-82 में कुल व्यय 1,18,891 रु0 था, जो 8 वर्षों के अन्तराल में बढ़कर 1988-89 में 3,17,742 रु0 हो गया। व्यय में यह वृद्धि 2·6 गुना हुई। 1981-82 से 1985-86 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर 23·87 प्रतिशत थी तथा 1986-87 से 1988-89 तक 12·24 प्रतिशत थी।

प्रति-छात्रा तथा प्रति-शिक्षिका व्यय -

अब हम इस संस्था में प्रति-शिक्षिका तथा प्रति-छात्रा के व्यय का अध्ययन करेंगे। अग्रांकित सारिणी 9·10 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि 1981-82 में प्रति-शिक्षिका औसत वार्षिक व्यय 13,210 रु0 था, जो आठ वर्षों के अन्तराल में बढ़कर 28,886 रु0 हो गया। इस प्रकार औसत वार्षिक व्यय में 2·19 गुना वृद्धि हुई।

सारिणी क्रमांक 9·10 यह स्पष्ट कर रही है कि प्रति-छात्रा औसत वार्षिक व्यय 1981-82 में 400 रु0 था, जो 8 वर्षों के अन्तराल में बढ़कर 1988-89 में 940 रु0 हो गया। प्रति-छात्रा औसत वार्षिक वृद्धि 2·35 गुना थी।

8 वर्षों के अन्तराल में प्रति-शिक्षिका व्यय में 2·19 गुना तथा प्रति-छात्रा व्यय में 2·35 गुना वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि प्रति-छात्रा औसत व्यय प्रति-शिक्षिका व्यय की तुलना में अधिक रहा है।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0 का शासनादेश संख्या 5062/15-3-86/60(26)/86 दिनांक 31·12·86 एवं 2128/15-3-87-61(26)/86 दिनांक 28·7·87 द्वारा जो वित्तीय सर्वेक्षण कराया गया है, उससे प्राप्त निष्कर्ष निम्न हैं -

सारिणी - 9·10

प्रति-शिक्षिका तथा प्रति-छात्रा व्यय, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा (बाँदा) उ0 प्र0

(रूपयों में)

क्रमांक	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1- विद्यालय का कुल व्यय (रू0 में)	1,18,891	1,59,133	1,41,269	2,18,177	2,32,425	2,10,091	2,49,421	3,17,742
2- गुणावृद्धि	1·00	1·34	1·19	1·84	1·95	1·77	2·10	2·67
3- कुल शिक्षिकाओं की संख्या	9	9	11	12	13	9	9	11
4- प्रति-शिक्षिका औसत व्यय	13,210	17,681	12,843	18,181	17,879	23,343	27,713	28,886
5- गुणावृद्धि	1·00	1·34	0·97	1·38	1·35	1·77	2·10	2·19
6- विद्यालय में कुल नामांकन	297	336	348	352	367	363	345	338
7- प्रति-छात्रा औसत व्यय	400	474	406	620	633	579	723	940
8- गुणावृद्धि	1·00	1·19	1·02	1·55	1·58	1·45	1·81	2·35

स्रोत - सारिणी क्रमांक 9·7 तथा 9·9 के आधार पर निर्मित

§1§ प्रति-छात्रा औसत प्रति-माह लागत 34 रू0 है, जबकि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बबेरू §बाँदा§ उ0प्र0 की प्रति-छात्रा प्रति-माह औसत लागत 49 रू0 है।

§2§ राजकीय कन्या इंटर कालेज, बाँदा की प्रति-छात्रा प्रतिमाह औसत लागत 68·00 रू0, राजकीय कन्या इंटर कालेज, कर्वी की 50·00 रू0, राजकीय कन्या इंटर कालेज, राजापुर की 49·00 रू0 तथा राजकीय कन्या इंटर कालेज, मानिकपुर §बाँदा§ की 98·00 रू0 है।

वित्तीय सर्वेक्षण द्वारा यह स्पष्ट है कि राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा की औसत लागत सबसे कम है।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतर्रा §बाँदा§ उ0प्र0 की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ पर सबसे प्रथम आवश्यकता विद्यालय भवन की तथा प्रयोगशालाओं के निर्माण की है। जब तक प्रयोगशालाओं का समुचित निर्माण नहीं हो जाता, तब-तक विज्ञान का ज्ञान बिना प्रायोगिक कार्य के अधूरा ही रहेगा। विज्ञान-प्रयोगशाला तथा उसकी साज-सज्जा एवं उपकरणों पर भी जो व्यय किया गया है, वह इसकी आवश्यकता को देखते हुए नितांत कम है। अतएव शासन को विज्ञान-शिक्षण की सुविधा हेतु और अधिक धनराशि प्रदान करना चाहिए।

ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा §बाँदा§ उ0प्र0 -

इस विद्यालय की स्थापना का अपना अलग ही इतिहास है। श्री ब्रह्मदेव बाजपेयी, जो राजा मन्नूलाल अवस्थी की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी थे, बहुत ही त्यागी, उदारमना, योग्य तथा महामना व्यक्तित्व के धनी थे। वह बाबू जय प्रकाश नारायण के साथ भूदान यज्ञ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। उनका जीवन सात्विक तथा बहुत सादा था। श्री जगपत सिंह जी प्राचार्य, §भूतपूर्व§ पोस्टग्रेजुएट कालेज, अतर्रा उनके अभिन्न मित्रों में से एक थे। मित्रता में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों कार्यकर्ता एक साथ हो गये।

श्री बाजपेयी जी का विचार था कि अतर्रा में एक ऐसा आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय, जिसमें ब्रह्म और विज्ञान की शिक्षा एक ही साथ दी जाय, क्योंकि सृष्टि और सृष्टा दोनों का ज्ञान मिलकर ही पूर्ण ज्ञान होता है और यह दोनों शोध के विषय हैं। अतएव अध्यात्म और विज्ञान के परम ज्ञान की दिशा में शोध-कार्य किए जाँय। उन्होंने पाठ्यक्रम निर्मित कर उसकी पुस्तिका छपवायी और प्रारम्भिक व्यय-हेतु एक लाख रुपये सुरक्षित कर दिया।

अचानक ही 1965 में उनका देहावसान हो गया। प्रिंसिपल जगपत सिंह को बड़ा आघात लगा, क्योंकि दोनों के समत्वभाव अन्योन्याश्रित हो गये थे। फलस्वरूप उनकी पुण्य स्मृति में श्री जगपत सिंह जी ने ब्रह्म विज्ञान विद्यालय के नाम से अतर्रा के मेला-मैदान में जुलाई 1967 से जूनियर हाई स्कूल के रूप में इस विद्यालय को स्थापित कर दिया। उनका ध्येय था कि वे स्वर्गीय बाजपेयी जी के दिवंगत स्वप्नों को साकार कर सकें। परन्तु अभी तक यह संस्था इन्टरमीडिएट स्तर तक ही पहुँच सकी है। अच्छी कार्य प्रणाली, उत्तम अनुशासन, श्रेष्ठ परीक्षाफल तथा सुन्दर प्रबन्ध-व्यवस्था के कारण शासन ने इस संस्था को दक्षता पुरूष्कार भी प्रदान किया है। इस संस्था में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की कक्षाएँ चल रही हैं।

विद्यालय की मान्यता -

विद्यालय को निम्न वर्षो में सम्बन्धित कक्षाओं के संचालन की मान्यता शासन द्वारा प्राप्त हुई है -

	स्तर	मान्यतावर्ष
(1)	जूनियर हाई स्कूल	1967
(2)	हाई स्कूल	1971
(3)	अनुदानित सूची वर्ष	1973
(4)	इन्टरमीडिएट	1975
(5)	वैज्ञानिक वर्ग	1984

छात्र-संख्या -

इस विद्यालय में 1967 में छात्रों का नामांकन 234 था, जो 1987-88 अर्थात् दो दशक में बढ़कर 678 हो गया। यह वृद्धि लगभग 2·9 गुनी है। छात्रों के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई है।

शिक्षक -

इस विद्यालय में 1967-68 में शिक्षकों की संख्या 7 थी। शिक्षकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, परन्तु 1982-83 और 1987-88 के मध्य 5 वर्षो के अन्तराल में शिक्षकों की संख्या समान रही है, जिससे यह प्रगट हो रहा है कि शासन द्वारा 5 वर्षो की अवधि में इस विद्यालय हेतु कोई पद सृजित नहीं किया गया। 1987-88 में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 18 हो गयी, जो 2·5 गुना वृद्धि प्रगट करती है।

शिक्षकों और छात्रों की गुणावृद्धि की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षकों की तुलना में छात्रों के नामांकन में वृद्धि अधिक हुई है।

शिक्षक-छात्र-अनुपात -

सारिणी क्रमांक 9·11 में शिक्षक छात्र अनुपात दर्शाया गया है।

सारिणी - 9·11

ब्रह्म विज्ञान इन्टरमीडिएट कालेज में शिक्षक-छात्र-अनुपात

(सन् 1967-68 से 1987-88 तक)

क्रमांक वर्ष	नामांकन-संख्या	शिक्षक-संख्या	शिक्षक-छात्र-अनुपात
1- 1967-68	234	7	1:33
2- 1972-73	375	14	1:27
3- 1977-78	617	17	1:36

सारिणी - 9·11 क्रमशः -----

4- 1982-83	606	18	1:34
5- 1987-88	678	18	1:38

स्रोत- विद्यालय सूचना प्रपत्र ﴾सम्बन्धित वर्षों का﴿ बाँदा, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय

सारिणी क्रमांक 9·11 यह दर्शाती है कि 1967-68 में शिक्षक-छात्र-अनुपात 1:33 था, जो 1972-73 में घटकर 1:27 हो गया। शिक्षक-छात्र-अनुपात 5 वर्षों के अन्तराल में घटता-बढ़ता रहा है। 1977-78 में यह 1:36 था।1982-83 में यह 1:34 था तथा 1987-88 में यह अनुपात 1:38 हो गया। शिक्षक-छात्र-अनुपात में परिवर्तन होते रहने का कारण शिक्षकों की संख्या का घटना-बढ़ना तथा नामांकन में वृद्धि होना है।

संस्था की वित्तीय व्यवस्था -

संस्था की वित्त-व्यवस्था का अध्ययन मुख्यतः दो बिन्दुओं पर किया जायेगा-

﴾1﴿ संस्था की आय

﴾2﴿ संस्था का व्यय

आय -

सर्व प्रथम इस विद्यालय को केवल 5 बीघा जमीन दान में प्राप्त हुई थी तथा एक स्थानीय जमींदार श्री मुकुट सिंह से प्रबन्धक जी ने मंडी समिति हेतु सरकार द्वारा ग्रहण की जा रही जमीन संस्था के नाम क्रय कर ली तथा इस भूमि-खंड के रिहायसी प्लाट बनाकर उससे विक्रय की प्राप्त धनराशि से दो मंजिले विद्यालयभवन का निर्माण कराया, जिसमें 30 × 20 के 9 कमरे बनवाये गये। इस प्रकार भवन-निर्माण के साथ ही साथ प्रगति भी होती रही।

समय-समय पर नगर पालिका तथा मंडी समिति द्वारा भी इस विद्यालय

को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री बेटा सिंह (स्वर्गीय) ने भी पाँच हजार रूपये की आर्थिक सहायता की। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी कुछ संसाधन जुटाये।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में प्रतिपादित शिक्षक-अभिभावक-समिति का गठन किया गया है, इससे पुनः संसाधनों के जुटाने में सहायता मिलने लगी है। विद्यालय में प्रभूत के रूप में 21 बीघा जमीन है। यह समस्त जमीन कृषि योग्य नहीं है, परन्तु फिर भी कुछ जमीन से पैदावार होती है, जो विद्यालय की आय में सहायक है।

विद्यालय की आय के लिये स्रोत निम्न हैं:-

(1) राज्य सरकार

(2) शिक्षण-शुल्क

(3) अनुदान

(4) दान

सारिणी - 9·12

ब्रह्म विज्ञान इन्टर कालेज, अतर्रा(बाँदा) उ0प्र0 की स्रोतवार आय

(सन् 1967-68 से 1987-88 तक)

(आय रूपयों में)

क्रमांक	वर्ष	राज्य सरकार-निधि	अनुदान	शिक्षण-शुल्क	कुलयोग	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1967-68	3,677·15 (34·6)	--	6,945·90 (65·4)	10,623 (100)	1	--	100
2-	1972-73	12,476·94 (48·0)	100रु· (0·4)	13,412·20 (51·6)	25,989 (100)	2·4	28·93	245
3-	1977-78	79,244 (71·6)	--	31,468·92 (28·4)	1,10,713 (100)	10·4	65·20	1042
4-	1982-83	2,26,176·81 (90·5)	--	23,743 (9·5)	2,49,920 (100)	23·5	25·15	2353

सारिणी - 9·12 क्रमशः -----

5- 1987-88	3,67,365 (93·1)	--	27,312·67 (6·9)	3,94,678 (100)	37·1	11·58	3715

नोट- कोष्ठक में सम्बन्धित राशि का कुल राशि से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- "कैश बुक" (सम्बन्धित वर्षों की), ब्रह्म विज्ञान इन्टर कालेज, अतर्रा(बाँदा), उ0प्र0

राज्य सरकार -

इस विद्यालय को शासन द्वारा 1967-68 में 3677·15 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई, जो कुल आय का 34·6 प्रतिशत थी।। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली निधि में लगातार वृद्धि होती गयी। पाँच वर्ष के अन्तराल में 1972-73 में 12,476·94 रु0, 1977-78 में 79,244·00 रु0, 1982-83 में 2,26,176·81 रुपये तथा 1987-88 में 3,67,365 रु0 शासन से इस विद्यालय को प्राप्त हुए।

1972-73 में शासन द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि कुल आय का 48·0 प्रतिशत, 1982-83 में 90·5 प्रतिशत तथा 1987-88 में 93·1 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि आय का मुख्य स्रोत राज्य शासन से प्राप्त होने वाली निधि है।

शिक्षण-शुल्क -

संस्था की आय का मुख्य द्वितीय स्रोत शुल्क है। यद्यपि 1967 में शुल्क ही आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण प्रथम स्थान पर थी 1967-68 में शुल्काय का प्रतिशत 65·4 प्रतिशत था।

शल्काय में लगातार कमी होती गयी। सारिणी क्रमांक 9·12 द्वारा प्रगट हो रहा है कि 1972-73 में यह 51·6 प्रतिशत, 1977-78 में 28·4 प्रतिशत 1982-83 में 9·5 प्रतिशत तथा 1987-88 में 6·9 प्रतिशत रह गयी।

शुल्काय में कमी होने का कारण अधिकतर छात्रों को शुल्क-मुक्ति में रियायत देना है।

अनुदान -

इस संस्था को समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान प्राप्त होता रहा है। सन् 1969-70 में 100 रु0, 1973-74 में 6000 रु0, 1975-76 में 500 रु0 तथा 1984-85 में 8000 रु0 विभिन्न मदों की सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हुआ है।

दान -

संस्था को समय-समय पर विशिष्ट तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दान प्राप्त होता रहा है। दान-दाताओं में सर्व श्री मुकुट सिंह, बेटा सिंह, मंडी समिति तथा नगरपालिका मुख्य हैं। यद्यपि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो दान-दाताओं द्वारा आय नगण्य ही रही।

सारिणी क्रमांक 9·12 द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि 20 वर्षों के अन्तराल में संस्था की आय में 37 गुना वृद्धि हुई है तथा आय की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 5 वर्षों के अन्तराल में 1972-73 में 28·93 प्रतिशत 1977-78 में 65·20 प्रतिशत, 1982-83 में 2·15 प्रतिशत तथा 1987-88 में 11·58 प्रतिशत थी।

व्यय -

विद्यालय में अभी तक अधोलिखित मदें थी -

§1§ अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन

§2§ शिक्षण-सामग्री

§3§ पुस्तकालय

अग्रांकित सारिणी क्रमांक 9·13 में मदवार व्यय दर्शाया गया है -

सारिणी - 9·13

ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज का मदवार व्यय

(सन् 1967-68 से 1987-88 तक)

(रुपयों में)

क्रमांक	वर्ष	अध्यापकों तथा कर्म-चारियों का वेतन	शिक्षण सामग्री	पुस्त-कालय	योग	गुणा वृद्धि	औसत वार्षिक वृद्धिदर	वृद्धि-सूचकांक
1-	1967-68	6,118 (88·0)	588 (8·5)	246 (3·5)	6,952 (100)	1	--	100
2-	1972-73	33,208 (100)	--	--	33,208 (100)	4·7	75·54	478
3-	1977-78	1,11,444 (100)	--	--	1,11,444 (100)	16·0	47·12	1603
4-	1982-83	2,25,511 (100)	--	--	2,25,511 (100)	32·4	20·47	3244
5-	1987-88	4,20,193 (100)	--	--	4,20,193 (100)	60·4	17·27	6044

नोट- कोष्ठक के अन्दर सम्बन्धित राशि का कुल व्यय से प्रतिशत दर्शाया गया है।

स्रोत- "कालेज कैश बुक" (सम्बन्धित वर्षों की), ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0

अध्यापकों तथा कर्मचारियों का वेतन -

अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन में इस विद्यालय में 1967-68 में 6,118 रु0 व्यय होता था, जो कुल व्यय का 88 प्रतिशत था। 20 वर्ष के अन्तराल में इस मद के व्यय में 4,20,193 रु0 व्यय हुए। इस प्रकार इस मद में 1967-68 की तुलना में 60·4 गुना वृद्धि हुई। शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन-व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि-दर पाँच वर्षों के

अन्तराल में 1972-73 में 75•54 प्रतिशत, 1977-78 में 47·12 प्रतिशत, 1982-83 में 20·47 प्रतिशत तथा 1987-88 में 17·27 प्रतिशत थी। वेतन वृद्धि की औसत वार्षिक वृद्धि-दर सर्वाधिक 1972-73 से 1977-78 के मध्य रही क्यों 1971-72 में शासन द्वारा अध्यापकों का वेतन वितरण अधिनियम लागू हुआ और 1973-74 में कर्मचारियों का वेतन देना शासन ने स्वीकार कर लिया।

शिक्षण सामग्री -

इस विद्यालय में शिक्षण-सामग्री क्रय करने पर 1967-68 में 587·79 रु0 खर्च किए गये, जो कुल व्यय का 8·5% था। इसी प्रकार 1968-69 में 173·74 रु0, 1969-70 में 1,504·26 रु0 तथा 1970-71 में 604·75 रु0 व्यय किये गये।

पुस्तकालय -

इस विद्यालय की स्थापना के वर्ष 1967-68 में 246·05 रु0 की पुस्तकें क्रय की गयीं थीं। तत्पश्चात् 1969-70 में 50·17 की तथा 1970-71 में 250·00 रुपये की। इस प्रकार संस्था का विभिन्न मदों पर व्यय 1967-68 में 6952 रु0 था, जो 20 वर्षो के अन्तरालों बढ़कर 4,20,193 रु0 हो गया। व्यय की यह वृद्धि 60·4 गुना थी।

यदि हम विद्यालय से प्राप्त होने वाली आय और व्यय की तुलना एक साथ करें तो यह पाते हैं कि 20 वर्षो की आय में 37 गुना वृद्धि हुई है और व्यय में 60 गुना। इस प्रकार आय से व्यय काफी अधिक हुआ है।

प्रति-अध्यापक - प्रति-छात्र व्यय -

सारिणी क्रमांक 9·11 तथा 9·13 को मिलाकर सारिणी क्रमांक 9·14 निर्मित की गयी है, जो विभिन्न वर्षो में प्रति-शिक्षक तथा प्रति-छात्र व्यय दर्शाती है।

सारिणी - 9·14

प्रति-शिक्षक तथा प्रति-छात्र औसत व्यय

{सन् 1967-68 से 1987-88 तक}

{रुपयों में}

क्रमांक	1967-68	1972-73	1877-78	1982-83	1987-88
1- विद्यालय का कुल व्यय	6,952	33,208	1,11,444	2,25,511	4,20,193
2- गुणा-वृद्धि	1·0	4·7	16·0	32·4	60·4
3- कुल अध्यापकों की संख्या	7	14	17	18	18
4- प्रति-अध्यापक औसत वेतन	993	2372	6555	12,528	23,344
5- गुणावृद्धि	1	2·4	6·6	12·6	23·5
6- नामांकन	234	375	617	606	678
7- प्रति-छात्र औसत व्यय	30	89	181	372	620
8- गुणावृद्धि	1	2·97	6·03	12·4	20·67

स्रोत- सारिणी क्रमांक 9·11 तथा 9·12 के आधार पर निर्मित

सारिणी क्रमांक 9·14 को देखने से ज्ञात होता है कि 1967-68 में प्रति अध्यापक औसत व्यय 993 रु0 था, जिसमें लगातार वृद्धि होती रही। 1972-73 में यह 2372 रु0 हो गया, जो 1967-68 का 2·4 गुना था। इसी प्रकार 1977-78 में 6565 रु0 हो गया, जो 1967 की तुलना में 6·6 गुना था। तत्पश्चात् 1982-83 में 12,528 रु0 तथा 1987-88 में 23,344 रु0 था, जो 1967-68 की तुलना में क्रमशः 12·6 तथा 23·5 गुना अधिक था।

1967-68 में प्रति छात्र औसत व्यय 30 रु0 था, जो 1972-73 में बढ़कर 89 रु0, 1977-78 में 181 रु0 तथा 1987-88 में 620 रु0 हो गया। 20 वर्षो के अन्तराल में छात्रों के औसत वार्षिक व्यय में 1967-68 की तुलना में लगभग 21 गुना वृद्वि हुई है।

ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज का प्रति-अध्यापक औसत व्यय तथा प्रति-छात्र औसत व्यय का विवेचन करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि अध्यापकों का औसत व्यय छात्रों के औसत व्यय की तुलना में अधिक रहा है।

शासनादेश संख्या 5062/15-3-86 /60(26)/86 दिनांक 31-12-86 एवं 2128/15-3-87 - 61(26)/86 दिनांक 28-7-87 तथा प्रमुख सचिव, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश और शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद के विभिन्न निर्देशनों पर प्रदेश के राजकीय एवं अशासकीय सहायता-प्राप्त/मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय सर्वेक्षण सम्पन्न हुआ है। बाँदा जनपद के अशासकीय सहायता-प्राप्त (बालक) विद्यालय 39, अशासकीय सहायता-प्राप्त (बालिका) 02, अशासकीय मान्यता-प्राप्त असहायिक विद्यालय 05, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बालक) 07 तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक (बालिका) विद्यालय 06 वित्तीय सर्वेक्षण में सम्मिलित किये गये, जिनमें ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा (बाँदा) उ0प्र0 भी एक है। वित्तीय सर्वेक्षण से निम्नवत् निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं -

राजाज्ञा संख्या 8125/15-8/3086/74 दिनांक 20 नवम्बर 1976 के अनुसार कक्षा 6,7 तथा 8 के प्रथम अनुभाग में 52, कक्षा 9 तथा 10 में 60 तथा 11 एवं 12 में 75 छात्र-संख्या होना चाहिए, परन्तु विद्यालय की छात्र-संख्या अप्रत्याशित रूप से कम है।

वित्तीय सर्वे के अनुसार 30 सितम्बर 1986 को इस विद्यालय की छात्र-संख्या अग्रांकित थी -

कक्षा	छात्र-संख्या
6,7 तथा 8	240
9 एवं 10	287
11 एवं 12	108
	635

वित्तीय सर्वेक्षण द्वारा वित्तीय समस्याओं के सन्दर्भ में अग्रांकित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, जिन्हें सारिणी -9·15 द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है -

सारिणी - 9·15

वित्तीय सर्वेक्षण 1987-88

ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज, अतर्रा(बाँदा) उ0प्र0

प्रबन्ध-व्यवस्था का विवरण	औसत प्रति माह छात्र-लागत	विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के मासिक वेतन वितरण पर होने वाले कुल व्यय में छात्रों से प्राप्त शुल्काय एवं हरिजन क्षतिपूर्ति के निर्धारित प्रतिशत का अंश	प्रतिमाह विद्यालय के वेतन में वितरण के रूप में राजकोष से वहन किये जाने वाले अंश का प्रतिशत
प्रबन्ध तंत्र सहायता-प्राप्त	46·00	7·7	92·3

स्रोत- वित्तीय सर्वेक्षण आख्या, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग

वित्तीय सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 1987 में बाँदा जनपद के 41 सर्वेक्षित अशासकीय सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन, मंहगाई-भत्ता, मकान-भत्ता एवं अन्य भत्तों पर कुल व्यय की सकल धनराशि 16,58,328 रु0 व्यय होती है, जिसमें विद्यालयों द्वारा संयुक्त वेतन संदाय खाते में शुल्काय एवं छतिपूर्ति का 1,55,209·00 रु0 निर्धारित

अंश जमा होता है। अतएव अनुदान के रूप में राजकोष §साख-समिति§ द्वारा 15,03,119·00 रु0 प्रदान किया गया। इस प्रकार मासिक नियमित वेतन पर व्यय-भार-स्वरूप वहन किये जा रहे धन का प्रतिशत अग्रांकित है -

§अ§ विद्यालय के शुल्काय से प्राप्त धन का प्रतिशत 9·3 प्रतिशत

§ब§ शासन §साख-सीमा§ द्वारा प्रदत्त धन का प्रतिशत 90·7 प्रतिशत

ब्रह्म विज्ञान इंटर कालेज द्वारा मार्च 1987 में वेतन वितरण खाते में शुल्काय का अंश 2,235[1] रु0 जमा किया गया तथा मँहगाई-भत्ते सहित कुल वेतन में 28,934 रु0 व्यय हुए। विद्यालय द्वारा जमा की गयी शुल्काय मात्र 7·72 प्रतिशत है तथा साख-सीमा द्वारा प्रदत्त अंश का प्रतिशत 92·28 प्रतिशत है। बाँदा जनपद की कुल शुल्काय में ब्रह्म विज्ञान का अंश 1·79 प्रतिशत है, इसी प्रकार वेतन-व्यय का अंश भी 1·78 है।

विद्यालय की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि विद्यालय की आय के मुख्य साधन राज्य सरकार तथा छात्रों से प्राप्त किया जाने वाला शुल्क है। विद्यालय को सुचारु रूप से चलाने हेतु शासन को भवन, क्रीड़ांगन तथा पुस्तकालय के लिए अनावर्ती अनुदान देना चाहिए। आवर्ती अनुदान अभी तक जो प्रदान किया गया है, उसका उपयोग केवल शिक्षकों के वेतन तथा कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च होता रहा है, अतएव विज्ञान- शिक्षा की सुविधा बढ़ाने-हेतु प्रयोगशाला- साज-सज्जा तथा उपकरण, हेतु आवर्ती अनुदान की आवश्यकता है। विद्यालय को फर्नीचर तथा काष्ठोपकरण-हेतु अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। यह विद्यालय बुन्देलखण्ड के पिछड़े भाग में स्थित है, अतएव इसे शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है

1- "वित्तीय सर्वेक्षण आख्या" 1987-88, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद शिक्षा निदेशालय, पृष्ठ - 38

क्योंकि विद्यालय की आय इतनी अधिक नहीं है कि वह मैचिंग ग्रान्ट ﴾समतुल्यात्मक अनुदान﴿ की पूर्ति कर सके। विद्यालय के रिकार्ड्स लेखों का रख-रखाव भी व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

-x-x-x-x-

दशम अध्याय

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::

निष्कर्ष एवं सुझाव

स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था शोध-हेतु चयनित की गयी है। इस शोध का प्रमुख लक्ष्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के विभिन्न स्रोतों के योगदान तथा मदवार व्यय का विवेचन और विश्लेषण करना है। इसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न पंचवर्षीय एवं जिला-योजनाओं में वित्त-प्रबन्धन, सहायक अनुदान-प्रणाली तथा वित्तीय नीतियों पर प्रकाश डालते हुए वित्त-व्यवस्था की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। स्वातंत्र्योत्तर काल की अवधि 1947-48 से 1985-86 है तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का तात्पर्य कक्षा 9 से 12 तक दी जाने वाली शिक्षा से है। शिक्षा-वित्त के आँकड़े यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे, उन्हें खोजकर एकत्र किया गया है तथा उनका वर्गीकरण, विश्लेषण और सारणीयन करके उनकी व्याख्या की गयी है और तार्किक विवेचन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाले गये हैं। इसमें ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया गया है तथा प्रदत्तों का संकलन प्राथमिक स्रोतों- जैसे - राज्य सरकार, शिक्षा विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों और केन्द्र शासन द्वारा प्रकाशित शैक्षिक रिपोर्टों के आधार पर किया गया है। इस संकलित सामग्री को 10 अध्यायों में सन्निहित किया गया है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि शिक्षा के इस स्तर की वित्त-व्यवस्था पर आज तक कोई शोध-कार्य देश, विदेश तथा प्रदेश में नहीं हुआ है, अतएव अनुसंधान-कर्ता का यह प्रथम प्रयास है।

विस्तृत अध्ययन द्वारा जो निष्कर्ष निकले हैं, उन्हें अध्यायों के क्रमानुसार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए उन के आधार पर आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिससे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था को और अधिक संतुलित तथा युक्तियुक्त बनाया जा सके। अन्त में इस अनुसंधान से सम्बन्धित अग्रिम शोध-हेतु कुछ संकेत भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

:: निष्कर्ष ::

"स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था"

§अ§ **प्राचीन काल** -

प्राचीन काल में शिक्षा धर्म से अनुप्राणित थी। शिक्षा में वित्त महत्व नहीं रखता था। वास्तव में वित्त सम्बन्धी विचार ज्ञान के पवित्र ध्येय से परे एवं प्रतिबन्धित रक्खे गये तथा धन-लोलुपता निषिद्ध थी। शिक्षा-व्यवस्था में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था, किन्तु राजकीय अनुदानों की कमी नहीं थी। राजाओं द्वारा विद्वानों को संरक्षण प्रदान करना उनके यश में वृद्धि करता था।

उत्तर प्रदेश में इस काल में शिक्षा एवं अनुशासन के केन्द्र आश्रम थे। इन आश्रमों में राज-पुत्र तथा साधारण गृहस्थों के बालक एक ही साथ रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। सुप्रसिद्ध आश्रम नैमिष, अयोध्या, वाराणसी तथा मथुरा आदि थे।

§ब§ **मध्य-काल** -

मध्यकालीन भारत में शिक्षा सामाजिक व राजकीय कर्तव्य नहीं मानी जाती थी, बल्कि धर्म की दासी व पारिवारिक विषय समझी जाती थी। मध्यकालीन शिक्षा में वित्त-प्रबन्धन ने अपने पूर्ववर्ती युग की तुलना में शिक्षा के निमित्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराने या उपलब्ध साधनों के प्रबन्धन में किसी प्रकार का विकास प्रदर्शित नहीं किया है। मध्यकालीन शिक्षा में भी वित्त का कोई विशेष महत्व नहीं था।

§स§ **ब्रिटिश-काल** -

1813 में एक अत्यन्त अर्थपूर्ण परिवर्तन हुआ, जब भारत के लिये

एक केन्द्रीय सरकार बनी और कम्पनी देश में प्रशासिका शक्ति बन गयी। फलस्वरूप 1813 के आज्ञापत्र में 43वीं धारा को जोड़कर भारत में शिक्षा-प्रसार का उत्तर-दायित्व कम्पनी को दिया गया तथा ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने कम्पनी को यह मानने के लिये बाध्य किया कि "शिक्षा सरकारी राजस्व पर अधिकार है।" इस प्रकार शिक्षा को संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई तथा प्रति वर्ष कम से कम एक लाख रुपये शिक्षा में व्यय करने का प्राविधान किया गया।

1813-1830 अर्थात् 18 वर्षों के अन्दर 9 वर्ष तक तो एक लाख रुपया भी व्यय न किया जा सका।

1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समस्त वैधानिक अधिकार एवं वित्तीय नियंत्रण गवर्नर जनरल में निहित कर दिये गये थे। सड़क, स्कूल और स्थानीय आवश्यकताओं की मदों को छोड़कर शेष पूरी वसूल की हुई धनराशि सरकारी खजाने में जमा होने लगी। सरकार की वित्त-नीति अतिशय केन्द्रीभूत होने के कारण भारत सरकार का केवल एक ही आय-व्ययक होता था। राजस्व भारत सरकार के नाम पर उगाहा जाता था तथा खर्च भी इसी सरकार के नाम पर होता था। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों का राजस्व पर कुछ अधिकार न था। वे न कोई कर उगाह सकते थे और न मितव्ययिता ही कर सकते थे। बचत की रकम भारत सरकार को सौंप देनी पड़ती थी। अतएव प्रत्येक प्रान्तीय सरकार का सिद्धान्त था "मत कमाओ, खर्च करो।"

सभी प्रान्तों में वुड के घोषणा-पत्र के आधार पर शिक्षा विभागों की स्थापना हुई। पश्चिमोत्तर प्रान्त में भी 1855 में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई।

14 दिसम्बर 1870 के आदेश द्वारा लार्ड मेयो की आर्थिक विकेन्द्रीकरण की नीति प्रारम्भ हुई और शिक्षा प्रान्तीय विषय बनी, जिससे केन्द्रीय सरकार की रुचि प्रायः कम हो गयी। मेयो की आर्थिक विकेन्द्रीकृत नीति के कारण प्रान्तों

को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा।

1882 में पंचवार्षिकी आर्थिक प्रबन्ध स्थिर किया गया, जिसके अनुसार राजस्व को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया था -

§1§ इम्पीरियल §2§ प्राविन्सियल §3§ डिवाइडेड

हिन्दुस्तानी सरकार के अलग-अलग डिस्पैचों में जो कुछ भी उल्लेख उपलब्ध हैं, वे समय, परिस्थिति एवं पृथक् मानसिकता के नीति-नियामकों के कारण सदैव परिवर्तनशील रहे हैं। 1854, 1882, 1884 और 1892 के दस्तावेजों में जो कुछ भी था, वह 1902 के दस्तावेज में लगभग पूरी तौर से परिवर्तित हो गया।

1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों से शासन में परिवर्तन हुआ। शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया, लेकिन नये कर वसूलने तथा वित्त मंजूर करने में प्राथमिकता के निश्चयन में वे शक्तिहीन थे, क्योंकि द्वैध शासन में यह सुरक्षित विषय था। एक तरफ तो प्रान्तों को केन्द्र के प्रति अनुदान देने पड़ते थे, दूसरी तरफ शिक्षा के लिये केन्द्रीय अनुदान पूर्णतया बन्द हो गया था।

सन् 1935 में भारतीय सरकार अधिनियम द्वारा प्रशासकीय स्वरूप में अन्तिम परिवर्तन हुआ। प्रान्तीय स्वायत्तता ने भारतीय मंत्रियों को कोष पर भी अधिकार दे दिया। केन्द्र ने भी शिक्षा के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया। द्वितीय विश्वयुद्ध शीघ्र ही छिड़ जाने के कारण मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिये। युद्ध के बाद जब लोकप्रिय मंत्रि-परिषदों ने कार्य-भार संभाला तो उन्होंने पुनः शिक्षा के उन्नयन के प्रयास शुरू किये, लेकिन बढ़ती कीमतों और राजनीतिक विप्लवों ने प्रगति को धीमा कर दिया।

<u>भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय</u>(1870-71 से 1946-47) -

1870 से लेकर 1946 तक भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय में लगातार वृद्धि होती रही। 1870-71 में यह व्यय 4385000 रु0 था, जो 1946-47 में 76 वर्षों में बढ़कर 119262000 रुपया हो गया। व्यय में यह वृद्धि 27·2 गुना थी। इस समयान्तराल में सबसे अधिक वृद्धि 1906-1917 के दशक तथा 1916-17 से 1926-27 के मध्य रही। इन दोनों दशकों के अन्तराल में व्यय दो गुने से भी अधिक बढ़ गया। व्यय में सबसे कम वृद्धि 1870-71 से 1880-81 के मध्य थी।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का सबसे अधिक भाग शुल्क से प्राप्त होता था तथा दूसरा स्थान राजकीय सहायता से प्राप्त होने वाली धनराशि का रहा है। इसके बाद अन्य स्रोतों से होने वाली आय का रहा है। शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत घटता-बढ़ता रहा है। 1916-17 में सर्वाधिक 59·8 प्रतिशत था तथा 1921-22 में सबसे कम 47·1 प्रतिशत था। 1901-02 में राजकीय निधि का प्रतिशत 15·0 था, जो 1921-22 में बढ़कर 34·2 हो गया, लेकिन 1946-47 में घटकर 25·5 था।

अन्य स्रोतों से किये जाने वाले व्यय में 1901-02 से 1946-47 तक 45 वर्षों में काफी कमी आयी है। 1901-02 में यह 24·4 प्रतिशत था, जो 1946-47 में 14·5 प्रतिशत ही रह गया। इसी प्रकार जिला बोर्ड तथा स्थानीय निकायों से 1901-02 में कुल व्यय का 5 प्रतिशत ही वहन किया जाता था, लेकिन इसके बाद इसके योगदान में वृद्धि हुई और 1946-47 में कुल व्यय का लगभग 4 प्रतिशत स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाने लगा।

स्वतंत्रता के पूर्व उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था

आय -

स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आय के 5 साधन थे। 1886-87 में राजकीय निधि से प्राप्त आय का प्रतिशत 17·78 प्रतिशत, स्थानीय निकाय का 29·44 प्रतिशत, शुल्क का 20·34 प्रतिशत तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का 29·1 प्रतिशत था। 1886-87 से 1946-47 तक के 60 वर्षों में इन स्रोतों द्वारा प्राप्त आय में काफी परिवर्तन हुआ। इस अवधि में नगरपालिका द्वारा प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत लगभग स्थिर रहा है। यह 1886-87 में 3·33 प्रतिशत था, जो 1946-47 में भी 3·85 प्रतिशत रहा, जबकि स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि में काफी कमी आयी। सन् 1886-87 में इस मद द्वारा प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत 29·44 था, जो 1946-47 में सिर्फ 1·80 प्रतिशत ही रह गया। 1886-87 में शुल्काय का प्रतिशत 20·34 था, जो 60 वर्षों में बढ़कर 40·07 प्रतिशत हो गया। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का प्रतिशत 1886-87 में 29·1 प्रतिशत था, जो 1946-47 में घटकर 15·21 प्रतिशत रह गया, जिससे यह प्रगट होता है कि लोगों में धन देने की प्रवृत्ति नहीं रही।

माध्यमिक शिक्षा पर सभी स्रोतों द्वारा आय 1886-87 में 12·774 लाख थी, जो 60 वर्षों में बढ़कर 248·119 लाख हो गयी। आय में यह वृद्धि 1886-87 की तुलना में 19·42 गुना थी।

व्यय -

स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर होने वाला प्रत्यक्ष व्यय सन् 1886-87 से 1946-47 तक (सन् 1901-02 को छोड़कर) लगातार बढ़ा है। 1886-87 में यह 10·58 लाख रुपये था, जो 1901-02 में 9.57

लाख रूपये रह गया। इसका कारण तात्कालिक राजनीतिक घटनाएँ थी, जिसका प्रभाव शैक्षिक व्यय पर भी पड़ा। 1886-87 से 1946-47 तक 60 वर्षों के अन्तराल में माध्यमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में 17 गुना वृद्धि हुई। सर्वाधिक वृद्धि 1915-16 से 1921-22 के मध्य हुई। इस अवधि में यह राशि दो गुने से भी अधिक बढ़ गयी। माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यक्ष व्यय में यद्यपि वृद्धि हुई है, लेकिन 1886-87 में कुल शिक्षा-व्यय में माध्यमिक शिक्षा पर 48·78 प्रतिशत व्यय हुआ है अतः समानुपातिक दृष्टि से 1946-47 में यह मात्र 35·15 प्रतिशत ही स्थान पा सका। इस प्रकार कुल शिक्षा व्यय में 1946-47 में माध्यमिक शिक्षा व्यय का प्रतिशत घट गया।

1886-87 में प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत 75·67 प्रतिशत था तथा अप्रत्यक्ष व्यय का 24·33 प्रतिशत था। प्रत्यक्ष व्यय का प्रतिशत लगातार घटता गया और 1911-12 में 61·57 प्रतिशत तक पहुँच गया अर्थात अप्रत्यक्ष व्यय में बढ़ोत्तरी हुई और इसका प्रतिशत बढ़कर 38·43 प्रतिशत तक पहुँच गया। तत्पश्चात् प्रत्यक्ष व्यय पुनः बढ़ना शुरू हो गया और धीरे-धीरे 1946-47 में 72·25 प्रतिशत हो गया। 60 वर्ष के अन्तराल में प्रत्यक्ष व्यय में 23·66 गुना वृद्धि हुई, जबकि अप्रत्यक्ष व्यय में 28·24 गुना। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय दोनों को मिलाकर यह वृद्धि 24·97 गुना थी।

"उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा वित्तीय नीति"

(अ) केन्द्रीय शासन द्वारा नियुक्त आयोगों/समितियों द्वारा प्रतिपादित -

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949) द्वारा माध्यमिक शिक्षा हेतु जो नीति प्रतिपादित की गयी, उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा पुनर्संगठन योजना के अन्तर्गत इंटरमीडिएट कालेजों की व्यवस्था अलग से कर दी थी। आयोग ने सुझाव दिया था कि इनकम-टैक्स के कानूनों में सुधार किया जाय, जिससे लोग शिक्षा के कार्यो के लिये अधिक दान दे सकें।

उत्तर प्रदेश शासन ने मुदालियर कमीशन की सिफारिशों को ध्यान नहीं दिया, बल्कि आचार्य नरेन्द्र देव समिति §1953§ की संस्तुतियों को स्वीकार किया। आयोग ने सिफारिश की थी कि जहाँ तक संभव हो खेल के मैदान, कृषि-फार्म तथा इमारतें आदि मुफ्त दी जाँय।

कोठारी आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार की शिक्षा-नीति 1968 में 10+2+3 की प्रतिकृति को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकार किये जाने में कोई कठिनाई नहीं थी, फिर भी उसने उस समय उसे स्वीकार नहीं किया। शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसाओं के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने भी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को स्वीकार कर लिया है। शिक्षा आयोग की संस्तुतियों पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमानों में आशातीत सुधार किया गया।

डॉ० ताराचन्द्र समिति की संस्तुतियों को उत्तर प्रदेश शासन ने यथावत् स्वीकार नहीं किया था। खेर समिति द्वारा प्रस्तावित अपने राजस्व का 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की बात राज्यों द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकी। स्त्री-शिक्षा की राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों को आचार्य जुगुल किशोर समिति §1961§ ने स्वीकार किया तथा स्त्री शिक्षा के विकास की अनुशंसा की। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं को अनेक सुविधाएँ दी गयीं।

विज्ञान-समिति द्वारा यह संस्तुत किया गया कि विद्यार्थियों से जहाँ विज्ञान-शुल्क वसूल किया जाता है, वहाँ यह शुल्क विद्यालयों में रोक कर ही विज्ञान प्रयोगशालाओं में खर्च किया जाना चाहिए तथा इसका समायोजन आवर्ती अनुदान से किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शासन ने विज्ञान-समिति द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया तथा विज्ञान-शिक्षा की प्रगति के लिये प्रयोगशालाओं के निर्माण तथा उपकरणों-हेतु अनुदान देना प्रारम्भ कर दिया। पंचवर्षीय योजनाओं में भी विज्ञान-शिक्षा की नीति को स्पष्ट कर दिया गया।

§ब§ <u>उत्तर प्रदेश की समितियों द्वारा निर्धारित नीति</u> -

उत्तर प्रदेश में आचार्य नरेन्द्र देव समिति §1939§ की अनुशंसा के आधार पर जुलाई 1948 में माध्यमिक शिक्षा में एंग्लोवर्नाकुलर तथा वर्नाकुलर शिक्षा का भेद मिटाकर कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा, कक्षा 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल शिक्षा और कक्षा 9 से 12 तक की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की संरचना स्वीकार की गयी, जो आज भी विद्यमान है। इस प्रकार इस स्तर की शिक्षा-अवधि 4 वर्ष कर दी गयी।

आचार्य नरेन्द्र देव समिति §1953§ ने स्पष्ट किया था कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के आय के दो ही प्रमुख साधन हैं - §1§ शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान तथा §2§ शुल्क। अतएव धर्मस्व बनाने को कहा जाय। शिक्षकों के वेतन-वृद्धियों की अधिक धनराशि शासन प्रदान करे। सेकन्डरी इजूकेशन कमेटी ने सुझाव दिया था कि प्रति-छात्र 100 रु0 की दर से छात्र-वृत्ति दी जाय। अनुरक्षण फन्ड से अनावर्ती मदों पर कोई व्यय न किया जाय, यदि ऐसा किया जाता है तो उत्तर दायी व्यक्ति से वसूल किया जाय। ग्रान्ट इन एड कमेटी §यादव कमेटी§ 1961 ने सुझाव दिया था कि विभाग की पूर्व स्वीकृति के बाद कुछ विशिष्ट मामलों में प्रबन्धतंत्र को उच्च वेतनमान तथा अग्रिम वेतन-वृद्धियाँ देकर नियुक्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

§स§ **<u>भारतीय शासन की राष्ट्रीय शिक्षा-नीतियों द्वारा प्रतिपादित-नीति</u>** -

उत्तर प्रदेश शासन ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1968 के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए माध्यमिक विद्यालयों में त्रिभाषा-सूत्र लागू किया। 1968-69 से वैज्ञानिक प्रतिभा खोज के लिये परीक्षा आयोजित होने लगी। हाई स्कूल कक्षाओं में 100 रु0 तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं में 150.00 रु0 प्रति माह छात्र-वृत्ति

देने का प्राविधान किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979 ने शिक्षा आयोग 1966 द्वारा प्रस्तावित "समान विद्यालय-पद्धति" को स्वीकार कर लिया। इस स्तर की शिक्षा में दो धाराएँ स्वीकार की गयी-

§1§ सामान्य शिक्षा §2§ व्यावसायिक शिक्षा

जनता शासनकाल अल्प अवधि का था, अतएव शासन के अन्त होते ही इस नीति का भी अन्त हो गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक स्तर पर छात्रों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं से परिचित होने पर बल दिया गया है तथा पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और इतिहास के ज्ञान का समावेश करने, व्यावसायिक शिक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है। स्कूल-भवनों के रख-रखाव के लिये लाभ प्राप्त करने वाले समुदाय से कहकर, चन्दे लेकर, कुछ उपभोज वस्तुओं की पूर्ति करके, शिक्षा-शुल्क बढ़ाकर यथासंभव संसाधन जुटाने की बात स्वीकार की गयी है।

§द§ **<u>पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा नीति</u>** -

प्रथम योजना में शिक्षा के संगठन, शिक्षक-प्रशिक्षण और शिक्षण-पद्धतियों के अनसंधान को वरीयता दी गयी। अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अधिक अनुदान देने का प्रयास किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संख्यात्मक विकास पर अधिक बल दिया गया तथा अनुदान देने की अधिक सुविधा दी जाने लगी।

तृतीय योजना में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन तथा संगठन पर विशेष बल दिया गया। विज्ञान शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक मार्गदर्शन की

सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया गया। बालिकाओं और पिछड़ी जातियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की अनुशंसा की गयी।

तीन वार्षिक योजनाओं में भी विज्ञान शिक्षा तथा बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कम विकसित क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान-शिक्षा एवं बालिकाओं की शिक्षा के विकास का विस्तार किया गया।

पाँचवी योजना में कार्यानुभव की उपयोगिता को महत्वपूर्ण विषय मानकर विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने, शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाई जाने तथा बुक बैंक स्थापित करने की नीति, अपनायी गयी।

छठवीं योजना में ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दिये जाने, पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य-विवरणों को उन्नत करने एवं अच्छी पुस्तकों के निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार उर्जा-संरक्षण, जनसंख्या-स्थायित्व तथा वातावरण-सुरक्षा के ज्ञान से परिचित कराने की नीति पर भी बल दिया गया।

सातवीं योजना में बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी। समाजोत्पादक कार्य को शिक्षा-कार्य से सही रूप से जोड़ने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यों की शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता की शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की गयी है। पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण, कम्प्यूटर तथा आधुनिक सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।

स्वातंत्र्योत्तर काल में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का विकास

§अ§ उत्तर प्रदेश में -

विद्यालय - 1946-47 में प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 506 थी, जो 1987-88 में 5737 हो गयी। 1946-47 की तुलना में विद्यालयों की संख्या में वृद्धि 11·3 गुना हुई। 1946-47 से 1987-88 अर्थात् चार दशकों में विद्यालयों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धि-दर 6·10 प्रतिशत रही है।

नामांकन - उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 1946-47 में नामांकन 203225 था, जो 1987-88 में बढ़कर 4412942 हो गया। नामांकन में यह वृद्धि 21·7 गुना हुई है। 1946-47 से 1987-88 के मध्य नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धिदर 7·80 प्रतिशत थी।

शिक्षक - 1946-47 में शिक्षकों की संख्या 9187 थी, जो 1987-88 में बढ़कर 126303 हो गयी। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि 1946-47 की तुलना में 13·7 गुना हुई है। 1946-47 से 1987-88 के मध्य अध्यापकों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धिदर 6·60 प्रतिशत रही है।

अतएव चार दशकों में विद्यालयों की संख्या में 11·3 गुना, नामांकन में 21·7 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 13·7 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार विद्यालयों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धिदर 6·10 प्रतिशत नामांकन की औसत वार्षिक वृद्धिदर 7·80 प्रतिशत और शिक्षकों की संख्या की औसत वार्षिक वृद्धिदर 6·60 प्रतिशत थी। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस अनुपात में नामांकन में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में न तो विद्यालय ही खोले जा सके और न ही शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गयीं।

1947-48 में शुल्क द्वारा प्राप्त होने वाली कुल आय 10880·9 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 49·4 प्रतिशत थी। 1985-86 में यह बढ़कर 441246·4 हजार रूपये हो गयी। आय की यह धनराशि 1947-48 की तुलना में 40·6 गुना अधिक थी तथा कुल आय में इसका योगदान 18·1 प्रतिशत था। 1947-48 से 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 10·2 प्रतिशत रही है।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में धर्मस्व द्वारा 1950-51 में होने वाली कुल आय 683·3 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 1·7 प्रतिशत थी। 1980-81 में इस स्रोत द्वारा आय 12238·1 हजार रूपये हो गयी, जो 1950-51 की तुलना में 17·9 गुना अधिक थी। समानुपातिक दृष्टि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में इस स्रोत का योगदान 1·0 प्रतिशत भी नहीं हो सका है। 1980-81 की कुल आय में इसका प्रतिशत 0·9 प्रतिशत था। 1950-51 से 1980-81 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 10·1 प्रतिशत रही है।

अन्य स्रोतों द्वारा 1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 2624·2 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 11·9 प्रतिशत थी। 1985-86 में धर्मस्व सहित कुल आय बढ़कर 84119·3 हजार रूपये हो गयी, यदि इस धनराशि की तुलना 1947-48 की राशि से की जाय तो यह 32·1 गुना अधिक है। परन्तु समानुपातिक दृष्टि से यह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय में केवल 3·4 प्रतिशत ही अपना योगदान दे रही है। 1947-48 तथा 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 9·6 प्रतिशत रही है।

आय के विभिन्न स्रोतों के योगदान से यह निष्कर्ष निकल रहा है कि राजकीय निधि का योगदान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रारम्भ में राज्य-निधि से कुल आय का एक तिहाई अंश प्राप्त होता था, किन्तु अन्तिम वर्ष में यह दो तिहाई से भी अधिक हो गया, जिससे स्पष्ट है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-व्यय का भार

आय -

1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 22011·4 हजार रूपये थी, जिसमें 36·9 प्रतिशत राज्य सरकार से, 1·8 प्रतिशत स्थानीय निकाय से, 49·4 प्रतिशत शुल्क से तथा 11·9 प्रतिशत अन्य स्रोतों से प्राप्त होती थी।

लगभग चार दशक बाद सभी स्रोतों से मिलाकर कुल आय 244169·1 हजार रूपये हो गयी, जिसमें 74·5 प्रतिशत राजकीय निधि का, 4 प्रतिशत स्थानीय निधि का, 18·1 प्रतिशत शुल्क का तथा 3·4 प्रतिशत अन्य स्रोतों का योगदान रहा है। आय की यह वृद्धि 110·9 गुना है तथा 1947-48 एवं 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·2 प्रतिशत रही है।

आय के विभिन्न स्रोतों का योगदान -

राजकीय निधि से 1947-48 में 8109·9 हजार आय होती थी। कुल आय में इसके योगदान का प्रतिशत 36·9 था। 1985-86 में यह बढ़कर 1818350·4 हजार हो गयी तथा कुल आय में इस स्रोत का योगदान 74·5 प्रतिशत हो गया। 1947-48 की तुलना में इस स्रोत की धनराशि में 242·2 गुना वृद्धि हुई। 1947-48 से 1985-86 के मध्य अर्थात् चार दशकों में औसत वार्षिक वृद्धिदर 15·3 प्रतिशत रही है।

स्थानीय निकाय निधि से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय 1947-48 में 396·4 हजार रूपये थी, जो कुल आय का 1·8 प्रतिशत थी। 1985-86 में बढ़कर 97453·0 हजार रूपये हो गयी तथा कुल आय में इसका योगदान 4·0 प्रतिशत हो गया। 1947-48 की तुलना में 1985-86 में इस धनराशि में 245·8 गुना वृद्धि हुई। 1947-48 तथा 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 15·6 प्रतिशत रही है।

प्रति विद्यालय औसत छात्र तथा शिक्षक संख्या एवं शिक्षक-छात्र-अनुपात-

1946-47 में प्रति-विद्यालय औसत छात्र-संख्या 402 थी, जो 1987-88 में बढ़कर 769 हो गयी। इसी प्रकार प्रति-विद्यालय औसत अध्यापक-संख्या 1946-47 में 18 थी, जो 1987-88 में बढ़कर 22 हो गयी। 1946-47 में शिक्षक-छात्र-अनुपात 1:22 था, जो 1987-88 में बढ़कर 1:35 हो गया।

(ब) **भारत वर्ष में** -

भारत में 1950-51 से 1986-87 तक संख्यात्मक विकास विद्यालयों का 9·2 गुना, नामांकन 11·2 गुना तथा शिक्षकों की संख्या में 9·00 गुना हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयों तथा शिक्षकों की संख्या में वृद्धि लगभग समान है, किन्तु नामांकन में अपार वृद्धि हुई है। अतः अधिक विद्यालय खोले जाने तथा अधिक अध्यापक नियुक्त करने की आवश्यकता है।

"उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय तथा उसके स्रोत"

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय की प्राप्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, अतएव इसे बहु-स्रोत प्रणाली कहते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आय के 5 साधन थे। कुछ साधन धीरे-धीरे विलुप्त हो गये तथा कुछ नये उद्भूत हुए। स्वतंत्रता के पूर्व अक्षय-निधि (धर्मस्व) की आय की गणना अन्य स्रोतों के साथ की जाती थी, किन्तु स्वतंत्रता के बाद धर्मादा का स्रोत अलग हो गया। केन्द्र सरकार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को मदद करने लगी तथा कभी-कभी विदेशी सहायता भी प्राप्त होने लगी।

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के 6 विभिन्न स्रोत हैं। इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय भिन्न-भिन्न गति से घटती या बढ़ती रहती है।

सरकार पर आता जा रहा है। स्थानीय निकाय निधि का योगदान प्रारम्भ से ही बहुत कम रहा है। 1980-81 तथा 1985-86 के मध्य स्थानीय निकाय निधि में किंचित् वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी शुल्क द्वारा प्राप्त होने वाली आय में हुई है। 1947-48 में इस स्रोत का योगदान लगभग आधा था। 1985-86 में इस स्रोत का अंशदान 1/5 भाग से भी कम हो गया। धर्मस्व से होने वाली आय का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में योगदान बराबर घटता रहा है और अन्तिम वर्ष में इसका योगदान 1 प्रतिशत से भी कम था। अन्य स्रोतों द्वारा 1947-48 में कुल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में 1/10 भाग प्राप्त होता था। 1985-86 में इस स्रोत का योगदान मात्र 1/33 ही रह गया।

आवर्ती तथा अनावर्ती आय -

1976-77 में आवर्ती आय का प्रतिशत 98·53 था तथा अनावर्ती आय का 1·47 प्रतिशत था। एक दशक पश्चात् 1985-86 में अनावर्ती आय के साधनों में वृद्धि हुई और इस आय का प्रतिशत बढ़कर 2·01 प्रतिशत हो गया तथा आवर्ती आय का 97·99 प्रतिशत रह गया।

आवर्ती आय का लगभग तीन चौथाई भाग राज्य सरकार से प्राप्त होता है, 15-24 प्रतिशत के मध्य शुल्क से प्राप्त होता है। केन्द्र सरकार का योगदान बहुत ही कम रहा है। 1976-77 में केन्द्र सरकार का कुल आय में योगदान 0·35 प्रतिशत था, जो 1985-86 में भी 0·36 प्रतिशत रहा। स्थानीय निकाय आवर्ती आय में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं कर सकी। 1976-77 में स्थानीय निकायों का योगदान मात्र 0·27 प्रतिशत था, परन्तु 1985-86 में 4·04 प्रतिशत हो गया।

उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में अनावर्ती आय का योगदान

बहुत ही कम रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 1976-77 में प्राप्त होने वाला योगदान मात्र 0·95 प्रतिशत था, जो 1985-86 में बढ़कर 1·39 हो गया। अनावर्ती आय में राज्य सरकार का अंशदान सर्वाधिक रहा है। 1976-77 में इस आय का योगदान 83·23 प्रतिशत था, जो एक दशक बाद बढ़कर 84·34 प्रतिशत हो गया। दूसरा स्थान अन्य स्रोतों का प्रतीत हो रहा है, जो कुल आय में 1976-77 में 14·80 प्रतिशत योगदान करता था। 1985-86 में इसका योगदान 12·80 प्रतिशत ही रह गया। स्थानीय निकायों का योगदान अधिकतम 1·50 प्रतिशत ही रहा है, जो सदैव घटता-बढ़ता रहा है।

एक दशक में अनावर्ती आय में सर्वाधिक योगदान राज्य सरकार का, दूसरा स्थान अन्य स्रोतों का, तीसरा स्थान स्थानीय निकायों का तथा अन्तिम स्थान केन्द्र सरकार का है।

भारत तथा उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा-आय के स्रोतों के योगदान की तुलना-

भारत तथा उत्तर प्रदेश दोनों में ही माध्यमिक शिक्षा के आय के स्रोतों में लगभग समानता है। भारत में 1950-51 में राजकीय स्रोत द्वारा प्राप्त अंशदान का कुल आय में प्रतिशत 36·4 था, जबकि उत्तर प्रदेश में 34·6 प्रतिशत था। 1980-81 में उत्तर प्रदेश में कुल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय में राजकीय स्रोत का अंशदान 76·7 प्रतिशत हो गया, जबकि भारत का 1979-80 में 84·2 प्रतिशत था। भारत में राजकीय निधि द्वारा योगदान उत्तर प्रदेश की तुलना में प्रारम्भ से ही अधिक रहा है। दोनों स्थानों पर इस स्रोत के योगदान में धीरे-धीरे वृद्धि हुई।

शुल्काय द्वारा 1950-51 में कुल आय का 51·7 प्रतिशत योगदान उत्तर प्रदेश में किया जाता था, भारत में इसी स्रोत का योगदान 50·4 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश में 1980-81 में इस स्रोत का योगदान घटकर 15·5 प्रतिशत ही रह गया। इसी प्रकार भारत में 1979-80 में इस स्रोत का योग दान 11·3 प्रतिशत ही था।

1950-51 में उत्तर प्रदेश में अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का योगदान 10·4 प्रतिशत था, जबकि भारतवर्ष में इसी स्रोत का 10·3 प्रतिशत था। 1979-80 में भारत में इस स्रोत का योगदान घटकर मात्र 2·2 प्रतिशत रह गया तथा उत्तर प्रदेश में 1980-81 में इस स्रोत का योगदान 3·9 प्रतिशत था।

शिक्षा की कुल आय, जनसंख्या और राज्य की आय की तुलना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय -

स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य की जनसंख्या, कुल आय तथा शिक्षा के विभिन्न स्तरों की आय में क्रमागत ढंग से वृद्धि हुई है। 1947-48 में शिक्षा की कुल आय का लगभग 24·3 प्रतिशत भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय से प्राप्त होता था। 1950-51 में यह बढ़कर 38·8 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय में हुई वृद्धि (50 प्रतिशत) से थोड़ी अधिक थी। 1985-86 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय का कुल शिक्षा की आय में 44·6 प्रतिशत योग दान हो गया किन्तु उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति की आय में हुई वृद्धि (61 प्रतिशत) से कुछ कम था।

1950-51 में उत्तर प्रदेश की कुल आय सन् 1970-71 के स्थायी भावों के आधार पर 2738 करोड़ रुपये थी तथा प्रति-व्यक्ति आय 433 रुपये थी। 1985-86 में बढ़कर 573 रुपये हो गयी। 1950-51 की प्रति-व्यक्ति की आय की तुलना में 1985-86 में यह वृद्धि 1·34 गुना थी। 1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय 40 पैसे थी, जो अड़तीस वर्षो में बढ़कर 19·5 रुपये हो गयी। यह 1947-48 की तुलना में 49 गुना है। इसके फलस्वरूप उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय का उत्तर प्रदेश की प्रति-

व्यक्ति आय में प्रतिशत भी बढ़ता गया। यह प्रतिशत सन् 1950-51 में 0.14 प्रतिशत था, जो 1985-86 में 3.4 हो गया। यद्यपि यह वृद्धि इतनी तीव्र न हो सकी, जितनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-व्यक्ति आय में हुई।

प्रति-विद्यालय/प्रति-छात्र आय -

1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा उनमें नामांकन-संख्या क्रमशः 2201432 रूपये, 609, तथा 249303 थी। जो 1985-86 में विभिन्न अनुपातों एवं वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़कर क्रमशः 244169122 रूपये, 5667 एवं 4278818 हो गयी। यह वृद्धि 1947-48 की तुलना में 111, 9.3 तथा 17.2 गुनी है।

1947-48 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की प्रति-विद्यालय आय 36000 रूपये थी, जो 1985-86 में बढ़कर 430800 रूपये हो गयी। 1947-48 की तुलना में यह 11.96 गुना है।

1947-48 में प्रति-विद्यार्थी आय 88.3 रूपये थी, जो 1985-86 तक तेजी के साथ वृद्धि करती हुई 570.5 रूपये हो गयी। यह 1947-48 की तुलना में 6.5 गुना है।

भारत के विभिन्न राज्यों में माध्यमिक शिक्षा की स्रोतवार आवर्ती आय के योगदान की तुलना -

भारत के विभिन्न राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आय के स्रोतों में अधिक भिन्नता तो देखने को नहीं मिली, किन्तु स्रोतों के योगदान में बहुत भिन्नता है। उत्तर प्रदेश की आय अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है। जो पूरे देश की आय की 26.4 प्रतिशत है। दिल्ली, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश क्रमशः द्वितीय,

तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर हैं, सबसे कम व्यय करने वाला राज्य उड़ीसा है। केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आय में सर्वाधिक प्रतिशत बिहार राज्य का है, जबकि इस राज्य की राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आय सबसे कम है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली आय में जम्मू-काश्मीर, त्रिपुरा तथा तमिलनाडू में अंशदान 90 प्रतिशत से अधिक रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 78·77 प्रतिशत है। शुल्क द्वारा सबसे अधिक आय आन्ध्र प्रदेश में प्राप्त होती है तथा सबसे कम जम्मू-काश्मीर में।

इक्कीसवीं सदी के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अनुमानित आय -

कोठारी कमीशन में प्राविधानित तीन परिवर्तनशील चरों इकोनामिक ग्रोथ, जनसंख्या-वृद्धि तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-व्यय का राज्य-आय से अनुपात के प्रयोग द्वारा इक्कीसवीं सदी के लिये अनुमानित आय प्राकलित की गयी है। जिसके आधार पर इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की कुल आय 1336 करोड़ रुपये होगी, जो 1985-86 की तुलना में 5·47 गुनी है।यह अगले पाँच वर्षों (2005) में बढ़कर 2354 करोड़ हो जायेगी।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की आय के विभिन्न स्रोतों का इक्कीसवीं सदी में अनुमानित योगदान -

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय की वृद्धि पर राजकीय निधि, स्थानीय निकाय-निधि, शुल्क-निधि, धर्मस्व तथा अन्य स्रोतों की वार्षिक वृद्धिदर क्रमशः 11·09, 16·8, 14·4 तथा 5·2 रही हैं। अतएव इक्कीसवीं सदी में स्थानीय निकाय का योगदान 100·15 रुपये रहेगा, जो 1985-86 की तुलना में 10 गुना अधिक है। 1985-86 में शुल्क-निधि से प्राप्त होने वाली आय धर्मस्व एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय से 5 गुने से अधिक है, किन्तु यह अनुपात

इक्कीसवीं सदी में 12 गुने से भी अधिक हो जायेगा। इक्कीसवीं सदी में भी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में आय की आपूर्ति सर्वाधिक राज्य सरकार से होगी तथा आय के प्रमुख स्रोतों में दूसरा प्रमुख स्रोत शुल्क का होगा।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यय तथा उसके मदवार व्यय

प्रत्यक्ष व्यय -

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 1947-48 में कुल प्रत्यक्ष व्यय 220·11 लाख रूपये था, जो 1985-86 में बढ़कर 23270·60 लाख रूपये हो गया। प्रत्यक्ष व्यय में 1947-48 की तुलना में यह वृद्वि 105·7 गुना है। 1947-48 से 1985-86 के मध्य प्रत्यक्ष व्यय में औसत वार्षिक वृद्विदर 13·05 थी। 1947-48 में कुल प्रत्यक्ष व्यय का 84·96 प्रतिशत बालकों की शिक्षा में तथा 15·04 प्रतिशत भाग बालिकाओं की शिक्षा में व्यय किया जाता रहा है। 1950-51 से 1970-71 तक बालकों की शिक्षा में सदैव कुल प्रत्यक्ष व्यय का 82 प्रतिशत से अधिक भाग खर्च किया गया तथा बालिकाओं की शिक्षा में 15-18 प्रतिशत के मध्य व्यय किया गया। फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा आज भी पिछड़ी हुई है।

मदवार व्यय-विवरण -

शिक्षकों के वेतन पर 1950-51 में 180·53 लाख रूपये व्यय होते थे, जो कुल व्यय का 45·10 प्रतिशत था। 1985-86 में 16712·99 लाख रूपये व्यय होने लगे, जो कुल व्यय का 71·82 प्रतिशत है। यदि 1985-86 में इस मद में व्यय होने वाली धनराशि की तुलना 1950-51 की धनराशि से की जाय तो यह धनराशि 92·58 गुना है। 1950-51 तथा 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्विदर 13·81 प्रतिशत रही है। 1970-71 से 1985-86 तक सदैव इस मद में 7/10 भाग व्यय किया गया है तथा शेष 3/10 भाग में अन्य व्यय सम्मिलित हैं।

अन्य कर्मचारियों के वेतन पर सन् 1965-66 में 206·26 लाख रूपये व्यय होते थे, परन्तु 1985-86 में इस मद का व्यय 2762·23 लाख रूपये पहुँच गया। 1965-66 की तुलना में यह 13·4 गुना है। 1965-66 तथा 1985-86 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि-दर इस मद में 13·85 प्रतिशत रही है। 1965-66 से लेकर 1981-82 तक इस मद में कुल व्यय का 12-17·4 प्रतिशत तक व्यय किया गया। 1985-86 में इस मद का व्यय कुल व्यय का 11·9 प्रतिशत ही रहा। कर्मचारियों के वेतन की गुना-वृद्धि शिक्षकों के वेतन की गुना-वृद्धि से 0·9 प्रतिशत अर्थात् 1 प्रतिशत कम है। इस मद का द्वितीय स्थान है।

उपकरण तथा अन्य सामग्री व्यय में कुल धनराशि का 5 प्रतिशत से लेकर 6 प्रतिशत तक धनराशि व्यय की गयी 1965-66 में कुल धनराशि का 5·9 प्रतिशत भाग इस मद पर व्यय किया जाता रहा, परन्तु 1974-75 तक इस मद के प्रतिशत-भाग में निरन्तर कमी होती गयी और 1975-76 में इस मद पर 5·3 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। 1965-66 में इस मद पर 98·48 लाख रूपये व्यय किये जाते थे। 1975-76 में इस मद पर 333·71 लाख रूपये व्यय किये गये, जो 1965-66 की तुलना में 3·4 गुना है। इस मद की औसत वार्षिक वृद्धिदर 12·98 प्रतिशत रही है। समानुपातिक दृष्टि से कुल व्यय में इस मद में कमी आती गयी है।

अन्य मदों में अनेक विकीर्ण या फुटकर व्यय आते हैं। 1965-66 में इस मद पर 181·34 लाख रूपये व्यय होते थे, जो कुल व्यय का 10·9 प्रतिशत है। 1965-66 के बाद इस मद में व्यय की जाने वाली राशि का प्रतिशत लगातार घटता गया और 1977-78 में घटकर 2·9 प्रतिशत हो गया। 1985-86 तक पुनः इस मद में 10·4 प्रतिशत धनराशि कुल व्यय की खर्च की जाने

लगी। 1985-86 में इस मद पर 2409·97 लाख रुपये व्यय किये गये, जो 1965-66 की तुलना में 13·3 गुना है। इस मद की औसत वार्षिक वृद्धिदर 13·8 प्रतिशत रही है।

आवर्ती व्यय -

1976-77 में आवर्ती व्यय का प्रतिशत 98·8 था तथा अनावर्ती व्यय का प्रतिशत 1·2 था। 1982-83 में आवर्ती व्यय का प्रतिशत बढ़कर 99·2 प्रतिशत हो गया तथा अनावर्ती व्यय का घटकर मात्र 0·8 प्रतिशत रह गया। 1985-86 में आवर्ती व्यय पुनः घटकर 98·1 प्रतिशत हो गया तथा अनावर्ती व्यय बढ़कर 1·9 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार अनावर्ती व्यय का बहुत ही कम भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय होता है। 1976-77 में आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय 8775·35 लाख रुपये थे, जो एक दशक पश्चात् 23713·85 लाख हो गया। 1976-77 की तुलना में यह 2·70 गुना है।

आवर्ती व्यय का सर्वाधिक भाग 1976-77 में अध्यापन-वर्ग के वेतन और भत्तों पर व्यय होता रहा, जो कुल व्यय का 73·50 प्रतिशत था। व्यय का दूसरा बड़ा भाग गैर-अध्यापन-वर्ग के वेतन और भत्तों पर व्यय किया जाता रहा, जो कुल व्यय का 14·53 प्रतिशत था। तृतीय स्थान वजीफे, छात्रवृत्तियों तथा अन्य वित्तीय रियायतों को दिया गया, जिनका भाग कुल व्यय में 3·95 प्रतिशत था। भवनों के अनुरक्षण में 1·03 प्रतिशत, उपस्कर तथा फर्नीचर का अनुसरण पर 1·17 प्रतिशत, उपकरण तथा रासायनिक उपभोग भंडार में 1·22 प्रतिशत, पुस्तकालय में 0·54 प्रतिशत, खेलकूद में 0·44 प्रतिशत, छात्रावास में 0·39 प्रतिशत तथा अन्य मदों में 3·23 प्रतिशत भाग व्यय किया गया।

1985-86 में शिक्षकों के वेतन पर 71·82 प्रतिशत, गैर अध्यापन

वर्ग के वेतन और भत्तों पर 11·87 प्रतिशत व्यय किया गया। वजीफे, छात्रवृत्तियों तथा अन्य वित्तीय रियायतों के मद को छोड़कर अन्य सभी मदों के व्यय में उत्तरोत्तर कमी होती गयी।

अनावर्ती व्यय का अधिकांश भाग भवन पर खर्च हुआ। 1976-77 में इस मद पर कुल व्यय का 32·2 प्रतिशत भाग व्यय होता था, एक दशक पश्चात् अर्थात् 1985-86 में 74·1 प्रतिशत व्यय किया जाने लगा। 34·66 लाख रुपये भवन-निर्माण में 1976-77 में व्यय किये जाते थे। 1985-86 में 328·33 लाख रुपये व्यय किये गये, जो 1976-77 की तुलना में 9·47 गुना थे। पुस्तकालय मद में 1976-77 में 6·2 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता रहा। 1985-86 में इस मद पर केवल 2·96 प्रतिशत ही व्यय किया गया। उपस्कर मद में 1976-77 में 16·6 प्रतिशत भाग व्यय किया गया। 1983-84 में इस मद में केवल 14·6 प्रतिशत ही व्यय किया जा सका। फर्नीचर मद में 1976-77 में 19·9 प्रतिशत भाग व्यय किया गया, परन्तु 1985-86 में इस मद में मात्र 14·2 प्रतिशत ही स्थान मिल पाया। अन्य मदों में भवनों के बाद कुल व्यय का सर्वाधिक प्रतिशत व्यय किया गया, 1976-77 में यह प्रतिशत 25·1 प्रतिशत था, जो 1985-86 में 23·1 प्रतिशत रह गया।

अनावर्ती व्यय की मदों में सर्वाधिक व्यय भवनों पर, तत्पश्चात् अन्य मदों पर, उसके बाद फर्नीचर और उपस्कर में किया गया। व्यय का सबसे कम भाग पुस्तकालय मद में किया गया।

भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय -

भारत में 1950-51 में प्रत्यक्ष व्यय 2304·50 लाख रुपये था, जिसमें 84·57 प्रतिशत बालकों की शिक्षा पर तथा 15·43 प्रतिशत बालिकाओं की शिक्षा

पर व्यय किया गया है। बालक-बालिकाओं के व्यय का अनुपात 5:1 था। 1970-71 में यह व्यय बढ़कर 27000·01 लाख रुपया हो गया। व्यय में यह वृद्धि 11·7 गुना थी। 1970-71 में बालकों की शिक्षा में 82·97 प्रतिशत तथा बालिकाओं की शिक्षा में 17·03 प्रतिशत व्यय किया गया। बालक-बालिकाओं के व्यय का अनुपात 4:1 हो गया।

1979-80 में भारत में माध्यमिक शिक्षा पर प्रत्यक्ष व्यय 68502·16 लाख रुपये हो गया, जो 1950-51 की तुलना में 29·7 गुना है तथा 1950-51 और 1979-80 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 12·41 प्रतिशत रही है। जबकि उत्तर प्रदेश की 1950-51 से 1980-81 के मध्य औसत वार्षिक वृद्धिदर 12·32 प्रतिशत थी। अतः उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धिदर अखिलभारतीय मानक स्तर पर कम थी।

इकाई व्यय -

1946-47 में प्रति-विद्यालय औसत व्यय 43500 रू0, प्रति-शिक्षक 2396 रू0 तथा प्रति-छात्र 108 रू0 था। चार दशक बाद 1985-86 में प्रति-विद्यालय व्यय बढ़कर 430769 रू0, प्रति-शिक्षक 19575 रू0, तथा प्रति-छात्र 571 रू0 हो गया। इकाई व्यय में वृद्धि क्रमशः 9·90 गुना, 8·17 गुना तथा 5·29 गुना है। चार दशकों में सर्वाधिक वृद्धि प्रति-विद्यालय हुई है, उसके बाद प्रति-शिक्षक तथा तीसरा स्थान प्रति-छात्र का रहा है।

प्रबन्धानुसार प्रति-विद्यालय तथा प्रति-छात्र व्यय -

1950-51 में प्रति-विद्यालय औसत व्यय निजी संस्थओं का 37·06 हजार रुपये, राजकीय विद्यालयों का 66·63 हजार रुपये तथा स्थानीय निकायों

द्वारा संचालित विद्यालयों में 35·20 हजार रूपये रहा। प्रति-छात्र औसत व्यय, निजी, राजकीय तथा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों का क्रमशः 86 रूपये, 187 रू0 तथा 91 रूपये रहा।

1970-71 में निजी संस्थाओं का औसत प्रति-विद्यालय व्यय 80·47 हजार रूपये, राजकीय विद्यालयों का 153·01 हजार रूपये तथा स्थानीय निकाय के विद्यालयों का 73·61 हजार रूपये था। प्रति-छात्र औसत व्यय निजी, राजकीय तथा स्थानीय निकाय के विद्यालयों का क्रमशः 117 रू0, 256रू0तथा 125 रू0 रहा।

राजकीय विद्यालयों का प्रति-विद्यालय औसत व्यय अन्य प्रबन्धानुसार विद्यालयों की तुलना में सर्वाधिक रहा है तथा प्रति-छात्र औसतव्यय भी राजकीय विद्यालयों का सर्वाधिक रहा है।

भारत तथा उत्तर प्रदेश के मानक व्यय की तुलना -

भारत तथा उत्तर प्रदेश दोनों ही शिक्षकों के वेतन तथा भत्तों के मद को वरीयता प्रदान करते हैं,क्योंकि उत्तर प्रदेश द्वारा 1979-80 में 74·4 प्रतिशत इस मद पर खर्च किया गया,जबकि भारत ने भी इस मद पर 74·1 प्रतिशत खर्च किया।

गैर-अध्यापन-वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर भारत का मानक व्यय 11·9 प्रतिशत रहा है,जबकि उत्तर प्रदेश ने 15·0 प्रतिशत इस मद पर व्यय किये हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगभग 3 प्रतिशत अधिक व्यय किया गया।भवनों के अनुरक्षण पर भारत द्वारा 1·6 प्रतिशत व्यय किया गया,जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा इस मद पर मात्र 0·8 प्रतिशत ही व्यय किया गया।

उपस्कर तथा फर्नीचर के अनुरक्षण मद पर भारत द्वारा 0·7% व्यय किया गया। उत्तर प्रदेश द्वारा इस मद पर मात्र 0·5 प्रतिशत ही व्यय किया गया।

उपकरण तथा रासायनिक उपभोग भंडार मद में भारत का मानक व्यय 0·9 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश का मात्र 0·6 प्रतिशत है। पुस्तकालय मद पर भारत द्वारा 0·5 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है, जबकि उत्तर प्रदेश ने मात्र 0·2 प्रतिशत ही व्यय किया है।

वजीफे, रियायतें तथा छात्रवृत्तियों के मद पर भारत ने 3·2 प्रतिशत व्यय किया है। जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा 4·8 प्रतिशत व्यय किया गया है।

खेलकूद मद पर भारत का मानक व्यय 0·6 प्रतिशत रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ने मात्र 0·5 प्रतिशत ही व्यय किया है।

"अन्य मद" के व्यय में भारत सरकार द्वारा 5·5 प्रतिशत व्यय किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा 3·5 प्रतिशत व्यय किया गया।

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर राजस्व व्यय -

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर सन् 1951-52 में 168 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 22·6 प्रतिशत था। 1985-86 में 27596 लाख रूपये व्यय किये गये, जो कुल व्यय का 35·7 प्रतिशत है। 1951-52 की तुलना में 1985-86 में यह 164·3 गुना हो गया तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 16·19 प्रतिशत रही है।

शिक्षा-बजट तथा माध्यमिक शिक्षा-बजट -

1947-48 में सम्पूर्ण शिक्षा-बजट 41636700 रू0 था, जिसमें माध्यमिक

शिक्षा का बजट 11986800 रु0 था, जो कुल शिक्षा बजट का 28·79 प्रतिशत था।

चार दशक पश्चात् 1985-86 में कुल शिक्षा का बजट 6326485000 रूपये हो गया और माध्यमिक शिक्षा का बजट 2371014000 रु0 हो गया, जो कुल शिक्षा व्यय का 37·48 प्रतिशत है। 1947-48 की तुलना में कुल शिक्षा-बजट में 151·9 गुना वृद्धि हुई है तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 14·13 प्रतिशत थी। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा के बजट में वृद्धि 197·8 गुना है तथा औसत वार्षिक वृद्धिदर 14·93 प्रतिशत रही है।

आयोजनागत तथा आयोजनेतर व्यय -

1973-74 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में कुल व्यय में 88·79% आयोजनेतर पक्ष में तथा 11·21% व्यय आयोजनागत पक्ष में किया गया है। परन्तु आयोजनागत व्यय में लगातार कमी होती गयी है और 1987-88 में आयोजनागत पक्ष में मात्र 2 प्रतिशत ही व्यय किया गया है तथा आयोजनेतर पक्ष में 98 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है।

इक्कीसवीं सदी के लिये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का अनुमानित व्यय -

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर 1985-86 में 237 करोड़ रूपये व्यय हुए, यदि यह व्यय वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो 2001 में 1297 करोड़ रूपया हो जायेगा तथा 2005-06 में यह 2286 करोड़ रूपया हो जायेगा। माध्यमिक विद्यालयों की कुल-संख्या 1985-86 में 5667 है, जो 2001 में 7406 हो जायेगी तथा 2005-06 में यह 8097 हो जायेगी तथा प्रति-विद्यालय व्यय 2001 में 1751·3 हजार रूपये हो जायेगा। अध्यापकों की संख्या 2001 में 155913 हो जायेगी तथा प्रति-अध्यापक औसत व्यय 83·2 हजार रूपये हो जायेगा।

छात्रों की संख्या 2000-01 में 8281 हजार हो जायेगी तथा प्रति-छात्र व्यय 1566 रु० हो जायेगा।

पंचवर्षीय एवं जिला योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का वित्तीय प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं में योजना परिव्यय का बहुत ही कम भाग शिक्षा के लिये आबंटित किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का 11·78 प्रतिशत, द्वितीय योजना में 6·13 प्रतिशत, तृतीय योजना में 7·97 प्रतिशत, तीन वार्षिक योजनाओं में 2·72 प्रतिशत, चतुर्थ योजना में 4·83 प्रतिशत, पांचवीं योजना में 3·2 प्रतिशत, छठवीं योजना में 3·24 प्रतिशत तथा सातवीं योजना में 2·41 प्रतिशत शिक्षा हेतु आबंटित किया गया है। प्रथम पंचवर्षीय से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक लगातार शिक्षा परिव्यय के भाग में आबंटन की कमी होती गयी है। यह स्थिति अत्यन्त ही असंतोषप्रद है।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय का शिक्षा को 7·2 प्रतिशत, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 6·4 प्रतिशत, तृतीय में 7·9 प्रतिशत वार्षिक योजनाओं में 4·8 प्रतिशत, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 3·5 प्रतिशत, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 3·9 प्रतिशत, छठवीं पंचवर्षीय योजना में 1·5 प्रतिशत तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1·6 प्रतिशत आबंटित किया गया।

उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा-व्यय उत्तर प्रदेश में 14·72 गुना तथा भारत में 33·92 गुना बढ़ गया है परन्तु आनुपातिक दृष्टि से कुल योजना व्यय में वह धीरे-धीरे बहुत कम हो गया है। अखिल भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मानक शिक्षा-व्यय उत्तर प्रदेश के मानक व्यय से कम रहा है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों जैसे-कृषि, संचार, यातायात तथा उद्योग आदि की तुलना में शिक्षा को कम महत्ता प्राप्त हुई है।

सभी योजनाओं में पहली प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा को दी गयी। छठवीं

पंचवर्षीय योजना को छोड़कर कुल शिक्षा-व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक परिव्यय प्राथमिक शिक्षा को आबंटित किया गया है।

प्रथम योजना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु कुल योजना व्यय का 7 प्रतिशत, दूसरी योजना में 21 प्रतिशत तथा तीसरी योजना में 17 प्रतिशत आबंटित किया गया। वार्षिक योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का आबंटन 1/5 कर दिया गया। चौथी योजना में तीसरी योजना के आबंटन के बराबर 17 प्रतिशत ही रहा। पाँचवीं योजना में यह 28 प्रतिशत हो गया तथा छठवीं योजना में पिछली सभी योजनाओं से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। लेकिन सातवीं योजना में प्रारम्भिक शिक्षा का आबंटन बढ़ जाने के कारण माध्यमिक शिक्षा का आबंटन 19 प्रतिशत ही रह गया। विश्वविद्यालय शिक्षा की तुलना में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को वरीयता दी गयी और उसका आबंटन बढ़ाने का प्रयास होता रहा, जिसका घटना-बढ़ना प्रारम्भिक शिक्षा के आबंटन पर निर्भर करता रहा।

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा को क्रमशः 13 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 14 प्रतिशत तथा सातवीं योजना में 17 प्रतिशत आबंटन प्राप्त हुआ। भारतवर्ष की प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा को द्वितीय वरीयता प्राप्त हुई तथा शेष सभी पंचवर्षीय योजनाओं में तृतीय वरीयता प्राप्त हुई है। प्रारम्भिक शिक्षा ने केन्द्रीय योजना में भी प्रथम वरीयता प्राप्त की है।

उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा हेतु आबंटित धनराशि सदैव बढ़ती रही है। प्रथम योजना में यह सवा करोड़ रुपये थी। छठवीं योजना में यह 68.63 करोड़ रुपये हो गयी, जो प्रथम योजना की तुलना में 55 गुना अधिक है। लेकिन सातवीं योजना में यह 50.44 करोड़ रुपये थी, जो प्रथम योजना से 40 गुना अधिक है। अनुपात की दृष्टि से सभी योजनाओं में लगभग 1/5 पचांश

तथा 1/3 (तिहाई हिस्सा) हिस्सा प्राप्त करती हुई दिखलायी पड़ रही है अतएव माध्यमिक शिक्षा के आबंटन पर उचित ध्यान दिया गया है।

भारत की पंचवर्षीय योजनओं में माध्यमिक शिक्षा हेतु जो धनराशि आबंटित की गयी है, उसमें लगातार वृद्धि हुई है। प्रथम योजना में जहाँ इस पर 20 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था, वहीं सातवीं योजना में 420 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। जो प्रथम योजना की तुलना में 21 गुना अधिक है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु जो भी लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, वह समय और परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त हैं।

प्रथम योजना (1950-51) में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 987थी,जिसमें 833 बालकों के तथा 154 बालिकाओं के विद्यालय थे। सातवीं योजना के तीसरे वर्ष तक यह संख्या 5737 पहुँच गयी है , जो लगभग 6 गुना अधिक है। लक्ष्य से अधिक विद्यालय खोले गये हैं। 1950-51 में नामांकन 1·85 लाख था, जो 1987-88 में 27·61 लाख हो गया है। इसमें 15 गुना वृद्धि हुई है। प्रथम द्वितीय योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नामांकन लक्ष्य से अधिक था। चौथी और पाँचवीं योजना में हम अभीष्ट लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके। छठवीं तथा सातवीं योजना में नामांकन लक्ष्य की उपलब्धियाँ शत - प्रतिशत रही हैं। 1950-51 में शिक्षकों की संख्या 18 हजार थी, जो 1987-88 में 95 हजार हो गयी। यह उपलब्धि भी शत-प्रतिशत है।

जिला - योजनाएँ -

जिला-योजनाओं में सामान्य शिक्षा-परिव्यय में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कम प्रतिशत परिव्यय प्राप्त हुआ है। 1985-86 में यह मात्र 0·3 प्रतिशत था। 1989-90 में बढ़कर यह 1·90 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक शिक्षा-परिव्यय के

प्रतिशत भाग में वृद्धि की प्रवृत्ति पायी जा रही है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा-परिव्यय में भी वृद्धि हुई है। माध्यमिक शिक्षा-परिव्यय की राशि सन् 1989-90 में सन् 1985-86 की तुलना में 11·5 गुनी हो गयी है।

सन् 1985-86 में जिला-योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को कोई विशेष स्थान प्राप्त नहीं था, केवल दो ही योजनायें "बालचर प्रसार योजना" तथा "खेलकूदों की उन्नति तथा युवक कल्याण" स्थान प्राप्त कर सकीं थीं। जिनके लिये 600·3 हजार रूपये आबंटित किये गये थे। सन् 1986-87 में 13 योजनाओं को स्थान दिया गया, जिस हेतु 19941·4 हजार रूपये का परिव्यय आबंटित किया गया था। सन् 1989-90 में इन्हीं योजनाओं के लिये यह परिव्यय बढ़कर 68420·50 हजार रूपये हो गया।

"सहायक अनुदान प्रणाली"

पंचम अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, उत्तर प्रदेश (1987-88) की संक्षिप्त आख्या के अनुसार इस समय प्रदेश में सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 74·89 प्रतिशत, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 16·23 प्रतिशत, स्थानीय निकायों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1·7 प्रतिशत तथा असहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7·17 प्रतिशत अवस्थित हैं। प्रदेश के लगभग 3/4 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शासन द्वारा अनुदान प्राप्त करते हैं। विद्यालय आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों प्रकार का अनुदान प्राप्त करते हैं। सहायता अनुदान प्रणाली निजी उद्यमों द्वारा संचालित विद्यालयों के लिये मील का पत्थर सिद्ध हुई है।

स्वतंत्रता के पूर्व सहायता अनुदान प्रणाली कुछ विशेष मान्यताओं पर आधारित थी परन्तु स्वतंत्रता के बाद समयानुकूल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करके कर्मचारियों के वेतन में वार्षिक वृद्धि का तीन चौथाई और 3 प्रतिशत विकास अनुदान देने की व्यवस्था

की गई। तत्पश्चात् वेतन वितरण अधिनियम 1971 के आधार पर इन नियमों में परिवर्तन हुआ। मार्च 1973 में पुनः परिवर्तन किये गये। व्यय पर नियंत्रण हेतु 98.83 से सख्त सीमा लागू की गयी। अनावर्तक अनुदान में बालक विद्यालयों में राजकीय अनुदान एवं प्रबन्धकीय अंशदान का अनुपात 90:10 रखा गया है। बालिका विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

सन् 1950-51 में शासन दारा शिक्षा के लिये 9843670 रूपये अनुदान दिया गया, जो एक दशक बाद बढ़कर 33852889 रूपये हो गया, जो 1950-51 की तुलना में 3.4 गुना है। 1950-51 में शिक्षा के कुल अनुदान का 77.5 प्रतिशत भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को प्रदान किया गया। 1960-61 में केवल 77.1 प्रतिशत ही उच्चतर माध्यमिक संस्थायें अनुदान प्राप्त कर सकीं, जो आनुपातिक दृष्टि से कम है। परन्तु सापेक्ष धनराशि में वृद्धि हुई है, क्योंकि यह 7631068 रूपये से बढ़कर 26084474 रूपये हो गयी, जो 3.4 गुना है।

सन् 1973-74 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को आयोजनागत पक्ष में 9.51 प्रतिशत तथा आयोजनेतर पक्ष में 90.49 प्रतिशत धनराशि प्रदान की गयी। डेढ़ दशक बाद माध्यमिक विद्यालयों को दी जाने वाली सहायता में 13.82 गुना वृद्धि हुई है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1973-74 में प्रति-विद्यालय औसत अनुदान की राशि लगभग 50000 रूपये थी, जो 1987-88 में बढ़कर 4.81 लाख रूपये हो गयी। इस प्रकार प्रति-विद्यालय औसत अनुदान में 8.50 गुना वृद्धि हुई है।

"माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का वृत्त-इतिहास"

माध्यमिक शिक्षा परिषद् -

स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा-परिषद् की आय सन् 1926-27 में

196929 रुपये थी, जो 1946-47 में बढ़कर 862881 रुपये हो गयी। सन् 1926-27 की तुलना में आय की यह वृद्धि 4·3 गुना थी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् पर 1926-27 में होने वाला व्यय 169324 रुपये था, जो 1946-47 में बढ़कर 681640 रुपये हो गया। 1926-27 की तुलना में व्यय में यह वृद्धि 4·0 गुना थी।

माध्यमिक शिक्षा-परिषद् की आय 1976-77 में राज्य सरकार द्वारा 10738563 रुपये, शुल्क द्वारा 40395792 रुपये तथा अक्षयनिधि एवं अन्य स्रोतों द्वारा 1594073 रुपये थी, जिनका कुल आय में प्रतिशत क्रमशः 20·37, 76·61 तथा 3·02 था। सन् 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा 8006778 रुपये, शुल्क द्वारा 54997878 रुपये तथा अक्षयनिधि एवं अन्य स्रोतों द्वारा 20163611 रुपये की आय होती थी, जिनका कुल आय में प्रतिशत क्रमशः 9·63, 66·13 तथा 24·24 था। सन् 1976-77 में माध्यमिक शिक्षा-परिषद् की कुल आय 52728428 रुपये थी, जो 1985-86 में बढ़कर 83168267 रुपये हो गयी, जो 1976-77 की तुलना में 1·5 गुना है।

सन् 1947-48 में माध्यमिक शिक्षा-परिषद् पर कुल व्यय 972368 रुपये था, जो लगभग चार दशकों के पश्चात् 1985-86 में 83168267 रुपये हो गया। व्यय में यह वृद्धि 85·5 गुना थी।

सन् 1976-77 में वेतन एवं भत्तों पर परिषद् द्वारा कुल व्यय की 13·44 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी, जबकि 1985-86 में इस मद पर व्यय की जाने वाली धनराशि का कुल व्यय में प्रतिशत बढ़कर 18·20 हो गया। भवनों के अनुरक्षण पर 1976-77 में कुल व्यय का 0·03 प्रतिशत व्यय किया गया, जबकि 1983-84 में बढ़कर 0·05 हो गया। माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अन्य मदों पर 1976-

77 में कुल व्यय की 86·53 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी। 1985-86 में इस मद में कुल व्यय की 81·80 प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी।

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय -

इस विद्यालय में आय का मुख्य स्रोत शुल्क है। शुल्क से प्राप्त होने वाली आय सन् 1981-82 में 8055 रूपये थी, जो 1986-87 में बढ़कर 16416·77 रूपये हो गयी। आय की यह वृद्धि 1981-82 की तुलना में 2·04 गुना थी। इसके बाद शुल्क से प्राप्त हाने वाली आय में कमी हुई तथा सन् 1988-89 में 10580·56 रूपये रह गयी।

इस विद्यालय का सन् 1981-82 में कुल व्यय 118891 रूपये था। जिसमें 56·4 प्रतिशत शिक्षिकाओं के वेतन, 24·4 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन, 2·2 प्रतिशत कार्यालय-व्यय, 0·7 प्रतिशत यात्रा-व्यय, 10·1 प्रतिशत भवन-किराया तथा 8·4 प्रतिशत विज्ञान उपकरण पर व्यय हुआ। सन् 1988-89 में यह व्यय बढ़कर 317742 रूपये हो गया, जिससे 79·4 प्रतिशत शिक्षिकाओं के वेतन, 21·8 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन, 2·0 प्रतिशत कार्यालय-व्यय, 1·4 प्रतिशत यात्रा-व्यय, 3·8 प्रतिशत भवन-किराया, 1·4 प्रतिशत विज्ञान उपकरण तथा 0·2 प्रतिशत छात्र-वृत्तियों पर व्यय हुआ।

इस विद्यालय में 1981-82 में प्रति-शिक्षिका व्यय 13210 रूपये था, जो 1988-89 में बढ़कर 28886 रूपये हो गया। इस प्रकार प्रति-शिक्षिका औसत व्यय में 2·19 गुना वृद्धि हुई। प्रति-छात्रा सन् 1981-82 में औसत व्यय 400 रूपये था जो 1983-84 में 940 रूपये हो गया, जो 1981-82 की तुलना में 2·35 गुना है।

ब्रह्म विज्ञान इण्टर कालेज -

इस संस्था की आय 1967-68 में कुल 10623 रूपये थी, जिसमें 34·6 प्रतिशत राज्य सरकार से तथा 65·4 प्रतिशत शुल्क से प्राप्त होती थी। सन् 1987-88 में इस संस्था की आय बढ़कर 394678 रूपये हो गयी, जिसमें 93·1 प्रतिशत राज्य सरकार से तथा 6·9 प्रतिशत शुल्क से प्राप्त होती है। सन् 1967-68 की तुलना में 1987-88 में इस संस्था की आय 37·1 गुना हो गयी।

इस संस्था पर 1967-68 में कुल व्यय 6952 रूपये होता था, जिसका 88 प्रतिशत अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन पर, 8·5 प्रतिशत शिक्षण सामग्री पर तथा 3·5 प्रतिशत पुस्तकालय पर व्यय किया जाता था। 1987-88 में इस संस्था की व्यय-राशि बढ़कर 420193 रूपये हो गयी। व्यय में यह वृद्धि 1967-68 की तुलना में 60·4 गुना है।

इस संस्था में सन् 1967-68 में प्रति-शिक्षक औसत व्यय 993 रूपये था, जो 1987-88 में बढ़कर 23344 रूपये हो गया। यह 1967-68 की तुलना में 23·5 गुना है। इसी प्रकार प्रति-छात्र औसत व्यय सन् 1967-68 में 30 रूपये था, जो 1987-88 में बढ़कर 620 रूपये हो गया। इस प्रकार प्रति-छात्र औसत व्यय 1987-88 में 1967-68 की तुलना में 20·6 गुना हो गया।

प्रस्तुत शोध का योगदान -

नीति-निर्धारण, सुनियोजन एवं विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आवश्यक आंकड़ों और आधार-सामग्री का अत्यन्त महत्व है। उत्तर प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-वित्त से सम्बन्धित जो आंकड़े यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं, जिनका उल्लेख तथा उपयोग कहीं भी नहीं हो पाया है, उनको क्रमबद्ध वर्गीकृत

करके सारणीकृत किया गया है तथा उनका अर्थपूर्ण तार्किक विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गये हैं। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था का प्रभाव उसकी प्रगति पर दर्शाया गया है। शिक्षा-वित्त की प्रवृत्तियों के ज्ञान को स्पष्ट करते हुए यह शोध उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर उसके प्रभाव को परिलक्षित करेगी, जिससे वित्त-व्यवस्था को संतुलित, सुदृढ़ और युक्तियुक्त बनाने में सहायता मिलेगी तथा इस शिक्षा के त्वरित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। यह शिक्षा और वित्त के ज्ञान के भंडार में वृद्धि करेगी तथा नीति-नियामकों, प्रशासकों, योजना-निर्माताओं और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के वित्त-प्रबन्धकों को एक नयी दिशा देगी तथा आधार-सामग्री सिद्ध होगी। यही इस शोध-कार्य का विशेष योगदान होगा।

:: सुझाव ::

इस अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इनके क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ तथा संतुलित हो सकेगी। ऐसे बच्चे जिनका जन्म आज होगा, इस सदी के अन्त तक अपनी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर चुके होंगे। वे ऐसे संसार में कदम रखेंगे, जो मानव के इतिहास में अद्वितीय होगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर उत्तरोत्तर अधिक ध्यान देने और परिणामतः प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर अधिकाधिक छात्रों के स्थानान्तरण में वृद्धि के कारण माध्यमिक शिक्षा पर दबाव पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं है, परन्तु वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए उसे समाप्य ﴾टरमिनल﴿ बनाना होगा।

﴾1﴿ स्वतंत्रता के पश्चात् उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में संख्यात्मक विकास अधिक हुआ है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अतएव संख्यात्मक वृद्धि के साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

§2§ जिस अनुपात में नामांकन बढ़ा है, उस अनुपात में न तो विद्यालय खोले गये और न ही शिक्षकों की नियुक्तियाँ की गयीं हैं। शिक्षक-छात्र-अनुपात काफी बढ़ गया है। अतएव शिक्षकों की अधिकाधिक नियुक्तियाँ कर शिक्षक-छात्र-अनुपात कम किया जाय।

§3§ बालिका विद्यालय अधिकाधिक खोले जाँय। शिक्षिकाओं की नियुक्ति अधिक संख्या में की जाय। बालिकाओं की शिक्षा पिछड़ी हुई है अतएव अधिक धन व्यय किये जाने की आवश्यकता है।

§4§ उत्तर प्रदेश में शैक्षिक व्यवस्था स्वाभाविक रूप से बड़ी ही व्यय साध्य है। अतएव शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई व्यय के किसी मानक को आधार मानकर धनराशि के आबंटन की एक पद्धति तैयार की जानी चाहिए, तभी सभी क्षेत्रों को समुचित लाभ मिलेगा तथा प्राथमिकताओं के निर्धारण में विषमताएँ उत्पन्न नहीं होंगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 10 प्रतिशत शिक्षा में निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा सेना करती है, उसी प्रकार देश की आन्तरिक सुरक्षा शिक्षा करती है।

वित्तीय साधनों के बढ़ाने के उपाय -

§1§ शिक्षा अब समवर्ती सूची में है अतएव केन्द्र को उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या, राज्य की प्रति-व्यक्ति आय तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में प्रति-छात्र में होने वाले व्यय को मानक मानकर अधिकाधिक अनुदान प्रदान करना चाहिए। केन्द्र का यह अनुदान उसके आय-व्ययक में लेखा शीर्षक के अन्तर्गत अंकित होना चाहिए।

§2§ राज्य सरकार को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर अपने शिक्षा बजट का कम से कम 40 प्रतिशत आबंटन अवश्य करना चाहिए।

§3§ कृषि आय पर कर लगाया जाय, जिसका उपयोग केवल माध्यमिक शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था, विकास तथा गुणात्मक सुधार के लिये किया जाय।

§4§ शासन द्वारा प्रति दशक में वित्तीय सर्वेक्षण कराया जाय। जिसकी आख्या प्राप्त होने पर समुचित सुझावों के क्रियान्वयन में ढीलापन न किया जाय।

§5§ माध्यमिक शिक्षा संसाधन आयोग की स्थापना की जाय, जो माध्यमिक शिक्षा हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर समग्रता से विचार करें।

§6§ शिक्षा उपकर लगाया जाय।

§7§ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय वहन करने का अनुपात 2 : 3 हो।

§8§ प्रबन्ध समितियों को सरकार विद्यालय के विकास के लिये ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान करें और ऋण की अदायगी आसान किश्तों पर ली जाय।

§9§ स्थानीय निकायों को उपयुक्त कानून द्वारा प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में माध्यमिक शिक्षा हेतु अंशदान प्रदान करने हेतु आश्वस्त करना चाहिए।

§10§ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रचलित शुल्क-दरों का मंहगाई के साथ मानकीकरण करके शुल्क-वृद्धि की जाय। विकास-शुल्क को और अधिक बढ़ा दिया जाय।

§11§ धर्मस्व की धनराशि आज की मंहगाई तथा राज्य-आय के मानकों के आधार पर बढ़ा दी जाय।

(1.2) "फाउन्डेशन फार टेक्स्ट बुक एण्ड टीचिंग" की स्थापना की जाय। जिसके शेयर अभिभावकों तथा अध्यापकों को दिये जाँय। इस प्रकार शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि के बराबर की धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों से ली जाय।

(1.3) माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध सभी विभागों से है और उसका लाभ भी सभी विभागों को मिलता है, अतएव सभी विभागों के बजट का एक निश्चित अनुपात शिक्षा के इस सेक्टर के लिये निर्धारित कर दिया जाय।

(1.4) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लाभ का 5 प्रतिशत भाग उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय किया जाय।

(1.5) विद्या-दान को आयकर से मुक्त रक्खा जाय।

(1.6) स्थानीय समुदायों को शिक्षकोत्तर लागत का पूरे या एक अंश को वहन करना चाहिए।

व्यय को अधिक सार्थक बनाने के उपाय -

संसाधन जुटाना तथा उनका कारगर ढंग से प्रयोग करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

(1) शासन को एक माध्यमिक शिक्षा वित्त आयोग स्थापित करना चाहिए, जो धन के गलत इस्तेमाल तथा बर्बादी का पता लगाये और किफायत से धन खर्च करने की योजना बनाये।

(2) उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विकास, प्रसार तथा उन्नयन के लिये आवश्यक है कि योजनागत व्यय में अधिक धनराशि शासन द्वारा मुहैया करायी जाय।

(3) इस स्तर की शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिये उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा वजीफे एवं वित्तीय रियायतों पर अधिक धनराशि खर्च की जाय।

(4) आयोजनेतर व्यय अधिक हो रहा है, इस-लिये योजनागत व्यय में वृद्धि की जानी चाहिए।

(5) आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय में एक निश्चित अनुपात होना चाहिए।

(6) शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अधिक धनराशि व्यय की जाय।

(7) राजकीय विद्यालयों तथा निजी अभिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में प्रति-विद्यालय, प्रति-छात्र तथा प्रति-शिक्षक व्यय में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए।

(8) अन्य मदों के व्यय में कटौती करके उपकरणों, प्रयोगशालाओं तथा पुस्तकालय के मरम्मत आदि में व्यय किया जाय।

(9) जनपद में एक कामन प्रयोगशाला स्थापित की जाय, जिससे गरीब छात्र अथवा ऐसे विद्यालय जिनके पास उपकरण आदि उपलब्ध नहीं हैं, लाभ उठा सकें।

योजनाओं में वित्त-वितरण -

(1) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर हेतु एक दीर्घ कालिक (पर्सपेक्टिव) योजना तैयार की जानी चाहिए, जिससे इन पंचवर्षीय योजनाओं तथा जिला-योजनाओं का तालमेल होता चले।

§2§ माध्यमिक शिक्षा हेतु आबंटित धनराशि का प्रतिशत बढ़ाया जाय।

§3§ जिला योजनाओं में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु और अधिक धनराशि उपलब्ध करायी जाय।

§4§ प्रतिबद्ध व्यय इतना अधिक बढ़ गया है कि राज्य के पास विकास के लिये बहुत कम बचता है अतः केन्द्रीय शासन प्रतिबद्ध व्यय के लिये कुछ धन आबंटित करे।

§5§ संस्थागत नियोजन को महत्ता प्रदान की जाय।

सहायक अनुदान प्रणाली -

§1§ अनावर्तक अनुदान शत-प्रतिशत प्रदान किया जाय।

§2§ अनावर्तक अनुदान की प्रति अर्ह यूनिट की धनराशि बढ़ायी जाय।

§3§ राज्य में "माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग" स्थापित किया जाय, जो प्रत्येक संस्था की आवश्यकता के अनुरूप अनुदान प्रदान करे।

§4§ उपकरण खरीदने के लिये अधिकाधिक अनुदान प्रदान किया जाय।

§5§ अनुदान का भुगतान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही कर दिया जाना चाहिए, ताकि उसका समुचित उपयोग हो सके।

§6§ विद्यालय को प्रारम्भ से ही अनुदानित कर दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपना शैक्षिक स्तर ऊँचा बनाये रक्खे।

व्यक्तिगत संस्थाओं के वित्त में अधिक कुशलता लाने के उपाय -

§1§ ये विद्यालय बुन्देलखंड के पिछड़े भाग में स्थित हैं, अतएव इन्हें शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाय।

§2§ बहुत सी ऐसी लाभ-अर्जक योजनाएँ हैं, जिनका आयोजन विद्यालय कर सकता है, उदाहरण के लिये बसों का परामट माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को दिया जाय और बस चलाने से होने वाली आय संस्था के उन्नयन एवं विकास पर व्यय की जाय।

§3§ छात्र स्वयं उत्पादन करें और अपने व्यय-हेतु उसका कुछ अंश उपयोग करें।

§4§ शिक्षा-उन्नयन-निधि को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाय। जन-प्रतिनिधियों दानशील तथा धनाढ्य व्यक्तियों से उचित धनराशि प्राप्त की जाय।

§5§ शिक्षकों के लिये निधियाँ औसत दैनिक उपस्थिति के आधार पर मंजूर की जांय।

भावी शोध-कार्य हेतु सुझाव

इस अनुसंधान से कुछ ऐसे विषयों का संकेत मिलता है, जिन पर विस्तृत शोध की जा सकती है -

§1§ उत्तर प्रदेश में सहायक अनुदान प्रणाली का उद्भव, विकास और गुण-दोष।

§2§ भारत में माध्यमिक शिक्षा की वित्त-व्यवस्था।

§3§ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वित्तीय व्यवस्था।

§4§ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों की इकाई लागत।

§5§ स्वातंत्र्योत्तर उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था।

§6§ माध्यमिक शिक्षा और उत्पादकता।

§7§ माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय रियायतों का अध्ययन।

§8§ आयोजनेतर तथा आयोजनागत व्यय का विश्लेषणात्मक अध्ययन।

§9§ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लागत-गुणता अध्ययन।

-x-x-x-x-

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची तथा परिशिष्ट

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

अग्रवाल, जे0सी0 — नयी शिक्षा नीति
दिल्ली : प्रभात प्रकाशन, 1986

अग्निहोत्री, रवीन्द्र — आधुनिक भारतीय शिक्षा - समस्याएँ और समाधान
जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1987

अल्तेकर, ए0एस0 — प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति
वाराणसी : नन्द किशोर एन्ड संस, 1979

अदावल, सुबोध एवं अन्य — भारतीय शिक्षा की समस्याएँ तथा प्रवृत्तियाँ
लखनऊ : उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1976

काबरा, उम्मेदराम — नयी शिक्षा नीति, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन
अजमेर : कृष्णा ब्रदर्स, 1987

कोहली, वी0के0 — भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ
आम्बाला शहर : विवेक पब्लिशर्ज, 1988

खुल्लर, के0के0 — राष्ट्रीय शिक्षा नीति
नयी दिल्ली : विज्ञापन एवं दृश्य प्रसार निदेशालय, 1988

गीता देवी, — उत्तर भारत में शिक्षा-व्यवस्था
इलाहाबाद : इण्डियन प्रेस, (पब्लिकेशन) प्राइवेट लिमिटेड, 1980

चौबे, सरयूप्रसाद — हमारी शिक्षा समस्यायें
आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर, 1983

त्रिपाठी, दीनबन्धु — उत्तर प्रदेश का भूगोल
कानपुर : किताब घर, 1967

पान्डेय, रामशकल — राष्ट्रीय शिक्षा
आगरा : विनोद पुस्तक मन्दिर, 1987

पान्डेय, रामशकल तथा अन्य — भारतीय शिक्षा की समस्यायें
आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पुस्तक प्रकाशक, 1974

पान्डेय, जयनारायण — भारत का संविधान
इलाहाबाद : सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, 1976

फारे, एडगर — आजीवन शिक्षा, शिक्षा जगत् आज और कल
भोपाल : मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 1974

प्रकाश, श्री — भारतीय शिक्षा की समस्याएँ
नयी दिल्ली : मीनाक्षी प्रकाशन, 1986-87

मदन मोहन एवं सारस्वत — भारतीय शिक्षा का विकास
इलाहाबाद : कैलाश प्रकाशन, 1972

मल्होत्रा, पी0एल0 — भारत में विद्यालयी शिक्षा; वर्तमान स्थिति और भावी आवश्यकताएँ
नयी दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1986

मिश्र, आत्मानन्द — शिक्षा का वित्त प्रबन्धन
कानपुर : ग्रन्थम, 1976

मिश्र, माधवी — उत्तर प्रदेश में शिक्षा
लखनऊ : मनोहर प्रकाशन, 1972

मिश्र, विद्यासागर — भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ
इलाहाबाद: आलोक प्रकाशन, 1976

मुखोपाध्याय, श्रीधर नाथ — भारतीय शिक्षा का इतिहास
बड़ौदा : आचार्य बुक डिपो, 1961

रावत, प्यारे लाल — भारतीय शिक्षा का इतिहास
आगरा : यूनिवर्सल पब्लिशर्स, 1987

वशिष्ठ एवं शर्मा — भारतीय शिक्षा की नयी दिशा
मेरठ : लायल बुक डिपो, 1987

सिन्हा, एच0सी0 — शैक्षिक अनुसंधान
नयी दिल्ली : विकास पबिलशिंग हाउस, 1979

सिंह, राघव प्रसाद — भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका
लखनऊ : हिन्दी साहित्य भंडार, 1959

सूर, रमणीकांत तथा दुबे — भारतीय शिक्षा का इतिहास (अंग्रेजों के समय से)
इलाहाबाद : किताब महल, 1957

सैयदेन, के0जी0 — शिक्षा की पुनर्रचना (प्राब्लेम्स आफ इजूकेशन रिकान्स्ट्रक्शन, अनुवादक, मुनीश सक्सेना)
दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 1960

शर्मा, आर0ए0 — शिक्षा-अनुसंधान
मेरठ : लायल बुक डिपो, 1985-86

शिक्षा-कोश

गाबा, ओम प्रकाश — सामाजिक विज्ञान-कोश
दिल्ली : आर0बी0 पब्लिशिंग हाउस, 1984

गाबा, ओम प्रकाश — राजनीति विज्ञान-कोश
दिल्ली : आर0बी0 पब्लिशिंग हाउस, 1985

जायसवाल, सीताराम — शिक्षा विज्ञान-कोश
दिल्ली : राजकमल

मिश्र, आत्मानन्द — शिक्षा-कोश
कानपुर : ग्रन्थम, 1977

बुल्के, फादरकामिल — अंग्रेजी-हिन्दी-कोश
नयी दिल्ली : एस0 चाँद एन्ड संस, 1986

शिक्षा-परिभाषा-कोश
नयी दिल्ली : शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 1977

शासकीय प्रतिवेदन -

§क§ **केन्द्रीय** -

"भारत का संविधान"
नयी दिल्ली : भारत सरकार, 1950

"भारत" 1985
नयी दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 1987

"शिक्षा की चुनौती" नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य
नयी दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 1985

पंचवर्षीय योजनाएँ, §प्रथम से सप्तम तक§
नयी दिल्ली : योजना आयोग, भारत सरकार

§ख§ <u>राज्य</u> -

शिक्षा की प्रगति, 1955
उत्तर प्रदेश : शिक्षा विभाग

शिक्षा की प्रगति 1960 तथा 1961
उत्तर प्रदेश : शिक्षा पत्रिका विभाग
शिक्षा संचालक कार्यालय

शिक्षा की प्रगति 1965 से 1988-89
इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय

अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, प्रथम से चतुर्थ §1957, 1965-66, 1973-74 तथा 1978-79§
उत्तर प्रदेश : शिक्षा विभाग

पंचम् अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण §संक्षिप्त§ 1987
उत्तर प्रदेश : शिक्षा विभाग 1989

उत्तर प्रदेश "वार्षिकी" 1986-87
उत्तर प्रदेश : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 1988

पंचवर्षीय योजनाएँ §प्रथम से सप्तम् तक§
उत्तर प्रदेश शासन : नियोजन विभाग

विकेन्द्रित नियोजित प्रणाली के अन्तर्गत जारी शासनादेशों का संकलन
उत्तर प्रदेश : राज्य योजना आयोग, 1986

योजनागत विकास
उत्तर प्रदेश शासन सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

जिला सेक्टर योजनावार परिव्यय §1985 - 1990§
उत्तर प्रदेश शासन : नियोजन विभाग

जिला योजना निर्देशिका (माध्यमिक)
लखनऊ : शिक्षा निदेशालय

शिक्षा - संहिता उत्तर प्रदेश, 1958
इलाहाबाद : राजकीय मुद्रण तथा
लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, 1959

माध्यम अंक - 4
इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय,

उत्तर प्रदेश तथा भारतवर्ष की शैक्षिक तुलनात्मक
सांख्यिकी
इलाहाबाद : राज्य शिक्षा संस्थान, 1987

प्रगति के चार दशक, (1947-57, 1957-67,
1967-77)
उत्तर प्रदेश शासन : सूचना एवं
जनसम्पर्क विभाग

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, महिला समिति की आख्या
इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय

सांख्यिकी - सारांश, 1985-86
लखनऊ : राज्य नियोजन संस्थान

परीक्षाफल एक दृष्टि में 1988 हाई स्कूल एवं इन्टर-
मीडिएट परीक्षा
इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश, 1988

राज्यों में शिक्षा के आँकड़े (1975-76 से 1985-86)
इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय

शिक्षा विभाग का कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (1975-
76 से 1989-90)
उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

वित्तीय सर्वेक्षण आख्या (बाँदा जनपद) 1987
उत्तर प्रदेश शासन : शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्री जी की बजट-भाषण सामग्री
उत्तर प्रदेश शासन : शिक्षा विभाग

बजट - परिचय (1989-90)
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश शासन 1985-86 से 1989-90 तक के आय व्ययक
लखनऊ : निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन 1985-86 की राजस्व एवं पूँजी लेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान
निदेशक, मुद्रण-लेखन सामग्री, उ0प्र0

वित्तीय प्रशासनिक एवं शैक्षिक व्यवस्था
उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय

राज्य आयोजनागत तथा केन्द्र दारा पुरोनिधानित योजनाओं पर वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में हुए व्यय के समाधानित आँकड़ों के विवरण-पत्र
उत्तर प्रदेश : राज्य नियोजन विभाग

राज्य आय अनुमान 1970-71 से 1986-87
उत्तर प्रदेश, अर्थ एवं जनसंख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूप-रेखा 1950-51 से 1988-89
उत्तर प्रदेश शासन : वित्त विभाग

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 1986-87
उत्तर प्रदेश शासन : अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 1980-81 से 1987-88
उत्तर प्रदेश शासन : अर्थ एवं संख्या प्रभाग

प्रतिवेदन, द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग
इलाहाबाद : अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 1980

पत्र-पत्रिकाएँ -

शिक्षा विवेचन
नयी दिल्ली : भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय

योजना
नयी दिल्ली : योजना भवन

साहित्य परिचय (विशेषांक)
आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर

शिविरा पत्रिका
बीकानेर : शिक्षा विभाग, राजस्थान

कल्याण (शिक्षांक), संख्या - 1, वर्ष - 62
गोरखपुर : गीता प्रेस

अमृत प्रभात (दैनिक)
इलाहाबाद

स्वतंत्र भारत (दैनिक),
लखनऊ

साप्ताहिक हिन्दुस्तान,
नयी दिल्ली : हिन्दुस्तान टाइम्स प्रकाशन

-x-x-x-x-

BIBLIOGRAPHY

Adaval, S.B. — The Third Indian Year Book of Education, New Delhi: N.C.E.R.T., 1968.

Aggarwal, J.C. — Development and Planning of Modern Education, New Delhi: Vikas Publishing House, 1985.

Aggarwal, J.C. — Education in India, Policies Performance and Development, New Delhi: DOBA House, 1989.

Aggarwal, Y.P. — Better Sampling, New Delhi: Sterling Publisher, 1988.

Aggarwal, J.C. — Educational Administration Inspection and Financing, New Delhi: Arya Book Depot.

Altekar, A.S. — Education in Ancient India, Varanasi: Manohar Prakashan.

Ansari, M.M. — Education and Economic Development, New Delhi: A.O.I.U., 1987.

Anderson, Duston and Others. — Thesis and Assignment Writing, New Delhi: Wiley Eastern Limited,1970.

Ary, Donald and Others. — Introduction to Research in Education New York: Holt Rinehart and Winston, 1972.

Azad, Jagdish Lal. — Financing of Higher Education, New Delhi: Sterling Publisher,1975.

Basu, B.D. — Education in India under the rule of East India Company, Culcutta: Modern Review Office.

Best, W. John. — Research in Education, New Delhi: Prentice Hall of India, 1982.

Baxter and Others. — Economics and Education Policy A reader, London: Longman Group Limited, 1977.

Benerjee Premanathan. — Indian Finances in the days of Company, London: Macmillan and Company, 1928.

Bhargava, M.L. — History of Secondary Education in Uttar Pradesh, Lucknow: Superintendent, Printing and Stationary, U.P., 1958.

Bhatnagar, R.P. and Others — Educational Administration, Meerut: Loyal Book Depot, 1986.

Biswas, Arbind and Others — Indian Education Documents Since Independence, New Delhi: Academic Publishers, 1971.

Bruke, Arvid. J. — Financing Public Schools in the United States (Revised), New York: Harper and Row Publishers, 1957.

Buch, M.B. — A Survey of Research in Education, Baroda: Centre of Advanced Study in Psychology and Education, 1974.

Buch, M.B. — Second Survey of Research in Education (1972-78), Baroda: Society for Education Research and Development, 1979.

Buch, M.B. — Third Survey of Research in Education (1978-83), New Delhi: N.C.E.R.T., 1987.

Butler, Lord — Survival depends on Higher Education, New Delhi: Vikas Publication, 1971.

Burgers, W.R. — Trends in School Costs. Russell Sage, Foundation, 1933.

Chaubey, S.P. — Secondary Education for India, New Delhi: Atma Ram and Sons, 1956.

Casr, W.G. — School Finance, Standard University Press, 1933.

Coombs, P.H.	What is Educatiional Planning, Paris: UNESCO, 1979.
Cooper, A.J.	National Survey of School Finances Washington: D.C. Amercian Council for Education, 1933.
Corabally, John. E.(Jr.)	School Finance, Boston: Allyn and Becon,. 1962
Desai, P.B.	Planning in India, (1951-78), New Delhi: Vikas Publishing House, 1979.
Dutta, U.C.	Educational Survey of Uttar Pradesh, Allahabad: The Indian Press (Publisher), 1957.
Ebel, R.L.	Encyclopedia of Educational Research, London: Macmillan Co., 1969.
Engelhart, Max, D.	Methods of Educational Research, Chieago: Rond Menally and Company, 1972.
Galfo, J. Armond	Interpretting Educational Research, Dubuque: Lowa, Wm. C. Brown Company Publisher.
Goel, S.C.	Educational and Economic Growth in India, Delhi: The Macmillan Company of India, 1975.
Gore, M.S.	Education and Modernisation in India, Jaipur: Rawat Publication, 1982.
Grams, I. Walter and Others	School Finance Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1978.
Guieford, J.P.	Fundamental Statistics in Psychology and Education, London: Mac Graw Hill Book Company, 1956.
Hegde, Ramkrishna	Planning and State Rights Karnataka; Government of Karnataka.

Henary, Sharp. East India Company Charter Act of 1813, Delhi: Manager, Publication, Government of India.

Howell, A.P. Education in British India Prior to 1854 and in 1870-71, Calcutta: Government Printing, 1872.

Jaffar, S.M. Education of Muslim in India, 1000-1800 B.C., Delhi: Idrah-1, Adobiyat-1, Dell.

Jha, Sambhu Nath Secondary Education, its principles, curriculum and reorganisation, Allahabad: The Indian Press (Publication), 1960.

John, R.L. and Morphet E.L. The Economics and Financing of Education, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1969.

Keay, F.E. Ancient Indian Education, New Delhi: Cosmo Publications, 1980.

Kerlinger, F.N. Foundation of Behavioural Research, Delhi: Surjeet Publication, 1978.

Khanna, S.D., Saxena, V.K. and Others Educational Administration Planning and Financing, New Delhi: DOBA House, 1989.

Kaul, Lokesh Methodology of Educational Research, New Delhi: Vani Educational Book, 1984.

Kohal, Kenneth and Others Financing College Education, New York: Harper and Row Publisher, 1980.

Krishnmachari, V.T. Planning in India, New Delhi: Longman's

Kripal, Prem A Decade of Education in India, Delhi: Indian Book Company, 1968.

Kumar, Girija and Others Bibliography, New Delhi: Vikas Publishing House, 1981.

Lal, Mohan — Recent trends in Secondary Education, Delhi: Arya Book Depot, 1973.

Law, Narendra Nath — Promotion of Learning in India during Mohammadans rule, London: Longman's Green and Company.

Lindquist, E.F. — Statistical Analysis in Educational Research, Calcutta: Oxford and I.B.H. Publishing Company, 1968.

Malcolm, S. Adiseshiah — Indian Education in 2001, New Delhi: N.C.E.R.T., 1975.

Mathew, E.T. — University Finances in India, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited 1980.

Mishra, Atmanand — Financing Education in India, Allahabad: Garg Brothers, 1959.

Mishra, Atmanand — Educational Finance in India, Bombay: Asia Publishing House, 1962.

Mishra, Atmanand — The Financing of Indian Education, Bombay: Asia Publishing House, 1967.

Mishra, Atmanand — Education and Finance, Gwalior: Kailash Sadan, 1967.

Mishra, Atmanand — Grant in Aid . System of Education in India, Delhi: Macmillan and Company of India, 1973.

Mishra, Jagannath and Sinha, R.K. — Financing of State Plan, New Delhi: Sterling Publisher, 1984.

Mohanty, J. — Indian Education in the Emorging Society, New Delhi: Sterling Publisher, 1986.

Moreland, W.H. — India at the death of Akabar, London: Macmillan Company.

Mukerjee, R.K. — Ancient Indian Education, Varanasi: Nand Kishor and Sons, 1945.

Mukherjee, S.N. Education in India, Today and tomorrow, Vadodara: Acharya Book Depot, 1976.

Mukherjee, S.N. Secondary Education in India, New Delhi: Orient Longman, 1972.

Mukherjee, S.N. Administration of Education Planning and Finance, Baroda: Acharya Book Depot, 1970.

Murti, S.K. Contemporary Problems and Current Trends in Education, Ludhiyana: Prakash Brothers, 1979.

Naik, J.P. Selection from Educational Records (1860-87), Delhi: Manager Publications, 1963.

Naik, J.P. Educational Planning in India, Bombay: Allied Publishers, 1965.

Naik, J.P. Education in the Fourth Plan, Bombay: Nachiketa Publications, 1968.

Naik, J.P. Equality, Quality and Quantity, Bombay: Allied Publishers, 1975.

Nurullah and Naik A History of Education in India during British Period, Delhi: Macmillan and Company.

Pandit, H.N.(Edited) Measurement of Cost Productivity and efficiency of Education, New Delhi: N.C.E.R.T., 1969.

Padamnabhan, C.B. Economics of Educational Planning in India, New Delhi: Arya Book Depot, 1971.

Pal, S.K. and Saxena, P.C. Quality Control in Educational Research, New Delhi: Metsopolian Book Company, 1985.

Pinto Marina Federalism and Higher Education, Hyderabad: Orient Longman Limited, 1984.

Punchmukhi, P.R. Alternatives in Education, Bombay: Himalayan Publishing House, 1987.

Prakash, Sri Educational System of India, Delhi: Concept Publishing Company, 1977.

Purkait, B.R. New Education in India, Amballa Cantt: The Associated Publishers, 1987.

Raza, Moonis Educational Planning in India, New Delhi: Concept Publishing House, 1986.

Rai, V.K.R.V. Education and Human Resource Development, Delhi: Allied Publisher, 1966.

Rizvi, F.H. Financing of Higher Education in less-developed countries Aligarh: Muslim University, 1960.

Saxena, Sateshwari Education Planning in India, New Delhi: Sterling Publisher, 1977.

Saiyidin, K.G. The Fourth Indian Year Book of Education, New Delhi: N.C.E.R.T., 1973.

Schultz, W. Theodore The Edonomic Value of Education, New York: Columbia University Press.

Sharma, M.L. Educational Reconstruction in Uttar Pradesh, Agra: Kranchaisan and Company.

Shah, A.B. Educational Finance, Bombay: Indian Committee for Cultural and Freedom, 1966.

Saini, Shiva Kumar Development of Education in India, New Delhi: Cosmo Publication, 1980.

Sarkar, S.C. Educational Ideals and Institution in Ancient India, Patna: Janaki Prakashan, 1971.

Sharma, G.D. and Mridula. Economics of College Education, New Delhi: A.I.I.U., 1982.

Sial, B.S. Education in Uttar Pradesh, Lucknow: Maya Prakashan, 1981.

Singh, Baljeet Investment In Education, Meerut: Meenakshi Prakashan, 1968.

Shukla, P.D. Administration of Education in India, New Delhi: Vikas Publishing House, 1983.

Tewari, D.D. Primary Education in Uttar Pradesh, Allahabad: Ram Narain Lal, Beni-madho Lal, 1967.

Upadhyaya, Deendayal, The Two Plans Promises Performance Prospects, Lucknow: Rashtra Dharma Prakashan, 1958.

Verma, M. An introduction to educational and Psychological research, Bombay: Asia Publishing House, 1965.

Vaizey, John Cost of Education, Ruskin: Allen and Unurin, 1964.

Vaizey, John and Others Resource for Education, Ruskin: George Allen and Unurin.

Vakil, K.S. and Others Education in India, Bombay: Allied Publishers.

Visvesvaraya, S.M. Planned Economy for India, Bangalore: Bangalore Press, 1934.

Waheed, A. The Education of Muslim in India, Peshawar: Islamia Colleg.

Youngman, Michall, B. Analysing Social and Educational Research Data, London: Mac Graw Hill Book Company.

DICTIONARIES :

Allee, John gage — Webster's Dictionary, Washington: The Library Press, 1958.

Bannock, Graham — The Penguin Dictionary of Education England: Middlesex-1981.

Daintith, John — Dictionary of Economics, New Delhi: Arnold, Heinemann.

Gondhaleker, S.B. — Synoptical Glossary of Education, Poona: The Royal Book Stall.

Good, Carter V. — Dictionary of Education, New York: McGraw Hill Book Company, Third Edition, 1973.

Hanson, J.L. — A Dictionary of Economic and Commerce, London: Pitman Publishing Limited.

Hills, P.J. — A Dictionary of Education, London: Routledge and Kegam paue-1982.

Thomas, J.B. and Others — International Dictionary of Education London: The English Language Book Society, 1979.

CENTRAL GOVERNMENT REPORTS, RECORDS, COMMISSIONS, COMMITTEES AND POLICIES

COMMISSIONS :

Indian Education Commission 1882-83, Calcutta: Government Printing, 1882.

Report of the Calcutta University Commission. Delhi: Manager of Publications, 1919.

Report of the University Education Commission. New Delhi: Government of India, 1950.

Report of the Secondary Education Commission.
New Delhi: Ministry of Education
Government of India, 1952.

Report of the Education Commission, National Development.
New Delhi: Ministry of Education
Government of India, 1966.

Report of Finance Commission, 1958 to up to date.
New Delhi: Ministry of Finance
Manager of Publications.

National Commissions on Teacher - I,
New Delhi: Government of India.

COMMITTEES :

Report of the Committee on the Ways and Means of Financing Educational Development in India.
New Delhi: Ministry of Education, 1950.

Report of the Local Finance Enquiry Committee,
Delhi: Manager of Publications, 1951.

Chand, Tara, Committee on Secondary Education in India,
New Delhi: Ministry of Education, 1948.

Nand, Sampurna, Committee on National Integration of Education.
Delhi: Manager of Publications, 1962.

Committee for the Integration of Post Basic and Multipurpose Schools, 1957,
Delhi: Ministry of Education.

Report on the National Committee on Women Education,
New Delhi: Ministry of Education, 1959.

Committee on Religious and Moral Instruction,
New Delhi: Ministry of Education, 1960.

Report on the Committee on Differentiations of Curricula for Boys and Girls, New Delhi: Ministry of Education, 1964.

Report on Science Education in Secondary School Committee on Plan Projects. New Delhi: Ministry of Education, 1964.

POLICIES : (EDUCATION)

Resolution on Education Policy, New Delhi: Government of India, 1904.

Resolution on Education Policy, New Delhi: Government of India, 1913.

Report of the Committee of Members of Parliament on Education. National Policy on Education, 1968. New Delhi: Government of India, 1968.

National Education Policy, New Delhi: Lok Sabha Secretariate, 1984.

National Policy on Education, 1986. New Delhi: Ministry of Human Resource Development, 1986.

Programme of Action; National Policy on Education, 1986. New Delhi: Ministry of Human Resource Development, 1986.

OTHER REPORTS AND PUBLICATIONS :

All India Education Survey I, II, III, and IV, New Delhi: N.C.E.R.T.

The Indian Year Book of Education I and II, New Delhi: N.C.E.R.T.

Constitution of India,
Delhi: Manager Publications, Government of India.

Educational Statistics of India 1947-48,
New Delhi: Ministry of Education,1950.

Postwar Educational Development in India,
Delhi: Manager of Publications, 1944.

Education in in Eighteen Years of Freedom,
Delhi: Ministry of Education, 1965.

Five Year PlansI toVII
New Delhi: Planning Commission of India.

Fifth all India Educational Survey, Selected Statistics
New Delhi: N.C.E.R.T., 1989.

Economic Survey 1979 to 1989
New Delhi: Ministry of Finance of India.

Educational Statistics at a Glanace,
New Delhi: A.O.I.U. 1987.

Basic Statistic Relating to Indian Economy, 1950-51 to 1979-80.
New Delhi: Ministry of Planning, 1981.

Financing of Education, (1955). A comparative study,
Geneva: International Bureau of Education, 1955.

Educational Development in India, 1971-72,
New Delhi: Ministry of Education, 1977.

Annual Report 1985-86,
New Delhi: Ministry of Education, Government of India, 1987.

Survey Report on Educational Administration, Uttar Pradesh,
New Delhi: N.E.P.A., 1976.

A.I.R. 1978, S.C.
Nagpur: All India Reporter Limited, 1978.

Education in India, 1950-51.
New Delhi: Ministry of Education, 1954.

Education in India, 1955-56,
New Delhi: Ministry of Education, 1958.

Education in India, 1960-61,
New Delhi: Ministry of Education, 1966.

Education in India, 1965-66,
New Delhi: Ministry of Education, 1973.

Education in India, 1970-71,
New Delhi: Ministry of Education, 1976.

Education in India, 1975-76,
New Delhi: Ministry of Education, 1978.

Education in India, 1979-80,
New Delhi: Ministry of Human Resource and Development, 1987.

Education in the states 1950-51 to 1962-63,
New Delhi: Ministry of Education

UTTAR PRADESH GOVERNMENT REPORTS, COMMITTEE AND OFFICIAL PUBLICATIONS

Report of the International Education Committee,
Allahabad: Superintendent, Government Press 1927.

Report on the Reorganization of Secondary Education in The United Province (R.S. Weir Report)
Allahabad: Government Printing and Stationary, U.P.(INDIA), 1936.

Report of District Board Education Finance Committee,
Allahabad: Superintendent Printing and Stationary, 1937.

Report of the Primary and Secondary Education,
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary, 1939.

A Plan of Postwar Educational Development in the Education Department of United Province,
Allahabad: Superintendent Printing and Stationary, 1944.

Reorganization of Education in the United Province, Primary and Secondary Department of Education.
Allahabad: Superintendent Printing and Stationary, 1947.

Report on the Secondary Education Reorganization Committee Uttar Pradesh 1953 (Acharya Narendra Deo Committee),
Lucknow: Superintendent Printing and Stationary, U.P.(INDIA), 1953.

Report of Secondary Education Committee, 1961.
Lucknow: Superintendent, Printing and Stationary, U.P.(INDIA), 1964.

General Report on the Education 1936-37 to 1947-50.
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary, Uttar Pradesh.

Annual Report on the Progress of Education in U.P. Part-I and II 1950-51 to 1962-63.
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary, U.P.

Quinquennial Review of Education in the United Province for the year 1917-22, 1922-27, 1927-32, 1932-37, 1937-42 and 1942-47.
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary.

The Education Code of Uttar Pradesh, 1958 (Revised Edition).
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary, U.P. 1963.

Board of High School and Intermediate Uttar Pradesh, Calender 1962-63.
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary U.P.

Basic Statistics Relating to Uttar Pradesh Economy (1950-51 to 1979-80).
Lucknow: State Planning Institute Economics and Statistics. Division, 1981.

Educational Survey Report of Uttar Pradesh Rural Area.
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary, 1962.

FIVE YEAR PLAN AND ANNUAL PLAN :

Progress Review of First Five Year Plan (1951-56).
Lucknow: Planning Department, 1957.

Progress Review of Second Five Year Plan (1956-61).
Lucknow: Planning Department, 1963.

Third Five Year Plan (1961-66) A Draft Valume I (1960).
Lucknow: Superintendent, Printing and Stationary.

Third Five Year Plan, Valume II (Statement).
Lucknow: Planning Deptt.

Draft, Annual Plan (1968-69).
Lucknow: Planning Department, 1969.

Draft Annual Plan (1969-70).
Lucknow: Planning Department (1970).

Fourth Five Year Plan (1969-74).
Lucknow: Planning Department, 1968.

Draft Fifth Five Year Plan, Volume I (1974-79). Lucknow: Planning Department, 1976.

Draft Five Year Plan (1978-83) and Annual Plan 1979-80 Volume III (Sectoral Review). Lucknow: Planning Department.

Sixth Five Year Plan (1980-85) Volume I, II and III, Lucknow: Planning Department,

Budget Manual, Government of Uttar Pradesh, Roorkee: Superintendent, Printing and Stationary, U.P.

Statement of Expenditure on the Scheme Included in the First Five Year Plan of Uttar Pradesh. Lucknow: Superintendent, Printing and Stationary, 1955.

Interstate Comparative Statistics 1985. Lucknow: Economics and Statistics Division, State Planning Institute.

Third Five Year Plan of General Education (Target and Provision). Uttar Pradesh: Department of Education, 1961.

Annual Plan 'Education' 1984-85, Uttar Pradesh: Directorate of Education, 1983.

Draft Seventh Five Year Plan (1985-90) and Annual Plan 1985-86 'Education'. Uttar Pradesh: Directorate of Education.

Annual Plan 'Education' 1986-87 to 1989-90, Uttar Pradesh: Directorate of Education.

Draft Annual Plan 1988-89 Volume I, II and III. Lucknow: Planning Department, 1987.

Annual Plan 1889-90 District Plan (Plains Area). Lucknow: Planning Department, 1988.

Annual Report of the State of Uttar Pradesh 1963-64.
Allahabad: Superintendent, Printing and Stationary.

PERIODICALS AND NEWS PAPERS :

Education, Quarterly,
New Delhi: Ministry of Education and Serial Welfare.

Indian Education Review
New Delhi: N.C.E.R.T.

Journal of Indian Education
New Delhi: N.C.E.R.T.

N.I.E. Journal
New Delhi: N.C.E.R.T.

Progress of Education
Pune: Vidyarathi Grah Prakashan.

Quest in Education,
Bombay: Gandhi Shiksha Bhawan.

Education Quarterly
Lucknow: Department of Education Government of Uttar Pradesh.

'University News'
New Delhi: A.O.I.U.

RESEARCH PAPERS :

Apte, D.G. — 'Cheaper Education', Published in 'Educator' 6(4) Oct. 1952, Page - 210-18.

Bhargava, M.L. — Origin, Growth and Development of Grant in Aid System in U.P. Part I,II and III, Published in 'shiksha' U.P. Government Magazine of 1956 and 1957.

Desai, M.K. — The Financial aspect of our Education Published in "Progress of Education" 29(3) Oct. 1954, Page- 85-86.

Mishra, A.N. — Financial Policy in Education, Published in 'Shiksha' U.P. Government Journal 1960 Page - 73-78.

Mishra A.N. — Financing of Secondary Education, Published in Fourth Indian Year Book of Education 1973, Page-870-881.

Malviya, K.N. — The Achievement of the First (1951-56) and Second Five Year Plan, Published in Shiksha 10(9) Jan.1958, Page - 172-77.

Padmnabhan, C.B. — Economic Consideration in Planning Education in Developing Countries Published N.I.E. Journal 2(6) J 1968, Page - 60-62.

Punch Mukhi, P.R. — Educational Finance in India, N.I.E. (J) 2(6) J 1960,Page-22-25.

Sikk, O.P. — Some Suggestions for Financing Education in India. 'Indian Education' 6(5-6) Ap, May 1967, Page - 4-20.

Singh, Harbhajan — An analysis of some aspect of Higher Secondary School Costs and their relationship to quality of Education, Indian Educational Review 2(2) 1967, Page- 81-89.

-x-x-x-x-

वित्तीय सारिणी - 1

उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का बजट तथा सम्पूर्ण शिक्षा-बजट में माध्यमिक शिक्षा-प्रतिशत

§रूपयों में§

क	वर्ष	शिक्षा के लिए सम्पूर्ण बजट §रूपयों में§	माध्यमिक शिक्षा के लिए बजट §रूपयों में§	कुल बजट में माध्यमिक शिक्षा के बजट का प्रतिशत
	1947-48	4,16,36,700	1,19,86,600	28·79
	1948-49	5,31,92,700	1,41,77,300	26·65
	1949-50	6,90,04,600	1,67,55,600	24·28
	1950-51	7,37,44,200	1,65,95,000	22·50
	1951-52	7,37,17,900	1,77,92,800	24·14
	1952-53	8,10,16,400	1,91,04,900	23·58
	1953-54	8,53,63,800	2,04,70,900	23·98
	1954-55	9,46,46,500	2,12,67,000	22·47
	1955-56	10,20,16,500	2,35,46,400	23·08
)-	1956-57	10,67,72,200	2,41,71,600	22·64
1-	1957-58	12,41,46,000	2,88,97,500	23·28
2-	1958-59	12,88,71,500	3,16,05,300	24·52
3-	1959-60	12,89,12,400	2,82,68,500	21·93
4-	1960-61	13,35,56,200	3,36,10,200	25·17
5-	1961-62	16,85,70,300	4,15,92,500	24·67
6-	1962-63	19,76,34,500	4,73,03,300	23·93
7-	1963-64	20,75,45,500	4,95,45,700	23·87
8-	1964-65	22,43,06,100	5,35,92,400	23·89
9-	1965-66	26,90,36,700	6,53,67,800	24·30
20-	1966-67	41,90,10,600	10,47,77,800	25·01

वित्तीय सारिणी -1 क्रमशः -------

क्रमांक	वर्ष	शिक्षा के लिए सम्पूर्ण बजट (रूपयों में)	माध्यमिक शिक्षा के लिए बजट (रूपयों में)	कुल बजट में माध्यमिक शिक्षा के बजट का प्रतिशत
21-	1967-68	45,68,20,700	11,80,33,400	25·84
22-	1968-69	51,66,85,300	14,38,30,100	27·84
23-	1969-70	72,82,26,200	18,79,87,000	25·81
24-	1970-71	67,88,61,000	18,24,37,500	26·87.
25-	1971-72	78,73,50,600	22,40,34,000	28·45
26-	1972-73	94,28,24,200	22,78,64,500	24·17
27-	1973-74	1,10,26,80,600	25,53,04,000	23·15
28-	1974-75	1,63,52,94,500	40,41,87,300	24·72
29-	1975-76	1,95,85,08,100	48,13,29,500	24·58
30-	1976-77	2,00,52,79,100	50,38,54,800	25·13
31-	1977-78	2,23,44,91,600	60,54,11,300	27·09
32-	1978-79	2,31,36,37,600	67,97,50,600	29·38
33-	1979-80	2,68,54,98,000	81,90,37,000	30·50
34-	1980-81	3,21,30,05,000	94,44,30,000	29·40
35-	1981-82	3,16,24,15,000	1,04,64,79,000	33·09
36-	1982-83	3,74,81,66,000	1,24,32,34,000	33·17
37-	1983-84	4,52,73,30,000	1,58,31,52,000	34·97
38-	1984-85	4,83,59,25,000	1,79,69,30,000	37·18
39-	1985-86	6,32,64,85,000	2,37,10,14,000	37·48
40-	1986-87	7,76,33,66,000	2,90,93,26,000	37·47

स्रोत - "शिक्षा की प्रगति"(सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

वित्तीय सारिणी - 2

माध्यमिक शिक्षा-नियोजन-व्यय का कुल शिक्षा-नियोजन-व्यय में प्रतिशत

क्रमांक	वर्ष	शिक्षा नियोजन व्यय	माध्यमिक शिक्षा नियोजन व्यय	शिक्षा नियोजन में माध्यमिक शिक्षा नियोजन का व्यय-प्रतिशत
1-	1960-61	3,87,41,000	63,67,000	16·43
2-	1961-62	4,26,35,900	64,94,200	15·23
3-	1962-63	6,18,96,900	1,09,76,200	17·73
4-	1963-64	7,17,15,600	1,20,37,200	16·78
5-	1964-65	11,28,33,300	2,14,74,900	19·03
6-	1865-66	16,55,67,200	3,20,95,900	19·39
7-	1966-67	4,11,16,200	1,03,58,000	25·19
8-	1967-68	5,57,44,000	1,27,98,900	22·96
9-	1968-69	6,70,23,700	1,08,00,300	16·11
10-	1969-70	6,56,79,900	84,11,900	12·81
11-	1970-71	7,04,19,200	82,87,800	11·77
12-	1971-72	12,43,07,900	1,64,81,100	13·26
13-	1972-73	17,22,51,800	1,77,26,500	10·29
14-	1973-74	44,44,43,100	2,70,01,300	6·08
15-	1974-75	11,05,48,800	1,65,61,000	14·98
16-	1975-76	10,34,35,700	1,73,32,000	16·76
17-	1976-77	14,42,19,800	2,49,44,200	17·30
18-	1977-78	19,60,73,500	4,12,20,000	21·02
19-	1978-79	26,57,14,500	5,24,23,000	19·73
20-	1979-80	6,95,50,000	1,03,86,000	14·93

वित्तीय सारिणी - 2 क्रमशः ----

क्रमांक	वर्ष	शिक्षा नियोजन व्यय	माध्यमिक शिक्षा नियोजन व्यय	शिक्षा नियोजन में माध्यमिक शिक्षा नियोजन का व्यय-प्रतिशत
21-	1980-81	15,44,66,000	2,81,18,000	18·20
22"	1981-82	21,40,16,000	4,44,42,000	20·77
23-	1982-83	26,11,20,000	5,97,32,000	22·88
24-	1983-84	32,17,49,000	6,51,96,000	20·26
25-	1984-85	43,06,11,000	8,70,60,000	20·22
26-	1985-86	29,63,42,000	48,22,000	01·63

स्रोत - शिक्षा की प्रगति, (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

वित्तीय सारिणी - 3

उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर राजस्व व्यय (वास्तविक)

(लाख रुपयों में)

क्रमांक वर्ष	प्राथमिक-शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	विशेष शिक्षा	अन्य शिक्षा	योग
1- 1951-52	350	168	66	43	116	743
2- 1955-56	422	241	99	97	163	1022
3- 1956-57	457	251	107	89	332	1236
4- 1960-61	602	356	122	95	601	1776
5- 1961-62	1195	524	210	140	304	2373
6- 1962-63	1214	577	242	150	366	2549
7- 1963-64	1336	634	279	159	397	2805
8- 1965-66	2002	1058	435	220	753	4468
9- 1968-69	2704	1522	566	294	983	6069
10-1969-70	3512	1822	546	314	1077	7271
11-1970-71	3643	1792	581	335	1174	7525
12-1971-72	4849	2450	667	328	1252	9546
13-1972-73	6148	3148	940	82	557	10875
14-1973-74	6386	3159	1008	84	2368	13005
15-1974-75	9467	5460	1276	125	642	16970
16-1975-76	11466	6106	1641	193	782	20188
17-1976-77	10226	7151	2079	269	994	20719
18-1977-78	11619	8102	2744	289	1018	23772
19-1978-79	12755	8051	2776	399	1427	25408
20-1979-80	12823	9850	2913	426	1428	27440

वित्तीय सारिणी - 3 क्रमशः -------

क्रमांक वर्ष	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	विशेष शिक्षा	अन्य शिक्षा	योग
21-1980-81	17145	10972	3434	541	1409	33501
22-1981-82	18829	13800	4329	679	1581	39218
23-1982-83	23360	16898	4928	732	3162	49080
24-1983-84	26501	20080	5472	978	3127	56158
25-1984-85	33694	23361	6110	1156	3221	67542
26-1985-86	38002	27596	7453	839	3430	77320
27-1986-87	44423	29988	6846	970	3885	86112
28-1987-88	45653	35883	7747	914	4733	94930

स्रोत- उत्तर प्रदेश आय-व्ययक की रूपरेखा {सम्बन्धित वर्षों की} लखनऊ, वित्त विभाग

वित्तीय सारिणी - 4

स्वतंत्रता के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद् का आय-व्यय

{रूपयों में}

क्रमांक	वर्ष	वास्तविक प्राप्ति	वास्तविक व्यय	बचत
1-	1926-27	1,96,929	1,69,324	27,605
2-	1927-28	2,21,103	1,94,577	26,526
3-	1928-29	2,42,409	2,12,679	29,730
4-	1929-30	2,06,218	2,38,593	--
5-	1930-31	2,22,020	2,16,350	6,670
6-	1931-32	2,39,818	2,11,904	27,914
7-	1932-33	2,62,805	2,24,095	38,710
8-	1933-34	2,95,978	2,40,144	55,834
9-	1934-35	3,02,391	2,51,593	50,798
10-	1935-36	3,12,273	2,67,367	44,906
11-	1936-37	3,27,066	2,83,754	43,312
12-	1937-38	3,44,337	2,69,194	75,143
13-	1938-39	3,49,687	2,76,666	70,021
14-	1939-40	3,76,166	2,65,568	1,10,598
15-	1940-41	4,15,338	2,97,833	1,17,505
16-	1941-42	4,50,061	3,32,728	1,17,333
17-	1942-43	4,37,787	3,48,879	88,908
18-	1943-44	5,26,500	3,77,336	1,49,163
19-	1944-45	5,91,054	4,66,747	1,24,307
20-	1945-46	6,35,111	6,19,242	65,869
21-	1946-47	8,62,881	6,81,640	1,81,241

स्रोत - स्टेटमेन्ट -2 - फाइनेन्स कमेटी, इन्टरमीडिएट बोर्ड उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

वित्तीय सारिणी - 5

माध्यमिक-शिक्षा परिषद्-व्यय

(सन् 1947-48 से 1985-86 तक)

वर्ष	व्यय (रूपयों में)
1947-48	9,72,368
1948-49	11,83,054
1949-50	19,36,456
1950-51	21,63,269
1951-52	31,81,157
1952-53	35,01,006
1953-54	48,01,299
1954-55	48,99,684
1955-56	56,72,700
1956-57	60,43,013
1957-58	61,31,965
1958-59	61,16,031
1959-60	70,07,989
1960-61	71,95,125
1961-62	86,62,199
1962-63	92,53,500
1965-66	1,04,48,470
1970-71	1,32,28,500
1975-76	4,48,86,722
1976-77	5,27,28,428
1977-78	5,35,16,942

वित्तीय सारिणी - 5 क्रमशः ------

वर्ष	व्यय (रूपयों में)
1978-79	5,34,03,028
1979-80	6,01,63,913
1980-81	6,66,31,835
1981-82	6,43,57,971
1982-83	6,61,26,315
1983-84	7,27,38,946
1984-85	8,00,12,832
1985-86	8,31,68,267

स्रोत - 'इजूकेशन इन इन्डिया' (सम्बन्धित वर्षो की) नयी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

वित्तीय सारिणी - 6

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर आयोजनेतर तथा आयोजनागत व्यय का प्रतिशत

{सन् 1962-63 से 1985-86 तक}

वर्ष	शिक्षा-स्तर	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
1962-63	उच्च शिक्षा	70·31	29·69	100
	माध्यमिक शिक्षा	81·17	18·83	100
	प्राथमिक शिक्षा	74·54	25·46	100
1967-68	उच्च शिक्षा	81·25	18·75	100
	माध्यमिक शिक्षा	91·53	8·47	100
	प्राथमिक शिक्षा	93·80	6·20	100
1968-69	उच्च शिक्षा	81·94	18·06	100
	माध्यमिक शिक्षा	93·42	6·58	100
	प्राथमिक शिक्षा	90·17	9·83	100
1973-74	उच्च शिक्षा	81·20	18·80	100
	माध्यमिक शिक्षा	88·79	11·21	100
	प्राथमिक शिक्षा	68·33	31·67	100
1974-75	उच्च शिक्षा	92·70	7·30	100
	माध्यमिक शिक्षा	97·22	2·78	100
	प्राथमिक शिक्षा	94·96	5·04	100
1975-76	उच्च शिक्षा	93·72	6·28	100
	माध्यमिक शिक्षा	96·53	3·47	100
	प्राथमिक शिक्षा	90·58	9·42	100

वित्तीय सारिणी - 6 क्रमशः -----

वर्ष	शिक्षा-स्तर	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
1976-77	उच्च शिक्षा	94·83	5·17	100
	माध्यमिक शिक्षा	96·53	3·47	100
	प्राथमिक शिक्षा	92·42	7·58	100
1977-78	उच्च शिक्षा	90·98	9·02	·100
	माध्यमिक शिक्षा	95·54	4·46	100
	प्राथमिक शिक्षा	92·36	7·64	100
1978-79	उच्च शिक्षा	89·72	10·28	100
	माध्यमिक शिक्षा	93·78	6·22	100
	प्राथमिक शिक्षा	88·66	11·34	100
1979-80	उच्च शिक्षा	98·07	1·93	100
	माध्यमिक शिक्षा	99·13	0·87	100
	प्राथमिक शिक्षा	97·07	2·93	100
1980-81	उच्च शिक्षा	92·70	7·30	100
	माध्यमिक शिक्षा	97·88	2·12	100
	प्राथमिक शिक्षा	96·67	3·33	100
1981-82	उच्च शिक्षा	93·97	6·03	100
	माध्यमिक शिक्षा	96·93	3·07	100
	प्राथमिक शिक्षा	95·62	4·38	100
1982-83	उच्च शिक्षा	84·31	15·69	100
	माध्यमिक शिक्षा	96·23	3·77	100
	प्राथमिक शिक्षा	95·52	4·48	100

वित्तीय सारणी - 6 क्रमशः ------

वर्ष	शिक्षा-स्तर	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
	उच्च शिक्षा	93·94	6·06	100
1983-84	माध्यमिक शिक्षा	96·19	3·81	100
	प्राथमिक शिक्षा	95·22	4·78	100
	उच्च शिक्षा	89·37	10·63	·100
1984-85	माध्यमिक शिक्षा	94·56	5·44	100
	प्राथमिक शिक्षा	92·23	7·77	100
	उच्च शिक्षा	94·72	5·28	100
1985-86	माध्यमिक शिक्षा	99·37	0·63	100
	प्राथमिक शिक्षा	93·50	6·50	100

स्रोत- शिक्षा विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (सम्बन्धित वर्षों की) लखनऊ, उत्तर प्रदेश शासन

वित्तीय सारिणी - 7

जनपदवार/सेक्टरवार परिव्यय (मैदानी) सामान्य शिक्षा

(रू0 हजारों में)

जनपद	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1- आगरा	5,100	5,735	6,234	6,848	5,456
2- अलीगढ़	2,450	3,429	4,860	6,775	6,092
3- एटा	2,740	5,632	7,086	7,029	10,883
4- मैनपुरी	2,326	2,528	3,257	2,994	2,972
5- मथुरा	1,967	3,252	4,276	4,240	3,887
(1) योग-आगरा मंडल	14,583	20,606	25,713	27,886	29,290
6- झाँसी	2,440	1,987	2,122	3,200	2,377
7- ललितपुर	2,630	2,658	3,417	4,418	4,814
8- हमीरपुर	3,434	4,799	8,409	8,770	9,159
9- बाँदा	3,307	6,238	9,435	8,285	8,072
10- जालौन	4,378	6,940	7,467	8,625	6,863
(2) योग-झाँसी मंडल	16,189	22,622,	30,850	33,298	31,285
11- लखनऊ	3,361	4,872	6,625	6,943	7,390
12- रायबरेली	4,371	4,464	5,935	5,685	7,464
13- हरदोई	5,253	10,412	11,263	11,563	9,379
14- उन्नाव	6,630	6,270	8,281	7,868	8,400
15- सीतापुर	5,748	6,154	6,503	8,367	9,774
16- खीरी	3,360	3,733	11,219	9,972	8,919
(3) योग-लखनऊ मंडल	28,723	35,905	49,826	50,398	51,326

। सारिणी -7 क्रमशः -----

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
बरेली	3,596	5,386	5,302	5,248	6,147
बदायूँ	3,530	4,797	5,431	5,910	6,768
पीलीभीत	1,533	2,107	3,681	2,497	4,877
शाहजहाँपुर	3,595	4,738	5,008	4,787	3,515
योग-बरेली मंडल	12,254	17,028	19,422	18,442	21,307
मेरठ	2,038	3,025	5,767	5,592	3,792
गाजियाबाद	2,561	2,561	3,782	4,144	2,958
बुलन्दशहर	5,931	5,931	8,036	4,450	6,851
सहारनपुर	3,231	4,320	4,034	3,381	5,411
मुजफ्फरनगर	3,178	4,944	8,580	8,251	9,370
योग-मेरठ मंडल	15,825	20,781	30,249	25,818	28,382
मुरादाबाद	4,038	5,076	9,363	9,006	7,955
रामपुर	2,245	3,808	4,926	5,248	6,044
बिजनौर	4,531	5,599	6,122	6,628	7,566
योग-मुरादाबाद मंडल	10,814	14,483	20,411	20,882	21,565
वाराणसी	4,679	6,256	6,925	11,000	9,261
गाजीपुर	4,255	5,369	6,991	6,525	7,708
बलिया	4,463	8,678	10,227	9,715	9,004
जौनपुर	3,336	4,888	4,802	6,911	9,419
मिर्जापुर	5,862	7,864	9,909	7,365	6,234
योग-वाराणसी मंडल	22,595	33,055	38,854	41,516	41,626

रणी - 7 क्रमशः -----

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	
पुर	5,126	8,287	11,130	12,346	10,455	
	6,113	11,272	14,638	15,454	9,682	
त्या	5,200	7,412	8,114	9,418	7,131	
मगढ़	7,600	9,808	10,571	9,996	11,580	
-गोरखपुर ल	24,039	36,779	44,453	47,214	38,848	
हाबाद	7,994	9,293	8,744	8,642	इलाहाबाद	8,754
हपुर	2,381	3,911	5,529	5,058	फतेहपुर	5,874
पुर नगर	5,290	8,138	5,749	8,385	प्रतापगढ़	7,344
पुर देहात	5,153	8,405	9,154	10,451	योग - इलाहाबाद मंडल	21,972
खाबाद	3,039	2,969	7,427	9,122	कानपुर (नगर)	3,610
वा	2,230	3,241	3,673	6,517	कानपुर (देहात)	10,387
ा- इलाहाबाद मंडल	26,087	35,997	40,276	48,175	फर्रुखाबाद	9,218
					इटावा	4,539
ाबाद	5,075	6,452	7,587	12,687		
ापगढ़	6,355	6,157	7,259	7,662	योग - कानपुर मंडल	27,754
तानपुर	6,898	12,422	14,570	12,075	फैजाबाद	6,772
डा	4,844	6,204	8,836	9,186	सुल्तानपुर	13,484
राबंकी	2,528	3,666	7,665	8,439	गोंडा	8,782
हराइच	3,191	5,454	5,543	6,823	बाराबंकी	8,989
					बहराइच	6,370
योग-फैजाबाद मंडल	28,891	40,355	51,460	56,872	योग- फैजाबाद मंडल	44,297
पूर्ण (मैदानी क्षेत्र)	2,00,000	2,77,611	3,51,514	3,70,501		3,57,651

जिला/सेक्टर योजनावार परिव्यय (सम्बन्धित वर्षो की) उ0प्र0 शासन, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग

वित्तीय सारिणी - 8

प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों के अन्तर्गत योजनावार व्यय एवं उनका प्रतिशत

(लाख रूपयों में)

धि	प्राथमिक शिक्षा	माध्यमिक शिक्षा	उच्च शिक्षा	अन्य शिक्षा	योग
ोजना	1271	125	43	368	1807
-56)	(70)	(7)	(3)	(20)	(100)
योजना	841	297	175	118	1431
;-61)	(59)	(21)	(12)	(8)	(100)
योजना	2949	741	494	287	4471
1-66)	(66)	(17)	(11)	(6)	(100)
योजनाएं	732	240	230	29	1231
6-69)	(60)	(20)	(18)	(2)	(100)
योजना	3791	990	638	282	5701
9-74)	(67)	(17)	(11)	(5)	(100)
योजना	5005	2590	1264	545	9404
4-79)	(53)	(28)	(14)	(5)	(100)
ोजना	9254	6863	3058	1886	21061
0-85)	(44)	(33)	(15)	(8)	(100)
योजना	17446	5044	1866	2244	26600
5-90)	(65)	(19)	(7)	(9)	(100)

- कोष्ठक के अन्दर व्यय का प्रतिशत दर्शाया गया है।

- सातवीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना (1988-89), उत्तर प्रदेश, नियोजन विभाग, पृष्ठ-144, तालिका-2 तथा 3

वित्तीय सारिणी - 9

जिला - योजना

उत्तर प्रदेश में मंडलवार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर व्यय

§रूपये-हजारों में§

§मैदानी क्षेत्र§

मंडल	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
आगरा	28·5	778·6	3871·5	4352·3	8249·5
झाँसी	59·6	1593·1	7178·2	7204·3	7080·0
लखनऊ	109·2	1378·9	5636·4	5779·8	10549·0
बरेली	34·6	776·5	6510·4	921·6	3694·5
मेरठ	33·2	1020·3	1034·8	377·1	1210·5
मुरादाबाद	59·0	1410·1	2526·6	2871·4	5330·0
वाराणसी	77·0	3219·7	4484·3	7374·8	9440·0
गोरखपुर	42·7	4312·3	6662·3	4347·8	4051·5
इलाहाबाद	59·0	3931·4	6389·3	7031·3	3326·0
फैजाबाद	97·0	1520·5	5058·0	8621·1	11209·5
कानपुर	---	---	---	---	4280·0
कुल योग- प्रदेश §मैदानी क्षेत्र§	599·8	19941·4	49351·8	48881·5	68420·5

- जिला/सेक्टर योजनावार परिव्यय §सम्बन्धित वर्षो की§ उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग

वित्तीय सारिणी - 10

शिक्षा आय-व्यय

शीर्षक- आय-व्ययक - 37-शिक्षा

मत-प्राप्त - 7,37,44,200 रु0 §सात करोड़ सैंतीस लाख चवालिस हजार दो सौ§ §उप§ शीर्षकों का विवरण §जिसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा यह अनुदान आगणनीय होगा§ निम्नांकित है -

			अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
ए- विश्वविद्यालय -			
§ए§ विश्वविद्यालयों को अनुदान -			रु0
§1§	इलाहाबाद	::	12,54,800
§2§	लखनऊ	::	11,98,400
§3§	आगरा	::	62,000
§4§	अलीगढ़	::	1,40,600
§5§	काशी विश्वविद्यालय	::	1,42,000
§6§	वैज्ञानिक अनुसन्धान की उन्नति के लिए अनुदान	::	1,48,300
§7§	परिगणित जाति के विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा की योजना में क्षति-पूर्ति के लिए एकमुट्ठ प्राविधान	::	6,000
	योग §ए§	::	29,52,100
§बी§ राजकीय कलात्मक महाविद्यालय -			
§1§	अधिकारियों का वेतन	::	15,600
§2§	कर्मचारियों का वेतन	::	83,300
§3§	पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	19,400
§4§	अनुर्मातियाँ	::	35,300
§5§	संस्कृत महाविद्यालय की उन्नति के लिए एकमुट्ठ प्राविधान	::	1,00,000
	योग §बी§	::	2,53,600

		अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
§सी§ गैर-सरकारी कलात्मक महाविद्यालयों को अनुदान -		रू0
पुरूष	::	15,00,400
महिला	::	71,000
योग §सी§	::	15,71,400
§डी§ राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय -		
§1§ प्रशिक्षण महाविद्यालय §पुरूष§ -		
§1§ अधिकारियों का वेतन	::	81,600
§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	1,49,500
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	56,700
§4§ अनुमितियाँ	::	35,900
योग, प्रशिक्षण महाविद्यालय§पुरूष§	::	3,23,700
प्रशिक्षण महाविद्यालय §महिला§ -		
§1§ अधिकारियों का वेतन	::	18,000
§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	1,44,400
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	31,000
§4§ अनुमितियां	::	38,100
योग, प्रशिक्षण महाविद्यालय§महिला§	:	2,31,500
§2§ शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय -		
§1§ अधिकारियों का वेतन	::	7,200
§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	20,000
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	7,000
§4§ अनुमितियां	::	10,000
योग, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	::	44,200
योग §डी§	::	5,99,400
योग §ए§	::	53,76,500

	अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
बी- माध्यमिक शिक्षा §अन्तर्वर्ती कक्षाओं सहित§ -	रु0
§ए§ राजकीय माध्यमिक विद्यालय -	
§1§ बालक -	
§1§ अधिकारियों का वेतन ::	2,96,000
§2§ कर्मचारियों का वेतन ::	31,70,400
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता ::	8,13,000
§4§ अनुमितियां ::	5,20,700
योग §बालक§ ::	48,00,100
§2§ बालिका -	
§1§ अधिकारियों का वेतन ::	1,04,000
§2§ कर्मचारियों का वेतन ::	9,54,800
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता ::	2,53,300
§4§ अनुमीतियां ::	3,40,500
योग §बालिका§ ::	16,52,600
§बी§ गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सीधा अनुदान -	
बालक ::	79,58,300
बालिका ::	21,84,000
योग :	1,01,42,300
योग§बी§ :	1,65,95,000

प्रारम्भिक शिक्षा

§ए§ राजकीय प्रार्थमिक पाठशालाएँ -

	अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
1- बालक -	
	रू0
(ए) प्रारम्भिक पाठशालाएँ -	
(1) कर्मचारियों का वेतन	:: 75,90,200
(2) पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 65,42,500
(3) अनुमितियाँ	:: 11,28,000
योग (ए)	: 1,52,60,700
(बी) राजकीय रचनात्मक शिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद -	
(1) कर्मचारियों का वेतन	:: 26,600
(2) पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 4,800
(3) अनुमितियाँ	:: 14,100
योग (बी)	:: 45,500
योग (बालक)	1,53,06,200
2- बालिका -	
(1) कर्मचारियों का वेतन	:: 3,77,700
(2) पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 2,38,000
(3) अनुमितियाँ	:: 1,22,900
योग (बालिका)	:: 7,38,600
योग (ए)	: 1,60,44,800
(बी) गैर-सरकारी प्रारम्भिक पाठशालाएँ (बालक)	: 1,55,76,000
तथा लोकल बाडीज स्थानीय परिषद् (बालिका)	:: 15,97,400
योग (बी)	: 1,71,73,400
योग (सी)	: 3,32,18,200

	अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
§डी§ विशेष-	रु0
§ए§ राजकीय विशेष विद्यालय -	
§1§ राजकीय दीक्षा विद्यालय §बालक§ -	
§1§ अधिकारियों का वेतन	:: 1,98,800
§2§ कर्मचारियों का वेतन	:: 20,49,000
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 5,14,800
§4§ अनुमितियाँ	:: 3,85,600
योग दीक्षा विद्यालय §बालक§	:: 31,48,200
§2§ दीक्षा विद्यालय §बालिका§ -	
§1§ अधिकारियों का वेतन	:: 39,600
§2§ कर्मचारियों का वेतन	:: 3,58,800
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 1,13,000
§4§ अनुमितियाँ	:: 86,700
योग, दीक्षा विद्यालय §बालिका§	: 5,98,100
§3§ मूक तथा बधिरों की शिक्षा	:: 43,500
योग §ए§	:: 37,89,800
§बी§ गैर-सरकारी विशेष विद्यालयों को सीधा अनुदान -	
बालक	:: 4,57,000
बालिका	:: 62,200
योग §बी§	:: 5,19,200
योग §डी§	:: 43,09,000

	अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
(ई) सामान्य -	रु0
(ए) संचालन -	
(1) अधिकारियों का वेतन	:: 1,07,600
(2) कर्मचारियों का वेतन	:: 3,01,000
(3) पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 1,15,900
(4) अनुमितियाँ	:: 1,13,500
योग (ए)	:: 6,38,000
(बी) निरीक्षण -	
(1) पुरुष -	
(1) अधिकारियों का वेतन	:: 5,58,400
(2) कर्मचारियों का वेतन	:: 12,94,800
(3) पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 8,85,000
(4) अनुमितियाँ	:: 1,56,000
योग (पुरुष)	:: 28,94,200
(2) महिला -	
(1) अधिकारियों का वेतन	:: 33,000
(2) कर्मचारियों का वेतन	:: 1,61,100
(3) पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 75,000
(4) अनुमितियाँ	:: 12,600
योग (महिला)	:: 2,81,700
योग (बी)	:: 31,75,900

		अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
		रु0
सी - छात्रवृत्तियाँ -		
§1§ पुरुष -		
§1§ कलात्मक महाविद्यालय	::	86,000
§2§ व्यावसायिक महाविद्यालय	::	7,500
§3§ माध्यमिक विद्यालय	::	8,88,900
§4§ प्रारम्भिक पाठशालाएं	::	17,600
§5§ विशेष विद्यालय	::	51,600
§6§ विशेष छात्रवृत्तियाँ	::	10,000
योग §पुरुष§	::	10,61,600
§2§ महिला -		
§1§ कलात्मक महाविद्यालय	::	2,700
§2§ व्यावसायिक महाविद्यालय	::	1,39,200
§3§ माध्यमिक विद्यालय	::	30,000
§4§ प्रारम्भिक विद्यालय	::	2,800
§5§ विशेष विद्यालय	::	--
योग §महिला§	::	1,74,700
योग §सी§	::	12,36,300
डी- विविध -		
§1§ माध्यमिक शिक्षा परिषद् -		
§1§ अधिकारियों का वेतन	::	17,100
§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	69,600
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	86,700
§4§ अनुमितियां	::	13,95,000
योग §1§	::	15,68,400

		अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
		रु0
§2§ रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं -		
§1§ अधिकारियों का वेतन	::	15,200
§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	42,800
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	18,000
§4§ अनुमितियां	::	3,72,500
योग §2§	::	4,48,500
§3§ शारीरिक शिक्षा परिषद् -		
§1§ अधिकारियों का वेतन	::	3,300
§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	74,000
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	31,900
§4§ अनुमितियां	::	16,400
§5§ प्रचार तथा सूचना	::	4,700
§6§ संघों को अनुदान	::	2,50,000
§7§ फिजिकल कल्चर सेन्टर, लखनऊ	::	5,000
योग §3§	::	3,85,300
§4§ वैज्ञानिक अनुसन्धान की उन्नति कमेटी - §1§ भत्ता तथा अनुमितियां	::	5,500
§2§ अनुदान	::	51,200
योग §4§	::	56,700

			अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
			रु0
§5§	समाज सेवा के लिए नवयुवकों की शिक्षा -		
	§1§ अधिकारियों का वेतन	::	16,700
	§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	47,400
	§3§ भत्ता तथा पारिश्रमिक	::	37,900.
	§4§ अनुमितियां	::	83,300
	§5§ छात्रवृत्तियां	::	60,000
	योग §5§	::	2,45,300
§6§	मनोवैज्ञानिक शाला -		
	§1§ अधिकारियों का वेतन	::	17,800
	§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	22,700
	§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	8,800
	§4§ अनुमितियां	::	15,000
	§5§ योग में अशुद्धि	::	12,000
	योग §6§	::	76,000
§7§	हिन्दुस्तानी साहित्य की उन्नति के लिए कोष में स्थानान्तर	:	55,000
§8§	विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा -		
	§1§ अधिकारियों का वेतन	::	54,700
	§2§ कर्मचारियों का वेतन	::	69,600
	§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	::	1,14,600
	§4§ अनुमितियां	::	5,72,900
	§5§ अनुदान	::	56,000
	योग §8§	::	8,67,800

	अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
	रु0
§9§ नेशनल कैडेट कार्प्स -	
§1§ अधिकारियों का वेतन	:: 67,200
§2§ कर्मचारियों का वेतन	:: 2,30,400
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 8,02,800
§4§ अनुर्मितियां	:: --
योग §9§	:: 11,00,400
§10§ केन्द्रीय प्रान्तीय पुस्तकालय -	
§1§ अधिकारियों का वेतन	:: 3,000
§2§ कर्मचारियों का वेतन	:: 6,200
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 3,100
§4§ अनुर्मितियां	:: 6,000
योग §10§	:: 18,300
§11§ अन्य विविध व्यय	:: 5,19,900
§12§ पुरातत्व सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए प्राविधान	:: 25,000
योग §डी§	:: 53,66,900
योग §ई§	: 1,04,17,100
§एफ§ ग्रामोन्नति योजनाएं -	
§1§ अधिकारियों का वेतन	:: 9,300
§2§ कर्मचारियों का वेतन	:: 1,60,000
§3§ पारिश्रमिक तथा भत्ता	:: 2,55,000
§4§ अनुर्मितियां	:: 70,000
§5§ अन्य विशेष योजनाएं तथा मदें	:: 36,700
§6§ अनुदान	:: 67,000
योग §एफ§	:: 5,98,000

		अनुमानित आय-व्ययक 1950-51
		रू0
§जी§ इगलैन्ड के व्यय -	::	6,400
§एच§ कार्य -		
§1§ छोटे कार्य तथा बिजली	::	3,60,000
§2§ व्यवस्था तथा जीर्णोद्घार	::	2,62,300
योग §एच§	::	6,22,300
अवयव-भूत राज्यों के लिए एकमुट्ठ प्रावधान -	::	26,01,700
योग §पुरूष शिक्षा§	:	6,61,14,800
योग§महिला शिक्षा§	::	76,29,400
पूर्ण योग	:	7,37,44,200

स्रोत- शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की वार्षिक आख्या, 1951

संख्यात्मक सारिणी - 1

उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अध्यापक तथा नामांकन

क्रमांक	वर्ष	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन
1-	1947-48	609	12,210	2,49,309
2-	1948-49	774	14,727	2,97,541
3-	1949-50	903	16,343	3,60,775
4-	1950-51	987	18,235	4,17,000
5-	1951-52	1,126	22,039	4,86,000
6-	1952-53	1,215	24,031	5,42,000
7-	1953-54	1,322	25,002	5,78,000
8-	1954-55	1,414	27,827	6,15,000
9-	1955-56	1,474	28,694	6,44,000
10-	1956-57	1,533	29,308	6,76,000
11-	1957-58	1,584	30,668	7,23,000
12-	1958-59	1,633	32,464	7,99,000
13-	1959-60	1,701	33,902	8,64,000
14-	1960-61	1,771	36,076	9,12,000
15-	1961-62	1,893	39,198	10,21,000
16-	1962-63	1,993	42,190	11,18,000
17-	1963-64	2,093	45,447	12,22,000
18-	1964-65	2,237	50,298	13,59,000
19-	1965-66	2,501	56,414	15,59,000
20-	1966-67	2,775	62,836	17,45,000

संख्यात्मक सारिणी - 1 क्रमशः -----

21-	1967-68	2,892	66,422	18,84,000
22-	1968-69	3,012	69,692	20,16,000
23-	1969-70	3,248	75,229	21,76,000
24-	1970-71	3,415	79,646	23,16,000
25-	1971-72	3,623	85,621	24,45,000
26-	1972-73	3,898	91,835	25,01,000
27-	1973-74	4,165	96,617	27,17,000
28-	1974-75	4,378	98,673	27,47,000
29-	1975-76	4,473	1,02,349	27,93,000
30-	1976-77	4,537	1,03,568	29,66,000
31-	1977-78	4,644	1,04,072	28,70,183
32-	1978-79	4,869	1,04,649	31,29,703
33-	1979-80	5,104	1,10,430	33,09,651
34-	1980-81	5,210	1,12,350	34,48,323
35-	1981-82	5,662	1,19,070	37,08,287
36-	1982-83	5,610	1,19,163	38,33,251
37-	1983-84	5,650	1,19,274	40,49,123
38-	1984-85	5,795	1,22,274	42,21,123
39-	1985-86	5,667	1,24,707	42,78,818
40-	1986-87	5,691	1,25,059	44,08,290
41-	1987-88	5,742	1,26,303	44,12,942
42-	1988-89	5,752	1,25,863	44,15,486

स्रोत- "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

संख्यात्मक सारिणी - 2

भारत में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिक्षक तथा नामांकन

1986

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन
1-	आन्ध्र प्रदेश	5275	82810	836889
2-	अरूणाचल प्रदेश	81	1569	10032
3-	आसाम	2595	34742	432485
4-	बिहार	3879	47408	928003
5-	गोवा	320	5978	47686
6-	गुजरात	4544	47342	825414
7-	हरियाणा	2079	45033	253401
8-	हिमाचल प्रदेश	920	11903	112566
9-	जम्मू-काश्मीर	1026	18454	143537
10-	कर्नाटक	4501	48967	846776
11-	केरल	2447	81126	773581
12-	मध्य प्रदेश	3416	48840	766721
13-	महाराष्ट्र	8569	157717	2040320
14-	मणिपुर	373	5836	41224
15-	मेघालय	290	3358	44738
16-	मिजोरम	160	1135	12029
17-	नागालैण्ड	95	1773	11136
18-	उड़ीसा	3970	38928	410329
19-	पंजाब	2530	44587	343099
20-	राजस्थान	3141	54211	582875

संख्यात्मक सारिणी - 2 क्रमशः -----

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या	उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन
21-	सिक्किम	68	1942	5272
22-	तमिलनाडू	4367	106488	1334112
23-	त्रिपुरा	380	8050	55166
24-	उत्तर प्रदेश	5858	121493	2695355
25-	पश्चिम बंगाल	5645	89848	997729
26-	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	50	1499	10049
27-	चंडीगढ़	83	3001	15133
28-	दादर और नगर हवेली	7	126	1783
29-	दमन और दीव	17	298	2659
30-	दिल्ली	922	34634	311347
31-	लक्षदीप	11	323	1572
32-	पॉण्डीचेरी	87	2138	22807
	भारत	67706	1151557	14915825

स्रोत- "फिफ्थ आल इंडिया इजूकेशनल सर्वे सलेक्टेड स्टेटिस्टिक्स" नयी दिल्ली, नेशनल कौन्सिल आफ इजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग 1989, पृष्ठ- 27,57 तथा 79

संख्यात्मक सारिणी - 3

बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्य शिक्षा-संस्थाएँ

वर्ष	हाईस्कूल	इन्टरमीडिएट
1922-23	178	28
1924-25	186	32
1925-26	189	32
1926-27	190	32
1927-28	188	33
1928-29	191	34
1929-30	197	34
1930-31	205	35
1931-32	212	36
1932-33	216	36
1933-34	227	37
1934-35	235	38
1935-36	251	40
1936-37	254	40
1941-42	328	66
1949-50	570	167
1951-52	1085	520
1952-53	1098	534
गुणावृद्धि	6·17	19·07

स्रोत- राघव प्रसाद सिंह "भारतवर्ष तथा उत्तर प्रदेश में प्रजातांत्रिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका"लखनऊ, हिन्दी साहित्य भंडार

संख्यात्मक सारिणी - 4

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

§सन् 1947-48 से 1987-88 तक§

क्रमांक वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट			कुल विद्यालय-संख्या
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1- 1947-48	428	73	501	168	15	183	684
2- 1948-49	477	69	546	226	20	246	792
3- 1949-50	647	124	771	302	30	332	1103
4- 1950-51	749	130	879	344	41	385	1264
5- 1951-52	841	134	975	354	54	408	1383
6- 1952-53	924	167	1091	455	75	530	1621
7- 1953-54	1046	178	1224	509	89	598	1822
8- 1954-55	1108	187	1295	600	101	701	1996
9- 1955-56	1175	197	1372	652	111	763	2135
10-1956-57	1228	206	1434	701	117	818	2252
11-1957-58	1277	218	1495	733	125	858	2353
12-1958-59	1321	226	1547	753	130	883	2430
13-1959-60	1358	242	1600	765	140	905	2505
14-1960-61	1404	257	1661	786	148	934	2595
15-1961-62	1465	268	1733	819	155	974	2707
16-1962-63	1565	303	1868	852	182	1034	2902
17-1963-64	1652	319	1971	895	191	1086	3057
18-1964-65	1709	336	2045	937	201	1138	3183
19-1965-66	1837	354	2191	1002	214	1216	3407

संख्यात्मक सारिणी - 4 क्रमशः -----

क्रमांक वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट			कुल
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	विद्यालय-संख्या
20-1966-67	2042	403	2445	1097	237	1334	3779
21-1967-68	2281	453	2734	1215	260	1475	4209
22-1968-69	2351	473	2824	1262	270	1532	4356
23-1969-70	2457	510	2967	1322	284	1606	4573
24-1970-71	2625	539	3164	1460	303	1763	4927
25-1971-72	2836	560	3396	1567	314	1881	5277
26-1972-73	3048	587	3635	1631	316	1947	5582
27-1973-74	3217	601	3818	1753	328	2081	5899
28-1974-75	3459	608	4067	1869	360	2229	6296
29-1975-76	3636	625	4261	1920	363	2283	6544
30-1976-77	3716	630	4346	2001	367	2368	6714
31-1977-78	3717	632	4349	2002	368	2370	6719
32-1978-79	4090	685	4775	2183	393	2576	7351
33-1979-80	3921	666	4587	2172	388	2560	7147
34-1980-81	4150	692	4842	2386	416	2802	7644
35-1981-82	4213	695	4908	2459	419	2878	7786
36-1982-83	4297	698	4995	2492	418	2910	7905
37-1983-84	4350	720	5070	2539	430	2969	8039
38-1984-85	4419	720	5139	2571	430	3001	8140
39-1985-86	4499	739	5238	2610	445	3055	8293
40-1986-87	4519	720	5239	2591	424	3015	8254
41-1987-88	4588	729	5317	2680	444	3124	8441

स्रोत- "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों की) इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

संख्यात्मक सारिणी - 5

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी-विवरण

(1924 - 1951)

क्रमांक	परीक्षा का वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट		
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग
1-	1924	--	--	--	1702	--	1702
2-	1925	6126	242	6368	2028	--	2028
3-	1926	6117	920	7037	2480	--	2480
4-	1927	7062	476	7538	2480	414	2894
5-	1928	7836	920	8756	2441	564	3005
6-	1929	8353	1232	9585	2587	583	3170
7-	1930	7309	1028	8337	2224	411	2635
8-	1931	8105	1148	9253	2433	493	2926
9-	1932	8876	1229	10105	2507	572	3079
10-	1933	9302	1353	10655	2859	724	2583
11-	1934	10185	1452	11637	3339	801	4140
12-	1935	10744	1893	12637	3218	863	4081
13-	1936	11327	2095	13422	3300	873	4173
14-	1937	11983	2400	14383	3331	846	4177
15-	1938	12133	2745	14878	3432	1155	4587
16-	1939	12462	2983	15445	3545	1222	4767
17-	1940	13177	3403	15580	3748	1404	5152
18-	1941	14010	3600	17610	4198	1815	6013
19-	1942	14956	4296	19252	4503	1979	6482
20-	1943	14556	3956	18512	4537	1674	6211

संख्यात्मक सारिणी - 5 क्रमशः ------

क्रमांक	परीक्षा का वर्ष	हाईस्कूल			इण्टरमीडिएट		
		संस्थागत	व्यक्तिगत	योग	संस्थागत	व्यक्तिगत	योग
21-	1944	15620	6636	22256	5049	2752	7801
22-	1945	16869	7793	24662	5583	3263	8846
23-	1946	18695	8577	27292	6125	4267	10392
24-	1947	22054	11829	33883	7183	5161	12344
25-	1948	26391	13908	40299	8138	5589	13727
26-	1949	33410	18764	52174	10384	8186	18570
27-	1950	40500	31062	71562	12167	12379	24546
28-	1951	63185	46396	109581	16790	19362	36152

स्रोत - "शिक्षा" अक्टूबर, 1953, लखनऊ, शिक्षा विभाग, पृष्ठ- 46-47

संख्यात्मक सारिणी - 6

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

§सन् 1947 से 1988 तक§

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र
1-	1947	33923	31506	19937
2-	1948	40299	37126	23204
3-	1949	52174	48595	33616
4-	1950	71568	64600	34936
5-	1951	110581	98534	58234
6-	1952	124843	111847	57778
7-	1953	196808	178061	91107
8-	1954	204357	185910	94361
9-	1955	218893	200547	94192
10-	1956	184037	169586	77117
11-	1957	186828	176202	74423
12-	1958	197220	186450	98693
13-	1959	203134	192492	87285
14-	1960	226370	213868	86123
15-	1961	237872	225841	103740
16-	1962	251374	237613	107803
17-	1963	274841	258570	117983
18-	1964	298430	281280	148353
19-	1965	310432	291686	145200
20-	1966	356404	333641	155464

संख्यात्मक सारिणी - 6 क्रमशः -----

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र
21-	1967	404930	385882	176945
22-	1968	419831	400886	190179
23-	1969	474026	450373	213302
24-	1970	527529	502557	226286
25-	1971	564638	522773	218645
26-	1972	624392	586053	273523
27-	1973	650939	622534	271383
28-	1974	682201	641651	246728
29-	1975	682999	638882	281041
30-	1976	742089	692452	277573
31-	1977	740512	702423	383032
32-	1978	826114	750954	390137
33-	1979	944619	795818	325698
34-	1980	897872	854873	385988
35-	1981	843971	793464	304511
36-	1982	874584	821306	375844
37-	1983	1153990	1080431	414339
38-	1984	1128076	1032445	300328
39-	1985	1199831	1113825	396461
40-	1986	1312391	1247122	545037
41-	1987	1395371	1319785	622068
42-	1988	1521083	1438591	670496

स्रोत - "शिक्षा की प्रगति" (सम्बन्धित वर्षों की), इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय

संख्यात्मक सारिणी - 7

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

(सन् 1947 से 1988 तक)

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र
-	1947	14598	14126	8621
-	1948	16611	14340	8282
-	1949	21690	18939	12007
-	1950	28205	24065	14171
-	1951	41009	34464	20523
-	1952	47403	39444	22865
-	1953	62635	54068	30279
-	1954	64039	55099	27672
-	1955	86928	77000	42559
10-	1956	87801	78077	41434
11-	1957	84690	75804	36167
12-	1958	82627	74041	35622
13-	1959	89871	81088	37353
14-	1960	109446	98045	42753
15-	1961	113345	101824	42202
16-	1962	118461	105313	48097
17-	1963	130027	114300	52773
18-	1964	140489	136429	55635
19-	1965	152713	135948	67025
20-	1966	176697	153420	67680

संख्यात्मक सारिणी - 7 क्रमशः ------

क्रमांक	वर्ष	पंजीकृत छात्र	परीक्षा में सम्मिलित छात्र	परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र
21-	1967	196874	174151	79943
22-	1968	229247	205623	119508
23-	1969	269866	245666	127750
24-	1970	276586	248366	116659
25-	1971	300904	270207	133946
26-	1972	324756	293587	158649
27-	1973	341500	308811	164824
28-	1974	378182	342391	186963
29-	1976	387371	355314	197908
30-	1976	426330	386419	185278
31-	1977	430381	396645	248854
32-	1978	426122	390233	252058
33-	1979	516047	477769	293971
34-	1980	528508	495623	321410
35-	1981	473724	434110	212868
36-	1982	526731	481591	267878
37-	1983	519298	471924	273361
38-	1984	508437	464698	220354
39-	1985	568383	522447	291732
40-	1986	527287	488937	304418
41-	1987	523298	490717	341180
42-	1988	641736	598937	413809

स्रोत - "शिक्षा की प्रगति"(सम्बन्धित वर्षों की), इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय